FORM A

1.	Name of the Company/ Bank	IDBI Bank Ltd.
2.	Annual financial statements for the year ended	31st March 2015
3.	Type of Audit observation	Unqualified- Standalone Financial statements Unqualified- Consolidated Financial statements
4.	Frequency of observation	-

For Khimji Kunverji & Co.
Chartered Accountants
FRN-105146W

Gautam V Shah
Partner (F-117348)

For G.D.Apte& Co.
Chartered Accountants
FRN-100515W

Saurabh S Peshwe
Partner (F-121546)

(M.S. Raghavan)
Chairman & Managing Director

(S.Ravi)
Audit Committee Chairman

(Pawan Agrawal)
Company Secretary

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
वित्त एवं लेखा विभाग
Finance & Accounts Dept.
IDBI BANK LIMITED

(N.S. Venkatesh)
Executive Director &
Chief Financial Officer

Place: Mumbai
Date : May 26, 2015

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN: L65190MH2004GOI148838

पंजीकृत कार्यालय- आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005, फोन-(022) 66552779, फैक्स-(022) 22182352, ईमेल: idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट: www.idbi.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों की 11वीं वार्षिक महासभा बुधवार, दिनांक 12 अगस्त 2015 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जाएगी :

सामान्य कारोबार

1. यथा 31 मार्च 2015 को बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशकों तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना;
2. वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश घोषित करना;
3. लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति करना, उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:-

''संकल्प किया जाता है कि इस संबंध में जारी संबद्ध नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा बैंक के संस्था बहिर्नियम व अंतर्नियम और तत्समय लागू किसी अन्य कानून या दिशानिर्देश, यदि कोई हों, के अनुसरण में बैंक के निदेशक मंडल को, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) से इस संबंध में अनुमोदन प्राप्त होने पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (8) के निबंधनों के अनुसार (i) वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक(कों) की नियुक्ति और (ii) वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बैंक की डीआईएफसी, दुबई शाखा के लिए शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है. उपर्युक्त नियुक्तियां ऐसे निबंधनों एवं शर्तों तथा पारिश्रमिक पर होंगी जो बैंक का निदेशक मंडल लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर उपर्युक्त दोनों नियुक्तियों के लिए नियत करे.''

विशेष कारोबार

4. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

''संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के प्रावधानों और लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हों, बैंक के संस्था अंतर्नियम, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 तथा/या किसी अन्य सम्बद्ध कानून/दिशानिर्देश के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक), भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा/या इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी, यदि कोई है, के अधीन और ऐसे अनुमोदन प्रदान करने

IDBI BANK LIMITED

CIN: L65190MH2004GOI148838

Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai- 400 005,
Phone-(022) 66552779, Fax-(022) 22182352,
e-mail: idbiequity@idbi.co.in, website: www.idbi.com

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 11th Annual General Meeting of the Members of IDBI Bank Limited will be held on Wednesday, August 12, 2015 at 3.30 p.m. at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, General Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 to transact the following business :

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Bank as at March 31, 2015 together with the Reports of Directors and Auditors thereon;
2. To declare Dividend for the year 2014-15;
3. To appoint Auditors and fix their remuneration and, in that behalf, to consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution:-

   "RESOLVED THAT pursuant to Section 139 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules issued in this regard, the Banking Regulation Act, 1949, Memorandum and Articles of Association of the Bank and any other law or guideline applicable, if any, for the time being in force, the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to (i) appoint Joint Statutory Auditor(s) of the Bank for the Financial Year 2015-16 as per the approval to be received in this regard from Reserve Bank of India (RBI) and (ii) appoint Branch Statutory Auditor for Bank's DIFC, Dubai Branch for the Financial Year 2015-16 in terms of Section 143(8) of the Companies Act, 2013 as per the approval to be received in this regard from RBI, on such terms, conditions and remuneration as the Board of Directors of the Bank may fix for both the above appointments upon recommendation of the Audit Committee."

SPECIAL BUSINESS

4. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Special Resolution:

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 62(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, Articles of Association of the Bank, the Banking Regulation Act, 1949, SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and/ or any other relevant law/ guideline(s) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and /or any other statutory/ regulatory authority as may be required in this regard and subject to such

के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसे निबंधनों, शर्तों तथा संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो, बैंक के निदेशक मंडल (इसमें इसके पश्चात् 'बोर्ड' के रूप में निर्दिष्ट जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गयी या इसके बाद गठित की जानेवाली कोई भी समिति शामिल होगी) के लिए भारत में प्रस्ताव दस्तावेज़/ विवरण पत्र अथवा ऐसे अन्य दस्तावेज़ के माध्यम से कुल अधिकतम ₹ 6000/- करोड़ राशि (प्रीमियम राशि सहित) के ₹ 10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों की ऐसी संख्या आईडीबीआई बैंक के मौजूदा प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में इस प्रकार जोड़ी जाए कि केंद्र सरकार की बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में धारिता किसी भी समय 51% प्रतिशत से कम न हो, जोकि बाजार मूल्य पर छूट(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन) या प्रीमियम पर हो, एक या अधिक श्रृंखलाओं में एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (''एनआरआई''), कंपनियों (निजी या सार्वजनिक), निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, पात्र संस्थागत क्रेताओं (''क्यूआईबी'') जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक (''एफआईआई''), बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूच्युअल फंड, उद्यम पूंजी निधि, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य संस्थाओं, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकों को बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से प्रस्तावित करने, जारी करने तथा आबंटित करने (पक्के आबंटन तथा/या निर्गम के उस भाग के प्रतिस्पर्धी आधार पर तथा उस समय लागू कानून के द्वारा अनुमत किसी श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण के प्रावधान सहित) के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति दी जाए और एतद्द्वारा दी जाती है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन निम्नलिखित माध्यमों अर्थात् सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान निर्गम, पात्र संस्थागत नियोजन और/ या निजी नियोजन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित, के आधार पर इनमें से किसी एक या अधिक माध्यमों से होगा तथा ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, नियोजन और आबंटन कंपनी अधिनियम, 2013, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 के प्रावधानों तथा रिज़र्व बैंक, सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण, जो भी लागू हो, द्वारा जारी अन्य सभी दिशानिर्देशों के अधीन और ऐसे समय पर और ऐसे तरीके और ऐसे निबंधनों व शर्तों पर किया जाएगा जिसे निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार से उचित समझे.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार होगा कि वह इस तरह से मूल्य या मूल्यों को निर्धारित कर सके और जहां जरूरी हो, वहां अग्रणी प्रबंधकों तथा/ या हामीदारों और/ या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या अन्यथा ऐसे निबधनों एवं शर्तों पर जो बोर्ड के पूर्ण विवेकानुसार हों, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, अन्य विनियमों और किसी या अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुरूप हों, चाहे वे निवेशक वर्तमान में बैंक के सदस्य हों या न हों, ऐसा मूल्य तय कर सकेगा जो कि सेबी (आईसीडीआर) विनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो.''

terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called 'the Board' which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or may hereafter constitute to exercise its powers, including the powers conferred by this Resolution) to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of ₹ 10/- each and aggregating to not more than ₹ 6000 crore (inclusive of premium amount) to be added to the existing paid-up equity share capital of IDBI Bank in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity share capital of the Bank, whether at a discount (subject to Section 53 of the Companies Act, 2013) or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian Nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, Private or Public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors who are authorized to invest in equity shares of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by one or more of the following modes, i.e., by way of public issue, rights issue, preferential issue, qualified institutional placement and/or on a private placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949, the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and all other guidelines issued by RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times, in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices, in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI (ICDR) Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of SEBI (ICDR) Regulations".

‘‘यह भी संकल्प किया जाता है कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीबद्धता करार के प्रावधानों, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंक के संस्था अंतर्नियम, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) और इस संबंध में अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारियों (इसमें इसके पश्चात् सामूहिक रूप से ‘‘उपयुक्त प्राधिकारी’’ के रूप में उल्लिखित) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/या मंजूरियों के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/या मंजूरी (इसमें इसके पश्चात् ‘‘अपेक्षित अनुमोदन’’ के रूप में उल्लिखित) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत पात्र संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) (जैसाकि आईसीडीआर विनियम, के अध्याय VIII में परिभाषित है) को एक या अधिक श्रृंखलाओं में, समय-समय पर पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में, जैसा कि सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VIII के तहत व्यवस्था है, नियोजन दस्तावेज और/ या अन्य किसी दस्तावेजों/ प्रलेखों/ परिपत्रों/ ज्ञापनों के माध्यम से और ऐसे तरीके से और ऐसे मूल्य, शर्तों और निबंधनों पर जो बोर्ड द्वारा सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 या तत्समय लागू कानून के अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए गए हों, के जरिए इस प्रकार इक्विटी शेयर जारी, प्रस्तावित या आबंटित कर सकता है कि किसी भी समय बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता 51% से कम न हो, बशर्ते कि इस प्रकार जारी इक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के प्रावधानों के अध्यधीन सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के संगत प्रावधानों के अनुसार नियत मूल्य से कम न हो.’’

‘‘यह भी संकल्प किया जाता है कि पात्र संस्थागत नियोजन के मामले में, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VIII के अनुसरण में प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अर्थ के अंतर्गत केवल पात्र संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा.’’

‘‘यह भी संकल्प किया जाता है कि पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) निर्गम के मामले में, प्रतिभूतियों का आधार मूल्य तय करने की संगत तारीख सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसार होगी तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियत की जाएगी.’’

‘‘यह भी संकल्प किया जाता है कि क्यूआईपी के मामले में, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड, अपने पूर्ण विवेकानुसार, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के निबंधनों के अनुसार निर्धारित ‘आधार मूल्य’ से अधिकतम पांच प्रतिशत की छूट पर या ऐसी छूट पर, जो लागू विनियमों के अंतर्गत अनुमत हो, इक्विटी शेयर जारी कर सकता है. (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अधीन)’’

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with Stock Exchanges, the provisions of the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949, Articles of Association of the Bank, the provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time, in one or more tranches, equity shares in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Share Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) [as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations] pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, through a placement document and / or such other documents/writings/ circulars/memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 or other provisions of law as may be prevailing at the time, provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived at in accordance with the relevant provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 subject to the provisions of Section 53 of the Companies Act, 2013”.

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VIII of the SEBI(ICDR) Regulations, 2009, the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations and that such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution”.

“RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP issue, the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and shall be decided by the Board of Directors of the Bank”.

“RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP, in terms of the provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the Board may, at its absolute discretion, issue equity shares at a discount of not more than five percent or such other discount as may be permitted under applicable regulations to the ‘floor price’ as determined in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 [subject to the provisions of Section 53 of the Companies Act, 2013].”

''यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम, आबंटन और सूचीबद्धता को अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी देते/ प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार भारत सरकार/ रिज़र्व बैंक/ सेबी/ ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जिनमें बैंक के शेयर सूचीबद्ध हों अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने की शक्ति व अधिकार बोर्ड को होगा.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और /अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए इक्विटी शेयरों, यदि कोई हों, का निर्गम तथा आबंटन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन यथा प्रयोज्य किंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर किया जाएगा.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किये जाने वाले उक्त नए इक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे तथा लाभांश की घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि इक्विटी शेयरों के किसी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ बोर्ड को सदस्यों से आगे कोई अनुमोदन प्राप्त किये बिना सार्वजनिक निर्गम की शर्तों तथा निवेशकों की ऐसी श्रेणी, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जानेवाले शेयरों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे, का निर्धारण करने तथा ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और ऐसे विलेख, दस्तावेज़ तथा करार निष्पादित करने के लिए, जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या अभीष्ट समझें तथा सार्वजनिक ऑफर, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में उठने वाले किसी प्रकार के प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने अथवा उनके समाधान के लिए निर्देश या अनुदेश देने और निबंधनों एवं शर्तों में ऐसे आशोधन, बदलाव, भिन्नता, परिवर्तनों, विलोपन, संवर्धन को स्वीकार और लागू करने, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त और उचित समझे, के लिए प्राधिकृत किया जाये और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है और कि इस संकल्प द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को अग्रणी प्रबंधक (कों), बैंकर (रों), हामीदार (रों), निक्षेपागार (रों) तथा/या ऐसी सभी एजेंसियों के साथ, जो इस प्रकार के इक्विटी के निर्गम में शामिल या उससे संबंधित हों, के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं के लिए करार करने और उसे निष्पादित करने और ऐसी सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, फीस या किसी अन्य रूप में पारिश्रमिक देने तथा ऐसी एजेंसियों के साथ सभी संबंधित व्यवस्थाएं, करार ज्ञापन, दस्तावेज़ आदि निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के लिए बोर्ड को बैंक द्वारा नियुक्त अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, सलाहकारों और/अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by GOI / RBI / SEBI/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to and shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board, in its absolute discretion, deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in their absolute discretion, deem necessary, proper or desirable and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise with regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be

निर्गम के स्वरूप और शर्तों, साथ ही निवेशकों की श्रेणी जिन्हें शेयर आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, इक्विटी शेयरों की संख्या, मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम या छूट(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन), रिकॉर्ड तारीख या लेखा बंदी की तारीख नियत करना तथा संबंधित या प्रासंगिक मामले, भारत में और / अथवा विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे, के लिए प्राधिकृत किया जाए व एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों का बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाए, जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे और जो विधि द्वारा अनुमत हो.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के प्रयोजनार्थ बोर्ड को शेयरधारकों या प्राधिकरणों से कोई अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन प्राप्त किये बिना ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने, जिन्हें वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित व अभीष्ट समझें और शेयरों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने और आगे ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और सभी दस्तावेज तथा लिखतों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने, जिसे वे अपने पूर्ण विवेकानुसार आवश्यक, अभीष्ट और अत्यावश्यक समझें, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा शेयरधारकों ने अपना स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को अपने सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक अथवा उप प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक (कों) या किसी अन्य वरिष्ठ कार्यपालक को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

5. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करनाः

''संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, सेबी के दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन जारी संबद्ध नियमों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंक के संस्था अंतर्नियम और अन्य लागू कानून, दिशानिर्देश, यदि कोई हो, के अनुसरण में तथा भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और/या किसी अन्य सांविधिक/विनियामक प्राधिकरण, जो इस संबंध में अपेक्षित हो, से ज़रूरी अनुमोदन, यदि कोई हो, की शर्तों पर तथा उसमें ऐसी शर्तों और निबंधनों और संशोधनों, जो उनके द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के लिए निर्धारित किया जाए, की शर्तों पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अथवा इस संकल्प के पारित की तारीख से एक वर्ष, जो भी बाद में हो, के दौरान एक या उससे अधिक भाग में निजी तौर पर शेयर आबंटन/सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से सीनियर/ इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड/ बासेल III अनुपालन टियर II / अतिरिक्त टियर I बॉण्ड को मिलाकर ₹ 20,000 करोड़ तक जुटाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को बैंक के सदस्यों की सहमति दी जाए तथा एतद्द्वारा सहमति दी जाती है.''

and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares are to be allotted, number of shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue, number of equity shares, the price, premium or discount (subject to Section 53 of the Companies Act, 2013) on issue, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board, in its absolute discretion, deems fit".

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares as are not subscribed to may be disposed off by the Board, in its absolute discretion, in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may, in its absolute discretion, deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise with regard to the issue of the shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may, in its absolute discretion, deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorities to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers, herein conferred, to the Chairman or Managing Director or to the Deputy Managing Director or Executive Director(s) or any other Senior Executive of the Bank, to give effect to the aforesaid Resolutions."

5. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 42 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, SEBI guidelines, relevant Rules issued under the Companies Act, 2013, Banking Regulation Act, 1949, Articles of Association of the Bank and other applicable laws, guidelines, if any and subject to approvals, if any, required from the Government of India, Reserve Bank of India, SEBI, Stock Exchanges and/or any other statutory/ regulatory authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting their approval, the consent of Members of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank for mobilisation in one or more tranches upto ₹ 20,000 crore comprising of Senior / Infrastructure Bonds, Basel III Compliant Tier II / Additional Tier I Bonds, by way of Private Placement / Public Issue during the FY 2015-16 or during one year from the date of passing this Resolution, whichever is later."

''यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को इस बारे में अपने अधिकारों को बैंक के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या उप प्रबंध निदेशक या बैंक के किसी अन्य निदेशक या अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के साथ-साथ ऐसे कार्य, कृत्य या अन्य चीजें करने या करवाने, जैसाकि इस बारे में आवश्यक या प्रासंगिक समझा जाए, के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करनाः

''संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 14 के प्रावधानों तथा अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसरण में तथा अधिनियम और इसके बनाए गए निर्मित नियमों के प्रावधानों और साथ ही भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन के प्रयोजन से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के संस्था अंतर्नियम में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाए तथा एतद्द्वारा परिवर्तन किया जाता है''

(i) अंतर्नियम 1 के बाद और अंतर्नियम 2 से पहले संस्था अंतर्नियमों में निम्नलिखित नया अंतर्नियम 1ए जोड़ा जाएः

''अंतर्नियम 1ए

कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत और इस संबंध में बनाए गए नियमों का पालन करेगी. जहां कहीं ये अंतर्नियम कंपनी अधिनियम, 1956 के निरसित प्रावधानों का संदर्भ देंगे, उक्त संदर्भ अथवा प्रावधान को इसके अंतर्गत बनाए नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के तद्नुरूप लागू प्रावधान(नों) के संदर्भ के रूप में समझा तथा पढ़ा जाए और तदनुसार अनुपालन किया जाए.''

(ii) संस्था अंतर्नियम के वर्तमान अंतर्नियम 116(1)(ए) को निम्नलिखित नए अंतर्नियम 116(1)(ए)(i) एवं (ii) से प्रतिस्थापित किया जाए :

अंतर्नियम 116(1)(ए)

कंपनी के निदेशक मंडल की रचना निम्नानुसार होगी :

(i) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त गैर-कार्यपालक (गैर-पूर्णकालिक) अध्यक्ष.

(ii) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रबंध निदेशक एवं सीईओ.

(iii) संस्था अंतर्नियम के वर्तमान अंतर्नियम 114(ए) को वर्तमान ''बारह'' निदेशकों के स्थान पर अधिकतम ''तेरह'' निदेशकों के प्रावधान के लिए संशोधित किया जाए.

(iv) संस्था अंतर्नियम के वर्तमान अंतर्नियम 116ए(i) को वर्तमान में उपलब्ध 4 स्वतंत्र निदेशकों के स्थान पर स्वतंत्र निदेशकों के रूप में सभी चयनित 5 निदेशकों [अंतर्नियम 116(1)(ई) के अंतर्गत निर्धारित] की नियुक्ति के लिए संशोधित किया जाए जो क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे.

(v) संस्था अंतर्नियम के वर्तमान अंतर्नियम 116ए(ii) को निम्नलिखित नए अंतर्नियम 116ए(ii) द्वारा परिवर्तित

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to the Chairman or Managing Director or Deputy Managing Director of the Bank, or any other Director or officer of the Bank as may be required or considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution."

6. To consider and, if thought fit, to pass, the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 14 of the Companies Act, 2013 (the Act) and other applicable provisions if any of the Act and Rules made thereunder and the Banking Regulation Act, 1949 and in order to comply with the provisions of the Act and Rules made thereunder as well as Government of India's directives, the Articles of Association of IDBI Bank Limited be and are hereby altered as follows :

(i) After the Article 1 and before the Article 2, the following new Article 1A be added in the Articles of Association :

"Article 1A

The company shall comply with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and in that regard, wherever these Articles give reference to the repealed provisions of the Companies Act, 1956, the same reference or provision be construed and read as the reference to the corresponding applicable provision(s) of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder and complied accordingly."

(ii) The present Article 116(1)(a) of the Articles of Association be replaced by the following new Article 116(1)(a)(i) & (ii):

Article 116(1)(a)

The Board of Directors of the company shall consist of :

(i) a Non-Executive (Non-whole-time) Chairman appointed by the Central Government

(ii) a Managing Director & CEO appointed by the Central Government.

(iii) The present Article 114(a) of the Articles of Association be modified to provide for "thirteen" maximum Directors on the Board instead of "twelve" presently provided.

(iv) The present Article 116A(i) of the Articles of Association be modified to provide for appointment of all 5 elected directors [prescribed under Article 116(1)(e)] as Independent Directors not liable to retire by rotation, instead of 4 Independent Directors presently provided.

(v) The present Article 116A(ii) of the Articles of Association be altered and replaced by the

तथा प्रतिस्थापित किया जाए :

''अंतर्नियम 116 ए (ii)

इन संस्था अंतर्नियमों में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अंतर्नियम 116ए(i) के साथ पठित अंतर्नियम 116(1)(ई) के अंतर्गत निर्धारित 5 निदेशकों में से एक महिला निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1)(बी) के प्रावधानों के अनुपालन में बोर्ड में नियुक्त की जाएंगी. ऐसा संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 116(1)(ए) से 116(1)(डी) के अंतर्गत बोर्ड में पहले से किसी महिला निदेशक के नियुक्त/नामित नहीं होने पर होगा.''

बोर्ड के आदेश से

(एम. एस. राघवन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 05236790)

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400 005

दिनांक : 4 जून 2015

following new Article 116A(ii) :

"Article 116A(ii)

Notwithstanding anything to the contrary contained in these Articles of Association, out of the 5 Directors prescribed under Article 116(1)(e) read with Article 116A(i), one Woman Director shall be appointed on the Board to comply with the provisions of Section149(1)(b) of the Companies Act, 2013, unless a Woman Director is already on the Board appointed / nominated under Article 116(1)(a) to 116(1)(d) of the Articles of Association."

By Order of the Board

(M.S. Raghavan)
Chairman & Managing Director
(DIN 05236790)

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400005

Dated : June 04, 2015

टिप्पणियां :

1. मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत विशेष कारोबार की मदों के लिए विवरण सहित) इसके साथ संलग्न हैं.

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के निबंधनों के अनुसार, महासभा में भाग लेने और उसमें मत देने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को (चाहे वह सदस्य हो अथवा नहीं) सभा में भाग लेने एवं मत देने के लिए अपना प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता / सकती है लेकिन इस प्रकार से नियुक्त किए गए प्रॉक्सी को सभा में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा. प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बैठक में मत देने का अधिकार तभी होगा जब उन्हें नियुक्त करने वाले सदस्य ने पहले अपना वोट ई-वोटिंग या डाक द्वारा भौतिक मतपत्र के माध्यम से नहीं डाला है. इसके अलावा, कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(2) के साथ पठित धारा 105 के प्रावधानों के अनुसार, मताधिकार रखने वाली बैंक की कुल शेयर पूंजी में अधिकतम 10 प्रतिशत धारिता रखने वाले पचास से अनधिक सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है, बशर्ते कि मताधिकार रखने वाली बैंक की कुल शेयर पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक धारिता रखने वाला सदस्य किसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा. प्रॉक्सी फॉर्म इस सूचना के साथ संलग्न है. प्रॉक्सी लिखत तब वैध माना जाएगा जब :

NOTES:

1. Explanatory Statements in respect of items (including the ones for items of Special Business under Section 102 of the Companies Act, 2013) are annexed herewith.

2. In terms of Section 105 of the Companies Act, 2013, a member entitled to attend and vote at a general meeting is entitled to appoint another person (whether a member or not) as his/her proxy to attend and vote instead of himself/herself but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting. A person appointed as proxy shall be entitled to vote at the Meeting only in case the Member appointing him has not already cast his vote through e-voting or voting through physical ballot form by post. Further, as per the provisions of Section 105 read with Rule 19(2) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, a person can act as proxy on behalf of members not exceeding fifty and holding in the aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Bank carrying voting rights provided that a member holding more than ten percent, of the total share capital of the Bank carrying voting rights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as proxy for any other person or shareholder. A form of proxy is enclosed to this notice. No instrument of proxy shall be valid unless:

(क) यह सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में जिस सदस्य का नाम पहले हो, उसके द्वारा या लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा कंपनी निकाय के मामले में यह उसकी सामान्य मुहर, यदि कोई हो, के तहत निष्पादित हो या लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो; बशर्ते प्रॉक्सी लिखत किसी भी सदस्य द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित हो, जो किसी कारणवश यदि अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो सदस्य के अंगूठे का निशान वहां लगाया गया हो और वह किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेज या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के किसी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो.

(ख) यह बैंक के पंजीकृत कार्यालय में, सभा के लिए निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले, विधिवत् रूप से स्टाम्प लगाकर जमा किया जाए और उसके साथ पॉवर ऑफ अटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित है अथवा उस पॉवर ऑफ अटर्नी के नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित प्रति जमा की जाए, बशर्ते ऐसा पॉवर ऑफ अटर्नी या अन्य प्राधिकार बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो.

(ग) प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बैठक में शामिल होते समय अपनी पहचान का प्रमाण देना होगा तथा इस उद्देश्य के लिए बैठक में शामिल होते समय उस व्यक्ति को अपने साथ पहचान का प्रमाण अर्थात् पैन कार्ड या वोटर आईडी या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट रखना होगा.

(घ) यदि किसी व्यक्ति को 50 से अधिक सदस्यों के लिए प्रॉक्सी नियुक्त किया जाता है तो वह किन्हीं भी पचास सदस्यों को चुन कर बैंक को निरीक्षण के लिए विनिर्दिष्ट अवधि शुरू होने से पहले अर्थात् मंगलवार, 11 अगस्त 2015 को अपराह्न 3:30 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) से पहले उसकी पुष्टि करेगा. यदि वह प्रॉक्सी सूचना नहीं देता है तो बैंक प्रथम प्राप्त 50 प्रॉक्सियों को वैध मानेगा.

3. सदस्यों / प्रॉक्सियों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे सभा में वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखों की अपनी प्रतियां तथा विधिवत् भरा हुआ पहचान फॉर्म साथ लाएं.

4. अंतर्नियम 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 में यथा उपबंधित रूप में वार्षिक महासभा के लिए कोरम कारोबार के आरंभ होने पर सभा में कम से कम तीस सदस्यों (केंद्र सरकार के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर पूरा होगा.

5. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर, प्लॉट सं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 6716 2222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेल: einward.ris@karvy.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष,

(a) it is signed by the member or by his/her attorney duly authorised in writing or, in the case of joint holders, it is signed by the member first named in the register of members or his/her attorney duly authorised in writing or, in the case of body corporate, it is executed under its common seal, if any, or signed by its attorney duly authorised in writing; provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any member, who for any reason is unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto, and attested by a judge, magistrate, registrar or sub-registrar of assurances or other government gazetted officers or any officer of a Nationalised Bank or IDBI Bank Limited.

(b) it is duly stamped and deposited at the Registered Office of the Bank not less than 48 hours before the time fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any), under which it is signed or a copy of that power of attorney certified by a notary public or a magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

(c) The person appointed as a Proxy shall prove his identity at the time of attending Meeting and for the purpose, such person shall carry proof of identity, viz., PAN card or Voter ID or AADHAAR card or Driving License or Passport, with him at the time of attending the Meeting.

(d) If a person is appointed Proxy for more than fifty members, such Proxy shall choose any fifty Members and confirm the same to the Bank before the commencement of specified period for inspection, i.e., before 3:30 p.m. (IST) on Tuesday, August 11, 2015. In case such Proxy fails to inform, the Bank will consider the first fifty proxies received, as valid.

3. Members/Proxies/Authorised Representatives are requested to kindly bring the identification forms duly filled in along with their copies of Annual Report and Accounts, to the meeting.

4. The quorum for the Annual General Meeting, as provided in Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Article 87, is thirty members (including a duly authorized representative of the Central Government) personally present in the meeting at the commencement of business.

5. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., Karvy Computershare Pvt. Ltd. at their address at Karvy Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad–500 032 [Tel.No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail: einward.ris@karvy.com] or the Equity Cell of Board Department of IDBI Bank

20वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 [टेलीफोन नं. (022) 66552779, 66553062, 66553336 फैक्स नं. (022) 22182352 ईमेलः idbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें.

6. सदस्यों का रजिस्टर बैंक के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों को कार्य समय के दौरान प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा.

7. सदस्यगण कृपया नोट करें कि सभा में कोई उपहार वितरित करने का प्रस्ताव नहीं है.

8. यथा संशोधित कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसारः

i) वार्षिक महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और बैंक इस संबंध में सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है.

ii) बैंक वोटिंग के लिए डाक द्वारा भौतिक मतपत्र फॉर्म या वार्षिक महासभा में मतदान पेपर के माध्यम से वैकल्पिक सुविधा भी प्रदान कर रहा है और एजीएम में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग या भौतिक मतपत्र पेपर द्वारा डाक के माध्यम से अपने वोट नहीं दिए हैं, वे वार्षिक महासभा में अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग कर पाएंगे.

iii) ऐसे सदस्य जो वार्षिक महासभा से पहले रिमोट ई-वोटिंग या भौतिक मतपत्र के माध्यम से डाक द्वारा अपने वोट दे चुके हैं, और 5 अगस्त 2015 की निर्दिष्ट तारीख तक बैंक के सदस्य बने हुए हैं, वे भी वार्षिक महासभा में शामिल हो सकते हैं, परंतु वे वार्षिक महासभा में दोबारा अपना वोट नहीं दे पाएंगे.

iv) लॉगिन आईडी के विवरण इस सूचना के साथ भेजे गए पहचान फॉर्म में दिए गए हैं.

जैसा कि ऊपर कहा गया है, सूचीबद्धता करार के खंड 35बी की शर्तों के अनुसार, ऐसे शेयरधारक जिनके पास ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें मतदान के लिए भौतिक मतपत्र फॉर्म की सुविधा प्रदान की जाएगी.

9. सदस्यों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ **गुरुवार, 06 अगस्त 2015 से लेकर बुधवार, 12 अगस्त 2015** तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी. नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक महासभा सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर कार्रवाई शेयरधारकों, जिनके नाम बहियों में सदस्य के रूप में हैं या जो यथा दिनांक **05 अगस्त 2015** (अंतिम दिन) को शेयरों के हिताधिकारी स्वामी हैं, जो तारीख रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या डाक द्वारा भौतिक मतपत्र फॉर्म के माध्यम से या वार्षिक महासभा में वोट देने के लिए सदस्यों के वोटिंग अधिकार की गणना हेतु निर्दिष्ट तारीख के रूप में निर्धारित है, के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देकर किया जाएगा. यदि वार्षिक महासभा में लाभांश की घोषणा की जाती है तो भौतिक रूप में धारित शेयर के लिए लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम बैंक के सदस्य रजिस्टर बही में दर्ज हैं तथा जिनके वैध शेयरों का अंतरण बैंक के पंजीयक एवं अंतरण एजेंट के पास **05 अगस्त 2015** तक या उससे पहले दर्ज हो गया है. इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जो नेशनल

Ltd. at its Registered Office at 20th floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005 [Tel.No.(022) 66552779, 66553062, 66553336, Fax No.(022) 22182352, E-mail:idbiequity@idbi.co.in] with regard to any share related matter.

6. Register of members shall be available for inspection at the Registered Office of the Bank during office hours on all working days between 11 a.m. and 1p.m.

7. Members may please note that no gifts are proposed to be distributed at the meeting.

8. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) as amended;

i) the items of Business given in the AGM Notice shall be transacted through electronic voting system and the Bank is providing e-voting facility to the Members in this regard.

ii) The Bank is also providing facility for voting alternatively through Physical Ballot Form by post or through polling paper at the AGM and Members attending the AGM who have not already cast their vote by remote e-voting or by Physical Ballot paper through post shall be able to exercise their right to cast vote at the AGM.

iii) The members who have cast their vote by remote e-voting or through Ballot paper by post prior to the AGM, and continue to be Members of the Bank as on cut-off date of August 5, 2015 may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

iv) Details of login id are given in Identification Form sent alongwith this Notice.

As aforesaid, in terms of Clause 35B of the Listing Agreement, Physical Ballot Forms are being simultaneously provided for voting by the shareholders who do not have access to e-voting facility.

9. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Thursday, August 06, 2015 to Wednesday, August 12, 2015** (both days inclusive). In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules, the items of Business given in AGM Notice may be transacted through electronic voting system by casting of votes by the Shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on **August 05, 2015** (End of Day), being the Cut-off date fixed for reckoning the voting rights of Members to be exercised whether by remote e-voting or by voting through Physical Ballot Form by post or by voting at the AGM. The dividend, if declared, in the Annual General Meeting will be paid to those shareholders whose names appear on the Register of Members of the Bank after giving effect to all valid share transfers lodged with the Registrar & Transfer Agents of the Bank on or before **August 05, 2015** in respect of shares held in physical form. In respect of shares held in electronic form, the dividend will be

सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (सीएसडीएल) द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्रस्तुत विवरणों के अनुसार **05 अगस्त 2015** को कारोबार की समाप्ति पर शेयरों के हिताधिकारी स्वामी हैं.

ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति निम्नानुसार होगी :

[क] बैंक के ऐसे सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश जिनका डीमैट खाता/ फोलियो संख्या एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवा के लिए पंजीकृत नहीं है और जिनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं.

i. ई-मेल खोलें तथा अपनी क्लाईंट आईडी और फोलियो संख्या को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करते हुए पीडीएफ फाइल खोलें अर्थात् 'IDBI Bank Limited e-Voting.pdf' को खोलें. उक्त पीडीएफ फाइल में ई-वोटिंग के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है. कृपया नोट करें यह पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड है.

ii. यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ को टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउज़र खोलें.

iii. Shareholder 'Login' पर क्लिक करें.

iv. ऊपर चरण (i) में उल्लिखित अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में डालें. 'Login' पर क्लिक करें.

v. 'Password change' मेनु खुलेगा. इस पासवर्ड को अपनी पसंद के न्यूनतम 8 अंकों/ अक्षरों या इनके संयोजन से युक्त नए पासवर्ड से बदलें. कृपया नया पासवर्ड नोट कर लें. इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में अत्यंत सावधानी बरतें.

vi. 'e-Voting' का होम पृष्ठ खुलेगा. 'e-Voting'- Active Voting Cycles पर क्लिक करें.

vii. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के Electronic Voting Event Number (EVEN) को सिलेक्ट करें.

viii. 'Cast Vote' के खुलते ही आप 'e-Voting' के लिए तैयार हैं. मतदान की अवधि **शनिवार, 08 अगस्त 2015 (भारतीय मानक समयानुसार पूर्वाह्न 12:00 बजे) को शुरू होगी और मंगलवार, 11 जून 2015 को समाप्त होगी (भारतीय मानक समयानुसार शाम 5:00 बजे).**

ix. उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर अपना मत दे, 'Submit' पर क्लिक करें तथा प्रॉम्प्ट किए जाने पर 'Confirm' पर क्लिक करें.

x. पुष्टिकरण के बाद, 'Vote Cast Successfully' संदेश प्रदर्शित होगा.

xi. यदि आपने कारोबार की मद(दों) पर मत दे दिया है तो आपको अपना मत संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

xii. संस्थागत शेयर धारकों (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ़, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in को भेजें.

payable to the persons who are Beneficial Owners of shares as at the closing hours of **August 05, 2015** as per the details furnished by National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for this purpose.

The process and manner of e-voting shall be as follows:

[A] Instructions in respect of e-voting to Members of the Bank whose demat account / folio number has not been registered for e-voting services of NSDL and who do not have their existing user id and password.

i. Open e-mail and open PDF file viz; 'IDBI Bank Limited e-Voting. pdf ' with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password for e-voting. Please note that the password is an initial password.

ii. Launch internet browser by typing the URL: https://www.evoting.nsdl.com

iii. Click on Shareholder "Login"

iv. Put your user ID and password as initial password noted in step (i) above. Click Login.

v. Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Please take note of the new password. It is strongly recommended that you do not share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

vi. Home page of "e-Voting" opens. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles.

vii. Select Electronic Voting Event Number (EVEN) of IDBI Bank Limited.

viii. Now you are ready for 'e-Voting' as 'Cast Vote' page opens. Voting period commences on and from **Saturday, August 08, 2015 (12:00 a.m. IST)** and ends on **Tuesday, August 11, 2015 (5:00 p.m. IST).**

ix. Cast your vote by selecting appropriate option and click on 'Submit' and also 'Confirm' when prompted.

x. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

xi. Once you have voted on the item(s) of business, you will not be allowed to modify your vote.

xii. Institutional shareholders (i.e., other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in

[ख] बैंक के ऐसे सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश जिनका डीमैट खाता/ फोलियो संख्या एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवा के लिए पंजीकृत है और जिनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड हैं.

i. यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com को टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउज़र खोलें.

ii. Shareholder Login पर क्लिक करें
अपना यूजर आईडी तथा मौजूदा पासवर्ड डालें *(यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प 'Forgot User Details/Password' का प्रयोग कर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं)*

iii. 'Login' पर क्लिक करें.

iv. 'e-Voting' का होम पेज प्रदर्शित होगा. e-Voting - Active Voting Cycles पर क्लिक करें.

v. कारोबार की मद(दों) के पक्ष में या विपक्ष में अपना मत डालने के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के E-Voting Event Number (EVEN) को सिलेक्ट करें. (कृपया नोट करें कि एक बार मत डालने के बाद उसे संशोधित नहीं किया जा सकता. ईवीईएन के लिए, आप संकल्प पर वोट करने तक या वोटिंग अवधि की अंतिम तिथि, अर्थात् **11 अगस्त 2015 को शाम 5:00 बजे तक (भारतीय मानक समयानुसार),** जो भी पहले हो, एनएसडीएल के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म पर कितनी भी बार लॉग-इन कर सकते हैं.) मतदान अवधि **शनिवार, 08 अगस्त 2015 को पूर्वाह्न 12:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) शुरूतथा मंगलवार, 11 अगस्त 2015 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) समाप्त होगी.**

vi. 'Cast Vote' के खुलते ही आप 'e-Voting' के लिए तैयार हैं.

vii. उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर अपना मत दें, '**Submit**' पर क्लिक करें तथा प्रॉम्प्ट किए जाने पर '**Confirm**' पर क्लिक करें.

viii. यदि आपने संकल्प पर मत दे दिया है तो आपको अपना मत संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ix. संस्थागत शेयर धारकों (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधित प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ़, जेपीजी फॉर्मेट) को **scrutinizer@snaco.net** के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी एक प्रति **evoting@nsdl.co.in** को भेजें.

[ग] ऐसे व्यक्तियों के लिए ई - वोटिंग के संबंध में अनुदेश जो महासभा की सूचना के प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख अर्थात् 26 जून 2015 से 05 अगस्त 2015 (सदस्यों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) तक की अवधि के दौरान बैंक के सदस्य बने हुए हैं;

जिन व्यक्तियों ने 26 जून 2015 (वार्षिक महासभा की सूचना के प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) से 05 अगस्त 2015 (सदस्यों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) की अवधि के दौरान शेयर अर्जित किए हैं और 05 अगस्त 2015 की उक्त निर्दिष्ट तारीख को बैंक के सदस्य बने

[B] Instructions in respect of e-voting to Members of the Bank whose demat account/folio number has already been registered for e-voting services of NSDL

i. Launch internet browser by typing URL: https://www.evoting.nsdl.com

ii. Click on Shareholder - Login
Enter your User ID and existing password *(If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/ Password" option available on www.evoting.nsdl.com)*

iii. Click Login.

iv. Home page of "e-Voting" appears. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles.

v. Select E-Voting Event Number (EVEN) of IDBI Bank Limited for casting your vote in favour or against the Item (s) of Business. (Kindly note that vote once cast cannot be modified. For an EVEN, you can log-in any number of times on e-voting platform of NSDL till you have voted on the resolution or till the end date of voting period, i.e., up to **5:00 p.m. (IST) of August 11, 2015,** whichever is earlier. Voting period commences on and from **Saturday, August 08, 2015 (12:00 a.m. IST) and ends on Tuesday, August 11, 2015 (5:00 p.m. IST)**

vi. Now you are ready for 'e-Voting' as 'Cast Vote' page opens.

vii. Cast your vote by selecting appropriate option and click on **"Submit"** and also **"Confirm"** when prompted.

viii. Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

ix. Institutional shareholders (i.e., other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are also required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail at **scrutinizer@snaco.net** with a copy marked to **evoting@nsdl.co.in**

[C] Instructions in respect of e-voting to persons, who have become members of the Bank after the cut-off date for reckoning the despatch of AGM Notice, i.e., June 26, 2015 and upto August 05, 2015 (being the cut-off date reckoned for voting rights of shareholders)

Persons who have acquired shares during the period from June 26, 2015 (Cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice) till August 05, 2015 (Cut-off date for reckoning voting rights of members) and are continuing

हुए हैं; वे रिमोट ई - वोटिंग अथवा डाक द्वारा भौतिक मतपत्र अथवा महासभा में मतदान पत्र के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. यदि ऐसे सदस्य रिमोट ई - वोटिंग के जरिए मतदान करना चाहते हैं, वे अपनी शेयरधारिता के विवरण अर्थात् नाम, धारित शेयरों की संख्या, फोलियो नं. या डीपीआईडी / ग्राहक आईडी नं. आदि देते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं. तथापि यदि आप रिमोट ई - वोटिंग के लिए एनएसडीएल के पास पहले से ही पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट देने के लिए अपने मौजूदा प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध 'Forgot User Details / Password' का प्रयोग कर उसे रीसेट कर सकते हैं.

कृपया नोट करें किः

- सदस्यों के मताधिकार नियत तारीख, यथा दिनांक 05 अगस्त 2015 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे.
- कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी महासभा में भाग ले सकता हैं, परंतु उसे महासभा में फिर से मत देने की अनुमति नहीं होगी.
- सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए साइट पर उपलब्ध 'Forgot Password' के विकल्प पर जाना होगा.
- आपके लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग आपके द्वारा उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर अनन्य रूप से 'e-Voting' के लिए किया जा सकता है जिनमें आप शेयरधारक हैं.
- इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे पूर्णतः गोपनीय रखें.
- कृपया नोट करें कि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा मंगलवार, 11 अगस्त 2015 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) बंद हो जाएगी.
- जो व्यक्ति 05 अगस्त 2015 अर्थात् इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट तारीख को बैंक के सदस्य नहीं हैं उनके लिए यह नोटिस केवल सूचनार्थ है.

इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप बैंक के आरटीए कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 6716 2222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेलः einward.ris@karvy.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 20वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 (022 - 66552779/ 3336/ 3062) अथवा एनएसडीएल - टोल फ्री नं. 1800 222 990 पर संपर्क करें.

10. सूचीबद्धता करार के खंड 35बी के निबंधनों के अनुसार, जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग सुविधा नहीं है, वे स्व-संबोधित डाक-व्यय पूर्व-प्रदत्त लिफाफे में महासभा की इस सूचना के साथ संलग्न डाक मतपत्र फॉर्म में अपनी लिखित सहमति या असहमति इस

to be Members as on the said cut-off date of August 05, 2015, can exercise their voting right through remote e-voting or physical Ballot Form by post or polling paper at the AGM. In case, such Members opt to vote through remote e-voting, they may obtain the login ID and password from NSDL by sending a request to evoting@nsdl.co.in by giving their shareholding details viz., Name, shares held, Folio no. or DP ID / Client ID no., etc. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset the same by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com.

Please note that:

- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of August 05, 2015.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to 'Forgot Password' option available on the website to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolutions placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that, the remote e-voting facility shall be blocked forthwith on Tuesday, August 11, 2015 at 5:00 p.m. (IST).
- The persons, who are not Members of the Bank as on August 05, 2015, i.e., Cut-off date fixed for the purpose, shall treat this Notice as for information only.

For any further details in this regard, you may contact Karvy Computershare Pvt. Ltd., RTA of the Bank located at Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad–500 032 [Tel. No. (040) 6716 2222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail: einward.ris@karvy.com] or IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 20th Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400 005 (022- 66552779 /3336 /3062) or NSDL -Toll Free No. 1800 222 990.

10. In terms of Clause 35B of the Listing Agreement, those members, who do not have access to e-voting facility, may send their assent or dissent in writing on the physical Ballot Form attached with this AGM Notice in the enclosed self-addressed postage

प्रकार भेजें कि वह मेसर्स एस एन अनंतसुब्रमणियन एंड कं., द्वारा कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड, यूनिट : आईडीबीआई इक्विटी, प्लॉट नं. 17-24, विठ्ठलराव नगर, माधापूर, हैदराबाद - 500 081 [टेलीफोन नं. (040) 6716 2222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेल: einward.ris@karvy.com] के पते पर संवीक्षक के पास **11 अगस्त 2015 को (भारतीय मानक समयानुसार शाम 5:00 बजे)** या उससे पहले प्राप्त हो जाए. इस तारीख के बाद प्राप्त किसी भी मतपत्र को यह माना जाएगा कि सदस्य से कोई उत्तर नहीं मिला है.

11. जिन सदस्यों ने पूर्व में रिमोट ई-वोटिंग/ डाक द्वारा भौतिक मतपत्र के जरिए अपने मत नहीं डाले हैं, उन्हें महासभा के आयोजन स्थल पर अपने मत डालने के लिए मतपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे.

12. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम दिनांक 14 अगस्त 2015 को बैंक की वेबसाइट www.idbi.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर प्रदर्शित कर जारी किए जाएंगे. इसके अलावा ई-वोटिंग के परिणाम उसी दिन भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को भी प्रकट किए जाएंगे.

13. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक सहभागी द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना अनिवार्य बना दिया है. अतः इलेक्ट्रोनिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पैन नंबर उस डिपॉजिटरी सहभागी को प्रस्तुत करें जिसके पास उनका डीमैट खाता है. भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य बैंक/ कार्वी को अपना पैन प्रस्तुत कर सकते हैं.

14. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2006-07 तक घोषित अप्रदत्त या अदावी लाभांश केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ़) को समय-समय पर नियत तारीखों को अंतरित किया है. आईईपीएफ़ (कंपनियों के पास पड़ी अप्रदत्त तथा अदावी राशि से संबंधित सूचना अपलोड करना) नियम, 2012 के अनुसरण में बैंक ने यथा 30 जून 2014 (पिछली वार्षिक महासभा की तारीख) को बैंक के पास पड़ी अप्रदत्त तथा अदावी राशियों के विवरण बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.idbi.com पर और साथ ही कंपनी कार्य मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.iepf.goi.in पर भी अपलोड किए हैं.

महत्वपूर्ण टिप्पणी :

सदस्यों द्वारा 05 अगस्त 2015 की निर्दिष्ट तारीख (महासभा में सदस्यों के मताधिकार की गणना के लिए निर्धारित) से पहले डाक द्वारा भौतिक मतपत्र फॉर्म के जरिए डाले गए मत, यदि कोई हों, तभी वैध होंगे और गिने जाएंगे जब उक्त सदस्य 05 अगस्त 2015 की उक्त निर्दिष्ट तारीख को अपनी शेयरधारिता जारी रखते हैं और उनका नाम सदस्य बहियों में दर्ज है अथवा शेयरों के हिताधिकारी स्वामी हैं.

अत: यह एक बार फिर स्पष्ट किया जाता है कि रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ अथवा डाक द्वारा भौतिक मतपत्र फॉर्म के जरिए वोटिंग या महासभा में वोटिंग हेतु केवल वही शेयरधारक पात्र होंगे जिनके नाम सदस्यों की बही में दर्ज हैं अथवा उपर्युक्त नियत दिनांक 05 अगस्त 2015 को शेयरों के हिताधिकारी स्वामी हैं.

pre-paid envelope so as to reach the Scrutinizer at the address M/s. S. N. Anantasubramanian & Co., C/o Karvy Computershare Pvt. Ltd., Unit : IDBI Equity, Plot No. 17-24, Vithal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad - 500 081. [Tel.No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail: einward.ris@karvy.com] on or **before August 11, 2015 (5:00 p.m. IST).** Any Ballot Form received after this date and time will be treated as if the reply from the member has not been received.

11. Polling Papers will be provided to the Members who have not cast their vote earlier through remote e-voting/Physical Ballot by post, to cast their vote at the venue of AGM.

12. The result of e-voting alongwith Scrutinizer's Report will be announced on August 14, 2015 by displaying the same on Bank's Website www.idbi.com and NSDL's website **www.evoting.nsdl.com.** Further, the result of e-voting will also be disclosed to National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) on the same day.

13. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated the submission of Permanent Account Number (PAN) by every participant in Securities Market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit their PAN to their Depository Participant with whom they are maintaining their Demat accounts. Members holding shares in physical form can submit their PAN to the Bank/ Karvy.

14. The Bank has transferred the unpaid or unclaimed dividend declared upto Financial Year 2006-07, from time to time on due dates, to the Investor Education and Protection Fund (the IEPF) established by the Central Government. Pursuant to the provisions of IEPF (uploading of Information regarding unpaid and unclaimed amounts lying with companies) Rules, 2012, the Bank has uploaded the details of unpaid and unclaimed amounts lying with the Bank as on June 30, 2014 (Date of last Annual General Meeting) on the website of the Bank, i.e., www.idbi.com and also on the website of Ministry of Corporate Affairs, i.e., www.iepf.gov.in

IMPORTANT NOTE:-

The votes, if any, cast by the Members through Physical Ballot Form by post before the cut-off date of August 05, 2015 (fixed for reckoning voting rights of Members at the AGM) will be valid and counted only if the said Members(s) continue to hold their shares and appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on the said cut-off date of August 05, 2015.

Thus, it is once again clarified that only the shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on the Cut-off date of August 05, 2015, will be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through Physical Ballot Form by post or voting at the AGM.

नोटिस का अनुबंध

सूचना की मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

1. सूचना की मद संख्या 2

निदेशक मंडल ने 26 मई 2015 को संपन्न अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 0.75 प्रति इक्विटी शेयर की दर से पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर लाभांश की घोषणा की.

यदि वार्षिक महासभा में लाभांश घोषित किया जाता है तो ₹ 0.75 प्रति इक्विटी शेयर की दर से लाभांश 09 सप्टेंबर 2015 की भुगतान तारीख को उसकी घोषणा से 30 दिन के भीतर भौतिक रूप में शेयर रखने वाले उन शेयरधारकों को अदा कर दिया जाएगा जिनके नाम 05 अगस्त 2015 को या इसके पूर्व बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास अंतरण के लिए प्रस्तुत सभी वैध शेयर अंतरणों को लागू करने के बाद बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होंगे. इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रस्तुत ब्योरों के आधार पर 05 अगस्त 2015 को कारोबार की समाप्ति पर शेयरों के हिताधिकारी स्वामियों को लाभांश देय होगा.

2. सूचना की मद सं. 3

बैंक के संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 187 के अनुसार यह अपेक्षित है कि बैंक के लेखों की लेखापरीक्षा, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार नियुक्त किए गए एक या अधिक ऐसे लेखापरीक्षकों द्वारा करवायी जाए, जिन्हें बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 (1ए) के निबंधनों के अनुसार रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किया गया हो. इस नियुक्ति की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत शेयरधारकों की महासभा में साधारण संकल्प पारित करके अभिपुष्टि की जानी अपेक्षित है. मेसर्स खीमजी कुंवरजी एंड कं., सनदी लेखाकार, मुंबई (आईसीएआई पंजीकरण सं. 105146डब्ल्यू) और मेसर्स जी. डी. आप्टे एंड कं., सनदी लेखाकार, पुणे (आईसीएआई पंजीकरण सं.100515डब्ल्यू) को वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बैंक का संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था और मेसर्स अशोक कपूर एंड एसोसिएट्स को रिज़र्व बैंक से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए डीआईएफसी, दुबई शाखा के लिए शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था. ये लेखापरीक्षक 11वीं वार्षिक महासभा की कार्यवाही पूरी होने तक बने रहेंगे. बैंक संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुरोध करेगा. भारतीय रिज़र्व बैंक से इस संबंध में बैंक को बाद में सूचित करेगा. अतः यह प्रस्ताव है कि इस संबंध में जारी संबद्ध नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सामान्य संकल्प पारित करके वार्षिक महासभा द्वारा बोर्ड को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(8) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करने और भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने पर कंपनी अधिनियम,

ANNEXURE TO THE NOTICE

Explanatory Statements in respect of Items of the Notice

1. Item No. 2 of the Notice

The Board of Directors has, at their meeting held on May 26, 2015, recommended Dividend for the FY 2014-15@ ₹ 0.75 per equity share on the fully paid up equity share capital.

If declared at the Annual General Meeting, the Dividend @ ₹ 0.75 per equity share will be paid within 30 days of declaration thereof on the payment date of September 09, 2015 to those shareholders whose names appear on the Register of Members of the Bank after giving effect to all valid share transfers lodged with the Registrar & Share Transfer Agents of the Bank on or before August 05, 2015, in respect of shares held in physical form. In respect of shares held in electronic form, the dividend will be payable to the beneficial owners of shares as at the closing hours of August 05, 2015 as per the details furnished by National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for this purpose.

2. Item No. 3 of the Notice

In terms of Article 187 of the Articles of Association, the accounts of the Bank are required to be audited by one or more auditors to be appointed in accordance with the Banking Regulation Act, 1949, who may be appointed by the Bank with the prior approval of RBI in terms of Section 30(1A) of the Banking Regulation Act, 1949. The appointment is required to be ratified in the general meeting of the shareholders by passing Ordinary Resolution under Section 139 of the Companies Act, 2013. M/s. Khimji Kunverji & Co., Chartered Accountants, Mumbai (ICAI Regn. No.105146W) & M/s. G.D Apte & Co., Chartered Accountants, Pune (ICAI Regn. No.100515W) were re-appointed as Joint Statutory Auditors of the Bank for the FY 2014-15 and M/s. Ashok Kapur & Associates was re-appointed as Branch Statutory Auditor for DIFC, Dubai Branch for the FY 2014-15 in terms of RBI approval received in this regard. These Auditors will hold office till the conclusion of the 11th AGM. The Bank would be requesting Reserve Bank of India for appointment of the Joint Statutory Auditors. The Reserve Bank of India would advise the Bank in this regard later. Therefore, it is proposed that by passing ordinary resolution under section 139 of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules issued in this regard, the Board may be authorized by the AGM, to appoint Joint Statutory Auditors of the Bank for FY 2015-16 and appoint Branch Statutory Auditor for DIFC, Dubai Branch for the FY 2015-16 in terms of

2013 की धारा 143(8) के निबंधनों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए डीआईएफसी, दुबई शाखा के लिए शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाए. सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए निबंधन एवं शर्तें तथा पारिश्रमिक लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियत किया जाएगा. तद्नुसार, वार्षिक महासभा की सूचना की मद सं. 3 में निहित विशेष संकल्प शेयरधारकों द्वारा पारित किये जाने के लिए प्रस्तावित है.

3. सूचना की मद सं. 4 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण

(i) बैंक की वर्तमान प्रदत्त पूंजी ₹ 16039576050/- है जिसमें प्रवर्तकों की शेयरधारिता 76.50% तथा जनता की शेयरधारिता 23.50% है. समय-समय पर जारी किए गए संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक को टियर I पूंजी को बनाए रखने की आवश्यकता है. बैंक की चालू विस्तार योजनाओं, बासेल III मानदंडों के कार्यान्वयन और परिणामी पूंजी प्रभार को देखते हुए, पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और सुदृढ़ करने के लिए पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता है. क्यूआईपी मार्ग आदि के अंतर्गत पूंजी के निर्गम के लिए 30 जून 2014 को आयोजित पिछली वार्षिक महासभा में पारित विशेष संकल्प क्यूआईपी के लिए सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के निबंधनों के अनुसार सिर्फ एक वर्ष के लिए अर्थात् 29 जून 2015 तक वैध है.

(ii) बैंक प्रदत्त पूंजी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा. तथापि, केंद्र सरकार की बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी में धारिता किसी भी समय इक्यावन प्रतिशत से कम नहीं होगी.

(iii) यह संकल्प कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अनुसरण में विशेष संकल्प के रूप में पारित करने के लिए प्रस्तावित है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) और सूचीबद्धता करार की धारा 23 की उप-धारा (ए) के तहत यह प्रावधान है कि जब भी बैंक द्वारा दुबारा कोई निर्गम या ऑफर लाया जाता है, तब वर्तमान शेयरधारकों को उसे आनुपातिक आधार पर दिया जाना चाहिए जब तक कि महासभा में शेयरधारक अन्यथा कोई निर्णय न लें. यदि उक्त संकल्प पारित होता है तो निदेशक मंडल को बैंक की ओर से यह अधिकार होगा कि वह वर्तमान शेयरधारकों को आनुपातिक आधार से इतर प्रतिभूतियां जारी और आबंटित कर सके.

(iv) इस संकल्प का उद्देश्य बैंक को सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान निर्गम तथा निजी नियोजन आधार पर निर्गम, क्यूआईपी आदि के जरिए इक्विटी शेयरों को प्रस्तावित करने, निर्गमित करने और आबंटित करने के लिए समर्थ बनाना है. अधिमान निर्गम के मामले में (i) शेयर प्रवर्तक, भारत सरकार तथा/या सेबी (आईसीडीआर)विनियम, 2009 के अध्याय VII के

Section 143(8) of the Companies Act, 2013 as per the approval to be received from RBI in this regard. The terms & conditions and remuneration of the Statutory Auditors would be as fixed by the Board of Directors of the Bank on the recommendation of the Audit Committee. The Ordinary Resolution as contained at Item No.3 of the AGM Notice is accordingly proposed to be passed by the shareholders.

3. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.4 of the Notice

(i) The present Paid up capital of the Bank is ₹16039576050/- with Promoters' shareholding of 76.50% and Public shareholding of 23.50%. The Bank is required to maintain its Tier-I capital in accordance with the relevant Regulatory guidelines issued from time to time. In view of ongoing expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms and consequential capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio. The Special Resolution passed at the last AGM held on June 30, 2014 for Issue of Capital under QIP route, etc., is valid only for one year upto June 29, 2015 in terms of SEBI(ICDR) Regulations, 2009 for QIPs.

(ii) The Bank will obtain requisite approval of Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid-up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-one per cent of the paid–up equity capital of the Bank.

(iii) The Resolution is proposed to be passed as a Special Resolution pursuant to Section 62(1)(c) of the Companies Act, 2013. Section 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 and Sub-Clause (a) of Clause 23 of the Listing Agreement provide that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro- rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

(iv) The Resolution seeks to enable the Bank to offer, issue and allot equity shares by way of public issue, rights issue, preferential issue, issue on private placement basis, QIP, etc. In case of preferential Issue, (i) the shares will be issued to the Promoter, Govt. of India and/ or other QIBs, if any, as permitted under chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations

अधीन अनुमत अन्य क्यूआईबी, यदि कोई है, को जारी किए जाएंगे. (ii) अधिमान निर्गम के मूल्य निर्धारण के लिए संगत तारीख इस वार्षिक महासभा की तारीख से 30 दिन पूर्व अर्थात् 13 जुलाई 2015 होगी; (iii) निर्गम के मूल्य की गणना 13 जुलाई 2015 की संगत तारीख के आधार पर सेबी (आईसीडीआर) विनियम के खंड 76 के अनुसार की जाएगी, (iv) अधिमान निर्गम से पूर्व तथा बाद में निर्गमकर्ता की शेयरधारिता का स्वरूप ₹16039576050/- की वर्तमान प्रदत्त पूंजी और इस संकल्प के निबंधनों के अनुसार बैंक द्वारा आबंटित कुल ₹ 6000 करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक की राशि के लिए आबंटित शेयरों की वास्तविक संख्या होगी.

(v) अधिमान निर्गम का कार्य इस संकल्प से 15 दिनों के भीतर या अधिमान निर्गम के अभिदान हेतु भारत सरकार के अनुमोदन या किसी अन्य सांविधिक/विनियामक अनुमोदन से 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा.

(vi) लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें इस संकल्प के प्राधिकार के अधीन अधिमान निर्गम का अनुमोदन किया जाना है. इस निर्गम से प्राप्त राशि से बैंक समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट रूप में अपनी पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता को मजबूत बना सकेगा.

(vii) यह संकल्प सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 में परिभाषित रूप में पात्र संस्थागत क्रेताओं के पास पात्र संस्थागत नियोजन करने के लिए निदेशक मंडल को अतिरिक्त अधिकार देता है. निदेशक मंडल बैंक के लिए निधि जुटाने के लिए अपने विवेकानुसार शेयरधारकों से बिना नया अनुमोदन प्राप्त किए सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VIII के अंतर्गत निर्धारित इस व्यवस्था को अपना सकता है.

(viii) आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के निबंधनों के अनुसार क्यूआईपी निर्गम के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गम ऐसे मूल्य पर किया जाए जो कि ''संगत तारीख'' से पहले के दो सप्ताहों में स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों के उद्धृत मूल्यों के साप्ताहिक न्यूनतम ओर अधिकतम मूल्यों के औसत बंद मूल्य से कम न हो. बोर्ड सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के निबंधनों के अनुसार निर्धारित, कंपनी अधिनियम की धारा 53 की शर्त पर, 'आधार मूल्य' से अधिकतम 5 प्रतिशत छूट पर या ऐसे किसी अन्य छूट पर, जो लागू विनियमों के अंतर्गत अनुमत हो, स्वविवेकानुसार इक्विटी शेयर जारी कर सकता है.

(ix) ''संगत तारीख'' से बैठक की वह तारीख अभिप्रेत होगी जिसमें बोर्ड या बोर्ड की समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने के बारे में निर्णय ले.

(x) सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसार ऐसे क्यूआईपी हेतु विशेष संकल्प की वैधता इस वार्षिक महासभा की तारीख से एक वर्ष तक सीमित रहेगी.

2009; (ii) the Relevant Date for pricing of the preferential issue shall be 30 days prior to the date of this AGM, i.e., July 13, 2015; (iii) pricing of the issue shall be calculated as per clause 76 of the SEBI (ICDR) Regulations based on the Relevant Date of July 13, 2015; (iv) the shareholding pattern of the issuer before and after the preferential issue shall be the existing paid-up capital of ₹ 16039576050/- plus the actual number of shares allotted by the Bank aggregating upto ₹ 6000 crore (inclusive of premium amount) in terms of this Resolution;

(v) The preferential issue shall be completed within 15 days of this Resolution or within 15 days of any statutory/ regulatory approval or the approval of GoI for subscription to this preferential issue; and

(vi) Auditors certificate shall be placed before the Board Meeting which approves the Preferential Issue under the authority of this Resolution. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

(vii) The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a Qualified Institutional Placement with Qualified Institutional Buyers as defined by SEBI(ICDR) Regulations, 2009. The Board of Directors may, in their discretion, adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

(viii) In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". The Board may, at its absolute discretion, issue equity shares at a discount of not more than five percent or such other discount as may be permitted under applicable regulations to the 'floor price' as determined in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 subject to Section 53 of the Companies Act, 2013.

(ix) "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Board decides to open the QIP Issue.

(x) As per the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 the validity of the Special Resolution is restricted to one year from the date of this AGM for such QIPs.

(xi) ऑफर के विस्तृत निबंधन एवं शर्तों को बाजार की वर्तमान स्थितियों और विनियामक जरूरतों पर विचार करते हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों और हामीदारों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों, जो भी आवश्यक हों, के परामर्श से निश्चित किया जाएगा.

(xii) चूंकि ऑफर का मूल्य निर्धारण अभी नहीं किया जा सकता और इसे बाद के चरण में निर्धारित किया जाएगा, अतः जारी किये जाने वाले शेयरों के मूल्य का उल्लेख करना संभव नहीं है. तथापि, इसे सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009, कंपनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों अथवा अन्य लागू या आवश्यक दिशा-निर्देशों / विनियमों / सम्मतियों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा.

(xiii) अतः उपर्युक्त कारणों से निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए एक समर्थकारी संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है.

(xiv) आबंटित इक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे.

इस प्रयोजन के लिए बैंक को शेयरधारकों से एक विशेष संकल्प के जरिए सहमति लेनी आवश्यक है. अतः उपर्युक्त प्रस्ताव पर शेयरधारकों की सहमति हेतु अनुरोध किया जाता है. निदेशक मंडल सूचना की मद सं. 4 में उल्लिखित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के निबंधनों के अनुसार यह प्रस्तुत है कि उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में बैंक के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों का, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता/बांडधारिता, (यदि कोई हो) की सीमा को छोड़कर, वित्तीय या अन्य रूप में कोई भी सरोकार या हित नहीं है.

4. सूचना की मद सं. 5 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण

(i) बोर्ड ने दिनांक 04 मार्च 2015 को संपन्न अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अथवा इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष, जो भी बाद में हो, के दौरान एक या उससे अधिक भागों में शेयरों के निजी नियोजन/सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से सीनियर/इंफ्रास्ट्रक्चर बांड, बासेल III अनुपालन टियर II / अतिरिक्त टियर I बांड को मिलाकर ₹ 20,000 करोड़ की रुपया बांड निर्गम सीमा अनुमोदित की है.

(ii) कंपनी (प्रतिभूतियों का विवरण-पत्र और आबंटन) नियमावली, 2014 के नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अनुसार, प्रतिभूतियों के निजी नियोजन के लिए विशेष संकल्प के द्वारा

(xi) The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

(xii) As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949 or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

(xiii) For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

(xiv) The equity shares allotted shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence, Shareholders' consent is requested for the above proposal. The Board of Directors recommends passing of the Resolutions as contained at Item No.4 in the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding/bondholding, if any, in IDBI Bank.

4. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.5 of the Notice

(i) The Board, at its meeting held on March 04, 2015, has approved a rupee bond issuance limit of ₹ 20,000 crore for FY 2015-16 comprising of Senior/Infrastructure Bonds, Basel III compliant Tier II /Additional Tier I Bonds by way of private placement/public issue during FY 2015-16 or during one year from the date of passing of this resolution, whichever is later, in one or more tranches.

(ii) In terms of Section 42 of the Companies Act, 2013 read with Rule 14 of the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, private placement of securities will require previous approval of the shareholders

शेयरधारकों से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी. परंतु अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के मामले में वर्ष भर के सभी प्रस्तावित निर्गमों के संबंध में इस प्रकार का अनुमोदन वर्ष के आरंभ में ही लिया जाए.

(iii) निर्गमों की कीमत का निर्धारण प्रत्येक निर्गम के समय ही किया जा सकता है. घरेलू बाजार में निर्गम की कीमत का निर्धारण बाजार की वर्तमान स्थितियों और बैंक के लिए समग्र उधार लागत पर उसके प्रभाव के आधार पर किया जाएगा.

तदनुसार, निदेशक मंडल उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विशेष संकल्प पारित करके शेयरधारकों से उनके अनुमोदन की मांग करता है. निदेशक मंडल सूचना की मद सं. 5 में उल्लिखित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश करता है.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में बैंक के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों का, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता/ बांडधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, वित्तीय या अन्य रूप में कोई भी सरोकार या हित नहीं है.

5. सूचना की मद सं. 6 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण

(i) आईडीबीआई बैंक का वर्तमान संस्था अंतर्नियम कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन आईडीबीआई को आईडीबीआई लिमिटेड के रूप में निगमित करते समय तैयार किया गया और कंपनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र के पास उसका पंजीकरण किया गया तथा इसमें कंपनी अधिनियम 1956 और उसकी विभिन्न धाराओं के प्रावधानों के संदर्भ हैं. केंद्र सरकार ने नए कंपनी अधिनियम 2013 को अधिसूचित किया है और उसके प्रावधान 12 सितंबर 2013/ 01 अप्रैल 2014 से लागू हैं तथा आईडीबीआई बैंक ने नए अधिनियम के लागू प्रावधानों का अनुपालन शुरू कर दिया है. संस्था अंतर्नियम का अनुपालन करते समय किसी भ्रांति से बचने के लिए एक नया अंतर्नियम 1ए (विशेष संकल्प में दिया गया है) जोड़ने का प्रस्ताव रखा जाता है जो यह स्पष्ट करता है कि जहां भी वर्तमान अंतर्नियम पुराने कंपनी अधिनियम 1956 के निरस्त प्रावधानों का संदर्भ दे, वहां उसे उसके अधीन बनाए गए नियम के साथ पठित नए कंपनी अधिनियम 2013 के तदनुरूपी लागू प्रावधानों के संदर्भ के रूप में समझा और पढ़ा जाए तथा तदनुसार उसका अनुपालन किया जाए.

(ii) भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन के लिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के वर्तमान पद को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के 2 पदों में विभाजित किया जाए तथा तदनुसार इसके प्रावधान के लिए अंतर्नियम 116(1)(ए) को परिवर्तित किया जाए.

by Special Resolution. Provided that in case of non-convertible debentures, such approval may be taken in the beginning of the year in respect of all proposed issues during the year.

(iii) The pricing of the issuances can be decided only at the time of each issue. The pricing of the issuance in the domestic market would be decided based on the prevailing market conditions and its impact on overall cost of borrowing for the Bank.

Accordingly, Shareholders' approval is sought by the Board of Directors for the above purpose by passing of the Special Resolution. The Board of Directors recommends passing of the Resolutions as contained at Item No. 5 in the notice.

In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the above resolution except to the extent of their shareholding / bondholding, if any, in IDBI Bank.

5. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.6 of the Notice

(i) The present Articles of Association of IDBI Bank were prepared and registered with the ROC, Maharashtra at the time of incorporation of IDBI as IDBI Ltd. under the Companies Act, 1956 and contain references to the provisions of the Companies Act, 1956 and various sections thereof. Central Government has notified the new Companies Act, 2013 and the provisions have come into effect from September 12, 2013 / April 01, 2014 and IDBI Bank has begun to comply with the applicable provisions of the new Act. In order to avoid any confusion while complying with Articles of Association, it is proposed to add a new Article 1A (given in the Special Resolution), clarifying that wherever the present Articles give reference to the repealed provisions of the old Companies Act, 1956, the same be construed and read as reference to the corresponding applicable provisions of the new Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder and complied accordingly.

(ii) To comply with Government of India's directives, it is proposed to separate the present post of Chairman & Managing Director (CMD) into 2 posts of a Chairman and a Managing Director & CEO and accordingly alter Article 116(1)(a) to provide for the same.

(iii) परिणामस्वरूप, अंतर्नियम 114(ए) को भी परिवर्तित किया जा रहा है ताकि 12(बारह) निदेशकों के वर्तमान प्रावधान के स्थान पर बोर्ड में अधिकतम 13(तेरह) निदेशकों के लिए प्रावधान किया जा सके.

(iv) परिणामस्वरूप, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(4) के अनुपालन में यह प्रस्तावित किया जाता है कि 4 स्वतंत्र निदेशकों के वर्तमान प्रावधान के स्थान पर सभी 5 चयनित निदेशकों [अंतर्नियम 116(1)(ई) के अंतर्गत निर्धारित] की नियुक्ति के लिए प्रावधान किया जाए, क्योंकि स्वतंत्र निदेशक क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होते हैं और विशेष संकल्प में दिए अनुसार अंतर्नियम 116ए(i) को परिवर्तित किया जाए.

(v) संस्था के अंतर्नियम के नियम 116ए(ii) में उल्लिखित महिला निदेशक की नियुक्ति संबंधी प्रावधान के स्पष्टीकरण के लिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि उक्त अंतर्नियम को विशेष संकल्प में दिए अनुसार नए/परिवर्तित अंतर्नियम 116ए(ii) से प्रतिस्थापित किया जाए.

अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के अनुसार संस्था के अंतर्नियम में नए अंतर्नियम 1ए को निगमित करने और अंतर्नियम 114(ए), 116(1)(ए), 116ए(i), एवं 116ए(ii) को परिवर्तित करने के लिए वार्षिक महासभा सूचना की मद सं. 6 में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित किया जाए. यह उल्लेख किया जाता है कि पूर्वोक्त विशेष संकल्प को पारित करवाने में बैंक के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों का, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, कोई भी वित्तीय या अन्य सरोकार या हित नहीं है.

बोर्ड के आदेश से

(एम. एस. राघवन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 05236790)

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400 005

दिनांक : 4 जून 2015

(iii) Consequently Article 114(a) is also being altered to provide for 13 (thirteen) maximum Directors on the Board instead of 12 (twelve) presently provided.

(iv) Consequently, in compliance of Section 149(4) of the Companies Act, 2013, it is proposed to provide for appointment of all 5 elected directors [prescribed under Article 116(1)(e)], as Independent Directors not liable to retire by rotation, instead of 4 Independent Directors presently provided and alter Article 116A(i) as given in the Special Resolution.

(v) To clarify the provisions for appointment of a Woman Director as provided under Article 116A(ii) of the Articles of Association, it is proposed to replace the said Article with new/altered Article 116A(ii) as given in the Special Resolution.

It is therefore proposed to pass the Special Resolution contained under Item No.6 of the AGM Notice for incorporating new Article 1A and alter Articles 114(a), 116(1)(a), 116A(i) and 116A(ii) of the Articles of Association in terms of Section 14 of the Companies Act, 2013. It may be mentioned that no Director or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid Special Resolution.

By Order of the Board

(M.S. Raghavan)
Chairman & Managing Director
(DIN 05236790)

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.

Dated: June 04, 2015

आईडीबीआई बैंक लि.

फॉर्म सं. एमजीटी-11

प्रॉक्सी-फॉर्म

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

CIN : L65190MH2004GOI148838

कंपनी का नाम : आईडीबीआई बैंक लि.

पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400005

सदस्य(यों) का/के नाम	:
पंजीकृत पता	:
ईमेल आईडी	:
फोलियो सं./ ग्राहक आईडी	:
डीपी आईडी	:

मैं/हम,ऊपर उल्लिखित कंपनी के ________________ शेयरों के धारक सदस्य होने के नाते एतद्द्वारा

1. नाम : ____

   पता :

   ईमेल आईडी :

   हस्ताक्षर : ________________________ को अथवा उनके अनुपस्थित होने पर,

2. नाम : ____

   पता :

   ईमेल आईडी :

   हस्ताक्षर : ________________________ को अथवा उनके अनुपस्थित होने पर,

3. नाम : ____

   पता :

   ईमेल आईडी :

   हस्ताक्षर : ________________________

यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400021, में 12 अगस्त 2015 को अपराह्न 3.30 बजे आयोजित की जानेवाली और उसके किसी स्थगन पर आयोजित होनेवाली **बैंक की ग्यारहवीं वार्षिक महासभा** में निम्नलिखित संकल्पों के संबंध में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से उपस्थित होने और मतदान (मतदान होने पर) करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं:

संकल्प संख्या:

1. यथा दिनांक 31 मार्च 2015 को आईडीबीआई बैंक के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को उन पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ स्वीकार करना (सामान्य संकल्प).
2. वर्ष 2014-15 के लिए सदस्यों को प्रति शेयर की ₹ 0.75 दर से देय लाभांश की घोषणा (साधारण संकल्प).
3. वर्ष 2015-16 के लिए आईडीबीआई बैंक हेतु संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों और आईडीबीआई बैंक की डीआईएफ़सी, दुबई शाखा हेतु शाखा सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने वाला संकल्प ((साधारण संकल्प).
4. क्यूआईपी सहित निर्गम के विभिन्न तरीकों के माध्यम से कुल ₹ 6000 करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक के शेयरों को जारी करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन संकल्प (साधारण संकल्प).
5. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अथवा इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष, जो भी बाद में हो, के दौरान एक या उससे अधिक भागों में शेयरों के निजी नियोजन/सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से सीनियर/ इंफ्रास्ट्रक्चर बांड, बासेल III अनुपालन टियर II / अतिरिक्त टियर I बांड को मिलाकर ₹ 20,000 करोड़ तक जुटाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अंतर्गत संकल्प (विशेष संकल्प).
6. आईडीबीआई बैंक के संस्था अंतर्नियम में संशोधन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अधीन विशेष संकल्प.

दिनांक ___________ माह ___________ 2015 को हस्ताक्षरित.

शेयरधारक के हस्ताक्षर : ________________________________

प्रॉक्सी धारक(कों) के हस्ताक्षर :

रेवेन्यु स्टाम्प लगाएं

टिप्पणी: इस प्रॉक्सी फॉर्म को प्रभावी बनाने के लिए इसे विधिवत रूप से भरा जाए तथा इसे बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले (अर्थात् सोमवार, 10 अगस्त 2015 को अपराह्न 3.30 बजे तक या इससे पहले)बैंक के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाए.

IDBI BANK

IDBI Bank Limited

Form No. MGT-11
Proxy Form

[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3)of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CIN:L65190MH2004GOI148838

Name of the company	:	IDBI Bank Ltd.
Registered office	:	IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005

Name of the member (s)	:	
Registered address	:	
E-mail Id	:	
Folio No/ Client Id	:	
DP ID	:	

I/We, being the member (s) of ______________ shares of the above named company, hereby appoint

1. Name:______________
   Address:
   E-mail Id:
   Signature:______________, or failing him
2. Name: ______________
   Address:
   E-mail Id:
   Signature:______________, or failing him
3. Name: ______________
   Address:
   E-mail Id:
   Signature:______________

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the **11th Annual General Meeting of the Bank, to be held on the 12th day of August 2015 at 3:30 p.m. at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021** and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Resolution No.

1. Adoption of the Audited Financial Statements of IDBI Bank as on March 31, 2015 together with Reports of Directors and Auditors thereon (Ordinary Resolution)
2. Declaration of Dividend @ ₹ 0.75 per share for the year 2014-15 payable to Members (Ordinary Resolution)
3. Resolution authorising the Board of Directors to appoint Joint Statutory Auditors of IDBI Bank and Branch Statutory Auditor of DIFC, Dubai Branch of IDBI Bank for FY 2015-16 (Ordinary Resolution)
4. Resolution u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 for issue of shares aggregating upto ₹ 6000 crore (inclusive of premium amount) through various modes of issue including QIP (Special Resolution)
5. Resolution u/s 42 of the Companies Act, 2013 for mobilization in one or more tranches upto ₹ 20,000 crore comprising of Senior/ Infrastructure Bonds, Basel III Compliant Tier II/Additional Tier 1 Bonds, by way of Private Placement/Public Issue during the FY 2015-16 or during one year from the date of passing this Resolution, whichever is later (Special Resolution)
6. Special Resolution u/s 14 of the Companies Act, 2013 for amendment to Articles of Association of IDBI Bank

Signed this __________ day of__________ 2015

Signature of shareholder: ______________

Affix Revenue Stamp

Signature of Proxy holder(s)

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Bank, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting. (i.e. on or before 3:30 p.m. on Monday, August 10, 2015).

IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN: L65190MH2004GOI148838

[पंजीकृत कार्यालयः आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005, फोन-(022) 66552779, फैक्स-(022) 22182352, ईमेल : idbiequity@idbi.co.in, वेबसाईट : www.idbi.com]

भौतिक डाक मतपत्र फॉर्म (वार्षिक महासभा में ई-वोटिंग के बदले में)

1	एकल/ प्रथम सदस्य का नाम	
2	संयुक्त सदस्य(यों), यदि कोई हों, का/के नाम	
3	पंजीकृत फोलियो सं./ डीपी आईडी सं./ ग्राहक आईडी सं.	
4	धारित शेयरों की संख्या	

मैं/हम, एतद्द्वारा बैंक की 4 जून 2015 की वार्षिक महासभा सूचना में उल्लिखित कारोबार हेतु ई-वोटिंग/ भौतिक डाक मतपत्र/ मतदान फॉर्म के माध्यम से पारित किए जाने वाले संकल्प(पों) के संबंध में, निम्न में से उचित बॉक्स में टिक (✓) चिह्न लगाकर उक्त संकल्प(पों) से मेरी/हमारी सहमति या असहमति व्यक्त करते हुए, मेरे/हमारे मताधिकार का प्रयोग कर रहा/रही हूँ/रहे हैं.

मद सं.	विवरण	मेरे द्वारा धारित शेयरों की संख्या	मैं संकल्प से सहमत हूँ	मैं संकल्प से असहमत हूँ
1.*	यथा दिनांक 31 मार्च 2015 के आईडीबीआई बैंक के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को उन पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ स्वीकार करना (सामान्य संकल्प).			
2.*	वर्ष 2014-15 के लिए सदस्यों को ₹ 0.75 प्रति शेयर की दर से देय लाभांश की घोषणा (साधारण संकल्प)			
3.*	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30(1-ए) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और धारा 143(8) के निबंधनों के अनुसार रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आईडीबीआई बैंक हेतु संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों और आईडीबीआई बैंक की डीआईएफ़सी, दुबई शाखा हेतु शाखा सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना (साधारण संकल्प)			
4.*	क्यूआईपी सहित निर्गम के विभिन्न तरीकों के माध्यम से कुल ₹ 6000 करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक के शेयरों को जारी करने के लिए प्राधिकार देते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन संकल्प पारित करना (साधारण संकल्प).			
5.*	वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अथवा इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष, जो भी बाद में हो, के दौरान एक या उससे अधिक भागों में शेयरों के निजी नियोजन/सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से सीनियर/ इंफ्रास्ट्रक्चर बांड, बासेल III अनुपालन टियर II / अतिरिक्त टियर I बांड को मिलाकर ₹ 20,000 करोड़ तक जुटाने के लिए प्राधिकार देते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अंतर्गत संकल्प पारित करना (विशेष संकल्प)			
6.*	आईडीबीआई बैंक के संस्था अंतर्नियम में संशोधन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अधीन निम्नानुसार विशेष संकल्प पारित करना : (i) संस्था के अंतर्नियम में नए अंतर्नियम 1ए को इस व्यवस्था के लिए शामिल करना कि कंपनी अधिनियम, 1956 के पुराने प्रावधानों के बारे में अंतर्नियमों के सभी संदर्भों को कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू सम्बद्ध प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप समझा और पढ़ा जाएगा तथा तदनुरूप पालन किया जाएगा. (ii) भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद को पृथक कर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के दो अलग पद करने के लिए वर्तमान अंतर्नियम 116(1)(ए) में संशोधन किया जाए.			

	(iii) इसके फलस्वरूप, बोर्ड में वर्तमान ''बारह'' निदेशकों के स्थान पर अधिकतम ''तेरह'' निदेशकों की व्यवस्था के लिए वर्तमान अंतर्नियम 114(ए) में संशोधन किया जाए. (iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अनुपालन में 4 स्वतंत्र निदेशकों के वर्तमान प्रावधान के स्थान पर स्वतंत्र निदेशक के रूप में 5 चयनित निदेशकों [अंतर्नियम 116(1)(ई) के अंतर्गत निर्धारित] की नियुक्ति, जो क्रमावर्ती आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे, के प्रावधान के लिए अंतर्नियम 116ए(i) में संशोधन किया जाए. (v) यह स्पष्ट करने के लिए वर्तमान अंतर्नियम 116ए(ii) में संशोधन किया जाए कि संस्था के अंतर्नियम 116ए(i) के साथ पठित अंतर्नियम 116(1)(ई) के अंतर्गत निर्धारित 5 निदेशकों में से एक महिला निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1)(बी) द्वितीय परंतुक के प्रावधानों के अनुपालन में बोर्ड में नियुक्त की जाएंगी. ऐसा संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 116(1)(ए) से 116(1)(डी) के अंतर्गत बोर्ड में पहले से किसी महिला निदेशक के नियुक्त/नामित नहीं होने पर होगा.			

* विस्तृत संकल्प तथा व्याख्यात्मक विवरण के लिए कृपया वार्षिक महासभा की दिनांक 4 जून 2015 की एजीएम सूचना का संदर्भ लें.

स्थानः

दिनांक: **(सदस्य के हस्ताक्षर)**

नोट : कृपया फॉर्म भरने से पहले पृष्ठ के दूसरी ओर मुद्रित अनुदेशों को पढ़ लें. संवीक्षक द्वारा डाक के माध्यम से भौतिक मतपत्र फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख **मंगलवार, 11 अगस्त 2015 (भारतीय मानक समयानुसार शाम 5:00 बजे)** है.

अनुदेश

1. सूचीबद्धता करार के खंड 35 बी के अनुसार, वे सदस्य जिनके पास ई-वोटिंग सुविधा के लिए एक्सेस नहीं है, वे भौतिक मतपत्र फॉर्म पर अपनी सहमति या असहमति लिखित रूप में भेज सकते हैं.
2. भौतिक मतपत्र द्वारा अपने वोट का प्रयोग करने के इच्छुक सदस्य इस भौतिक मतपत्र फॉर्म को पूरा भरें, उस पर हस्ताक्षर करें और स्व संबोधित और पहले से प्रदत्त डाक-शुल्क वाले लिफाफे में भरकर भेज दें, ताकि यह नीचे लिखे अनुदेश 6 के अनुसार, मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं., द्वारा कार्वी कम्प्युटरशेयर प्रा. लि., इकाईः आईडीबीआई इक्विटी, प्लॉट नं. 17-24, विठ्ठलराव नगर, माधापूर, हैदराबाद-500 081 पते पर संवीक्षक तक पहुँच जाए. डाक खर्च बैंक द्वारा वहन और अदा किया जाएगा. व्यक्तिगत रूप से जमा या सदस्यों के खर्च पर कूरियर द्वारा भेजे गए डाक मतपत्र वाले लिफाफे भी स्वीकार किए जाएंगे.
3. स्व-संबोधित लिफाफे पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त संवीक्षक का नाम और वहाँ का पता हो जहां भौतिक मतपत्र फॉर्म भेजा जाना है.
4. भौतिक मतपत्र फॉर्म पूर्ण रूप में भरा जाए और सदस्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएं. संयुक्त शेयरधारिता के मामले में इस फॉर्म को पूर्ण रूप में भरा जाए तथा प्रथम नामित सदस्य द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में अगले नामित सदस्य(यों) द्वारा हस्ताक्षर किया जाए. अहस्ताक्षरित भौतिक मतपत्र फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे. भौतिक मतपत्र फॉर्म पर किया गया हस्ताक्षर बैंक के पास पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर से मेल खाना चाहिए.
5. जहां भौतिक मतपत्र फॉर्म पर कॉरपोरेट निकाय के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, ऐसे मामले में, भौतिक मतपत्र के माध्यम से वोट देने से संबंधित प्राधिकार की अधिप्रमाणित प्रति भौतिक मतपत्र फॉर्म के साथ संलग्न की जाए. कोई सदस्य विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अटर्नी के माध्यम से फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है तथा ऐसे मामले में भौतिक मतपत्र फॉर्म के साथ मुख्तारनामे की एक अधिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाए.
6. विधिवत् रूप से भरा हुआ भौतिक मतपत्र फॉर्म **मंगलवार, 11 अगस्त 2015** को शाम 5 बजे (आईएसटी) तक संवीक्षक तक पहुँच जाना चाहिए. इस समय और तारीख के बाद प्राप्त किए गए किसी भौतिक मतपत्र फॉर्म के बारे में यह माना जाएगा कि सदस्य का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है.
7. सदस्य आवश्यक होने पर डुप्लिकेट भौतिक मतपत्र फॉर्म के लिए अनुरोध कर सकते हैं या उसे बैंक की वेबसाइट www.idbi.comसे डाउनलोड कर सकते हैं. तथापि, विधिवत् भरा हुआ डुप्लिकेट भौतिक मतपत्र फॉर्म ऊपर अनुदेश सं. 6 में विनिर्दिष्ट समय और तारीख तक संवीक्षक तक पहुँच जाना चाहिए.
8. मताधिकार की संगणना, बुधवार 05 अगस्त 2015 को, जो इस प्रयोजन के लिए निर्धारित कट-ऑफ तारीख है, सदस्यों के नाम से पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मूल्य के आधार पर की जाएगी.
9. सदस्यों से अनुरोध है कि वे संलग्न स्व-संबोधित और पहले से प्रदत्त डाक-शुल्क वाले लिफाफे में भौतिक मतपत्र फॉर्म के साथ कोई अन्य कागजात न भेजें, क्योंकि इस प्रकार के सभी लिफाफों को संवीक्षक को भेजा जाएगा और उनमें प्राप्त किसी अन्य अतिरिक्त कागज को संवीक्षक द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा.
10. प्रत्येक फोलियो के लिए केवल एक ही भौतिक मतपत्र फॉर्म होगा चाहे संयुक्त सदस्य(यों) की कुल संख्या कितनी भी हो.
11. किसी सदस्य को सभी मतों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है और न ही उसे सभी मतों का प्रयोग एक ही ढंग से करने की आवश्यकता है.
12. भौतिक मतपत्र की वैधता के संबंध में संवीक्षक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.
13. अधूरे, अहस्ताक्षरित या गलत भौतिक मतपत्र फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा.
14. वार्षिक महासभा की तारीख वार्षिक महासभा में ई-वोटिंग/ भौतिक मतपत्र/मतदान पेपर द्वारा संकल्प(पों) पारित किए जाने की मान्य तारीख होगी.
15. डाक द्वारा भौतिक मतपत्र फॉर्म के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग किसी प्रॉक्सी द्वारा नहीं किया जा सकता है.

IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838

[Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005, Phone-(022) 66552779,
Fax-(022) 22182352, e-mail: idbiequity@idbi.co.in, website: www.idbi.com]

PHYSICAL BALLOT FORM BY POST (In lieu of E-voting at the AGM).

1.	Name of Sole / First Member	
2.	Name(s) of Joint Member (s), if any	
3.	Registered Folio No./DP ID No./Client ID No.	
4.	Number of Shares held	

I/We hereby exercise my/our vote in respect of the Resolution (s) to be passed through e-voting/ Physical Ballot Form by Post/ Polling Form for the business stated in the AGM Notice dated June 04, 2015 of the Bank by conveying my/our assent or dissent to the said Resolution (s) by placing the tick (✓) mark at the appropriate box below:

Item No.	Description	No. of shares held by me	I assent to the resolution	I dissent to the resolution
1.*	Adoption of the Audited Financial Statements of IDBI Bank as on March 31, 2015 together with Reports of Directors and Auditors thereon (Ordinary Resolution)			
2.*	Declaration of Dividend @ ₹ 0.75 per share for the year 2014-15 payable to Members (Ordinary Resolution)			
3.*	Authorising the Board of Directors to appoint Joint Statutory Auditors of IDBI Bank and Branch Statutory Auditor of DIFC, Dubai Branch of IDBI Bank for FY 2015-16 as per RBI approval, in terms of Section 30(1-A) of the Banking Regulation Act, 1949 and Sections 139 and 143(8) of the Companies Act, 2013 (Ordinary Resolution)			
4.*	Passing of enabling Resolution u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 for issue of shares aggregating upto ₹ 6000 crore (inclusive of premium amount) through various modes of issue including QIP (Special Resolution)			
5.*	Passing of enabling Resolution u/s 42 of the Companies Act, 2013 for mobilization in one or more tranches upto ₹ 20,000 crore comprising of Senior/Infrastructure Bonds, Basel III Compliant Tier-II/ Additional Tier-I Bonds, by way of Private Placement/Public Issue during the FY 2015-16 or during one year from the date of passing this Resolution, whichever is later (Special Resolution)			
6.*	Passing of Special Resolution u/s 14 of the Companies Act, 2013 for amendment to Articles of Association of IDBI Bank as follows : (i) Incorporating new Article 1A in the Articles of Association to provide that all references in the Articles about old provisions of the Companies Act, 1956 shall be construed and read as applicable relevant provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and complied accordingly. (ii) The present Article 116(1)(a) be amended to provide for separation of CMD's post into two posts of a Chairman and a Managing Director & CEO as per Govt. of India's guidelines. (iii) Consequently, the present Article 114(a) be amended to provide for "thirteen" maximum Directors on the Board instead of "twelve" presently provided.			

	(iv) The present Article 116A(i) be amended to provide for appointment of all 5 elected directors [prescribed under Article 116(1)(e)] as Independent Directors not liable to retire by rotation, instead of 4 Independent Directors presently provided, in compliance of Section 149(4) of the Companies Act, 2013. (v) The present Article 116A(ii) be amended to clarify that out of the 5 Directors prescribed under Article 116(1)(e) read with Article 116A(i), one Woman Director shall be appointed on the Board to comply with the provisions of Section 149(1)(b) Second Proviso of the Companies Act, 2013, unless a Woman Director is already on the Board appointed / nominated under Article 116(1)(a) to 116(1)(d) of the Articles of Association.			

* for detailed Resolution and Explanatory Statement, kindly refer to the AGM Notice dated June 04, 2015.

Place:

Date : **(Signature of Member)**

NOTE : Kindly read the instructions printed overleaf before filling in the form. Last date for receipt of Physical Ballot Forms by post by Scrutinizer is **Tuesday, August 11, 2015 (5:00 p.m. IST).**

INSTRUCTIONS

1 In terms of Clause 35 B of the Listing Agreement, those members, who do not have access to e-voting facility may send their assent or dissent in writing on the Physical Ballot Form.

2 A Member desiring to exercise his/her vote by Physical Ballot should complete this Physical Ballot form, sign and send in the enclosed self-addressed postage pre-paid envelope so as to reach the Scrutinizer as per instruction 6 below at the address M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., C/o Karvy Computershare Pvt. Ltd., Unit : IDBI Equity, Plot No. 17-24, Vithal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad - 500 081. Postage will be borne and paid by the Bank. Envelopes containing Postal Ballots, if deposited in person or sent by courier at the expenses of the Members will also be accepted.

3 The self-addressed envelope bears the name of the Scrutinizer appointed by the Board of Directors of the Bank and the address at which the Physical Ballot Form is to be sent.

4 The Physical Ballot Form should be completed and signed by the Members. In the case of joint share holding, this form should be completed and signed by the first named Member and in his absence, by the next named Member(s). Unsigned Physical Ballot Forms will be rejected. The signature on the Physical Ballot Form must tally with the specimen signature registered with the Bank.

5 Where the Physical Ballot Form has been signed by an Authorized Representative of a body corporate, a certified copy of the relevant authorizations to vote on the Physical Ballot should accompany the Physical Ballot Form. A member may sign the Form through an Attorney appointed specifically for this purpose, in which case an attested true copy of the Power of Attorney should be attached to the Physical Ballot Form.

6 Duly completed Physical Ballot Forms should reach the Scrutinizer not later than 5 p.m. (IST) on **Tuesday, August 11, 2015.** Any Physical Ballot Form received after this time and date will be treated as if the reply from the Member has not been received.

7 A Member may request for a duplicate Physical Ballot Form or download the same from the Bank's website www.idbi.com, if so required. However, the duly filled in duplicate Physical Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the time and date specified at Point No.6 above.

8 Voting rights will be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the Member as on Wednesday, August 05, 2015, which is the Cut-off Date fixed for this purpose.

9 Members are requested not to send any other paper along with the Physical Ballot Form in the enclosed self-addressed postage pre-paid envelope in as much as all such envelopes will be sent to the Scrutinizer and any extra paper found in such envelope would be destroyed by the Scrutinizer.

10 There will be only one Physical Ballot Form for every folio irrespective of the number of joint Member (s).

11 A Member need not use all the votes nor does he need to cast all the votes in the same way.

12 The Scrutinizer's decision on the validity of a Physical Ballot will be final and binding.

13 Incomplete, unsigned or incorrect Physical Ballot Forms will be rejected.

14 The date of AGM will be the deemed date of passing resolution (s) through e-voting/ Physical Ballot Form/ Polling Paper at the AGM.

15 The right of voting by Physical Ballot Form by Post shall not be exercised by a Proxy.

CIN : L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

[पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्पलेक्स,
कफ परेड, मुंबई 400 005,
फोन- (022) 66552779, फैक्स (022) 22182352,
ई-मेल : idbiequity@idbi.co.in, वेबसाईट : www.idbi.com]

अत्यावश्यक ध्यानार्थ

आईडीबीआई बैंक के सदस्य

आईडीबीआई बैंक में ई-मेल आईडी का पंजीकरण

और

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम से लाभांश का भुगतान

कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 35 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18(3) के साथ पठित धारा 101 के अनुसार हम आईडीबीआई बैंक के सभी सदस्यों से, जिन्होंने अभी तक बैंक में अपने ई-मेल आईडी का पंजीकरण नहीं करवाया है, एतद्द्वारा अपील करते हैं कि वे अपने ई-मेल आईडी का पंजीकरण करवा लें ताकि उन्हें वार्षिक महासभा की सूचना तथा अन्य पत्रादि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त हो सकें.

2. इसके अलावा सेबी के दिनांक 21.03.2013 के परिपत्र सं. सीआईआर/ एमआरडी/ डीपी/ 10/ 2013 के इस निर्देशानुसार कि आगे से सूचीबद्ध कंपनियां निवेशकों को सभी प्रकार के भुगतान, जिनमें शेयरधारकों को लाभांश भी शामिल है, अनिवार्य रूप से रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम जैसे ईसीएस [एलईसीएस (स्थानीय ईसीएस) / आरईसीएस (क्षेत्रीय ईसीएस) / एनईसीएस (राष्ट्रीय ईसीएस)], एनईएफटी आदि के माध्यम से करें; हमारा बैंक के ऐसे सभी शेयरधारकों, जिनके पास बैंक के शेयर भौतिक रूप में हैं, से अनुरोध है कि वे अपेक्षित फॉर्म में अपने बैंक खाते का विवरण और/ अथवा ई-मेल आईडी (यदि पहले न दिया गया हो) हमें भेजें. कृपया विधिवत् रूप से भरा हुआ फॉर्म उसमें उल्लखित दस्तावेजों के साथ उसमें दिये हुए पते पर भेजें. इससे बैठक की सूचना और अन्य पत्रादि शीघ्र भेजे जा सकेंगे और साथ ही लाभांश का भुगतान उक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अधिदेशित बैंक खाते में किया जा सकेगा.

3. ऐसे शेयरधारक जिनके शेयर डीमैट स्वरूप में हैं, से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से बैंक मैंडैट और /अथवा ई-मेल आईडी ब्योरों, जैसा भी मामला हो, को अद्यतन करने/ संशोधित करने के लिए संपर्क करें.

4. यदि आप लाभांश इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं चाहते हैं तो भी कृपया उपर्युक्त उल्लिखित फॉर्म में अपने बैंक खाते की जानकारी (खाता संख्या और बैंक का नाम) भेजें ताकि उन्हें सेबी दिशा- निर्देशों के अनुसार आईडीबीआई बैंक को लाभांश वारंटों पर अनिवार्य रूप से मुद्रित करवाया जा सके.

5. कृपया नोट करें कि वार्षिक महासभा की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट, बैंक की वेबसाइट www.idbi.com पर भी डाउनलोड करने की सुविधा के साथ उपलब्ध कराई जाएगी और बैंक के पंजीकृत कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान इसकी भौतिक प्रतियों की जांच की जा सकती है.

कृते आईडीबीआई बैंक लि.
पवन अग्रवाल
कंपनी सचिव

स्थानः मुंबई
दिनांक: 4 जून 2015

CIN L65190MH2004GOI148838

IDBI BANK LIMITED

[Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai- 400 005,
Phone-(022) 66552779, Fax-(022) 22182352,
e-mail :idbiequity@idbi.co.in, Website: www.idbi.com]

URGENT ATTENTION

MEMBERS OF IDBI BANK
Registration of email ids with IDBI Bank
and
payment of Dividend through Electronic Payment Modes

In terms of Section 20 of the Companies Act, 2013 read with Rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and Section 101 read with Rule 18 (3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, we, hereby, request all Members of IDBI Bank Ltd., who have till date not registered their email id(s) with the Bank, to register their email id(s) in order to receive Notice of Annual General Meeting and other communications in electronic form.

2. Further, in terms of SEBI Circular No. CIR/MRD/DP/10/2013 dated 21.03.2013, directing that, henceforth, Listed Companies shall mandatorily make all payments to Investors, including Dividend to Shareholders, through RBI approved Electronic mode of payment such as ECS [LECS (Local ECS) /RECS (Regional ECS) / NECS (National ECS)], NEFT etc., we request all Shareholders of the Bank who hold physical shares to furnish the Bank account details and / or e-mail id(s) (if not already furnished) in the requisite form. Duly filled up form, alongwith the documents mentioned therein, may please be submitted to the addresses provided therein. This will facilitate prompt delivery of Notice of the meeting and other communications as well as payment of dividend through aforesaid electronic mode in the mandated Bank Account.

3. Members who hold shares in Demat form are requested to approach concerned Depository Participant for updating /modifying the Bank Mandate and/or e-mail id(s) details as the case may be.

4. In case, you do not want Electronic payment of the Dividend, kindly still furnish your Bank Account information (Account number and Bank's name) on the aforesaid form required to be mandatorily printed by IDBI Bank on the Dividend warrants as per SEBI's directives.

5. Please note that, the Notice of AGM and Annual Report will also be made available on Bank's website www.idbi.com with download facility and physical copies of the same can be inspected at the Registered Office of the Bank during office hours.

For IDBI Bank Ltd.

Pawan Agrawal
Company Secretary

Place- Mumbai

Date- June 04, 2015

IDBI BANK

बैंक खाता / ई-मेल पंजीकरण फॉर्म

मैं/हम ______________________________________ एतद्द्वारा आईडीबीआई बैंक लि. को प्राधिकृत करते हैं कि वे

- मेरे/ हमारे लाभांश वारंट पर निम्नलिखित ब्योरे प्रिंट करें अथवा
- एलईसीएस/ आरईसीएस/ एनईसीएस/ एनईएफटी द्वारा मेरी लाभांश राशि मेरे बैंक खाते में सीधे जमा करें.

(जो लागू न हो उसे काट दें)

फोलियो नं.: IDB ________________________

बैंक खाते का विवरण

1.	बैंक का नाम	:	
2.	शाखा का नाम पता (केवल मैंडेट हेतु)	:	
3.	एमआईसीआर चेक पर दर्शाये अनुसार बैंक और शाखा की 9 अंकों की कोड संख्या	:	
4.	खाता प्रकार (बचत/चालू)	:	
5.	चेकबुक पर दर्शाये अनुसार खाता सं.	:	
6.	शाखा एसटीडी कोड और टेलीफोन नं.	:	
7.	बैंक शाखा का आईएफएससी कोड	:	
8.	शेयरधारक का ई-मेल आईडी		

....

सदस्य के हस्ताक्षर

1. 9 अंकों की एमआईसीआर कोड संख्या / आईएफएससी कोड के सही होने के सत्यापन के लिए कृपया अपने बैंक द्वारा जारी अपने उपर्युक्त खाते से संबन्धित चेक की फोटोकॉपी अथवा निरस्त किया हुआ कोरा चेक संलग्न करें.
2.

ऐसे मामलों में जहां शेयरधारक के पास शेयर भौतिक रूप में हैं, कृपया इनके ब्योरे निम्न को भेजें:	**शेयरधारकों द्वारा शेयर अमूर्त रूप में रखे जाने के मामले में, कृपया इनके ब्योरे निम्नलिखित को भेजें :**
कार्वी कम्प्युटरशेयर प्रा. लि. कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद- 500 032, तेलंगाना.	संबन्धित डिपॉजिटरी, जहां डीमैट खाता रखा गया है.

संलग्नक :

1. पैन कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति.
2. आवास प्रमाण - आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र की स्व- प्रमाणित प्रति.
3. रद्द कोरा चेक पन्ना.
4. बैंक द्वारा हस्ताक्षर अनुप्रमाणन पत्र.

IDBI BANK

BANK ACCOUNT / EMAIL REGISTRATION FORM

I/We ________________________________ do hereby authorize IDBI Bank Ltd.

- To Print the following details on my/our dividend warrant or
- To Credit my dividend amount directly to my Bank account by LECS/RECS/NECS/NEFT.

  (Strike out whichever is not applicable)

Folio No. : IDB____________________

Particulars of Bank Account:

1.	Bank Name	:	
2.	Branch Name Address (for Mandate only)	:	
3.	9 Digit Code number of the bank & Branch as appearing on the MICR cheque	:	
4.	Account Type (Savings/Current)	:	
5.	Account No. as appearing on the cheque book	:	
6.	Branch STD code & Telephone no.	:	
7.	IFSC Code of Bank Branch	:	
8.	Email ID of shareholder	:	

……………………………..

Signature of the Member

1. Please attach the photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above bank account for verifying the accuracy of the 9 digit MICR code number/IFSC Code.
2.

In case of shareholders holding shares in Physical Mode, please send these details to:	In case of shareholders holding shares in Dematerialised form, please send these details to:
Karvy Computershare Pvt. Ltd. Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032 Telangana.	The Depository Participant with whom your Demat Account is maintained.

Enclosures :

1. Self attested copy of PAN Card
2. Self attested copy of Residence - AADHAAR Card or Passport or Driving License or Voter ID.
3. Cancelled Blank Cheque leaf.
4. Signature attestation letter from Bank.

नोट / NOTE

नोट / NOTE

IDBI BANK

वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

Annual Report 2014-15

भारत के विकास में उत्प्रेरक. **50 वर्ष** और उससे आगे.

Catalyst for **India's growth. 50 years** and beyond.

1964 से अब तक के यादगार पल

Moments treasured since 1964

विषयवस्तु

कॉरपोरेट विहंगावलोकन

ii कॉरपोरेट रूपरेखा
iv वित्तीय विशेषताएं
vi यथा 31 मार्च 2015 को निदेशक मंडल
vii यथा 31 मार्च 2015 को शीर्ष प्रबंधन
viii अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश
xvi भारत के विकास में उत्प्रेरक. 50 वर्ष और उससे आगे
xxiv वित्तीय वर्ष 2014-15 की कुछ प्रमुख गतिविधियां
xxx ब्रांड मूल्य

सांविधिक रिपोर्टें

2 निदेशकों की रिपोर्ट
16 प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण
56 कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

वित्तीय विवरण

146 एकल वित्तीय विवरण
232 समेकित वित्तीय विवरण
310 पिलर III प्रकटन

Contents

Corporate Overview

ii Corporate Profile
iv Financial Highlights
vi Board of Directors as on March 31, 2015
vii Top Management as on March 31, 2015
viii Chairman & Managing Director's Message
xvi Catalyst for India's growth. 50 years and beyond.
xxiv Some Major Events during FY 2014-15
xxx Brand Value

Statutory Reports

9 Directors' Report
36 Management Discussion and Analysis
102 Corporate Governance Report

Financial Statements

146 Standalone Financial Statements
232 Consolidated Financial Statements
310 Pillar III Disclosures

भारत के विकास में उत्प्रेरकता का इतिहास

विगत 50 वर्षों से आईडीबीआई बैंक भारत की विकास यात्रा का सतत् भागीदार रहा है. बैंक ने अपने ग्राहकों की बदलती वित्तीय जरूरतों के अनुरूप अपनी रणनीतियों में बदलाव लाकर राष्ट्र-निर्माण के महती कार्य में सहयोग देने और उसे आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं. वर्तमान में आईडीबीआई बैंक विश्व-स्तरीय बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायता से अनेक वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान कर रहा है जो न केवल ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं बल्कि कई मामलों में अपने आप में अनोखी हैं. बैंक ने अपने विकास वित्त संस्था वाले दिनों से ही देश की वित्तीय संरचना के निर्माण में सहयोग दिया है. बैंक ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा, पुनर्वास सुविधाओं के सृजन तथा व्यापक अग्रगामी कारोबार पद्धतियों के निर्माण के ज़रिए यह उपलब्धि हासिल की है.

बैंक का ध्यान बहुतों को उद्यमिता के अवसर प्रदान करने पर रहा है जिससे तीव्र-वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है तथा कल्पनाओं को उड़ान मिली है. आईडीबीआई बैंक भारत की विकास संबंधी आवश्यकताओं में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने और उसकी प्रगति में सहायता करने के प्रति प्रतिबद्ध है. आज भी और आगे भी.

A History of Catalysing India's Growth

Over the past 50 years, IDBI Bank has been a partner in India's growth journey. The Bank has taken steps to facilitate and extend the cause of nation-building by aligning its strategies to the changing financing needs of its customers. Supported by a world-class banking infrastructure, the Bank today offers a gamut of financial products and services which are in tune with customer requirements and, in many cases, the first of its kind. From its days as a Development Finance Institution, the Bank has helped build the country's financial architecture. It has also carried forward its tradition of corporate social responsibility by creating facilities of education, rehabilitation and crafting wide-ranging, forward thinking business practices.

The Bank's focus on providing entrepreneurial opportunities to many has paved the way for a faster-paced economy and given wings to dreams. IDBI Bank remains committed to being a catalyst in India's development needs and facilitating progress. Yesterday, today and beyond.

कॉरपोरेट रूपरेखा
Corporate Profile

अपने अस्तित्व के 51वें वर्ष में आईडीबीआई बैंक राष्ट्र-निर्माण के मुख्य उद्देश्य वाली विकास वित्त संस्था से बदलकर पूर्ण सेवा वाले वाणिज्यिक बैंक में रूपांतरित हो गया. आज पूर्ण सेवा वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एक युवा वाणिज्यिक बैंक है जो वर्तमान में एक ही स्थान पर अनेक वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान कर करोड़ों भारतीयों के जीवन से जुड़ रहा है. कोर बैंकिंग और परियोजना वित्त क्षेत्र के अलावा बैंक ने पूंजी बाज़ार, निवेश बैंकिंग और म्यूचुअल फंड कारोबार जैसे वित्तीय क्षेत्र के संबद्ध कारोबारों में भी बैंक की प्रतिष्ठित मौजूदगी है.

आईडीबीआई विगत पांच दशकों के दौरान उद्योग-बृहत् और लघु दोनों, इंफ्रास्ट्रक्चर, पिछड़े क्षेत्र के विकास, पहली पीढ़ी के उद्यमियों के पोषण, निर्यातोन्मुख इकाइयों के संवर्धन और संस्थाओं के सृजन पर विशेष बल देकर राष्ट्र-निर्माण में अग्रणी रहा है.

In the 51st year of its existence, IDBI Bank has voyaged from being a development finance institution, with a key nation-building mandate, to being a full-service commercial bank. Today, as one of the youngest full-service public sector commercial banks, it touches the lives of millions of Indians by providing the entire breadth of financial products and services under one roof. Besides its core banking and project finance area, the Bank has an established presence in associated financial sector business like Capital Market, Investment Banking and Mutual Fund Business.

During the last five decades, IDBI has been a front-runner in nation-building with particular emphasis on industry – both large and small, infrastructure, backward area development, nurturing of first generation entrepreneurs, promotion of export-oriented units and creation of institutions.

उल्लेखनीय पड़ाव / Milestones

औद्योगिक वित्तपोषण तथा विकास के क्षेत्र में शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में संसद के एक अधिनियम के अधीन रिज़र्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में स्थापित.	1964	Set up as a subsidiary of RBI under an Act of Parliament as the apex financial institution in the area of industrial financing and development.
रिज़र्व बैंक से भारत सरकार को स्वामित्व का अंतरण. साथ ही, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर उद्योगों के वित्तपोषण, प्रवर्तन तथा विकास में लगी संस्थाओं के कार्य में समन्वय के लिए प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में भी प्राधिकृत.	1976	Ownership transferred to GOI from RBI. Also, designated principal Financial Institution for coordinating the working of institutions at national and state levels engaged in financing, promoting and developing industry.
आईडीबीआई ने अपना अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रभाग एक्ज़िम बैंक को अंतरित किया जिसे भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के अधीन भारत सरकार की 100% शेयरधारिता से स्थापित किया गया था.	1982	IDBI transfers its International Finance Division to EXIM Bank which was established with 100% GOI shareholding under Export-Import Bank of India Act 1981.
आईडीबीआई द्वारा अहमदाबाद में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई) की स्थापना.	1983	IDBI sets up the Entrepreneurship Development Institute of India (EDII) at Ahmedabad.

संसद के अधिनियम के अधीन आईडीबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था के रूप में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना.	1990	The Small Industries Development Bank of India (SIDBI) set up as a wholly owned subsidiary of IDBI under an Act of Parliament.
इसने औद्योगिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के अलावा भारत के वित्तीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई. यह 1992 में एनएसई की स्थापना में सहायक रहा.	1980s to early 1990s	Played a pioneering role in strengthening India's financial architecture besides being a catalyst for investment in industrial and infrastructure sector. Instrumental in setting up NSE in 1992.
49% तक निजी स्वामित्व की अनुमति के लिए आईडीबीआई अधिनियम 1964 में संशोधन किया गया.	1994	IDBI Act 1964 amended to permit private ownership upto 49%.
देशी आईपीओ, सरकारी हिस्सेदारी को कम करके 72% किया गया.	1995	Domestic IPO, Government stake reduced to 72%.
वित्तीय क्षेत्र में सुधारों को ध्यान में रखते हुए, आईडीबीआई को आईडीबीआई लि. के नाम से, इसकी विकास वित्तपोषण भूमिका को जारी रखते हुए, संपूर्ण सेवा वाले वाणिज्यिक बैंक के रूप में रूपांतरित किया गया.	2004	In response to financial sector reforms, IDBI transforms from a DFI into a full-service commercial bank along with a continued mandate for development financing under the name of IDBI Ltd.
इसकी पूर्ववर्ती सहायक संस्था आईडीबीआई बैंक लि. और आईडीबीआई लि. का समामेलन.	2005	Amalgamation of IDBI Bank Ltd., its erstwhile subsidiary, and IDBI Ltd.
यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक और आईडीबीआई लि. का समामेलन.	2006	Amalgamation of United Western Bank and IDBI Ltd.
डीआईएफसी, दुबई में अपनी पहली विदेशी शाखा खोली.	2010	Opens its first overseas branch at DIFC, Dubai
अपनी सहायक संस्थाओं, आईडीबीआई होम फाइनेंस तथा आईडीबीआई गिल्ट्स का अपने साथ विलय किया.	2011	Merges subsidiaries, IDBI Homefinance and IDBI Gilts with itself.
आईडीबीआई बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष 50 सर्वाधिक मूल्यवान भारतीय ब्रांडों पर डब्ल्यूपीपी की ब्रांड रिपोर्ट के पहले भारतीय संस्करण में 39वां स्थान प्राप्त किया. इसे शीर्ष 50 विशेष ब्रांडों में सर्वाधिक युवा ब्रांड के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया.	2014	IDBI Bank ranked 39th in the first ever Indian edition of WPP's BrandZ Report on the Top 50 Most Valuable Indian Brands across different sectors. It was also awarded the Youngest Brand amongst the Top 50 brands featured.

वित्तीय विशेषताएं
Financial Highlights

जमाराशियां
Deposits

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

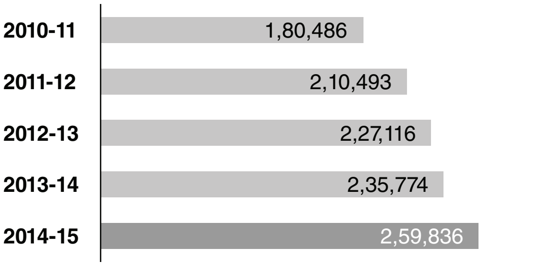

अग्रिम
Advances

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

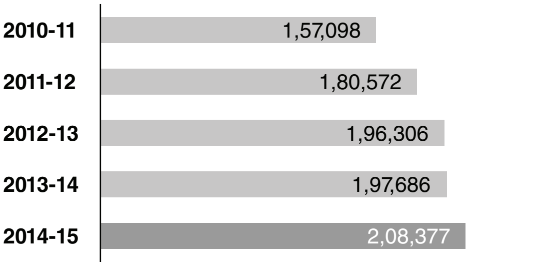

कुल कारोबार
Total Business

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

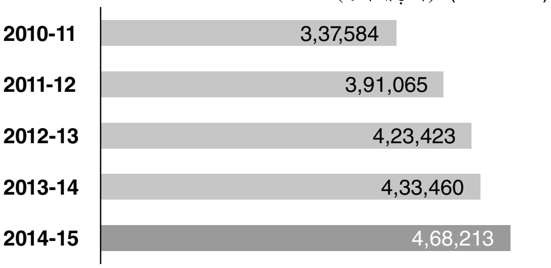

सकल आय*
Gross Income*

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

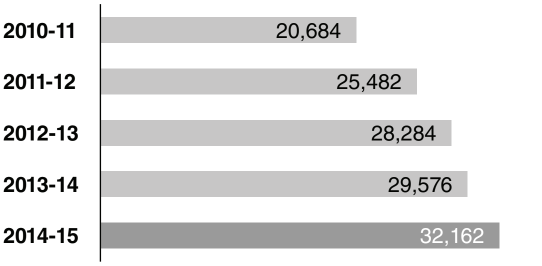

*अन्य आय सहित सकल ब्याज आय
*Gross Interest Income plus Other Income

कर पश्चात् लाभ
PAT

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

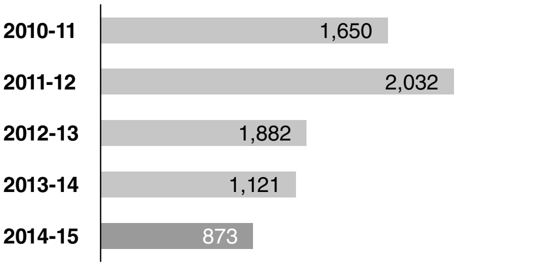

कर्मचारी उत्पादकता
Employee Productivity

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

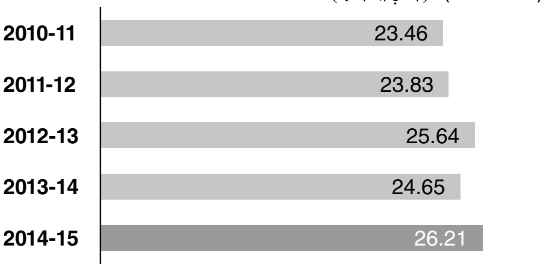

निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम)
Net Interest Margin (NIM)

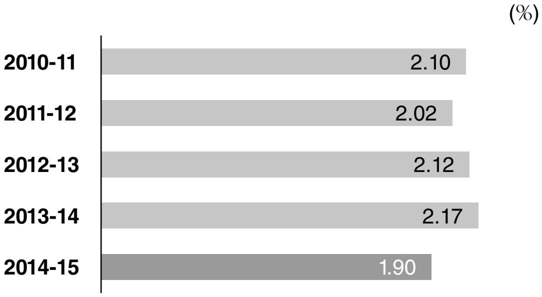

आय-लागत अनुपात
Cost-to-Income Ratio

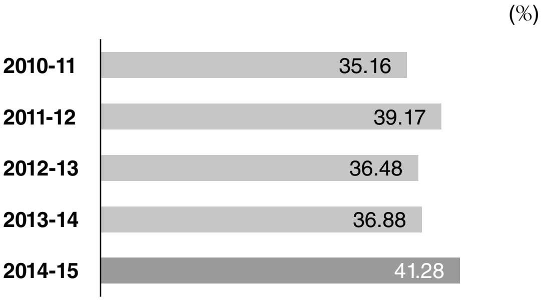

सीआरएआर*
CRAR*

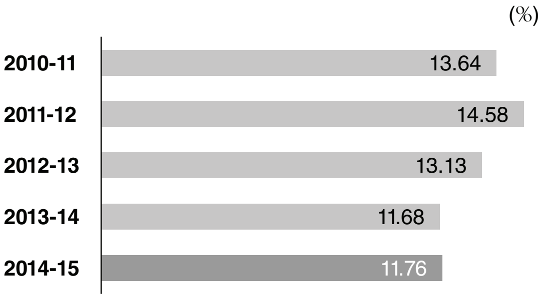

(*विव 2011, विव 2012 एवं विव 2013 के सीआरएआर आंकड़े बासेल II के अनुसार हैं)
(विव 2014 एवं विव 2015 बासेल III के अनुसार)
(*CRAR Figures for FY 2011, FY 2012 & FY 2013 are as per Basel II)
(FY 2014 & FY 2015 as per Basel III)

अग्रिम संमिश्र 2014-15
Advances Mix 2014-15

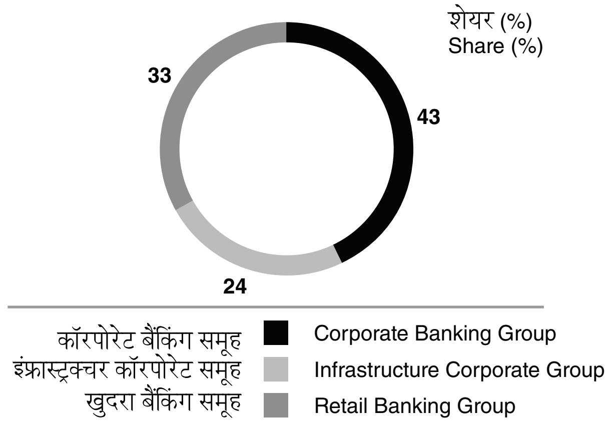

जमाराशि संमिश्र 2014-15
Deposits Mix 2014-15

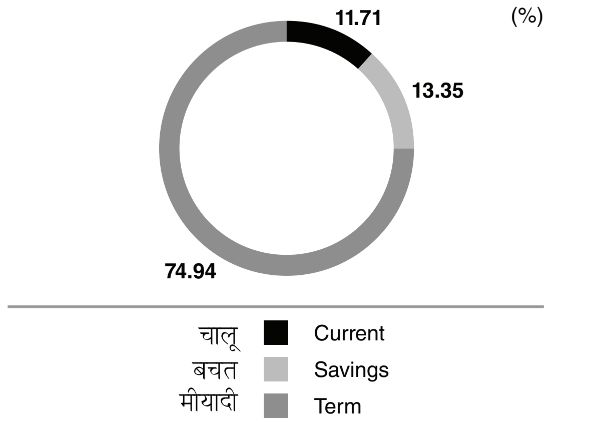

यथा 31 मार्च 2015 को निदेशक मंडल
Board of Directors as on March 31, 2015

बैठे हुए (बाएं से दाएं):
श्री पी.एस. शेनॉय, श्री एम.एस. राघवन, सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव

खड़े हुए (बाएं से दाएं):
श्री निनाद कर्पे, श्री बी.के. बत्रा, श्री पंकज वत्स, श्री मेल्विन रेगो, श्री एस. रवि

Seated (left to right):
Shri P.S. Shenoy, Shri M.S. Raghavan, Ms. Snehlata Shrivastava

Standing (left to right):
Shri Ninad Karpe, Shri B.K. Batra, Shri Pankaj Vats, Shri Melwyn Rego, Shri S. Ravi

यथा 31 मार्च 2015 को शीर्ष प्रबंधन
Top Management as on March 31, 2015

बैठे हुए (बाएं से दाएं):
श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री मेल्विन रेगो, उप प्रबंध निदेशक

खड़े हुए (बाएं से दाएं):
कार्यपालक निदेशकः श्री सुनीत कुमार माथुर, श्री बी. रवीन्द्रनाथ, श्री पी. सीताराम, श्री विनय कुमार, श्री जी.एम. यादवाडकर, श्री के.पी. नायर, श्रीमती मैथिली बालसुब्रमणियन, श्री ए.एल. बोंगिरवार, श्री एन.एस. वेंकटेश, श्री आर.के. बंसल, श्री एस.के.वी. श्रीनिवासन

Seated (left to right):
Shri B.K. Batra, DMD, Shri M.S. Raghavan, CMD, Shri Melwyn Rego, DMD

Standing (left to right):
Executive Directors: Shri Suneet Kumar Mathur, Shri B. Ravindranath, Shri P. Sitaram, Shri Viney Kumar, Shri G. M. Yadwadkar, Shri K. P. Nair, Smt. Mythili Balasubramanian, Shri A. L. Bongirwar, Shri N. S. Venkatesh, Shri R. K. Bansal, Shri S. K. V. Srinivasan

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश
Chairman & Managing Director's Message

एम.एस. राघवन - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

M.S. Raghavan – Chairman & Managing Director

बैंकर पण्य 'क्रय शक्ति' में मुख्यतः उतना मध्यस्थ नहीं होता है जितना इस पण्य का उत्पादक होता है. वह नवीन संयोजन बनाने के इच्छुक व्यक्तियों और उत्पादक माध्यमों के धारकों के बीच की कड़ी है. वह अनिवार्य रूप से विकास का प्रतीक है. वह नए संयोजनों को संभव बनाता है, इसकी पूर्ति के लिए समाज की ओर से लोगों को प्राधिकृत करता है. वह विनिमय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख निर्णायक है.

- जोसफ शुम्पीटर

जैसा कि शुम्पीटर ने उल्लेख किया है आपके बैंक ने भी अपने विकास वित्त संस्था (डीएफआई) वाले अवतार में उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों को वित्तीय के साथ-साथ गैर-वित्तीय सहायता प्रदान कर देश में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है. विकास वित्त संस्था के रूप में बैंक द्वारा निभाई गई भूमिका ने इसके परिचालन को इस कदर प्रभावित किया है कि यह आज भी देश की प्रगति में भागीदार वाले अपने स्थान पर बना हुआ है. ''बैंक ऐसा, दोस्त जैसा'' बनने के अपने वादे के साथ, आपका बैंक अपने सभी ग्राहकों को वित्तीय सुविधाओं की यूनिवर्सल पहुंच सुनिश्चित कर उनकी सहायता के लिए तत्पर है जिससे समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलेगी. इस उद्देश्य से आपके बैंक ने नेटवर्क विस्तार की महत्त्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की, जिसके चलते वर्ष के दौरान बैंक के शाखा नेटवर्क में तेजी से वृद्धि हुई. आपके बैंक का लक्ष्य अपने रिटेल और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कारोबार के संवर्धन हेतु इन क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि लाने के लिए ऊर्ध्वगामी दृष्टिकोण अपनाकर तेजी से बढ़ते अपने शाखा नेटवर्क का लाभ उठाना है. आपके बैंक का विश्वास है कि यही ऐसे क्षेत्र हैं जो कारोबार वृद्धि को मजबूती और उसके परिचालन को स्थायित्व प्रदान करेंगे, जिससे अंशधारकों के मूल्य में वृद्धि होगी.

The banker is not so much primarily a middleman in the commodity "purchasing power" as a producer of this commodity. He stands between those who wish to form new combinations and the possessors of productive means. He is essentially a phenomenon of development. He makes possible the carrying out of new combinations, authorises people, in the name of society as it were, to form them. He is the ephor of the exchange economy.

~ Joseph Schumpeter

As pointed out by Schumpeter, your Bank, in its Development Finance Institution (DFI) avatar, essayed a catalytic role in stimulating economic progress in the country by extending financial as well as non-financial assistance to industry and infrastructure sectors. The role played by the Bank as a DFI has largely influenced its operations as it continues to position itself as a partner in progress of the nation. Promising to be "Bank Aisa, Dost Jaisa", your Bank aspires to handhold all its customers, thereby ensuring universal access to financial facilities which will help in ensuring inclusive growth. Towards this end, the Bank has embarked on an ambitious network expansion plan which saw rapid addition to its branch network during the year. The Bank aims to leverage its rapidly expanding branch network, to augment its retail and priority sector business, adopting a bottom-up approach to drive growth in these segments. Your Bank believes that these are areas that will drive stronger business growth and lend sustainability to its operations, thereby maximizing stakeholders' value.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश
Chairman & Managing Director's Message

प्रिय शेयरधारको,

आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल और प्रबंधन टीम की ओर से 2014-15 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके अवलोकन हेतु प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता है. मैं यह संदेश मिली-जुली भावनाओं के साथ लिख रहा हूँ, क्योंकि आपके बैंक की लगभग दो वर्षों तक और बैंकिंग उद्योग की 38 वर्षों से अधिक सेवा करने के बाद मैं इस वर्ष जून महीने के अंत में पदमुक्त हो रहा हूँ.

समष्टि आर्थिक विहंगावलोकन

विगत दो वर्ष, खासकर 2013-14, निरंतर प्रतिकूल स्थितियों से घिरे रहे. पिछले एक वर्ष में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था समूहों के बीच और साथ ही उनमें परिलक्षित भिन्न वृद्धि दरों के साथ यद्यपि सामान्य किन्तु वैश्विक आर्थिक वृद्धि में तेजी आई. तथापि, भारतीय सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि आंकड़ों के अनुसार आर्थिक कार्यकलापों की गति में मंदी के ऊर्ध्वगामी होने का प्रमुख कारण नीतिगत सुधार रहे. मोटे तौर पर कहा जाए तो औद्योगिक कार्यकलापों में तेजी आई; मुद्रास्फीतिकारी दबावों में पर्याप्त कमी आई; न्यून चालू खाता घाटा (सीएडी) और उच्च पूंजी अंतर्वाह के चलते भारत की बाह्य स्थिति सहज बनी रही. इसके अलावा मूलभूत समष्टि आर्थिक आधार में सुधार, नीतिगत मुद्दों के समाधान के लिए अपनाए गए असंख्य उपायों ने अर्थव्यवस्था के परिदृश्य को सुधारने में महत्वपूर्ण सहायता की है. इस बेहतर परिदृश्य की प्रासंगिक व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक के वृद्धि पूर्वानुमानों में भी की गई है, जिनके अनुसार विश्व की तीव्रतर विकास दर वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत 2015 में चीन से आगे निकल जाएगा. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों का पूर्वानुमान है कि भारत की वृद्धि दर 2015 में 7.5% हो जाएगी. 2016 के लिए वैश्विक एजेंसियों के भिन्न आकलन हैं; जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष के दौरान 7.5% की वृद्धि दर से भारत के बढ़ने का पूर्वानुमान लगाया है वहीं विश्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में 7.9% की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है.

मूलभूत समष्टि आर्थिक आधार में सुधार होने के बावजूद बैंकिंग क्षेत्र का कार्य-निष्पादन अल्प ऋण उठाव, जिससे बैंक की ब्याज आय प्रभावित हुई है, आस्ति गुणवत्ता में गिरावट, साथ ही, आशा से कम वसूलियों से प्रभावित हुआ. इन सभी कारकों ने संचयी रूप से बैंक की लाभप्रदता को प्रभावित किया.

बैंक के शीर्ष पद पर मेरे कार्यकाल का बड़ा भाग वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के प्रतिकूल झंझावातों द्वारा झकझोरे जाने का संपाती रहा, जिसने आपके बैंक के परिचालन वाले क्षेत्र के मूल आधार को क्षति पहुंचाने की निरंतर कोशिश की. यह बैंक की उपलब्धि है कि इसने सराहनीय लचीलेपन के साथ इस तनाव का सामना किया और तीव्र प्रतिस्पर्धी बैंकिंग क्षेत्र में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इन

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors and the Management Team of IDBI Bank, I am pleased to present the Bank's Annual Report for 2014-15 for your perusal. It is with mixed feelings that I write this message as, after serving your Bank for nearly two years and the banking industry for over 38 years, I will be demitting the office by the end of June this year.

Macroeconomic Overview

The last two years, particularly 2013-14, were mired in serial adversity. In the last one year, global economic growth has picked up pace, albeit moderate, with divergent growth rates exhibited across as well as within the advanced and emerging economies groups. Nevertheless, India's GDP growth data suggests that the deceleration in the pace of economic activity has bottomed out, majorly aided by policy reforms. Broadly speaking, industrial activity gathered pace; inflationary pressures eased considerably; India's external position remained comfortable on the back of lower Current Account Deficit (CAD) and higher capital inflows. Besides the improvement in the macroeconomic fundamentals, the myriad measures taken to address policy issues have aided in improving the outlook for the economy significantly. The improved outlook has been pertinently illustrated by the growth forecasts of International Monetary Fund (IMF) and World Bank which estimate that India will overtake China in 2015 to emerge as the world's fastest growing major economy. Both IMF and World Bank have forecast India to grow by 7.5% in 2015. For 2016, the global agencies have varying assessments; while IMF has forecast India to grow by 7.5% during the year, World Bank has forecast 7.9% growth for the economy.

Notwithstanding the improvement in the macroeconomic fundamentals, the banking sector performance was impeded by subdued credit uptake, which impacted the interest income of the banks, as also resulted in deterioration in asset quality, compounded by less-than-expected recoveries. These factors cumulatively impacted the profitability of the banks.

Coinciding with the major part of my term at the helm of the Bank, the global and domestic economy was buffeted by inimical headwinds of varied origin which ceaselessly gnawed at the fundamental entrails of the sectors in which your Bank operates. It is to the credit of the Bank that it withstood the strain with commendable resilience and discovered new windows of opportunity even in this challenging terrain to

चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी नए अवसरों की तलाश की. यह सभी अंशधारकों द्वारा प्रदर्शित सहयोग और समर्थन के कारण ही संभव हो सका है, जिसके लिए मैं सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं.

बैंक की कारोबार रणनीति

बैंकिंग क्षेत्र के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को देखते हुए आपके बैंक ने ऐसे रणनीतिक पहल-कार्यों की शुरुआत करने का प्रयास किया है जो बाह्य आघातों के प्रति बैंक के कारोबार और वित्तीय कार्य-निष्पादन के लिए सुरक्षा-आवरण का काम करेंगे. बाज़ार और अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर प्रतिस्पर्धा करते हुए भी समष्टि आर्थिक परिवेश में बदलावों के प्रति बैंक के उपयुक्त रणनीतिक प्रतिसाद में अपने सभी अंशधारकों के मूल्य में वृद्धि करने संबंधी बैंक की प्रतिबद्धता झलकती है. रणनीतिक पहल-कार्यों के परिणामस्वरूप बैंक ने वर्ष के दौरान अपने कारोबार में सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है. इको-प्रणाली द्वारा प्रस्तुत और बैंकिंग उद्योग के समक्ष उपस्थित चुनौतियों के अलावा आपके बैंक के सामने विकासात्मक बैंकिंग के दिनों से चले आ रहे दीर्घ परंपरागत मुद्दे भी हैं. यह बैंक की रणनीति में ताज़गी भरे नए दृष्टिकोण की मांग करता है.

तदनुसार, बैंक की कारोबार रणनीति में बदलाव किया गया है ताकि औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कारोबार में अपने अग्रणी स्थान को बनाए रखते हुए रिटेल और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कारोबार के क्षेत्रों में विशेष बल देकर कारोबार संमिश्र को पुनर्संतुलित किया जा सके. तीन पहल-कार्य थे (क) पोर्टफोलियो का पुनर्संतुलन, (ख) संरचना पुनर्विन्यास और (ग) बैंक को प्रतिस्थापित करना. इसका प्राथमिक उद्देश्य पोर्टफोलियो के तनाव में कमी करना और रिटेल के हिस्से में वृद्धि करना था.

इन उद्देश्यों के अनुसरण में आपके बैंक ने अपनी शाखाओं और एटीएम नेटवर्क को बढ़ाकर देश भर में अपनी उपस्थिति को तेजी से फैलाया है. वर्ष के दौरान 329 शाखाएं जोड़ते हुए 31 मार्च 2015 को आपके बैंक का नेटवर्क 1717 शाखाओं का था. एक और उपलब्धि हासिल करते हुए आपके बैंक ने 6 अप्रैल 2015 को अपने 3000वें एटीएम का उद्घाटन किया, जो अपनी पहुंच बढ़ाने और देश के हर कोने में बैंकिंग लाभ प्रदान करने की बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

इसके अतिरिक्त, बैंक विकेंद्रीकृत संरचना में रूपांतरित हो गया है ताकि कारोबार वृद्धि में तेजी लाने के लिए ''स्थानीय बनने'' के दृष्टिकोण को पूरी शिद्दत से अपनाया जा सके और इस तरह भारत के टीयर I और टीयर II शहरों, नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में असीम संभावनाओं का भरपूर लाभ उठाया जा सके. इसका निहितार्थ यही है कि बैंक को ऐसी स्थिति में लाया जा सके ताकि वह नए ग्राहक संबंध बनाकर और मौजूदा ग्राहकों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाते हुए अपने बाज़ार हिस्से में वृद्धि के जरिए कम-लागत वाली कासा जमाराशियों और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) संबंधी कारोबार को और बढ़ा सके.

hold its own in the intensely competitive banking arena. This has been made possible only due to the co-operation and support demonstrated by all the stakeholders, for which I express my heartfelt gratitude to all of them.

Business Strategy of the Bank

In view of the challenges confronting the banking sector, your Bank strived to employ strategic initiatives that would serve to bulwark the Bank's business and financial performance against external shocks. The Bank's commitment to enhancing value for all its stakeholders has elicited appropriate strategic response by the Bank to the changes in the macroeconomic environment even as it simultaneously competes in the markets and segments that it serves. As a consequence of its strategic initiatives, the Bank saw positive growth in its business during the year. Apart from the challenges posed by the eco-system and those faced by the banking industry, your Bank has lingering legacy issues, left over from the days of developmental banking. This called for a refreshingly new look in the Bank's strategies.

Accordingly, the Bank's business strategy has been tweaked to allow for rebalancing of its business mix through increased accent on retail and priority sector business segments, even while maintaining its leading position in industrial and infrastructure financing business. The three initiatives were (a) Rebalancing the portfolio, (b) Reorienting the structure and (c) Repositioning the Bank. The primary aim was to reduced the stress in the portfolio and to increase the share of retail.

In pursuance of these objectives, the Bank rapidly expanded its presence across the country by adding to its branch and ATM network. As on March 31, 2015, your Bank's network stood at 1717 branches, marking an addition of 329 branches during the year. Marking yet another milestone, your Bank inaugurated its 3000th ATM on April 6, 2015 which is a reflection of the Bank's commitment to strengthen its outreach and offer banking benefits in every nook and corner of the country.

Furthermore, the Bank transitioned to a decentralized structure, thereby embarking on a bottom up approach to drive business growth by "going local" and thereby, tapping the immense potential in the Tier II and Tier III cities, towns and rural areas in India. The underlying rationale is to position the Bank such as to augment its low-cost CASA deposits and Priority Sector Lending (PSL) business while expanding market share by establishing new customer relationships and deepening the existing ones.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश
Chairman & Managing Director's Message

2014-15 में बैंक द्वारा किए गए मुख्य पहल-कार्य

यद्यपि 2014-15 बैंक के लिए कई मामलों में यादगार रहा, तथापि मैं कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डालना चाहूंगा.

देश की प्रगति में भागीदारी के पचास गौरवशाली वर्ष मनाना

बैंक ने 1 जुलाई 2014 को अपने अस्तित्व के गौरवशाली पचास वर्ष पूरे किए. विगत पांच दशकों में सृजित बैंक की समृद्ध परंपरा को इस वार्षिक रिपोर्ट में समुचित रूप से रेखांकित किया गया है. आपके बैंक की पूर्ववर्ती संस्था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने सुधार-पूर्व काल (1964-91) में संसद-आदेशित 'विकास बैंकिंग' चार्टर के अनुसरण में भारत में व्यापक औद्योगिक विकास को उत्प्रेरित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है. आईडीबीआई की स्थापना देश में औद्योगिक वित्त संस्था की पुनर्गठित एवं एकीकृत संरचना के भाग के रूप में स्वातंत्र्योत्तर काल में तीव्र औद्योगीकरण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई थी. अन्य वित्तीय संस्थाओं के कार्यकलापों की केंद्रीय समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए आईडीबीआई ने औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ गैर-वित्तीय सहायता प्रदान कर अपने कार्यों के दायरे में विस्तार किया, इस प्रकार देश के आर्थिक इतिहास का निर्माण किया. अतः बैंक के अस्तित्व के पचास वर्ष पूरे होने के अवसर पर 1 जुलाई 2014 को प्रधान कार्यालय में फ्लैगशिप इवेंट की शुरुआत के साथ स्वर्ण जयंती उत्सव के भाग के रूप में विभिन्न कार्यकलाप किए गए ताकि आपके बैंक के अंशधारकों के साथ जुड़ा जा सके. बैंक की राष्ट्र-निर्माण परंपरा का अनुसरण करने वाले ये कार्यकलाप *''दोस्ती के 50 वर्ष का उत्सव''* की निहित थीम पर आधारित और बैंक की ब्रांड पोजिशनिंग 'बैंक ऐसा, दोस्त जैसा' को सटीक रूप से शामिल किए हुए थे. बैंक ने इस अवसर पर विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की शुरुआत की और साथ ही अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न शाखाओं का उद्घाटन भी किया. इसके अतिरिक्त, जागरूक कॉरपोरेट नागरिक के रूप में आपके बैंक ने ''आईडीबीआई बैंक स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति निधि'' नामक स्थायी निधि सृजित करने के लिए रामकृष्ण मिशन को ₹ 5 करोड़ का अंशदान किया, जिसका उपयोग रामकृष्ण मिशन स्कूल में पढ़ने वाले समाज के कमजोर वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए किया जा रहा है. इस अवसर पर बैंक द्वारा सुधार-पूर्व काल में अर्थव्यवस्था में औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को उत्प्रेरित करके राष्ट्र निर्माण में निभाई गई भूमिका और साथ ही संतुलित एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को भी याद किया गया.

वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में दृढ़तापूर्वक कार्य

राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका की परंपरा को आगे निभाते हुए आपके बैंक ने देश के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम में अपनी सहभागिता को सक्रियता

Major Initiatives undertaken by the Bank in 2014-15

While 2014-15 was momentous for the Bank on many fronts, I would like to highlight some of the important milestones.

Celebrating Fifty Glorious Years of Partnering in the Nation's Progress

The Bank completed fifty glorious years of its existence on July 1, 2014. The rich legacy of the Bank that it has created over the last five decades has been aptly captured in this Annual Report. In the pre-reform era (1964–91), your Bank's predecessor entity, the Industrial Development Bank of India (IDBI), played a pioneering role in catalyzing broad-based industrial development in India in keeping with its Parliament-ordained 'development banking' charter. IDBI was set up as part of a reorganised and integrated structure of industrial financing institutions in the country, geared to the needs of rapid industrialisation in the post-Independence period. Acting as the central agency co-ordinating the activities of other financial institutions, IDBI extended its ambit of functions to facilitate financial assistance as also non-financial aid to the industrial and infrastructure sectors thereby shaping the economic history of the country. Thus, to mark the completion of fifty years of existence of the Bank, various activities, beginning with a flagship event at the Head Office on July 1, 2014, were undertaken as a part of the Golden Jubilee celebrations to connect with your Bank's stakeholders. The activities, in keeping with the Bank's legacy of nation-building, were based on the underlying theme of *"celebration of 50 years of friendship"* and aptly incorporated in the Bank's brand positioning as 'Bank Aisa, Dost Jaisa'. The Bank took the opportunity to launch various products and services as also inaugurated various branches pan-India. Furthermore, the Bank, as a conscientious corporate citizen, contributed ₹ 5 crore to Ramakrishna Mission towards creation of an endowment fund named "IDBI Bank Golden Jubilee Scholarship Fund" which is being used to provide scholarships to the students of Ramakrishna Mission Schools who belong to weaker sections of the society. The occasion was reminiscent of the nation-building role that the Bank has essayed by catalysing industrial and infrastructure investment in the economy in the pre-reform era as well as its commitment to ensure balanced and inclusive economic growth.

Steadfastly Working towards Financial Inclusion

With a legacy of nation-building role, the Bank has continued to proactively participate in the financial inclusion programme

से जारी रखा. बैंक ने अपनी तरफ से सुनिश्चित किया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना(पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री की बैंकिंग सुविधाओं तक सबकी पहुँच की परिकल्पना को और आगे बढ़ाया जाए. बैंक ने 31 मार्च 2015 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 9.29 लाख खाते खोले.

स्वच्छ भारत विजन को बढ़ावा

आपके बैंक ने देश भर के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र के स्कूलों में छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण करके और स्वच्छ भारत कोष (एसबीके) में अभिदान देकर स्वच्छ भारत मिशन में भी सहभागिता की. स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत बैंक लगभग ₹ 4 करोड़ की लागत से 154 स्कूलों में 236 शौचालयों का निर्माण करेगा. इसके साथ ही, बैंक ने स्वच्छ भारत कोष में ₹ 5 करोड़ का अंशदान भी किया.

आपके बैंक के इन पहल कार्यों तथा साथ ही वर्ष के दौरान शुरू किए गए कई अन्य पहल कार्यों की जानकारी इस रिपोर्ट के निदेशक रिपोर्ट और प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण खंड में भी दी गई है.

ब्रांड पहचान

बैंक की चाहत हमेशा श्रेष्ठता को प्राप्त करना है. यह विशेष रूप से सुखद है कि वर्ष के दौरान आपके बैंक के कई पहल कार्यों तथा मध्यवर्ती कार्यों की संबंधित मंचों पर सराहना की गई.

बैंक को पुरस्कार और सम्मान मिलने के अलावा, इसके ब्रांड निर्माण प्रयासों में उल्लेखनीय सुधार हुए जो विभिन्न एजेंसियों द्वारा संकलित ब्रांड रैंकिंग में दिखाई देता है. मिलवार्ड ब्राउन (ब्रांड ज़ेड) और इंटरब्रांड जैसे अग्रणी वैश्विक अनुसंधान संस्थानों ने भारत के सभी क्षेत्रों की शीर्ष 50 ब्रांडों में बैंक को स्थान दिया है. अपने अद्यतन रैंकिंग रिपोर्ट में मिलवार्ड ब्राउन (ब्रांड ज़ेड) ने देश के सभी क्षेत्रों के शीर्ष 50 ब्रांडों में आईडीबीआई बैंक को 39वां स्थान प्रदान किया है, जबकि इंटरब्रांड रैंकिंग के अनुसार, देश के सभी क्षेत्रों के शीर्ष 50 ब्रांडों में बैंक 37वें स्थान पर है. ब्रांड फ़ाइनेंस बैंकिंग 500 - ब्रांड फ़ाइनेंस द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान बैंकिंग ब्रांड रिपोर्ट ने बैंक को वैश्विक रूप से 255वें स्थान और भारत में 9वें स्थान पर रखा है. ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2015 ने आपके बैंक को सभी क्षेत्रों में 64वें स्थान पर रखा है, जबकि बीएफ़एसआई एवं सरकारी क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में इसे क्रमशः 5वें और 2रे स्थान पर रखा गया है. बैंक की ब्रांड पहचान एवं मूल्य में सुधार, ब्रांड में बढ़े हुए भरोसे को दर्शाता है जिसका श्रेय अंशतः वर्ष के दौरान यह सूचित करने के लिए शुरू किए गए ब्रांडिंग एवं उत्पाद प्रचारों को जाता है कि आपका बैंक एक ऐसा दोस्त है जो अपने ग्राहकों के साथ सदैव खड़ा रहेगा.

of the country. Your Bank extended itself to ensure that the Hon'ble Prime Minister's vision of universal access to banking facilities under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) is furthered. The Bank, as on March 31, 2015, opened 9.29 lakh accounts under the programme.

Furthering the Vision of Clean India

Your Bank has also participated in the Swachh Bharat Mission by undertaking construction of gender-segregated toilets in schools in rural and semi-urban areas pan-India and subscribing to Swachh Bharat Kosh (SBK). Under Swachh Bharat Swachh Vidyalaya Abhiyan, the Bank will be constructing 236 toilets in 154 schools at an estimated outgo of about ₹ 4 crore. Further, the Bank has also contributed an amount of ₹ 5 crore to Swachh Bharat Kosh.

These initiatives as well as many other initiatives undertaken by the Bank during the year have been further documented in the Directors' Report as well as Management Discussion and Analysis section of this Report.

Brand Recognition

As the Bank aims at excellence, it is particularly gratifying that several of your Bank's initiatives and interventions during the year were feted and recognized at the relevant forums.

In addition to the awards and accolades won by the Bank, its brand building efforts saw significant improvement in its brand rankings compiled by various agencies. Leading global research organisations like Millward Brown (Brand Z) and Interbrand place the Bank among the top 50 brands in India across sectors. In their latest ranking report, Millward Brown (Brand Z) pegs the Bank at the 39th position among the top 50 brands in the country across sectors while as per Interbrand rankings, the Bank ranks at the 37th position among the top 50 brands in the country across sectors. Brand Finance Banking 500 - the world's most valuable Banking Brands Report published by Brand Finance - placed the Bank at the 255th position globally and 9th position in India. The Brand Trust Report 2015 ranked your Bank at the 64th position across sectors while in the BFSI and Bank PSU categories, it has been ranked at the 5th and 2nd position respectively. The improvement in the Bank's brand recognition and value is a reflection of the enhanced trust in the Brand which, in part, is attributable to the branding and product campaigns undertaken during the year to communicate that your Bank is a friend who will stand by its customers at all times.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश
Chairman & Managing Director's Message

आगे की राह

बैंक के साथ अपने प्रगाढ़ सम्बन्धों के अंतिम पड़ाव पर मैं गुजरे वक्त की यादों से घिर गया हूँ लेकिन साथ ही भविष्य के प्रति आशा से प्रफुल्लित भी हूँ. मुझे अपने बैंक से बहुत अपेक्षाएँ हैं, क्योंकि मुझे इसमें असीम संभावनाएं दिखाई देती हैं. जैसे ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में अंशांकित किन्तु कुछ हद तक असमान सुधार होता है और देशी अर्थव्यवस्था अपने उत्थान तथा सुधारों के अनुकूल रुख, उत्साहजनक स्थूल आर्थिक स्थितियों और उपभोक्ताओं/निवेशकों में विश्वास की वापसी का फायदा उठाने की ओर अग्रसर प्रतीत होती है, आपका बैंक अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए और विगत समय की अपेक्षा निश्चित रूप से अधिक सक्रिय रूप से अपने कार्यनिष्पादन में तेजी लाने के लिए स्वयं को तैयार कर लेगा. बैंक की कारोबार रणनीति को उभरते सकारात्मक परिचालन परिवेश और साथ ही विकासशील विनियामक परिवेश द्वारा उत्तरोत्तर नया आकार दिया जाता रहेगा.

बैंक की कारोबार रणनीति का मूल मंत्र तेजी से बढ़ते अपने शाखा और एटीएम नेटवर्क तथा साथ ही डिलीवरी के वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से अपने ग्राहकों को निर्बाध एवं उच्च स्तरीय उत्पाद एवं सेवाएँ प्रदान कर इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित करना है. नवोन्मेषी उत्पाद उपायों, बेहतर प्रतिलाभ का वादा, ग्राहक सेवा के उच्च स्तर तथा आकर्षक पुरस्कार कार्यक्रमों जैसी अन्य रणनीतिक पहलों के साथ शाखा नेटवर्क के विस्तार को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि बैंक अपनी कासा जमाराशियां बढ़ाने और अपने पीएसएल पोर्टफोलियो में तेजी लाने में सफल हो सकेगा. बैंक के कारोबार में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नए उत्पाद और सेवाएँ शुरू की जाएंगी और साथ ही बदलती ग्राहक जरूरतों के अनुरूप मौजूदा उत्पादों एवं सेवाओं की समीक्षा की जाएगी. बैंक आस्तियों की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रयास करेगा और दोषपूर्ण आस्तियों के त्वरित समाधान की दिशा में कार्य करेगा. साथ ही, शुल्क आधारित आय के अवसर बढ़ाने के उपायों की संभावनाओं का पता लगाकर बैंक बैंकिंग के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में अपनी लाभप्रदता के मार्जिन में सुधार लाने में सक्षम होगा.

उत्पादों पर आधारित एक ऐसे उद्योग में जहां उत्पाद अपने मूल स्तर पर मुख्यतः एक समान होते हैं, आपका बैंक अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार के तौर-तरीकों में निरंतर सुधार लाकर प्रतिस्पर्धा से स्वयं को अलग रखना चाहता है. इस प्रकार बैंक सभी डिलीवरी चैनलों में उत्कृष्ट ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है. इस दिशा में बैंक उच्चतम स्तर की ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न डिलीवरी चैनलों में नवोन्मेषी उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता रहेगा.

भारत की प्रगति में भागीदार बनने की प्रक्रिया में पांच दशकों में कड़ी मेहनत के साथ निर्मित उत्कृष्ट ब्रांड इक्विटी, प्रमाणित कौशल सेट तथा रणनीतिकारी क्षमता, बैंक की एक खास विशेषता इसके युवा व उत्साही

Way Forward

As I approach the end of my enriching association with the Bank, I am consumed by nostalgia but buoyed by hope. I have great expectations of the Bank as I discovered immense potential within it. As the global economy fashions a calibrated if somewhat spatially asymmetric recovery and the domestic economy seems poised to leverage their upside and the tailwinds of reforms, buoyant macro-fundamentals and rebound in consumer/investor confidence, your Bank readies itself to consolidate its position and invest its performance with a decidedly more vibrant pallor than in the recent past. The Bank's business strategy will continue to be progressively shaped by emerging positive operating environment as well as the evolving regulatory environment.

The core of the Bank's strategies is to ensure long-term sustainability in the highly competitive environment by offering best-in-class bouquet of products and services to its customers across its rapidly expanding branch and ATM network as well as through seamless service across the alternate channels of delivery. By complementing the expanding branch network with other strategic initiatives such as innovative bundling, promise of better returns, higher levels of customer service and attractive rewards programmes, I am confident that the Bank will be able to augment its CASA deposits as well as drive growth in its PSL portfolio. To support growth in the Bank's business, various new products and services will be launched as well as existing ones will be reviewed in tandem with the evolving customer needs. The Bank will resolutely endeavor to arrest slippage in asset quality and work towards speedy resolution of delinquent assets. Simultaneously, by exploring ways and means to augment fee income opportunity, the Bank will be able to improve its profitability margin in the highly competitive field of banking.

In an industry built around products that, at their most basic level, are largely homogenous, your Bank aims to differentiate itself from competition by continuing to improve the way it engages with its customers. Thus, the Bank strives to ensure par excellence customer experience across all channels of delivery. Towards this end, the Bank will continue leveraging its state-of-the-art technology to offer innovative products and services across various delivery channels to ensure highest level of customer satisfaction.

An enviable brand equity assiduously built over five decades in the process of partnering India's progress, a proven skill-set and strategizing capabilities, a young and enthusiastic

मानव संसाधन, अधिक समृद्धशाली भविष्य की दिशा में ये सभी बैंक को निश्चित रूप से नई बुलंदियों की ओर ले जाएंगे. मेरा यह मानना है कि बैंक वृद्धि एवं संपन्नता के इस अभियान में राष्ट्र का एक भरोसेमंद भागीदार बना हुआ है लेकिन समसामयिक रूप से सार्थक संस्था होने के लिए एक अलग अवतार में. बैंक का पक्का विश्वास है कि यह अपने ग्राहकों के लिए बेहतर सेवा प्रदान करने का भरसक प्रयास करेगा, इससे ग्राहकों की अटूट निष्ठा का मार्ग प्रशस्त होगा और इस प्रकार यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बैंकिंग क्षेत्र में स्वयं के लिए एक खास स्थान बनाने में कामयाब होगा.

आभार

राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में विगत कई वर्षों से एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाने वाले बैंक के सर्वोच्च पद पर रहना मेरे लिए सचमुच गर्व की बात है. अब जब मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है, मैं भारत सरकार और साथ ही विभिन्न राज्य सरकारों, रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी सांविधिक एवं विनियामक प्राधिकरणों और अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा बहुपक्षीय संस्थाओं को उनके सतत सहयोग एवं समर्थन तथा मूल्यवान मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिनसे बैंक को वांछित दिशा की ओर ले जाने में मुझे भरपूर सहायता मिली है. मैं बैंक के ग्राहकों के प्रति, जिनके सतत विश्वास से हमें वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में सहायता मिली है, बैंक के निदेशक मंडल के प्रति उनकी सेवाओं के लिए और साथ ही उनके निरंतर परामर्श और सहयोग के लिए, कार्य के प्रति समर्पित एवं उत्साही बैंक के कर्मचारियों के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ. अंत में मैं आप सभी के विश्वास और निष्ठा के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिसकी वजह से बैंक की प्रगति में सहायता मिली है. मैं आपसे सतत सहयोग और निष्ठा की आकांक्षा करता हूँ ताकि हम साथ मिलकर बैंक को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकें और सभी अंशधारकों का मूल्यवर्धन कर सकें.

आपको और आपके परिजनों को शुभकामनाओं सहित,

एम.एस. राघवन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

soft resource complement, that characterize the Bank, would certainly galvanize it to take the Great Leap Forward towards a more prosperous tomorrow. To my mind, the Bank continues to be the trusted partner of the nation in its quest for growth and prosperity, but only in a different avatar, to be a contemporaneously relevant entity. The Bank fundamentally believes that it should strive to do right for the customers it serves and this would lead to unwavering customer loyalty, thereby enabling it to carve a 'niche' for itself in the highly competitive field of banking.

Acknowledgements

It was indeed my privilege of being at the helm of a bank that has over the years played a catalytic role in the economic progress of the nation. As my tenure comes to a close, I would like to thank the Government of India as well as various State Governments, RBI and all other statutory and regulatory authorities and other banks, financial institutions and multilateral institutions for their continued timely support and co-operation as well as valuable guidance which helped me to steer the Bank towards a desired direction. I would also like to express my gratitude to the Bank's customers for their continued trust in us for helping them achieve financial well-being; to the Bank's Board of Directors for their service as well as for their continuing counsel and support; to the Bank's employees who are committed and enthusiastic about their work. Last, but not the least, I would like to express my gratitude to you for the confidence and belief you have shown that has enabled the Bank to progress thus far. I solicit your continued loyalty and support so that we can together propel the Bank to a new high and maximise value for all stakeholders.

With best wishes to you and your families,

M. S. Raghavan
Chairman & Managing Director

''संकल्प और ध्येय के बीच अथाह जोश होता है. हर संभव तरीके से आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक.''

"Between vision and mission lies unbridled passion. Helping build modern India in every possible way."

भारत के विकास में उत्प्रेरक. 50 वर्ष और उससे आगे.
Catalyst for India's growth. 50 years and beyond.

वित्तीय संरचना का निर्माण
Building Financial Architecture

वित्तीय संस्थाएं संभाव्य प्रयोक्ताओं को सुनियोजित तरीके से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी हैं. पिछले पाँच दशकों से आईडीबीआई बैंक ने न केवल परियोजना वित्तपोषक के रूप में बल्कि वित्तीय और अंतरर्राष्ट्रीय मानकों वाली पूंजी बाजार संस्थाओं के निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभाई है. प्रारंभिक दिनों में इसके मार्गदर्शन में न केवल सुदृढ़, विविध और प्रभावी औद्योगिक ढांचे की स्थापना में सहायता मिली बल्कि समूची प्रक्रिया को इससे गुणात्मक आयाम भी मिला.

आईडीबीआई ने एक्ज़िम बैंक, एनईडीएफआई, एआरसीआईएल आदि जैसी संस्थाओं के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई और देश की वित्तीय संरचना को हमेशा के लिए रूपांतरित कर दिया. बैंक ने पूंजी बाजार के व्यवस्थित और कारगर संचालन के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई), अभिरक्षा सेवा प्रदान करने के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसएचसीआईएल) और कागज-रहित स्वरूप में प्रतिभूतियां प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) जैसे संगठनों की स्थापना में सहायता की है. बैंक द्वारा प्रवर्तित अन्य संस्थाओं में क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लि. (केयर), भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) आदि शामिल हैं.

Financial Institutions are responsible for assigning financial resources in a planned way to the potential users. For the last five decades, IDBI Bank played a pioneering role in promoting industrial growth, not just as a project financier but also as an entity that helped spawn financial and capital market institutions of international standards. Its guidance in the early days was not only instrumental in establishing a strong, diversified and efficient industrial framework but also added a qualitative facet to the entire process.

IDBI took the lead in establishing institutions like the EXIM Bank, NEDFi, ARCIL etc. and transformed the financial architecture of the country forever. The Bank helped institute organisations aimed at orderly and efficient functioning of the capital market like National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Stock Holding Corporation of India Ltd. (SHCIL) for providing custodial services and National Securities Depository Ltd. (NSDL) for providing securities in dematerialised form. Other institutions promoted by the Bank include Credit Analysis and Research Ltd. (CARE), Clearing Corporation of India Limited (CCIL), etc..

उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लि. भवन

The North Eastern Development Finance Corporation Ltd. building

एक्ज़िम बैंक अपने वैश्विक प्रयासों में एसएमई सहित भारतीय उद्योगों की साझेदारी में मुख्य भूमिका निभा रहा है.

केयर रेटिंग्स वित्तीय क्षेत्र, बुनियादी संरचना क्षेत्र, कॉरपोरेट, सार्वजनिक वित्त और एमएसएमई क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए रेटिंग प्रदान करती है.

एनएसई भारत का सबसे बड़ा प्रतिभूति एक्सचेंज है जो इक्विटी, कॉरपोरेट ऋण, केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, वाणिज्यिक पत्र, सीडी और विनिमय व्यापार निधियों सहित प्रतिभूतियों की ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की सुविधा उपलब्ध कराता है.

एनईडीएफआई भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक और बुनियादी परियोजनाओं के निर्माण में शामिल सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है.

एनएसडीएल भारतीय पूंजी बाजार में डीमटेरियलाइज्ड रूप में धारित और निपटान की गई अधिकांश प्रतिभूतियों का रखरखाव करने वाली प्रतिभूति डिपॉजिटरी है.

EXIM Bank plays a key role in partnering Indian industries, including SMEs, in their globalisation efforts.

CARE Ratings provides ratings in various sectors including financial sector, infrastructure sector, corporates, public finance and MSME spaces.

NSE is India's largest securities exchange offering automated electronic trading of securities, including equity, corporate debt, central and state government securities, commercial paper, CDs, and exchange traded funds.

NEDFi provides financial support to micro, small, medium and large enterprises involved in building industrial and infrastructure projects in the North Eastern region of India.

NSDL is the securities depository, which handles most of the securities held and settled in dematerialised form in the Indian capital market.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

The National Stock Exchange

भारत की बुनियादी संरचना का विकास
Developing India's Infrastructure

आईडीबीआई बैंक ने राष्ट्रीय योजनाओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप भारत में बुनियादी परियोजनाओं के वित्तपोषण के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने के अपने कार्य को पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाई है. चाहे बुनियादी परियोजनाओं के लिए वित्तीय मध्यस्थता की बात हो या बुनियादी मूल्य श्रृंखला में नवीन उत्पादों के माध्यम से मूल्य वृद्धि, बैंक निवेशों पर सर्वोत्तम प्रतिफल प्राप्त करने के लिए कंपनियों की सहायता करने में प्रभावी रहा है. बैंक बुनियादी संरचना के विकास में निवेश को समर्थन देने वाली नीतियों और विनियामक ढांचे के निर्माण हेतु सरकारी निकायों को सलाह और सहायता देने का कार्य भी करता है.

बैंक के पास क्षेत्र विषयक ज्ञान से संपन्न अधिकारियों से युक्त एक समर्पित वर्टिकल अर्थात् इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेट ग्रुप (आईसीजी) है जो अपनी शाखाओं के माध्यम से पूरे देश भर में परियोजनाओं की संरचना और सहायता करता है. इन शाखाओं की सहायता के लिए परियोजना मूल्यांकन टीम हैं जो बुनियादी संरचना निर्माण परियोजनाओं में शामिल ग्राहकों को सम्पूर्ण समाधान उपलब्ध कराती हैं.

आज आईडीबीआई बैंक के इन्फ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो में शहरी बुनियादी परियोजनाओं, लॉजिस्टिक्स आदि के साथ-साथ 50,000 से अधिक मेगावॉट के समग्र उत्पादन क्षमता वाली विद्युत परियोजनाएं, 500 मिलियन से अधिक ग्राहकों को सेवा देने वाली दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियाँ, पूर्वी और पश्चिमी तट के बंदरगाहों को कवर करने वाली 7,000 किमी से अधिक की राजमार्ग परियोजनाएं, पाँच मिलियन ग्राहकों को सेवा देने वाली विद्युत वितरण कंपनियाँ, मेट्रो रेलवे परियोजनाएं, देश के चुनिंदा निजी क्षेत्र द्वारा परिचालित हवाई अड्डे आदि सम्मिलित हैं. नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी बैंक की प्रमुख भूमिका है जिसके पास इस क्षेत्र में लगभग 1,000 मेगावॉट की उत्पादन क्षमता के 25 से अधिक परियोजनाओं का पोर्टफोलियो है.

IDBI Bank has played a pioneering role in achieving its task of promoting growth through financing of infrastructure projects in India, in consonance with national plans and priorities. Whether it is financial intermediation for infrastructure projects or adding value through innovative products to the infrastructure value chain, the Bank has been influential in aiding companies to get the best return on investments. The Bank also works with government bodies to advise and assist them in composing policy and regulatory frameworks that support investment in infrastructure development.

The Bank has a dedicated vertical viz. Infrastructure Corporate Group (ICG), manned by officials with specialised domain knowledge, to structure and assist projects across the country through its branches. These branches are supported by the Project Appraisal Team offering end-to-end solutions to clients engaged in setting up infrastructure projects.

IDBI Bank's infrastructure portfolio today includes power projects with aggregate generation capacity of over 50,000 MW, telecom service providers catering to over 500 million subscribers, highway projects covering more than 7,000 km, sea-ports on the Eastern and Western coast, power distribution companies serving a base of 5 million consumers, metro railway project, select private sector operated airports of the country, besides a host of projects in urban infrastructure, logistics, etc. The Bank is also a major player in the area of renewable energy, having a portfolio of more than 25 projects in the sector with a generation capacity of about 1,000 MW.

जीएमआर वसावी डीज़ल पॉवर प्लांट. आईडीबीआई बैंक द्वारा वित्तपोषित पहले बिजली संयंत्रों में से एक बिजली संयंत्र.

GMR Vasavi Diesel Power Plant. One of the first power plants financed by IDBI Bank.

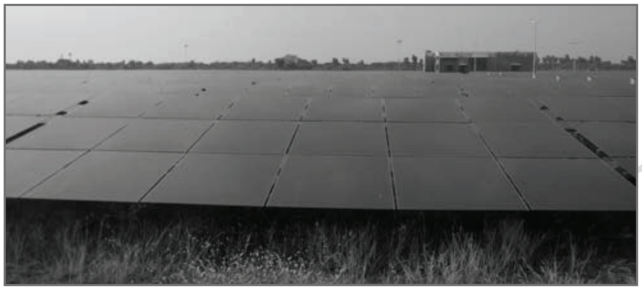

सफायर इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. द्वारा स्थापित सोलर प्लांट. आईडीबीआई बैंक द्वारा वित्तपोषित पहला सोलर प्लांट.

Solar plant set up by Sapphire Industrial Infrastructure Pvt. Ltd. The first solar plant financed by IDBI Bank.

समुदायों का संरक्षण
Safeguarding Communities

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व 50 वर्ष पूर्व हमारी स्थापना से ही सदैव हमारी सभी गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहा है. इसके अनिवार्य बनाए जाने से काफी पहले से ही यह हमारे लिए एक प्रेरक शक्ति रहा है. हमारा उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्गों को समय पर वित्तीय सहायता और नवोन्मेष वित्तीय मध्यस्थता द्वारा सशक्त बनाना है. हम इसका ध्यान रखते हैं कि हमारी गतिविधियों का हमारे परिवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा हम स्थायी और समावेशी कारोबारी पद्धतियों के प्रति अपनी निष्ठा को लेकर गंभीर हैं.

इस क्षेत्र में किए गए पहल कार्यों में निम्न शामिल हैं :

शिक्षा

- हमने 1981 में अंबरनाथ, महाराष्ट्र में नेत्रहीनों के लिए एनएबी-आईडीबीआई पॉलिटेक्निक की स्थापना की.
- यह पॉलीटेक्निक दृष्टिबाधित उद्यमियों के लिए है, जो भविष्य में स्वतंत्र उद्योगपतियों के रूप में उभरेंगे. उनके विकास के लिए यह देश में अपनी तरह का पहला संस्थान है.

राहत एवं पुनर्वास

- 1993 में लातूर जिले में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित समुदाय के सामाजिक विकास में योगदान. बैंक ने 6 से 7 महीनों के रिकॉर्ड समय के भीतर शिरसाल टांडा गाँव में रोड तक पहुँच सहित 65 घरों का निर्माण करवाया.
- 2001 में कच्छ, गुजरात में आए भूकंप के समय राहत एवं पुनर्वास कार्यों अर्थात् अस्पतालों, आवासों और बुनियादी सुविधाओं में योगदान दिया.
- प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी (2004), उत्तराखंड में अचानक आई बाढ़ (2013) और ओड़िशा के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों (2013) में प्रभावित पीड़ितों को सहायता प्रदान की.
- टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) और लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद (2011) के सहयोग से लद्दाख के बाढ़ से प्रभावित तारु गाँव के विकास में सहायता प्रदान की.

Corporate Social Responsibility lies at the heart of all our activities at IDBI Bank since our establishment 50 years ago. It has been our guiding force long before it became a reporting mandate. Our aim is to empower society's most vulnerable sections through timely economic support and innovative financial intervention. We care about how our actions impact our planet and are serious about our dedication to sustainable and inclusive business practices.

Some of our initiatives in this arena include:

Education

- Establishment of the NAB-IDBI Polytechnic for the Blind at Ambernath, Maharashtra in 1981.
- The polytechnic was the first in the country meant exclusively for the development of visually-challenged entrepreneurs who would in due course emerge as independent industrialists.

Relief and Rehabilitation

- Contributed to the social development and for the community affected by natural calamity in Latur District in 1993. The Bank constructed 65 houses for Shirsal Tanda village along with access roads in a record time of 6 to 7 months.
- Contributed towards relief and rehabilitation work like construction of hospitals, houses and basic infrastructure during the earthquake in Kutch, Gujarat in 2001.
- Extended a helping hand to victims affected by natural calamities such as Tsunami (2004), flash floods in Uttarakhand (2013) and Cyclone-hit Odisha (2013).
- Supported reconstruction of the flood-affected Taru village in Ladakh, in association with Tata Institute of Social Sciences (TISS) and Ladakh Autonomous Hill Development Council (2011).

पुनर्वास के बाद तारु, लद्दाख स्थित सामान्य सुविधा केंद्र.

Common Facility Centre post rehabilitation at Taru, Ladakh.

श्री एन. एन. पै, तत्कालीन अध्यक्ष आईडीबीआई 25 अगस्त 1981 को नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड (एनएबी) को चेक देते हुए.

Shri N. N. Pai, then Chairman, IDBI, handing over a cheque to the National Association for the Blind (NAB) on August 25, 1981.

एसएमई को समर्थ बनाना
Enabling SMEs

लघु और मध्यम उद्यम किसी भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तथा नवोन्मेषी उद्यमिता एवं विशेषज्ञता के प्रमुख स्रोत होते हैं. आईडीबीआई बैंक यह मानता है कि त्वरित एवं समावेशी विकास के लिए और 'मेक इन इंडिया' अभियान को सफल बनाने हेतु इस क्षेत्र का मजबूत प्रदर्शन अनिवार्य है.

आईडीबीआई बैंक ने मई 1986 में लघु उद्योग विकास निधि (एसआईडीएफ़) की स्थापना द्वारा लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास में विशेष रुचि दिखाई. एसएमई क्षेत्र में सहायता की उपलब्धता को बढ़ाने और उसके एकीकरण के लिए एसआईडीएफ केंद्र बिन्दु के रूप में कार्य करता है. यह नए औद्योगिक अवसरों की पहचान और उद्यमियों को व्यापक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने संबंधी गतिविधियों के लिए वित्तपोषण करता है. 1990 में एसआईडीएफ के परिचालनों को अलग करते हुए इसे पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में परिवर्तित कर दिया गया.

बैंक ने लघु एवं मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1950 में राज्य वित्तीय निगमों (एसएफसी) की स्थापना की. आईडीबीआई राज्य वित्तीय निगम को उनके मीयादी जमाओं के संबंध में 100% पुनर्वित्त प्रदान करता रहा है. इससे एसएफसी अपनी निधियों के मुख्य स्रोत के रूप में आईडीबीआई के पुनर्वित्त पर बहुत अधिक निर्भर हैं.

Small and Medium Enterprises are the backbone of an economy and a key source of entrepreneurial innovation and expertise. IDBI recognises that a strong performance of this sector is essential for achieving rapid and inclusive growth and important for making 'Make in India' campaign successful.

IDBI had shown particular interest in the development of small-scale industries by the setting up of the Small Industries Development Fund (SIDF) in May 1986. SIDF provided a focal point for integrating and expanding the flow of assistance to the SME sector. It financed activities for recognising new industrial opportunities and broadened training facilities to entrepreneurs. The operations of SIDF were hived off in 1990 into a wholly-owned subsidiary Small Industries Development Bank of India (SIDBI).

State Financial Corporations (SFCs) were set up in 1950s as specialised state-level institutions for providing term finance to small and medium-sized industrial units. Besides equity support, IDBI provided upto 100% refinance to SFCs in respect of their term loans. SFCs, in turn, had increasingly relied upon IDBI's refinance as their major source of funds.

आईडीबीआई बैंक से सहायता प्राप्त लघु उद्योग इकाई

An SSI unit assisted by IDBI Bank

क्षमता निर्माण
Building Capacities

भारत में ग्रामीण युवाओं, विशेषकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले युवाओं के लिए पर्याप्त संख्या में रोजगार अवसर निर्मित करने की अत्यधिक आवश्यकता है. आईडीबीआई बैंक ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए स्थाई जीविकोपार्जन को नए फोकस के रूप में शामिल कर अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जो इसकी विस्तृत रणनीति का हिस्सा है जिससे निम्न आय वाले भारतीयों को सक्षम बनाया जा सके ताकि वे राष्ट्र के विकास में भागीदार होकर उससे लाभ ले सकें.

बैंक ने ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के सातारा जिले में आईडीबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आईडीबीआई-आरएसईटीआई) की स्थापना की है. संस्थान से बड़ी संख्या में प्रशिक्षित उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण उपरांत स्वयं के उपक्रम आरंभ किए हैं, जो प्रभावी तरीके से चल रहे हैं. संस्थान ने 31 मार्च 2015 तक 84 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर 2,121 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित किया.

In India, there is a vital need to create adequate employment opportunities for rural population, particularly those below the poverty line. Given this challenge, IDBI Bank widened the scope of its work to include a new focus on sustainable livelihood – part of its comprehensive strategy for enabling low-income Indians to partake in and benefit from the nation's growth.

The Bank set up IDBI Rural Self Employment Training Institute (IDBI RSETI) at Satara in Maharashtra with an aim to impart skills to rural youth. A large number of the trained aspirants from the institute have subsequently started their own ventures, which are running efficiently. The institute has trained 2,121 unemployed youth till March 31, 2015 by conducting 84 training programmes.

आरएसईटीआई का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार पहल करने के लिए कुशल बनाने अथवा कौशल उन्नयन के जरिए लाभप्रद रोजगार प्रदान करना है.

The key purpose of the RSETI is to impart skills among rural youth for taking up self-employment initiatives or gainful employment through skill upgradation.

केस स्टडी

श्री विक्रम सदाशिव कदम एक किसान हैं और मालगाँव में जैविक खेती तथा डेयरी संबंधी कार्य करते थे. उन्हें स्थानीय पशु चिकित्सक के माध्यम से आईडीबीआई आरएसईटीआई का पता चला और उन्होंने व्यापक कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप कोर्स में अपना नाम लिखवाया. इस पहल से उन्होंने अब 15 किसानों का समूह बना कर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली है जो मुंबई के लगभग 250 परिवारों को जैविक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करती है.

Case Study

Mr. Vikram Sadashiv Kadam is a farmer and was involved in Organic farming & Dairy in Malgaon. He came to know about IDBI RSETI through a local Veterinary Doctor and enrolled himself for Comprehensive Agriculture & Allied Activity course. Through this initiative, he has now formed a group of 15 farmers and formed a private limited company to supply organic food to a customer base of about 250 families in Mumbai.

उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और उद्योगों को पोषित करना
Promoting Entrepreneurship & Nurturing Industries

भारत एक उद्यमशील देश है लेकिन इसके उद्यमियों को अपने कारोबार निर्माण एवं विकास के प्रयासों के लिए संघर्ष करना पड़ता है. उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और कारोबार की स्थापना बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए आवश्यक है. आईडीबीआई बैंक युवा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने तथा सोच एवं विचारों को उचित कारोबारी स्वरूप में ढालने में सहायता करने में विश्वास करता है. यह विनिर्माण उद्योग को मजबूत करने में सहायता कर 'मेक इन इंडिया' के संकल्प को वास्तविक रूप में साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. आईडीबीआई की गतिविधियों का महत्वपूर्ण पहलू उद्यमिता आधार का निर्माण एवं उसे बढ़ावा देना तथा इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए बुनियादी संरचना का निर्माण करना है.

विनिर्माण

- नई परियोजनाओं की संकल्पना, उन्हें तैयार करने और उन्हें आरंभ करवाकर औद्योगिक ढांचे में व्याप्त कमियों को दूर करने के उद्देश्य से उद्योगों की योजना बनाने, उन्हें बढ़ावा देने और उनके विकास में सहायता की.
- उद्योगों को बढ़ावा देने, प्रबंधन और उनके विस्तार में तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया.
- संयंत्र और उपकरण के आधुनिकीकरण के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए चयनित योजनाओं अर्थात् सूती वस्त्रों, जूट, चीनी, सीमेंट और इंजीनियरिंग के लिए सुलभ ऋण योजना शुरू की ताकि उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दिया जा सके.

तकनीकी परामर्श संगठन

आईडीबीआई बैंक ने अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर एसएमई और राज्यस्तरीय निगमों को परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठनों को स्थापित करने की परिकल्पना की है.

India is an entrepreneurial country, but its entrepreneurs have had to struggle to build and grow their business endeavours. Accelerating entrepreneurship and business establishment is necessary for large-scale employment generation. IDBI Bank believes in promoting entrepreneurship and helping convert ideas and thoughts to feasible business propositions. It is playing an important role to help strengthen manufacturing industry to turn 'Make in India' into a reality. An important aspect of IDBI's activities has been creation and widening of entrepreneurial base and building up an infrastructure to support this process.

Manufacturing

- Helped in planning, promoting and developing industries with a view to fill the gaps in the industrial structure by conceiving, preparing and supporting new projects.
- Provided technical and administrative assistance for promotion, management and expansion of industry
- Introduced soft loan scheme for selected schemes viz. cotton textiles, jute, sugar, cement and engineering to overcome the backlog of modernisation of plant and equipment in order to improve their productivity and competitiveness

Technical Consultancy Organisations

IDBI Bank, in association with other financial institutions, envisaged the setting up Technical Consultancy Organisations (TCOs) for providing consultancy services to SMEs and state level corporations.

आईडीबीआई द्वारा सहायता प्राप्त प्लांट में पर्न विंडर असेंब्ली.

Pirn winder assembly at a plant assisted by IDBI.

भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान

आईडीबीआई बैंक ने नए उद्यमियों के लिए उद्यमिता/ प्रबंधकीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 1983 में अहमदाबाद में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई) की स्थापना द्वारा संस्थागत ढांचे के विकास की पहल की है.

उद्यमिता विकास संस्थान

आईडीबीआई बैंक ने अन्य वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के फैलाव को प्रोत्साहन देने, औद्योगिक संभावना का पता लगाने हेतु सर्वेक्षणों और अध्ययनों के लिए उद्यमिता विकास संस्थान (आईईडी) की स्थापना की है.

राज्य औद्योगिक विकास निगम

औद्योगिकीकरण कार्यक्रमों में उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए वर्ष 1960 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा राज्य औद्योगिक विकास निगमों (एसआईडीसी) की स्थापना की गई थी. वर्ष 1976 से आईडीबीआई मझोले आकार की इकाइयों के लिए उनके मीयादी ऋणों के संबंध में एसआईडीसी को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता आ रहा है.

महिला उद्यमियों को सहायता

एक अलग लक्ष्य समूह के रूप में महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत को देखते हुए एक योजना तैयार की गई ताकि उन्हें रियायती शर्तों पर मीयादी ऋण सुविधाओं के साथ-साथ अभिनिर्धारण, चयन, प्रशिक्षण, परामर्शी एवं एस्कार्ट सेवा हेतु एकीकृत सहायता पैकेज उपलब्ध कराया जा सके.

Entrepreneurship Development Institute of India

IDBI Bank initiated the development of an institutional framework by setting up Entrepreneurship Development Institute of India (EDII) in Ahmedabad in 1983 to encourage entrepreneurial/ managerial training programmes for new entrepreneurs.

Institutes of Entrepreneurship Development

IDBI Bank set up Institutes of Entrepreneurship Development (IEDs) in collaboration with other financial institutions to foster the spread of entrepreneurship development programmes, initiating surveys and studies to identify industrial potential.

State Industrial Development Corporations

State Industrial Development Corporations (SIDCs) were established by the State Governments during 1960s to act as catalytic agents in the industrialisation programmes. Since 1976, IDBI had extended its refinance facilities to SIDCs in respect of their term loans to medium-sized units.

Assistance to Women Entrepreneurs

In recognition of the need that women entrepreneurs as a separate target group deserve special attention, a scheme was drawn up to make available an integrated package of assistance providing for identification, selection, training, consultancy and escort service along with term loan facilities on concessional terms.

महिला उद्यमियों के लिए सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण.

Needlework classes for women entrepreneurs.

वित्तीय वर्ष 2014-15 की कुछ प्रमुख गतिविधियां
Some Major Events during FY 2014-15

भुवनेश्वर में अंचल कार्यालय का उद्घाटन

Inauguration of Zonal Office in Bhubaneswar

सीएनबीसी-टीवी18 इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स में माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम.एस. राघवन और अन्य अधिकारीगण.

Hon'ble Finance Minister Shri Arun Jaitley along with CMD, Shri M. S.Raghavan and other dignitaries at CNBC-TV18 India Business Leader Awards.

उप प्रबंध निदेशक श्री बी.के. बत्रा, फिक्की तथा फिक्की-सीएमएसएमई के महासचिव श्री ए. दीदार सिंह के साथ सदस्य एमएसएमई के वित्तपोषण के लिए समझौता ज्ञापन आदान-प्रदान करते हुए

Shri B. K. Batra, DMD, exchanging MoU for financing member MSMEs with Shri A Didar Singh, Secretary General, FICCI and FICCI - CMSME

चेन्नई में विदेशी मुद्रा प्रबंध सम्मेलन

Forex Management Summit in Chennai

आईडीबीआई बैंक के 50 युगांतकारी वर्षों का उत्सव मनाने के लिए आईडीबीआई टॉवर, मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में 50 नई शाखाओं का उद्घाटन.

Inauguration of 50 new branches at an event at IDBI Tower, Mumbai to celebrate 50 epoch making years of IDBI

हिन्दी दिवस समारोह में 'विकास प्रभा' पत्रिका के 102वें अंक का विमोचन करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम.एस. राघवन

Shri M. S. Raghavan, CMD, inaugurating the 102nd issue of Vikas Prabha magazine as part of Hindi Divas Celebration

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की 58वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए.

Paying homage to Dr. Babasaheb Ambedkar on his 58th Death Anniversary

स्टाफ सदस्यों के लिए आईडीबीआई एथलेटिक मीट के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम.एस. राघवन, उप प्रबंध निदेशक श्री एम.ओ. रेगो व अन्य अधिकारी.

Shri M.S. Raghavan, CMD, Shri M. O. Rego, DMD and other officials at the IDBI Athletic Meet for Staff

वित्तीय वर्ष 2014-15 की कुछ प्रमुख गतिविधियां
Some Major Events during FY 2014-15

माहिम शाखा, मुंबई में पहले ई-लाउंज का उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम.एस. राघवन

Shri M.S.Raghavan, CMD, inaugurating the first e-lounge at Mahim branch, Mumbai

आईडीबीआई बैंक का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के साथ समझौता ज्ञापन

IDBI Bank enters into an MoU with Steel Authority of India Limited (SAIL)

मुंबई में नीयर डिजास्टर रिकवरी साइट का उद्घाटन

Inauguration of Near DR Site at Mumbai

आईडीबीआई बैंक द्वारा सिग्नेचर डेबिट कार्ड का शुभारंभ तथा पहला कार्ड श्री ऋषि कपूर को देते हुए

IDBI Bank launches Signature Debit Card and presents the first card to Shri Rishi Kapoor

‘द ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2015’ में सरकारी क्षेत्र के बैंक श्रेणी में सर्वाधिक विश्वसनीय ब्रांड का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम.एस. राघवन

Shri M.S. Raghavan, CMD, receiving the award for the 2nd most trusted Brand in the PSU Bank category in ‘The Brand Trust Report 2015’

चंडीगढ़ में अंचल कार्यालय का उद्घाटन

Inauguration of Zonal Office in Chandigarh

ईशा विद्या ग्रामीण स्कूल, इरोड, तमिलनाडु के उद्घाटन समारोह में उप प्रबंध निदेशक श्री बी.के. बत्रा तथा मुख्य महा प्रबंधक श्री आर.वी. अय्यर

Shri B. K. Batra, DMD and Shri R. V. Iyer, CGM at the inauguration ceremony at Isha Vidhya Rural School, Erode, Tamil Nadu

भारतीय सेना के कर्मियों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई दिल्ली में भारतीय सेना तथा आईडीबीआई बैंक के बीच समझौता ज्ञापन किया गया

Signing of MoU between the Indian Army and IDBI Bank at New Delhi on banking facilities for Indian Army Personnel

वित्तीय वर्ष 2014-15 की कुछ प्रमुख गतिविधियां
Some Major Events during FY 2014-15

प्रधानमंत्री जन धन योजना के एक कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के साथ श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक

Hon'ble Union Minster Shri Nitin Gadkari along with Shri B.K. Batra, DMD, at a programme on Pradhan Mantri Jan DhanYojana

प्रधानमंत्री जन धन योजना के एक कार्यक्रम में उप प्रबंध निदेशक श्री एम.ओ. रेगो

Shri M.O. Rego, DMD, at a programme on Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana

प्रधानमंत्री जन धन योजना के एक कार्यक्रम में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम.एस. राघवन

Shri M. S. Raghavan, CMD at a programme on Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana

रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन से राजभाषा शील्ड पुरस्कार प्राप्त करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम.एस. राघवन तथा महा प्रबंधक (राजभाषा) डॉ. सुनील कुमार लाहोटी

Shri M.S. Raghavan, CMD, and Dr. Sunil Kumar Lahoti, GM (Rajbhasha) receiving Rajbhasha Shield Award from RBI Governor Dr. Raghuram Rajan

सीएसआर पहल के एक भाग के रूप में रहारा, पश्चिम बंगाल में 'आईडीबीआई बैंक गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप फंड' के तहत 17 बच्चों में से एक को स्कॉलरशिप प्रदान करते हुए

Presenting scholarships to one of the 17 students under 'IDBI Bank Golden Jubilee Scholarship Fund' in Rahara, West Bengal as part of CSR initiative

आईडीबीआई टॉवर, मुंबई में स्वच्छ भारत अभियान

Swachh Bharat Mission at IDBI Tower, Mumbai

आईडीबीआई बैंक में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्घाटन तथा इस अवसर पर एक विशेष पत्रिका का विमोचन

Inauguration of Vigilance Awareness Week at IDBI Bank and release of a Special Journal to mark the occasion

आईडीबीआई बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम.एस. राघवन की उपस्थिति में श्री एस. रवि और श्री पंकज वत्स, निदेशक द्वय 6 अप्रैल 2015 को पंजाबी बाग, नई दिल्ली में 3000वें एटीएम का उद्घाटन करते हुए

Shri S. Ravi and Shri Pankaj Vats, Directors of IDBI Bank, in presence of Shri M.S. Raghavan, CMD, inaugurated the 3000th ATM at Punjabi Bagh, New Delhi on April 6, 2015

ब्रांड मूल्य
Brand Value

आईडीबीआई बैंक के ब्रांड निर्माण के प्रयासों से मिल्वर्ड ब्राउन (ब्रांड जेड), इंटरब्रांड, ब्रांड फाइनेंस और ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट द्वारा दी गई रैंकिंग में सुधार हुआ है. ब्रांड जेड के अनुसार सभी क्षेत्रों में देश भर के शीर्ष 50 ब्रांड रैंकिंग में बैंक का 39वां स्थान और इंटरब्रांड रैंकिंग के अनुसार सभी क्षेत्रों में देश के शीर्ष 50 ब्रांडों में 37वां स्थान रहा. इसके अलावा, ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित ब्रांड फाइनेंस बैंकिंग 500 - वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूबल बैंकिंग ब्रांड रिपोर्ट के अनुसार बैंक के पिछले वर्ष के ब्रांड मूल्यांकन में 79% की वृद्धि हुई. बैंक की वैश्विक रैंकिंग सुधर कर 351 से 255 हुई जबकि इसकी भारत की रैंकिंग दो स्थान बढ़ कर 11 से 9 हो गई.

नवीनतम ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार विगत वर्षों के दौरान बैंक की ब्रांड ट्रस्ट रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है. बैंक की रैंकिंग 2013 में 159वीं और 2014 में 85वीं से 2015 में 64वीं हो गई. बीएफएसआई श्रेणी में आईडीबीआई बैंक का 5वां स्थान था जबकि पीएसयू बैंक श्रेणी में इसने अपना दूसरा स्थान बनाए रखा.

The brand building efforts of IDBI Bank led to an improvement in the rankings by Millward Brown (Brand Z), Interbrand, Brand Finance and Brand Trust Report. As per Brand Z, the Bank occupied the 39th position among the top 50 brands in the country across sectors and the 37th position among the top 50 brands in the country across sectors as per Interbrand rankings. Additionally, there was a 79% increase in the Bank's brand valuation over the previous year as per Brand Finance Banking 500 - the world's most valuable Banking Brands Report published by Brand Finance. The Bank's global ranking improved from 351st to 255th while its India ranking moved up two notches from 11th to 9th.

As per the latest Brand Trust Report 2015, the Bank's Brand Trust ranking improved considerably over the years, from 159th in 2013 and 85th in 2014 to 64th in 2015. In the BFSI category, IDBI Bank has been ranked at the 5th position while in the Bank PSU category, it retained its 2nd position.

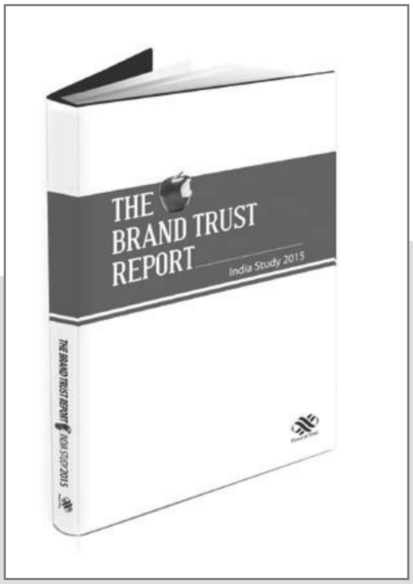

निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके बैंक के निदेशक मंडल को 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपके बैंक के कारोबार तथा परिचालनों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है.

2014-15 में बैंक ने सभी मोर्चों पर बृहत् आर्थिक वातावरण और साथ ही कई अन्य क्षेत्र विशेष कारकों से उत्पन्न महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने के बावजूद अपने कार्य-निष्पादन में प्रगति के लिए प्रयास किये. अपने कारोबार में वृद्धि लाने के लिए बैंक ने संगठनात्मक पुनर्संरचना और मिशन रूपी दृष्टिकोण अपनाने के साथ रणनीतिक पहल कार्यों के माध्यम से इन चुनौतियों का सामना किया. इसके साथ ही बैंक ने अपने शाखा व एटीएम नेटवर्क को तेजी से बढ़ाते हुए अपनी पहुँच बढ़ाई. उच्चतम ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को झंझट मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए अपनी ग्राहक सेवा को श्रेष्ठतम बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया. बैंक अपने नेटवर्क में वृद्धि करते हुए अपना ग्राहक आधार बढ़ाने में भी सफल रहा जिससे सुगम पहुँच उपलब्ध कराते हुए बैंक ने ग्राहक आवश्यकताओं को उचित रूप से पूरा करने के लिए नवोन्मेषी विशेषताओं के साथ बेहतर ग्राहकोन्मुखी उत्पाद एवं सेवाएं पेश कीं. यथा 31 मार्च 2015 को आपके बैंक की कुल जमाराशियां और अग्रिम पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 2,59,836 करोड़ और ₹ 2,08,377 करोड़ रहे. समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं तालिका 1 में प्रस्तुत की गई हैं:

लाभ एवं विनियोग

2014-15 के दौरान आपके बैंक की सकल आय ₹ 32,162 करोड़ रही, जिसमें ₹ 28,154 करोड़ की ब्याज आय तथा ₹ 4,008 करोड़ की अन्य आय शामिल है. कुल व्यय (प्रावधान व आकस्मिताओं को छोड़कर) में ब्याज व्यय ₹ 22,406 करोड़ तथा परिचालन व्यय ₹ 4,027 करोड़ रहे. वर्ष के दौरान कुल ₹ 4,855 करोड़ के प्रावधान किये गये, जिसमें मुख्य रूप से अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों और निवेश के लिए ₹ 3,480 करोड़ शामिल हैं. 2014-15 के दौरान आपके बैंक परिचालनों का कर-पूर्व लाभ ₹ 1,287 करोड़ रहा. कराधान के लिए ₹ 414 करोड़ का प्रावधान करने के बाद कर-पश्चात् लाभ ₹ 873 करोड़ रहा. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर-पश्चात् लाभ का विनियोग तालिका 2 में दिया गया है.

तालिका 1 : वित्तीय विशेषताएं

(₹ करोड़ में)

यथा 31 मार्च की स्थिति	2014	2015
पूंजी	1,603.94	1,603.96
रिज़र्व और अधिशेष	22,034.92	22,712.96
जमाराशियां	2,35,773.63	2,59,835.97
उधार राशियां	60,146.29	61,832.98
अन्य देयताएं और प्रावधान	9,429.57	10,044.69
कुल देयताएं	**3,28,988.36**	**3,56,030.56**
नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	12,711.11	13,035.77
बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय राशि	4,106.80	1,489.99
निवेश	1,03,773.50	1,20,963.21
अग्रिम	1,97,686.01	2,08,376.87
अचल और अन्य आस्तियां	10,710.94	12,164.73
कुल आस्तियां	**3,28,988.36**	**3,56,030.56**
इस अवधि में	**2013-14**	**2014-15**
कुल आय	29,576.27	32,161.62
कुल व्यय (प्रावधान छोड़कर)	23,894.88	26,433.52
प्रावधान (कर छोड़कर)	3,940.26	4,440.78
कर - पूर्व लाभ	1,741.13	1,287.33
कर के लिए प्रावधान*	619.73	413.94
कर - पश्चात् लाभ	1,121.40	873.39

* वर्तमान आयकर और आस्थगित आयकर को घटाकर

तालिका 2 : लाभ का विनियोग

(₹ करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	2014	2015
वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि)	1,121.40	873.39
आगे लाया गया लाभ/(हानि)	903.86	896.77
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ	2,025.26	1770.16
विनियोग		
सांविधिक रिज़र्व में अंतरित	281.00	218.35
पूंजी रिज़र्व में अंतरित	9.32	229.07
सामान्य रिज़र्व में अंतरित	400.00	65.00
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व में अंतरित	250.00	200.00
लाभांश		
- इक्विटी शेयर	160.41	120.30
- लाभांश पर कर	27.76	25.25
तुलन पत्र में ले जाया गया शेष लाभ	896.77	912.19

वर्ष के दौरान ₹ 10 के अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर के लिए प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस) ₹ 5.45 रहा, जबकि मार्च 2015 की समाप्ति तक प्रति शेयर बही मूल्य ₹ 141.24 रहा. निदेशक मंडल ने वर्ष 2014-15 के लिए पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 7.5% के लाभांश की सिफ़ारिश की है.

समेकित वित्तीय विवरण में शामिल सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के कार्य-निष्पादन और वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-21 की अपेक्षानुसार इस वार्षिक रिपोर्ट में शामिल बैंक के समेकित वित्तीय विवरण में सहायक संस्थाओं और अन्य समेकन संस्थाओं के लेखों को शामिल किया गया है.

बैंक पांच कंपनियों में 20% से अधिक लेकिन 50% से कम इक्विटी पूंजी का धारक है. प्रबंधन के अभिमत में इन कंपनियों पर बैंक का पर्याप्त प्रभाव नहीं है. तदनुसार, इन कंपनियों को ''सहायक कंपनी'' नहीं माना गया है और इन कंपनियों के वित्तीय विवरणों को समेकित वित्तीय विवरण में शामिल नहीं किया गया है. इन लेखों में शामिल किए गए संयुक्त उद्यम (आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.) के वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं तथा लेखा-परीक्षा समिति/ बोर्ड के अनुमोदनाधीन हैं.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसार बैंक की सहायक संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के मुख्य वित्तीय विवरणों को दर्शाने वाला विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में अलग से शामिल किया गया है.

यथा 31 मार्च 2015 को बैंक की सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यम के कार्यनिष्पादन और वित्तीय स्थिति को इस रिपोर्ट में निम्नानुसार अनुबद्ध किया गया है.

(₹ '000 में)

संस्था का नाम	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर		लाभ अथवा हानि में हिस्सा	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ अथवा हानि के % के रूप में	राशि
1	2	3	4	5
मूलः आईडीबीआई बैंक लि.	96.62%	24316 91 84	89.43%	873 38 82
सहायक संस्थाएं:				
भारतीय:				
1. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि.	1.26%	316 10 74	1.18%	11 49 78
2. आईडीबीआई इंटेक लि.	0.13%	33 42 79	0.41%	3 97 55

(₹ ‘000 में)

संस्था का नाम	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर		लाभ अथवा हानि में हिस्सा	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ अथवा हानि के % के रूप में	राशि
1	2	3	4	5
3. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि.	0.37%	93 68 67	-2.12%	(20 72 87)
4. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि.	0.00%	90 31	0.02%	22 43
5. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि.	0.45%	113 01 59	3.49%	34 12 22
विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सभी सहायक संस्थाओं में अल्पसंख्यक हित	0.20%	51 19 64	1.58%	15 45 73
सहयोगी कंपनियां (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)				
भारतीय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
विदेशी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
संयुक्त उद्यम				
(आनुपातिक समेकन के अनुसार / इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)				
भारतीय				
1. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.17%	293 44 52	7.60%	74 18 69
विदेशी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	100%	25167 50 46	100%	976 66 62
विलोपन	-3.15%	(792 79 46)	-3.57%	(34 86 73)
निवल कुल	96.85%	24374 71 00	96.43%	941 79 89

नोट: उपर्युक्त सहायक संस्थाओं की कोई सहायक संस्था नहीं है.

आईडीबीआई बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धताएं, यदि कोई हों, जो वित्तीय वर्ष के अंत और बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख के दौरान उत्पन्न हुई हैं:

बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धता नहीं हैं जो बैंक के वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात् 31 मार्च 2015 और निदेशकों की रिपोर्ट की तारीख अर्थात् 26 मई 2015 के दौरान उत्पन्न हुई हों.

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में ब्यौरे:

बैंक के पास वित्तीय विवरणों के संबंध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाएं हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में यथोचित आश्वासन प्रदान करते हैं. इन नियंत्रणों और प्रक्रियाओं को विभिन्न नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रमाणनों के माध्यम से संचालित किया जाता है. इन प्रक्रियाओं और नियंत्रणों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है.

पूंजी पर्याप्तता

आपका बैंक बासेल-III मानदंडों के पिलर-1 दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित रूप में ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिमों के लिए विनियामक पूंजी आवश्यकता का भी परिकलन करता है. बासेल III मानदंडों के अंतर्गत दर्शाई गई उच्च गुणवत्ता पूंजी आवश्यकता के संबंध में, वर्तमान में, आपके बैंक के पास दिशानिर्देशों में निर्धारित विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सामान्य इक्विटी है.

यथा 31 मार्च 2015 को आपके बैंक का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) 11.76% था जो कि न्यूनतम विनियामक अपेक्षा 9% से अधिक है. इसी प्रकार बैंक का सामान्य इक्विटी टीयर-1 (सीईटी 1) अनुपात 7.29% रहा जो कि रिज़र्व बैंक के न्यूनतम मानक सीईटी 1 अनुपात 5.5% से अधिक है. 31 मार्च 2015 को टीयर-1 अनुपात 7.0% की विनियामक अपेक्षा की तुलना में बढ़कर 8.18% हो गया.

बासेल III के अंतर्गत पिलर-2 मानदंडों की अपेक्षाओं के अनुपालन में आपके बैंक के पास आंतरिक पूंजी पर्याप्तता अभिनिर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है जिससे बैंक सामान्य और दबावग्रस्त स्थितियों में जोखिम प्रबंधन के लिए उचित रणनीति विकसित करने के अतिरिक्त पिलर-1 में शामिल नहीं किए गए जोखिमों का आंतरिक निर्धारण और उनका परिमाण निर्धारण करता है. बासेल मानदंडों के अंतर्गत पिलर-3 की अपेक्षाओं के अनुपालन में आपके बैंक ने एक प्रकटन नीति अपनाई है और प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर प्रकटन बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं.

कारोबार रणनीति

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ कारोबारी पोर्टफोलियो को जोखिम रहित करने के उद्देश्य से रिटेल कारोबार और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार बढ़ाते हुए अपने कारोबारी संमिश्र के पुनर्संतुलन पर ध्यान केन्द्रित किया. एक महत्वपूर्ण समर्थकर्ता के रूप में बैंक ने विकेंद्रीकृत पद्धति अपनाकर देश भर के कार्यालयों को अंचल में विभाजित कर अपने संगठनात्मक स्वरूप को पुनर्व्यवस्थित किया. साथ ही, बैंक का कारोबार बढ़ाने के लिए, बेहतर निर्णय लेने के उद्देश्य से अंचल कार्यालयों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं. आपके बैंक ने बैंकिंग कारोबार और इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण में अपना पूर्व वर्चस्व बनाए रखते हुए रिटेल कारोबार और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कारोबार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिये मिशन रूपी दृष्टिकोण अपनाया है. बैंक समाज के सभी वर्गों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने सभी उत्पादों और सेवाओं की श्रृंखला को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है. इन सभी उत्पादों और सेवाओं की आवधिक समीक्षा और इनमें संशोधन किया जाता है और साथ ही आपके बैंक के ग्राहकों की निरंतर बढ़ती मांग के अनुरूप तथा उच्च स्तर की ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए इनमें नवोन्मेषी और ग्राहकोन्मुखी विशेषताएं शामिल की जाती हैं ताकि कारोबार बढ़ाया जा सके.

प्रमुख कारोबारी पहल कार्य

1 जुलाई 2014 को बैंक ने अपने अस्तित्व के 50 युगांतरकारी वर्ष पूरे किए हैं. इसे स्वर्ण जयंती समारोह के रूप में मनाने के लिए इस तारीख से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए. इस अवसर का उपयोग बैंक के विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय संपर्क स्थापित करने के लिए किया गया. हितधारकों के साथ भागीदारी स्थापित करने में बड़ी संख्या में ग्राहकों (रिटेल और कॉरपोरेट दोनों ही), कर्मचारियों, बड़ी संख्या में समाज के लोगों तथा अभिमत निर्माताओं को ध्यान में रखते हुए गतिविधियां शामिल थीं. सभी गतिविधियों का मूल उद्देश्य आईडीबीआई बैंक ब्रांड की पहचान मजबूत करने के साथ-साथ यह दोहराना था कि हम अपने सभी हितधारकों के सच्चे दोस्त हैं ताकि अंतत: उनके ध्यान में बैंक का ब्रांड नाम हमेशा बना रहे. समारोह की शुरुआत प्रधान कार्यालय में 01 जुलाई 2014 के उद्घाटन कार्यक्रम से हुई. आयोजनों के भाग के रूप में बैंक ने अपने सिग्नेचर डेबिट कार्ड की शुरुआत, 50 शाखाओं का ई-उद्घाटन, अंचल इंट्रानेट और अपनी मोबाइल बैंकिंग सेवा का उद्घाटन जैसे अन्य कई नवोन्मेषी पहल कार्यों का शुभारंभ किया. साथ ही बैंक के सभी नौ अंचल मुख्यालयों (अर्थात् मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, बेंगलरु, चंडीगढ़ और नागपुर) में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए. इस अवसर पर एक विशेष लोगो डिज़ाइन कर बैंक के एटीएम, कैलेंडर, स्टेशनरी और अन्य ऐसी प्रतीक सामग्रियों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया. ग्राहक के साथ "दोस्ती के 50 वर्षों का उत्सव" थीम के साथ सभी गतिविधियों की योजना बनाई गई और इसे 'बैंक ऐसा दोस्त जैसा' के रूप में ब्रांड पोजीशनिंग की तरह इस्तेमाल करते हुए तथा स्वर्ण जयंती थीम के साथ आईडीबीआई गान के निर्माण सहित विज्ञापन अभियानों में शामिल किया गया.

आपका बैंक एक पूर्ण सेवा प्रदाता वाणिज्यिक बैंक के रूप में अपनी अपेक्षित स्थिति का ध्यान रखते हुए, बेहतर संतुलित कारोबार सम्मिश्र की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तरोत्तर वृद्धि वाले रिटेल कारोबार पोर्टफोलियो पर ध्यान केन्द्रित किए हुए है. इस दिशा में बैंक ने देश भर में अपनी व्यापक उपस्थिति बनाने के लिए अपनी शाखा और एटीएम नेटवर्क का तेजी से विस्तार करना जारी रखा. वर्ष के दौरान 329 नई शाखाएं जोड़ते हुए 31 मार्च 2015 को आपके बैंक की कुल शाखाएं 1717 (एक विदेशी शाखा शामिल) हो गईं.

समग्र कारोबार संमिश्र में रिटेल कारोबार की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य के अनुसरण में आपका बैंक वर्तमान में प्रमुख रूप से रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की अपेक्षित जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से देयता, आस्ति, पूंजी बाजार और अन्य पक्ष के उत्पादों की एक श्रृंखला पेश करता है. रिटेल क्षेत्र के लिए बैंक के मुख्य उत्पादों और सेवाओं को इस रिपोर्ट के कॉरपोरेट विहंगावलोकन खंड में सूचीबद्ध किया गया है.

आपके बैंक ने अपनी सभी शाखाओं में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने के नज़रिए के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कारोबार को बढ़ाने हेतु अपने बढ़ते हुए शाखा नेटवर्क का लाभ उठाने के लिए अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र समूह का रिटेल बैंकिंग समूह में विलय कर संगठनात्मक पुनर्गठन किया. बैंक ने ऋण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित स्टाफ युक्त 29 समर्पित ऋण प्रोसेसिंग केंद्रों (सीपीसी) की स्थापना की है.

बैंक ने अपने कई वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों को अद्यतन और मजबूत करना जारी रखा. अपने उत्पादों की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आपके बैंक ने वीजा प्लेटफॉर्म पर दो रूपों में अर्थात् विशिष्ट उच्च मालियत वाले (एचएनआई) ग्राहकों के लिए रॉयल (वीजा सिग्नेचर कार्ड) तथा अन्य

मौजूदा ग्राहकों के लिए एस्पायर (वीजा प्लेटिनम कार्ड) क्रेडिट कार्ड आरंभ किया. इसके अतिरिक्त बैंक ने 24x7 आधार पर बैंकिंग सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने हेतु तैयार की गई अपनी स्वचालित बैंकिंग सेवा ई-लाउंज सुविधा का भी शुभारंभ किया है जो मुंबई से शुरू होकर देश भर के कई मुख्य केन्द्रों पर पहुँच चुकी है.

आपके बैंक का कॉरपोरेट बैंकिंग समूह (सीबीजी) को बड़े आकार के खातों की देख-रेख करने के अधिदेश के साथ सीबीजी-I के रूप में और मध्यम-आकार के खातों की देख-रेख करने के अधिदेश के साथ सीबीजी-II के रूप में संरचित किया गया है. सीबीजी की पूरे देश में उपस्थिति है. आपके बैंक का कॉरपोरेट बैंकिंग समूह (सीबीजी) आस्ति एवं देयताओं दोनों में वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के विस्तृत पोर्टफोलियो पेश करने तथा उससे अधिकतम लाभ लेने हेतु बहु-उत्पाद बिक्री के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है.

परियोजना मूल्यांकन, ऋण समूहन, विभिन्न क्षेत्रों में संरचना एवं सलाहकारी सेवाएं सक्रिय रूप से प्रदान करते हुए, आपके बैंक को वर्ष के दौरान ऋण मूल्यांकन और समूहन के कई अधिदेश प्राप्त हुए. देश में अग्रणी ऋण समूहनकर्ता के रूप में आपके बैंक का प्रमुख स्थान लगातार बना हुआ है.

आपका बैंक देश भर में फैले अपने पूर्ण सुविधा सम्पन्न व्यापार वित्त केंद्रों (विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत डीलर) के माध्यम से अपना व्यापार वित्त कारोबार करता है. इसी के साथ ही 60 से अधिक रिटेल बैंकिंग शाखाओं को अंतर्देशीय व्यापार वित्त कारोबार (एलसी और बीजी) के लिए समर्थ बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा घरेलू व्यापार वित्त ग्राहकों तक पहुँच बनाई जा सके.

आपके बैंक ने आस्ति गुणवत्ता को सुधारने हेतु विभिन्न वसूली प्रयासों का दृढ़ता के साथ अनुकरण करना जारी रखा है और परिणामतः अपने लाभ में सुधार किया है.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों से अपने आप को सक्रिय रूप से जोड़ते हुए आपके बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को अपनाया है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, लिंग समानता और सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास परियोजनाएं आदि जैसे क्षेत्रों में कार्य करने के लिए मंच प्रदान करता है. समाज के लक्ष्यित समूह पर और अधिक प्रभाव डालने के लिए आपके बैंक ने वर्ष के दौरान न केवल श्रेष्ठ संस्थाओं के साथ अपने आप को जोड़ा; बल्कि भारत सरकार के 'स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान' (एसबीएसवीए) में भी सक्रिय भूमिका निभाई.

समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करने संबंधी अनिवार्यता को समझते हुए, आपके बैंक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत विभिन्न नवोन्मेषी पहल कार्यों के साथ-साथ 15 अगस्त 2014 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) में सक्रिय सहभागिता की. इस योजना के अंतर्गत आपके बैंक द्वारा रूपे डेबिट कार्ड की सुविधा और पात्र खाताधारकों को ₹ 5000/- तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ 9.29 लाख खाते खोले गए. इसके अतिरिक्त आपके बैंक ने पीएमजेडीवाई प्रचार अभियान के निधीयन के लिए बनाए गए आईबीए कोष निधि में भी अंशदान किया.

मीडिया और वित्तीय समुदाय में अपनी प्रोफ़ाइल में वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप हितधारकों की अवधारणा को और मजबूत करने हेतु आपके बैंक की दृश्यता बढ़ाने और सर्वप्रथम उनके ध्यान में अपना नाम आने के लिए वर्ष के दौरान बैंक के विज्ञापन और प्रचार पहल कार्यों को और अधिक तीव्रता प्रदान की गई. आपके बैंक को समग्र सकारात्मक प्रभाव के साथ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में उल्लेखनीय पहचान मिली. स्वर्ण जयंती की समग्र थीम को विधिवत शामिल करते हुए बैंक के विज्ञापनों, जिनमें आवश्यक रूप से बैंक की सहयोगात्मक भूमिका का बच्चों की कभी न खत्म होने वाली दोस्ती के दृश्य चित्रों के माध्यम से चित्रण किया गया, को राष्ट्रीय टेलिविजन प्रचार अभियान तथा इनप्रिंट, आउट ऑफ होम (ओओएच) और डिजिटल स्पेस पर प्रसारित किया गया. कई प्रकार के अन्य उत्पाद-विशेष प्रचार अभियान, जो बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे विभिन्न उत्पादों और सेवाओं पर केन्द्रित थे, को वर्तमान ग्राहकों से साथ-साथ भावी ग्राहकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए प्रारम्भ किया गया.

आपका बैंक यह जानता है कि बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और बढ़ाने के साथ-साथ नए ग्राहक जोड़ने के लिए एक प्रबल ब्रांड इक्विटी अति आवश्यक है. तदनुसार, आपके बैंक ने एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाने और कई नवोन्मेषी पहल कार्यों के माध्यम से इसे मजबूती से स्थापित करने लिए निवेश किया है. जिसके परिणामस्वरूप, बैंक की ब्रांड इक्विटी में बढ़ोत्तरी हुई जो ब्रांड मूल्यांकन और रैंकिंग में दिखाई देता है और इसका श्रेय विज्ञापनों, आंतरिक संप्रेषण और जनता से आंतरिक संवाद के जरिए ब्रांड विकास गतिविधियों द्वारा निरंतर समर्थित उपयुक्त योजनाओं को जाता है. इन मजबूत क्षमताओं की पहचान अग्रणी वैश्विक व्यावसायिक निकायों द्वारा की गई है और यह ब्रांड मूल्य की उच्च वृद्धि व रैंकिंग में प्रदर्शित हुआ है. मिलवार्ड ब्राउन (ब्रांड ज़ेड) और इंटरब्रांड जैसे अग्रणी वैश्विक अनुसंधान संस्थानों ने भारत के सभी क्षेत्रों की शीर्ष 50 ब्रांडों की अपनी सूची जारी की है. ब्रांड ज़ेड के अनुसार, देश के सभी क्षेत्रों की शीर्ष 50 ब्रांड में आईडीबीआई बैंक 39वें स्थान पर है. हाल ही की इंटरब्रांड रैंकिंग के अनुसार, देश के सभी क्षेत्रों की शीर्ष 50 ब्रांड में आईडीबीआई बैंक 37वें स्थान पर है. दी ब्रांड फ़ाइनेंस बैंकिंग 500, एक अग्रणी वैश्विक ब्रांड परामर्शदाता, ब्रांड फ़ाइनेंस द्वारा प्रकाशित है, जो वार्षिक रूप से विश्व की अग्रणी बैंकिंग ब्रांड मूल्य का मूल्यांकन और तुलना करती है. 2015 के अध्ययन के अनुसार, आईडीबीआई बैंक ब्रांड के मूल्यांकन में पिछले वर्ष की तुलना में 31 दिसंबर 2014 को 79% की बढ़ोत्तरी हुई है. वैश्विक रूप से, आईडीबीआई बैंक की रैंकिंग सुधरकर 351 से 255 हुई है जबकि भारत में रैंकिंग 11वें से सुधरकर 9वें स्थान पर आई है. 'ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2015' के अनुसार, आईडीबीआई बैंक की ट्रस्ट रैंकिंग में पिछले वर्षों की तुलना में पर्याप्त सुधार हुआ है. आईडीबीआई बैंक को 2013 में 159वां स्थान, 2014 में 85वां स्थान

मिला था और हाल ही में जारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार इसे 64वां स्थान मिला है. बीएफएसआई श्रेणी में, बैंक को 5वें स्थान पर रखा गया था जबकि पीएसयू बैंकों में इसका 2रा स्थान रहा.

ज्ञान संगम - नई बैंकिंग सोच की ओर एक कदम

वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुणे में 02-03 जनवरी 2015 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए बैंकर्स रिट्रीट - ज्ञान संगम का आयोजन किया गया. वहाँ बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों अर्थात् (i) बैंकिंग परिचालन दक्षता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल का उपयोग (ii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार पर पुनर्विचार (iii) यूनिवर्सल वित्तीय समावेशन प्राप्त करना (iv) जोखिम प्रबंधन, आस्ति गुणवत्ता और वसूली में सुधार (v) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए ठोस मानव संसाधन रणनीति का निर्माण और (vi) बेहतर दक्षता, प्रशासन और पूंजी दक्षता के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का समेकन और पुनर्गठन पर विचार-विमर्श और सिफारिशें करने के लिए छह कार्य दल बनाए गए. कार्यदलों ने विभिन्न सिफ़ारिशें कीं जिनको दो श्रेणियों सरकारी क्षेत्र के बैंकों और नीति निर्माताओं के लिए अलग- अलग कार्यान्वियन के साथ दो अलग-अलग समय सीमाओं 0-12 महीने और 1-3 वर्ष के अंतर्गत सारांशीकृत किया गया. बैंक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए आपका बैंक एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रहा है.

2014-15 के दौरान आपके बैंक के महत्वपूर्ण पहल कार्यों का विवरण प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण खंड में दिया गया है.

निदेशक मंडल

आपके बैंक के निदेशक मंडल का आधार व्यापक है और इसका गठन सूचीबद्धता करार के खंड 49 में अभिकल्पित रूप में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, बैंक के संस्था अन्तर्नियमों और कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं से शासित होता है. बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से और बैंक के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए गठित अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है.

31 मार्च 2015 को आपके बैंक के बोर्ड में आठ निदेशक थे, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), दो उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी), एक गैर-कार्यपालक निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशक थे. यथा 31 मार्च 2015 को बोर्ड में श्री एम. एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक के रूप में; श्री बी. के. बत्रा और श्री एम. ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक द्वय, कार्यपालक निदेशक के रूप में; श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव, केन्द्र सरकार की सरकारी नामिती, गैर कार्यपालक निदेशक के रूप में तथा स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री पी. एस. शेनॉय, श्री एस. रवि, श्री निनाद कर्पे और श्री पंकज वत्स शामिल थे.

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आगामी वार्षिक महासभा में अंतर्नियम 116(1) (ए) में संशोधन द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद को दो पदों अर्थात् अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं सीईओ में पृथक् करने का प्रस्ताव है.

शीर्ष समितियां

बैंक के कारोबार और परिचालन से संबद्ध विभिन्न कामकाजी पहलुओं की देख-रेख करने के लिए बोर्ड की कुल सोलह समितियां अर्थात् बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति, ग्राहक सेवा समिति, कारोबार समीक्षा समिति, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, कार्यपालक समिति, पारिश्रमिक समिति, अंशधारक संबंध समिति, नामांकन समिति, धोखाधड़ी निगरानी समिति, मानव संसाधन संचालन समिति, जोखिम प्रबंध समिति, वसूली समीक्षा समिति, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, स्वतंत्र निदेशक समिति, गैर-सहकारी उधारकर्ता समीक्षा समिति, इरादतन चूककर्ता से संबन्धित समीक्षा समिति हैं.

कॉरपोरेट अभिशासन

आपका बैंक कॉरपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. आपके बैंक की यह मान्यता है कि उचित कॉरपोरेट अभिशासन सिर्फ नियामक अनुपालन की आवश्यकता मात्र नहीं है बल्कि शेयरधारिता मूल्य में वृद्धि के लिए एक सुसाध्य कारक भी है. आपके बैंक में अपनाई जा रही कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों का विस्तृत विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के अंतर्गत एक अलग खंड के रूप में दिया गया है.

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अंतर्गत कथन

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसा कोई कार्मिक पूरे वर्ष बैंक की सेवा में नहीं रहा जिसे ₹ 60 लाख से अधिक वार्षिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो. इसके अतिरिक्त, बैंक की सेवा में वर्ष की किसी आंशिक अवधि के लिए ऐसा कोई कार्मिक नहीं था जिसे बैंक की सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह ₹ 5 लाख से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो. इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष अथवा उसके किसी हिस्से के दौरान ऐसा कोई कार्मिक नियुक्त नहीं किया गया जिसे बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उप प्रबंध निदेशक द्वारा आहरित कुल पारिश्रमिक की दर से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो और जिसके अथवा जिसके पति / पत्नी और आश्रित बच्चों के पास बैंक के दो प्रतिशत इक्विटी शेयर से कम शेयर धारित न हों.

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी विनिमय का अर्जन तथा व्यय

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधान आपके बैंक पर लागू नहीं हैं. तथापि, आपका बैंक अपने परिचालनों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग लगातार कर रहा है.

निदेशकों की जिम्मेदारी के संबंध में कथन

निदेशक मंडल एतद्द्वारा यह घोषणा और पुष्टि करता है कि :

क. लेखों को तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है. साथ ही तात्विक रूप से अनुसरण न किये गये मामलों में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों को अपनाया है और उन्हें सुसंगत रूप से प्रयुक्त किया है तथा ऐसे निर्णय लिए एवं अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण थे, ताकि लेखा वर्ष के अंत में आपके बैंक की स्थिति और इसी अवधि में आपके बैंक के लाभ अथवा हानि की सही एवं उचित तस्वीर पेश की जा सके;

ग. निदेशकों ने आपके बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए विनियामक प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रख-रखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

घ. निदेशकों ने चालू संस्था के आधार पर लेखे तैयार किये हैं;

ङ. निदेशक मंडल ने बैंक के अनुपालन के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं; और

च. निदेशक मंडल ने सभी लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणालियां तैयार की हैं और ये प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं.

आभार

आपके बैंक का निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) और अन्य सभी सांविधिक / विनियामक प्राधिकरणों को उनके बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन के लिए पूरे सम्मान के साथ हार्दिक धन्यवाद देता है. निदेशक मंडल विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य बैंकिंग / वित्तीय संस्थाओं का भी उनके द्वारा दिये गये सहयोग और सहायता के लिए आभार मानता है. निदेशक मंडल विभिन्न बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतरर्राष्ट्रीय बैंकों / संस्थाओं से समय-समय पर मिले सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देता है. बोर्ड अपने सभी शेयरधारकों और ग्राहकों को भी वर्ष के दौरान उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए धन्यवाद देता है और आने वाले वर्षों में भी उनसे निरंतर सहयोग की आशा करता है. वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक को बैंकिंग क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए. बैंक के प्रयासों को मिली सराहना के लिए बोर्ड इन सभी संस्थाओं / एजेंसियों का आभारी है. निदेशक मंडल अपने समस्त स्टाफ की निष्ठापूर्ण और समर्पित सेवाओं की सराहना करता है और आपके बैंक के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने में उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान करता है.

स्थान : मुंबई **(एम.एस. राघवन)**

दिनांक : 26 मई 2015 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Directors' Report

Your Bank's Board of Directors is pleased to present the Report on the business and operations for the financial year ended March 31, 2015.

In 2014-15, the Bank strived to improve its performance on all fronts despite confronting significant challenges emanating from the macroeconomic environment as well as various other sector-specific factors. The Bank surmounted these challenges through strategic initiatives which were complemented by organisational restructuring and mission-mode approach to catalyse growth in its business. Furthermore, the Bank continued to expand its reach across the country by rapidly adding to its branch and ATM network. With the objective of ensuring highest level of customer satisfaction, the Bank focused on optimizing its customer service to provide hassle-free experience to all its customers. The Bank was also able to expand its customer base by expanding its network which allowed easier accessibility as also offering an array of customized products and services with innovative features to meet the customers' needs in a suitable manner. As on March 31, 2015, aggregate deposits and advances touched ₹ 2,59,836 crore and ₹ 2,08,377 crore, reflecting a growth of 10% and 5%, respectively, over the previous year. Your Bank's performance highlights for the period under review are presented in Table 1.

Profit and Appropriations

During 2014-15, your Bank's gross income amounted to ₹ 32,162 crore, comprising interest income at ₹ 28,154 crore and other income at ₹ 4,008 crore. Interest expenses stood at ₹ 22,406 crore and operational expenses at ₹ 4,027 crore, accounting for total expenditure (excluding provisions and contingencies). Total provisions during the year were at ₹ 4,855 crore, which mainly include ₹ 3,480 crore towards provision for bad and doubtful debts and investments. During 2014-15, your Bank's operations resulted in Profit Before Tax (PBT) of ₹ 1,287 crore. After provision of ₹ 414 crore towards tax, Profit After Tax (PAT) amounted to ₹ 873 crore. The appropriation of PAT, as approved by the Board of Directors, is given in Table 2.

Table 1 : Financial Highlights

(₹ In crore)

As on March 31	**2014**	**2015**
Capital	1,603.94	1,603.96
Reserves & Surplus	22,034.92	22,712.96
Deposits	2,35,773.63	2,59,835.97
Borrowings	60,146.29	61,832.98
Other Liabilities & Provisions	9,429.57	10,044.69
Total Liabilities	**3,28,988.36**	**3,56,030.56**
Cash & Balances with RBI	12,711.11	13,035.77
Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	4,106.80	1,489.99
Investments	1,03,773.50	1,20,963.21
Advances	1,97,686.01	2,08,376.87
Fixed & Other Assets	10,710.94	12,164.73
Total Assets	**3,28,988.36**	**3,56,030.56**
For the period	**2013-14**	**2014-15**
Total Income	29,576.27	32,161.62
Total Expenses (other than provisions)	23,894.88	26,433.52
Provisions (other than tax)	3,940.26	4,440.78
Profit Before Tax	1,741.13	1,287.33
Provision for Tax*	619.73	413.94
Profit After Tax	1,121.40	873.39

* Net of Current Income Tax and Deferred Income Tax

Table 2 : Appropriation of Profits

(₹ In crore)

For the year ended March 31	2014	2015
Net Profit/(Loss) for the year	1,121.40	873.39
Profit/(Loss) brought forward	903.86	896.77
Profit available for Appropriations	2,025.26	1770.16
Appropriations		
Transferred to Statutory Reserve	281.00	218.35
Transferred to Capital Reserve	9.32	229.07
Transferred to General Reserve	400.00	65.00
Transferred to Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of IT Act, 1961	250.00	200.00
Dividend		
- Equity Shares	160.41	120.30
- Tax on Dividend	27.76	25.25
Balance of Profit carried to Balance Sheet	896.77	912.19

For each share with face value of ₹ 10, Earnings Per Share (EPS) during the year stood at ₹ 5.45, while Book Value per Share stood at ₹ 141.24 as on end-March 2015. The Directors have the pleasure in recommending dividend at 7.5% on the fully paid-up equity share capital for 2014-15.

Report on the Performance and Financial Position of Subsidiaries and Joint Venture included in the Consolidated Financial Statement

As required by Accounting Standard-21 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank's consolidated financial statements included in this Annual Report incorporate the accounts of its subsidiaries and other consolidating entities.

The Bank holds more than 20%, but less than 50%, of equity capital of five companies. In the opinion of management, the Bank does not have any significant influence in these companies. Accordingly, these companies have not been considered as "associate companies" and the financial statements of these companies are not included in the consolidated financial statements. Financial Statements of the Joint Venture (IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.) as incorporated in these accounts are unaudited and subject to Audit Committee/Board approval.

A statement pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013 showing key financials of the Bank's subsidiaries/Joint Venture is included separately in this Annual Report.

The performance and financial position of Subsidiaries and Joint Venture of the Bank as on March 31, 2015 has been annexed to this report as under.

(₹ In '000s)

Name of the entity	Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities		Share in profit or loss	
	As % of consolidated net assets	Amount	As % of consolidated profit or loss	Amount
1	2	3	4	5
Parent : IDBI Bank Ltd	96.62%	24316 91 84	89.43%	873 38 82
Subsidiaries:				
Indian:				
1. IDBI Capital Market Services Ltd.	1.26%	316 10 74	1.18%	11 49 78
2. IDBI Intech Ltd.	0.13%	33 42 79	0.41%	3 97 55
3. IDBI Asset Management Company Ltd.	0.37%	93 68 67	-2.12%	(20 72 87)
4. IDBI MF Trustee Company Ltd.	0.00%	90 31	0.02%	22 43
5. IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.45%	113 01 59	3.49%	34 12 22

(₹ In '000s)

Name of the entity	Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities		Share in profit or loss	
	As % of consolidated net assets	Amount	As % of consolidated profit or loss	Amount
1	2	3	4	5
Foreign:	NA	NA	NA	NA
Minority Interests in all subsidiaries	0.20%	51 19 64	1.58%	15 45 73
Associates (Investment as per the equity method)				
Indian	NA	NA	NA	NA
Foreign	NA	NA	NA	NA
Joint Ventures				
(as per proportionate consolidation / investment as per the equity method)				
Indian				
1. IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	1.17%	293 44 52	7.60%	74 18 69
Foreign	NA	NA	NA	NA
TOTAL	100%	25167 50 46	100%	976 66 62
Elimination	-3.15%	(792 79 46)	-3.57%	(34 86 73)
Net Total	96.85%	24374 71 00	96.43%	941 79 89

Note: None of the above subsidiaries have any subsidiary

Material changes and commitments, if any affecting financial position of IDBI Bank which have ocurred during the end of financial year and the date of Board Report.

There are no material changes and commitments, affecting the financial position of the Bank which has occurred between the end of the financial year of the Bank i.e. March 31, 2015 and the date of the Directors' Report i.e May 26, 2015.

The details in respect of adequacy of internal financial controls with reference to the financial statements.

The Bank has adequate internal controls and processes in place with respect to its financial statements which provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements. These controls and processes are driven through various policies, procedures and certifications. The processes and controls are reviewed periodically.

Capital Adequacy

Your Bank computes regulatory capital requirement for Credit, Market & Operational Risks as prescribed under the Pillar-1 guidelines of the Basel III framework. With regard to the requirement for higher quality capital highlighted under Basel III norms, your Bank, at present, has sufficient common equity to meet the regulatory requirements as stipulated in the guidelines.

As on March 31, 2015, the Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) of your Bank was 11.76% which is above the minimum regulatory requirement of 9.0%. Your Bank's Common Equity Tier 1 (CET 1) ratio was 7.29% which is also above the minimum applicable CET 1 ratio of 5.5% stipulated by RBI. The Tier-I ratio stood at 8.18% as on March 31, 2015 against the regulatory requirement of 7.0%.

Your Bank has a Board approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), in line with the Pillar-2 norms of the Basel III framework, which enables the Bank to internally assess and quantify those risks that are not covered under Pillar-1 in addition to developing appropriate strategies to manage risks under normal and stress conditions. Your Bank has adopted a Disclosure Policy in accordance with the Pillar-3 requirements under the Basel norms and consequently, publishes disclosures on the Bank's website at end of each quarter.

Business Strategy

During the year, your Bank continued to focus on rebalancing its business mix, through increasing accent on retail business and priority sector lending, with the intent of meeting regulatory requirements as well as de-risking its business portfolio. As a critical enabler, the Bank recalibrated its organization structure by adopting a

decentralized approach by dividing the offices across the country into zones. Simultaneously, the zonal offices were vested with greater powers to facilitate better decision-making to drive the Bank's business growth. A mission-mode approach has been adopted for strengthening the Bank's position in retail banking as well as priority sector business while continuing to maintain predominance in industry and infrastructure financing. The Bank offers an entire gamut of products and services to cater to the financial needs of all segments of the society under one roof. These products and services are periodically reviewed and modified as well as innovative and customized features are introduced in tandem with the constantly evolving demand of your Bank's customers to ensure high level of customer satisfaction and consequently, drive growth in its business.

Key Business Initiatives

As July 1, 2014 marked the completion of fifty epoch-making years of the Bank's existence, various activities were planned as a part of the Golden Jubilee celebrations, commencing from the date. The opportunity was used to establish active engagement with various stakeholders of the Bank. The stakeholder engagement included activities aimed at customers (both Retail and Corporate), employees, society at large and opinion makers. The accent of all the activities was to reinforce the IDBI Bank brand identity, reiterate that we are a true friend of all our stakeholders which finally led to top-of-the-mind recall for the brand. The celebrations were kicked-off at a flagship event at Head Office on July 1, 2014. As a part of the celebrations, the Bank launched its Signature Debit Card, e-inaugurated 50 branches, inaugurated Zonal Intranet Section and launched its mobile banking services, among other such initiatives. Simultaneous events were held at all nine zonal headquarters of the Bank (viz. Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Ahmedabad, Bhuwaneshwar, Bengaluru, Chandigarh and Nagpur). To mark the occasion, a special logo was designed and was displayed prominently in the Bank's ATMs, calendar, stationery and other such collaterals. The entire set of activities was planned with the theme "celebration of 50 years of friendship" with the customer and was used as an extension of the brand positioning as 'Bank Aisa Dost Jaisa' as well as synchronizing its advertising campaigns, including creation of IDBI Anthem, with the Golden Jubilee theme.

Your Bank continues to target a progressively larger retail business portfolio to facilitate a more balanced business mix, in keeping with its intended positioning as a full-service commercial bank. Towards this end, the Bank continued to rapidly expand its branch and ATM network to establish wide presence across the country. As on March 31, 2015, your Bank's network stood at 1717 branches (includes one overseas branch) marking an addition of 329 branches during the year.

Pursuant to the objective of expanding the share of retail business in the overall business mix, your Bank currently offers a bouquet of Liability, Asset, Capital Market and Third Party products which are primarily aimed at meeting the customized needs of customers in the Retail Banking segment. The Bank's important products and services for the retail segment have been listed in the Corporate Overview Section of this Report.

Your Bank undertook organizational restructuring by merging its Priority Sector Group with its Retail Banking Group to provide for a more focussed approach to Priority Sector Lending (PSL) across all its branches by leveraging its growing branch network for augmenting priority sector business. The Bank has established 29 dedicated Credit Processing Centers (CPCs) that are staffed with specially trained personnel to expedite credit process.

The Bank has continued to update and strengthen its numerous alternate channels of delivery. Expanding the bouquet of its products, your Bank launched Credit Card on Visa Platform in two variants, viz. Royale (Visa Signature Card) for elite HNI customers and Aspire (Visa Platinum Card) for other existing customers. Additionally, the Bank has launched its e-lounge facility, which is an automated banking service designed for delivering a wide range of banking services on 24x7 basis, beginning with Mumbai and has expanded its reach in a number of major centres across the country.

Your Bank's Corporate Banking Group (CBG) has been structured as CBG-I with mandate of looking after large-sized accounts and CBG-II with mandate of looking after medium-sized accounts. CBG has presence across the country. Your Bank's CBG accords critical importance to multi-product sales, both in assets and liabilities, in order to offer a comprehensive portfolio of financial products and services and maximise yield.

Actively providing project appraisal, debt syndication, structuring and advisory services across various sectors, your Bank, during the year, procured several mandates for appraisal and syndication of debt. Your Bank has been consistently ranked as one of the leading debt syndicators in India.

Your Bank conducts its Trade Finance (TF) business through its full-fledged TF Centres (Authorized Dealer in Foreign Exchange) with presence across the country. Furthermore, more than 60 Retail Banking branches have been enabled for undertaking Inland TF Business (LCs/ BGs) so as to reach majority of domestic TF customers.

Your Bank has continued to pursue various legal/ non-legal recovery efforts rigorously to improve asset quality and consequently, improve its bottom-line.

Proactively engaging itself in Corporate Social Responsibility (CSR) activities, the Bank has put in place a Board-approved CSR Policy which provides the platform for undertaking interventions in areas such as education,

health, gender equality and socio-economic empowerment, environmental sustainability, rural development projects, etc.. In order to make an even greater impact on targeted strata of society, your Bank, during the year, has not only been associated with deserving organizations but also has been proactively involved with Government of India's Swachh Bharat Swachh Vidyalaya Abhiyan (SBSVA).

In cognizance of the imperative to ensure inclusive growth, your Bank, in addition to various initiatives undertaken under Financial Inclusion, actively participated in the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) which was launched as a National Mission on Financial Inclusion by the Hon'ble Prime Minister on August 15, 2014. Under the programme, your Bank opened 9.29 lakh accounts with facility of RuPay Debit cards and has been extending overdraft facility of up to ₹ 5,000/- to the eligible account holders. Additionally, your Bank has also contributed to IBA Corpus Fund for PMJDY which was created to fund the PMJDY campaign.

Your Bank's advertising and publicity initiatives intensified during the year with focus on enhancing visibility and top-of-mind recall of the Bank by augmenting its profile in the media and financial community and thereby, reinforce stakeholder perceptions. Your Bank found numerous mentions in Print, Electronic and Digital media with an overall positive impression. The Bank's advertisements, which essentially depict its supportive role through the visual images of everlasting friendship between kids while duly incorporating overall theme of Golden Jubilee, were released as a national television campaign and in print, Out of Home (OOH) and digital space. Various other product-specific campaigns, which focused on different products and services offerings of the Bank, were also launched to create awareness amongst the customers – existing as well as prospective.

Your Bank recognises that in the banking sector, a strong Brand Equity is extremely important for deepening and widening customer relationships as also acquisition of new customers. Accordingly, your Bank has invested on building a strong Brand Identity, reinforcing the same through multiple initiatives. As a result, the Bank witnessed a rise in its Brand Equity as reflected in brand valuation and rankings which can be accredited to appropriate strategies, consistently supported by brand development activities through advertisements, internal communications and public relations. These strengths have been recognized by leading global professional bodies and got reflected in the high growth of Brand Value and ranking. Leading global research organisations like Millward Brown (Brand Z) and Interbrand have come out with their listing of top 50 brands in India across sectors. As per Brand Z, IDBI Bank ranks 39th among the top 50 brands in the country across sectors. As per recent Interbrand rankings, IDBI Bank ranks 37th among the top 50 brands in the country across sectors. The Brand Finance Banking 500, published by Brand Finance, a leading global brand consultant, evaluates and compares the value of the world's leading banking brands annually. As per the 2015 study, the valuation of IDBI Bank Brand has increased by 79% as at December 31, 2014 over the previous year. Globally, the ranking of IDBI Bank has improved from 351 to 255 while in India the ranking has improved from 11th to 9th position. As per 'Brand Trust Report 2015', IDBI Bank's Brand Trust ranking has shown a considerable improvement over the past years. The Bank was ranked 159th in 2013, 85th in 2014 and 64th in 2015 as per the latest report released recently. In the BFSI category, the Bank was ranked at the 5th position while among the PSU Banks, it was ranked at the 2nd position.

Gyan Sangam-A Step towards New Banking Paradigm

Ministry of Finance, Government of India, had organised the Bankers' Retreat – Gyan Sangam for Public Sector Banks (PSBs) on January 2-3, 2015 at Pune to take forward the Government's commitment to reforms in the financial sector. Six working groups were formed therein for deliberating and making recommendations on following issues relating to banking sector viz. (i) Leveraging Technology and Digital to improve banking operations efficiency, (ii) Rethinking Priority Sector Lending, (iii) Achieving Universal Financial Inclusion, (iv) Improving Risk Management, Asset Quality and Recovery, (v) Building a robust people strategy for PSBs and (vi) Consolidation and Restructuring of PSBs for better efficiency, governance and capital efficiency. The Working Groups made various recommendations which were summarized into two categories with separate actionable for the PSBs and policymakers, under two different time frames 0-12 months and one-three years. Your Bank is drawing up a detailed action plan to systematically take forward actionable on the part of the Bank.

The details of your Bank's key initiatives during 2014-15 are featured under the Management Discussion and Analysis section of this Annual Report.

Board of Directors

Your Bank's Board of Directors is broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, 2013, the Articles of Association of your Bank and the requirements of Corporate Governance, as envisaged in clause 49 of the Listing Agreement. The Board functions directly as well as through various Board Committees constituted to provide focused governance in the important functional areas of your Bank.

As on March 31, 2015, the Board comprised of eight Directors, including Chairman and Managing Director (CMD), two Deputy Managing Directors (DMDs), one Non-Executive Director and four Independent Directors. Shri M.S. Raghavan, Chairman & Managing Director as Executive Director, Shri B.K. Batra and Shri M.O. Rego, Dy. Managing Directors as Executive Directors, Ms. Snehlata Shrivastava, Central Government official Nominee as

Non-Executive Director, Shri P.S. Shenoy, Shri S. Ravi, Shri Ninad Karpe and Shri Pankaj Vats as Independent Directors constituted the Board as on March 31, 2015.

As per Government of India's directives, it is proposed to separate the post of CMD into two posts of a Chairman and a Managing Director & CEO by amendment of Article 116(1)(a) at the ensuing AGM.

Apex Committees

The Board has a total of sixteen committees, namely Audit Committee of the Board, Customer Service Committee, Business Review Committee, Information Technology Committee, Executive Committee, Remuneration Committee, Stakeholders' Relationship Committee, Nomination Committee, Fraud Monitoring Committee, HR Steering Committee, Risk Management Committee, Recovery Review Committee, Corporate Social Responsibility Committee, Independent Directors' Committee, Non-Cooperative Borrowers' Review Committee, Wilful Defaulters Review Committee, to oversee various functional aspects of your Bank's business and operations.

Corporate Governance

Your Bank is committed to adopting the best corporate governance practices. It believes that proper corporate governance is not just a requirement for regulatory compliance, but also a facilitator for enhancement of stakeholders' value. The details of your Bank's corporate governance practices are given in this Annual Report as a separate section under Corporate Governance Report.

Statement under Section 134 of the Companies Act, 2013 read with Rule 5 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014

There were no personnel in your Bank's services, during the financial year under review, who received remuneration over ₹ 60 lakh annually. Besides, there were no personnel in the service of the Bank for a part of the year who received remuneration in excess of ₹ 5 lakh per month. Further there was no personnel employed throughout the financial year or part thereof who was in receipt of remuneration at a rate, which in the aggregate, was in excess of that drawn by CMD or DMDs of the Bank and who held by himself or along with his spouse and dependent children, not less than two per cent of the equity shares of the Bank.

Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Exchange Earnings and Outgo

The provisions of Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 are not applicable to your Bank. However, your Bank has been increasingly using information technology in its operations.

Directors' Responsibility Statement

The Board of Directors, hereby, declares and confirms that:

a. In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

b. The directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period;

c. The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d. The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;

e. The directors had laid down internal financial controls to be followed by the Bank and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and

f. The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Acknowledgements

Your Bank's Board of Directors is sincerely grateful to the Government of India, Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDA) and all other Statutory/ Regulatory Authorities for their valuable co-operation and guidance. The Board also acknowledges, with gratitude, the co-operation and support received from various State Governments and other banking/ financial institutions. The Board thanks various multilateral institutions and international banks/ institutions for their periodic support. The Board takes this opportunity to put on record its deep sense of gratitude to its loyal shareholders and customers for extending their support during the year, and looks forward to their continued association in the years ahead. During the financial year, the Bank has received various recognitions and accolades for its excellence in the banking domain. The Board is thankful to all such organisations/agencies for formally recognising the Bank's efforts. The Board appreciates the sincere and devoted services displayed by its entire staff and highly values their commitment in improving your Bank's performance.

Place: Mumbai **[M.S. Raghavan]**
Date : May 26, 2015 Chairman and Managing Director

प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

Management Discussion and Analysis

प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

कारोबारी परिवेश

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2014 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि उन्नत एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में असमान वृद्धि दरों के साथ सामान्य बनी रही. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिका ने सामान्य वृद्धि दर्शाई जबकि यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक मंदी के लक्षण बने रहे. 2014 में उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की गति और भी भिन्न थी. चीन एवं भारत को छोड़कर अधिकांश उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई.

देशी आर्थिक परिवेश

उभरती समष्टि आर्थिक प्रवृत्तियां दर्शाती हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में गिरावट अपने निम्नतम स्तर पर पहुँच गई है. अन्य कारकों के साथ-साथ नीति निर्माताओं द्वारा की गई विभिन्न पहलों ने अर्थव्यवस्था में वृद्धि की संभावनाओं को मजबूती प्रदान की है.

संपदा क्षेत्र

सकल देशी उत्पाद (जीडीपी)

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने राष्ट्रीय लेखों की एक नई शृंखला जारी की है जिसमें आधार वर्ष को 2004-05 से संशोधित करके 2011-12 कर दिया गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एसएनए), 2008 के अनुरूप है.

स्थिर मूल्यों पर जीडीपी वृद्धि

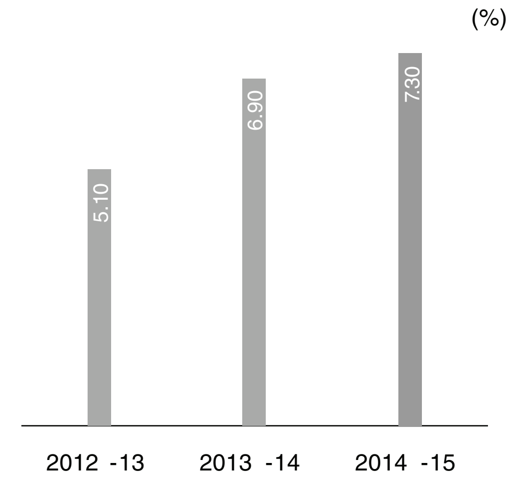

भिन्न-भिन्न स्तर पर अनुमान यह दर्शाते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई. नए उपायों ने समग्र

> वर्ष 2014 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि उन्नत एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं में असमान वृद्धि दरों के साथ सामान्य बनी रही.
>
> चीन एवं भारत को छोड़कर अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई.

योजित सकल मूल्य (जीवीए) में क्षेत्रवार हिस्सों की भी दिशा बदली है. लागत कारक पर समग्र जीवीए में कृषि क्षेत्र का योगदान अब तक पूर्व की (2004-05) शृंखलाओं के आधार पर प्रदर्शित स्थिति से कुछ उच्चतर था. इसके अतिरिक्त, जहाँ सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का वृद्धि इंजिन बना रहा, औद्योगिक क्षेत्र के पक्ष में क्षेत्रवार हिस्सों का पुनर्निर्धारण हुआ है जिसका मुख्य कारण पुरानी शृंखलाओं में विनिर्माण जीवीए का न्यून मूल्यांकन तथा कारोबार क्षेत्र जीवीए के अधिमूल्यांकन में सुधार था.

2014-15 में जीडीपी के मांग क्षेत्र ने मिश्रित संकेत दर्शाए. अर्थव्यवस्था में जहां निजी एवं सार्वजनिक उपभोग तथा स्थिर पूंजी निर्माण दोनों की स्थिति में सुधार हुआ वहीं निर्यात और आयात में कमी आयी. यह प्रवृत्ति इस बात को रेखांकित करती है कि सतत वृद्धि पुनरुत्थान मुख्यतः देशी उपभोग से प्रभावित है.

औद्योगिक परिदृश्य

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी), जो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन संबंधी अनुमान उपलब्ध कराता है, ने विद्युत क्षेत्र में जबर्दस्त

औद्योगिक क्षेत्र का कार्य निष्पादन

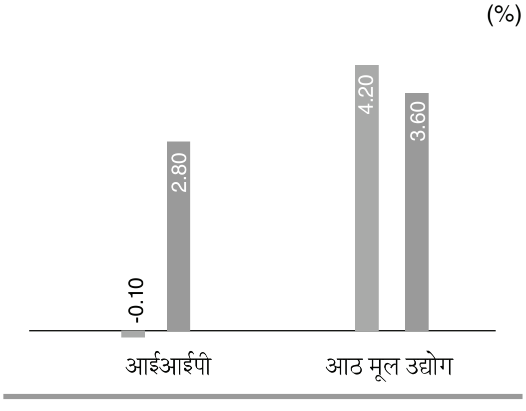

वृद्धि तथा खनन एवं विनिर्माण क्षेत्र में कायापलट के कारण उच्चतर वृद्धि दर्ज की. उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार, उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर, सभी प्रमुख श्रेणियों अर्थात्, आधारभूत वस्तुओं, पूंजीगत माल, मध्यवर्ती वस्तुओं ने 2014-15 में सकारात्मक वृद्धि दर्शायी. पूरे राजकोषीय वर्ष के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के कार्यकलापों में मामूली विस्तार के बावजूद वृद्धि दर धीमी बनी रही. आठ महत्त्वपूर्ण उद्योगों के सूचकांक द्वारा आकलित इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का, जिसका समग्र आईआईपी में लगभग 38% हिस्सा है, का कार्य निष्पादन विद्युत, कोयला तथा सीमेंट क्षेत्रों के जबर्दस्त योगदान के बावजूद भी प्राकृतिक गैस एवं कच्चे तेल के उत्पादन में निरंतर संकुचन के कारण मंद रहा.

सरकार और अन्य नीति निर्माताओं ने सामान्यत: औद्योगिक क्षेत्र और विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र के कार्य निष्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय आरंभ किए. आनेवाले वर्षों में इसका सकारात्मक परिणाम मिलने की आशा है.

मुद्रास्फीति

लंबी अवधि तक उच्च स्तर पर रहने के बाद मुद्रास्फीति ने 2014-15 में बेहतर होने के संकेत दर्शाने शुरू किए. सीपीआई मुद्रास्फीति (अखिल भारत) द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति के मूल आधार के रूप में उभरी तथा पिछले दो वर्षों तक लगभग 9%-10% के आस-पास रहने के बाद 2014-15 में कम हुई. राजकोषीय वर्ष के दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति में सुधार का कारण कुछ हद तक आधारभूत प्रभाव तथा वर्ष की दूसरी छमाही में मौसमी खाद्य की कीमतों में कमी होना है. कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई गिरावट भी सीपीआई ईंधन मुद्रास्फीति को कम करने में सहायक रही. मूल मुद्रास्फीति (गैर-खाद्य गैर-ईंधन) ने भी कम होने के संकेत प्रदर्शित किए. थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) (आधार वर्ष 2004-05), जो 2011-13 के दौरान 6.0%-9.0% पर लगातार उच्च बना रहा, खाद्य एवं ईंधन की कम कीमतों के चलते वर्ष के दौरान न्यूनतम 2.0% तक संतुलित रहा. इसके साथ ही, सख्त मौद्रिक नीति मांग दबावों को बनाए रखने में सहायक रही और इसने रुपया मूल्यांकन में अस्थिरता को नियंत्रण में रखते हुए किसी बाह्य आघात के विरुद्ध सुरक्षा निर्मित की. सीपीआई मुद्रास्फीति के जनवरी 2015 तक लक्ष्यित 8.0% मुद्रास्फीति से कम बने रहने के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने राजकोषीय वर्ष की चौथी तिमाही में दो बार में 50 आधार बिन्दु तक की दर कटौती की घोषणा की.

मुद्रास्फीति दरें

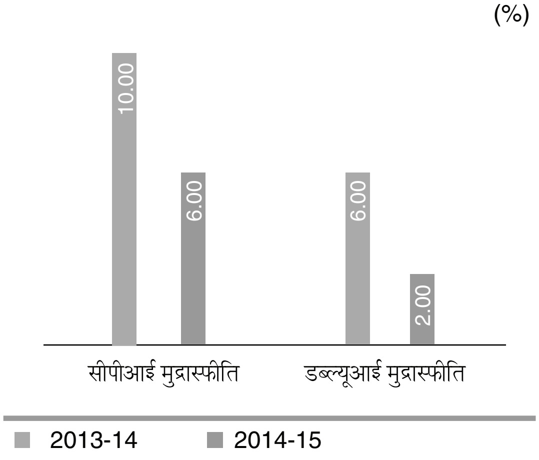

6.0%
सीपीआई मुद्रास्फीति(आधार वर्ष 2012)

7.5%
50 बीपीएस की संचय दर कटौती के बाद 2014-15 में रेपो रेट

चलनिधि और ब्याज दरें

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं का उल्लेख करते हुए राजकोषीय वर्ष में जनवरी 2015 के दौरान प्रमुख नीतिगत दर यथावत रखी. तथापि, स्फीतिकारी दबावों के घटने के साथ रिज़र्व बैंक ने दो बार अर्थात् जनवरी 2015 तथा मार्च 2015 में दर में 25 आधार बिन्दुओं की कटौती की घोषणा की, जिससे रेपो दर घट कर 7.50% तक आ गई. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अर्थव्यवस्था में सुलभ चलनिधि सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय वर्ष के दौरान सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में भी 150 आधार बिन्दुओं की कमी की.

10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति बांड, जो राष्ट्र का एक ऋण जोखिम प्रतिपत्र है, पर प्रतिलाभ 2014-15 में कम हुआ. इससे आर्थिक वृद्धि पुनर्स्थापित करने के लिए किए गए समष्टि-आर्थिक मूलतत्वों में सुधार तथा नीतिगत सुधारों के चलते बाजार में आशावादी रुख का प्रसार हुआ.

चलनिधि स्थितियां 2014-15 के दौरान मोटे तौर पर संतुलित रहीं. जमाराशि जुटाने और सरकारी नकदी अधिशेष में गिरावट की तुलना में ऋण उठाव में वृद्धि की गति धीमी रहने से चलनिधि दबावों में कमी आई. इसके अतिरिक्त, चलनिधि प्रबंध परिचालन में लचीलेपन, पारदर्शिता एवं पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2014 में अपने चलनिधि प्रबंध ढांचे को संशोधित किया.

बाह्य क्षेत्र के कार्यकलाप

सामान्य व्यापार एवं चालू खाता घाटे, प्रचुर वित्तीय प्रवाह, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के निर्माण तथा व्यापक रूप से स्थिर विनिमय दर संचलन के कारण 2014-15 में भारत की विदेशी स्थिति सहज बनी रही. राजकोषीय वर्ष में सुदृढ़ बाह्य क्षेत्र स्थिति स्वर्ण आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाने में सहायक रही और कच्चे तेल की कम अंतर्राष्ट्रीय कीमतों ने डीजल की कीमतों में सुधारों की शुरुआत करने में सहायता की.

भारत का व्यापार घाटा कच्चे तेल की कम अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के चलते आयात भार कम होने के कारण 2014-15 में यूएस डॉलर 137.0 बिलियन पर सहज बना रहा. यह यूएस डॉलर की तुलना में मजबूत रुपया मूल्यांकन के साथ-साथ प्रमुख व्यापारिक भागीदारों से कमजोर

मांग के कारण निर्यात में गिरावट होने के बावजूद था. व्यापार घाटा कम होने से 2014-15 में चालू खाता घाटा (सीएडी) भी कम हुआ.

भारत की सीएडी स्थिति

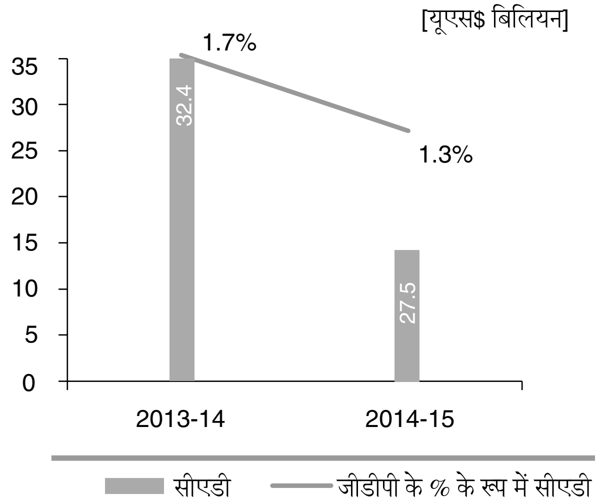

सकारात्मक व्यापार संतुलन स्थिति के चलते समग्र भुगतान संतुलन (बीओपी) में उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित हुआ. निवल वित्तीय प्रवाह में भारी वृद्धि सीएडी के वित्तपोषण में सहायक रही तथा इससे विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडार भी सुखद स्थिति में आ गया.

भारत के बाह्य ऋण में मार्च 2014 की समाप्ति से दिसंबर 2014 की समाप्ति पर यूएस डॉलर 461.9 बिलियन अर्थात् 3.5 % की वृद्धि के बावजूद यह वृद्धि भारत सरकार की विवेकपूर्ण बाह्य ऋण प्रबंधन नीति द्वारा नियंत्रण सीमाओं के भीतर बनी रही.

भावी संभावनाएं

आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामान्य गति से बढ़ने के आसार है. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अनुकूल मौद्रिक नीति से वैश्विक विकास को बढ़ावा मिलने की आशा है क्योंकि वैश्विक वित्तीय बाजार में तरलता बनी रहेगी. तथापि अमरीकी फेडरल रिज़र्व द्वारा दर में वृद्धि की संभावना से भावी परिदृश्य धुंधला सकता है, क्योंकि इससे वित्तीय बाज़ारों में अस्थिरता आ सकती है. दूसरे पण्यों की सुलभ कीमतों से तेल आयातक अर्थव्यवस्थाओं के कार्य-निष्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है किन्तु दूसरी तरफ इससे तेल निर्यातक अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान होगा. तथापि अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक व्यापार मात्रा में लगातार कमी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मंदी से वृद्धि में गिरावट का जोखिम खड़ा हो जाएगा. आईएमएफ ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक (डबल्यूईओ) के अप्रैल 2015 के अपने अंक में 2015 में 3.5% की वैश्विक अर्थव्यवस्था वृद्धि दर का अनुमान लगाया है जो 2014 के 3.4% से थोडा सा अधिक है. विश्व बैंक ने भी ग्लोबल इकनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के जून 2015 के अपने अंक में पूर्वानुमान लगाया है कि वैश्विक वृद्धि दर 2014 की 2.6% से आंशिक रूप से बढ़कर 2015 में 2.8% हो जाएगी.

> उद्योग और इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण में अपनी प्रधानता को बनाए रखते हुए आपके बैंक ने रिटेल कारोबार और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार पर अधिक जोर देते हुए अपने कारोबार संमिश्र के पुनर्संतुलन पर विशेष ध्यान देना जारी रखा

उन्नत समष्टि आर्थिक स्थिरता और भारत के नीति-निर्माताओं द्वारा सुधारात्मक उपाय अर्थव्यवस्था के कारोबारी रुख की बेहतरी में सहायक रहे. इसने आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे संस्थानों को भी वर्ष 2015 और उसके बाद के वर्षों के लिए भारत के बारे में आशावादी सुधार का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित किया. आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों ने भारत के लिए वर्ष 2015 में 7.5% की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है. वर्ष 2016 के लिए वैश्विक एजेंसियों के अलग-अलग मूल्यांकन हैं जबकि आईएमएफ ने भारत के लिए वर्ष के दौरान 7.5% वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है. विश्व बैंक ने वर्ष के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि के 7.9% तक बढ़ने की संभावना जताई.

कारोबार समीक्षा

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने रिटेल कारोबार और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार पर अधिक जोर देते हुए अपने कारोबार संमिश्र के पुनर्संतुलन पर विशेष ध्यान देना जारी रखा और कारोबार पोर्टफोलियो के जोखिम को कम करते हुए विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के आशय के साथ उद्योग और इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण में अपनी प्रधानता को बनाए रखा है. महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में बैंक ने विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण अपनाकर अपने संगठन ढांचे की पुनर्समीक्षा की है और कार्यालयों को पूरे देश में अंचलों में विभाजित किया है. साथ ही, बैंक के कारोबार की प्रगति के लिए अंचल कार्यालयों को शीघ्र निर्णय लेने हेतु अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं. बैंक में संरचनात्मक बदलाव लाने का अंतर्निहित औचित्य बैंक की स्थानीय स्थितियों की समझ को बढ़ाते हुए भारत के टीयर I व टीयर II शहरों, नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध अपरिमित संभावना का लाभ उठाना था. इन रणनीतिक पहलों के साथ पूरे देश में तेजी से शाखा तंत्र को बढ़ाया गया. 31 मार्च 2015 को आपके बैंक नेटवर्क में 1,717 शाखाएं थीं जिनमें इस वर्ष के दौरान 329 शाखाएं जोड़ी गई. 31 मार्च 2015 को शाखा नेटवर्क में 368 शाखाएं मेट्रो केंद्रो पर, 451 शाखाएं शहरी केंद्रों पर, 524 शाखाएं अर्द्ध-शहरी केंद्रों पर, ग्रामीण केंद्रों में 373 शाखाएं (जिनमें 210 वित्तीय समावेशन वाली शाखाएं शामिल हैं) और एक समुद्रपारीय शाखा दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (डीआईएफसी), दुबई थी.

रिटेल देयता उत्पाद

आपका बैंक सभी क्षेत्रों के मौजूदा देयता उत्पादों की निरंतर समीक्षा करता रहा ताकि ग्राहकों की उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों की विशेषताओं और प्रक्रियाओं को संशोधित कर सके. अन्य पहलों में,

आपके बैंक ने एक नया बचत खाता 'सुरक्षा प्लस बचत खाता' आरंभ किया जिसमें बचत खाते के लाभों के साथ दुर्घटना मृत्यु बीमा सुरक्षा और जीवन सुरक्षा दोनों के लाभ उपलब्ध हैं. यह न्यून एवं आकर्षक प्रीमियम दर पर समूह बीमा योजना के अंतर्गत पेश किया गया है. वर्ष के दौरान, 10 वर्ष के अवयस्क द्वारा स्वतंत्र रूप से परिचालित खाता 'पॉवरकिड्ज़ स्मार्ट सेविंग अकाउंट' आरंभ किया गया. उच्च मालियत वाले ग्राहकों के लिए 'रॉयल प्लस' श्रेणी के खाते में वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से आपके बैंक ने 'रॉयल प्लस' श्रेणी के सभी ग्राहकों को 'वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड' ऑफर करने का निर्णय लिया है जिसमें लक्ष्यित ग्राहकों की जरूरतों के मुताबिक विशिष्ट सुविधाएं तथा विशेषताएं शामिल की गई हैं. नेपाल में विप्रेषण सुगम बनाने की दृष्टि से, आपके बैंक ने नेपाल के ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड (जीआईबीएल) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं जो किसी भी व्यक्ति चाहे भारत या नेपाल का मूल निवासी हो, को बैंक की किसी भी शाखा में विप्रेषण करने की सुविधा प्रदान करेगा. शाखाओं में भारी नकद जमा रखने के उद्देश्य से आपके बैंक ने उच्च नकद जमा सीमा (सीडीएल) सुविधा के साथ 'कैश करंट अकाउंट (सीसीए)' आरंभ किया है.

एनआरआई सेवाएं

आपका बैंक एनआरआई ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है और मूलभूत एनआरई, एनआरओ व एफसीएनआर जमाओं के उत्पाद व सेवाओं के माध्यम से इस समुदाय के हितों का सवार्धिक ध्यान रखने का प्रयास करता है. ये उत्पाद एवं सेवाएं आधुनिकतम उत्पाद एवं मूल्य योजित सेवाओं के साथ उच्च प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध कराएं जाते हैं, इनमें एफसीएनआर जमाओं पर वायदा रक्षा, भारतीय सेकंडरी शेयर बाजार में निवेश के लिए पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस), एनआरआई जमाओं की प्रतिभूति पर ओवरड्राफ्ट सुविधा, आवास ऋण, संपत्ति पर ऋण शामिल हैं. त्वरित, किफ़ायती और सुविधाजनक निधि अंतरण करने के लिए बैंक एनआरआई ग्राहकों को भारत में झंझट-रहित निधि विप्रेषण के लिए कई विकल्प प्रदान करता है.

आपका बैंक अपने सम्मानित एनआरआई ग्राहकों से जुड़ने, संबद्ध रहने तथा संबंधों को प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से समाचारों, नवीन जानकारियों तथा सूचनाओं के संप्रेषण के लिए प्रत्येक तिमाही में एनआरआई न्यूजलेटर "एनआरआई संपर्क" भी जारी करता है.

संरचित रिटेल आस्ति कारोबार

आपका बैंक अपने रिटेल आस्ति उत्पादों और सेवाओं के साथ संरचित रिटेल वित्त के क्षेत्र में सर्वाधिक मांग वाले एक खिलाड़ी के रूप में उभरा है.

1,717
31 मार्च, 2015 को शाखाएं

329
2014-15 में जोड़ी गई नई शाखाएं

रिटेल परिसंपत्ति मोर्चे पर ऑफर किए गए सामान्य उत्पादों को उपलब्ध कराने के अलावा बैंक ग्रामीण/अर्ध शहरी आवास वित्तपोषण के लिए आवास ऋण योजना, आवास ऋण ग्राहकों के लिए ब्याज दर को लागू ब्याज दर में परिवर्तित करने के लिए विशेष योजना जैसे नवोन्मेषी उत्पाद प्रस्तुत करता है ताकि बैंक के ग्राहकों को अधिक विविध एवं ग्राहकोनुकूल सुविधाएं मिल सकें. आपके बैंक ने अपने ग्राहकों की सुविधा के साथ-साथ कार्रवाई समय (टीएटी) को कम करने के लिए संरचित रिटेल आस्ति उत्पादों के दिशानिर्देशों को भी सरल किया है जिसके द्वारा बैंक के उत्पादों को बाजार में सर्वाधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाया गया है. बैंक आवास ऋणों, शिक्षा ऋणों, ऑटो ऋणों और वैयक्तिक ऋणों के लिए ऑनलाइन ऋण आवेदन की सुविधा भी प्रदान करता है जिसमें ट्रैकिंग प्रणाली के साथ आवेदक को किसी ऋण आवेदन की अद्यतन स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा उपलब्ध रहती है. अपनी क्षेत्र विशिष्ट शिक्षा ऋण योजनाओं के दायरे को बढ़ाते हुए आपके बैंक ने 8वीं से 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए "उड़ान" नामक एक अनोखी बचत-सह-शिक्षा ऋण योजना शुरू की है. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने वाहन ऋण कारोबार को गति देने के लिए प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों जैसे टाटा मोटर्स, होंडा मोटर्स, मारुति सुजुकी आदि के साथ गठजोड़ को नवीकृत किया है.

समावेशी विकास को सुनिश्चित करने की अनिवार्यता को संज्ञान में लेते हुए आपका बैंक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय समूह (एलआईजी) के लिए सरकार समर्थित विभिन्न योजनाएं ऑफर करने के साथ-साथ उन्हें घर खरीदने के लिए ₹ 5 लाख तक की राशि की वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है. आपका बैंक ईडब्ल्यूएस और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण सब्सिडी योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी भी है.

वैकल्पिक चैनल एवं कार्ड

आपका बैंक किसी भी समय, कहीं भी और खासकर आसान तरीके से विभिन्न चैनलों के माध्यम से अपने ग्राहकों के लिए अधिकतम सुविधा सुनिश्चित करने हेतु वैकल्पिक बैंकिंग चैनलों जैसे एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आदि को लगातार मजबूत कर रहा है. बैंक के नज़रिए से ये चैनल निम्नतर लेनदेन लागत के कारण बैंक की परिचालनगत लागत को कम करने में सहायक हैं.

अक्तूबर 2001 में अपनी शुरुआत के समय से बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को लगातार उन्नत बनाते हुए इसमें कई विशेषताएं जैसे सावधि जमा (एफडी) और आवर्ती जमा (आरडी) खोलना, कर भुगतान, शॉपिंग/ बिल भुगतान, कार्ड से कार्ड राशि का अंतरण, मोबाइल रिचार्ज, हवाई/ रेल टिकटों की बुकिंग, ऑनलाइन आईपीओ एएसबीए और डीमैट/ सरकारी बांड के परिचालन शामिल किए गए हैं.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने अपने मौजूदा ग्राहकों के लिए उपलब्ध कार्ड उत्पादों के समूह को पूरा करने के लिए वीजा प्लेटफार्म पर क्रेडिट कार्ड शुरू किया है. बैंक इस कार्ड को दो तरह के ग्राहकों अर्थात् एचएनआई ग्राहकों के लिए रॉयल (वीज़ा सिग्नेचर कार्ड) और बैंक के साथ संतोषजनक संबंध रखने वाले अन्य मौजूदा ग्राहकों के लिए एस्पायर (वीज़ा प्लैटिनम कार्ड) ऑफर करता है.

बैंक ने ई-कॉमर्स लेनदेनों को बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स वेबसाइटों से प्राप्त लेनदेनों को प्राधिकृत करने का कार्य भी शुरू किया है.

आपका बैंक एसएमएस, ब्राउज़र और यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के साथ-साथ एंड्रायड आधारित मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की सुविधा देता है जो ग्राहकों को यात्रा के दौरान भी लेन-देन की सुविधा देते हैं.

बैंक ने अपनी ई-लाउंज सुविधा - 24x7 के आधार पर बैंकिंग सेवाओं की विस्तृत सुविधा प्रदान करने हेतु तैयार की गई एक ऑटोमेटेड बैंकिंग सेवा- सितंबर 2014 में मुंबई में शुरू की तथा उसके बाद इसे देश के विभिन्न केन्द्रों में आरंभ किया गया है.

ग्राहकों को साइबर धोखाधड़ियों के प्रति जागरूक बनाने और इन्हें रोकने के उद्देश्य से आपका बैंक यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के ग्राहकों को समय-समय पर इसके द्वारा अपनाए गए सुरक्षा उपायों के बारे में ई-मेल, एसएमएस और विवरणियों में दी गई टिप्पणियों के माध्यम से जानकारी दी जाए. इसके अतिरिक्त, लॉगिन से पहले बैंक के नेट बैंकिंग पृष्ठ पर सुरक्षित इंटरनेट बैंकिंग के लिए सावधानी बरतने संबंधी पृष्ठ भी प्रदर्शित किया जाता है. आपके बैंक की वेबसाइट पर नेट बैंकिंग का उपयोग करने के दौरान सुरक्षा उपायों (क्या करें और क्या न करें) को भी प्रदर्शित किया गया है. सभी चैनल लेनदेनों के लिए ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट भेजे जाते हैं ताकि संभावित दुरुपयोग को रोका जा सके.

टीपीडी तथा पूंजी बाजार उत्पाद

आपका बैंक अपने ग्राहकों के वित्तीय लक्ष्यों तथा जोखिम प्रोफाईल को ध्यान में रखते हुए उन्हें मूल्यवर्धक सेवाएं पहुंचाने का लगातार प्रयास करता है. इस आशय से आपके बैंक ने अवरुद्ध राशि समर्थित ऑनलाइन आवेदन (एएसबीए) को सक्रिय कर इसे दिसंबर 2014 से अपने सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध करा दिया है. आपके बैंक ने अपने सभी ग्राहकों के लिए ऑनलाइन एनपीएस अभिदान को भी सक्रिय किया है.

आपका बैंक एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लि. (एनडीएमएल) के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक-इंश्योरेंस खाता (ई-आईए) शुरू कर सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में ई-इंश्योरेंस खाता सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक बना है. ई-आईए किसी बीमा रिपोजिटरी से इलेक्ट्रॉनिक रूप में बीमा पॉलिसियों की खरीद और उसे धारण करने की सुविधा प्रदान करता है. किसी बीमाधारक की भौतिक रूप में मौजूदा पॉलिसियों को भी डीमैटेरियलाइज किया जा सकता है और ई-आईए में रखा जा सकता है. ई-आईए के माध्यम से बीमाधारक तेजी के साथ और सटीक रूप से बीमा पॉलिसियों में बदलाव, आशोधन और संशोधन भी कर सकते हैं.

वित्तीय समावेशन

आपका बैंक समाज के सर्वाधिक निर्बल वर्ग के लोगों को सस्ती लागत पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित कर वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने में नीति-निर्माताओं की भागीदारी में सक्रिय रहा है. वर्ष के दौरान बैंक द्वारा किए गए कुछ प्रमुख पहल कार्यों की चर्चा इस खंड में की गई है.

आपका बैंक समाज के सर्वाधिक निर्बल वर्ग के लोगों को वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित कर वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने में नीति-निर्माताओं की भागीदारी में सक्रिय रहा है.

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) प्रारंभ करने की घोषणा की जो देश के सभी परिवारों जिसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों, समाज के कमजोर वर्ग, महिलाओं, छोटे एवं सीमांत किसानों और मजदूरों पर विशेष ध्यान देने के साथ उन्हें समर्थ बनाने तथा वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है. इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूलभूत बैंक खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं की सभी तक पहुँच सुनिश्चित करना है. इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ₹ 1 लाख की अंतर्निहित दुर्घटना बीमा सुरक्षा सहित रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए. पीएमजेडीवाई के अधीन पहली बार खाता खोलने वाले खाता-धारकों को ₹ 30,000 की जीवन बीमा सुरक्षा भी प्रदान की गई है जो कुछ निश्चित पात्रता मानदंडों के अधीन है. पीएमजेडीवाई योजना लाभार्थियों के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और एलपीजी ग्राहकों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल) योजनाओं के माध्यम से सरकारी लाभों को नियमित करने के लिए भी बनाई गई है.

कार्यक्रम के अंतर्गत, आपके बैंक ने रूपे डेबिट कार्ड सुविधा सहित 9.29 लाख खाते खोले और यह खाते ₹ 5,000/- तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए पात्र हैं. आपके बैंक ने अपने सीएसआर बजट से पीएमजेडीवाई हेतु आईबीए कोष निधि में ₹ 2.26 करोड़ की कुल राशि का योगदान भी किया है; जिसका सृजन पीएमजेडीवाई अभियान के लिए निधियाँ जुटाने हेतु किया गया.

वित्तीय साक्षरता

वित्तीय साक्षरता को प्रभावी वित्तीय समावेशन और लाभार्थियों को उपलब्ध वित्तीय सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के एक महत्वपूर्ण भाग की पूर्वापेक्षा के रूप में निर्धारित किया गया है. आपके बैंक ने अपनी ग्रामीण शाखाओं में 'वित्तीय साक्षरता जानकारी केंद्र' नामक डेस्क स्थापित किए हैं जो मुद्रा के प्रबंधन, बचत की महत्ता, बैंकों में बचत के फायदे, बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई अन्य सुविधाएं, बैंकों से लिए उधारों के लाभ आदि पर शाखा में आने वाले ग्राहकों तथा शाखा से बाहर आयोजित साक्षरता कैंपों में आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं. वर्ष के दौरान आपके बैंक की ग्रामीण शाखाओं ने ऐसे 842 बाह्य साक्षरता कैंपों का आयोजन किया. पीएमजेडीवाई कार्यक्रम के अधीन आपके बैंक ने पाँच मेगा-अकाउंट-ओपनिंग-कम-फाइनेंशियल साक्षरता कैंपों का आयोजन सिलवासा (दादर एवं नगर हवेली), ऋषिकेश (उत्तराखंड), सनावद (म.प्र.), पटना (बिहार) और नालासोपारा (महाराष्ट्र) में किया जिसमें बैंक के वरिष्ठ स्तरीय कार्यपालकों के साथ-साथ राज्य/ केंद्र सरकार के गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए.

आपके बैंक का महाराष्ट्र के सातारा जिले में स्थित आईडीबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आईडीबीआई-आरएसईटीआई) ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 'ए' ग्रेड से पुरस्कृत किया गया है. वर्ष के दौरान आईडीबीआई-आरएसईटीआई ने 18 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया.

आधार पंजीकरण

आपका बैंक आधार पंजीयन के लिए रजिस्ट्रार के रूप में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पास रजिस्टर्ड है. यूआईडीएआई को चार राज्यों अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पुनराबंटन के उपरांत आपके बैंक ने इन राज्यों में भी आधार पंजीयन का कार्य करने का निर्णय लिया है. आपके बैंक ने अब तक चार नए राज्यों सहित 14 राज्यों में 35.7 लाख निवासियों का पंजीयन कर दिया है.

एलपीजी (डीबीटीएल) योजना के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

भारत सरकार ने 15 नवंबर 2014 से 54 जिलों में और दिनांक 1 जनवरी 2015 से पूरे देश में एलपीजी ग्राहक (डीबीटीएल) योजना के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को फिर से शुरू किया है. पिछली योजना में जहां प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सुविधा लेने हेतु आधार संख्या जरूरी थी वहीं अब आशोधित योजना के अधीन आधार संख्या या बैंक खाता संख्या के आधार पर लेनदेन किए जा सकेंगे.

आपके बैंक ने डीबीटी/ डीबीटीएल के महत्व के बारे में और बैंक खाते से आधार संख्या को जोड़ने हेतु आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से अनेक कदम उठाए हैं. इनमें शाखा परिसर और एटीएम में नोटिस लगाने सहित ई-मेल और एसएमएस भी शामिल हैं. आधार को जोड़ने के भौतिक अनुरोध को स्वीकार करने के साथ बैंक के वैकल्पिक चैनलों अर्थात् एसएमएस, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, कॉल सेंटर ने भी प्रभावी रूप से खातों से आधार संख्या को जोड़ने का कार्य किया है. आपका बैंक यह सुनिश्चित करता है कि जोड़ी गई आधार संख्याओं को प्रतिदिन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के मैपर में अपलोड किया जाए तथा 31 मार्च 2015 को 12.36 लाख खातों को आधार संख्याओं से जोड़ा गया है जिनमें से 3.56 लाख खाते पीएमजेडीवाई के अंतर्गत हैं. इसके बाद यथा 31 मार्च 2015 को आपके बैंक ने डीबीटीएल के तहत 12 लाख से अधिक लेनदेन किए.

9.29 लाख
2014-15 में खोले गए पीएमजेडीवाई खाते

₹ 2.26 करोड़
पीएमजेडीवाई अभियान के लिए सीएसआर बजट से अंशदान

इसके अतिरिक्त आपके बैंक ने रायपुर नगर निगम से प्राप्त अधिदेश के अनुसार रायपुर, छत्तीसगढ़ में 23,000 वृद्ध पेंशनरों को स्मार्ट कार्ड के जरिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण करना जारी रखा. आपके बैंक ने छत्तीसगढ़ के तीन जिलों की 192 ग्राम पंचायतों में लगभग एक लाख लाभार्थियों को मनरेगा मजदूरी के वितरण की परियोजना को भी जारी रखा. 31 मार्च 2015 तक आपके बैंक द्वारा लगभग 65,000 लाभार्थियों के खाते खोले गए.

इन पहलों के अतिरिक्त आपके बैंक ने समाज के कमजोर वर्ग और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों को घर तक बैंकिंग की सुविधा भी प्रदान की.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बैंकिंग

आपका बैंक विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कृषि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्रों को ऋण, साथ ही आवास ऋण और शिक्षा ऋण प्रदान करते हुए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है.

पीएसएल कारोबार पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से आपके बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त समूह का अपने रिटेल बैंकिंग समूह में विलय कर संगठनात्मक पुनर्संरचना का कार्य किया जिसने बैंक के सम्पूर्ण रिटेल नेटवर्क को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बैंकिंग करने में सक्षम बनाया. साथ ही, एक जबर्दस्त अंचल संरचना को भी निरूपित किया जिसके तहत शाखा/क्षेत्र/अंचल स्तर पर ऋण वितरण में तीव्र और त्वरित निर्णय लेने हेतु अधिक शक्तियां प्रदान की गईं. बैंक ने पीएसएल प्रस्तावों को विशेष रूप से प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा शीघ्रता से प्रोसेस करने के उद्देश्य से 29 समर्पित ऋण प्रोसेसिंग केन्द्रों की स्थापना की. बैंक ने पीएसएल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए और अधिक सीपीसी खोलने की योजना बनाई है.

देश के स्थायी विकास में कृषि और एमएसई के महत्व को समझते हुए बैंक ने इस खंड में विभिन्न पहल-कार्य किए जिसमें विभिन्न कृषि और एमएसई समूहों में इन खंडों में उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं के बारे में शिक्षित करने और जागरूकता फैलाने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना सम्मिलित है. आपके बैंक ने विभिन्न अंशधारकों द्वारा आयोजित विभिन्न सम्मेलनों, व्यापार मेलों और संवर्धनात्मक आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लिया.

अपने कृषि उधार पोर्टफोलियो को बढ़ावा देने के लिए, किसानों/ किसानों के समूह, कृषि से संबद्ध कॉरपोरेट या सहकारी संस्थाओं, कृषि प्रसंस्करण इकाइयों और कृषि क्षेत्रों को सहायता देने वाली संस्थाओं को सीधे ऋण देने के लिए बैंक ने देश भर में विशेष टीमें बनाई हैं जो इन सभी घटकों के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करती हैं. इन टीमों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषक समुदायों को जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई जिससे कृषिगत आय पर सकारात्मक परिणाम होगा और फलस्वरूप ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में भी सुधार होगा. आपका बैंक कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण में शामिल कॉरपोरेट एवं सहकारी संस्थाओं के साथ गठजोड़ कर कृषिगत देयताओं में वृद्धि करने पर अपना ध्यान केन्द्रित करता रहा है, बैंक ने फसलों की खेती एवं उससे संबद्ध गतिविधियों के लक्ष्य को

ध्यान में रखते हुए अपना पूरा ध्यान किसानों को सीधे रिटेल उधार देने पर लगाया. खरीफ और रबी फसलों के मौसम के दौरान आपके बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए अभियान चलाया. सभी किसान क्रेडिट कार्डों का रूपांतरण एटीएम समर्थित डेबिट कार्डों में करने के वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने केसीसी एटीएम-सह-डेबिट कार्ड को रुपे प्लेटफॉर्म पर आरंभ किया.

आपके बैंक ने ग्रामीण शाखाओं के तहत आने वाले गांवों में किसान क्लब के गठन को प्रोत्साहित करना जारी रखा है, बैंक किसान क्लब के सदस्यों को बुनियादी स्तर पर कृषि को बढ़ावा देने वाला बुनियादी कार्यकर्ता मानता है. बैंक उन्हें अपने सदस्य किसानों के बीच जानकारी साझा करने से लेकर सभी गतिविधियों में सहायता प्रदान करता है. बैंक ने पूरे देश में विभिन्न कृषि प्रदर्शनियों, 'किसान मेलों' और 'ऋण मेलों' में भागीदारी के माध्यम से किसानों तथा अन्य कृषिगत मध्यस्थों के साथ सहभागिता को बढ़ाने का काम किया है.

आपके बैंक ने नई कृषि ऋण योजना अर्थात् किसान बहुउद्देशीय मीयादी ऋण, किसान वाहन ऋण और कृषि उन्नति आरंभ किया है तथा कृषिगत उत्पादों के दृष्टिबंधन पर किसानों, राज्य विशेष कृषि क्लस्टर योजना के तहत चावल मिलों, दाल मिलों, पोहा मिलों, कोपरा (गरी) प्रसंस्करण के लिए निधियां देनी शुरू की हैं. छ: क्षेत्रों में क्षेत्र विशेष ऋण योजनाएं भी शुरू की गई हैं.

उभरते कृषि क्षेत्र में संभावनाओं का फायदा उठाने के उद्देश्य से प्रधान कार्यालय स्तर पर हाई-टेक कृषि कक्ष की स्थापना की गई है. इस कक्ष ने शाखाओं के लाभ के लिए 15 मॉडल परियोजनाएं आरंभ की हैं तथा इसमें परामर्शी सेवाएं प्रदान करने की क्षमता है.

देश के सुदूरतम भाग तक पहुँचने के लिए आपके बैंक ने देश भर में 46 कारोबार प्रतिनिधि/ कारोबार सुविधाकर्ता (बीसी/ बीएफ) नियुक्त किए हैं. साथ ही इस चैनल के तहत सृजित खातों को खोलने एवं उनकी देख-रेख के लिए सुदृढ़ आईटी प्लेटफॉर्म विकसित किया है. बैंक ने इस क्षेत्र में शाखा अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों को बढ़ाने के उद्देश्य से 1400 वैयक्तिक बीसी/ बीएफ नियुक्त किए हैं. बैंक का यह सतत प्रयास है कि इस चैनल को आगे और बढ़ाते हुए अपने ग्राहकों के साथ रिश्तों को और भी मजबूत किया जाए.

देश के आर्थिक विकास में एमएसई क्षेत्र के महत्व को समझते हुए एमएसई को आपके बैंक की कारोबार रणनीति में विशेष प्रमुखता दी गई है. एमएसई क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने विभिन्न कॉरपोरेट समूहों के साथ गठजोड़ किया है. बैंक ने एमएसई को बैंकिंग दायरे में लाने तथा उनकी विभिन्न बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से कई एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं.

आपके बैंक ने पूरे देश में एमएसई का वित्तपोषण करने के उद्देश्य से क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाया है तथा इस दृष्टिकोण को सार्थक दिशा देने के उद्देश्य से कई अध्ययन किए जा रहे हैं. इस समय एमएसई क्षेत्र के अग्रिमों को बढ़ाने के उद्देश्य से 10 क्लस्टरों के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई हैं.

उभरते कृषि क्षेत्र में संभावनाओं का फायदा उठाने के उद्देश्य से प्रधान कार्यालय स्तर पर हाई-टेक कृषि कक्ष की स्थापना की गई है. इस कक्ष ने शाखाओं के लाभ के लिए 15 मॉडल परियोजनाएं आरंभ की हैं तथा इसमें परामर्शी सेवाएं प्रदान करने की क्षमता है.

एमएसई क्षेत्र के लिए आपके बैंक ने 'सामान्य क्रेडिट कार्ड' आरंभ किया है. तीव्र तथा झंझटमुक्त ऋण प्रक्रिया के लिए आपके बैंक ने अपने उत्पाद एवं सेवा प्रस्तावों के साथ-साथ ऋण आवेदनों की प्रक्रिया को भी सरल बनाया है. उत्पाद विकास एवं संशोधन बैंक की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है.

यह परिकल्पित है कि इन पहलों से आपके बैंक को गुणवत्तापूर्ण, सुदृढ़ और स्थाई पीएसएल पोर्टफोलियो बनाने में सहायता मिलेगी तथा बैंक की सभी शाखाओं एवं खंडों तक इसे फैलाने में मदद मिलेगी जिससे सांविधिक आवश्यकताओं के साथ-साथ सभी अंशधारकों की अपेक्षाओं को भी पूरा किया जा सकेगा.

कॉरपोरेट वित्त

बैंक का कॉरपोरेट कारोबार समूह (सीबीजी) अपने कॉरपोरेट ग्राहकों की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखता है. बैंक के कारोबार को प्रभावी रूप से चलाने और मध्यम आकार के अधिक से अधिक कॉरपोरेट ग्राहकों के अधिग्रहण द्वारा क्रेडिट पोर्टफोलियो को जोखिमरहित और विकेंद्रित करने के अपने ध्येय के अनुरूप और बृहत आकार एवं मध्यम आकार के क्रेडिट पोर्टफोलियो के लिए संकेंद्रित दृष्टिकोण अपनाने हेतु बैंक के सीबीजी वर्टिकल को दो हिस्सों में यथा सीबीजी-I वृहत आकार के खाते देखने के लिए और सीबीजी-II मध्यम आकार के खाते देखने के लिए संरचित किया गया है. इसके साथ-साथ संकेंद्रित जोखिम से बचने के लिए अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने और कॉरपोरेट ग्राहकों से अधिक गैर-निधि व्यवसाय/ शुल्क आधारित आय प्राप्त करने की रणनीति अपनायी गई है. सीबीजी सक्रिय रूप से व्यापार वित्त, सरकारी कारोबार, नकद प्रबंधन सेवाओं, वेतन खातों और ट्रेजरी सेवाओं के जरिए मौजूदा ग्राहकों के साथ रिश्तों को गहरा बनाने में लगा है.

आपका बैंक भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार की प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के तहत वस्त्र उद्योग (गैर एमएसएमई क्षेत्र) के लिए नोडल एजेंसी है. इस योजना के तहत नोडल बैंक के रूप में अखिल भारतीय स्तर पर अपने बैंक के ग्राहकों से संबंधित मामलों की प्रोसेसिंग के अलावा आपके बैंक को 61 प्रमुख ऋणदात्री संस्थाओं में शामिल किया गया है जिनमें वाणिज्यिक बैंक, एआईएफआई, एसएफसी, एसआईडीसी और सहकारी बैंक शामिल हैं. सरकार ने हाल ही में 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक प्रभावी 'संशोधित पुनर्संरचित टीयूएफएस-(आरआरटीयूएफएस)' के रूप में इस योजना को फिर से शुरू किया है.

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा हाल में जारी परिपत्र के अनुसार आपका बैंक भी 'चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना, 2014' के तहत चीनी मिलों को ऋण देता है.

बुनियादी क्षेत्र को वित्त

भारत के समग्र आर्थिक विकास में बुनियादी क्षेत्र के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने इसे प्राथमिकता दी है. अपनी पूर्ववर्ती संस्था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जो सुधार युग से पहले देश की सर्वोच्च विकास वित्तीय संस्था रही है, के बुनियादी परियोजनाओं के वित्तपोषण के शानदार इतिहास की विरासत के साथ आपका बैंक इस क्षेत्र में बृहत बुनियादी परियोजनाओं की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए एक समर्पित वर्टिकल- इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेट समूह (आईसीजी) के साथ लगातार अग्रणी बना हुआ है.

आपके बैंक का आईसीजी वर्टिकल देश में अपनी समर्पित घरेलू शाखाओं एवं दुबई स्थित एक विदेशी शाखा के माध्यम से परियोजनाओं को सहायता उपलब्ध करा रहा है. इन सभी शाखाओं को प्रधान कार्यालय स्थित परियोजना मूल्यांकन टीम द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तथा बुनियादी परियोजनाओं में लगे ग्राहकों को संपूर्ण समाधान उपलब्ध कराए जाते हैं.

वर्टिकल के तहत आपके बैंक के पोर्टफोलियो में 50,000 मेगावाट से अधिक की कुल उत्पादन क्षमता की बिजली परियोजनाएं, 500 मिलियन से अधिक ग्राहकों को सेवाएं दे रहे दूर संचार सेवाप्रदाता, 7,000 किमी से अधिक की राजमार्ग परियोजनाएं, पूर्वोत्तर एवं पश्चिमोत्तर तटों पर बंदरगाह, पांच मिलियन उपभोक्ताओं के आधार को सेवा देने में लगी बिजली वितरण कंपनियां, मेट्रो रेल परियोजना, शहरी बुनियादी संरचना, लॉजिस्टिक के अलावा निजी क्षेत्र द्वारा संचालित देश के बड़े हवाई अड्डे शामिल हैं .

पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था में चारों ओर छाई मंदी के साथ-साथ निर्माण उद्योग में प्राप्य राशियों के न मिलने, बिजली कंपनियों में ईंधन से संबंधित मुद्दे, बिजली वितरण कंपनियों की चलनिधि में रुकावट आदि कारकों ने बुनियादी कंपनियों की वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया. आपके बैंक का इस क्षेत्र से लंबे समय तक जुड़े रहने के कारण गहन अनुभव है तथा बैंक ने सावधानी से उन परियोजना प्रस्तावों पर पुन: विचार किया जो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थीं और उन परियोजनाओं के पुनर्वित्त/ पुनर्संरचना/ प्रतिभूतिकरण आदि के जरिये उन्हें सहायता प्रदान की. साथ ही आपके बैंक ने ऋण मूल्यांकन, सुपुर्दगी एवं प्रशासन की प्रक्रिया में उचित संशोधन किया है.

आपका बैंक विभिन्न विभागों/ मंत्रालयों को आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण जानकारी देकर इस क्षेत्र के उच्च विकास हेतु भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न उपायों में शामिल रहा है.

ऋण समूहन, संरचनागत एवं सलाहकारी सेवाएं

आपका बैंक विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् बुनियादी, निर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए परियोजना मूल्यांकन ऋण समूहन, संरचनागत व सलाहकारी सेवाएं देने में सक्रिय रहा है. आपके बैंक ने वर्ष के दौरान परियोजना मूल्यांकन और ऋण समूहन के लिए कई अधिदेश प्राप्त किए हैं. आपका बैंक भारत में प्रमुख ऋण समूहनकर्ता के रूप में हमेशा से जाना जाता रहा है.

हरित बैंकिंग

आपके बैंक ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में पर्यावरण बैंकिंग में अग्रणी भूमिका निभाई है और पिछले दो दशकों से इस क्षेत्र में सक्रिय रहा है. विभिन्न बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के अलावा आपका बैंक क्योटो प्रोटोकॉल तथा स्वैच्छिक उत्सर्जन न्यूनीकरण (वीईआर) के अंतर्गत स्वच्छता विकास व्यवस्था (सीडीएम)/ कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान कर रहा है. आपका बैंक पिछले दो दशकों से भी अधिक समय से विभिन्न बहुपक्षीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुदान निधियों के संवितरण को सुगम बनाने के लिए विश्व बैंक और अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ मिलकर वित्तीय एजेंसी (एफ़ए) के रूप में कार्य कर रहा है. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपका बैंक जो सीटीसी क्षेत्र प्लान कार्यान्वयन परियोजना - ओडीएस IV के लिए वित्तीय एजेंसी (एफए) के रूप में कार्य कर रहा था; ने परियोजना को पूरा कर लिया है. सीटीसी के उत्पादन और प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए इस परियोजना को दिसंबर 2004 में आरंभ किया गया था.

आपका बैंक 26 अगस्त 2009 के अनुदान करार के अनुसार ओडीएस को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने तथा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए तैयार की गई एक अनूठी परियोजना - भारत में चिलर ऊर्जा कार्यकुशलता परियोजना (आईसीईईपी) के कार्यान्वयन इकाई (पीआईई) और वित्तीय मध्यवर्ती (एफआई) के रूप में कार्य कर रहा है. इस परियोजना का उद्देश्य मौजूदा पुराने सीएफसी चिलर को नए गैर-सीएफसी ऊर्जा कुशल चिलरों से बदलना है. आईसीईईपी की कुल मूल निधि 7.3 मिलियन अमरीकी डालर है और इसे ग्लोबल एन्वायरनमेंट सुविधा (जीईएफ) तथा ओज़ोन ट्रस्ट फंड (ओटीएफ) द्वारा निधियां प्रदान की जाती हैं. परियोजना ने चरणबद्ध तरीके से सीएफसी चिलर को समाप्त करने के परियोजना विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया है तथा अपने परिचालन में ऊर्जा दक्षता के साथ लाभार्थियों ने लगभग 6,800 किग्रा. सीएफसी (जो पुराने चिलरों में इस्तेमाल होने वाला ओडीएस रेफ्रिजरेंट है) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया है. परियोजना के लिए संवितरण अवधि को बढ़ाकर कर 30 अप्रैल 2015 कर दिया गया है.

आपका बैंक उन चुनिंदा सरकारी क्षेत्र के बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं में से एक है जो कार्बन डिस्क्लोजर परियोजना (सीडीपी) के हस्ताक्षरकर्ता हैं. बैंक का यह कदम कार्बन को कम करने के लिए एक जिम्मेदार कारोबारी

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में पर्यावरण बैंकिंग में अग्रणी भूमिका निभाई है.

भारत में चिलर ऊर्जा कार्यकुशलता परियोजना (आईसीईईपी) की कार्यान्वयन इकाई (पीआईई) और वित्तीय मध्यवर्ती (एफआई) के रूप में कार्य

व्यवस्था की दिशा में किए गए पहल कार्यों को सहयोग देने में से एक है. इसके अतिरिक्त, आपका बैंक अपने कार्बन पदचिन्हों को कम करने के लिए विभिन्न पहल कार्य कर रहा है जिसमें ऊर्जा बचाने वाली लाइटिंग की शुरुआत करना, सोलर पैनल एवं सोलर वॉटर हीटर लगाना शामिल है. ये कदम जल और ऊर्जा संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने में सहायक हैं.

आस्ति गुणवत्ता

आपके बैंक ने अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की अधिकाधिक वसूली और साथ ही मौजूदा एनपीए को अपग्रेड करने के लिए एनपीए की बारीकी से छानबीन करना जारी रखा है. आस्ति गुणवत्ता में किसी भी तरह की गिरावट को रोकने के लिए आपके बैंक ने उचित रक्षात्मक उपायों को अपनाया है. आपके बैंक ने अनुशासित ऋण जोखिम प्रबंधन के माध्यम से आस्ति गुणवत्ता के संबंध में उच्च मानक भी बनाए हैं. साथ ही विवेक सम्मत तरीके से जोखिम नियंत्रण के साथ अधिकतम लाभ के लिए आस्ति वृद्धि पर भी ध्यान दिया है.

मार्च 2015 के अंत में आपके बैंक की ऋण आस्तियों में से 94.12% ऋण आस्तियां मानक थीं; 1.40% आस्तियां अवमानक थीं; जबकि संदिग्ध आस्तियां 4.34% रहीं तथा बैंक की ऋण आस्तियों में 0.14% हानि आस्तियां बनी हैं, जिनके लिए विवेकपूर्ण विनियमों के अनुपालन में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.

आपके बैंक ने आस्ति गुणवत्ता सुधारने के लिए विभिन्न तरीकों से वसूली के तीव्र प्रयासों को जारी रखा है जिसके परिणाम स्वरूप इसमें काफी सुधार आया है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने अपने पोर्टफोलियो की गैर-निष्पादित आस्तियों / पूर्णतः बट्टे-खाते डाले गए (एनपीए/एफडब्ल्यूओ) मामलों के निपटान के लिए कई कदम उठाए हैं. सभी एनपीए मामलों के लिए संकेंद्रित एवं खाता-विशिष्ट समाधान संबंधी रणनीति अपनाई गई तथा इनकी निरंतर निगरानी रखी गई. एनपीए को अपग्रेड कर इसे निष्पादित आस्तियों में लाने पर भी जोर दिया गया. ऐसे मामलों में जहां इकाइयों को फिर से चालू किया जा सकता है, वहाँ आस्तियों की पुनर्संरचना के लिए कई कदम उठाए गए. इसके अतिरिक्त आपके बैंक ने चूक की स्थिति में सरफेसी अधिनियम के तहत प्रवर्तन कार्रवाई करने के साथ एकबारगी निपटान/ बातचीत कर निपटान (ओटीएस/एनएस), कानूनी कार्रवाई भी शुरू की है, साथ ही, इसके तहत प्रबंधन में बदलाव, आस्ति पुनर्संरचना कंपनी (एआरसी) को आस्तियों की बिक्री, शीघ्र कार्यान्वियन तथा डिक्री प्राप्त करने में न्यूनतम देरी के लिए नियमित आधार पर ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के साथ अनुवर्ती कार्रवाई तथा सामरिक निवेशकर्ता को शामिल किया गया है. आपके बैंक ने लघु एवं पुराने एनपीए/ एफडबल्यूओ मामलों के त्वरित निपटान के लिए संदिग्ध आस्तियों (डीए 3), ₹ 1 करोड़ तक की मूलधन बकाया वाली हानि और एफडबल्यूओ के मामलों के त्वरित निपटान के लिए 2014-15 की चौथी तिमाही में एक विशेष वसूली अभियान चलाया. साथ ही वसूली अभियान को बढ़ावा देने, अधिकतम वसूली और संबंधित स्टाफ सदस्यों को प्रेरित करने हेतु पूरे देश में एक प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई.

सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई किए गए सभी मामलों में वसूली एजेंट/ प्रवर्तन एजेंट को नियुक्त किया गया. साथ ही, ऐसे वसूली एजेंटों की नियुक्ति का अनुमोदन बोर्ड ने भी किया है जिनका अन्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों (एफआई) के साथ मामलों के निपटान में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. उपर्युक्त के अलावा निजी गुप्तचर एजेंसी तथा बैंक द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई पूछताछ/ जांच द्वारा गारंटरों की संपत्ति का मूल्यांकन करने के बाद डीआरटी के माध्यम से गारंटरों की संपत्ति को जब्त करने का संकेंद्रित प्रयास किया गया.

सभी एनपीए मामलों के लिए संकेंद्रित एवं खाता-विशिष्ट समाधान संबंधी रणनीति अपनाई गई तथा इनकी निरंतर निगरानी रखीं गई. एनपीए को अपग्रेड कर इसे निष्पादित आस्तियों में लाने पर भी जोर दिया गया.

व्यापार वित्त

आपका बैंक लगातार अपने घरेलू कारोबार के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त (टीएफ) कारोबार में प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहा है.

निर्यातकों को समय पर प्रतिस्पर्धी दर पर विदेशी मुद्रा निधियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक ने विदेशी मुद्रा उधार राशियों के लिए अपने विदेशी संपर्क बैंकों के साथ गठजोड़ किया है.

इस अवधि के दौरान आपके बैंक ने सम्पूर्ण भारत में सर्व सुविधा संपन्न व्यापार वित्त (टीएफ) केन्द्र (विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत डीलर) खोले हैं. साथ ही, अंतर्देशीय टीएफ कारोबार (एलसी/ बीजी) करने के लिए 60 से अधिक खुदरा बैंकिंग शाखाएं सक्षम बनाई गई हैं ताकि अधिकतर घरेलू टीएफ ग्राहकों तक पहुँच बनाई जा सके.

बैंक ने व्यापार वित्त कारोबार को सुगम बनाने के लिए विदेशी बैंकों के साथ सुदृढ़ संबंध बनाए रखे हैं. अवधि के दौरान बैंक ने 64 प्रमुख विदेशी बैंकों के साथ आरएमए (संबंध प्रबंधन अनुप्रयोग) स्थापित किया जिससे आरएमए संख्या बढ़कर 1,506 हो गई. इस बढ़े हुए नेटवर्क के साथ आपका बैंक विश्व के अधिकांश भौगोलिक क्षेत्रों के साथ द्विपक्षीय व्यापार लेनदेनों को निपटाने में सक्षम है.

सरकारी कारोबार

आपका बैंक केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों से प्राप्त राशियों और भुगतानों का प्रबंध करने के लिए एजेंट का कार्य करता है. इसके अलावा यह केंद्र सरकार के करों को संग्रहित करने के साथ आयकर, टीडीएस, निगम कर, उत्पाद कर, सेवा कर और सीमा शुल्क भुगतानों के लिए प्राधिकृत है. साथ ही आपके बैंक के पास वाणिज्यिक कर और 18 राज्य सरकारों तथा दो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अन्य सरकारी प्राप्तियों को संग्रहित करने का भी अधिकार है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने विभिन्न करों और केंद्र तथा राज्य सरकारों की ओर से शुल्क भुगतानों के रूप में ₹ 2.22 लाख करोड़ संग्रहित किए हैं.

अपने सरकारी कारोबार को बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ बैंक केंद्र और राज्य सरकारों की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में अग्रणी रहा है और इसने उनकी ओर से लेनदेनों को पूरा करने के लिए संबंधित सॉफ्टवेयर

विकसित करने में पहल की है. इसके अलावा उनके संबंधित शुल्क/ कर दाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों की ट्रेजरी के साथ संयोजन किया है. इसके साथ, आपका बैंक अपने सरकारी कारोबार की भौगोलिक सीमाओं को भी लगातार बढ़ा रहा है.

अपने सर्वोत्तम तकनीकी प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देते हुए बैंक अन्य बातों के साथ-साथ कर भुगतानों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर 24x7 इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है. आपका बैंक अखिल भारतीय स्तर पर अपनी प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से जनता की सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) को स्वीकार करने और संचालित करने के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त है. आपके बैंक ने भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई 'जीवन प्रमाण योजना' के अंतर्गत पेंशनधारकों द्वारा अपने 'डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र' को लॉग इन करने और जमा करने के लिए केन्द्रीय और रक्षा क्षेत्र के पेंशनधारकों के लिए जीवन प्रमाणपत्र को आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए भी सुविधा प्रदान की है.

नकदी प्रबंधन सेवाएं

आपके बैंक की नकदी प्रबंधन सेवा (सीएमएस) विशेषीकृत सॉफ्टवेयर का नियंत्रित तरीके से उपयोग करते हुए ग्राहकों के निधि संचलन पर ध्यान रखने, भुगतानों के रखरखाव और प्राप्य प्रणालियों और कॉरपोरेट की सम्पूर्ण चलनिधि स्थिति के प्रबंधन का कार्य करती है.

आपका बैंक संग्रहण के विभिन्न प्रकारों और भुगतान उत्पादों के साथ कर्ज चुकौती उत्पादों, वर्चुअल खाता प्रणाली, ई-फ्रेट भुगतान सुविधा, प्रत्यक्ष नामे सुविधा, वेंडर प्रबंधन प्रणाली इत्यादि की सुविधाएं प्रदान करता है जो ग्राहक सिस्टम के साथ आधुनिकतम तकनीकी एकीकरण पर आधारित हैं और विकसित बाजार-प्रवृत्ति के अनुरूप हैं.

आपके बैंक ने बृहत् सरकारी क्षेत्र की इकाईयों (पीएसयू) तथा अन्य निगमों से वर्ष के दौरान प्रतिष्ठत लाभांश वितरण अधिदेशों को प्राप्त करना जारी रखा और इस क्षेत्र में अपनी महत्त्वपूर्ण उपस्थिति बनाए रखी.

आपका बैंक वर्चुअल खाता सिस्टम उपलब्ध करता है जो विप्रेषक पहचान के लिए एक तकनीकी चैनल है जिसके द्वारा ग्राहक के खातों में विप्रेषक आधार पर प्राप्तियों का वर्गीकरण किया जाता है और इसे ग्राहकों को आसान समाधान के लिए संरचित फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जाता है.

आपका बैंक भारतीय रेल के ई-फ्रेट भुगतान सिस्टम के लिए रेल के छह अंचलों में ई-फ्रेट संग्रहण हेतु प्राधिकृत संस्था है और इसने वर्ष के दौरान अधिक से अधिक रेल अंचलों को प्राप्त करने की कोशिश जारी रखी.

94.12%
मानक ऋण आस्तियां

₹ 2.22 लाख करोड़
केंद्र और राज्य सरकारों की
ओर से संग्रहित कर एवं शुल्क

चूंकि सीएमएस बैंक का एक प्रमुख कार्यक्षेत्र है, इसलिए कई सिस्टमों को बेहतर बनाने अर्थात् स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी), ऑपरेटिंग सिस्टम के उच्चतर संस्करण के साथ सिस्टम की कंपैटेबिलिटी, तत्काल भुगतान सेवाओं (आईएमपीएस), डिजिटल हस्ताक्षर और अन्य विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है.

ट्रेजरी परिचालन

आपके बैंक के प्रधान कार्यालय में एकीकृत ट्रेजरी है जिसमें निधियों के बेहतर प्रबंधन तथा ट्रेजरी परिचालन के लिए मुद्रा बाजार, नियत आय, विदेशी मुद्रा-विनिमय, डेरिवेटिव और इक्विटी क्रय-विक्रय परिचालनों से संबंधित कार्य किए जाते हैं. ट्रेजरी नकदी रिज़र्व अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के विनियामक अनुपालन का प्रबंधन करते समय ग्राहक को बाजार उत्पादों में लेनदेन, संसाधन जुटाने, विभिन्न बाजार खंडों में व्यापार और बाजार निर्माण के कार्य में सुगमता प्रदान करता है. आपके बैंक के ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण समाधान देने तथा सक्षम कारोबार परिचालन के लिए ट्रेजरी विभाग अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त है.

जमाराशियों के संग्रहण के अतिरिक्त आपके बैंक ने तुलन पत्र में वृद्धि और देयताओं की परिपक्वता के भुगतान हेतु चलनिधि का प्रबंध करने के लिए जमा प्रमाणपत्र, अंतर बैंक उधार राशियां, बांडों के निर्गम, विभिन्न स्रोतों से पुनर्वित्त और विदेशी मुद्रा उधार राशियों सहित विभिन्न लिखतों का प्रयोग किया. चलनिधि को विभिन्न अल्पावधि/ मुद्रा बाजार लिखतों के माध्यम से निधि तथा बाजार की स्थिति के आधार पर उपयुक्त स्तर पर रखा गया. आपका बैंक लगातार बाज़ारों के रुख पर भी नजर रखता है तथा व्यापार लाभ के लिए स्वीकार्य स्तर के तरीके अपनाता है.

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आपके बैंक ने वर्ष के दौरान चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम प्रबंधन टूल्स और उन्नत चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए एलसीआर प्रकटन मानकों को शामिल करते हुए चलनिधि मानकों पर बासेल III रूपरेखा को कार्यान्वित किया है.

आपके बैंक की ट्रेजरी की 12 केन्द्रों में फैली हुई एक बड़ी सेल्स टीम है जो विदेशी मुद्रा-विनिमय और डेरिवेटिव उत्पादों की प्रभावी मार्केटिंग करती है. यह टीम कॉरपोरेट ग्राहकों से नियमित रूप से संपर्क में रहती है और मुद्रा तथा दरों में एक्सपोजर का प्रभावी तरीके से प्रबंधन करने के लिए तत्परतापूर्वक समाधान करती है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने ग्राहकों को उनकी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके ब्याज दर जोखिम तथा विदेशी विनिमय दर जोखिम से बचाव के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत विकल्पों व स्वैपों के जरिए प्रतिस्पर्धी दरों पर विभिन्न प्रकार के ग्राहकीकृत समाधान प्रदान किए.

इसके अलावा आपके बैंक ने सामान्यतः नियत आय उत्पादों तथा विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए विभिन्न केन्द्रों पर ऋण विक्रय टीमों का गठन किया है. यह टीम विशेष रूप से स्क्रीन आधारित

एनडीएस-ओएम मार्केट से बाहर के लेनदेन करने हेतु निवेशकों की आवश्यकताएं पूरी करती है.

आपका बैंक ट्रेजरी नवोन्मेषी वित्तीय समाधानों में अग्रणी रहा जो बाजार विकास में परोक्ष रूप से योगदान कर रहे हैं. निवेशकों को उनके खरीदे गए स्टॉक पर प्रतिदिन मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) स्थिति उपलब्ध कराने हेतु 'आईडीबीआई समृद्धि जी-सैक पोर्टल' को पुनर्निर्मित किया गया है जो भारत सरकार द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों में कारोबार के इच्छुक रिटेल निवशकों के लिए बनाया गया है. बैंक का 'आईडीबीआई समृध्दि सीडी' पोर्टल देश में रिटेल निवेशकों के लिए पहला ऑनलाइन सीडी पोर्टल है जिसे रिटेल निवेशकों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. कॉरपोरेट बांडों में रेपो के विकास हेतु विभिन्न बाजार प्रतियोगी वैश्विक प्रधान पुनर्खरीद करारों (जीएमआरए) को प्रारम्भ करने में आपके बैंक का अग्रणी स्थान बना रहा.

सुसाध्य स्फीतिकारी स्थितियों के अनुसरण में ब्याज दर क्षेत्र में बाजार स्थितियां, लिखतों और परिपक्वता में ब्याज दरों की गिरावट के साथ कम अस्थिर रहीं. वर्ष के दौरान रुपये की विनिमय दर भी सामान्यत: स्थिर रही है. आपके बैंक ने उभरते बाजार परिवर्तनों पर लगातार पैनी नजर रखी तथा चलनिधि, ब्याज दर और विनिमय एक्सपोजर के तत्पर प्रबंधन को नियमित रूप से सुनिश्चित किया. आपके बैंक ने वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा की गई विभिन्न पहलों जैसे 14 दिन परिवर्ती दर टर्म रेपो, परिवर्ती दर रेपो/ रिवर्स रेपो में सक्रिय रूप से भागीदारी की और उनमें सम्मिलित हुआ.

प्राथमिक व्यापारी (पीडी) कारोबार में आपके बैंक ने भारत सरकार द्वारा जुटाए गए विभिन्न अवधियों के ऋण की पर्याप्त राशि की हामीदारी दी है. आपके बैंक ने नीलामी बोली प्रक्रियाओं में भाग लेकर निधियाँ जुटाने में विभिन्न राज्य सरकारों को सहायता भी प्रदान की है. टी-बिल खंड में भी प्राथमिक व्यापारी (पीडी) कारोबार ने अपेक्षित सफलता अनुपात और सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों व टी-बिलों में गौण बाजार टर्नओवर को हासिल करने के संबंध में सभी लागू वचनबद्धताओं को पूरा किया है.

सीमा पार शाखाएं

दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी), दुबई स्थित बैंक की विदेश शाखा है जिसने अपने परिचालनों का पाँच वर्ष से कुछ अधिक का समय पूरा कर लिया है. आपका बैंक डीआईएफसी शाखा के माध्यम से भारतीय ग्राहकों के भारतीय परिचालनों और समुद्रपारीय उद्यमों के लिए निधि संबंधी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) प्रदान करने, ईसीबी/ एफसीएल के विदेशी मुद्रा ऋण (एफसीएल) समूहन तथा व्यापार वित्त उत्पादों सहित विभिन्न प्रकार की कॉरपोरेट बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है.

आपका बैंक विदेश में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के अवसरों की भी तलाश कर रहा है.

ऋण रेटिंग

आपका बैंक देशी तथा विदेशी मुद्रा दोनों उधारों के लिए ऋण रेटिंग प्राप्त करता है. रुपया संसाधनों के लिए रेटिंग निम्नानुसार है :

आपके बैंक ने बांड जारी कर कुल ₹ 6,500 करोड़ की राशि जुटाई जिसमें बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टीयर 1 बांड (₹ 2,500 करोड़) तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड (₹ 4,000 करोड़) शामिल हैं.

रुपया उधार राशियों के लिए रेटिंग

(यथा 31 मार्च 2015)

	क्रिसिल	इक्रा	इंडिया रेटिंग एण्ड रिसर्च
सावधि जमाराशियां	एफएएए/ स्टेबल	एमएए+	इंड टीएएए
अल्पावधि उधार राशियां (जमा प्रमाणपत्र)	क्रिसिल ए1+	[इक्रा] ए1+	इंड ए1+
दीर्घावधि रुपया बांड (सीनियर एवं लोअर टीयर II बांड)	क्रिसिल एए+/ निगेटिव	[इक्रा] एए+ / निगेटिव	इंड एए+
हायब्रिड - अपर टीयर II बांड)	क्रिसिल एए/ निगेटिव	[इक्रा] एए/ निगेटिव	इंड एए-
हायब्रिड - आईपीडीआई (बासेल II)	क्रिसिल एए/ निगेटिव	[इक्रा] एए/ निगेटिव	----
हायब्रिड - एटी1 (बासेल III)	क्रिसिल एए- / निगेटिव	[इक्रा] एए-/ निगेटिव	इंड एए-

बैंक की विदेशी मुद्रा उधार राशियों की रेटिंग तीन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों अर्थात् मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज (मूडीज़), स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एस एंड पी) तथा फिच रेटिंग (फिच) द्वारा की जाती है. दीर्घावधि विदेशी करेंसी रेटिंग और बैंक वित्तीय क्षमता की रेटिंग (बीएफएसआर)/ स्टैंड-अलोन क्रेडिट प्रोफाइल (एसएसीपी)/ अर्थक्षमता रेटिंग (वीआर) निम्नानुसार हैं :

विदेशी मुद्रा उधार राशियों के लिए रेटिंग

(यथा 31 मार्च 2015)

रेटिंग एजेंसी	रेटिंग
मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज (मूडीज़)	
दीर्घावधि रेटिंग	बीएए3/स्टेबल
बैंक की वित्तीय क्षमता रेटिंग (बीएफएसआर)	डी-/ निगेटिव
फिच रेटिंग्स	
दीर्घावधि निर्गमकर्ता चूक रेटिंग	बीबीबी- /स्टेबल
अर्थक्षमता रेटिंग (वीआर)	बीबी
स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एस एंड पी)	
निर्गमकर्ता क्रेडिट रेटिंग (आईसीआर)	बीबी+ /स्टेबल
स्टैंड-अलोन क्रेडिट प्रोफाइल (एसएसीपी)	बीबी

दीर्घावधि रुपया उधार राशियां

वर्ष के दौरान बैंक ने बांड जारी कर कुल ₹ 6,500 करोड़ की राशि जुटाई जिसमें बासेल III अनुपालन अतिरिक्त टीयर 1 बांड (₹ 2,500 करोड़) तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड (₹ 4,000 करोड़) शामिल हैं.

विदेशी मुद्रा संसाधन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने विदेशी मुद्रा के समतुल्य 3,388 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि जुटाई जिसमें (i) अक्तूबर 2013 में

केएफडब्ल्यू, जर्मनी से 10 वर्षों के 340 मिलियन अमरीकी डॉलर संविदा में से 40 मिलियन अमरीकी डालर जुटाई गई (ii) बैंकों से 2,998 मिलियन अमरीकी डालर की राशि अल्पावधि उधारों के रूप में जुटाई गई तथा (iii) 5 बिलियन अमरीकी डालर मध्यावधि नोट (एमटीएन) कार्यक्रम के अंतर्गत 350 मिलियन अमरीकी डालर बांड निर्गमों के जरिए जुटाए गए.

आपके बैंक ने डीआईएफसी शाखा, दुबई के माध्यम से 245 मिलियन अमरीकी डालर (200 मिलियन यूरो के समतुल्य) की राशि का 10 वर्षीय ऋण के लिए करार किया है और आपके बैंक द्वारा सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) को बैंकिंग प्रतिनिधि/ बैंकिंग सुगमकर्ता (बीसी/बीएफ) मॉडल के अंतर्गत मंजूर किए गए ऋणों का वित्तपोषण करने के लिए केएफडब्ल्यू, जर्मनी के साथ करार किया गया है.

दिनांक 31 मार्च 2015 तक भारतीय रिज़र्व बैंक की अंतर-बैंक संव्यवहार योजना के अंतर्गत उधार की बकाया राशि (350.40 मिलियन अमरीकी डालर), बैंक की टीयर-I पूंजी के 100% की आरबीआई अनुबद्ध समग्र अनुमत सीमा के भीतर थी.

यथा 31 मार्च 2015 को एमटीएन कार्यक्रमों के अधीन आपके बैंक का कुल निर्गम बकाया 2.31 बिलियन अमरीकी डालर था.

जोखिम प्रबंध

आपका बैंक अपने सभी वर्टिकलों में जोखिम के प्रति जागरूकता बढ़ाकर और उसे निर्णय लेने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाकर जोखिम संस्कृति में सुधार लाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है. समग्र जोखिम प्रबंध की जिम्मेदारी निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) की है किन्तु दैनंदिन कार्यकलाप जोखिम अभिशासन संरचना पर आधारित विभिन्न स्तरों पर किए जाते हैं.

आपके बैंक का जोखिम प्रबंध दर्शन शेयरधारकों के मूल्य में सतत् वृद्धि और पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग से संचालित होता है. जोखिम प्रबंध रणनीति चालू आधार पर कारोबार जोखिमों के अभिनिर्धारण, आकलन, निगरानी तथा नियंत्रण पर आधारित है जिससे पूंजी का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके. आपका बैंक न्यूनीकरण तथा कीमत-लागत निर्धारण के जरिए बैंकिंग कारोबार से जुड़े जोखिम प्रतिफल को उपयुक्त रूप से संतुलित करने का प्रयास कर रहा है. अन्य उपायों में, आपके बैंक ने सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीतियों की स्थापना और अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के अनुरूप जोखिम सीमाओं तथा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार की है, जिन्हें विनियामक परिप्रेक्ष्य से कारोबारी गतिशीलता, नवोन्मेषिता और परिवर्तनों के संदर्भ में आवधिक रूप से उन्नत किया जाता है.

निरंतर जटिल होती जा रही वित्तीय प्रणाली की चुनौतियों का सामना करने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को निरंतर उन्नत और विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप किया जा रहा है. जोखिम-तंत्र प्रणाली को भी और अधिक सुदृढ़ तथा प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत बनाने के उद्देश्य से आपके बैंक ने एकीकृत जोखिम प्रबंधन संरचना (आईआरएमए) को कार्यान्वित किया है जिसमें सॉफ्टवेयर समाधान अर्थात् जोखिम आकलन मॉड्यूल (आरएएम), पूंजी आकलन मॉडल (सीएएम) और व्यापक परिचालनगत जोखिम मूल्यांकक (कोर) शामिल हैं. आईआरएमए ऋण तथा परिचालन जोखिमों का अभिनिर्धारण करने तथा उन्हें मापने में सहायता करता है, जिनसे उपयुक्त जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियाँ तैयार करने में सुविधा होती है.

3,388 मिलियन अमरीकी डालर
वर्ष के दौरान जुटाई गई विदेशी मुद्रा

2.31 बिलियन अमरीकी डालर
एमटीएन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल बकाया निर्गम

बासेल मानदंडों का कार्यान्वयन

बासेल III मानदंडों के अंतर्गत पिलर - 1 दिशानिर्देशों के अनुपालन में आपका बैंक तिमाही आधार पर ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिम हेतु विनियामक पूंजी आवश्यकता की गणना करता है. बासेल III मानदंडों के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता पूंजी आवश्यकता के संबंध में आपके बैंक के पास वर्तमान में दिशानिर्देशों में निर्धारित विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सामान्य इक्विटी है.

31 मार्च 2015 को जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में आपके बैंक का पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 11.76 % था जो 9.0% की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से अधिक है. आपके बैंक का सीईटी 1 अनुपात 7.29% था जो रिज़र्व बैंक द्वारा सीईटी 1 हेतु निर्धारित अनुपात 5.5% की निम्नतम अपेक्षा से अधिक है. 31 मार्च 2015 को टीयर - 1 अनुपात 8.18 % रहा जबकि विनियामक अनुपात 7.00% है.

आपके बैंक के पास पिलर - 2 मानदंडों तथा बासेल III ढांचे के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) संबंधी नीति है. इस नीति द्वारा बैंक उन जोखिमों का आंतरिक रूप से आकलन और गणना कर सकता है जो पिलर - 1 में शामिल नहीं हो पाए हैं और साथ ही सामान्य तथा दबावग्रस्त स्थितियों में ऐसे जोखिमों के प्रबंधन के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ भी बना सकता है. आपके बैंक द्वारा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक व्यापक दबाव परीक्षण ढांचा भी कार्यान्वित किया गया है जिससे असाधारण किन्तु तर्कयुक्त घटनाओं की स्थिति में जोखिम प्रबंधन ढांचे का आकलन करने में सहायता मिलती है. यह ढांचा किसी अप्रत्याशित अनिश्चित स्थिति में उपयुक्त रणनीतियाँ लागू करने में सहायक होता है.

आपके बैंक ने बासेल मानदंडों के तहत पिलर-3 अपेक्षाओं के अनुसार एक प्रकटन नीति बनाई है जिसे बैंक प्रत्येक तिमाही के अंत में अपनी वेबसाइट पर अनिवार्यतः प्रकाशित करता है तथा इस प्रकार उच्च स्तरीय पारदर्शिता प्रदर्शित करता है.

ऋण जोखिम

आपके बैंक ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू की है जिसमें प्रस्तावों की क्रेडिट रेटिंग के लिए आरएमए और पूंजी की गणना के लिए स्वचालित प्रणाली (सीएएम) शामिल है.

शीर्ष स्तरीय रेटिंग समिति ऋण रेटिंग को प्रमाणित करती है और जोखिम विश्लेषकों तथा संपर्क प्रबंधकों का मार्गदर्शन भी करती है. एक सक्रिय उपाय के रूप में आपका बैंक विभिन्न ऋण सीमाओं की नियमित रूप से निगरानी करता है जिसमें विभिन्न कारोबारी समूहों, देशों, खंडों, क्षेत्रों तथा उद्योगों में ऋण निवेश शामिल हैं.

बाजार जोखिम

वित्तीय क्षेत्र ब्याज दर, इक्विटी मूल्य तथा विदेशी विनिमय में नियमित उतार-चढ़ाव से प्रभावित होती है. कार्य तथा कारोबार स्थिति के संदर्भ में आपके बैंक में बाजार जोखिम का प्रबंधन आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति, बाजार जोखिम तथा व्युत्पन्न नीति एवं निवेश नीति के अनुरूप किया जाता है. सामान्यतः ये नीतियां जोखिम उठाने के उचित स्तर की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं तथा जोखिम व अपवादों के प्रबंधन, रिपोर्टिंग तथा बढ़त के आकलन की प्रणाली लागू करती हैं.

परिचालनगत जोखिम

आपके बैंक के पास एक सुदृढ़ परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढांचा है जिसमें एक समर्थकारी संगठनात्मक व्यवस्था के तहत निदेशक मंडल, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति तथा विभिन्न कार्यों/ विभागों के नोडल अधिकारी शामिल हैं. परिचालनगत जोखिम की परिचालन प्रक्रिया 'परिचालनगत जोखिम व व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति' से निदेशित है जिसका लक्ष्य बैंकिंग क्रियाकलापों से संबद्ध परिचालनगत जोखिम की पहचान, निगरानी, आकलन तथा प्रबंधन करना है.

परिचालनगत जोखिम की निगरानी के भाग के रूप में आपके बैंक में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तथा उसके आकलन हेतु एक व्यापक आईटी प्रणाली मौजूद है. परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तथा आकलन के संदर्भ में प्रगति रिपोर्ट आवधिक रूप से बोर्ड की परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति तथा जोखिम प्रबंधन समिति को प्रस्तुत की जाती है.

आपके बैंक के पास एक सुदृढ़ कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) प्रक्रिया है जो कारोबार व्यवधान तथा जीवन के संकट से जुड़ी घटनाओं को न्यूनतम करती है. बीसीएम के भाग के रूप में मूल तथा सहायता कार्यों के लिए सुपरिभाषित कारोबार निरंतरता योजनाएं (बीसीपी) हैं. यह कारोबार व्यवधान/ आपदा के बावजूद ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए है. इसके अलावा आपके बैंक ने व्यापक आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) भी लागू की है ताकि आपदा की संभावना व उसके प्रभाव को कम किया जा सके और मानव जीवन व महत्वपूर्ण आस्तियों की रक्षा की जा सके. इन बीसीपी तथा डीएमपी की क्रियाशीलता का बीसीपी परीक्षण अभ्यास, आपदा बहाली तथा मॉक इवैक्यूवेशन ड्रिलों के माध्यम से आवधिक परीक्षण किया जाता है. आपके बैंक को उसकी व्यापक तथा सुदृढ़ बीसीएम प्रक्रियाओं के लिए बीएस 25999 प्रमाणन (वैश्विक रूप से मान्यताप्राप्त प्रमाणन) प्रदान किया गया है.

सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम

आपके बैंक ने जोखिम प्रबंधन तथा नियंत्रण को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं. बैंक ने अप्रैल 2011 में रिज़र्व बैंक कार्यदल द्वारा सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ियों पर जारी सिफारिशों को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है. सिफारिशों की प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की शीर्ष प्रबंधन द्वारा ध्यानपूर्वक निगरानी की गई है तथा नियमित अंतराल पर बोर्ड एवं रिज़र्व बैंक को उन्हें लागू करने की स्थिति की जानकारी दी जाती है. दिशानिर्देशों में की गई सिफारिशों के अनुसार बैंक ने उचित संगठनात्मक ढांचा स्थापित किया है. ग्राहक डाटा की सुरक्षा, बाह्य आक्रमणों को रोकने तथा आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत करने के लिए कई सूचना सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं.

आपके बैंक के पास एक सुदृढ़ कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) प्रक्रिया है जो कारोबार व्यवधान तथा जीवन के संकट से जुड़ी घटनाओं को न्यूनतम करती है. बीसीएम के भाग के रूप में मूल तथा सहायता कार्यों के लिए सुपरिभाषित कारोबार निरंतरता योजनाएं (बीसीपी) हैं.

कर्मचारियों के लिए नियमित सूचना सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करने के अलावा सुरक्षा सेंध के प्रयासों को कम/ विफल करने के लिए ग्राहकों को भी मेलर, एसएमएस, एटीएम तथा पोस्टर्स के माध्यम से विभिन्न सूचना सुरक्षा सावधानियों की जानकारी दी जाती है.

आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सिस्टम को एक सुदृढ़ सूचना सुरक्षा ढांचे के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया है. कस्टमर फेसिंग इंटरफेस में दो स्तरीय अधिप्रमाणन प्रक्रिया मौजूद है. बैंक तथा ग्राहक से संबंधित संवेदनशील डाटा के गलत प्रयोग को रोकने के लिए बैंक ने सूचना सुरक्षा के परिदृश्य में डाटा लीकेज निवारण (डीएलपी) उपाय शुरू किया है. आपके बैंक के डाटा केंद्र तथा आपदा बहाली केंद्र को आईएसओ 27001 का प्रमाणन प्राप्त है. आपके बैंक में जोखिम लेनदेनों हेतु शून्य डाटा हानि सुनिश्चित करने के लिए एक नियर डीआर भी स्थपित किया है. बैंक की सूचना सुरक्षा संचालन समिति सूचना प्रणालियों में परिचालनगत जोखिम कम करने के लिए दिशानिर्देश उपलब्ध कराती हैं.

संक्षेप में, आपके बैंक के पास जोखिम के विभिन्न पहलुओं की पहचान करने और उनके प्रभावी एवं कार्यक्षम प्रबंधन के लिए एक सुसंरचित जोखिम प्रबंधन ढांचा है. बोर्ड के शीर्ष प्रबंध-तंत्र के मार्गदर्शन के अंतर्गत सतत प्रयासों से आपके बैंक में जोखिम जागरूकता की संस्कृति संस्था में पर्याप्त रूप से पहुँच गई है.

प्रबंधन, नियंत्रण एवं प्रणालियां

मानव संसाधन

मानव पूंजी को अपनी सबसे बहुमूल्य परिसंपत्ति मानते हुए आपके बैंक ने अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए मानव संसाधन रणनीति विकसित की है ताकि कारोबार लक्ष्यों को प्राप्त करने में वे अपना उत्कृष्ट योगदान दे सकें. साथ ही बैंक सभी कर्मचारियों में एक संतुलित स्वस्थ कार्य-जीवन को भी बढ़ावा देने का प्रयास करता है.

मानव शक्ति

यथा 31 मार्च 2015 को बैंक के पास कुल 16,555 कर्मचारी थे. कर्मचारियों का श्रेणी-वार विवरण तालिका 1 में दिया गया हैः

तालिका 1: मार्च 2015 की समाप्ति पर कर्मचारियों का श्रेणी-वार विवरण

श्रेणी	कुल
अधिकारी	14,038
एक्जीक्यूटिव	435
लिपिक	1,119
अधीनस्थ-कर्मचारी	963
कुल	**16,555**

आपके बैंक के प्रभावी मानव शक्ति नियोजन और विवेकपूर्ण नियुक्ति के कारण बैंक में युवा अधिकारियों की एक उत्कृष्ट टीम है जिसकी औसत आयु 33 वर्ष है.

भर्ती एवं कर्मचारियों की संख्या

आपके बैंक ने अधिवर्षिता को प्राप्त करने वाले अधिकारी, शाखा विस्तार तथा विभिन्न श्रेणियों में कारोबार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बढ़ती कारोबार आवश्यकताओं के अनुरूप कनिष्ठ ग्रेड (ग्रेड ए) में भर्ती जारी रखी. 2014-15 के दौरान आपके बैंक ने 1,551 अधिकारियों की भर्ती की जिनमें 318 अनुसूचित जाति (एससी) के, 73 अनुसूचित जनजाति (एसटी) के, 559 अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के तथा 19 शारीरिक रूप से विकलांग हैं. सारी भर्तियां बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) द्वारा संचालित सभी पीएसबी के लिए सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से की गई हैं.

आईडीबीआई मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग (आईएमएसबी)

इसके अलावा, आपके बैंक ने मई 2014 में मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज प्रा. लि., बैंगलुरु के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जिसके तहत बैंक ने 'प्रशिक्षण, भर्ती व परिचय' मॉडल अपनाया है जिसमें एक वर्ष के लिए छात्र-छात्राओं का नामांकन बैंकिंग व फाइनेंस में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीबीएफ) के लिए किया जाता है तथा उसके बाद भर्ती की जाती है. वर्तमान में 478 छात्र-छात्राएं आईएमएसबी, बैंगलुरु में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं.

16,555
31 मार्च, 2015 को कुल स्टाफ

708
आंतरिक प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए

आरक्षण नीति

आपका बैंक वर्तमान में भारत सरकार की आरक्षण नीति का पूरी तरह से पालन कर रहा है. बैंक की कुल मानव शक्ति संख्या में अजा/अजजा/ओबीसी का प्रतिनिधित्व तालिका 2 में दिया गया है.

तालिका 2: मार्च 2015 की समाप्ति पर बैंक की कुल मानव शक्ति संख्या में अजा/अजजा/ओबीसी का प्रतिनिधित्व

श्रेणी	अजा	अजजा	ओबीसी
अधिकारी	1,892	575	2,920
एक्जीक्यूटिव	66	17	140
लिपिक	125	36	95
अधीनस्थ-कर्मचारी	224	78	176
कुल	2,307	706	3,331

आपके बैंक ने अजा/अजजा/पीडब्ल्यूडी तथा ओबीसी के लिए महाप्रबंधक स्तर पर संपर्क अधिकारियों को नियुक्त किया है जो आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन तथा उनकी शिकायतों का प्रभावी निवारण सुनिश्चित करते हैं. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आपके बैंक में शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए अलग रोस्टर है.

प्रशिक्षण एवं विकास

आपके बैंक ने 15,796 प्रतिभागियों के लिए 708 आंतरिक कार्यक्रम संचालित किए हैं. बैंक ने 463 अधिकारियों को बाह्य घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए तथा 34 अधिकारियों को बाह्य विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी नामित किया. इसके अलावा आपके बैंक ने 180 दिनों के प्रारंभिक प्रशिक्षण मॉड्यूल को अपनाया है जिसमें कक्षा प्रशिक्षण तथा ऑन जॉब प्रशिक्षण शामिल हैं. आपके बैंक के वरिष्ठ तथा शीर्ष प्रबंधन को सामान्य प्रबंधन तथा रणनीतिक नेतृत्व कार्यक्रमों के लिए आईआईएम में नामित किया जाता है जबकि मध्यम स्तर प्रबंधन अधिकारियों को अन्य प्रबंधन विकास कार्यक्रमों के लिए नामित किया जाता है.

आपके बैंक ने शाखा प्रमुखों को तैयार करने के लिए 'फर्स्ट माइल' कार्यक्रम जारी रखा. साथ ही, जिन अधिकारियों को नेतृत्व तथा महत्वपूर्ण पदों के लिए अभिनिर्धारित किया गया है, उन्हें मूल्यांकन विकास केन्द्र अभ्यास के लिए नामित किया गया. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कारोबार को अतिरिक्त महत्व देने के लिए 185 कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं जिनमें संबंधित अधिकारियों को पीएसएल तथा ग्रामीण बैंकिंग पर केंद्रित प्रशिक्षण दिया गया. अधिकारियों को केवाईसी / एएमएल के क्षेत्र में नवीनतम नियमों एवं विनियमों की जानकारी देने के लिए भी कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं. ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण निर्मित करने तथा प्रभावी व कुशल ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं. बैंक के 'आई-वर्सिटी' नामक एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों पर 140 पाठ्यक्रम तथा 60 मूल्यांकन व परीक्षाएं उपलब्ध हैं.

प्रोत्साहन योजनाएं

आपके बैंक ने अपने कर्मचारियों के अति उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन तथा उनके कल्याण के लिए कई प्रयास किए हैं. बैंक ने कार्य-निष्पादन संबंधी नकद प्रोत्साहन योजना शुरू की है जिसमें पात्र कर्मचारियों को उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर नकद प्रोत्साहन दिए गए. प्रत्येक अंचल में सबसे अच्छा कार्य करने वाले रिटेल शाखा प्रमुखों को विदेश में प्रशिक्षण हेतु नामित कर पुरस्कृत किया गया तथा बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया.

कर्मचारी हित कार्य

आपके बैंक ने अपने कर्मचारियों को पेशेवर और गोपनीय सलाह प्रदान करने के लिए कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (ईएपी) शुरू किया है; केंद्र सरकार में प्रचलित योजना के अनुरूप अनुकंपा नियुक्ति योजना को लागू किया है. महिला कर्मचारियों व अशक्त बच्चों के अभिभावक कर्मचारियों की कठिनाई को कम करने के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों को शामिल करते हुए नियोजन और स्थानांतरण नीति को परिवर्तित किया है एवं अन्य कई कल्याणकारी उपायों के साथ समूह जीवन बीमा योजना आरंभ की है.

स्टाफ कल्याण योजनाएं

बैंक ने कई कल्याणकारी योजनाएं जैसे खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुस्तकालय और अन्य कल्याण गतिविधियों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के साथ-साथ कर्मचारियों के उन आश्रितों को जिन्होंने विश्वविद्यालय/ राज्य/ राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, को खेल छात्रवृत्ति, साथ ही निर्धारित शैक्षणिक उपलब्धियों को प्राप्त करने पर पात्र कर्मचारियों/ उनके पति/ पत्नी/ बच्चों के लिए कई श्रेष्ठता छात्रवृत्तियां कार्यान्वित की हैं. बैंक ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए भारत भर में आठ और नये हॉलिडे होम बनाएं हैं जिससे हॉलिडे होम की संख्या अब 38 तक पहुँच गई है.

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, रोकथाम और निपटान) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन

बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, रोकथाम और निपटान) अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार एक यौन उत्पीड़न विरोधी नीति अपनाई है. यौन उत्पीड़न के संबंध में मिलनेवाली शिकायतों के निपटान के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति बनाई गई है. इस नीति के अंतर्गत बैंक के सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया है.

वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त और निपटाई गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों का सार

वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक को 2 (दो) शिकायतें मिलीं जिनकी बैंक की आंतरिक शिकायत समिति द्वारा जाँच की गई और 1 (एक) शिकायत का समाधान किया गया. यथा 31 मार्च 2015 को कुल 4 (चार) शिकायतें लंबित थीं जिनमें से 1 (एक) वर्ष 2014-15 की है और 3 (तीन) शिकायतें (2 शिकायतों में न्यायालय के दखल सहित) पूर्व वर्षों से संबंधित हैं.

2014-15 में आपके बैंक के सुविधाएं एवं संरचना प्रबंधन विभाग ने बैंक के विस्तार कार्यक्रम को निरंतर कार्यान्वित करने के लिए भारत भर में 329 नई शाखाओं को खोलने में सहायता की है.

औद्योगिक संबंध

बैंक में औद्योगिक संबंध मुख्य कार्य में बिना किसी बाधा के लगातार सौहार्दपूर्ण हैं.

ज्ञानार्जन केंद्र

आपके बैंक का अपना आंतरिक पुस्तकालय है जिसने लगभग 2,500 पुस्तकों के अच्छे खासे संग्रह के साथ 1976 में कार्य करना शुरू किया था. 2008 में ज्ञानार्जन केंद्र (केआरसी) के रूप में इसका नया नामकरण किया गया. तब से बैंक का केआरसी मात्र पुस्तकों और जर्नलों के संग्रह से विभिन्न चैनलों के जरिए ज्ञानार्जन हेतु बहुआयामी ज्ञानार्जन सेवा प्रदाता के रूप में विकसित हुआ है.

सुविधाएं और बुनियादी ढांचा

2014-15 में आपके बैंक के सुविधाएं एवं संरचना प्रबंधन विभाग ने बैंक के विस्तार कार्यक्रम को निरंतर कार्यान्वित करने के लिए भारत भर में 329 नई शाखाओं को खोलने में सहायता की है. इसने छह नए करेंसी चेस्टों (सीसी) के निर्माण और साज-सज्जा का कार्य भी शुरू किया है. प्रत्येक सीसी अपने से संबद्ध सभी शाखाओं से नकदी प्राप्त करता है और उसे संसाधित करता है और उनके दायरे में आने वाले क्षेत्र में शाखाओं और एटीएम के जरिए वितरण के लिए स्वच्छ नोट उपलब्ध कराता है.

आपके बैंक ने वर्ष के दौरान सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई स्थित बैंक के अपने परिसर में मौजूदा भवन के विस्तार के रूप में कार्यालय भवन के निर्माण के साथ कई प्रमुख सिविल परियोजनाओं को भी शुरू किया है.

बैंक ने अपने जेएनआईबीएफ परिसर, हैदराबाद में लगभग 15,000 वर्ग फुट निर्माण क्षेत्र में कॉल सेंटर भवन का निर्माण कार्य भी शुरू किया है.

आंतरिक लेखा परीक्षा

आपके बैंक में एक सुव्यवस्थित आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है जो विभिन्न कारोबार/ सहायक वर्टिकलों, शाखाओं तथा सहायक संस्थाओं द्वारा किए जा रहे सभी कार्यकलापों की नियमित लेखा परीक्षा करता है. लेखा परीक्षाएं बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के दिशानिर्देशों तथा देख-रेख के अंतर्गत की जाती है. नियत कार्यों को करते समय लेखा परीक्षा कार्य अपनी स्वतंत्रता तथा वस्तुनिष्ठता को बनाएं रखते हैं. आपके बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक तथा आंतरिक एवं समवर्ती लेखा परीक्षा पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अपने कार्यों के लिए जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा को अपनी रणनीति के रूप में अपनाया है. वेब आधारित लेखा परीक्षा प्रबंध प्रणाली (एएमएस) के कार्यान्वयन, ऑफ-साइट अलर्ट प्रबंध प्रणाली तथा नौ अंचल स्थानों

पर अंचल लेखा परीक्षा कार्यालय (ज़ेडएओ) की स्थापना के पश्चात् आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की प्रभावशीलता और बढ़ गई है.

आंतरिक लेखा परीक्षा व्यवस्था (आईएस) के तहत आपके बैंक में अनुभवी आंतरिक सूचना लेखा परीक्षा (आईएस ऑडिट) टीम मौजूद है जो परिचालनों के स्वरूप और उसकी जटिलताओं के अनुरूप टेक्नोलॉजी और आईटी से जुड़े सुरक्षा संबंधी मुद्दों का निपटान करती है. विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप आपके बैंक ने आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य के अनुपूरक के रूप में एक व्यापक संगामी लेखा परीक्षा प्रणाली कार्यान्वित की है. अपने ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए एक ऋण लेखा परीक्षा प्रणाली लागू की है. यह प्रणाली मुख्य रूप से ऋण मूल्यांकन, ऋणों की मंजूरी और ऋण प्रशासन के क्षेत्र में आपके बैंक की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करवाती है.

आपके बैंक ने प्रबंध प्रणाली, परिसंपत्तियों की सुरक्षा और नियमों व विनियमों के अनुपालन की विश्वसनीयता के अनुसार पूरे नियंत्रण परिवेश की समीक्षा और रिपोर्ट के लिए जोखिम आधारित प्रबंध लेखा परीक्षा (आरबीएमए) लागू की है.

आपका बैंक आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता, नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन का निरंतर आधार पर मूल्यांकन करता है तथा विभिन्न जोखिमों का समय पर समाधान करने के लिए नियंत्रकों को मजबूत और चुस्त-दुरुस्त बनाने के उपाय सुझाता है. इसे ध्यान में रखते हुए आपका बैंक जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा नीति, समवर्ती लेखा परीक्षा नीति और सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा नीति की वार्षिक आधार पर समीक्षा करता है.

इसमें परिचालन दक्षता को बढ़ाने और प्रक्रियाओं से उचित तालमेल के लिए लेखा परीक्षा विभाग, परिचालन जोखिम विभाग और अन्य परिचालन विभागों के बीच उचित समन्वय मौजूद है. इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के प्रयास के तहत बैंक के कार्य और प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने पर ज़ोर दिया गया है. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति और अंचल लेखा परीक्षा समिति कार्यनिष्पादन की निरंतर आधार पर समीक्षा करती है, आंतरिक लेखा परीक्षा के कर्मियों को दिशानिर्देश देती है और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता तथा विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन की समीक्षा भी करती है.

धोखाधड़ी प्रबंध प्रणाली

आपके बैंक ने आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के अंतर्गत धोखाधड़ी निगरानी समूह (एफएमजी) के माध्यम से धोखाधड़ी निगरानी व्यवस्था कार्यान्वित की है. सभी धोखाधड़ियों की निगरानी और समीक्षा के लिए धोखाधड़ी समीक्षा परिषद (एफआरसी) का गठन किया गया है ताकि प्रणालीगत खामियों, यदि कोई हैं, की पहचान की जा सके, सुधारात्मक उपाय शुरू किए जा सकें तथा जांच की प्रगति और वसूली स्थिति की निगरानी की जा सके. धोखाधड़ी निगरानी समूह धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपराचारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की भी समीक्षा करता है. इस प्रकार की कार्रवाई में आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाना और आवश्यकता आधारित उपराचारात्मक उपाय करना शामिल हैं. धोखाधड़ी का पहले ही पता लगाने, उससे बचाव, रिपोर्टिंग, निगरानी और धोखाधड़ी पर कार्रवाई के लिए एक विस्तृत धोखाधड़ी जोखिम प्रबंध नीति कार्यान्वित की गई है.

सतर्कता तंत्र

आपके बैंक के प्रधान कार्यालय में स्थित एक संपूर्ण सतर्कता विभाग, सतर्कता से जुड़ी शिकायतों की जांच करने के लिए शीर्ष प्रबंधन को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने तथा नियंत्रण प्रणालियों और निर्धारित प्रक्रियाओं में कमियों, यदि कोई हैं, में सुधार लाने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है. इसके अलावा सतर्कता से संबंधित अनुशासनिक कार्रवाई मामलों में दंड की मात्रा और प्रकार के बारे में सुझाव भी प्रदान करता है. आपके बैंक ने सतर्कता प्रशासन में सुधार लाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया है और एक प्रणाली कार्यान्वित की है जिसमें जनता/ किसी अन्य स्रोत से प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है.

आपके बैंक के इंट्रानेट पर सतर्कता विभाग की साइट मौजूद है जिस पर सतर्कता विभाग का विवरण, आपके बैंक की सभी शाखाओं और कार्यालयों में प्रदर्शित की जाने वाली सीवीसी की नोटिस के मानक प्रारूप, सीवीसी द्वारा समय-समय पर जारी महत्वपूर्ण परिपत्र / दिशानिर्देश, सीवीसी और बैंक के मुख्य तकनीकी निरीक्षक संगठन (सीटीईओ) और निवारक सतर्कता के लिए 'क्या करें और क्या न करें' जैसी जानकारी दी गई है. इसने अधिकारियों के बीच सतर्कता जागरूकता के स्तर को बढ़ाने में आपके बैंक की सहायता की है.

वर्ष के दौरान गलत प्रथाओं, यदि कोई हों, तथा स्थापित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की जांच के लिए विभिन्न शाखाओं के औचक सतर्कता दौरे किए गए. जहाँ आवश्यक समझा गया, वहाँ समुचित सुधारात्मक उपाय सुझाए गए.

वर्ष के दौरान आपके बैंक के कर्मचारियों में सतर्कता जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने के लिए निवारक एवं सहभागी सतर्कता पर केंद्रित कई चर्चापरक कार्यशालाएं और व्याख्यान / प्रस्तुतियां आयोजित की गईं. उक्त कार्यक्रमों के दौरान सभी स्टाफ सदस्यों द्वारा अपने रोज़मर्रा के कामकाज में निवारक सतर्कता को अपनाने की जरूरत के साथ ही सतर्कता जागरूकता संगठनात्मक दक्षता के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे सहायता करती है, इस पर ज्यादा जोर दिया गया.

कर्मचारियों को भ्रष्टाचार की बुराइयों के बारे में जागरूक करने के लिए आपके बैंक के प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालयों और शाखा कार्यालयों में 27 अक्तूबर 2014 से 01 नवंबर 2014 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया. इस अवसर पर आपके बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने आपके बैंक के स्टाफ सदस्यों के लाभ के लिए विशेष जर्नल जारी किया.

सतर्कता मामलों के साथ-साथ सतर्कता कार्यकलापों के लिए प्रक्रियाओं के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), भारत सरकार - वित्त मंत्रालय (जीओआई - एमओएफ), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और बैंक द्वारा जारी अद्यतन अनुदेशों / दिशानिर्देशों / निदेशों के तत्काल और सुलभ संदर्भ को ध्यान में रखते हुए बैंक ने सतर्कता मैनुअल तैयार

किया है जिसमें सीवीसी, एमओएफ, आदि द्वारा इस मामले में 31 जनवरी 2015 तक जारी किए गए अद्यतन अनुदेशों को शामिल किया गया है.

विनियामक अनुपालन

आपके बैंक ने विभिन्न सांविधिक और विनियामक शर्तों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं. अनुपालन संबंधी कार्यकलापों पर नजर रखने के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित एक वरिष्ठ अधिकारी की देख-रेख में एक समर्पित अनुपालन विभाग है.

सूचना का अधिकार अधिनियम

आपके बैंक ने कार्य के विभिन्न क्षेत्रों पर आवेदनों का उत्तर देने के लिए 24 केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किए हैं. इसके अलावा, सभी शाखा प्रमुखों को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने और प्राप्त आवेदनों को नामित सीपीआईओ के पास भेजने के लिए केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है. आपके बैंक ने असंतुष्ट आवेदकों की अपीलों पर कार्रवाई करने के लिए मुख्य महा प्रबंधक श्रेणी के एक वरिष्ठ अधिकारी को अपील प्राधिकारी के रूप में नामित किया है और आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शिता अधिकारी नियुक्त किया है. बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम पर एक लिंक अलग से उपलब्ध कराया गया है.

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

आपके बैंक ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने कारोबार में हिंदी के प्रयोग को लगातार बढ़ावा दिया है और राजभाषा अधिनियम तथा नियम के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया है. बैंक के प्रधान कार्यालय के विभागों और शाखाओं द्वारा इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सम्मिलित प्रयास किए गए हैं.

अपने ग्राहकों के प्रति आपके बैंक की प्रतिबद्धता के रूप में आपका बैंक सभी एटीएम में द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी में) अनुदेश प्रदर्शित कर रहा है और एटीएम लेनदेन पर्ची भी दोनों भाषाओं में जनरेट करने में सक्षम है. बैंक की वेबसाइट पर भी हिंदी और अंग्रेजी में जानकारी उपलब्ध है. आपके बैंक ने कारोबार को बढ़ाने में अपने स्टाफ के लाभप्रद प्रयोग के लिए अपनी इंट्रानेट साइट पर द्विभाषी शब्दकोशों के साथ-साथ टेम्पलेट पत्रों, फॉर्मों और अन्य संदर्भ सामग्रियों को द्विभाषी रूप - हिंदी और अंग्रेजी - में तैयार किया है. राजभाषा कार्यान्वयन की विभिन्न अपेक्षाओं और हिंदी यूनिकोड के प्रयोग के बारे में स्टाफ सदस्यों को जागरूक करने के लिए बैंक के सभी क्षेत्रों में राजभाषा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. बैंक में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और स्टाफ पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी क्षेत्रों में कई आंतरिक अभियान शुरू किए गए. स्टाफ सदस्यों के लाभ के लिए हिंदी दिवस समारोह के भाग के रूप में प्रधान कार्यालय और शाखाओं में हिंदी व्याख्यानों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया.

विभिन्न मंचों पर बैंक के परिचालन क्षेत्र में हिंदी की प्रयोज्यता को बढ़ाने के लिए बैंक के प्रयासों की सराहना की गई है.

आपका बैंक अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित फीडबैक फॉर्म के माध्यम से नियमित आधार पर ग्राहकों की संतुष्टि की निगरानी रखता है. इससे ग्राहक आपके बैंक का मूल्यांकन करने तथा सुधार के लिए सुझाव देने में समर्थ होते हैं.

ग्राहक सेवा और शिकायत प्रबंधन

उत्पाद निर्माण और सेवा सुपुर्दगी में आपके बैंक का ग्राहक उन्मुख होना उसके संकल्प और लक्ष्य को प्रतिबिंबित करता है. आपके बैंक का मुख्य ध्येय है अपनी उत्कृष्ट सेवा और बेहतरीन वित्तीय समाधानों की व्यापक शृंखला से ग्राहकों को आनंदित करना ताकि सभी अंशधारकों के मूल्य में वृद्धि करते हुए सबसे पसंदीदा और विश्वसनीय बैंक बनाने का संकल्प पूरा हो सके. आपके बैंक का यह सतत प्रयास रहता है कि इस कॉरपोरेट दर्शन का प्रत्येक ग्राहक संपर्क बिन्दु पर अनुपालन किया जाए. ग्राहक सेवा पर बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति और ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति जो बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को रिपोर्ट करती है, सुनिश्चित करती है कि ग्राहक सेवा और शिकायत प्रबंधन मामलों पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाए.

ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए विभिन्न मुद्दों और सुझावों पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रत्येक माह की 15 तारीख को शाखा स्तरीय ग्राहक सेवा समिति (बीएलसीएससी) की बैठक होती है जिसमें शाखा प्रमुख, शाखा अधिकारियों तथा सदस्य के रूप में ग्राहक शामिल होते हैं.

आपका बैंक अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित फीडबैक फॉर्म के माध्यम से नियमित आधार पर ग्राहकों की संतुष्टि की निगरानी रखता है. इससे ग्राहक आपके बैंक का मूल्यांकन करने तथा सुधार के लिए सुझाव देने में समर्थ होते हैं. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने आंतरिक ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण किया तथा बैंक के सेवा मानकों पर ग्राहकों से मूल्यवान सुझाव प्राप्त किए. विभिन्न लोकेशनों पर स्टाफ सदस्यों के लिए ग्राहक सेवा पर परस्पर कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं. कार्यशालाएं बैंक की शिकायत प्रबंध प्रणाली और ग्राहक सेवा पर मुख्य विनियामक दिशानिर्देशों पर केन्द्रित थीं.

आपके बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र (सीसीसी), जो आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित है, विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से शिकायतों का प्रबंधन करता है. शाखाओं, ईमेल, वेबसाइट और प्रधान कार्यालय में प्राप्त पत्र, सोशल मीडिया और सतत प्रयत्नशील फोन बैंकिंग टीम के माध्यम से ग्राहक शिकायतों की प्राप्ति और उनके निवारण के लिए केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यान्वित किया गया है. सीसीसी बैंकिंग लोकपाल, रिजर्व बैंक, भारत सरकार और अन्य विनियामक प्राधिकरणों से प्राप्त शिकायतों पर भी विचार करता है. आपके बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित दो नीतियां अर्थात् ग्राहक सेवा नीति और शिकायत निवारण नीति लागू हैं. ये नीतियां एस्क्लेशन मैट्रिक्स के विभिन्न स्तरों पर निवारण के लिए समय-सीमा निर्धारण सहित शिकायत निवारण और ग्राहक सेवा के प्रति बैंक के दृष्टिकोण को रेखांकित करती हैं. ये नीतियां बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की गई हैं.

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, ग्राहक शिकायतों के समय पर निवारण के जरिए बेहतर ग्राहक सेवा के लिए आपके बैंक ने प्रधान कार्यालय में मुख्य शिकायत निवारण अधिकारी (सीजीआरओ) और अंचल कार्यालयों में शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) की नियुक्ति की है. आपके बैंक ने ग्राहक सेवा प्रावधान को और अधिक बढ़ाने, ग्राहकों की शिकायत निवारण में लगने वाले समय को कम करने और बैंकिंग लोकपाल, रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामक प्राधिकरणों के पास शिकायतों को कम करने के लिए एक आंतरिक बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की है.

ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का कोड

आपका बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है. आपके बैंक के निदेशक मंडल ने ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का कोड और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का कोड अपनाया है. बैंकिंग पद्धतियों के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करने वाले ये कोड त्वरित ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने में भी सहायक हैं. आपके बैंक द्वारा इन कोडों के अनुपालन के अभिन्न हिस्से के रूप में कोडों के बारे में शाखा कार्यालयों में तथा बैंक की वेबसाइट के माध्यम से ग्राहकों को जानकारी प्रदान की जाती है.

आपके बैंक के क्षेत्रीय प्रमुखों को कोड अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है और उनके संपर्क ब्योरे शाखा कार्यालयों में तथा बैंक की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए हैं. कोडों का अनुपालन पूरे बैंक में सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष बैंक में 'बीसीएसबीआई कोड अनुपालन प्रणाली' नामक एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन की शुरुआत की गई है जिससे अनुपालन को बेहतर बनाने और ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित समाधान में सहायक होने की उम्मीद है.

आपके बैंक में ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करने के बीसीएसबीआई के वांछित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बैंक की योजनाओं, प्रक्रियाओं और सेवाओं को समय-समय पर कारगर बनाया जाता है.

कॉरपोरेट संवाद

01 जुलाई 2014 को अपने अस्तित्व के 51वें वर्ष में कदम रखते ही आपके बैंक ने अपने स्वर्ण जयंती उत्सव के भाग के रूप में औद्योगिक एवं इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त के क्षेत्र में अपनी उत्प्रेरक भूमिका और साथ ही देश की वित्तीय संरचना के निर्माण में अपनी भूमिका को विशिष्ट रूप से दर्शाने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है. वर्ष के दौरान विज्ञापन और प्रचार संबंधी पहलों को और अधिक तीव्रता प्रदान करते हुए बैंक की जनसंपर्क से संबंधित गतिविधियों का लक्ष्य अपनी दृश्यता को बढ़ाने और और बैंक की अमिट छाप छोड़ने तथा मीडिया में इसकी छवि को और बेहतर बनाने पर रहा, जिसके साथ ही अंशधारकों की धारणाओं को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया. आपके बैंक के बारे में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में समग्र रूप से सकारात्मक छवि वाले समाचार प्रकाशित हुए.

आपके बैंक के प्रचार अभियानों का ध्यान दोस्ती की अवधारणा को अपनाकर अपने ब्रांड रिकॉल को बढ़ाने पर केन्द्रित रहा ताकि ब्रांड विशेषता और पोजिशनिंग के बारे में बताया जा सके. आपके बैंक के विज्ञापनों को इस ढंग से तैयार किया गया है कि वे राष्ट्र निर्माण में बैंक की भूमिका और सभी ग्राहकों के सुख-दुःख में साथ देने के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के बारे में बताएं. बच्चों के बीच की अमिट दोस्ती की तस्वीरों के माध्यम से बैंक की सहायक भूमिका के साथ ही बैंक की स्वर्ण जयंती की पूरी थीम को दिखाने वाले इस विज्ञापन को राष्ट्रीय टेलिविजन अभियान, प्रिंट, आउट ऑफ होम (ओओएच) और डिजिटल स्पेस में जारी किया गया. आपके बैंक ने वर्तमान और साथ ही भावी ग्राहकों को अपने उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए विभिन्न अन्य उत्पाद-विशेष अभियानों की शुरुआत भी की.

इस वर्ष आपके बैंक ने राष्ट्र निर्माण में अपनी उत्प्रेरक भूमिका के सार को प्रस्तुत करने तथा अपने ग्राहकों के साथ अपने सहायक संबंधों को रेखांकित करने के लिए एक गान की संकल्पना की. इसके अलावा, इस गान का उद्देश्य इस बात पर बल देना था कि आपका बैंक समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को अपनी परिधि में लेने के प्रति प्रतिबद्ध है.

वर्ष के दौरान विभिन्न संवर्धक और व्यवसाय संबंधी कार्यकलापों की शृंखला के माध्यम से फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और गूगल+ जैसे प्लेटफॉर्मों पर अपने प्रशंसकों और ग्राहकों से नियमित रूप से जुड़ते हुए आपके बैंक ने सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति को मजबूत किया. फेसबुक पर आपके बैंक के प्रशंसकों की संख्या बढ़कर एक मिलियन से अधिक हो गई. सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए आपके बैंक ने अपने आधिकारिक लिंक्डइन पेज की शुरुआत जल्द ही करने की अपनी योजना को अंतिम रूप दे दिया.

आंतरिक संवाद

आपके बैंक का आंतरिक संवाद महत्वपूर्ण विचारों और साथ ही बैंकिंग एवं अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति संबंधी सूचना के आदान-प्रदान को प्रभावी बनाने पर ध्यान केन्द्रित करता है तथा सुनिश्चित करता है कि यह बैंक के विभिन्न विभागों और शाखाओं में व्याप्त हो जाए.

आपके बैंक के पास अनेक प्लेटफॉर्म हैं जिन पर कर्मचारी अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उन्हें साझा कर सकते हैं जो कर्मचारियों के जुड़ाव के लिए जरूरी भी है. आपके बैंक की इंट्रानेट साइट पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ उप प्रबंध निदेशक ब्लॉग के लिए विशिष्ट स्थान भी रखा गया है जो मुख्य प्रबंधन और कर्मचारियों के मध्य संवाद के सीधे माध्यम के रूप में कार्य करता है. अंचलों में कार्यकलापों के विकेंद्रीकरण के बाद विभिन्न अंचलों में किए जा रहे विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में अद्यतन सूचना प्रदान करने के लिए इस वर्ष इंट्रानेट पर एक अंचल सेक्शन की शुरुआत की गई.

आपके बैंक की स्टाफ सुझाव योजना परिचालन के संबंध में स्टाफ सदस्यों को रचनात्मक सुझाव प्रदान करने के लिए आमंत्रित करती है.

आपके बैंक ने अपने कर्मचारियों को एक ही स्थान पर बैंक के सभी उत्पादों एवं सेवाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए अपने इंट्रानेट पर एक केंद्रीकृत उत्पाद सूचना किओस्क (सेनपिक) की व्यवस्था की है. सेनपिक परिचालन स्तर पर उठने वाली किसी भी शंका का विभिन्न स्तरों पर पदनामित अधिकारियों द्वारा समयबद्ध तरीके से शीघ्र समाधान के लिए विंडों भी प्रदान करता है. आपके बैंक ने आई-शेयर नामक जानकारी

साझा करने वाला प्लेटफॉर्म भी विकसित किया है, जहां कर्मचारी उत्पादों/ नीतियों/ सेवाओं पर अपने सुझाव, अनुभव और टिप्पणी के साथ-साथ अन्य जानकारी भी दे सकते हैं.

आपके बैंक के पास पुरस्कार प्राप्त द्विभाषी तिमाही गृह-पत्रिका 'श्री वयम्' है जो बैंक को अपने कर्मचारियों और उनके परिवार तक पहुंच प्रदान करती है.

ये प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं कि विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के बीच धारा-प्रवाह आपसी संवाद होता रहे, जो अंततः उच्च-स्तरीय ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने में सहायक होता है.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

सीएसआर आईडीबीआई बैंक की जीवन शैली है जो आपके बैंक के कॉरपोरेट दर्शन में सन्निहित है. आपके बैंक ने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुपालन में बोर्ड अनुमोदित सीएसआर नीति तैयार की, जो 01 अप्रैल 2014 से लागू है.

आपके बैंक ने पूरे देश में सीएसआर परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि निधीयन के साथ-साथ उनके परिचालन संबंधी व्ययों के प्रति अंशदान किया. अन्य बातों के साथ-साथ इसमें गांव गोद लेने संबंधी कार्यक्रम के माध्यम से गांवों का विकास, सुविधा से वंचित बच्चों विशेष रूप से बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना, वर्षा के जल का संग्रहण और सोलर पॉवर सिस्टम लगवाना, सुविधा से वंचित लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए आय सृजित करनेवाले कार्यकलाप, अस्पतालों को बुनियादी सहायता, नेत्रहीनों, अक्षमों और सुविधा से वंचित समाज के अन्य वर्गों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए वित्तीय सहायता आदि शामिल हैं. आपके बैंक के उल्लेखनीय पहल-कार्यों में पूरे देश में समाज के कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए प्रत्येक वर्ष 'आईडीबीआई बैंक स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति' प्रदान करने के लिए रामकृष्ण मिशन की सहभागिता तथा उत्तर प्रदेश, ओड़िशा, बिहार एवं झारखंड के 100 गांवों में अपने 'लाइटिंग ए बिलियन लाइव्स' कार्यक्रम के लिए द एनर्जी एंड रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) की सहभागिता में संदान निधि का सृजन करना शामिल है.

आपके बैंक ने स्वच्छ भारत कोष (एसबीके) में अभिदान करके और ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्र के स्कूलों में जेंडर आधारित अलग-अलग शौचालयों का निर्माण करवाकर भारत सरकार के लैंडमार्क मिशन (अर्थात् स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान [एसबीएसवीए]) में भाग लिया. आपके बैंक ने वित्त मंत्रालय द्वारा देश में वित्तीय साक्षरता के प्रसार के लिए तैयार की गई प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) मूल निधि में भी अभिदान किया.

सूचना प्रौद्योगिकी

आपके बैंक ने अपने लक्ष्य समूह द्वारा महसूस की जानेवाली आवश्यकताओं की पूर्ति और उनके लिए बैंकिंग को अधिक सुविधाजनक बनाने हेतु अद्यतन प्रौद्योगिकी और सुरक्षा विशेषता युक्त व्यापक उन्नत वित्तीय सेवाएं एवं उत्पाद प्रदान करने के लिए अपनी प्रामाणिक आईटी श्रेष्ठता का पूर्ण लाभ उठाना जारी रखा.

आपके बैंक ने 2014-15 के दौरान बैंकिंग स्पेक्ट्रम की विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले अनेक महत्वपूर्ण आईटी चालित पहल-कार्यों की शुरुआत की. आपका बैंक 2014-15 के आरंभ में अपनी नियर डिज़ास्टर रिकवरी (डीआर) साइट को परिचालनगत कर त्रि-आयामी डेटा सेंटर की स्थापना करने वाले बैंकों की चयनित सूची में शामिल हो गया. यह आपके बैंक को अपने प्राथमिक डेटा सेंटर (डीसी) में आपदा की स्थिति से तुरंत उभरने की शक्ति प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि महत्वपूर्ण लेनदेनों संबंधी डाटा का नुकसान न हो. आपका बैंक सहर्ष सूचित करता है कि इस वर्ष बैंक की डिज़ास्टर रिकवरी साइट को प्रतिष्ठित सूचना सुरक्षा प्रमाणपत्र आईएसओ 27001 मिला है; इसी प्रकार बैंक के प्राथमिक डेटा सेंटर को पिछले वित्तीय वर्ष में प्रमाणपत्र मिला था.

पिछले वित्तीय वर्ष में कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर में बायोमेट्रिक एक्सैस की शुरुआत करने वाले आपके बैंक ने वर्तमान वर्ष में संबंधित कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया. सभी वर्तमान और नई शाखाओं को अनिवार्य रूप से लॉगिन के लिए बायोमेट्रिक आधारित अधिप्रमाणन डिवाइस प्रदान किया गया. इस वर्ष यूआईडीएआई ने पहचान संबंधी धोखाधड़ी, दस्तावेज़ जालसाजी के जोखिम को कम करने और कागज रहित केवाईसी सत्यापन के लिए अपनी ई-केवाईसी सेवा की शुरुआत की है. यूआईडीएआई ने हाल ही में अपने द्वारा जारी किए गए आधार कार्ड पर आधारित संरक्षित और प्रामाणिक प्रणाली के माध्यम से भावी ग्राहकों से संबंधित डेटा उपलब्ध कराए हैं. ई-केवाईसी योजना को प्रधान मंत्री जन-धन योजना का योजक बनाया गया जिसका उद्घाटन 28 अगस्त 2014 को किया गया. भारत सरकार के सामाजिक सरोकार वाले पहल-कार्यों के अनुसरण के प्रति वचनबद्ध संस्था के रूप में आपके बैंक ने 25 अगस्त 2014 को केवाईसी सेवा एजेंसी (केएसए) के रूप में एनपीसीआई के माध्यम से ई-केवाईसी को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया.

आपके बैंक ने अपनी अधिकतम शाखाओं में मल्टी-प्रोटोकॉल लेबेल स्विचिंग (एमपीएलएस)- आधारित नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रावधान कर लिया है, जो शाखा कनेक्टिविटी के लिए अधिकतम अप-टाइम सुनिश्चित करेगा और जिससे निरंतर ग्राहक सेवा प्रदान करने की व्यवस्था होगी.

एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक होने के नाते वर्ष 2014-15 में आपके बैंक ने बोर्ड अनुमोदित सुदृढ़ ई-वेस्ट (इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट) प्रबंध नीति के रूप में विशिष्ट पहल-कार्य का आरंभ किया. इस नीति के माध्यम से आपके बैंक ने उपयुक्त ई-वेस्ट प्रबंध सुनिश्चित करके पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनर्पुष्टि की. आपका बैंक अनुपयोगी कम्प्यूटरों, प्रिंटरों एवं सहायक उत्पादों, नेटवर्क उपकरणों, आईटी उत्पादों और सहायक/अन्य इलैक्ट्रिकल उपकरणों के रूप में परिभाषित ई-वेस्ट के हानिकारक प्रभावों की रोकथाम के लिए इस प्रकार की नीति बनाने वाला सरकारी क्षेत्र के अग्रणी बैंकों में से एक है. अब से बैंक की सभी शाखाएं इस प्रकार के ई-वेस्ट का निपटारा राज्य/ केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ डिसमेंटलर/ रीसाइकलर के रूप में अनिवार्य रूप से पंजीकृत सूचीबद्ध वेंडर के माध्यम से करेंगी. यह नीति कारोबार परिचालन में बैंक के 'हरित अधिदेश' कार्यक्रम के अनवरत अनुसरण का ही हिस्सा है. अनुपयोगी आईटी उपकरणों के निपटान की प्रक्रिया की शुरुआत इस प्रयोजन के लिए निर्धारित परिचालनगत दिशानिर्देशों के अनुसार की गई.

केंद्रीकृत परिचालन

आपके बैंक के पास केंद्रीकृत सेवाओं जैसे कार्ड विनिर्माण और सुपुर्दगी, पिन मेलर विनिर्माण और सुपुर्दगी, डीमैट खाता खोलने के लिए मुंबई में एक आधुनिकतम केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई (सीपीयू) है. आपके बैंक के पास बचत बैंक खाता, चालू खाता और सावधि जमा खाता खोलने के लिए विभिन्न केंद्रों में क्षेत्रीय प्रोसेसिंग इकाइयां (आरपीयू) भी हैं. सीपीयू और आरपीयू खाता खोलते समय केवाईसी और एएमएल के दृष्टिकोण से लगने वाले समय (टीएटी) में कटौती और लागत की बचत पर और बेहतर तथा एकीकृत नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं. सीपीयू और सभी आरपीयू को आईएसओ 9001-2008 के अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणपत्र से प्रमाणित किया गया है.

आपका बैंक पूरे भारत में स्थित अपनी केन्द्रीय समाशोधन इकाइयों (सीसीयू) के माध्यम से कागज आधारित लिखतों और इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन लिखतों के भुगतान और संग्रहण की सेवा प्रदान करता है. चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) के माध्यम से समाशोधन कार्यकलापों की देखरेख के लिए चेन्नई, दिल्ली और मुंबई में तीन ग्रिड स्थित हैं. इन ग्रिडों के समाशोधन कार्यकलाप बड़ी सुगमता से सीटीएस में अंतरित हो गए हैं और यह रिज़र्व बैंक एवं एनपीसीआई द्वारा प्रस्तावित अनुसूचियों के अनुपालन में हुआ है.

ब्रांड इक्विटी

आपके बैंक के ब्रांड बनाने संबंधी किए गए प्रयासों के कारण मिलवार्ड ब्राउन (ब्रांड ज़ेड), इंटरब्रांड, ब्रांड फाइनान्स और ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट की ब्रांड रैंकिंग में बैंक की रैंकिंग में सुधार हुआ हैं. उपर्युक्त रैंकिंग ने बैंक की सकारात्मक छवि का भी प्रचार किया. मिलवार्ड ब्राउन (ब्रांड ज़ेड) और इंटरब्रांड जैसे अग्रणी वैश्विक शोध संगठनों ने हाल ही में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के शीर्ष 50 ब्रांडों की अपनी सूची प्रस्तुत की है. ब्रांड ज़ेड के अनुसार देश के विभिन्न क्षेत्रों के शीर्ष 50 ब्रांडों में आपके बैंक का स्थान 39वां है जबकि इंटरब्रांड रैंकिंग के अनुसार देश के विभिन्न क्षेत्रों के शीर्ष 50 ब्रांडों में इसे 37वां स्थान प्रदान किया गया है.

ब्रांड फाइनान्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वाधिक प्रतिष्ठित बैंकिंग रिपोर्ट-ब्रांड फाइनान्स बैंकिंग 500 के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान आपके बैंक की गुणवत्ता में 79% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई. बैंक की ग्लोबल रैंकिंग 351 से सुधर कर 255वीं हो गई जबकि इसकी भारत की रैंकिंग 11वें से सुधर कर 9वीं हो गई.

ब्रांड विश्वसनीयता रिपोर्ट 2015 के अनुसार आपके बैंक की ब्रांड विश्वसनीयता रैंकिंग ने पिछले वर्षों के दौरान उल्लेखनीय प्रगति दर्शाई है. फरवरी 2015 में जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार इसे 2013 में 159वीं, 2014 में 85वीं और 2015 में 64वीं रैंकिंग प्राप्त हुई. बीएफएसआई श्रेणी में आपके बैंक को 5वां स्थान प्राप्त हुआ तथा बैंक पीएसयू श्रेणी में इसने अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा. ब्रांड में बढ़ी हुई विश्वसनीयता वर्ष के दौरान यह संदेश देने के लिए की गई ब्रांडिंग तथा उत्पाद अभियानों का परिणाम है कि आपका बैंक एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा अपने ग्राहकों के साथ खड़ा रहता है.

पुरस्कार और सम्मान

आपके बैंक के विज्ञापनों और प्रचार अभियानों को सभी विज्ञापन और बैंकिंग संघों के बीच अच्छी मान्यता दी गई. आपके बैंक को प्राइम टाइम अवार्ड्स में 'वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अभियान (थिमैटिक)' के अंतर्गत गोल्ड से नवाजा गया. बैंक के संदेश ने भी एबीसीआई अवार्ड्स तथा पीआरसीआई अवार्ड्स की कई श्रेणियों में पुरस्कार जीते.

आपके बैंक को एनएसडीएल द्वारा अपने 29वें डीपी सम्मेलन में पीएसयू-बैंक की श्रेणी में डीमैट खाता खोलने के लिए स्टार परफार्मेंस अवार्ड 2014 से सम्मानित किया गया.

आपके बैंक को सरकार में आईसीटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में कार्य करने वाले तकनीकी मीडिया व अनुसंधान संगठन, एलेट्स टेकनोमीडिया द्वारा वर्ष 2014 के वित्तीय समावेशन एवं भुगतान प्रणाली (एफआईपीएस) पुरस्कार के लिए पीएसयू श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय समावेशन पहल हेतु विजेता घोषित किया गया. एफआईपीएस पुरस्कार का उद्देश्य विभिन्न संगठनों द्वारा वित्तीय समावेशन, बैंकिंग प्रौद्योगिकी, भुगतान प्रणाली, मोबाइल बैंकिंग, स्वास्थ्य बीमा और अन्य वर्टिकल क्षेत्रों में निभाई जा रही प्रारम्भिक भूमिका का पता लगाना है. आपके बैंक को रायपुर नगर निगम पेंशन भोगियों के लिए रायपुर में बैंक द्वारा कार्यान्वित घर तक बैंकिंग योजना द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन वितरित करने के लिए मान्यता प्रमाणपत्र भी प्रदान किया गया.

आपके बैंक ने हिंदी में पत्राचार के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया और अपने प्रयासों के लिए इसे सम्मान भी मिला. राजभाषा पर संसदीय समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में आपके बैंक द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की. आपके बैंक को वर्ष के दौरान हिंदी के प्रयोग में सराहनीय प्रदर्शन के लिए रिज़र्व बैंक गवर्नर से राजभाषा शील्ड पुरस्कार और राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान के लिए सामाजिक, संस्कृतिक व साहित्यिक संस्था 'आशीर्वाद' से पुरस्कार प्राप्त हुआ. इसके अतिरिक्त, आपके बैंक की तिमाही हिंदी पत्रिका 'विकास प्रभा' को भी उसकी आकर्षक बाह्य सज्जा व विषयवस्तु के लिए 'राष्ट्रीय हिंदी अकादमी, रूपांबरा' द्वारा पुरस्कृत किया गया. पीआरसीआई एवं एबीसीआई की बैंक में विविध प्रकार से हिंदी के प्रसार से संबंधित श्रेणियों में भी इसे प्रशस्ति प्राप्त हुई.

बैंक की द्विभाषी गृह-पत्रिका श्री वयम् को भी 54वें एबीसीआई पुरस्कार की कई श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए. विगत वर्ष गृह-पत्रिका श्री वयम् को सर्वश्रेष्ठ सम्मान तब मिला जब इसे श्रेष्ठ गृह-पत्रिका श्रेणी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार- सीएमओ एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया.

Management Discussion and Analysis

BUSINESS ENVIRONMENT

Global Economic Scenario

The global economic growth remained moderate in 2014 with disparate growth rates witnessed across the advanced and emerging economies. Among the advanced economies, the US had shown modest growth even as the European economies continued to exhibit economic sluggishness. Pace of growth in emerging market economies was more divergent in 2014. Most of the emerging market economies, barring China and India, registered slowdown in their growth momentum.

Domestic Economic Environment

The emerging macroeconomic trends indicate that the growth deceleration in the Indian economy has bottomed-out. Among other factors, various initiatives undertaken by the policymakers have aided in strengthening the growth prospects of the economy.

REAL SECTOR

Gross Domestic Product (GDP)

The Central Statistical Office (CSO) has released a new series of national accounts which incorporates revision in the base year from 2004-05 to 2011-12 and is on the lines of internationally accepted System of National Accounts (SNA) 2008.

GDP Growth at Constant Prices

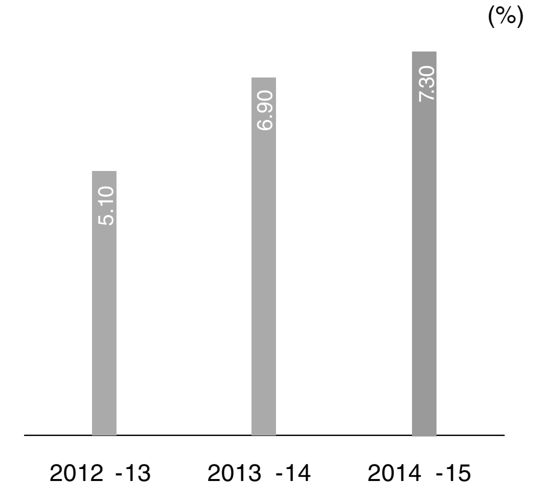

The estimate at disaggregated level indicates that higher growth was registered across sectors, namely agriculture,

> The global economic growth remained moderate in 2014 with disparate growth rates across the advanced and emerging economies. Most of the emerging market economies, barring China and India, registered slowdown in their growth momentum.

industry and services sector. The new measure has also realigned the sectoral shares in the overall GVA. The contribution of the agriculture sector to overall GVA at basic price was somewhat higher than was hitherto being reflected on the basis of the earlier (2004-05) series. Furthermore, while services sector continues to be the growth engine of the Indian economy, there has been a realignment of sectoral shares in favour of the industrial sector mainly on account of the correction for underestimation of manufacturing GVA in the old series and overestimation of the trade sector GVA in services.

The demand side of the GDP portrayed mixed signals in 2014-15. While the both private and public consumption and fixed capital formation in the economy have remained healthy, the exports and imports have decelerated. This trend underscores that the ongoing growth revival is predominantly domestic consumption-driven.

Industrial Scenario

The Index of Industrial Production (IIP), which provides estimates on the performance of key industrial sectors,

Industrial Sector Performance

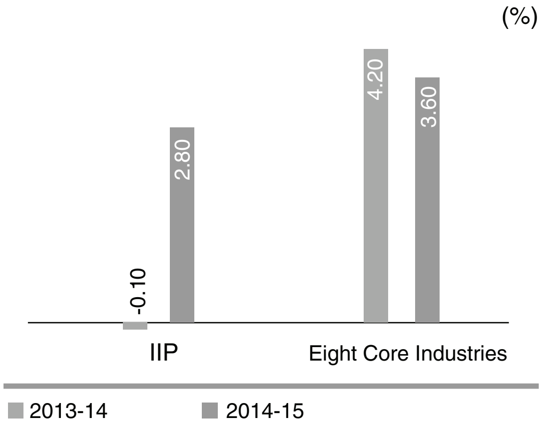

registered higher growth due to robust growth in electricity sector and turnaround in mining and manufacturing sector. In terms of use-based classification, barring consumer goods, all major categories viz. basic goods, capital goods and intermediate goods posted positive growth in 2014-15. Despite a marginal expansion in the industrial sector activity, the growth rate has remained subdued throughout the fiscal. The infrastructure sector performance, as gauged by the Index of Eight Core Industries, constituting around 38% in the overall IIP, has also remained muted, notwithstanding a robust contribution from electricity, coal and cement sectors, due to continuous contraction in output of natural gas and crude oil.

The Government and other policymakers have initiated various measures to boost performance of the industrial sector in general and manufacturing sector in particular. This is expected to yield positive results in the coming years.

Inflation

Inflation, after remaining high for a prolonged period, started showing signs of easing in 2014-15. Retail inflation, as measured by CPI inflation (All-India) emerged as the mainstay of the RBI's monetary policy and declined in 2014-15 after hovering around 9%-10% for the last two years. The easing CPI inflation during the fiscal is partly attributable to base effect and the seasonal softening of food prices in the latter half of the year. A fall in international crude oil prices also aided in lowering the CPI Fuel inflation. Core CPI inflation (non-food non-fuel) also exhibited signs of easing. Wholesale Price Index (WPI) (base year 2004-05), which remained persistently high at 6.0% - 9.0% during 2011-13, moderated to a low of 2.0% during the year on the back of lower food and fuel prices. Simultaneously, the tight monetary policy aided in keeping the demand pressures contained and created a buffer against any external shock by keeping volatility in the Rupee valuation under check. The CPI inflation, which trended well below the targeted 8.0% inflation by January 2015, prompted the Reserve Bank of India (RBI) to announce two rounds of rate cut amounting to 50 basis points in the fourth quarter of the fiscal.

Inflation Rates

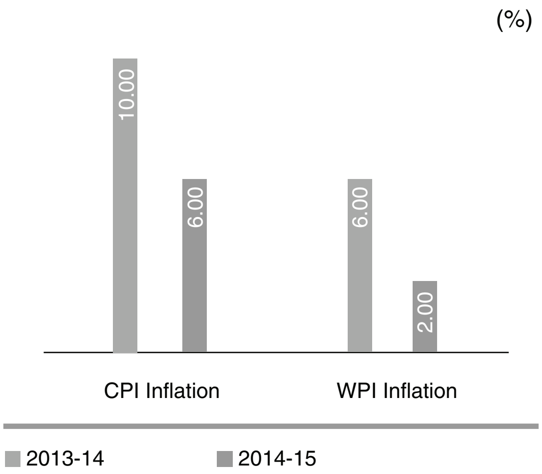

6.0%

CPI inflation (Base Year 2012)

7.5%

Repo Rate at end of 2014-15, after cumulative rate cuts of 50 bps

Liquidity & Interest Rates

The Reserve Bank of India (RBI) maintained status quo on the key policy rate during the fiscal till January 2015 citing inflationary concerns. However, with the softening of the inflationary pressures, the RBI announced rate cut by 25 basis points each on two occasion, in January 2015 and in March 2015, effectively bringing down the Repo Rate to 7.50%.The Reserve Bank of India (RBI) also reduced the Statutory Liquidity Ratio (SLR) by 150 basis points during the fiscal to ensure comfortable liquidity position in the economy.

Yields on the 10 year G-Sec bond – a proxy of credit risk of the sovereign – eased in 2014-15. This reflected the optimistic market sentiments on the back of improving macroeconomic fundamentals and policy reforms to rekindle economic growth.

Liquidity conditions remained broadly balanced during 2014-15. Slower pace of growth in credit off-take in comparison to deposit mobilisation and drawdown of government cash surplus aided in easing the liquidity pressures. Further, with a view to ensure flexibility, transparency, and predictability in liquidity management operations, the RBI revised its liquidity management framework in September 2014.

External Sector Developments

India's external position remained comfortable in 2014-15 on the back of moderate trade and current account deficits, abundant financial flows, a build-up of foreign exchange reserves and broadly stable exchange rate movement. A robust external sector position in the fiscal facilitated in lifting the restriction on gold imports and lower international prices of crude oil helped in ushering reform in diesel pricing.

India's Trade Deficit, at US$ 137.0 billion in 2014-15, has remained comfortable, owing to lower import burden on the back of softer international crude oil prices. This was

despite the slowdown in exports on account of weak demand from major trading partners along with stronger Rupee valuation vis-à-vis US Dollar. The lower trade deficit led to lower Current Account Deficit (CAD) in 2014-15.

India's CAD position

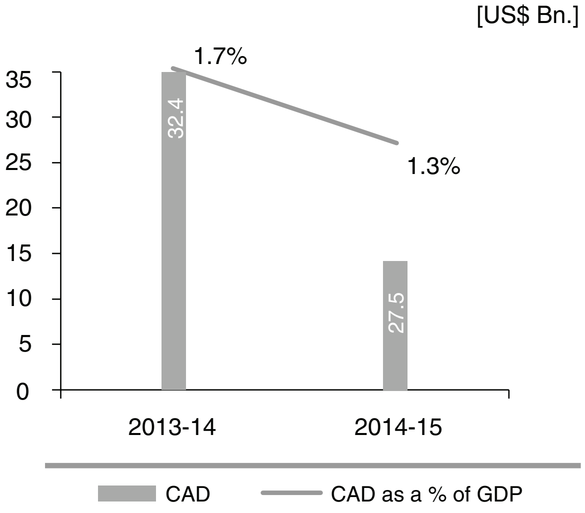

Overall Balance of Payment (BoP) reflected considerable improvement on the back of favourable balance of trade position. A sizable increase in net financial flows aided in financing the CAD and facilitatedin building comfortable foreign exchange reserves.

Despite a rise in India's External Debt by 3.5% from end-March 2014 to US$ 461.9 billion as at end-December 2014, it remained within manageable limits aided by prudent external debt management policy of the Government of India.

Future Outlook

The global economy is expected to grow at a moderate pace in the near term. Accommodative monetary policy in the advanced economies is likely to support global growth as the global financial markets remain liquid. However, a possibility of rate hike by the US Federal Reserves clouds the outlook as it may lead to volatility in the financial markets. Secondly, softer commodity prices is expected to boost the performance of the oil-importing economies but on the flip-side, hurt the oil-exporting economies. However, persistently weak global trade volumes and slowdown in the emerging economies, among other factors, pose a downside risk to growth. The IMF, in its April 2015 edition of World Economic Outlook (WEO), estimated the global economy to grow at 3.5% in 2015, marginally higher than 3.4% in 2014. World Bank, in its June 2015 edition of Global Economic Prospects report, has also forecast the global growth to rise moderately from 2.6% in 2014 to 2.8% in 2015.

Increased macroeconomic stability and reforms measures by the policymakers in India have served to improve business sentiments in the economy. This has also prompted the institutions like the IMF and the World Bank to present an optimistic growth outlook for India for the year 2015 and beyond. Both IMF and World Bank have forecast India to grow by 7.5% in 2015. For 2016, the global agencies have varying assessments; while IMF has forecast India to grow by 7.5% during the year, World Bank has forecast 7.9% growth for the economy.

> Your Bank continued to focus on rebalancing its business mix, through increasing accent on retail business and priority sector lending, while continuing to maintain predominance in industry and infrastructure financing.

BUSINESS REVIEW

During the year, your Bank continued to focus on rebalancing its business mix, through increased accent on retail business and priority sector lending, while continuing to maintain predominance in industry and infrastructure financing, with the intent of meeting regulatory requirements as well as de-risking the business portfolio. As a critical enabler, the Bank recalibrated its organisation structure by adopting a decentralised approach by further dividing the offices across the country into zones. Simultaneously, the zonal offices were vested with greater powers to facilitate faster decision-making to drive the Bank's business growth.The underlying rationale for introducing the structural change in the Bank was to capture the immense potential that the Tier I and Tier II cities, towns and rural areas in India offer by improving the Bank's understanding of the local conditions. These strategic initiatives were complemented by a rapidly expanding branch network across the country. As on March 31, 2015, your Bank's network stood at 1,717 branches, marking an addition of 329 branches during the year. The branch network as on March 31, 2015 comprised 368 branches at metro locations, 451 branches at urban centres, 524 branches at semi-urban centres, 373 branches at rural centres, (including 210 Financial Inclusion branches) and one overseas branch at Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai.

Retail Liability Products

Your Bank continued to review the existing bouquet of its liability products across all segments to modify their features and processes in tandem with the emerging customer needs. Among other initiatives, your Bank introduced a new Savings Account variant "Suraksha plus Savings Account" which combines the benefits of Savings Account with that of an insurance cover, both Accidental Death and Life, which is offered under a Group Insurance Scheme at low and attractive rates of

premium. During the year, the "Powerkidz Smart Savings Account", which allows minors above the age of 10 years to independently operate the account, was introduced. With a view to augment the special benefits currently offered to High Net Worth (HNW) customers under "Royale Plus" category, your Bank decided to offer "VISA Signature Debit Card" to all customers in "Royale Plus" category to extend exclusive privileges and features befitting the requirements of the targeted customers. With a view to facilitate remittances to Nepal, your Bank entered into a Memorandum of Understanding (MOU) with Global IME Bank Limited (GIBL) of Nepal which will allow a person of either Indian origin or Nepal origin to remit funds to Nepal from any branch of the Bank. With a view to facilitate branches having avenues to manage large cash deposits, your Bank introduced "Cash Current Account (CCA)" with higher Cash Deposit Limit (CDL).

NRI Services

Your Bank highly values its relationship with its NRI customers and strives to best serve the community's interests through its product and services ranging from basic NRE, NRO & FCNR Deposits which are offered at highly competitive rates to state–of–the–art products and value added services such as forward cover on FCNR Deposits, Portfolio Investment Scheme (PIS) for investments in Indian secondary stock markets, Overdraft facilities against the security of NRI Deposits, Home Loans, Loans against property. To enable a fast, economical and convenient fund transfer, the Bank offers various options to NRIs for hassle-free fund remittances to India.

With a view to connect, engage and deepen the relationship with its esteemed NRI Customers, your Bank also issues a quarterly NRI Newsletter - "NRI Sampark" to communicate news, updates and information.

Structured Retail Asset Business

Your Bank has emerged as one of the most sought after players in the structured retail finance segment with its retail asset products and services. In addition to the vanilla products offered on the retail asset front, the Bank offers innovative products such as Home Loan Scheme for Financing Rural/ Semi Urban Housing, Special Scheme for converting interest rate to the prevailing rate for Housing Loan customers, thereby offering greater variety and customisation to the Bank's customers. Your Bank has also simplified the guidelines for structured retail asset products for convenience of its customers as well as reducing Turn Around Time (TAT), thereby making the Bank's products one of the most competitive in the market. The Bank also offers the facility of online loan application for Home Loans, Education Loans, Auto Loans and Personal Loans along with tracking mechanism which allows the applicant to track the latest status of a loan application. Adding to its bouquet of segment specific education loan schemes, your Bank has launched ''उड़ान'' - a unique savings-cum-Education Loan scheme for students studying between 8th and 10th standards. During the year under review, your Bank renewed the tie-ups with major passenger vehicle manufacturers, viz. Tata Motors, Honda Motors, Maruti Suzuki, etc. to augment its auto loans business.

In cognizance of the imperative to ensure inclusive growth, your Bank, besides offering various Government Sponsored Schemes for the Economically Weaker Section (EWS) and Lower Income Groups (LIG), also extends financial assistance amounting up to ₹ 5 lakh to them for purchase of homes. Your Bank is also the Implementing Agency for various Education Loan Subsidy Schemes for students belonging to EWS and Minority Community.

1,717

Branches as on March 31, 2015

329

New branches added in 2014-15

Alternate Channels & Cards

Your Bank continued to strengthen its Alternate Banking channels like ATMs, internet banking, mobile banking etc. to ensure maximum convenience for its customer for carrying out transactions at any time, any place and more importantly, through various channels in a seamless fashion. From the Bank's perspective, these channels help in lowering the Bank's operational cost on account of lower transaction cost.

Since its launch in October 2001, the Bank's internet banking facility has been constantly updated to include several features such as opening of Fixed Deposits (FDs) and Recurring Deposits (RDs), tax payment, shopping/bill payments, card-to-card money transfer, mobile recharge, booking of Air/Rail tickets, online IPO ASBA and Demat/ GOI bond operations.

During the year, your Bank launched Credit Card on Visa Platform to complete the bouquet of its Card products available to its existing customers. The Bank offers the card in two variants, viz. Royale (Visa Signature Card) for HNW customers and Aspire (Visa Platinum Card) for other existing customers with satisfactory relationship with the Bank.

The Bank has also started authorising transactions received from reputed international e-commerce websites to boost e-commerce transactions.

Your Bank offers SMS, Browser and USSD based Mobile banking services as well as Android based Mobile Banking

Application which allows the customers to transact even while on the go.

The Bank launched its e-lounge facility - an automated banking service designed for delivering a wide range of banking services on 24x7 basis - in September 2014 in Mumbai and thereafter, has extended it at various centres across the country.

In order to enhance customer awareness about cyber frauds and its prevention, your Bank ensures that its customers are periodically informed, through emails, SMS and inserts sent in statements, about the security measures taken by the Bank. Additionally, a pre-login caution page explaining safe internet banking practices is also displayed on the Bank's net banking page. A series of safety (Do's & Don'ts) measures while using net banking have also been displayed on the Bank's website. SMS alerts for all channel transactions are sent to customers to avoid possible misuse.

TPD and Capital Market Products

Your Bank constantly endeavours to provide value-added services to its customers, aligned to their risk profile and financial goals. Towards this end, your Bank has enabled Online Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) facility, making it available to all its customers since December 2014. Your Bank has also activated Online NPS Subscription for all its customers.

Your Bank, in association with NSDL Database Management Ltd (NDML), has launched the "Electronic-Insurance Account (e-IA)", becoming the first PSB to launch e-insurance account facility. e-IA allows purchase and holding of insurance policies in electronic form with an insurance repository. The existing policies of a policyholder which are in physical mode can also be dematerialised and held in the e-IA. Policyholders may also undertake changes, modifications and revisions in the insurance policies with speed and accuracy through e-IA.

Financial Inclusion

Your Bank has been proactive in partnering the policymakers in furthering the objective of financial inclusion by ensuring access to appropriate financial products and services needed by most vulnerable sections of the society at an affordable cost in a fair and transparent manner. Some of the major initiatives undertaken by the Bank during the year are discussed in this section.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

The Hon'ble Prime Minister, in his Independence Day address on August 15, 2014, announced the launch of the scheme of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) as a National Mission on Financial Inclusion which envisages providing all households in the country with financial services, with particular focus on empowering the weaker sections of society, including women, small and marginal

Your Bank has been proactive in partnering the policymakers in furthering the objective of financial inclusion by ensuring access to financial products and services needed by most vulnerable sections of the society.

farmers and labourers, both rural and urban. This was to ensure universal access to banking facilities with at least one basic banking account for every household. In addition, the beneficiaries under the scheme were issued RuPay Debit card with inbuilt accident insurance cover of ₹ 1 lakh. Life insurance cover of ₹ 30,000 is also provided to account-holders under PMJDY who have opened the account for the first time, subject to certain eligibility criteria. The PMJDY plan also envisaged channeling government benefits to the beneficiaries' accounts through the Direct Benefit Transfer (DBT) and Direct Benefit Transfer for LPG consumers (DBTL) schemes.

Under the programme, your Bank opened 9.29 lakh accounts with facility of RuPay Debit cards and these accounts are eligible for overdraft facility of up to ₹ 5,000/-. Your Bank has also contributed a total sum of ₹ 2.26 crore out of its CSR budget to IBA Corpus Fund for PMJDY which was created to fund the PMJDY campaign.

Financial Literacy

Financial Literacy has been identified as a pre-requisite for effective financial inclusion and an integral part of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) in order to let the beneficiaries make best use of the financial services being made available to them. Your Bank has set up desks known as "Vittiya Sakhsharta Jankari Kendras" in its rural branches which are responsible for spreading awareness on management of money, importance of savings, advantages of saving with banks, other facilities provided by banks, benefits of borrowing from banks, etc. amongst walk-in customers as well as amongst common people through conduct of outdoor literacy camps. During the year, your Bank's rural branches conducted 842 such outdoor literacy camps. Under the PMJDY programme, your Bank conducted five Mega account-opening-cum-financial literacy camps at Silvassa (Dadra & Nagar Haveli), Rishikesh (Uttarakhand), Sanawad (MP), Patna (Bihar) and Nalasopara (Maharashtra) which were attended by senior level management of the Bank as well as dignitaries from the State/Central Government.

Your Bank's IDBI Rural Self Employment Training Institute (IDBI-RSETI) at Satara District in Maharashtra, which conducts free residential training programme for the rural unemployed youth, has been awarded "A" grade by Ministry

of Rural Development. During the year, IDBI-RSETI has conducted 18 training programmes.

Aadhaar Enrolment

Your Bank is registered with Unique Identification Authority of India (UIDAI) as Registrar for 'Aadhaar' enrolments. Consequent to re-allocation of four states viz., Bihar, Chhattisgarh, Uttar Pradesh and Uttarakhand to UIDAI, your Bank decided to undertake Aadhaar enrolments in these states too. Your Bank has so far enrolled 35.7 lakh residents across 14 States, including the four new States.

Direct Benefit Transfer for LPG (DBTL) Scheme

The Government of India has re-introduced the Direct Benefit Transfer for LPG consumers (DBTL) Scheme in 54 districts with effect from November 15, 2014 and throughout the country with effect from January 1, 2015. As against the earlier scheme under which having Aadhaar number was mandatory for availing of the direct benefit transfer, under the modified scheme, transactions will happen on the basis of either Aadhaar number or bank account number.

Your Bank has taken several steps with an aim to sensitise common people about the importance of DBT/DBTL and seeding of Aadhaar number into bank account. These include displaying notice at branch premises and ATMs as well as through SMSs and e-mails. Besides accepting physical requests for seeding of Aadhaar at branches, the Bank's alternate channels, viz., SMS, ATM, Internet Banking, call centre are also being leveraged to seed Aadhaar number with the accounts. Your Bank ensures that the data of seeded Aadhaar numbers is uploaded onto National Payments Corporation of India (NPCI)'s Mapper on a daily basis and as on March 31, 2015, 12.36 lakh accounts have been seeded with Aadhaar numbers, of which 3.56 lakh accounts are under PMJDY. Further, as at March 31, 2015, your Bank has processed more than 12 lakh transactions under DBTL.

Further, your Bank has continued with the distribution of social security pension through smart cards to about 23,000 old-age pensioners in Raipur, Chhattisgarh, as per the mandate obtained from Raipur Nagar Nigam. Your Bank has also continued with the project of distribution of MNREGA wages in three districts in Chhattisgarh, covering about one lakh beneficiaries in about 192 Gram Panchayats. As at March 31, 2015, around 65,000 accounts of beneficiaries have been opened by your Bank.

9.29 lakh

PMJDY accounts opened in 2014-15

₹ 2.26 crore

Contributed from CSR budget to fund PMJDY campaign

In addition to these initiatives, your Bank also provides doorstep banking to the tribal population residing in far off interior areas and weaker sections of the society.

Priority Sector Banking

Your Bank has been playing a pivotal role in Priority Sector Lending (PSL), comprising, inter alia, Loans to Agriculture and Micro & Small Enterprises (MSE) sectors as well as Housing Loan and Education Loan, in adherence to the regulatory guidelines.

With a view to have a focused approach towards PSL business, your Bank undertook organisational restructuring by merging its Priority Sector Group with its Retail Banking Group which has enabled the entire retail network of the Bank to carry out priority sector lending. A robust zonal structure has also been put in place with delegated power at branch/ region / zone level to further augment the capacity for quick and speedy decision in credit dispensation. The Bank has established 29 dedicated Credit Processing Centers (CPCs) to process the PSL proposals expeditiously by specially trained personnel. The Bank plans to open more CPCs to further augment the capacity.

Being aware of the critical importance of the agriculture and MSEs in the sustainable development of the country, the Bank undertook various initiatives in the segments, including holding workshops in various agriculture and MSE clusters for educating and spreading awareness about the facilities and services available to these segments. Your Bank has also actively participated in various conferences, trade fairs and promotional events organised by various stakeholders.

For boosting its agricultural lending portfolio, constituting direct lending to the farmers / group of farmers, assistance to corporate or cooperatives engaged in farming, agri-processing of units and entities in supporting agriculture sectors, the Bank's dedicated teams across the country facilitate access to credit to all these constituents. These teams were also entrusted with the responsibility of educating the agrarian community about means to boost farm productivity which would have consequential positive impact on the farm incomes and thus, help in improving the quality of life of the rural populace. While your Bank had been concentrating on augmenting its agricultural lending through tie-ups with corporates and co-operatives that are engaged in the agro and food processing activities, the Bank has recalibrated its focus to retail lending directly to farmers aimed at crop cultivation and allied activities. During the year, your Bank had also launched campaigns for Kisan Credit Card (KCC) during Kharif and Rabi

seasons. Pursuant to the directive of Ministry of Finance (MoF), Government of India (GoI), for conversion of all existing Kisan Credit Cards (KCC) into ATM enabled Debit Cards, the Bank has introduced KCC ATM-cum-Debit Card on RuPay platform.

Your Bank continues to encourage formation of Farmers' Clubs in the villages covered by its rural branches as the members of Farmers' Clubs are considered as true grass-root level agriculture extension workers. The Bank supports them in all activities that involve sharing of their knowledge amongst fellow farmers. The Bank's engagement with farmers and other agriculture intermediaries is also enhanced through participation in various 'Agri Expo', 'Kisan Mela' and 'Loan mela' conducted across the country.

Your Bank has launched new agriculture loan schemes, viz. Kisan All Purpose Term Loan, Kisan Vehicle Loan, Krishi Unnati and Funding to Farmers against Hypothecation of Agricultural Produce, State Specific Agro Cluster Scheme for Rice Mills, Dal Mills, Poha Mills, Copra Processing etc. Some area specific agriculture loan schemes have also been developed in six areas.

A special cell for High-Tech agriculture has been formed at Head Office level to capture opportunities in the emerging agriculture field. The cell has launched 15 model projects for the benefit of branches and has the capabilities of providing consultancy services.

To further reach out to the remotest part of the country, the Bank has appointed 46 corporate Business Correspondents / Business Facilitators (BCs/BFs) across the country. Simultaneously, a robust IT platform has been developed for opening and administering the accounts sourced under this channel. The Bank has also engaged the services of more than 1,400 individual BCs/BFs to augment the efforts of the branch officials in these areas. The Bank endeavours to further augment these channels to deepen its relationship with its customers.

In cognizance of the significant role played by MSEs in catalyzing the nation's economic progress, your Bank has accorded primacy to the segment in its growth charter. Your Bank has entered into corporate tie-up arrangements with various corporates to meet the requirements of MSE sector. The Bank has also signed Memorandum of Understanding (MoUs) with several agencies to bring the MSEs into the banking fold and to meet their different banking needs.

Your Bank has initiated cluster approach in financing MSE across the nation and various studies are being conducted to expand the approach. At present, special schemes for 10 clusters have been developed to encourage the MSE sector advances.

Your Bank has also introduced "General Credit Card" for MSE sector. To enable faster and hassle free credit

A special cell for High-Tech agriculture has been formed at Head Office level to capture opportunities in the emerging agriculture field. The cell has launched 15 model projects for the benefit of branches and has the capabilities of providing consultancy services.

process, your Bank has simplified its product and service offerings as well as loan application process. Product development and modification is an ongoing process at the Bank.

It is envisaged that these initiatives will help your Bank to create qualitative, robust and sustainable PSL portfolio with a wider spread across all the branches of the Bank and segments so as to meet the statutory requirement and also to meet the aspirations of all the stakeholders.

Corporate Finance

The Corporate Banking Group (CBG) of the Bank caters to all banking needs of its corporate clients. To effectively operationalise the business and in line with the Bank's philosophy of granulisation, de-risking and decentralisation of credit portfolio through acquisition of more mid-size corporate clients and to ensure that both large-sized and medium-sized credit portfolio have focused approach, the Bank's CBG vertical has been structured as CBG-I that looks after large-sized accounts and CBG-II that looks after medium-sized accounts. In addition to strategically granularising its portfolio to avoid concentration risk and tapping more non-fund business/fee-based income from its corporate clientele, the CBG has been focusing on deepening relationship with existing clientele garnering business of Trade Finance, Government Business, Cash Management Services, Salary Accounts and Treasury Services.

Your Bank, as the Nodal Agency for Textile Industry (non-MSME sector) under Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) of Government of India and Government of Maharashtra, processes cases pertaining to its clients on pan-India basis and co-opted 61 Prime Lending Institutions, including other commercial banks, AIFIs, SFCs, SIDCs and co-operative Banks. Government of India has recently re-launched the scheme as 'Revised Restructured TUFS-(RRTUFS) which is effective from April 01, 2012 till March 31, 2017.

In terms of recent circular issued by Ministry of Finance, Department of Financial Services, your Bank has also been extending loans to sugar mills under the

"Scheme for extending financial assistance to sugar undertakings, 2014."

Infrastructure Finance

Infrastructure has been accorded primacy by the Government of India on account of its catalytic role in India's overall economic development. Besides having inherited a rich legacy in financing infrastructure projects from its predecessor entity, Industrial Development Bank of India – an apex Development Finance Institution in the country in the pre-reform era, your Bank continues to remain a leading player in the domain with a dedicated vertical – Infrastructure Corporate Group (ICG) – for catering to the needs of large infrastructure projects.

Your Bank's ICG vertical assists projects across the country through its dedicated domestic branches as well as one overseas branch at Dubai. These branches are supported by Project Appraisal Team based at Head Office and have been offering end-to-end solutions to clients engaged in setting up infrastructure projects.

Your Bank's portfolio under the vertical includes power projects with aggregate generation capacity of over 50,000 MW, telecom service providers catering to over 500 million subscribers, highway projects covering more than 7,000 km, sea-ports on the Eastern & Western coast, power distribution companies serving a base of five million consumers, metro railway project, select private sector operated airports of the country, besides a host of projects in urban infrastructure, logistics, etc.

With spillover effects of muted economic activity in the last couple of years as well as factors such as build-up of receivables in construction industry, fuel related issues in power companies, liquidity constraints in the electricity distribution companies, etc. weighed down on the finances of the infrastructure companies. Your Bank, with the experience gained through its long association with the sector, has meticulously analysed the projects having capability to rebound and assisted them by considering proposals for refinancing / restructuring / securitisation, etc. Further, your Bank has suitably modified the processes of Credit Appraisal, Delivery and Administration.

Your Bank has also been actively involved in various measures initiated by the Government of India to revive the sector by giving critical inputs to various Departments / Ministries as and when required.

Pioneering role in Indian banking sector in the area of environmental banking

Project Implementing Entity (PIE) and Financial Intermediary (FI) for India Chiller Energy Efficiency Project (ICEEP)

Syndication, Structuring and Advisory Services

Actively providing project appraisal, debt syndication, structuring and advisory services across various sectors, viz. infrastructure, manufacturing, service sectors, your Bank, during the year, procured several mandates for appraisal and syndication of debts. Your Bank has been consistently ranked as one of the leading debt syndicators in India.

Green Banking

Your Bank has undertaken a pioneering role in Indian banking sector in the area of environmental banking and has been active in this area for over two decades. Besides offering various banking services, your Bank has been providing services in the area of Clean Development Mechanism (CDM)/ Carbon Credits under Kyoto Protocol and Voluntary Emission Reductions (VERs). Your Bank has also been acting as Financial Agency (FA) in association of the World Bank and other multilateral agencies for channelising disbursement of grant funds to beneficiaries of various multilateral projects for over two decades. During the year under review, your Bank, which is the Financial Agency (FA) for CTC Sector Plan Implementation Project - ODS IV, completed the project. The project was implemented in December 2004 for phasing out CTC in Production and Consumption Sectors.

As per the Grant Agreements dated August 26, 2009, your Bank has been acting as Project Implementing Entity (PIE) and Financial Intermediary (FI) for implementing India Chiller Energy Efficiency Project (ICEEP), a unique project aimed at phasing out of ODS and mitigating global warming. The objective of this project is to replace existing old CFC chillers with new non-CFC energy efficient chillers. ICEEP has a total corpus of US$ 7.3 million and has been funded by Global Environment Facility (GEF) and Ozone Trust Fund (OTF). The project has achieved project development objective of phasing out CFC chillers and the beneficiaries have phased out approximately 6,800 kgs of CFC (the ODS refrigerant used in old chillers), besides achieving energy efficiency in their operations. The disbursement period of the project has since been extended up to April 30, 2015.

Your Bank is one of the few Public Sector Banks / FIs who are signatory to Carbon Disclosure Project (CDP) as part of its initiatives to be a responsible business striving towards a low – carbon future. Besides, your Bank has also taken various initiatives for reducing its carbon footprint which includes introduction of energy saving lighting, installation of solar panels, solar water heaters, encouraging steps towards creating awareness for water and energy conservation.

Asset Quality

Your Bank has continued its efforts towards close scrutiny of its Non-performing Assets (NPAs) in order to maximise their recovery as well as upgrade the existing NPAs. The Bank has also adopted appropriate and preventive mechanism for arresting further slippages in the asset quality. High risk management standards have been put in place for maintaining asset quality through disciplined credit risk management while simultaneously supporting growth in assets, thereby judiciously complementing profit maximisation with risk control.

As at end-March 2015, 94.12% of your Bank's loan assets were standard assets,1.40% were sub-standard assets, 4.34% were doubtful assets while loss assets formed 0.14% of the Bank's assets, for which adequate provisions were made in conformity with extant prudential regulations.

Your Bank has continued to pursue various recovery efforts rigorously to improve asset quality and consequently, improve its bottom-line. During the year, your Bank initiated several steps to settle the Non-Performing Assets / Fully Written – Off (NPA/FWO) cases in its portfolio. Focused and account-specific resolution strategies were implemented and progress was monitored regularly in all NPA cases. Thrust was also given to upgradation of NPAs to performing assets. Various steps were undertaken for restructuring of assets where revival of the unit was possible. Among others, the Bank resorted to One Time Settlements/ Negotiated Settlements (OTS/NS), legal action, enforcement action under the SARFAESI Act, change of management, sale of assets to Asset Reconstruction Companies (ARCs), follow-up with Debts Recovery Tribunal (DRT) on continuous basis so as to minimise the delay in obtaining decrees and execution thereof, induction of strategic investors etc. depending on the specific requirements of each case. Your Bank launched a special recovery campaign to quickly resolve the Doubtful Asset (DA3), Loss and FWO cases with principal outstanding up to ₹ 1 crore in the fourth quarter of 2014-15 for speedy and focused resolution of small and old NPA/FWO cases. Further, an incentive scheme was also introduced to ramp up the recovery drive, maximise recovery, and to boost the morale and motivate the staff.

Recovery agents/ enforcement agents have been appointed in all cases where SARFAESI action has been initiated. Moreover, the Bank's Board has also approved appointment of Special Recovery agents who have good track record with other banks/Financial Institutions (FIs) to take up resolution of cases. In addition to this, concerted and focused efforts have also been made to attach the properties of guarantors through DRT after ascertaining the assets of the guarantors through Private Detective Agencies and other independent enquiries/searches made by the Bank.

Focused and account-specific resolution strategies were implemented and progress was monitored regularly in all NPA cases. Thrust was also given to upgradation of NPAs to performing assets.

Trade Finance

Your Bank has continued to exhibit impressive growth in its domestic as well as international Trade Finance (TF) business.

In order to make available timely foreign currency funds to the exporters at a competitive rate, the Bank tied up with its Foreign Correspondent Banks for Foreign Currency Borrowing.

During the period, your Bank conducted its TF business through its full-fledged TF Centres (Authorised Dealer in Foreign Exchange) present across the country. Furthermore, more than 60 Retail Banking branches were enabled for undertaking Inland TF Business (LCs/BGs) so as to reach majority of domestic TF customers.

The Bank continued to strengthen relationship with foreign banks for facilitating Trade Finance business. During the period, the Bank established RMA (Relationship Management Application) with 64 major foreign banks, taking the total RMAs to 1,506. With this enhanced networking, your Bank has been able to handle bi-directional trade transactions with major geographical locations across the globe.

Government Business

Your Bank acts as an agent for the Central Government as well State Governments to manage their receipts and payments. Besides being authorised to collect Central Government taxes including Income Tax, TDS, Corporation Tax, Excise Duty, Service Tax and Custom Duty payments, your Bank also has the mandate for collecting Commercial Tax and other Government receipts for 18 State Governments and two Union Territories. During the year, your Bank garnered over ₹ 2.22 lakh crore in various taxes and duty payments on behalf of the Central and State Governments.

With continued focus on augmenting its government business, the Bank has taken a leap forward by being perceptive of the requirements of the Central and State Governments and developing requisite software

for carrying out transactions on their behalf, besides integrating with the State Government Treasuries to facilitate their respective duty/tax payers. Simultaneously, your Bank continues to expand the geographical bandwidth of its Government business.

Leveraging its best-in-class technology platform, the Bank provides, inter alia, 24x7 internet banking facilities on a pan-India basis for tax payments. Your Bank is accredited by the Government of India for acceptance and conduct of Public Provident Fund (PPF) accounts from the public through its authorised branches on pan-India basis. Your Bank has also extended Aadhaar-based authentication of Life Certificate for Central and Defence Pensioners under 'Jeevan Pramaan Yojna' launched by the Government of India to enable pensioners to log in and submit their "Digital Life Certificate".

Cash Management Services

Your Bank's Cash Management Services (CMS) involves keeping track of clients' fund movement, maintaining payments and receivables systems and managing overall liquidity positions of corporates by deploying specialised software in a very controlled environment.

Your Bank offers a gamut of collection and payment products including Debt Servicing products, Virtual Account System, E-freight Payment Facility, Direct Debit Facility, Vendor Management System etc. that ride on cutting-edge technological integration with client systems and are in tune with evolving market trends.

Your Bank has continued to bag prestigious dividend distribution mandates of large Public Sector Units (PSUs) and other corporates during the year and maintain a significant market presence in this segment.

Your Bank provides Virtual Account System which is an electronic channel for remitter identification whereby receipts in the client's accounts are classified remitter-wise and presented in a structured format to the client for easy reconciliation.

94.12%

Standard loan assets

₹ 2.22 lakh crore

Garnered on behalf of Central and State Governments in taxes and duties

Your Bank handles e-freight collections in six railways zones as an authorised entity for e-freight payment system of the Indian Railways and during the year, has continued to tap many more railway zones.

As CMS is one of key thrust area of the Bank, emphasis has been placed on carrying out many system enhancements like Straight-Through Processing (STP), Compatibility of System with higher versions of Operating Systems, Immediate Payment Services (IMPS), Digital Signature and other regulatory requirements.

Treasury Operations

An integrated Treasury at your Bank's Head Office covers various segments like Money Market, Fixed Income, Foreign Exchange, Derivatives and Equities trading for efficient fund management and treasury operations. The Treasury facilitates customer transactions in market products, resource raising, trading and market making in various market segments while managing the regulatory compliance on Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR). The Treasury is equipped with state-of-the-art technology to deliver quality solutions to your Bank's customers and for its business operations efficiently.

In addition to mobilising deposits, your Bank has used various instruments including Certificates of Deposits, interbank borrowings, issuance of bonds, refinance from various sources and foreign currency borrowings to manage liquidity for balance sheet growth and maturity of liabilities. Liquidity was managed at appropriate level depending upon fund position and market situation through various short term/money market instruments. Your Bank also regularly tracks various markets and adopts acceptable level of positions for trading gains.

In accordance with the RBI guidelines, your Bank has implemented, during the year, the Basel III Framework on Liquidity Standards covering Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Management Tools and LCR Disclosure Standards for improved liquidity risk management.

Your Bank's Treasury is supported by a large sales team across 12 centres for effective marketing of foreign exchange and derivative products. The team interacts constantly with the corporate clients and proactively provides them with solutions to effectively manage their exposures in currencies and rates. During the year, your Bank provided various types of standard and customised solutions at competitive rates to the customers for their foreign exchange and interest rate hedging requirements through a mix of forex, options and swaps, as permitted by the RBI.

In addition, your Bank has set up debt sales team at various centres for retailing of fixed income products in general and Government Securities in particular. The team caters especially to the needs of the investors for undertaking transactions outside the screen-based NDS-OM market.

Your Bank's Treasury continues to be at the forefront of innovative financial solutions which indirectly contributes towards market development. The 'IDBI Samriddhi G-Sec' portal, which is dedicated to retail investors desirous of dealing in securities issued by the Government of India, has been revamped to provide daily mark-to-market (MTM) position to the investors on their purchased stocks. The Bank's 'IDBI Samriddhi CD' portal, which is the first online CD portal for retail investors in the country, continues to be patronised by retail investors. Your Bank continues to be at the forefront of entering into Global Master Repurchase Agreements (GMRA) with various market participants facilitating development of repo in corporate bonds.

The market conditions in the interest rate segment were relatively less volatile with downward shift in interest rates across instruments and maturity during the year tracking the benign inflation conditions. Rupee exchange rate was also generally stable during the year. Your Bank closely tracked the emerging market developments and regularly ensured proactive management of liquidity, interest rate and exchange rate exposures.Your Bank also proactively responded and participated in the various initiatives taken by the Reserve Bank of India (RBI) during the year like 14-day variable rate term repos, variable rate repo/reverse repos.

In the Primary Dealer (PD) business, your Bank has underwritten adequate amount of debts of various tenors as raised by the Government of India. Your Bank has also assisted various State Governments in raising funds by participating in the auction bidding processes. In the T-Bills segment also, the PD business has fulfilled all the applicable commitments with regard to achievement of the required success ratio and secondary market turnover in Government dated securities and T-Bills.

Cross-Border Branches

The Bank's overseas branch at the Dubai International Financial Center (DIFC), Dubai has completed a little over five years of operations. Your Bank, through its DIFC Branch, provides a range of corporate banking services, including extending of External Commercial Borrowings (ECB), Foreign Currency Loans (FCL) syndication of ECB/ FCL and trade finance products to meet Indian clients' fund requirements for their Indian operations as well as overseas ventures.

Your Bank is also exploring opportunities to expand its overseas presence.

Your Bank raised an aggregate amount of ₹ 6,500 crore through bond issuances comprising of Basel III compliant Additional Tier I bonds (₹ 2,500 crore) and Infrastructure bonds (₹ 4,000 crore).

Credit Rating

Your Bank obtains credit ratings for both domestic and foreign currency borrowings. The ratings for the Rupee resources are as under:

Ratings for Rupee Borrowings

(As on March 31, 2015)

	CRISIL	ICRA	India Ratings & Research
Fixed Deposit	FAAA/Stable	MAA+	IND tAAA
Short Term Borrowings (Certificate of Deposits)	CRISIL A1+	[ICRA] A1+	IND A1+
Long Term Rupee Bonds (Senior & Lower Tier II bonds)	CRISIL AA+/ Negative	[ICRA] AA+/ Negative	IND AA+
Hybrid - Upper Tier II Bonds	CRISIL AA/ Negative	[ICRA] AA/ Negative	IND AA–
Hybrid – IPDI (Basel II)	CRISIL AA/ Negative	[ICRA] AA/ Negative	----
Hybrid- AT1 (Basel III)	CRISIL AA-/ Negative	[ICRA] AA-/ Negative	IND AA-

The Foreign Currency borrowings of the Bank are rated by three international rating agencies viz., Moody's Investor Services (Moody's), Standard & Poor's (S&P) and Fitch Ratings (Fitch). The long-term Foreign Currency Ratings and Bank Financial Strength Rating (BFSR)/Standalone Credit Profile(SACP)/Viability Rating (VR) are as under:

Ratings for Foreign Currency Borrowings

(As on March 31, 2015)

Rating Agency	Rating
Moody's Investor Services (Moody's)	
Long Term Rating	Baa3/stable
Bank Financial Strength Rating (BFSR)	D- /Negative
Fitch Ratings	
Long Term Issuer Default Rating	BBB-/Stable
Viability Rating (VR)	bb
Standard & Poor's (S&P)	
Issuer Credit Rating (ICR)	BB+/Stable
Stand-alone Credit Profile (SACP)	bb

Long Term Rupee Borrowings

During the year, the Bank raised an aggregate amount of ₹ 6,500 crore through bond issuances comprising of Basel III compliant Additional Tier I bonds (₹ 2,500 crore) and Infrastructure bonds (₹ 4,000 crore).

Foreign Currency Resources

During the year under review, your Bank raised an aggregate sum of US$ 3,388 million equivalent in Foreign Currency, of which (i) US$ 40 million was drawn out of US$ 340 million 10-year loan contracted from KFW, Germany, in October 2013, (ii) US$ 2,998 million was raised by way of short term borrowings from banks and (iii) US$ 350 million equivalent was raised by way of bond issuances under the US$ 5 billion Medium Term Note (MTN) programme.

Your Bank, through its DIFC Branch, Dubai has contracted a 10-year loan amounting to US$ 245 million (equivalent to € 200 million) and entered into an agreement with KfW, Germany to finance loans sanctioned by your Bank to Micro Finance Institutions (MFIs) and under Banking Correspondent/Banking Facilitator (BC/BF) model.

As on March 31, 2015, the outstanding amount of borrowings under the Inter-bank Dealings Scheme of RBI (US$ 350.40 million) was within the permitted overall RBI stipulated limit of 100% of Tier 1 capital of the bank.

As on March 31, 2015, your Bank's total issuances outstanding under the MTN Programme was equivalent to US$ 2.31 billion.

RISK MANAGEMENT

Your Bank constantly endeavours to improve the risk culture by spreading risk awareness across all its verticals and making it an essential decision-making criterion. The Risk Management Committee (RMC) of the Board of Directors is responsible for overall risk management, but day-to-day activities are conducted at various levels based on the Risk Governance structure.

Your Bank's risk management philosophy is governed by the objective of sustainable enhancement of shareholders' value by judicious use of capital. By basing the risk management strategy on identification, measurement and monitoring of business risks on an on-going basis to ensure efficient usage of capital, your Bank strives to appropriately balance the risk-return trade off inherently associated with the banking business through appropriate mitigation and pricing. Among other measures, your Bank has set up well-defined risk-management policies and outlined risk limits and procedures in line with its risk appetite which are subject to periodic updates in order to factor in business dynamics, innovation and changes from the regulatory perspective.

The risk management systems and processes are consistently upgraded to meet the challenges of an increasingly complex financial system and aligned to regulatory requirements. For a more robust and technologically advanced Risk Management System, your Bank has implemented an Integrated Risk Management Architecture (IRMA) comprising software solutions, viz. Risk Assessment Module (RAM), Capital Assessment Model (CAM) and Comprehensive Operational Risk Evaluator (CORE). IRMA helps to identify and measure credit and operational risks, which, in turn, facilitates formulation of suitable risk mitigation strategies.

Implementation of Basel Norms

Your Bank computes regulatory capital requirement for Credit, Market & Operational risks as prescribed under the Pillar-1 guidelines of the Basel III framework on a quarterly basis. With regard to the requirement for higher quality capital highlighted under Basel III norms, your Bank, at present, has sufficient common equity to meet the regulatory requirements as stipulated in the guidelines.

As on March 31, 2015, the Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) of your Bank was 11.76% which is above the minimum regulatory requirement of 9.00%. Your Bank's CET 1 ratio was 7.29% which is also above the minimum applicable CET 1 ratio of 5.5% stipulated by the RBI. The Tier-1 ratio stood at 8.18% as on March 31, 2015 against the regulatory requirement of 7.00%.

Your Bank has a Board approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), in line with the Pillar-2 norms of the Basel III framework, which enables the Bank to internally assess and quantify those risks that are not covered under Pillar-1, in addition to developing appropriate strategies to manage risks under normal and stress conditions. Your Bank has also put in place a comprehensive stress testing framework, in line with the RBI guidelines, which enables it to assess its strength under exceptional but plausible events and put in place appropriate proactive strategies to meet unforeseen contingencies.

Your Bank has adopted a Disclosure Policy in accordance with the Pillar-3 requirements under the Basel norms and

US$ 3,388 million

Raised during the year in foreign currency

US$ 2.31 billion

Total issuances outstanding under MTN Programme

consequently, publishes disclosures on the Bank's website as at end of each quarter, thereby exhibiting high grade transparency.

Credit Risk

Your Bank has deployed a comprehensive Credit Risk Management System, which includes RAM for credit rating of proposals and CAM for automation of capital computation.

The rating committee at the apex level validates credit ratings and provides guidance to Risk Analysts and Relationship Managers. As a proactive measure, your Bank regularly monitors various exposure limits to different business groups, countries, segments, sectors and industries.

Market Risk

The financial sector is exposed to fluctuations of interest rate, equity price and foreign exchange on a regular basis. Market risk management at your Bank, in terms of functions and business positions, operate in line with policy framework defined in the Asset-Liability Management (ALM) Policy, Market Risk & Derivative Policy, and Investment Policy. These policies, in general, outline the appropriate levels of risk appetite and implement mechanism for measurement, reporting and escalation of risks and exceptions.

Operational Risk

Your Bank has a robust Operational Risk Management framework which includes an enabling organisational set up comprising of Board of Directors, Risk Management Committee (RMC) of the Board, Operational Risk Management Committee and Nodal Officers of various functions/departments. The operating procedures for Operational Risk are guided by "Operational Risk & Business Continuity Management Policy" which aims to identify, monitor, measure and manage operational risks attached to banking activities.

As a part of monitoring of operational risk, your Bank has put in place a comprehensive IT system for management and measurement of operational risk. The progress on Operational Risk Management and Measurement is reported to Operational Risk Management Committee and Risk Management Committee of the Board on a periodic basis.

Your Bank has robust Business Continuity Management (BCM) processes to mitigate business disruptions and life threatening events. As a part of BCM, well-defined Business Continuity Plans (BCP) are in place for core and support functions. This is intended to provide continuity in services to customers, despite business disruption/disaster. Besides, comprehensive Disaster Management Plans (DMP) has been deployed for its major establishments to safeguard human lives and minimize damage to valuable assets during disaster. The resilience of these BCPs and DMPs is tested periodically through BCP testing exercises, disaster recovery and mock evacuation drills. Your Bank has been awarded BS25999 certification (a globally accredited certification) for its comprehensive and robust BCM processes.

Your Bank has robust Business Continuity Management (BCM) processes to mitigate business disruptions and life threatening events. As a part of BCM, well-defined Business Continuity Plans (BCP) are in place for core and support functions.

Information Technology Risk

Your Bank has taken a series of steps to improve risk management and control. The Bank has made significant progress in implementing the recommendations of the RBI Working Group issued in April 2011 on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds. The progress in each area of the recommendations has been closely monitored by the top management and the status of implementation is reported to the Board as well as to the RBI at regular intervals. The Bank has put in place the appropriate organisational framework as recommended in the guidelines. Several information security solutions have been implemented to protect customer data, prevent external attacks as well as strengthening internal controls.

Apart from conducting regular information security awareness programmes for the employees, various information security precautions are also communicated to customers through mailers, SMSes, ATMs and posters, to minimise/thwart the attempts of security breach.

IT infrastructure and systems have been implemented within a robust information security framework. Customer facing interface has two-factor authentication process in place. On the Information Security aspect, the Bank has rolled out data leakage prevention (DLP) solution to protect the sensitive data pertaining to the Bank and customers from being misused. Your Bank's Data Centre as well as Disaster Recovery Centre are ISO 27001 certified. Your Bank has also set up a Near DR to ensure zero data loss for critical transactions. The Information Security Steering Committee of the Bank provides directions for mitigating operational risk in the information systems.

In essence, your Bank has a well-structured risk management framework recognising various facets of

risk and their effective and efficient management. With continued efforts and guidance of the Top Management of the Board, the culture of risk awareness has percolated through the organisation considerably.

MANAGEMENT, CONTROLS AND SYSTEMS

Human Resources

Your Bank recognises human capital as its most prized asset and has developed an HR strategy with the objective of encouraging employees to excel in their performance to achieve business goals. Simultaneously, the Bank also endeavours to ensure that all employees are encouraged to maintain a healthy work-life balance.

Manpower

As on March 31, 2015, the Bank had a total staff complement of 16,555. The category-wise break up of employees is given in Table 1:

Table 1: Category-Wise Break Up Of Employees as at end-March 2015

Category	Total
Officers	14,038
Executives	435
Clerks	1,119
Sub-Staff	963
Total	**16,555**

Due to effective manpower planning and judicious recruitment, your Bank has an excellent team of young officers whose average age is 33.

Recruitment & Staffing

Your Bank continues to recruit officers in junior grade (Grade A) taking into consideration number of superannuating officers, branch expansion and business growth in various categories and in line with emerging business needs. During 2014-15, your Bank recruited 1,551 officers, of which 318 belong to Scheduled Castes (SCs), 73 belong to Scheduled Tribes (STs), 559 belong to Other Backward Classes (OBCs) and 19 are Persons with Disabilities (PWDs). All the recruitments have been carried out through common process for all PSBs conducted by Institute of Banking and Personnel Service (IBPS).

16,555

Total staff as on March 31, 2015

708

In-house training and development programmes conducted

IDBI Manipal School of Banking (IMSB)

Additionally, your Bank entered into a Memorandum of Understanding with Manipal Global Education Services Pvt. Ltd., Bengaluru in May 2014 under which, the Bank has adopted a model of “Train, Recruit and Induct” wherein students are enrolled for Post Graduate Diploma in Banking and Finance (PGDBF) programme for one year and recruited thereafter. At present, 478 students are undergoing training at IMSB at Bengaluru.

Reservation Policy

Your Bank is fully compliant with the extant reservation policy of the Government of India. Representation of SC/ST/OBC in the total manpower strength of the Bank has been presented in Table 2.

Table 2: Representation of SC/ST/OBC in the total manpower strength as at end-March 2015

Category	SC	ST	OBC
Officers	1,892	575	2,920
Executives	66	17	140
Clerks	125	36	95
Sub-Staff	224	78	176
Total	2,307	706	3,331

Your Bank has appointed Liaison Officers, in the rank of General Manager, for SC/ST/PWD and OBC, who ensure compliance of various guidelines pertaining to reserved category employees and for effective redressal of their grievances. Your Bank maintains separate rosters for PWDs, as per the Government of India guidelines.

Training and Development

Your Bank has conducted 708 in-house programmes for 15,796 participants. The Bank has also nominated 463 officers for external domestic training programmes and 34 officers for external foreign training programmes. Furthermore, your Bank has adopted a 180-day induction training module which includes classroom training as well as On-Job Training. Your Bank’s senior and top management level officers are nominated for programmes on general management and strategic leadership with IIMs while middle management level officers are nominated for other Management Development Programmes.

Your Bank also continued with its ‘First Mile’ programme for grooming branch heads. Similarly, officers who are identified for leadership and critical positions are nominated for Assessment Development Centre exercise. To provide an added thrust to the priority sector business, 185 workshops were held for providing focused training on

PSL and rural banking to concerned officers. Workshops were also held on KYC /AML to update the officers on the latest rules and regulations in this area.In order to build a customer centric approach and provide effective and efficient customer service, workshops were arranged for officers at various levels. The Bank also has an e-learning platform "i-varsity" which provides 140 courses and 60 assessments and tests on various topics.

Incentive Plans

Your Bank has also undertaken several initiatives to incentivise its employees for ensuring excellent performance as well as for employee well-being.The Bank has put in place a Performance Linked Cash Incentives Scheme wherein the qualifying employees were provided with cash incentives based on their performance. Top performing retail branch heads in each zone were also rewarded by way of nominations to training abroad and felicitation by the senior executives of the Bank.

Employee Well-being

Your Bank has launched an Employee Assistance Programme (EAP) for its employees to provide professional and confidential counseling services; adopted Compassionate Appointment Scheme on the lines of the scheme prevalent in the Central Government; and has modified the Placement and Transfer Policy, incorporating the Government of India guidelines, to minimise hardship to women employees as well as employees with disabled children; has launched a Group Life Insurance Scheme, among many other welfare measures.

Staff Welfare Schemes

The Bank has put in place various staff welfare schemes like reimbursement of expenditure incurred on sports, cultural, library and other welfare activities as well as sports scholarships to the wards of employees who have excelled at University/ State/ National/ International level as also various scholarships for academic excellence to eligible employees/spouse/children on academic excellence. The Bank has added eight new holiday homes pan-India for its employees and their families, taking the total count of holiday homes to 38.

Disclosures under The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

The Bank has in place an Anti Sexual Harassment Policy in line with the requirements of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. An Internal Complaints Committee has been set up to redress the complaints received regarding sexual harassment. All employees working in the Bank are covered under this policy.

Your Bank's Facilities and Infrastructure Management Department continued to help implement the Bank's outreach programme, spanning 329 new branches pan-India.

Summary of sexual harassment complaints received and disposed off during the year 2014-15

During the year 2014-15, the Bank received 2 (two) complaints which were inquired into by the Bank's Internal Complaints Committee and 1 (one) complaint has been resolved. As on March 31, 2015, a total of 4 (four) complaints were pending, which included 1 (one) pending complaint pertaining to the year 2014-15 and 3 (three) complaints (including 2 complaints having court interventions) pertaining to previous years.

Industrial Relations

Industrial relations in the Bank continued to be cordial without major disruption in work.

Knowledge Resource Center

Your Bank has an in-house library that commenced its services in 1976 with a modest collection of about 2,500 books and was rechristened as Knowledge Resource Center (KRC) in 2008. Since then, the Bank's KRC has evolved from a mere repository of books and journals to a dynamic knowledge resource service provider with access to knowledge resources through various channels.

Facilities and Infrastructure

In 2014-15, your Bank's Facilities and Infrastructure Management Department continued to help implement the Bank's outreach programme, spanning 329 new branches pan-India. It has also commenced construction and furnishing work at six new Currency Chests (CC). Each CC receives and processes cash from all the branches linked with it and provides clean notes for distribution through branches and ATMs in their catchment area.

Your Bank also undertook a number of major civil projects, including the construction of an Office Building at the Bank's owned premises at CBD-Belapur, Navi Mumbai, as an annexe to the existing building, during the year.

The Bank has also initiated the construction of a Call Centre building with a built-up area of about 15,000 sq.ft. at its JNIBF campus, Hyderabad.

Internal Audit

Your Bank has a well-equipped Internal Audit Department which carries out regular audit of various activities undertaken by different business/support verticals, branches and Subsidiaries. Audits are conducted under the guidance and supervision of the Audit Committee

of Board (ACB). The Audit Function maintains its independence and objectivity while carrying out the assignments. Your Bank has adopted Risk-Based Internal Audit as its strategy in line with RBI guidelines and guidelines issued by the Government of India on Internal and Concurrent Audits. Effectiveness of the Internal Audit function has been further enhanced after implementation of web-based Audit Management System (AMS), an Off-site Alerts Management System and setting up of Zonal Audit Offices (ZAO) at the nine Zonal Locations.

Your Bank has an experienced in-house Information System Audit (IS Audit) team in place, as a part of Internal Audit Mechanism, to address technology and IT related security issues commensurate with the nature and complexities of the operations. Your Bank has, in line with the regulatory requirements, put in place a comprehensive concurrent audit system to supplement its internal audit function. To achieve continuous improvement in the quality of its credit portfolio, a Credit Audit System has been put in place. The system broadly captures compliance with your Bank's policies in the areas of credit appraisal, sanction of loans and credit administration.

Your Bank has also put in a place a Risk Based Management Audit (RBMA) to review and report on control environment as a whole, in terms of reliability of management function, safeguarding of assets and compliance with rules and regulations.

Your Bank evaluates, on a continuous basis, the adequacy and effectiveness of internal control mechanism, in adherence to policies and procedures and suggests measures to strengthen and streamline control for addressing various risks. Keeping this in mind, your Bank reviews Risk Based Internal Audit Policy, Concurrent Audit Policy and Information Security Audit Policy on an annual basis.

There exists proper co-ordination among Audit Department, Operation Risk department and other operational wings for enhancing operational efficiency and fine-tuning of the processes. Emphasis is placed on benchmarking the Bank's practices and procedures in an endeavour to migrate to the best practices in the industry. The Audit Committee of the Board, Audit Committee of Executives and Zonal Audit Committees, review the performance on continuous basis, give directions to the internal audit functionaries and review effectiveness of internal control systems, as also compliance with regulatory guidelines.

Fraud Management System

Your Bank has put in place a fraud monitoring mechanism through a dedicated Fraud Monitoring Group (FMG) under the Internal Audit Department. A Fraud Review Council (FRC) has been constituted to monitor and review all frauds to identify systemic lacunae, if any, and initiate corrective measures, monitor progress of investigations and recovery position. The FMG also reviews efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds. These actions include strengthening of internal controls and putting in place need based remedial measures. A detailed Fraud Risk Management Policy has been put in place for early detection, prevention, reporting, monitoring and follow up of frauds.

Vigilance Mechanism

A full-fledged Vigilance Department, located at your Bank's Head Office, operates as a channel for providing inputs to the Top Management by carrying out investigation into vigilance related complaints and suggest corrective measures for reducing deficiencies, if any, in the control systems and laid down procedures, apart from giving suggestions on quantum and type of penalties with regard to Vigilance related Disciplinary Action cases. Your Bank has implemented the guidelines laid down by the Central Vigilance Commission (CVC) for improving vigilance administration and has put in place a system wherein complaints received from the public/any other sources are attended to promptly.

A Vigilance Department Site, which is operational on the Intranet of your Bank, provides an overview of the Vigilance Department, format of Standard Notice of CVC, to be displayed at all the branches/offices of your Bank, important circulars/guidelines issued from time to time by CVC, Chief Technical Examiner's Organisation (CTEO) of CVC and the Bank, and Do's and Don'ts of Preventive Vigilance. This has helped your Bank in enhancing the level of vigilance awareness amongst officers.

During the year, surprise vigilance visits were made to various branches to detect malpractices, if any, and non-adherence of laid down systems and procedures. Suitable corrective measures were suggested, wherever deemed necessary.

With a view to spread vigilance awareness among employees of your Bank, numerous interactive workshops and talks/presentations on Vigilance Awareness with focus on Preventive and Participative Vigilance were organised during the year. During the aforesaid events, due emphasis was laid on the need for Preventive Vigilance to be exercised by all the staff members in their day-to-day work of their own volition as also how Vigilance Awareness helps in achieving the larger goal of organisational efficiency.

Vigilance Awareness Week was observed in the Bank during October 27, 2014 to November 1, 2014 at the Head Office, Zonal Offices and Branch Offices of your Bank to sensitise the employees about evils of corruption. On this occasion, the Chairman and Managing Direction of your Bank released a Special Journal for the benefit of staff members of your Bank.

In order to have a quick and a ready reference of the latest instructions/guidelines/directives from the Central Vigilance Commission (CVC), Government of India – Ministry of Finance (GoI–MoF), Reserve Bank of India (RBI) and the Bank pertaining to vigilance matters as also procedures for vigilance activities, the Bank had prepared a Vigilance Manual, which has been updated with the latest instructions of CVC, MoF, etc. in the matters issued up to January 31, 2015.

Regulatory Compliance

Your Bank has taken adequate steps to ensure compliance with various statutory and regulatory stipulations and guidelines. The Bank has a dedicated Compliance Department headed by a senior official designated as Chief Compliance Officer, to oversee the compliance-related activities.

Right to Information Act

Your Bank has designated 24 Central Public Information Officers (CPIOs) to respond to applications on various functional areas. In addition, all Branch Heads have been designated as Central Assistant Public Information Officers (CAPIOs) to receive and forward applications received under the RTI Act to CPIOs. Your Bank has designated a senior officer in the rank of Chief General Manager as Appellate Authority for dealing with appeals of aggrieved applicants and a Transparency Officer has been appointed for effective implementation of provisions of Section 4 of the RTI Act. A separate link on the RTI Act has been provided on the Bank's website (www.idbi.com).

Progressive use of Hindi

Your Bank continued to promote the use of Hindi in the conduct of its business as per the directives of Government of India and ensured compliance with various provisions of the Official Language Act and Rules. Concerted efforts were made to achieve the targets in this regard stipulated for the Departments at Head Office and Branches of the Bank.

As a part of your Bank's commitment to its customers, your Bank has facilitated bilingual display (in Hindi and English) of instructions in ATMs and also enabled generation of ATM transaction slips in both the languages. The Bank's website also provides information in Hindi and English. Your Bank has created template letters, forms and other relevant reference material in bilingual form – in Hindi and English - along with bilingual dictionaries on its intranet site for gainful use by its staff to catalyze business. A series of Rajbhasha Awareness Programmes was organised in all the regions of the Bank to familiarise staff members with the various requirements of Official Language Implementation and use of Hindi Unicode. A number of in-house campaigns were launched across regions to encourage and recognise staff initiatives in the use of Hindi in the Bank. As a part of Hindi Day celebrations, Hindi lectures and competitions were organised in Head Office and in branches for the benefit of staff members.

Your Bank monitors customer satisfaction on an ongoing basis through a feedback form hosted on its website. This enables customers to rate the Bank on various parameters and provide suggestions for improvement.

The Bank's endeavour to accelerate the application of Hindi in the Bank's operational domain found due recognition in assorted forums.

Customer Service and Complaints Management

Your Bank's customer-centric orientation in its product constructs and service delivery is aptly reflected in its Vision and Mission Statement. The Mission of the Bank is to delight customers with excellent service and a comprehensive suite of best-in-class financial solutions to achieve the Vision of being the most preferred and trusted Bank by enhancing value for all stakeholders. Your Bank sustainably endeavours to adhere to this corporate philosophy at each customer touch-point. The Customer Service Committee of the Board and the Standing Committee on Customer Service, which reports in to the former, ensures that Customer Service and Complaints Management matters receive utmost attention.

Branch Level Customer Service Committees (BLCSC), comprising Branch Head, other branch officials and customers as members, meet on the 15th of every month to discuss various issues and suggestions so as to improve customer service.

Your Bank monitors customer satisfaction on an ongoing basis through a feedback form hosted on its website. This enables customers to rate the Bank on various parameters and provide suggestions for improvement. During the year, your Bank conducted an Internal Customer Satisfaction Survey and received valuable insights from customers on the Bank's service standards. Interactive workshops on customer service were also organised for the staff members at various locations. The workshops focused on the Bank's Complaint Management System and the underlying Regulatory Guidelines on Customer Service.

The Customer Care Centre (CCC) of your Bank, which is ISO 9001:2008 certified, deals with complaints

management through assorted modes. The Bank has put in place a centralised digital platform for receiving and redressing customer complaints received through branches, email, website and letters at the Head Office, social media and in-bound Phone Banking Team. CCC also handles complaints received through the Banking Ombudsman, RBI, GOI and other regulatory authorities. Your Bank has two Board approved policies, viz. Customer Care Policy and Grievance Redressal Policy in place. These policies outline the Bank's approach to complaint resolution and customer service, including the timeframes for resolution at different levels of the escalation matrix. The policies are also hosted on the Bank's website.

In line with the Government guidelines, your Bank has appointed a Chief Grievance Redressal Officer (CGRO) at the Head Office and Grievance Redressal Officers (GRO) at the Zonal Offices for better customer service through timely resolution of customer grievances. Your Bank has also appointed an Internal Banking Ombudsman to further enhance customer service provision, reduce lead time in customer grievance resolution and limit referrals to the Banking Ombudsman, RBI and other regulatory authorities.

Code of Bank's Commitments to Customers

Your Bank is a member of the Banking Codes & Standards Board of India (BCSBI) set up by the RBI. The Board of Directors has adopted the Code of Bank's Commitment to Customers as well as the Code of Bank's Commitment to Micro and Small Enterprises. The codes, which set minimum standards of banking practices, help in ensuring pro-active customer service. As an integral part of your Bank's compliance with these codes, information on the codes is provided to customers at branch offices and through the Bank's website.

The regional heads of your Bank have been designated as Code Compliance Officers and their contact details are prominently displayed at the branch offices and on the Bank's website. To ensure implementation of the codes across the Bank, an application software, viz. 'BCSBI Code Compliance System', has been introduced in the Bank during the year which is expected to facilitate better compliance and help in proactive resolution of customer grievances.

Your Bank's products, processes and services are periodically fine-tuned to meet the desired objectives of the BCSBI Codes in achieving enhanced customer satisfaction.

Corporate Communications

As the Bank stepped into the 51st year of its existence on July 1, 2014, your Bank, as a part of its Golden Jubilee celebrations, focused on highlighting its catalytic role in the area of industrial and infrastructure financing as well as its role in building the financial architecture of the country. While further intensifying the advertising and publicity initiatives during the year, the Bank's Public Relations (PR) related activities aimed at increasing the visibility and top-of-mind recall of the Bank and enhancing its profile in the media while simultaneously striving to reinforce stakeholder perceptions. Your Bank found numerous mentions in Print, Electronic and Digital media with the overall positive impression.

The Bank's advertising campaigns focused on enhancing its brand recall by using the concept of friendship to convey the brand attribute and positioning. The Bank's advertisements were designed to convey its nation building role and its commitment to handhold all customers through thick and thin. The advertisements, which depict the Bank's supportive role through the visual images of everlasting friendship between kids while also incorporating overall theme of Golden Jubilee, were released as a national television campaign in print, Out of Home (OOH) and digital space. The Bank also launched various other product-specific campaigns to educate existing as well as prospective customers about its products and services.

During the year, your Bank conceptualised an Anthem to capture the essence of its catalytic role in nation building and bring out the supportive relationship it has with its customers. Besides this, the Anthem was intended to emphasise the Bank's commitment to include diverse sections of the society within its ambit.

During the year, your Bank also strengthened its social media presence across Facebook, Twitter, YouTube and Google+ by regularly engaging its fans and followers on these platforms through a series of promotional and engagement activities. Your Bank's fan base on Facebook has crossed a landmark of one million fans. As another step towards enhancing its social media presence, your Bank has finalised its plans to launch its official LinkedIn page shortly.

Internal Communications

Your Bank's internal communication agenda is focused on enabling effective exchange of important ideas as well as developments in the field of banking and beyond and ensure that it permeates across various departments and branches of the Bank.

Your Bank has several platforms on which its employees can contribute and share their views which is crucial for employee engagement. The Bank's Intranet site has dedicated space for CMD/ DMD blogs which serve as direct channels for communication between the top management and the employees. With the decentralisation of activities across zones, a Zonal Intranet Section was launched during the year to provide updates on the various activities being carried out in different zones.

Your Bank's Staff Suggestion Scheme encourages staff members to propose constructive suggestions with regard to its operations.

The Bank has also put in place a Centralised Product Information Kiosk (CENPIK) on its Intranet site to provide the details of all products and services of the Bank to its employees at a single-point. CENPIK also provides a window for quick resolution of any doubts arising from the operating levels in a time-bound manner by designated officials at various levels. Your Bank has also developed a knowledge sharing platform, i-Share, where employees may give their suggestions, experiences and comments on products/ policies/ services, among others.

Your Bank publishes award-winning quarterly bilingual in-house journal 'Shree Vayam' which allows it to reach out to its employees and their families.

These platforms help to ensure that there is free-flowing communication across the various levels of its employees, thereby helping to ensure highest level of customer service.

Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR at IDBI Bank is a way of life ingrained into your Bank's corporate philosophy. Your Bank has put in place a Board approved CSR policy with effect from April 1, 2014 in compliance with Companies Act, 2013.

Your Bank has contributed towards long-term funding of projects as also operational expenses for CSR projects across the country. These, inter alia, include development of villages through village adoption programmes, education among the underprivileged particularly girl children, rainwater harvesting and installation of solar power systems, income generating activities for the underprivileged, particularly women and youth, infrastructure support to hospitals, financial aid for socio-economic empowerment of the blind, disabled and other under-privileged sections of society. The notable initiatives of the Bank include creating an endowment fund in partnership with Ramakrishna Mission to provide 'IDBI Bank Golden Jubilee Scholarship' every year for students coming from the weaker sections of society across the country and partnering with The Energy and Resources Institute (TERI) for its 'Lighting a Billion Lives' programme in 100 villages of Uttar Pradesh, Odisha, Bihar and Jharkhand.

Your Bank has participated in the landmark mission of Government of India (i.e. Swachh Bharat Swachh Vidyalaya Abhiyan [SBSVA]) by subscribing to Swachh Bharat Kosh (SBK) and also by undertaking construction of gender-segregated toilets in schools in rural and semi-urban areas. Your Bank has also contributed to the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) corpus set up by Ministry of Finance towards spreading financial literacy across the country.

Information Technology

Your Bank continued to actively leverage its proven IT prowess to offer a wide array of advanced financial services and products, embedded with the latest technology and security features, to address the felt needs of its target group and further their banking convenience.

Your Bank introduced a number of significant IT driven initiatives during 2014-15, covering various facets of the banking spectrum. The Bank operationalised its Near Disaster Recovery (DR) site early into 2014-15, thereby joining a select list of banks that have established a three-way Data Center. This would provide the Bank the strength to recover quickly in the event of disaster at its primary Data Centre (DC) and ensure zero data loss for critical transactions. Your Bank is happy to report that the Bank's Disaster Recovery Site received ISO 27001 accreditation, a reputed information security certification, during the year. The Bank's Primary Data Centre had been similarly accredited in the previous financial year.

Your Bank, which had initiated biometric-based access to the Core Banking Software in the last financial year, successfully completed the assignment during the current year. All existing and new branches have/are being provided with biometric-based authentication devices as a mandatory log-in. In order to reduce risk of identity fraud, document forgery and to have paperless KYC verification, UIDAI launched its e-KYC service during the year. UIDAI has recently made available the data of the prospective clients through secured and authenticated system based on the Aadhaar Card issued by it. The e-KYC project was made an adjunct of Pradhan Mantri Jan Dhan Project, which was inaugurated on August 28, 2014. As an institution committed to the pursuit of Government of India's initiatives with societal implications, your Bank successfully implemented e-KYC through NPCI as KYC Service Agency (KSA) on August 25, 2014.

Your Bank has completed provision of new Multi-Protocol Label Switching (MPLS)-based network connectivity in a majority of its branches, which would ensure maximum up-time for branch connectivity, enabling continuous provision of customer services.

Your Bank undertook a landmark initiative, as a responsible corporate citizen, in the form of a robust Board-approved E-waste (electronic waste) management policy in 2014-15. Through this policy, the Bank reaffirms its commitment to environmental protection by ensuring proper E-waste management. It is one of the first public sector banks to script such a policy to contain the harmful effects of e-waste, defined as discarded computers, printers and accessories, network equipment, IT accessories and associated/other electrical items. All branches of the Bank will henceforth dispose such e-waste through an empanelled vendor, who would need to be a dismantler/ recycler registered with the State/Central Pollution Control Board. The Policy is

in keeping with the Bank's relentless pursuit of its 'green mandate' agenda in business operations. The process of disposal of obsolete IT equipment has commenced as per the operational guidelines set out for this purpose.

Centralised Operations

Your Bank has a state-of-the-art Central Processing Unit (CPU) at Mumbai for centralised services, such as card production and delivery, PIN mailer production and delivery, Demat Account opening. It also has Regional Processing Units (RPU) located at various centres for opening of Savings Bank Account, Current Account and Fixed Deposit Accounts. The CPU and RPUs ensure enhanced and uniform controls at the time of opening of accounts from KYC and AML point of view, reduction in Turn-Around-Time (TAT) and savings in cost. The CPU and all the RPUs are certified under ISO 9001-2008 Quality Certificate.

Your Bank provides payment and collection of paper based instruments and electronic clearing instruments through its Central Clearing Units (CCUs) present across India. There are three Grids at Chennai, Delhi and Mumbai for handling clearing activities through Cheque Truncation System (CTS). The clearing activities in these Grids have migrated smoothly to CTS and was in adherence with the schedules proposed by the RBI and NPCI.

Brand Equity

The brand building efforts by your Bank have yielded to improvement in the Brand rankings by Millward Brown (Brand Z), Interbrand, Brand Finance and Brand Trust Report. The above rankings also promoted a positive image of the Bank. Leading global research organisations like Millward Brown (Brand Z) and Interbrand have recently come out with their listing of top 50 brands in India across sectors. As per Brand Z, the Bank ranks at the 39th position among the top 50 brands in the country across sectors, while as per Interbrand rankings, it ranks at the 37th position among the top 50 brands in the country across sectors.

There has been a significant rise of 79% in the valuation of your Bank's Brand over the previous year as per Brand Finance Banking 500 - the world's most valuable Banking Brands Report published by Brand Finance. The Bank's global ranking has improved from 351st position to 255th position while its India ranking has improved from 11th position to 9th position.

As per Brand Trust Report 2015, your Bank's Brand Trust ranking has shown a considerable improvement over the years. It was ranked 159th in 2013, 85th in 2014 and 64th in 2015 as per the latest report released in February 2015. In the BFSI category, your Bank has been ranked at the 5th position and in the Bank PSU category, the Bank has retained its 2nd position. The enhanced trust in the brand is a reflection, in part, of the branding and product campaigns undertaken during the year to communicate that your Bank is a friend that will stand by its customers at all times.

Awards and Accolades

Your Bank's advertisements and the advertising campaign were well recognised all across the advertising and banking fraternity. Your Bank bagged Gold in 'Campaign of the Year (Thematic)' at the Prime Time awards. The communications of the Bank also won awards in various categories at the ABCI Awards, the PRCI Awards and the ACEF Awards.

Your Bank was conferred the Star Performance Award 2014 in demat account opening under PSU-Bank Category by NSDL at its 29th DP Conference.

Your Bank was declared winner for Financial Inclusion and Payments Systems (FIPS) Awards for the year 2014 for its financial inclusion initiatives under PSU category by EletsTechnomedia, a technology media and research organisation working in the fields of ICT in government, education, healthcare, agriculture and rural development sectors. FIPS Awards aim to recognise the seminal role that various organisations have been playing in the areas of Financial Inclusion, Banking Technology, Payment Systems, Mobile Banking, Health Insurance and other verticals. The Bank was also conferred the Certificate of Recognition for distribution of old age pension to senior citizens, a doorstep banking project being implemented by the Bank in Raipur for Raipur Nagar Nigam pensioners.

Your Bank performed well in respect of communication in Hindi and earned recognition for its efforts. The Drafting and Evidence Sub-committee of the Parliamentary Committee on Official Language commended the efforts made by your Bank in implementing the Official Language Policy. Your Bank also received the Rajbhasha Shield Award from Governor, RBI for commendable performance in use of Hindi during the year and a citation from 'Ashirvad', a Social, Cultural & Literary group, for excellent contribution in the implementation of the Official Language. Further, your Bank's quarterly Hindi magazine 'Vikas Prabha' was also conferred a prize by the 'Rashtriya Hindi Academy, Rupambara' for its attractive get-up and contents.It also received congratulatory citations from PRCI and ABCI in a number of categories pertaining to the dissemination of Hindi in the Bank in varied modes.

Shree Vayam, the bilingual in-house journal of the Bank also bagged awards in various categories at the 54th ABCI awards. Last year came the biggest recognition for the in-house journal Shree Vayam's with its first International Award - the CMO Asia Award for being judged as the Best In-House Journal category.

कॉरपोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

खिमजी कुंवरजी एंड कं.
सनदी लेखाकार
सनशाइन टॉवर, लेवल 19
सेनापति बापट मार्ग
एलफिंस्टन रोड
मुंबई 400 013, भारत
टेलीफोनः +91 22 2439 1111
ई मेलः info@kkc.in

जी.डी. आप्टे एंड कं.
सनदी लेखाकार
जीडीए हाउस, प्लॉट नं. 85
भुसरी कॉलोनी (राइट)
पौड रोड
पुणे 411 038, भारत
टेलीफोनः +91 20 2528 0081
ई मेलः audit@gdca.com

प्रति,
आईडीबीआई बैंक लि. के सदस्यगण

हमने स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लि. के साथ आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात् बैंक के रूप में निर्दिष्ट) के सूचीबद्धता करार के खंड 49 में निर्धारित अनुसार 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए उपर्युक्त बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है.

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारी जांच कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी. यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति है.

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा निदेशकों और प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों एवं प्रस्तुतिकरणों के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीबद्धता करार में निर्धारित अनुसार कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का पालन किया है.

हम उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता का और न ही बैंक के कार्यों को संचालित करने की प्रबंधन की कार्यकुशलता या प्रभावशीलता का आश्वासन है.

खिमजी कुंवरजी एंड कं. के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 105146W

गौतम वी शाह
साझेदार (F - 117348)
स्थान : मुंबई
तारीख : 20 मई 2015

जी.डी. आप्टे एंड कं. के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 100515W

सौरभ एस पेशवे
साझेदार (F - 121546)

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

कॉरपोरेट अभिशासन का दर्शन

आपका बैंक अपने परिचालनों में कॉरपोरेट अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक की नीतियां व पद्धतियां न सिर्फ सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, बल्कि अपने अंशधारकों के सर्वोत्तम हित में काम करने की इसकी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करती हैं. अभिशासन के उच्च मानकों को बनाये रखने का दायित्व आपके बैंक के निदेशक मंडल तथा बोर्ड की विभिन्न समितियों पर है जिन्हें विधिक एवं विनियामकीय प्रावधानों तथा बैंकिंग परंपराओं के ढांचे के भीतर आवश्यक प्रकटीकरण करने सहित बेहतरीन कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के अधिकार प्राप्त हैं.

इस दिशा में बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि बैंक के निदेशक मंडल का गठन निर्धारित मानदंडों के अनुसार होता रहे, निर्धारित अंतराल पर इसकी नियमित बैठकें हों, यह प्रभावी नेतृत्व प्रदान करे, प्रबंधन पर नियंत्रण रखे, कार्यपालकों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखे तथा समुचित प्रकटीकरण करे. इसके अतिरिक्त, रणनीतिक नियंत्रण ढांचे की स्थापना और इसकी प्रभावशीलता की निरंतर समीक्षा तथा नीति निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए स्पष्ट दस्तावेजीकृत तथा पारदर्शी प्रबंध प्रक्रियाओं की स्थापना, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण तथा रिपोर्टिंग आदि बैंक के अन्य नीतिगत दिशा-निर्देश हैं. आपका बैंक बोर्ड को सभी संबद्ध जानकारी, सूचनाएं तथा संसाधन उपलब्ध कराता है जिससे वे अपनी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभा सकें.

निदेशक मंडल

आपके बैंक के निदेशक मंडल का दायरा व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और बैंक के संस्था अन्तर्नियमों से शासित होता है और यह सूचीबद्धता करार के खंड 49 में वर्णित कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं को पूरा करता है. बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से और बैंक के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए गठित अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है.

31 मार्च 2015 को आपके बैंक के बोर्ड में आठ निदेशक थे, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), दो उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी), एक गैर-कार्यपालक निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशक थे. यथा 31 मार्च 2015 को बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एम. एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकों के रूप में श्री बी. के. बत्रा और श्री एम.ओ. रेगो, दोनों उप प्रबंध निदेशक, केंद्र सरकार द्वारा गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में नामित सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव तथा स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री पी. एस. शेनॉय, श्री एस. रवि, श्री निनाद कर्पे और श्री पंकज वत्स थे.

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, आगामी वार्षिक महासभा (एजीएम) में अंतर्नियम 116(1)(ए) में संशोधन के द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद को एक अध्यक्ष और एक प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में दो अलग पदों में पृथक करने का प्रस्ताव है.

निदेशकों के बीच परस्पर संबंध

आपके बैंक के बोर्ड में कोई भी निदेशक अन्य निदेशक से संबद्ध नहीं हैं.

बोर्ड की बैठकें

अवधि (1 अप्रैल 2014 से 31मार्च 2015) के दौरान बोर्ड की कुल बारह बैठकें हुईं, जो 30 अप्रैल 2014, 7 जून 2014, 4 जुलाई 2014, 6 अगस्त 2014, 5 सितंबर 2014, 26 सितंबर 2014, 31 अक्तूबर 2014, 13 दिसंबर 2014, 29 दिसंबर 2014, 6 फरवरी 2015, 4 मार्च 2015 और 28 मार्च 2015 को संपन्न हुईं. इनमें से 4 जुलाई 2014 और 28 मार्च 2015 की बैठकें क्रमशः नई दिल्ली और हैदराबाद में आयोजित की गईं और बाकी बैठकें मुंबई में आयोजित हुईं.

आपके बैंक के प्रत्येक निदेशक की बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति, गत वार्षिक महासभा (एजीएम) में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में उनकी निदेशकता और समितियों में सदस्यता का ब्योरा तालिका 1 में दिया गया है.

तालिका 1 : निदेशकों की बोर्ड की बैठकों और वार्षिक महा सभा में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में निदेशकता और समितियों में सदस्यता का ब्योरा

निदेशकों के नाम	आपके बैंक के बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (संपन्न बैठकों की कुल संख्या - 12)	30 जून 2014 को संपन्न गत वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशकता (अन्य सार्वजनिक कंपनियां)	अन्य कंपनियों में एसीबी/एसआर सी सदस्यता (अध्यक्षता)
1	2	3	4	5
पूर्णकालिक निदेशक				
श्री एम. एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (डीआईएन-05236790)	12 (12)	उपस्थित	6 (5)	0
श्री बी. के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक (डीआईएन - 00015732)	11 (12)	उपस्थित	3 (3)	2 (0)
श्री एम. ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक (डीआईएन-00292670)	12 (12)	उपस्थित	1 (1)	0
गैर-कार्यपालक निदेशक				
सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव (डीआईएन - 06478173)	10 (12)	उपस्थित नहीं	1 (1)	1 (0)
स्वतंत्र निदेशक				
श्री सुभाष तुली (21 जुलाई 2014 तक) (डीआईएन -02203423)	2 (3)	उपस्थित	0	0
श्री पी. एस. शेनॉय (डीआईएन -00108547)	12 (12)	उपस्थित	3(3)	3 (1)
श्री एस. रवि (डीआईएन - 00009790)	12 (12)	उपस्थित	10(8)	7 (4)
श्री निनाद कर्पे (डीआईएन - 00030971)	8 (12)	उपस्थित	5(4)	3 (1)
श्री पंकज वत्स (डीआईएन - 06712380)	12 (12)	उपस्थित	0	0

कॉलम 4 में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सार्वजनिक कंपनियों में निदेशकता और कॉलम 5 में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े समितियों की अध्यक्षता की संख्या दर्शाते हैं.

क. बोर्ड की समितियां

बोर्ड की कुल सोलह समितियां हैं, यथा:

- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
- कारोबार समीक्षा समिति
- कार्यपालक समिति
- शेयरधारक संबंध समिति
- धोखाधड़ी निगरानी समिति
- जोखिम प्रबंध समिति
- कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
- गैर-सहकारी उधारकर्ता समीक्षा समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी समिति
- पारिश्रमिक समिति
- नामांकन समिति
- मानव संसाधन संचालन समिति
- वसूली समीक्षा समिति
- स्वतंत्र निदेशक समिति
- इरादतन चूककर्ताओं से संबंधित समीक्षा समिति

1. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

31 मार्च 2015 को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) में एक कार्यपालक निदेशक / पूर्ण कालिक निदेशक (डीएमडी), सरकारी निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशकों सहित छः सदस्य थे. श्री एस. रवि, सनदी लेखाकार और स्वतंत्र निदेशक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष थे तथा श्री बी. के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव, सरकारी निदेशक, श्री पी. एस. शेनॉय, श्री निनाद कर्पे और श्री पंकज वत्स इसके अन्य सदस्य थे. श्री एम. ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक, एसीबी के स्थाई विशेष आमंत्रिती थे. एसीबी की भूमिका और उसके अधिकार कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों, रिजर्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों और सूचीबद्धता करार के संशोधित खंड 49 के अनुसार हैं, जो नीचे दिए गए हैं :

लेखा परीक्षा समिति के अधिकार

1. विचारार्थ विषयों के अंतर्गत किसी भी कार्यकलाप की जांच-पड़ताल कर सकती है.

2. किसी भी कर्मचारी से सूचना मांग सकती है.
3. जहाँ कहीं आवश्यक हो बाहरी कानूनी या व्यावसायिक सलाह ले सकती है.
4. आवश्यक समझे जाने पर संबद्ध क्षेत्र की विशेषज्ञता रखने वाले बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित कर सकती है.

लेखा परीक्षा समिति की भूमिका

1. वित्तीय विवरणों की शुद्धता, पर्याप्तता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की जाँच तथा इसकी वित्तीय सूचनाओं का प्रकटीकरण;
2. कंपनी के लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करना;
3. सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा दी गई कोई अन्य सेवाओं के लिए भुगतान का अनुमोदन करना;
4. वार्षिक वित्तीय विवरणों और उस पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट को बोर्ड के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले निम्नलिखित संदर्भों में प्रबंधन के साथ समीक्षा करना;
   - क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा 3 के खंड (सी) के अनुसार निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण में शामिल किए जानेवाले ऐसे विषय जो बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे;
   - ख) लेखांकन से जुड़ी नीतियों और पद्धतियों में बदलाव, यदि कोई हों, तथा उनके कारण;
   - ग) प्रबंधन के निर्णय के प्रयोग पर आधारित अनुमानों सहित प्रमुख लेखा प्रविष्टियां;
   - घ) लेखा परीक्षा निष्कर्षों के आधार पर वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
   - ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीबद्धता तथा अन्य कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन;
   - च) किसी संबद्ध पार्टी के साथ लेन-देनों का प्रकटीकरण;
   - छ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में शर्तें.
5. बोर्ड के पास अनुमोदन करने के लिए प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा;
6. निर्गम (इश्यू) (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमानी निर्गम, आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/अनुप्रयोग के विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज / प्रास्पेक्टस / नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई गई निधियों के विवरण तथा सार्वजनिक और अधिकार निर्गम से प्राप्त राशि के उपयोग की निगरानी के लिए निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा तथा बोर्ड को इस मामले में उचित कदम उठाने के लिए उपयुक्त सिफ़ारिशें करना;
7. लेखा-परीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्य निष्पादन तथा लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की निगरानी और समीक्षा;
8. सम्बद्ध पक्षों से कंपनी के लेन-देनों का अनुमोदन करना;
9. अंतर-कॉरपोरेट ऋण और निवेशों की जांच करना;
10. कंपनी के उपक्रमों और आस्तियों का मूल्यांकन, जहां कहीं भी आवश्यक हो;
11. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन तंत्रों का मूल्यांकन;
12. सांविधिक और आंतरिक लेखा-परीक्षकों के कार्यनिष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता के बारे में प्रबंधन के साथ समीक्षा;
13. आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफ की संख्या तथा विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखा परीक्षा की आवधिकता सहित आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा, यदि कोई है;
14. किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई पर आंतरिक लेखा-परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श;
15. आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा ठोस प्रकृति की संदेहास्पद धोखाधड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता संबंधी मामलों पर किसी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा और बोर्ड को इस मामले की रिपोर्ट करना;
16. लेखा परीक्षा शुरू होने से पूर्व उसके स्वरूप और कार्य-क्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखा-परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श तथा साथ ही चिंताजनक विषयों का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षा के उपरांत विचार-विमर्श;
17. जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न होने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में वास्तविक चूक के कारणों का पता लगाना;
18. सतर्कता तंत्र की कार्य प्रणाली की समीक्षा;
19. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन (अर्थात् पूर्ण कालिक वित्तीय निदेशक या कोई अन्य व्यक्ति जो वित्तीय कार्य का प्रमुख हो या उस कार्य दायित्व का निर्वहन कर रहा हो);
20. लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में उल्लिखित कोई अन्य कार्य करना.

लेखा परीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा

1 प्रबंधन से विचार-विमर्श तथा वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणामों की समीक्षा.

2 प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत विशेष महत्व वाले संबद्ध पक्ष लेन-देनों का विवरण (लेखा परीक्षा समिति द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार).

3 सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन संबंधी पत्र/ आंतरिक नियंत्रण में शिथिलता संबंधी पत्र.

4 आंतरिक नियंत्रण संबंधी शिथिलता के बारे में आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट.

5 मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, पद से हटाना और पारिश्रमिक की शर्तें लेखा परीक्षा समिति की समीक्षा के अधीन होंगी.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015) के दौरान एसीबी की ग्यारह बैठकें हुईं, जो 30 अप्रैल 2014, 7 जून 2014, 19 जुलाई 2014, 6 अगस्त 2014, 5 सितंबर 2014, 26 सितंबर 2014, 31 अक्तूबर 2014, 29 दिसंबर 2014, 9 जनवरी 2015, 6 फरवरी 2015 और 4 मार्च 2015 को संपन्न हुईं.

2. कारोबार समीक्षा समिति (बीआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

कारोबार समीक्षा समिति (बीआरसी) के गठन का मुख्य उद्देश्य कार्यसूची की चुनी हुईं मदों की अभिपुष्टि/ अनुमोदन करने के अतिरिक्त समीक्षा और रिपोर्टिंग मदों पर गहन चर्चा और बोर्ड को पहले प्रस्तुत की गईं सूचनार्थ मदों पर चर्चा करना है. बोर्ड बीआरसी बैठकों के कार्यवृत्त को नोट करने के दौरान इन मदों पर की गई चर्चाओं पर ध्यान देता है और उन्हें रिकॉर्ड करता है. इस समिति के कार्य के अंतर्गत सचिवीय रिपोर्टिंग के अलावा ऐसी समीक्षा मदों (कैलेंडर समीक्षा सहित) पर चर्चा करना शामिल है जो सूचनार्थ प्रस्तुत की गई हों और जिनमें कोई अनुमोदन/ संशोधन/ रणनीति और रिपोर्टिंग के लिए प्रस्तुत मदें शामिल न हों. यथा 31 मार्च 2015 को बीआरसी में छह सदस्य थे जिनमें तीन कार्यपालक निदेशक और तीन स्वतंत्र निदेशक शामिल थे. श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, समिति के अध्यक्ष और सर्वश्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, श्री एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक, पी.एस. शेनॉय, एस.रवि और श्री पंकज वत्स सदस्य थे.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015) के दौरान कारोबार समीक्षा समिति की सात बैठकें हुईं जो 15 अप्रैल 2014, 15 मई 2014, 14 जुलाई 2014, 16 अक्तूबर 2014, 25 नवंबर 2014, 20 जनवरी 2015 और 25 फरवरी 2015 को संपन्न हुईं.

3. कार्यपालक समिति (ईसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

बोर्ड और बीआरसी के अलावा आपके बैंक में कार्यपालक समिति भी कार्यरत है, जो नीतिगत मामलों और खास तौर पर ऐसे मामलों, जिन पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है, को छोड़कर ऋणों तथा अग्रिमों के अनुमोदन, संशोधन आदि मामलों पर विचार करती है. यह बोर्ड द्वारा इसे प्रत्यायोजित अन्य शक्तियों का भी प्रयोग करती है. 31 मार्च 2015 को कार्यपालक समिति में तीन कार्यपालक निदेशक और तीन स्वतंत्र निदेशकों सहित छः सदस्य थे. श्री एम.एस.राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष थे और सर्वश्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, एम.ओ. रेगो उप प्रबंध निदेशक, पी.एस. शेनॉय, एस. रवि और निनाद कर्पे इसके सदस्य थे.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015) के दौरान कार्यपालक समिति की कुल 25 बैठकें हुईं जो 15 अप्रैल 2014, 30 अप्रैल 2014, 15 मई 2014, 7 जून 2014, 16 जून 2014, 30 जून 2014, 14 जुलाई 2014, 6 अगस्त 2014, 5 सितंबर 2014, 26 सितंबर 2014, 16 अक्तूबर 2014, 31 अक्तूबर 2014, 25 नवंबर 2014, 10 दिसंबर 2014, 20 दिसंबर 2014, 24 दिसंबर 2014, 29 दिसंबर 2014, 9 जनवरी 2015, 20 जनवरी 2015, 30 जनवरी 2015, 10 फरवरी 2015, 25 फरवरी 2015, 10 मार्च 2015, 19 मार्च 2015 और 27 मार्च 2015 को संपन्न हुईं.

4. अंशधारक संबंध समिति (एसआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

यथा 31 मार्च 2015 को आपके बैंक की अंशधारक संबंध समिति में दो कार्यपालक निदेशक और दो स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशकों सहित चार सदस्य थे. श्री पंकज वत्स, स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक समिति के अध्यक्ष थे तथा श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, श्री एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक और श्री एस. रवि समिति के सदस्य थे. इस समिति का गठन अंशधारकों एवं निवेशकों की शेयर-अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने, घोषित लाभांश प्राप्त नहीं होने आदि से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए किया गया है.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015) के दौरान एसआरसी की चार बैठकें हुईं जो 7 जून 2014, 5 सितंबर 2014, 25 नवंबर 2014 और 25 फरवरी 2015 को हुईं.

5. धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

धोखाधड़ी का पता लगाने, उस पर निगरानी रखने और उससे निपटने के लिए आपके बैंक में एक धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी) गठित की गई है. 31 मार्च 2015 को समिति में पाँच सदस्य थे, समिति के अध्यक्ष श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक थे तथा श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, श्री एम.ओ. रेगो उप प्रबंध निदेशक, श्री एस. रवि और श्री निनाद कर्पे इसके सदस्य थे.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015) के दौरान धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी) की कुल नौ बैठकें हुईं जो 30 अप्रैल 2014, 7 जून 2014, 14 जुलाई 2014, 6 अगस्त 2014, 26 सितंबर 2014, 25 नवंबर 2014, 10 दिसंबर 2014, 29 दिसंबर 2014 और 30 जनवरी 2015 को संपन्न हुईं.

6. जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

31 मार्च 2015 को आपके बैंक की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) में चार सदस्य थे, जिसमें श्री पी. एस. शेनॉय, अध्यक्ष तथा श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, श्री.एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक, और श्री निनाद कर्पे सदस्य थे. यह समिति बैंक के कारोबार से जुड़े विभिन्न जोखिमों का आकलन, उनमें कमी लाने का प्रयास और आस्ति देयता असंतुलन से जुड़े मुद्दों का भी समाधान करती है. समिति आपके बैंक की जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी एवं समीक्षा भी करती है.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि के दौरान (1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015) जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) की पाँच बैठकें क्रमशः 15 मई 2014, 16 जून 2014, 5 सितंबर 2014, 20 दिसंबर 2014 और 25 फरवरी 2015 को संपन्न हुईं.

7. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति का गठन किया गया है. यथा 31 मार्च 2015 को समिति के अध्यक्ष श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक थे तथा श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, श्री एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक, श्री निनाद कर्पे और श्री पंकज वत्स इसके सदस्य थे.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति के मुख्य दायित्व हैं :

क) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति का गठन कर बोर्ड को उसकी सिफारिश करना जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में दिए गए अनुसार बैंक द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों की जानकारी दी जाएगी;

ख) खंड (ए) में दिए गए कार्यकलापों के लिए होने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना; और

ग) बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति पर समय-समय पर निगरानी रखना.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2014 - 31 मार्च 2015) के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति की एक बैठक 16 अक्तूबर 2014 को सम्पन्न हुई.

8. ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

रिटेल बैंकिंग खंड में ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने और ग्राहकों को कारगर सेवा देने के लिए आपके बैंक द्वारा एक ग्राहक सेवा समिति (सीएससी) का गठन किया गया. यथा 31 मार्च 2015 को समिति के पाँच सदस्य थे जिसके अध्यक्ष श्रीएम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य सदस्यों में श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक; श्री एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक; सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव, सरकारी निदेशक और श्री पी.एस. शेनॉय शामिल थे.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2014 - 31 मार्च 2015) के दौरान ग्राहक सेवा समिति की चार बैठकें 30 अप्रैल 2014, 6 अगस्त 2014, 31 अक्तूबर 2014 और 6 फरवरी 2015 को संपन्न हुईं.

9. सूचना प्रौद्योगिकी समिति (आईटीसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

बैंक में प्रभावी प्रौद्योगिकीय प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए आपके बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी समिति (आईटीसी) का गठन किया है. इसका उद्देश्य ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करना; दृष्टिकोण को सुसंगत बनाने में मदद करना; नए उत्पाद शुरू करने में सहायता देना और तत्संबंधी सेवाओं का प्रावधान करना है. इस समिति में पाँच सदस्य हैं जिसमें अध्यक्ष श्री निनाद कर्पे, आईटी उद्योग से संबद्ध हैं तथा अन्य सदस्यों में श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक, श्री एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक, श्री पी.एस. शेनॉय और श्री पंकज वत्स शामिल थे.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2014 - 31 मार्च 2015) के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी समिति की चार बैठकें 16 जून 2014, 26 सितंबर 2014, 10 दिसंबर 2014 और 25 फरवरी 2015 को हुईं.

10. पारिश्रमिक समिति (आरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशकों को वार्षिक कार्य-निष्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन पर विचार करने और उसके भुगतान का अनुमोदन करने के लिए एक पारिश्रमिक समिति (आरसी) का गठन किया गया है. पारिश्रमिक समिति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के तहत प्रदत्त अधिदेश/ संदर्भ मानदंडों को भी पूरा करती है. यथा 31 मार्च 2015 को समिति में चार सदस्य थे जिसकी अध्यक्ष सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव, सरकारी निदेशक थीं तथा अन्य सदस्यों में श्री पी.एस. शेनॉय, श्री एस. रवि और श्री निनाद कर्पे शामिल थे.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2014 - 31 मार्च 2015) के दौरान पारिश्रमिक समिति की एक बैठक 7 जून 2014 को सम्पन्न हुई.

11. नामांकन समिति (एनसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के बैंकों व संस्थाओं में से चुने गए व्यक्तियों को छोड़ कर शेष सभी मौजूदा चयनित निदेशकों व शेयरधारकों द्वारा चुने गए निदेशकों के 'उपयुक्त व उचित'

होने की समुचित सावधानी वाली प्रक्रिया को संचालित करने के लिए निदेशक मंडल के सदस्यों में से न्यूनतम तीन निदेशकों (सभी स्वतंत्र / गैर-कार्यपालक निदेशकों) को शामिल करते हुए एक नामांकन समिति (एनसी) बनाई गई. नामांकन समिति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के तहत प्रदत अधिदेश/ संदर्भ मानदंडों को भी पूरा करती है. यथा 31 मार्च 2015 को नामांकन समिति में चार सदस्य थे जिसके अध्यक्ष श्री पी.एस. शेनॉय और सदस्यों में श्री एस. रवि, श्री निनाद कर्पे और पंकज वत्स शामिल थे.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2014 - 31 मार्च 2015) के दौरान नामांकन समिति की एक बैठक 7 जून 2014 को सम्पन्न हुई.

12. मानव संसाधन संचालन समिति (एचआरएससी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार मानव संसाधन संबंधी निम्नलिखित मामलों के लिए मानव संसाधन संचालन समिति (एचआएससी) का गठन किया गया है :

- भर्ती, प्रशिक्षण से संबंधित नीतियाँ;
- कार्य-निष्पादन प्रबंध, मुआवजा और कैरियर विकास की पहल;
- प्रबंधन विकास और उत्तराधिकार नियोजन;
- एचआर रणनीति को कारोबार रणनीति व योजना के अनुकूल बनाना.

यथा 31 मार्च 2015 को समिति में पाँच सदस्य थे जिसके अध्यक्ष श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक थे; तथा सदस्यों में श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक; श्री एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक; सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव, सरकारी निदेशक और श्री पी.एस. शेनॉय शामिल थे.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2014 - 31 मार्च 2015) के दौरान मानव संसाधन संचालन समिति की तीन बैठकें 5 सितंबर 2014, 6 फरवरी 2015 और 28 मार्च 2015 को हुईं.

13. वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

भारत सरकार के दिशानिर्देशों/ बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार एनपीए, तनावग्रस्त खातों, बट्टे खाते डाले गए मामलों, ओएल मामलों, डीआरटी मामलों आदि की समीक्षा करने के लिए वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी) गठित की गई है. यथा 31 मार्च 2015 को वसूली समीक्षा समिति में छह सदस्य थे. जिसके अध्यक्ष श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं तथा इसके सदस्यों में श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक; श्री एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक; सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव, सरकारी निदेशक, श्री एस. रवि और पंकज वत्स शामिल थे.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2014 - 31 मार्च 2015) के दौरान वसूली समीक्षा समिति की चार बैठकें 7 जून 2014, 26 सितंबर 2014, 29 दिसंबर 2014 और 4 मार्च 2015 को हुईं.

14. स्वतंत्र निदेशकों की समिति (आईडीसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV तथा सूचीबद्धता करार के खंड 49 के मानदंडों के तहत निम्नलिखित मामलों के लिए स्वतंत्र निदेशकों की समिति गठित की गई है :

क. गैर-स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के कार्य निष्पादन की पूर्ण समीक्षा;

ख. कार्यपालक निदेशकों तथा गैर-कार्यपालक निदेशकों के मतों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के कार्य निष्पादन की समीक्षा.

ग. कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के आवागमन की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का मूल्यांकन करना जो बोर्ड के प्रभावी और तर्कसंगत कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक है.

यथा 31 मार्च 2015 को स्वतंत्र निदेशकों की समिति में चार सदस्य थे. जिसके अध्यक्ष श्री पी.एस. शेनॉय तथा सदस्यों में श्री एस. रवि, श्री निनाद कर्पे और श्री पंकज वत्स शामिल थे.

बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2014 - 31 मार्च 2015) के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की समिति की दो बैठकें 16 जून 2014 और 19 मार्च 2015 को हुईं.

15. गैर-सहकारी ऋणकर्ता समीक्षा समिति (एनबीआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 22 दिसंबर 2014 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र के मानदंडों के अनुरूप अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में तथा दो स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करते हुए 6 फरवरी 2015 को गैर-सहकारी ऋणकर्ता समीक्षा समिति (एनबीआरसी) का गठन किया गया था. यह समिति ऋणकर्ता को गैर-सहकारी के रूप में वर्गीकृत करने, कारण बताओ नोटिस जारी करने इत्यादि से संबंधित गैर-सहकारी ऋणकर्ता समिति के आदेशों/ निर्णयों की समीक्षा करेगी. 31 मार्च 2015 को इस समिति के अध्यक्ष श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा सदस्यों में श्री एस. रवि तथा श्री पी.एस. शेनॉय शामिल थे.

16. इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति (डब्ल्यूडीआरसी)

संघटन और विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 7 जनवरी 2015 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र के मानदंडों के अनुरूप अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में तथा दो स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करते हुए 6 फरवरी 2015 को इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति का गठन किया गया था. यह समिति इरादतन चूककर्ता होने के वर्गीकरण करने, कारण बताओ नोटिस जारी करने इत्यादि से संबंधित इरादतन चूककर्ता समिति के आदेशों/ निर्णयों की समीक्षा करेगी. 31 माच 2015 को इस समिति के अध्यक्ष श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक थे तथा सदस्यों में श्री एस. रवि तथा श्री पी.एस. शेनॉय शामिल थे.

समिति बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति तालिका 2 में दर्शाई गई है.

तालिका 2 : समिति बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति (1 अप्रैल 2014 से 31मार्च 2015 तक)

क्रम सं.	निदेशकों के नाम	एसीबी		बीआरसी		ईसी		एसआरसी		एफएमसी		आरएमसी		सीएसआरसी		सीएससी		आईटीसी		आरसी		एनसी		एचआरएससी		आरआरसी		आईडीसी		एनबीआरसी		डब्ल्यूडीआरसी	
		एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए	एच	ए
1.	श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (डीआईएन - 05236790)	-	-	7	7	25	25	-	-	9	9	-	-	1	0	4	4	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**3**	**4**	**4**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	श्री बी. के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक (डीआईएन- 00015732)	11	10	7	6	25	23	4	4	9	9	5	5	1	0	4	3	**4**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**3**	**4**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.	श्री एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक (डीआईएन 00292670)	-	-	7	7	25	25	4	4	9	9	5	5	1	1	4	4	**4**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**3**	**4**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.	सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव, सरकारी निदेशक (डीआईएन - 06478173)	11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	**-**	**-**	**1**	**1**	**-**	**-**	**3**	**3**	**4**	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.	श्री सुभाष तुली (21 जुलाई 2014 तक) (डीआईएन -02203423)	3	2	-	-	-	-	1	0	3	1	2	1	-	-	-	-	**-**	**-**	**1**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.	श्री पी. एस. शेनॉय (डीआईएन -00108547)	11	11	7	5	25	24	-	-	-	-	5	5	-	-	4	4	**4**	**4**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**3**	**-**	**-**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	श्री एस. रवि (डीआईएन- 00009790)	11	11	7	6	25	24	4	4	9	8	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	**1**	**1**	**1**	**1**	**-**	**-**	**4**	**4**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	श्री निनाद कर्पे (डीआईएन- 00030971)	11	8	-	-	25	21	-	-	9	7	5	5	1	1	-	-	**4**	**4**	**0**	**0**	**1**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**
9.	श्री पंकज वत्स (डीआईएन- 06712380)	8	8	7	4	-	-	3	3	-	-	-	-	1	1	-	-	**4**	**4**	**-**	**-**	**1**	**1**	**-**	**-**	**4**	**4**	**2**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**

एच - निदेशक के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें.
ए - निदेशक ने बैठकों में भाग लिया.

वार्षिक प्रतिफल का उद्धरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ए) के साथ पठित धारा 92(3) के प्रावधानों के अनुरूप तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के अनुसार वार्षिक प्रतिफल का उद्धरण निर्धारित फॉर्म एमजीटी 9 में नीचे दिया गया है :

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

i.	सीआईएन	L65190MH2004GOI148838
ii.	पंजीकरण की तारीख	27 सितंबर 2004
iii.	कंपनी का नाम	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
iv.	कंपनी की श्रेणी/ उपश्रेणी	सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी /शेयर द्वारा लिमिटेड
v.	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	**पंजीकृत कार्यालय:** आईडीबीआई टॉवर डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005 फोन नं. : (022)-66553355, 22189111 फैक्स नं.: (022) 22180411 वेबसाईट: www.idbi.com
vi.	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	हाँ
vii.	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का पता तथा संपर्क विवरण	कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड कार्वी सिलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32 गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद-500 032 टेली नं. (040) 67162222 टोल फ्री नं.: 1-800-3454001 फैक्स नं.: (040) 23420814 ईमेल: einward.ris@karvy.com

II. कंपनी की मुख्य कारोबारी गतिविधियां

क्रम सं.	मुख्य उत्पाद/ सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/ सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्न ओवर का %
1.	वाणिज्यिक बैंकों, बचत बैंकों, पोस्टल बचत बैंकों और डिस्काउंट हाउसों की वित्तीय मध्यस्थता	64191	100%

III. धारिता, सहायक एवं सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्रम सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारिता / सहायक / सहयोगी	शेयरों का %	लागू धारा
1	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेस लिमिटेड तीसरी मंजिल, मफतलाल सेंटर, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400021.	U65990MH1993GOI075578	सहायक	100.00%	2(87)
2	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड, आईडीबीआई बिल्डिंग, पहली मंजिल, प्लॉट नं. 39-41 सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई- 400614.	U72200MH2000GOI124665	सहायक	100.00%	2(87)
3	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005	U65991MH2010PLC199326	सहायक	100.00%	2(87)
4	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005	U65100MH2010PLC199319	सहायक	66.67%	2(87)
5	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड, एशियन बिल्डिंग, तल मंजिल, 17, आर. कामिनी मार्ग, बलार्ड इस्टेट, मुंबई- 400 001.	U65991MH2001GOI131154	सहायक	54.70%	2(87)
6	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पहली मंजिल, ट्रेड व्यू, ओएसिस कॉम्प्लेक्स, कमला सिटी, पी.बी. मार्ग, लोअर परेल (प). मुंबई - 400 013.	U66010MH2007PLC167164	संयुक्त उद्यम	48.00%	2(6)
7	नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड 'ए' विंग, चौथी मंजिल, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013.	U74120MH2012PLC230380	सहयोगी	30.00%	2(6)
8	एनएसडीएल ई गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड टाइम्स टॉवर, पहली मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013.	U72900MH1995PLC095642	सहयोगी	30.00%	2(6)
9	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड, पाँचवीं मंज़िल, अणुव्रत भवन, 210 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली -110002.	U73100DL1990PLC041486	सहयोगी	27.93%	2(6)

क्रम सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारिता / सहायक / सहयोगी	शेयरों का %	लागू धारा
10	नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनईडीएफआई हाउस, दिसपुर, गुवाहाटी - 781 006.	U65923AS1995GOI004529	सहयोगी	25.00%	2(6)
11	पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. 60,रोमेन रोलैंड स्ट्रीट, पुदुच्चेरी - 605 001.	U65923PY1974SGC000121	सहयोगी	21.14%	2(6)

IV. शेयरधारिता का स्वरूप (इक्विटी शेयर पूंजी - कुल इक्विटी का प्रतिशत के रूप में अलग-अलग विवरण)

i) श्रेणीवार शेयरधारिता

		शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % में बदलाव
			डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
अ.		प्रवर्तक									
	(1)	भारतीय									
	क)	वैयक्तिक/ हिन्दू अविभाजित परिवार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ख)	केंद्र सरकार	1227018622	0	1227018622	76.50	1227018622	0	1227018622	76.50	0.00
	ग)	राज्य सरकार(रें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	घ)	कॉरपोरेट निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ङ)	वित्तीय संस्थाएं/ बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	च)	अन्य कोई (विशेष रूप से उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		कुल योग (अ) (1)	1227018622	0	1227018622	76.50	1227018622	0	1227018622	76.50	0.00
	(2)	विदेशी									
	क)	एनआरआई - वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ख)	अन्य - वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ग)	निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	घ)	बैंक/ एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ङ)	अन्य कोई (विशेष रूप से उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		कुल योग (अ) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		प्रवर्तक की कुल शेयरधारिता (अ)=(अ) (1)+(अ)(2)	1227018622	0	1227018622	76.50	1227018622	0	1227018622	76.50	0.00
आ.		सार्वजनिक शेयरधारिता									
	1.	संस्थान									
	क)	म्यूचुअल फंड	665341	100	665441	0.04	1126916	100	1127016	0.07	0.03
	ख)	बैंक/ एफआई	17660370	18826	17679196	1.10	17743818	18826	17762644	1.11	0.01
	ग)	केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	घ)	राज्य सरकार(रें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ङ)	जोखिम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	च)	बीमा कंपनियां	160920678	0	160920678	10.03	154703233	0	154703233	9.65	-0.38
	छ)	एफआईआई	46300657	2020	46302677	2.89	53567646	2020	53569666	3.34	0.45
	ज)	विदेशी जोखिम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	झ)	अन्य कोई (विशेष रूप से उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		राज्य वित्त निगम	0	35680	35680	0	0	35680	35680	0.00	0.00
		कुल योग (आ)(1)	225547046	56626	225603672	14.06	227141613	56626	227198239	14.17	0.11

	शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % में बदलाव
		डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
2.	**गैर-संस्थान**									
क)	**कॉरपोरेट निकाय**									
i)	भारतीय	18503811	308279	18812090	1.17	18906798	303799	19210597	1.20	0.03
ii)	विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख)	**वैयक्तिक**									
(i)	₹ 1 लाख तक की नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	88123617	15474456	103598073	6.46	86667858	14958633	101626491	6.34	-0.12
(ii)	₹ 1 लाख से अधिक की नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	21008033	93480	21101513	1.32	21677686	109480	21787166	1.36	0.04
(ग)	**अन्य कोई (विशेष रूप से उल्लेख करें)**									
	समाशोधन सदस्य	1775993	0	1775993	0.11	548333	0	548333	0.03	-0.08
	अनिवासी भारतीय	3647935	1728413	5376348	0.34	3694042	1687973	5382015	0.34	0.00
	सोसाइटी	0	28960	28960	0.00	0	28960	28960	0.00	0.00
	न्यास	586229	37760	623989	0.04	1119742	37440	1157182	0.07	0.03
	कुल योग (आ)(2)	133645618	17671348	151316966	9.43	132614459	17126285	149740744	9.34	-0.09
	कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (आ)= (आ)(1)+(आ)(2)	359192664	17727974	376920638	23.50	359756072	172182911	376938983	23.50	0.00
इ.	**जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग (अ+आ+इ)	1586211286	17727974	1603939260	100	1586774694	17182911	1603957605	100	

ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % में बदलाव
1	भारत सरकार	1227018622	76.50	शून्य	1227018622	76.50	शून्य	शून्य

iii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता में बदलाव

क्रम सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
1.	**भारत सरकार**	**शेयरों की सं.**	**बैंक के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की सं.**	**बैंक के कुल शेयरों का %**
	वर्ष के आरंभ में	1227018622	76.50	1227018622	76.50
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में	1227018622	76.50	1227018622	76.50

(iv) दस शीर्ष शेयरधारकों की शेयरधारिता का स्वरूप (निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर और एडीआर के धारकों को छोड़कर) :

क्रम सं.		प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम	वर्ष के आरंभ में	94731366	5.91	94731366	5.91
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	-	-	-	-
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख पर)	94731366	5.91	94731366	5.91
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम मार्केट प्लस ग्रोथ फंड	वर्ष के आरंभ में	18261855	1.14	18261855	1.14
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	(706000) 13/06/2014	-	17555855	1.09
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख पर)	17555855	1.09	17555858	1.09
3.	भारतीय जीवन बीमा निगम मार्केट प्लस 1 ग्रोथ फंड	वर्ष के आरंभ में	10807213	0.67	10807213	0.67
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	(523527) 13/06/2014	-	10283686	0.64
			(177168) 20/06/2014	-	10106518	0.63
			(800000) 30/06/2014	-	9306518	0.58
			(1137547) 04/07/2014	-	8168971	0.51
			(266734) 11/7/2014	-	7902237	0.49
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख पर)	7902237	0.49	7902237	0.49
4.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	वर्ष के आरंभ में	10500000	0.65	10500000	0.65
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	-	-	-	-
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख पर)	10500000	0.65	10500000	0.65
5.	यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लि.	वर्ष के आरंभ में	8057143	0.50	8057143	0.50
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	-	-	-	-
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख पर)	8057143	0.50	8057143	0.50
6.	भारतीय जीवन बीमा निगम मनी प्लस ग्रोथ फंड	वर्ष के आरंभ में	6869656	0.43	6869656	0.43
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	-	-	-	-
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख पर)	6869656	0.43	6869656	0.43

क्रम सं.		प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
7.	वेनगार्ड इमर्जिंग मार्केट स्टॉक इंडेक्स फंड-ए वेनगार्ड इंटरनेशनल इंडेक्स फंड की श्रृंखला	वर्ष के आरंभ में	5806899	0.36	5806899	0.36
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	-	-	-	-
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख पर)	5806899	0.36	5806899	0.36
8.	आशीष रमेशकुमार गोयनका लवीना आशीषकुमार गोयनका	वर्ष के आरंभ में	4401753	0.27	4401753	0.27
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	412000 23/05/2014	-	4813753	0.30
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख पर)	4813753	0.30	4813753	0.30
9.	डायमेंशनल इमर्जिंग मार्केट वैल्यू फंड	वर्ष के आरंभ में	4157143	0.26	4157143	0.26
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	38997 04/04/2014	-	4196140	0.26
			29540 11/04/2014	-	4225680	0.26
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख पर)	4225680	0.26	4225680	0.26
10.	जीएचआई एलटीपी लि.	वर्ष के आरंभ में	3843812	0.24	3843812	0.24
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	(920564) 06/06/2014	-	- 2923248	- 0.18
			(2923248) 13/06/2014	-	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख पर)	0	0	0	0

(v) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता :

क्रम सं.		प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
निदेशक						
1.	श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (डीआईएन-05236790)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख पर)	0	0	0	0
2.	श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक (डीआईएन - 00015732)	वर्ष के आरंभ में	1001	0	1001	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	1001	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख पर)	1001	0	1001	0

क्रम सं.		प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
3.	श्री एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक (डीआईएन - 00292670)	वर्ष के आरंभ में	460	0	460	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	460	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख पर)	460	0	460	0
4.	सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव (डीआईएन - 06478173)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख पर)	0	0	0	0
5.	श्री सुभाष तुली, स्वतंत्र निदेशक (21.07.2014 तक) (डीआईएन -02203423)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख पर)	0	0	0	0
6.	श्री पी.एस. शेनॉय, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन - 00108547)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख पर)	0	0	0	0
7.	श्री एस. रवि, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन - 00009790)	वर्ष के आरंभ में	200	0	200	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	200	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख पर)	200	0	200	0
8.	श्री निनाद कर्पे, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन - 00030971)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख पर)	0	0	0	0
9.	श्री पंकज वत्स, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन - 06712380)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख पर)	0	0	0	0
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक						
1.	श्री एन.एस. वेंकटेश, सीएफओ (04.03.15 से) सदस्यता सं. : A024088	वर्ष के आरंभ में	160	0	160	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	160	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख पर)	160	0	160	0
2.	श्री पी. सीताराम, सीएफओ (03.03.15 तक) सदस्यता सं. : A052842	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख पर)	0	0	0	0
3.	श्री पवन अग्रवाल, कंपनी सचिव सदस्यता सं. : F7744	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/ कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तारीख पर)	0	0	0	0

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/ उपचित लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं ब्याज सहित बैंक की ऋणग्रस्तता

(₹) '000 में

	जमानती ऋण जमा-राशियों को छोड़कर	गैर-जमानती ऋण	जमाराशियां	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i. मूलधन राशि	107574482	496709675	2357736325	2962020481
ii. बकाया ब्याज जिसका भुगतान नहीं किया गया	0	0	0	0
iii. उपचित ब्याज जो बकाया नहीं है	32483894	42779119	9643219	84906231
कुल (i+ii+iii)	**140058376**	**539488794**	**2367379544**	**3046926712**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में बदलाव				
• वृद्धि	-	44782566	239675922	273857013
• कमी	-10601475	-	-	
निवल बदलाव				
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i. मूलधन राशि	105603868	545397892	2598359739	3249361499
ii. बकाया ब्याज जिसका भुगतान नहीं किया गया	0	0	0	0
iii. उपचित ब्याज जो बकाया नहीं है	23853032	38873467	8695726	71422225
कुल (i+ii+iii)	**129456900**	**584271359**	**2607055465**	**3320783724**

VI. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

अ.) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/ या प्रबंधक का पारिश्रमिक :

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशक का नाम			कुल राशि (₹)
		श्री एम.एस. राघवन	श्री बी.के. बत्रा	श्री एम.ओ. रेगो	
1.	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	20,06,720.00	17,83,187.00	17,76,314.00	55,66,221.00
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य	1,83,870.00	1,67,991.50	1,22,940.00	4,74,801.50
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-
2.	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-
3.	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-
4.	कमीशन				
	- लाभ के % के रूप में	-	-	-	-
	- अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें (साधारण छुट्टी का नकदीकरण)	22,080.00	9,802.00	4,758.00	36,640.00
	कुल (अ)	**22,12,670.00**	**19,60,980.50**	**19,04,012.00**	**60,77,662.50**
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा[1]				

[1] सरकारी कंपनी होने के कारण प्रत्येक पूर्णकालिक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उनका पारिश्रमिक भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रदत्त पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर है.

आ.) अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक :

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम					कुल राशि (₹)
	स्वतंत्र निदेशक	**श्री सुभाष तुली**	**श्री पी.एस. शेनॉय**	**श्री एस. रवि**	**श्री निनाद कर्पे**	**श्री पंकज वत्स**	
	• बोर्ड/समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए शुल्क	50,000	6,05,000	6,00,000	4,75,000	2,95,000	20,25,000
	• कमीशन	-	-	-	-	-	-
	• अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-	-	-
	कुल	**50,000**	**6,05,000**	**6,00,000**	**4,75,000**	**2,95,000**	**20,25,000**
	कुल (आ)(1)	**20,25,000**					
	अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक	सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव					
	• बोर्ड/समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए शुल्क	-					
	• कमीशन	-					
	• अन्य, कृपया उल्लेख करें	-					
	कुल (आ) (2)	-					
	कुल (आ)= (1+2)	**20,25,000**					
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक (अ+आ)	60,77,662.50					
	अधिनियम के अनुसार कुल उच्चतम सीमा [1]						

[1] स्वतंत्र निदेशकों को केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है. सभी गैर-कार्यपालक / स्वतंत्र निदेशक बोर्ड/ समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के पात्र हैं. वित्तीय वर्ष 2014-15 में पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर है.

इ.) प्रबंध निदेशक/ प्रबंधक/ पूर्णकालिक निदेशक के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			कुल राशि (₹)
		श्री एन.एस. वेंकटेश, सीएफओ (04.03.15 से)	**श्री पी. सीताराम, सीएफओ (03.03.15 तक)**	**श्री पवन अग्रवाल, कंपनी सचिव**	
1.	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	1,58,600.34	19,81,848.32	17,87,716.31	39,28,164.97
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य	18,272.77	5,94,404.34	6,94,583.29	13,07,260.40
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-
2.	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-
3.	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-
4.	कमीशन				
	- लाभ के % के रूप में	-	-	-	-
	- अन्य का उल्लेख करें	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें				
	साधारण छुट्टी का नकदीकरण	-	97,717.00	78,105.00	1,75,822.00
	एलएफसी	-	75,000.00	50,000.00	1,25,000.00
	कुल	**1,76,873.11**	**27,48,969.66**	**26,10,404.60**	**55,36,247.37**

VII. जुर्माना/दंड/ कुल अपराध :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाया गया जुर्माना/ दंड/ कुल शुल्क का विवरण	प्राधिकारी [आरडी/एनसीएलटी/ कोर्ट]	की गई अपील, यदि कोई हो
अ. कंपनी - आईडीबीआई बैंक लिमिटेड					
जुर्माना			शून्य		
दंड			शून्य		
योग			शून्य		
आ. निदेशक					
जुर्माना			शून्य		
दंड			शून्य		
योग			शून्य		
इ. चूककर्ता अन्य अधिकारी					
जुर्माना			शून्य		
दंड			शून्य		
योग			शून्य		

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा पर प्रकथन

आईडीबीआई बैंक लि. के स्वतंत्र निदेशकों श्री पी.एस. शेनॉय, श्री एस. रवि, श्री निनाद कर्पे और श्री पंकज वत्स ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुसार घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में उल्लिखित स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करते हैं.

निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी की नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(3) और (4) के अनुसार बोर्ड ने दिनांक 04 जुलाई 2014 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड की नामांकन समिति की सिफ़ारिश के आधार पर निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताएं और स्वतंत्रता को निर्धारित करनेवाले मानदंड, निदेशकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा और मूल्यांकन, आदि सहित निदेशकों की नियुक्ति एवं मूल्यांकन नीति तैयार की. इसके अलावा, बोर्ड ने 04 जुलाई 2014 को बोर्ड की पारिश्रमिक समिति की सिफ़ारिश के आधार पर आईडीबीआई बैंक के निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक नीति तैयार की. उपर्युक्त दोनों नीतियां आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर प्रदर्शित की गई हैं और इनकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया हैः

निदेशकों की नियुक्ति एवं मूल्यांकन नीति का विवरण

निदेशक मंडल का गठन

निदेशक मंडल में निदेशकों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या का उल्लेख अंतर्नियम 114(ए) में किया गया है जबकि निदेशक मंडल के गठन का उल्लेख अंतर्नियम 116ए के साथ पठित अंतर्नियम 116(1)(ए) से (ई) के अंतर्गत किया गया है.

निदेशकों की नियुक्ति का तरीका

(1) अंतर्नियम 116 में निदेशक मंडल के गठन संबंधी प्रावधानों के अनुसार अंतर्नियम 116(1)(ए) से 116(1)(डी) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निदेशकों की नियुक्ति/ नामांकन केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी. केंद्र सरकार द्वारा (i) अंतर्नियम 116(1)(ए) के तहत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति; (ii) अंतर्नियम 116(1)(बी) के तहत उप प्रबंध निदेशक की नियुक्ति; (iii) अंतर्नियम 116(1)(सी) के तहत निदेशक के रूप में केंद्र सरकार के अधिकारियों के नामांकन; और (iv) अंतर्नियम 116(1)(डी) के तहत व्यावसायिक स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन के लिए उपयुक्त अधिसूचना जारी की जाएगी. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अंतर्नियम 116(1)(ए) से अंतर्नियम 116(1)(डी) के तहत की गई सभी नियुक्तियों/ नामांकनों को महासभा में शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उनके द्वारा इसे नोट एवं अनुमोदित किया जाएगा.

(2)(क) अंतर्नियम 116ए के साथ पठित अंतर्नियम 116(1)(ई) के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा अभिनिर्धारित गैर-आवर्तनीय स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति महासभा में शेयरधारकों द्वारा की जाएगी. स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को अभिनिर्धारित करते समय निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करे कि ऐसे व्यक्ति बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए(2), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सूचीबद्धता करार के खंड 49 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं रखते हों और यह भी कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 और सूचीबद्धता करार के खंड 49, आदि के संबंधित प्रावधानों के तहत निदेशक बनने के लिए अयोग्य न हों.

(ख) निदेशक मंडल द्वारा उपर्युक्तानुसार अभिनिर्धारित किए जाने के बाद कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए नियुक्ति के अनुमोदन हेतु ऐसे व्यक्तियों की उम्मीदवारी आगामी महासभा में प्रस्तुत की जाएगी, बशर्ते कि स्वतंत्र निदेशक की प्रारंभिक नियुक्ति अतिरिक्त निदेशक के रूप में न हुई हो. सभी शेयरधारक स्वतंत्र निदेशकों के निर्वाचन के लिए पात्र होंगे. स्वतंत्र निदेशकों का प्रारंभिक कार्यकाल लगातार चार वर्ष का होगा जिसे महासभा में एक विशेष संकल्प पारित करके लगातार चार वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए बढ़ाया जा सकता है. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए(2ए) के अनुसार किसी भी स्थिति में कुल अवधि आठ वर्ष से अधिक नहीं हो सकती.

(ग) स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति को अनुमोदन मिलने के बाद इस प्रकार नियुक्त किए गए स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट विषय-वस्तु के साथ एक औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा.

(घ) अंतर्नियम 116ए(ii) के साथ पठित अंतर्नियम 116(1)(ई) के अनुसार निर्धारित 5 चयनित निदेशकों में एक महिला निदेशक की नियुक्ति की जाएगी, बशर्ते कि अंतर्नियम 116(1)(ए) से अंतर्नियम 116(1)(डी) के अधीन निदेशक मंडल में पहले से ही कोई महिला निदेशक मौजूद न हो.

(ङ) अंतर्नियम 116ए(iii) के अनुसार बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि निदेशक मंडल का कम से कम एक निदेशक पिछले कैलेंडर वर्ष में कम से कम 182 दिन की कुल अवधि के लिए भारत में रहा हो.

(च) स्वतंत्र निदेशक की सविरामी रिक्ति को निदेशक मंडल द्वारा यथाशीघ्र किंतु बोर्ड की तत्कालीन आगामी बैठक तक अथवा इस प्रकार की रिक्ति की तारीख से तीन महीने, जो भी बाद में हो, से पहले भरा जाएगा.

निदेशक मंडल द्वारा निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (पैरा VIII) और धारा 134(3)(पी) के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों और अन्य सभी एकल निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन निदेशक मंडल द्वारा वित्त वर्ष के अंतिम महीने में वार्षिक रूप से किया जाएगा.

(ii) कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि को बढ़ाया अथवा जारी रखा जाए या नहीं.

(iii) निदेशक मंडल द्वारा एकल निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन विनिर्दिष्ट फॉर्मेट वाली मूल्यांकन शीट पर किया जाएगा.

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा गैर-स्वतंत्र निदेशकों और अध्यक्ष के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (पैरा VII) के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशक, अस्वतंत्र निदेशकों एवं प्रबंधन के सदस्यों की अनुपस्थिति में एक वार्षिक बैठक आयोजित कर गैर-स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करेंगे.

(ii) स्वतंत्र निदेशक, कार्यपालक निदेशकों और गैर-कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखकर बैंक के अध्यक्ष के कार्य-निष्पादन की भी समीक्षा करेंगे.

(iii) स्वतंत्र निदेशकों द्वारा गैर-स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा विनिर्दिष्ट फॉर्मेट वाली समीक्षा शीट पर और बैंक के अध्यक्ष के कार्य-निष्पादन की समीक्षा विनिर्दिष्ट फॉर्मेट पर की जाएगी.

पारिश्रमिक नीति का विवरण

I. पृष्ठभूमि

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(3) के अनुसार पारिश्रमिक समिति आईडीबीआई बैंक के निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में नीति बनाएगी और बोर्ड से उसकी सिफ़ारिश करेगी.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(4) के अनुसार उप-खंड(3) के अंतर्गत नीति बनाते समय पारिश्रमिक समिति यह सुनिश्चित करेगी किः

क) पारिश्रमिक का स्तर और संरचना यथोचित और पर्याप्त हो जो कंपनी को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अपेक्षित गुणवत्ता वाले निदेशकों को आकर्षित कर सके, बनाए रखे और अभिप्रेरित करे;

ख) कार्य-निष्पादन से पारिश्रमिक का संबंध स्पष्ट और कार्य-निष्पादन के उपयुक्त बेंचमार्क के अनुकूल हो; तथा

ग) निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक में नियत और प्रोत्साहन राशि के बीच संतुलन हो, जो कंपनी के परिचालन और उसके उद्देश्यों के उपयुक्त अल्पावधि एवं दीर्घावधि कार्य-निष्पादन उद्देश्यों को प्रदर्शित करे.

बशर्ते कि इस प्रकार की नीति का प्रकटन बोर्ड की रिपोर्ट में किया जाए.

II. निदेशकों को पारिश्रमिक

आईडीबीआई बैंक के संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 116(1)(ए) और (बी) के अनुसार आईडीबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक एवं उप प्रबंध निदेशकों (डीएमडी) की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है. प्रबंध निदेशक एवं उप प्रबंध निदेशकों के वेतनमान और पारिश्रमिक संरचना का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है और इसकी सूचना संबंधित प्रबंध निदेशक एवं उप प्रबंध निदेशकों के साथ-साथ बैंक को भी दी जाती है. भारत सरकार द्वारा इन वेतनमानों और पारिश्रमिक संरचनाओं का निर्धारण सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों के प्रबंध निदेशकों एवं पूर्णकालिक निदेशकों के लिए नियत वेतन मानों / पारिश्रमिक संरचनाओं के अनुसरण में इस संबंध में उसके द्वारा अपनाई जाने वाली नीति के आधार पर किया जाता है. आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल के किसी अन्य निदेशक को उपर्युक्त के अलावा किसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा, केवल बैंक के स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड, कार्यपालक समिति और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की प्रत्येक बैठक के लिए ₹10,000/- तथा बोर्ड की अन्य समितियों की प्रत्येक बैठक के लिए ₹ 5000/- की दर से बैठक शुल्क का भुगतान किया जाएगा. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए बैठक शुल्क संबंधी इन दरों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है जिसका अनुमोदन बैंक के निदेशक मंडल द्वारा भी किया जाता है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर सूचित संशोधन के आधार पर बैठक शुल्क की दरों को संशोधित किया जाएगा. बैठक शुल्क के अलावा, बोर्ड और बोर्ड की समिति की बैठकों में भाग लेने वाले गैर-स्थानीय निदेशकों की यात्रा, वाहन और रहने की व्यवस्था पर होने वाले खर्च का वहन भी आईडीबीआई बैंक द्वारा किया जाएगा.

III. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के अनुसार कंपनी के संबंध में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का अभिप्राय हैः

(i) सीईओ अथवा प्रबंध निदेशक;

(ii) पूर्णकालिक निदेशक;

(iii) कंपनी सचिव;

(iv) मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ); और

(v) इस प्रकार के अन्य अधिकारी, जो भी निर्धारित हो

ऊपर (i) और (ii) में प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक से संबंधित पारिश्रमिक नीति इस नीति के पैरा II के अंतर्गत दी गई है. मुख्य वित्त अधिकारी और कंपनी सचिव संबंधी पदों पर आईडीबीआई बैंक के ही संवर्ग अधिकारी कार्यरत हैं और उनका वेतनमान एवं पारिश्रमिक संरचना आईडीबीआई बैंक द्वारा अन्य समांतर संवर्ग के अधिकारियों को दिए जाने वाले वेतनमान और पारिश्रमिक संरचना के बराबर होगी तथा इसका निर्धारण बैंक द्वारा इस संबंध में निदेशक मंडल और भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करके किया जाएगा जैसा कि सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथा/ प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है.

IV. अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पारिश्रमिक

आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनमान एवं पारिश्रमिक संरचना का निर्धारण आईडीबीआई बैंक द्वारा संबंधित कर्मचारी संघों के साथ हुए समझौते के आधार पर तथा इस संबंध में सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली समान प्रथा/ प्रक्रिया के अनुसार निदेशक मंडल और भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किया जाएगा.

V. महासभा में पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(7) की अपेक्षाओं के अनुसार अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में पारिश्रमिक समिति के किसी अन्य सदस्य (जिसे अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत माना जाएगा) को वार्षिक महा सभा सहित बैंक की महासभाओं में उपस्थित रहना होगा.

लेखापरीक्षकों अथवा सचिवालयीन लेखा-परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में की गई प्रत्येक क्वालिफिकेशन, निग्रह अथवा प्रतिकूल टिप्पणी अथवा खंडन पर बोर्ड की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एफ) के अनुसार लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट अथवा सचिवालयीन लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट में से किसी में भी कोई ऐसी क्वालिफिकेशन, निग्रह अथवा प्रतिकूल टिप्पणी अथवा खंडन नहीं है जिस पर बोर्ड की टिप्पणी की आवश्यकता हो.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा निवेश के विवरण

बैंकिंग कंपनी होने के कारण ऋण, गारंटी अथवा निवेश से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधान आईडीबीआई बैंक पर लागू नहीं हैं.

निर्धारित फॉर्म पर संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा अथवा करार के विवरण

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा अथवा करार, यदि कोई हो, के विवरण निर्धारित फॉर्म एओसी-2 में नीचे दिए गए हैं :

एओसी-2

[अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में उल्लिखित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा तृतीय परंतुक के अंतर्गत कुछ स्वतंत्र संव्यवहारों सहित की गई संविदाओं/ करारों के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म

i. स्वतंत्र संव्यवहार आधार के न होते हुए की गई संविदाओं अथवा करारों अथवा संव्यवहारों के विवरण

क्रम सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरूप	संविदा/ करार/ संव्यवहार का स्वरूप	संविदा/ करार/ संव्यवहार की अवधि	मूल्य सहित संविदा अथवा करार अथवा संव्यवहार की प्रमुख शर्तें, यदि कोई हों	इस प्रकार की संविदा अथवा करार अथवा संव्यवहार करने का औचित्य	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	अग्रिम के रूप में चुकाई गई राशि, यदि कोई हो	धारा 188 के प्रथम परंतुक की अपेक्षा अनुसार महा सभा में विशेष संकल्प पारित होने की तारीख
				शून्य				

ii. स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर की गई मूर्त संविदाओं अथवा करारों अथवा संव्यवहारों के विवरण

क्रम सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरूप	संविदा/ करार/ संव्यवहार का स्वरूप	संविदा/ करार/ संव्यवहार की अवधि	मूल्य सहित संविदा अथवा करार अथवा संव्यवहार की प्रमुख शर्तें, यदि कोई हों	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख (खों), यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में चुकाई गई राशि, यदि कोई हो
			शून्य			

ह./-
एम.एस. राघवन
(डीआईएन - 05236790)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
23 अप्रैल 2015

जोखिम प्रबंध नीति के विकास और कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण

बैंक एक विस्तृत एवं व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली का पालन करता है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अद्यतन किया जाता है. बोर्ड की एक समर्पित जोखिम प्रबंधन समिति बैंक के जोखिम पहलुओं की नियमित रूप से समीक्षा करती है जिसमें बैंक में बासेल III मानदंडों को लागू करना भी शामिल है. बैंक का निदेशक मंडल भी आवधिक रूप से जोखिम मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा पालन की जा रही न्यूनीकरण प्रक्रिया एवं बासेल III मानदंडों के तहत बैंक की पूंजी अपेक्षाओं की समीक्षा करता है.

वर्ष के दौरान सीएसआर नीति तथा उसे लागू करने संबंधी विवरण

कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के तहत अनुबंध में दिए गए फॉर्मेट संबंधी विवरण निम्नलिखित हैंः

सीएसआर की वार्षिक रिपोर्ट

1. **प्रस्तावित परियोजनाएं अथवा कार्यक्रमों की पुनरीक्षा सहित बैंक की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा तथा सीएसआर नीति एवं परियोजनाएं व कार्यक्रमों के वेब-लिंक का संदर्भ.**

   बैंक की सीएसआर नीति का उद्देश्य समाज के सुविधा वंचित वर्ग के लिए मूर्त, दृश्य तथा स्थायी बदलाव लाने एवं व्यापक रूप से समाज के कल्याण के लिए निरंतर सकारात्मक सहयोग देने की इच्छा से संचालित है. इससे उभरने वाली बैंक की सीएसआर नीति तथा पहलों का निर्माण लक्ष्य समुदाय के संपूर्ण विकास पर ध्यान देकर हमारे कारोबार तथा समाज के लिए दीर्घकालीन सामाजिक तथा आर्थिक मूल्य का सृजन करने के लिए किया गया है.

   अतः बैंक की सीएसआर नीति ने अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, लैंगिक समानता जैसे क्षेत्रों की मध्यस्थता करने तथा सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण, पर्यावरणीय स्थायित्व एवं ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान किया है.

   बैंक की सीएसआर नीति तथा परियोजनाएं अथवा कार्यक्रमों की वेब-लिंक http://www.idbi.com/CSR-Policy.asp है.

2. सीएसआर समिति की संरचना: सीएसआर समिति की संरचना निम्न तालिका में दी गई है:

क्रम सं.	निदेशक	पदनाम
1.	श्री एम. एस. राघवन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री बी. के. बत्रा	उप प्रबंध निदेशक
3.	श्री एम. ओ. रेगो	उप प्रबंध निदेशक
4.	श्री निनाद कर्पे	स्वतंत्र निदेशक
5.	श्री पंकज वत्स	स्वतंत्र निदेशक

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में बैंक का औसत निवल लाभ: पिछले तीन वित्तीय वर्षों में बैंक का औसत निवल लाभ ₹ 1,314.55 करोड़ है.

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद सं. 3 की राशि का दो प्रतिशत): वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वहन किया जाने वाला सीएसआर व्यय ₹ 26.29 करोड़ है. (अर्थात् औसत निवल लाभ का 2%, जो कि कर का निवल है परंतु इसमें भारत के बाहर की शाखाओं के लाभ की गणना नहीं की जाएगी, चाहे अलग कंपनी के रूप में या अन्यथा परिचालित हों तथा भारत में अन्य कंपनियों से प्राप्त लाभांश जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों से अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों में शामिल हैं तथा उनका अनुपालन करते हैं)

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय का विवरण :

(क) वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली कुल राशि: सीएसआर के तहत वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली कुल राशि ₹ 26.29 करोड़ है.

(ख) व्यय न की गई राशि, यदि हो: सीएसआर के तहत ₹ 2.85 करोड़ का व्यय नहीं किया गया था.

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि का विवरण निम्नलिखित है:

1	2	3	4		5	6		7	8
क्रम सं.	**निर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप**	**क्षेत्र जिसके तहत परियोजना कवर की गई है**	**परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम**		**राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार (₹ में)**	**परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उप-शीर्ष (₹ में)**		**रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (₹ में)**	**प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से व्यय की गई राशि**
			(1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य	(2) राज्य व जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किए गए		(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	(2) अतिरिक्त व्यय		
1	लाल बिहारी शाह ब्रेल अकादमिया के ब्रेल प्रेस तथा पुस्तकालय का विस्तार	शिक्षा तथा जीविका वर्धन को बढ़ावा देना	अन्य	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	3,62,800	3,62,800	0	3,62,800	ब्लाइंड पर्सन्स असोसिएशन, कोलकाता
2	मानसिक रूप से अशक्त लोगों के लिए आवासीय देखभाल गृह तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के लिए निधियों का प्रायोजन	शिक्षा तथा जीविका वर्धन को बढ़ावा देना	अन्य	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	50,00,000	50,00,000	0	50,00,000	आरोग्य संधान, कोलकाता

1	2	3	4		5	6		7	8
क्रम सं.	**निर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप**	**क्षेत्र जिसके तहत परियोजना कवर की गई है**	**परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम**		**राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार (₹ में)**	**परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उप-शीर्ष (₹ में)**		**रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (₹ में)**	**प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से व्यय की गई राशि**
			(1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य	(2) राज्य व जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किए गए		(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	(2) अतिरिक्त व्यय		
3	पटना, बिहार में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के विद्यार्थियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम आवासीय स्कूल भवन के निर्माण में आंशिक निधियन.	शिक्षा तथा जीविका वर्धन को बढ़ावा देना	अन्य	पटना, बिहार	50,00,000	50,00,000	0	50,00,000	शोषित सेवा संघ, पटना
4	बाढ़ग्रस्त स्याबा (उत्तरकाशी) तथा दामर (रुद्रप्रयाग) के समुदायों की पहचान करने, अपनाने पुनर्वास तथा पुनःस्थापित करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण कार्य	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	अन्य	उत्तरकाशी तथा रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड	5,88,000	5,88,000	0	5,88,000	बिन्दु सोसाइटी, देहरादून
5	निर्माण कर्मियों के बच्चों को शिक्षा, पोषण तथा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल क्रेश के कार्यक्रमों को सहायता देना	शिक्षा तथा जीविका वर्धन को बढ़ावा देना	स्थानीय	मुंबई, महाराष्ट्र	7,83,360	3,99,360	0	7,83,360	मुंबई मोबाइल क्रेश, मुंबई
6	स्कूल ट्रस्ट की आधारभूत निधि में दान	शिक्षा तथा जीविका वर्धन को बढ़ावा देना	अन्य	उडुपी, कर्नाटक	5,00,000	5,00,000	0	5,00,000	मॉडर्न स्कूल एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, उडुपी
7	जगन्नाथपुर ग्राम के मिशनरी स्कूल में कन्या प्रसाधन / बाथरूम सुविधा का निर्माण	स्वास्थ्य सुविधा तथा गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना	अन्य	छत्तीसगढ़	4,30,295	3,70,295	0	4,30,295	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई

1	2	3	4		5	6		7	8
क्रम सं.	**निर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप**	**क्षेत्र जिसके तहत परियोजना कवर की गई है**	**परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम**		**राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार (₹ में)**	**परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उप-शीर्ष (₹ में)**		**रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (₹ में)**	**प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वियन एजेंसी के माध्यम से व्यय की गई राशि**
			(1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य	**(2)** राज्य व जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किए गए		**(1)** परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	**(2)** अतिरिक्त व्यय		
8	सरस्वती पाड़ा, जगन्नाथपुर ग्राम में एक प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूरा करना	शिक्षा तथा जीविका वर्धन को बढ़ावा देना	अन्य	छत्तीसगढ़	12,55,675	9,41,756	0	12,55,675	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई
9	एसोचैम फाउंडेशन के सीएसआर वेब पोर्टल के निर्माण में सहायता प्रदान करना जिसका लक्ष्य समाज के शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना है	लैंगिक समानता तथा सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना	अन्य	नई दिल्ली	60,000	60,000	0	60,000	एसोचैम, नई दिल्ली
10	क्लब फूट वाले 500 बच्चों को 1,000 स्टेनबैक फूट एब्डक्शन ब्रेसेस उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता देना	स्वास्थ्य सुविधा एवं गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना	अन्य	नई दिल्ली	10,00,000	10,00,000	0	10,00,000	क्योर इंटरनेशनल, नई दिल्ली
11	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए चिकित्सा कैंप का आयोजन तथा चिकित्सा सहायता प्रदान करना	स्वास्थ्य सुविधा एवं गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना	अन्य	वड़ोदरा, गुजरात; गुवाहाटी, असम; त्रिची, तमिलनाडु; नोएडा, उत्तर प्रदेश	1,00,00,000	72,77,526	200	72,77,726	आर्टिफिशियल लिंब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर
		लैंगिक समानता एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना	स्थानीय	नवी मुंबई, महाराष्ट्र					
12	ग्रामीण तथा जनजाति की 165 महिलाओं के लिए संस्थागत जननी सेवाओं (शिशुओं की अस्पताल आधारित डिलिवरी तथा उसके बाद की सुरक्षा) के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता	स्वास्थ्य सुविधा एवं गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना	अन्य	मैसूर, कर्नाटक	10,35,000	10,35,000	0	10,35,000	स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट (एसवीवाईएम), कर्नाटक
		लैंगिक समानता एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना							

1	2	3	4		5	6		7	8
क्रम सं.	निर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	क्षेत्र जिसके तहत परियोजना कवर की गई है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम		राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार (₹ में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उप-शीर्ष (₹ में)		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (₹ में)	प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से व्यय की गई राशि
			(1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य	(2) राज्य व जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किए गए		(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	(2) अतिरिक्त व्यय		
13	लद्दाख में बाढ़ प्रभावित तारु गाँव को गोद लेना	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	अन्य	लेह, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर	3,55,00,000	1,31,05,711	0	3,26,37,104	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई
14	कागजी लिफाफा बनाने की परियोजना को वित्तीय सहायता	लैंगिक समानता एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना	स्थानीय	मुंबई, महाराष्ट्र	4,75,000	2,37,500	0	2,37,500	नैशनल एसोसिएशन फॉर डिसेबल्ड इंटरप्राइज (एनएडीई), मुंबई
15	2 ग्रामीण पाठ-शालाओं में 7 कक्षाओं का निर्माण	शिक्षा तथा जीविका वर्धन को बढ़ावा देना	अन्य	इरोड, तथा टूटीकोरिन, तमिलनाडु	51,94,000	38,95,500	0	51,94,000	ईशा विद्या रूरल स्कूल्स, कोयंबतूर
16	एसआरईएसटीए परियोजना के अंतर्गत 355 युवाओं हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण कुशलता कार्यक्रम	लैंगिक समानता एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना	अन्य	शिवगंगई, तमिलनाडु	40,00,000	30,00,000	0	40,00,000	तिरुचिरापल्ली रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज - साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स पार्क (टीआरईसी - एसटीईपी), त्रिची
17	सर्वाधिक निर्धन क्षेत्रों के 2000 छात्रों के लिए एजुकनेक्ट कार्यक्रम	शिक्षा तथा जीविका वर्धन को बढ़ावा देना	अन्य	शिरडी, महाराष्ट्र	4,98,000	3,73,500	0	4,98,000	फ्रेंड्स यूनियन फॉर एनर्जाइजिंग लाइव्स (एफयूईएल), पुणे
18	कार्डिएक एंबुलेंस का दान	स्वास्थ्य सुविधा एवं गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना	स्थानीय	मुंबई, महाराष्ट्र	10,84,619	10,84,619	0	10,84,619	जसलोक हॉस्पिटल, मुंबई,
19	30 छात्रों के लिए एम के निःशुल्क छात्रावास जिनमें 20 माह के लिए भोजन, आवास, कपड़े, पुस्तकें आदि शामिल हैं	शिक्षा तथा जीविका वर्धन को बढ़ावा देना	अन्य	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	10,50,000	6,30,000	0	7,35,000	एम फॉर सेवा, चेन्नई

1	2	3	4		5	6		7	8
क्रम सं.	निर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	क्षेत्र जिसके तहत परियोजना कवर की गई है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम		राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार (₹ में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उप-शीर्ष (₹ में)		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (₹ में)	प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से व्यय की गई राशि
			(1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य	(2) राज्य व जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किए गए		(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	(2) अतिरिक्त व्यय		
20	शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को यातायात सुविधा प्रदान करने के लिए टाटा विंगर वाहन की खरीद हेतु वित्तीय सहायता तथा आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले में 94 पीडब्ल्यूडी को सहायता एवं उपकरणों का वितरण.	स्वास्थ्य सुविधा एवं गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना लैंगिक समानता एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना	अन्य	काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	11,54,655	11,54,655	0	11,54,655	उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसाइटी, काकीनाडा
21	जागृति परियोजना के अंतर्गत कन्याओं के लिए चिल्ड्रन होम इकाई की तल मंजिल पर 4 कमरों का निर्माण	लैंगिक समानता एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना	अन्य	कर्जत, महाराष्ट्र	30,00,000	10,00,000	0	10,00,000	लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट, कर्जत
22	बाल अवैध व्यापार के मुद्दे को सहायता प्रदान करने हेतु संलाप परियोजना के लिए वित्तीय सहायता - पहुंचाने के लिए एक परियोजना	लैंगिक समानता एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना	अन्य	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	28,00,000	28,00,000	0	28,00,000	चाइल्ड राइटस् एंड यू, कोलकाता
23	मुंबई में सरकारी सहायता प्राप्त 200 स्कूलों में 'दि हिन्दू इन स्कूल' संस्करण प्रायोजित करना	शिक्षा तथा जीविका वर्धन को बढ़ावा देना	स्थानीय	मुंबई, महाराष्ट्र	7,20,000	4,68,000	0	7,20,000	दि हिन्दू, मुंबई
24	100 सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सर्वाधिक निर्धन बच्चों के लिए स्कूल तथा भोजन प्रायोजित कर शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए विशेष स्कूल को 6 माह की अवधि हेतु सहायता	शिक्षा तथा जीविका वर्धन को बढ़ावा देना लैंगिक समानता एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना	अन्य	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	10,00,000	5,00,000	0	10,00,000	इंस्टीट्यूट फॉर द हैंडीकैप्ड एंड बैकवर्ड पीपल, कोलकाता

1	2	3	4		5	6		7	8
क्रम सं.	**निर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप**	**क्षेत्र जिसके तहत परियोजना कवर की गई है**	**परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम**		**राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार (₹ में)**	**परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उप-शीर्ष (₹ में)**		**रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (₹ में)**	**प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से व्यय की गई राशि**
			(1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य	(2) राज्य व जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किए गए		(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	(2) अतिरिक्त व्यय		
25	कमजोर वर्ग के 333 व्यक्तियों के लिए मोतियाबिंद सर्जरी	स्वास्थ्य सुविधा एवं गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना	अन्य	चेन्नई, तमिलनाडु	12,50,000	6,25,000	0	9,37,500	शंकर नेत्रालय, चेन्नई
26	संवेदनशील ब्लड बैंक उपकरणों (ईक्विप्मेंटस्) की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	स्वास्थ्य सुविधा एवं गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना	अन्य	राजकोट, गुजरात	19,60,000	19,60,000	0	19,60,000	सौराष्ट्र मेडिकल एंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, राजकोट
27	जलवायु/ स्मार्ट जल प्रबंधन परियोजना को सहायता	पर्यावरणीय स्थायित्व सुनिश्चित करना	अन्य	कांचीपुरम, तमिलनाडु	14,25,000	7,12,500	0	7,12,500	सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर चेंज, चेन्नई
28	गदाधर पाठशाला में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक स्टाफ के वेतन को सुरक्षित करने के लिए एंडोमेंट निधि का सृजन	शिक्षा तथा जीविका वर्धन को बढ़ावा देना	अन्य	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	30,00,000	30,00,000	0	30,00,000	रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, कोलकाता
29	श्री शनेश्वर ग्रामीण अस्पताल हेतु गहन चिकित्सा वेंटिलेटर का दान	स्वास्थ्य सुविधा एवं गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना	अन्य	अहमदनगर, महाराष्ट्र	7,87,500	7,87,500	0	7,87,500	श्री शनेश्वर रूरल हॉस्पिटल, अहमदनगर
30	100 गांवों में लाइटिंग ए बिलियन लाइव्स कार्यक्रम	पर्यावरणीय स्थायित्व सुनिश्चित करना	अन्य	उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार तथा झारखंड	2,52,72,500	50,54,500	0	50,54,500	द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली
31	झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों के फुटबॉल कार्यक्रम के लिए खेल उपकरणों की खरीद	शिक्षा तथा जीविका वर्धन को बढ़ावा देना	स्थानीय	मुंबई, महाराष्ट्र	1,20,000	60,000	0	1,20,000	ऑस्कर फाउंडेशन, मुंबई

1	2	3	4		5	6		7	8
क्रम सं.	निर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	क्षेत्र जिसके तहत परियोजना कवर की गई है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम		राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार (₹ में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उप-शीर्ष (₹ में)		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (₹ में)	प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से व्यय की गई राशि
			(1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य	(2) राज्य व जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किए गए		(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	(2) अतिरिक्त व्यय		
32	कर्जत के ग्रामीण क्षेत्र में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता और पहुंच के मुद्दे पर समुदाय समावेशी पुनर्वास (आईसीबीआर) और समावेशी शिक्षा तथा स्थाई जीविका सेवाएं मुहैया कराना	लैंगिक समानता एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना	स्थानीय	ठाणे, महाराष्ट्र	25,41,664	5,00,000	0	10,00,000	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़, मुंबई
33	वृद्धाश्रम में दो इकाइयों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता	लैंगिक समानता एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना	अन्य	बैंगलुरु, कर्नाटक	10,00,000	10,00,000	0	10,00,000	वानप्रस्थ आश्रम, बैंगलुरु
34	400 स्कूलों में जल स्वच्छता तथा स्वास्थ्य सुविधाएं	लैंगिक समानता एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना	अन्य	लातूर, महाराष्ट्र तथा मिजापुर, उत्तर प्रदेश	2,67,04,545	1,36,36,363	0	1,36,36,363	यूनिसेफ, नई दिल्ली
35	मोरीगांव जिला, असम में मॉडल ग्राम का निर्माण	ग्रामीण विकास परियोजनाए	अन्य	मोरीगांव, असम	35,55,200	15,57,050	0	15,57,050	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि, असम
36	इसाबेला थोबर्न कॉलेज, लखनऊ में वर्षा-जल संग्रहण परियोजना	पर्यावरणीय स्थायित्व सुनिश्चित करना	अन्य	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	7,69,000	3,84,500	0	3,84,500	इंटरनैशनल एकैडमी ऑफ एनवायरमेंटल सैनीटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, उत्तर प्रदेश
37	पीएमजेडीवाई की मूल निधि में सहायता	शिक्षा तथा जीविका वर्धन को बढ़ावा देना	अन्य तथा स्थानीय	सम्पूर्ण भारत	2,26,00,000	2,26,00,000	0	2,26,00,000	प्रत्यक्ष रूप से
38	वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि	शिक्षा तथा जीविका वर्धन को बढ़ावा देना	अन्य तथा स्थानीय	सम्पूर्ण भारत	74,752	74,752	0	74,752	प्रत्यक्ष रूप से

1	2	3	4		5	6		7	8
क्रम सं.	**निर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप**	**क्षेत्र जिसके तहत परियोजना कवर की गई है**	**परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम**		**राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार (₹ में)**	**परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उप-शीर्ष (₹ में)**		**रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (₹ में)**	**प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से व्यय की गई राशि**
			(1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य	(2) राज्य व जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किए गए		(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	(2) अतिरिक्त व्यय		
39	पिछड़े समुदायों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए स्थायी निधि का सृजन	शिक्षा तथा जीविका वर्धन को बढ़ावा देना	अन्य तथा स्थानीय	सम्पूर्ण भारत	5,00,00,000	5,00,00,000	0	5,00,00,000	रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ
40	अन्न अमृत कार्यक्रम के तहत मिड-डे-मील को वित्तीय सहायता	स्वास्थ्य सुविधा एवं गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना	स्थानीय	मुंबई, महाराष्ट्र	9,00,000	6,75,000	0	9,00,000	इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, महाराष्ट्र.
41	ग्रामीण युवा प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	शिक्षा तथा जीविका वर्धन को बढ़ावा देना	अन्य	खुर्दा, ओड़ीशा	22,51,170	15,62,792	0	15,62,792	साईं आनंदम ट्रस्ट, उड़ीसा
42	आपदाग्रस्त स्थानों पर 5 आंगनवाड़ी केन्द्रों (एडबल्यूसी) अथवा सहायक नर्स मिडवाइफ केन्द्रों (एएनएम) का निर्माण	शिक्षा तथा जीविका वर्धन को बढ़ावा देना लैंगिक समानता एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना	अन्य	पिथौरागढ़, उत्तराखंड	28,75,000	11,50,000	0	11,50,000	उत्तराखंड सरकार
43	'सेंटर ऑफ एक्सिलेंस' संस्थान के प्रांगण में सौर ऊर्जा प्रणाली लगाना	शिक्षा तथा जीविका वर्धन को बढ़ावा देना पर्यावरणीय स्थायित्व सुनिश्चित करना	अन्य	चेन्नई, तमिलनाडु	25,00,000	18,75,000	0	18,75,000	मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई
44	डिज़ाइनर कैन्डल शोरूम की स्थापना तथा परिचालनगत लागतों में सहायता देना	लैंगिक समानता एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना	अन्य	नामची, सिक्किम	16,90,000	5,30,000	0	5,30,000	एनईडीएफआई, सिक्किम
45	बागरुम्बा बुनकर सोसाइटी के लिए सामान्य सुविधा केंद्र का निर्माण	लैंगिक समानता एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना	अन्य	नालबाड़ी, असम	20,00,000	14,50,000	0	20,00,000	एनईडीएफआई, असम

1	2	3	4		5	6		7	8
क्रम सं.	**निर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप**	**क्षेत्र जिसके तहत परियोजना कवर की गई है**	**परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम**		**राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार (₹ में)**	**परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उप-शीर्ष (₹ में)**		**रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (₹ में)**	**प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से व्यय की गई राशि**
			(1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य	(2) राज्य व जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किए गए		(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	(2) अतिरिक्त व्यय		
46	ठाणे, कल्याण और भिवंडी में तथा उसके आसपास जीविका और व्यावसायिक दक्षता प्रशिक्षण प्रदान करना	लैंगिक समानता एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना	अन्य	ठाणे, महाराष्ट्र	15,00,000	7,50,000	0	7,50,000	उरिवी विक्रम धर्मार्थ ट्रस्ट, महाराष्ट्र
47	चुने हुए गांवों में 30 स्ट्रीट सोलर लाइट प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता	पर्यावरणीय स्थायित्व सुनिश्चित करना	अन्य	बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	30,00,000	7,50,000	0	7,50,000	प्रत्यक्ष रूप से
48	वृद्धाश्रम में सौर ऊर्जा प्रणाली लगाना, वर्षा जल संग्रहण और चिकित्सा सुविधा	लैंगिक समानता एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना	अन्य	कर्जत, महाराष्ट्र	30,00,000	30,00,000	0	30,00,000	श्री कामाक्षी ट्रस्ट, मुंबई
		पर्यावरणीय स्थायित्व सुनिश्चित करना							
49	पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब की स्थापना और कूलिंग सिस्टम के साथ वाटर प्यूरिफायर लगाना	शिक्षा तथा जीविका वर्धन को बढ़ावा देना	अन्य	रायपुर, छत्तीसगढ़	10,00,000	10,00,000	0	10,00,000	प्रयास गर्ल्स रेजिडेंशियल हाई स्कूल, रायपुर
		लैंगिक समानता एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना							
50	स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण और स्वच्छ भारत कोष के अंतर्गत अंशदान	स्वास्थ्य सुविधा एवं गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना	अन्य तथा स्थानीय	सम्पूर्ण भारत	9,00,00,000	6,88,77,768	0	6,88,77,768	प्रत्यक्ष रूप से
51	विविध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0	25,600	25,600	प्रत्यक्ष रूप से
	कुल				**33,42,67,735**	**23,43,56,947**	**25,800**	**25,95,99,559**	

6. यदि बैंक विगत तीन वित्तीय वर्षों या उनके किसी भाग के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत व्यय करने में असफल रहता है तो कंपनी को अपने बोर्ड की रिपोर्ट में राशि व्यय न करने के कारण बताने होंगे.

कंपनी अधिनियम, 2013 की विस्तृत रूपरेखा के अनुरूप आईडीबीआई बैंक ने अपनी अधिकांश सीएसआर गतिविधियों को परियोजना/कार्यक्रम के रूप में संचालित किया है. अतः विभिन्न कार्यक्रमों के चरणबद्ध कार्यन्वयन के उद्देश्य से और कुछ कार्यक्रमों में लगातार वर्षों में वास्तविक व्यय के अधिक होने से बैंक ₹ 23.44 करोड़ व्यय करने की स्थिति में है जो ₹ 26.29 करोड़ के बजट व्यय का लगभग 89.16% है.

7. सीएसआर समिति का यह उत्तरदायित्व कथन है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीतियों के अनुपालन के अनुरूप है.

आईडीबीआई बैंक की सीएसआर समिति घोषित करती है कि सीएसआर समिति और इसका कार्यान्वयन तथा निगरानी पूर्णतः कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों के अनुपालन के अनुरूप है.

ह./-
एम.एस. राघवन
(डीआईएन - 05236790)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं
सीएसआर समिति के अध्यक्ष
30 अप्रैल 2015

बोर्ड, इसकी समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन संबंधी विवरण

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(4) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (पी) के अनुसार उपर्युक्त विषय पर ब्योरे नीचे प्रस्तुत किए गए हैंः

(i) बोर्ड की नामांकन समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर निदेशक मंडल ने 4 जुलाई 2014 को बैंक के निदेशकों की नियुक्ति और मूल्यांकन नीति बनाई है.

(ii) मानदंड जिनके आधार पर निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन आवश्यक है, मूल्यांकन शीट में दिए गए हैं, उन्हें बोर्ड द्वारा तैयार तथा अनुमोदित किया गया है और निदेशकों की नियुक्ति और मूल्यांकन नीति का हिस्सा बनाया गया है. बोर्ड द्वारा सभी निदेशकों के मूल्यांकन और स्वतंत्र निदेशक समिति द्वारा गैर-स्वतंत्र निदेशकों तथा बोर्ड के अध्यक्ष के मूल्यांकन के लिए अलग मूल्यांकन शीट तैयार की गई है.

(iii) साथ ही, बोर्ड के अनुमोदन से निदेशक मंडल और बोर्ड की समितियों के वार्षिक मूल्यांकन के लिए भी मूल्यांकन शीट तैयार की गई है.

(iv) स्वतंत्र निदेशकों की समिति ने दिनांक 19 मार्च 2015 को संपन्न अपनी बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष सहित सभी गैर-स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन और समग्र रूप से बोर्ड के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया.

(v) बोर्ड ने दिनांक 28 मार्च 2015 को संपन्न अपनी बैठक में बोर्ड के सभी निदेशकों के कार्य-निष्पादन के साथ-साथ बोर्ड की समितियों का भी मूल्यांकन किया. बोर्ड द्वारा जिन निदेशकों का मूल्यांकन किया गया ऐसे संबंधित निदेशकों ने स्वयं के मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान बैठक में भाग नहीं लिया.

कारोबार के स्वरूप में परिवर्तन, यदि कोई हो

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने बैंकिंग के कारोबार को जारी रखा और इसके कारोबार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ.

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान नियुक्त होने और त्यागपत्र देने वाले निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण

निदेशकों के नाम	नियुक्ति/त्यागपत्र/समाप्ति	दिनांक
श्री सुभाष तुली	निर्वाचित निदेशक के रूप में अधिकतम छह वर्षों का कार्यकाल पूर्ण होने पर निदेशकता की समाप्ति	21.07.14

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम	नियुक्ति/त्यागपत्र/समाप्ति	दिनांक
श्री पी. सीताराम	मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यकाल की समाप्ति	04.03.2015
श्री एन.एस. वेंकटेश	मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्ति	04.03.2015

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक की बनने वाली या न रहने वाली सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या संबद्ध कंपनियों के नाम

सहायक कंपनियों के नाम	बनाई गई / न रहने वाली	दिनांक
शून्य		

सहयोगी कंपनियों के नाम	बनाई गई / न रहने वाली	दिनांक
शून्य		

संयुक्त उद्यमों के नाम	बनाई गई / न रहने वाली	दिनांक
शून्य		

कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के अधीन शामिल जमाओं से संबंधित विवरण और उन जमाओं के विवरण जो इस अधिनियम के अध्याय V की आवश्यकताओं के अनुपालन में शामिल नहीं हैं.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73(1) के परंतुक के अनुसार इस उप-धारा का कोई भी अंश बैंकिंग कंपनी पर लागू नहीं होगा, अतः उपर्युक्त विवरण के प्रकटन की आवश्यकता आईडीबीआई बैंक पर लागू नहीं है.

संबंधित मौजूदा स्थिति और कंपनी के परिचालनों को भविष्य में प्रभावित करने वाले सार्थक और महत्वपूर्ण आदेशों के विवरण जो विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित किए गए हैं

आईडीबीआई बैंक की कार्यशील संस्था के रूप में स्थिति और भविष्य में कंपनी के परिचालनों को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई आदेश विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित नहीं किए गए हैं

स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

वर्ष 2014-15 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित / प्रतिनियुक्त किया गया. इस संबंध में विस्तृत ब्योरे आपके बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर निम्न लिंक के अंतर्गत दिए गए हैंः

http://www.idbi.com/pdf/Familiarisation-Programme-for-Directors.pdf

सतर्कता प्रणाली की स्थापना

कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 7 और सूचीबद्धता करार के खंड 49 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) और (10) की आवश्यकताओं के अनुसार निदेशक मंडल ने एसीबी की सिफ़ारिश पर आईडीबीआई बैंक के निदेशकों और कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या बैंक की आचार संहिता और नैतिक नीति के उल्लंघन संबंधी वास्तविक चिंताओं को रिपोर्ट करने के लिए सतर्कता प्रणाली की स्थापना का अनुमोदन किया. यह सतर्कता प्रणाली इसका उपयोग करने वाले व्यक्तियों को उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है. इसके अतिरिक्त, किसी निदेशक या कर्मचारी द्वारा दायर की गई बार-बार परेशान करने वाली शिकायतों के मामले में एसीबी उस निदेशक या कर्मचारी के विरुद्ध भर्त्सना सहित उपयुक्त कार्रवाई कर सकती है. बैंक द्वारा सतर्कता प्रणाली नीति वेबसाइट (www.idbi.com) पर निम्न लिंक के अंतर्गत रखी गई है जिसमें सतर्कता प्रणाली की स्थापना के ब्योरे दिए गए हैंः

http://www.idbi.com/pdf/Policy-on-Vigil-Mechanism.pdf

महत्वपूर्ण सहायक संस्थाओं के निर्धारण हेतु नीति

सूचीबद्धता करार के उपवाक्य 49 की आवश्यकताओं के अनुसार बोर्ड ने दिनांक 05 सितंबर 2014 को संपन्न अपनी बैठक में महत्वपूर्ण

सहायक संस्थाओं के निर्धारण के लिए नीति स्थापित की. यह नीति बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत दी गई है:

http://www.idbi.com/pdf/materialsubsidiaries.pdf

संबद्ध पक्ष लेन-देनों पर कार्रवाई संबंधी नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 और सूचीबद्धता करार के खंड 49 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड ने दिनांक 05 सितंबर 2014 और 26 सितंबर 2014 को संपन्न अपनी बैठक में आईडीबीआई बैंक में संबद्ध पक्ष लेन-देनों पर कार्रवाई संबंधी नीति बनाई है.

संबद्ध पक्ष लेनदेनों पर कार्रवाई संबंधी नीति बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है:

http://www.idbi.com/pdf/RPTpolicyforwebsite.pdf

लेखाकरण व्यवहार का प्रकटन

सूचीबद्धता करार के खंड 49 के प्रावधानों के अनुसार यह पुष्टि की जाती है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लेखाकरण मानदंड में निर्धारित विधियों से अलग कोई भी विधि नहीं अपनायी गई है. अतः इस संबंध में प्रबंधन की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण अपेक्षित नहीं है.

निदेशकों के पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशकों की नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा की जाती हैं तथा उनका पारिश्रमिक एवं परिलब्धियां भी भारत सरकार द्वारा तय की जाती हैं. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक का विवरण तालिका 2 में दिया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों के आपके बैंक के साथ आर्थिक संबंध/लेन-देन शून्य रहे.

तालिका 3 : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशकों के पारिश्रमिक के घटक

वेतन और भत्ते (सरकारी आदेशों के अनुसार)	श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - ₹ 80,000/- प्रति माह का वेतन और 107% की दर से ₹ 85600/- महंगाई भत्ता, कुल ₹ 1,65,600/. श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक - 71,030/- ₹ प्रति माह का वेतन और 107% की दर से ₹ 76,002.10/- महंगाई भत्ता, कुल ₹ 1,47,033/. श्री एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक - 68,960/- ₹ प्रति माह का वेतन और 107% की दर से ₹ 73,787.20/- महंगाई भत्ता, कुल ₹ 1,42,748/.
आतिथ्य	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक, दोनों के संबंध में प्रत्येक के लिए ₹ 6000 प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन वास्तविक आतिथ्य (क्लब की सदस्यता उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर समायोज्य).
आवास	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक दोनों को किराया-मुक्त सज्जित आवास.
वाहन व्यय	कार्यालयीन उद्देश्यों के लिए बैंक की कार का निःशुल्क उपयोग.
छुट्टी यात्रा रियायत	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशक दोनों के लिए आधिकारिक दौरे हेतु लागू पात्रता श्रेणी के अनुसार स्वयं एवं परिवार के लिए भारत में किसी भी स्थान की यात्रा के लिए 2 वर्षों के ब्लॉक में एक बार.
पेंशन	बैंक, जहां वे कैरियर पद पर हैं, के नियमों और विनियमों के अनुसार कैरियर पद में (बोर्ड स्तर से नीचे) स्वीकार्य पेंशन, यदि कोई है, प्राप्त करने के लिए पात्र हैं.
ग्रेच्युटी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/उप प्रबंध निदेशक के रूप में सेवा के प्रत्येक पूर्ण किए वर्ष अथवा छः माह से अधिक की सेवा के लिए आधे माह के वेतन की दर से.
कार्यकाल	श्री एम.एस. राघवन - भारत सरकार की दिनांक 5 जुलाई 2013 की अधिसूचना सं.एफ.नं.4/4/2012-बीओ.I द्वारा 30 जून 2015 तक की अवधि तथा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त. श्री राघवन ने 5 जुलाई 2013 को कार्य ग्रहण किया था. श्री बी.के. बत्रा- 12 जनवरी 2012 की भारत सरकार की अधिसूचना एफ सं.9/14/2009-बीओ.आई द्वारा 13 जनवरी 2012 से अधिवर्षिता की तारीख (31.07.2016) तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त. श्री एम.ओ. रेगो- 30 अगस्त 2013 की भारत सरकार की अधिसूचना एफ सं.7/3/2011-बीओ.आई द्वारा उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त. श्री रेगो ने 30 अगस्त 2013 को पदभार ग्रहण किया था.

अन्य स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रति बैठक ₹ 10,000/- का बैठक शुल्क प्रति बोर्ड, ईसी और एसीबी के लिए और बोर्ड समिति की अन्य बैठकों के लिए प्रति बैठक ₹ 5,000/- अदा किये गये. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशकों को पारिश्रमिक और स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा आपके बैंक द्वारा निदेशकों को उनकी यात्रा, रहने तथा परिवहन पर हुए खर्च को छोड़कर और कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया गया.

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क की राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

स्वतंत्र निदेशक का नाम	**वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रदत्त बैठक शुल्क (₹)**
श्री पी.एस. शेनॉय	6,05,000
श्री सुभाष तुली (21.07.2014 तक)	50,000
श्री एस. रवि	6,00,000
श्री निनाद कर्पे	4,75,000
श्री पंकज वत्स	2,95,000

कंपनी (प्रबंधकीय अधिकारी की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के अधीन प्रकटन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशकों, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, के पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार के मानदंडों के अनुरूप पारिश्रमिक में लागू वृद्धि सहित भारत सरकार के वेतनमानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा किया जाता है. उपर्युक्त पैरा में उल्लेख किए अनुसार बोर्ड के अन्य निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं मिलता है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) अर्थात् मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव सहित बैंक के अन्य कर्मचारियों को बैंक के समान ग्रेड के अधिकारियों के लिए लागू तथा सरकारी क्षेत्र के मानदंडों के अनुसार पारिश्रमिक में लागू वृद्धि के साथ बैंक द्वारा अपनाए गए सरकारी क्षेत्र के वेतनमानों के अनुसार पारिश्रमिक मिलता है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों सहित कर्मचारियों के वेतनमान में आवधिक संशोधन का संबंध बैंक के कार्य-निष्पादन सहित कई अन्य कारकों से होता है. बैंक ने कोई एफपीओ नहीं जारी किया है अतः बैंक के शेयर के बाजार कोटेशन की कोई तुलना संभव नहीं है. तथापि, वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बैंक के शेयरों के बाजार मूल्य, वित्तीय अनुपात आदि का प्रकटन वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा सीएमडी/डीएमडी सहित कर्मचारियों, जो भारत सरकार के अनुसार वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, के पारिश्रमिक के संबंध में कोई परिवर्तनशील वेतन अवधारणा लागू नहीं है. यथा 31 मार्च 2015 को बैंक के रोल पर कर्मचारियों की संख्या 16,555 थी जिनमें 443 कर्मचारी संविदा आधार पर थे तथा अन्य सभी कर्मचारी स्थायी थे. यहां इस बात की भी पुष्टि की जाती है कि पारिश्रमिक बैंक की पारिश्रमिक नीति के अनुसार हैं तथा प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक तथा माध्यिका कर्मचारी के पारिश्रमिक का अनुपात तथा अन्य विवरण ऊपर किए गए प्रकटन के आधार पर हैं तथा ये कंपनी (प्रबंधकीय अधिकारी की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) का अनुपालन में हैं.

महासभा की बैठकें

आपके बैंक की पिछली वार्षिक महासभा (एजीएम) 30 जून 2014 को हुई थी. आईडीबीआई बैंक लि. की वार्षिक महासभाओं का विवरण तालिका 4 में दिया गया है.

तालिका 4 : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की वार्षिक महासभाओं का विवरण

गत तीन वार्षिक महासभाओं के आयोजन का स्थान व समय.	1) 30 जून 2014 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जे. जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 (आपके बैंक की 10वीं वार्षिक महासभा). 2) 04 सितंबर 2013 को अपराह्न 3.30 बजे नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम, वरली, मुंबई- 400 018 (आपके बैंक की 9वीं वार्षिक महासभा). 3) 06 सितंबर 2012 को अपराह्न 3.30 बजे नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम, वरली, मुंबई- 400 018 (आपके बैंक की 8वीं वार्षिक महासभा).

क्या पिछली वार्षिक महासभा में कोई विशेष संकल्प पारित किये गये थे	हां, आपके बैंक की 30 जून 2014 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में (i) बैंक की पूंजी बढ़ाने और इस संबंध में विनिर्दिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने, (ii) धन उधार लेने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने और (iii) बैंक के अंतर्नियम में परिवर्तन के लिए विशेष संकल्प पारित किया गया.
क्या गत वर्ष डाक मतपत्रों के ज़रिए कोई विशेष संकल्प पारित किया गया था - मतदान पद्धति ब्यौरा	हाँ, निजी नियोजन/ सार्वजनिक निर्गम/रिवर्स इन्क्वायरी / एमटीएन कार्यक्रमों के तहत आबंटन के ज़रिए उधार के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अधीन 02 सितंबर 2014 और 05 दिसंबर 2014 को डाक मतदान के ज़रिए दो विशेष संकल्प पारित किए गए.
व्यक्ति, जिसने डाक मतदान का कार्य संचालित किया	मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं. के श्री एस. एन. अनंतसुब्रमणियन, कंपनी सचिव
क्या कोई विशेष संकल्प डाक मतपत्र के माध्यम से पारित करने का प्रस्ताव है	सूचीबद्धता करार के खंड 35 (बी) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार बैंक की आगामी 11वीं महासभा में सदस्यों को वोट देने के लिए ई-वोटिंग सुविधा/कागजी डाक मतदान सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.

डाक मतदान के ज़रिए संकल्प पारित करना

आपके बैंक ने निजी नियोजन/ सार्वजनिक निर्गम/रिवर्स इन्क्वायरी / एमटीएन कार्यक्रमों के तहत आबंटन के ज़रिए उधार के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और अन्य लागू प्रावधानों के अधीन विशेष संकल्प पर डाक मतदान के ज़रिए अपने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की.

डाक मतदान की प्रक्रिया

आपके बैंक ने 2014-15 के दौरान शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए दो बार डाक मतदान प्रक्रिया आयोजित की. पारित किए गए संकल्पों और डाक मतदान की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

	02 सितंबर 2014 को डाक मतदान के ज़रिए पारित किया गया विशेष संकल्प	**05 दिसंबर 2014 को डाक मतदान के ज़रिए पारित किया गया विशेष संकल्प**
मांगे गए अनुमोदन	वित्तीय वर्ष 2014 - 15 या संकल्प पारित होने की तारीख से एक वर्ष के दौरान, जो भी बाद में हो, निजी नियोजन/ सार्वजनिक निर्गम/ रिवर्स इन्क्वायरी / एमटीएन कार्यक्रमों के तहत आबंटन के ज़रिए एक या अधिक श्रृंखलाओं में (i) ₹ 4,000 करोड़ और (ii) 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य तक विदेशी मुद्रा संसाधन जिसमें सीनियर बांड, बासेल III अनुपालित टीयर II बांड / अतिरिक्त टीयर I बांड शामिल हैं, जुटाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को प्राधिकार देने के लिए विशेष संकल्प के ज़रिए शेयरधारकों के अनुमोदन प्राप्त किए गए.	02 सितंबर 2014 को पारित विशेष संकल्प में आंशिक संशोधन के साथ बैंक के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2014 - 15 या इस संकल्प के पारित किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान, जो भी बाद में हो, (i) निजी नियोजन/ सार्वजनिक निर्गम के ज़रिए ₹ 15,000 करोड़ की बढ़ी हुई रुपया उधार सीमा जिसमें सीनियर बांड , इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड, बासेल III अनुपालन युक्त टीयर II बांड / अतिरिक्त टीयर I बांड शामिल हैं, की एक या अधिक श्रृंखलाओं में संग्रहण और (ii) बकाया के समतुल्य यूएसडी 7.5 बिलियन तक के विदेशी मुद्रा संसाधनों के संग्रहण को जारी रखने के लिए प्राधिकार देने हेतु विशेष संकल्प के ज़रिए शेयरधारकों का अनुमोदन लिया गया.

	02 सितंबर 2014 को डाक मतदान के ज़रिए पारित किया गया विशेष संकल्प	05 दिसंबर 2014 को डाक मतदान के ज़रिए पारित किया गया विशेष संकल्प
संवीक्षक	निदेशक मंडल ने दिनांक 04 जुलाई 2014 को संपन्न अपनी बैठक में डाक मतपत्र मतदान प्रक्रिया आयोजित करने के लिए मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियम एंड कं., कंपनी सचिव के श्री एस. एन. अनंतसुब्रमणियम को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया.	निदेशक मंडल ने दिनांक 26 सितंबर 2014 को संपन्न अपनी बैठक में डाक मतपत्र मतदान प्रक्रिया आयोजित करने के लिए मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियम एंड कं., कंपनी सचिव के श्री एस. एन. अनंतसुब्रमणियम को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया.
सूचना की तारीख	07 जुलाई 2014	29 सितंबर 2014
डाक मतदान फार्मों की प्राप्ति की अंतिम तारीख	27 अगस्त 2014	29 नवंबर 2014
संवीक्षक की रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण	संवीक्षक को भौतिक मतपत्र और ई-वोटिंग दोनों के ज़रिए 2545 मतपत्र प्राप्त हुए. डाले गए 1,39,12,45,062 मतों में से 1,39,08,94,847 मत कुल मत का 99.98% संकल्प के पक्ष में और 3,50,215 मत कुल मत का 0.02% संकल्प के विरुद्ध डाले गए.	संवीक्षक को भौतिक मतपत्र और ई-वोटिंग दोनों के ज़रिए 3883 मतपत्र प्राप्त हुए. डाले गए 1,41,95,08,487 मतों में से 1,41,91,46,755 मत कुल मत का 99.97% संकल्प के पक्ष में और 3,61,732 मत कुल मत का 0.03% संकल्प के विरुद्ध डाले गए.
	दिनांक 01 सितंबर 2014 की संवीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार संकल्प अपेक्षित बहुमत से पारित किया गया. मंगलवार दिनांक 02 सितंबर 2014 को अध्यक्ष द्वारा डाक मतदान का परिणाम घोषित किया गया और आपके बैंक, आरटीए, अर्थात् कार्वी और एनएसडीएल की वेबसाइटों पर इसे प्रदर्शित किया गया. इसे स्टॉक एक्सचेंज जहां आपके बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं अर्थात् बीएसई और एनएसई को भी प्रकट किया गया.	दिनांक 04 दिसंबर 2014 की संवीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार संकल्प अपेक्षित बहुमत से पारित किया गया. शुक्रवार दिनांक 05 दिसंबर 2014 को अध्यक्ष द्वारा डाक मतदान का परिणाम घोषित किया गया और आपके बैंक, आरटीए, अर्थात् कार्वी और एनएसडीएल की वेबसाइटों पर इसे प्रदर्शित किया गया. इसे स्टॉक एक्सचेंज जहां आपके बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं अर्थात् बीएसई और एनएसई को भी प्रकट किया गया.
ई-वोटिंग सुविधा	आपके बैंक ने ऊपर उल्लिखित दोनों डाक मतदानों के लिए सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में अपना मतदान करने हेतु एक अन्य विकल्प के रूप में ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की.	

प्रकटन

1 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के दौरान निम्न को छोड़कर, ऐसी किसी भी कंपनी को सहायता प्रदान नहीं की गई, जिसमें आपके बैंक के किसी निदेशक की हितबद्धता हो :

i. ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) - श्री एस. रवि कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक थे. तथापि, ओएनजीसी को एक सरकारी कंपनी होने के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत सहबद्ध उधार प्रावधानों से छूट प्राप्त है.

ii. आईडीबीआई म्यूचुअल फंड (आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लि. द्वारा प्रस्तुत) - श्री एम. एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आईडीबीआई म्यूचुअल फंड के बोर्ड में हैं. तथापि, आईडीबीआई म्यूचुअल फंड आईडीबीआई बैंक लि. की सहायक कंपनी है, इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत सहबद्ध उधार प्रावधानों से छूट प्राप्त है.

iii. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड - श्री एम. एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री बी. के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के बोर्ड में हैं. तथापि, आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड आईडीबीआई बैंक लि. की सहायक कंपनी है, इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत सहबद्ध उधार प्रावधानों से छूट प्राप्त है.

iv. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआईएल)- श्री एम. ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक सीसीआईएल के बोर्ड में हैं. तथापि, सीसीआईएल को सरल निपटान को सुगम बनाने के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा मंजूर की गई है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत सहबद्ध उधार प्रावधानों से छूट प्राप्त है.

2 पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर आपके बैंक पर लगाए गए गैर-अनुपालन, दंड, कटु आलोचना के विवरण निम्नलिखित हैं :

वित्तीय वर्ष 2012-13	शून्य
वित्तीय वर्ष 2013-14	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक ने केवाईसी और एएमएल दिशानिर्देशों संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन करने पर बैंक पर ₹ 10 मिलियन का दंड लगाया. (ii) सेबी ने, वेल्पसन इंडिया लि. के 50 लाख इक्विटी शेयर 22 अप्रैल 2010 को क्यूआईपी माध्यम से खरीदने के लिए सेबी के अधिग्रहण और पीआईटी विनियमों के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रकटन सूचना की प्राप्ति में विलंब के लिए आपके बैंक पर ₹ 2 लाख का दंड लगाया.
वित्तीय वर्ष 2014-15	रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 जुलाई 2014 के अपने आदेश के ज़रिए डेक्कन क्रोनिकल होल्डिंग्स लि. के संबंध में बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹ 15 लाख का दंड लगाया है.

आचार संहिता और सदाचार

आपके बैंक के निदेशक मंडल ने इसके निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए 'आचार संहिता तथा सदाचार' को अपनाया है. सूचीबद्धता करार के खंड 49 की अपेक्षाओं के अनुपालन में आपके बैंक के निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि के बारे में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है :

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा घोषणा

सूचीबद्धता करार के खंड 49 के प्रावधानों के अनुसरण में, सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है.

ह/-
एम.एस. राघवन
(डीआईएन - 05236790)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
10 अप्रैल 2015

भेदिया व्यापार की रोकथाम

सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियमावली 2015, जो 15 मई 2015 से प्रभावी हुई है, की अपेक्षा के अनुसार आपके बैंक ने उचित प्रकटन और भेदिया व्यापार प्रतिषेध हेतु आचरण की व्यापक संहिता तैयार की है. सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियमावली 2015 के विनियम 8(1) एवं (2) के अनुसार बैंक द्वारा तैयार की गई उचित प्रकटन संहिता की सूचना दोनों स्टॉक एक्सचेंजों (एनएसई एवं बीएसई) को दी गई हैं जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं और ये निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट www.idbi.com पर उपलब्ध हैं:

http://www.idbi.com/pdf/investor/Prevention_of_Insider_Trading.pdf

सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

सूचीबद्धता करार के खंड 49 के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित वित्तीय विवरणों और आंतरिक नियंत्रणों पर सीईओ और सीएफओ से प्रमाणन प्राप्त कर बोर्ड को प्रस्तुत किए गए हैं.

सहायक कंपनियां

31 मार्च 2015 को आपके बैंक के पूर्ण स्वामित्ववाली पांच सहायक कंपनियां थीं, जिनके नाम हैं: आईडीबीआई इंटेक लि., आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि, आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि., आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड. आपके बैंक के बोर्ड के किसी भी स्वतंत्र निदेशक को इसकी सहायक कंपनियों के बोर्ड में रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई भी सहायक कंपनी संशोधित खंड 49 के अंतर्गत परिभाषित किये अनुसार तात्विक रूप से असूचीबद्ध सहायक कंपनी नहीं है. बैंक की लेखा परीक्षा समिति वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किये गये निवेशों की समीक्षा करती है. असूचीबद्ध सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त आपके बैंक की बोर्ड बैठकों में नियमित रूप से प्रस्तुत किये जाते हैं.

अनुपालन अधिकारी

श्री पवन अग्रवाल, कंपनी सचिव, अनुपालन अधिकारी हैं. वे परिचालनों का पर्यवेक्षण करते हैं और सचिवालयीन अनुपालनों के संबंध में यह सुनिश्चित करते हैं कि ये परिचालन सेबी विनियमों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता करारों की अपेक्षाओं के अनुरूप हों.

सचिवीय लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं., कंपनी सचिव को बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है. दिनांक 25 अप्रैल 2015 की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है.

सूचना के साधन

आपके बैंक के कामकाज पर विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन अपेक्षित निदेशकों की रिपोर्ट और वार्षिक लेखे शामिल हैं, उपलब्ध कराने के अलावा आपका बैंक अपने शेयरधारकों की जानकारी के लिए नियमित रूप से तिमाही परिणामों को प्रकाशित करता है. इन्हें राष्ट्रव्यापी प्रसार वाले एक अंग्रेजी समाचार पत्र में और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है. उपर्युक्त जानकारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति तथा संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों के समक्ष की गई प्रस्तुतियों के साथ आपके बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर भी उपलब्ध कराई गई है.

ऐसे दस्तावेज, जो वर्णित हैं लेकिन वार्षिक महासभा की सूचना पाने के पात्र व्यक्तियों को नहीं भेजे गये हैं, वार्षिक महासभा की तारीख से 21 दिन पहले से बैंक के पंजीकृत कार्यालय में कार्य समय के दौरान शेयरधारकों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे.

आम शेयरधारकों के लिए सूचना

1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के दौरान शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव तथा शेयरधारकों से संबंधित अन्य सामान्य सूचनाओं का ब्योरा क्रमशः तालिका 5 और तालिका 6 में दिया गया है.

तालिका 5 : आम शेयरधारकों के लिए सूचना

i.	एजीएम की तारीख, समय और स्थान	बुधवार, 12 अगस्त 2015 अपराह्न 3.30 बजे., यशवंत राव चव्हाण केंद्र ऑडिटोरियम, जन. जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400021
ii.	वित्तीय वर्ष	01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015
iii.	कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित सूची बद्धता करार के खंड 35बी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार ई-वोटिंग अवधि.	ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 8 अगस्त 2015 को भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न 12.00 बजे से प्रारंभ होगी और मंगलवार, 11 अगस्त 2015 को भारतीय मानक समय के अनुसार शाम 5.00 बजे समाप्त होगी. जिन सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है उनके लिए कागजी वोटिंग अवधि, डाक मतदान के ज़रिए मंगलवार, 11 अगस्त 2015 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी.
iv.	लेखाबहियों के बंद रहने की तारीख	6 से 12 अगस्त 2015 (दोनों दिनों सहित)
v.	लाभांश वारंट प्रेषण की तारीख	बुधवार, 2 सितंबर 2015
vi.	लाभांश भुगतान की तारीख	बुधवार, 9 सितंबर 2015
vii.	स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता	बीएसई लि. (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई)
viii.	स्टॉक कोड/प्रतीक	बीएसई - 500116, एनएसई - आईडीबीआई

ix.	रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट	कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., यूनिट : आईडीबीआई इक्विटी, कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद - 500032.
x.	शेयर अंतरण प्रणाली	शेयर अंतरण कार्यपालक निदेशक / मुख्य महा प्रबंधक की आंतरिक समिति द्वारा साप्ताहिक आधार पर अनुमोदित किए जाते हैं.
xi.	वित्तीय कैलेंडर	01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 : 1) 30 जून 2014 को समाप्त तिमाही के परिणाम 06 अगस्त 2014 को अनुमोदित किए गए. 2) 30 सितंबर 2014 को समाप्त तिमाही / छमाही के परिणाम 31 अक्तूबर 2014 को अनुमोदित किए गए. 3) 31 दिसंबर 2014 को समाप्त तीसरी तिमाही / नौ महीने के परिणाम 06 फरवरी 2015 को अनुमोदित किए गए. 4) 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित परिणाम 26 मई 2015 को अनुमोदित किए गए.
xii.	प्रॉक्सी फॉर्म प्राप्त होने की अंतिम तारीख	बुधवार, 10 अगस्त 2015 को अपराह्न 3.30 बजे तक
xiii.	तिमाही परिणामों पर विचार करने के लिए बोर्ड की बैठक	संबंधित तिमाही के समापन से 45 दिनों के भीतर और वार्षिक लेखापरीक्षित परिणाम हेतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर.
xiv.	गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा धारित शेयरों तथा परिवर्तनीय लिखतों की संख्या	यथा 31 मार्च 2015 को श्री एस. रवि स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक के पास आईडीबीआई बैंक लि. के 200 शेयर थे.

आईडीबीआई के शेयरों का एनएसई और बीएसई में सक्रिय रूप से कारोबार होता है. एक्सचेजों के पास सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के संदर्भ में वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क आज की तारीख तक अदा किया जा चुका है.

तालिका 6: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) और बीएसई लि. (बीएसई) में आईडीबीआई बैंक लि. के शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव : अप्रैल 2014 - मार्च 2015 (₹)

	एनएसई		बीएसई			एनएसई		बीएसई	
माह	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	माह	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल 2014	69.30	64.10	69.30	64.10	अक्तूबर 2014	70.60	60.00	70.55	60.05
मई 2014	97.85	66.25	97.65	66.25	नवंबर 2014	73.90	68.10	73.80	68.20
जून 2014	112.70	97.30	112.75	97.10	दिसंबर 2014	73.40	65.20	73.45	65.25
जुलाई 2014	108.00	88.20	107.90	88.35	जनवरी 2015	76.95	70.80	76.90	70.80
अगस्त 2014	91.40	75.95	91.25	76.10	फरवरी 2015	76.25	64.30	76.25	64.35
सितंबर 2014	80.05	59.50	80.05	60.10	मार्च 2015	81.95	70.10	81.95	70.00

शेयरधारिता का स्वरूप - यथा 31 मार्च 2015

मार्च 2015 के अंत में आपके बैंक के शेयरधारकों की प्रमुख श्रेणियों द्वारा शेयरधारिता के ब्योरे और वितरण अनुसूची नीचे तालिका 7 और तालिका 8 में दिए गए हैं.

तालिका 7 : 31 मार्च 2015 के अंत में शेयरधारिता का स्वरूप

शेयरधारकों की श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
भारत सरकार	1,22,70,18,622	76.50%
कर्मचारी	9,94,266	0.06%
जनता	11,91,30,933	7.43%
हिन्दू अविभाजित परिवार	32,86,637	0.20%
कंपनी निकाय	1,92,10,597	1.20%
संस्थाएं		
अ) बैंक	33,53,050	0.21%
आ) विदेशी संस्थागत निवेशक	5,35,69,666	3.34%
इ) राज्य वित्त निगम	35,680	0.00%
ई) वित्तीय संस्थाएं	1,44,09,594	0.90%
उ) म्यूचुअल फंड	11,27,016	0.07%
सोसायटी	28,960	0.00%
न्यास	11,57,182	0.07%
बीमा कंपनियां	15,47,03,233	9.65%
अनिवासी भारतीय	53,82,015	0.34%
निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) एवं उनके रिश्तेदार		
(i) श्री बी.के. बत्रा, उप प्रबंध निदेशक	1,001	0.00%
(ii) श्री एम.ओ. रेगो, उप प्रबंध निदेशक	460	0.00%
(iii) श्री एस. रवि, स्वतंत्र निदेशक	200	0.00%
(iv) श्री एन.एस. वेंकटेश, सीएफओ	160	0.00%
एनएसडीएल (अंतरणाधीन)	5,48,333	0.03%
पात्र विदेशी निवेशक	0	0.00%
कुल योग	**1,60,39,57,605**	**100.00%**

तालिका 8 : 31 मार्च 2015 के अंत में वितरण अनुसूची

क्रम सं.	श्रेणी		शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों में %	राशि (₹)	कुल राशि में %
	से	तक				
1	1	5000	3,71,271	90.78%	56,60,03,700.00	3.53%
2	5001	10000	22,305	5.45%	17,26,02,760.00	1.08%
3	10001	20000	9,019	2.21%	13,37,16,210.00	0.83%
4	20001	30000	2,389	0.58%	6,09,68,720.00	0.38%
5	30001	40000	1,104	0.27%	3,95,68,710.00	0.25%
6	40001	50000	790	0.19%	3,73,92,530.00	0.23%
7	50001	100000	1,143	0.28%	8,42,28,120.00	0.53%
8	10001 और अधिक		962	0.24%	14,94,50,95,300.00	93.18%
कुल			**4,08,983**	**100.00%**	**16,03,95,76,050.00**	**100.00%**

शेयर अंतरण प्रणाली एवं निवेशक शिकायत समाधानः

शेयर अंतरण प्रक्रिया को गति प्रदान करने के उद्देश्य से अंतरण ज्ञापन (एमओटी) को साप्ताहिक आधार पर अनुमोदित करने के लिए कार्यपालक निदेशक / मुख्य महा प्रबंधक की आंतरिक समिति गठित की गई है.

1 अप्रैल 2014 को निवेशकों से 216 शिकायतें निवारण के लिए लंबित थीं. 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के दौरान आपके बैंक के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंटों को शेयरधारकों/निवेशकों से कुल 9,973 शिकायतें प्राप्त हुईं. वर्ष के दौरान सभी 10,188 शिकायतों का निवारण किया गया और 31 मार्च 2015 को 1 शिकायत का निवारण लंबित था.

शेयरों के संबंध में 1 अप्रैल 2014 को अंतरण के लिए कोई भी मामला लंबित नहीं था. 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के दौरान आपके बैंक के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंटों को शेयरों के अंतरण के लिए 948 अनुरोध प्राप्त हुए. वर्ष के दौरान शेयरों के अंतरण से संबंधित सभी 948 अनुरोधों पर कार्रवाई की गई और 31 मार्च 2015 को कोई भी अनुरोध लंबित नहीं था.

अदावी उचंत खाते में इक्विटी शेयर

सूचीबद्धता करार के खंड 5ए(I) के अनुसार आपका बैंक अदावी उचंत खाते में पड़े इक्विटी शेयरों के संदर्भ में निम्न ब्योरे रिपोर्ट कर रहा हैः

अदावी उचंत खाते के ब्योरों का प्रकटन (सूचीबद्धता करार के खंड 5ए के अधीन)

क्रम सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
(i)	दिनांक 1 अप्रैल 2014 को अदावी उचंत खाते में बकाया पड़े शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	4,946	8,86,154
(ii)	दिनांक 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के दौरान अदावी उचंत खाते से शेयरों का अंतरण करवाने के लिए बैंक से संपर्क करनेवाले शेयरधारकों की संख्या	48	10,220
(iii)	उन शेयरधारकों की संख्या, जिनके शेयर दिनांक 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के दौरान अदावी उचंत खाते से अंतरित किए गए	48	10,220
(iv)	दिनांक 31 मार्च 2015 को अदावी उचंत खाते में बकाया पड़े शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	4,898	8,75,934

तालिका 9 : डिमटेरियलाइजेशन का विवरण तथा पत्राचार के लिए पता

शेयरों का डिमटेरियलाइजेशन और चलनिधि

शेयरधारिता का स्वरूप	शेयरधारकों की संख्या	शेयर	प्रतिशत
कागजी रूप में	72,243	1,71,82,911	1.07%
एनएसडीएल (डीमटेरियलाइज़्ड)	2,28,985	32,81,61,187	20.46%
सीडीएसएल (डीमटेरियलाइज़्ड)	1,07,755	1,25,86,13,507	78.47%
कुल	**4,08,983**	**1,60,39,57,605**	**100.00%**

बकाया जीडीआर/एडीआर/ वारंट अथवा परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख तथा इक्विटी पर संभावित प्रभाव	आईडीबीआई बैंक लि. ने जीडीआर/ एडीआर/ वारंट आदि जारी नहीं किए हैं.
प्लांट का स्थान	लागू नहीं. तथापि, बैंक की शाखाओं के स्थान के बारे में जानकारी बैंक की वेबसाइट (www.idbi.com) पर उपलब्ध है.
पत्राचार के लिए पता	**आईडीबीआई बैंक लि.** सीआईएन - L65190MH2004GOI148838 इक्विटी कक्ष- बोर्ड विभाग, आईडीबीआई बैंक लि., 20वीं मंज़िल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 फोन- 022 - 66552779, 66553062, 66552620 फैक्स - 022 - 2218 23 52 ई-मेल - idbiequity@idbi.co.in वेबसाइट - www.idbi.com **रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट** कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद - 500 032 फोन : (040) 33211500 टोल फ्री नंबर: 1-800-3454001 फैक्स नं. : (040) 23420814 ई-मेल : einward.ris@karvy.com
सहायक कंपनियों के पंजीकृत कार्यालयों के पते	**आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लिमिटेड** तीसरी मंजिल, मफतलाल सेंटर, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021 **आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड** आईडीबीआई बिल्डिंग, पहली मंज़िल, प्लॉट नं. 39-41, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400 614 **आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड** आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 **आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड** आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 **आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड** एशियन बिल्डिंग, तल मंज़िल, 17, आर. कामानी मार्ग, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई - 400 001

खंड 49 की अनिवार्य / गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति

बैंक ने सूचीबद्धता करार के संशोधित खंड 49 में दी गई सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को निर्दिष्ट प्रारूप में कॉरपोरेट अभिशासन पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहा है. खंड 49 के अंतर्गत दी गई गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं के संदर्भ में स्थिति निम्नलिखित हैः

क्रम सं.	गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं	स्थिति
1.	एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष को कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष कार्यालय को बनाए रखने का अधिकार होगा और उन्हें उनके द्वारा दायित्व के निर्वहन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति भी प्राप्त होगी.	12 अगस्त 2015 को आगामी एजीएम में अंतर्नियम 116(1) (ए) में संशोधन कर एमडी एवं सीईओ के अलावा अध्यक्ष का एक अलग पद सृजित किया जा रहा है.
2.	पिछले 6 महीनों की महत्वपूर्ण घटनाओं के संक्षिप्त विवरण सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्द्धवार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयरधारक के घर भेजी जाए.	बोर्ड के अनुमोदन के तुरंत बाद शेयर धारकों और अन्य अंशधारकों की जानकारी टके लिए तिमाही और अर्द्धवार्षिक वित्तीय परिणामों को समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है और साथ ही स्टॉक एक्स्चेंज के माध्यम से प्रसारित किया जाता है.
3.	बैंक अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरण व्यवस्था की ओर अग्रसर हो सकता है.	बैंक की लेखापरीक्षक रिपोर्टों को अनक्वालिफाइड रखना जारी रखा गया है.
4.	कंपनी द्वारा अध्यक्ष और एमडी/सीईओ पद के लिए अलग-अलग व्यक्ति की नियुक्ति की जाए.	भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में 12 अगस्त 2015 को होने वाली आगामी एजीएम में संस्था के अंतर्नियम के अंतर्नियम 116(1)(ए) में संशोधन करके वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद को दो पदों अर्थात् एक अध्यक्ष व एक प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (एमडी सीईओ) में पृथक करने का प्रस्ताव है.
5.	आंतरिक लेखापरीक्षक द्वारा सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करना.	आंतरिक लेखापरीक्षक श्री उमेश जैन, मुमप्र एसीबी को रिपोर्ट करते हैं.

फॉर्म सं. एमआर-3
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम सं.9 के अनुसरण में]

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई - 400 005.

हमने **आईडीबीआई बैंक** लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंपनी कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉरपोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है. सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार संचालित की गई है जिससे हमें कॉरपोरेट आचरणों/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उन पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त आधार मिल सका.

कंपनी की बहियों, कागज़ात, कार्यवृत्त बहियों, दाखिल किए गए फार्मों एवं विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड और सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों के सत्यापन के आधार पर हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने **31 मार्च 2015** को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही कंपनी के पास इसमें इसके पश्चात् की गई रिपोर्टिंग के विस्तार तक, उसी प्रकार से और उसके अध्यधीन उपयुक्त बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-प्रणाली हैः

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागज़ात, कार्यवृत्त बहियों, फाइल किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा अन्य रिकार्डों की जांच की है :

i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम,1956 ('एससीआरए') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;

iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके अधीन तैयार की गई विनियमावली तथा उप-विधियों;

iv. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारों के विस्तार तक इसके अधीन बनाए गए नियम तथा विनियमन;

v. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन विनिर्दिष्ट निम्नलिखित विनियमन तथा दिशानिर्देश :-

  क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियमन, 2011;

  ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियमन, 1992;

  ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2009;

  घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999/ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014 (28 अक्तूबर 2014 से प्रभावी);

ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियमन, 2008;

च. कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक के साथ व्यवहार के बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियमन, 1993.

(लागू नहीं क्योंकि कंपनी समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के रूप में पंजीकृत नहीं है).

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियमन, 2009;

(लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किसी शेयर बाजार से अपने इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध नहीं किया है).

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियमन, 1998;

(लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी किसी प्रतिभूति की वापसी-खरीद नहीं की है).

vi. कंपनी पर विशेष रूप से लागू नियम निम्नानुसार हैं:

1. बैंकर्स बही साक्ष्य अधिनियम, 1891;
2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा बैंककारी कंपनी नियम, 1949 (समय-समय पर यथा संशोधित)
3. बैंककारी कंपनी (अभिलेखों के परिरक्षण की अवधि) नियम, 1985;
4. फेमा नियम, विनियम व समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं;
5. धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 तथा धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण, आदि) नियम, 2005;
6. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934;
7. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002.
8. बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को देय ऋण वसूली अधिनियम, 1993.
9. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007.

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक.

(लागू नहीं क्योंकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिसूचित नहीं किया गया था).

(ii) कंपनी द्वारा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए सूचीबद्धता करार;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित के अधीन ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का पालन किया है :

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुपालन में विचलन के लिए 15 लाख रुपये का दंड लगाया है,

(हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि) : -

कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए.

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों के आयोजन के संबंध में कम से कम नौ दिन पहले पर्याप्त सूचना दी गई, कार्य-सूची और कार्य-सूची पर विस्तृत नोट काफी समय पहले भेजे गए. बैठकों से पहले कार्य-सूची मदों पर अन्य जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने तथा लेने के लिए और बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए व्यवस्था मौजूद है.

बहुमत का निर्णय माना जाता है तथापि असहमत सदस्यों के विचारों, यदि कोई हों, को कार्यवृत्त के भाग के रूप में शामिल और दर्ज किया जाता है.

(हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि) लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और परिचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं.

- जैसा सूचित किया गया है, कंपनी ने विभिन्न सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई मांग, दावा, दंड के नोटिसों का उत्तर दिया है और जहां आवश्यक पाया गया है वहाँ सुधारात्मक उपायों के लिए कार्रवाई की है.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान :

1. सदस्यों ने 30 जून 2014 को आयोजित वार्षिक महासभा में विशेष संकल्प द्वारा बोर्ड को समय-समय पर कोई भी राशि या राशियां उधार लेने के लिए प्राधिकृत किया है, बशर्ते कि इस प्रकार उधार ली गई कुल राशि ₹ 1,25,000 करोड़ (एक लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपए मात्र) से अधिक न हो.
2. 30 जून 2014 को आयोजित वार्षिक महासभा में कंपनी की संस्था के अंतर्नियम को विशेष संकल्प द्वारा संशोधित किया गया है.

कृते एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं.

एस. एन. अनंतसुब्रमणियन

एफसीएस नं. 4206

सी पी नं. 1774

दिनांक : 25 अप्रैल 2015

स्थान : ठाणे

प्रति,

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण,
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई-400005

इस दिनांक की हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए.

प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. कंपनी का प्रबंधन सचिवीय अभिलेखों को तैयार करने एवं उनके अनुरक्षण और लागू विधिक व विनियामक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित व्यवस्थाएं बनाने के लिए जिम्मेदार है.

2. यह कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण करें, लागू विधिक व विनियामक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित व्यवस्थाएं बनाए और सुनिश्चित करे कि व्यवस्थाएं उचित हों और इनका परिचालन प्रभावी हो.

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों, सचिवीय अनुपालनों के संबंध में कंपनी द्वारा पालन किए गए मानकों एवं प्रक्रियाओं के बारे में अपनी राय प्रकट करना है.

4. हमें विश्वास है कि कंपनी प्रबंधन से हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और जानकारियां हमारी राय के लिए तर्कसंगत आधार प्रदान करने के लिए समुचित एवं पर्याप्त हैं.

5. जहां भी आवश्यक है, हमने विधियों, नियमों व विनियामकों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने के बारे में प्रबंधन का वक्तव्य लिया है.

दावात्याग

6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों को जिस प्रभावोत्पादकता या प्रभावी तरीके से चलाया जा रहा है, उसका आश्वासन है.

कृते एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं.

एस. एन. अनंतसुब्रमणियन
एफसीएस क्र. 4206
सीपी क्र. 1774

दिनांकः 25 अप्रैल 2015
स्थानः ठाणे

Auditor's Report on Corporate Governance

Khimji Kunverji & Co.
Chartered Accountants
Sunshine Tower, Level 19,
Senapati Bapat Marg,
Elphinstone Road,
Mumbai - 400 013, India
T: +91 22 2439 1111
E: info@kkc.in

G. D. Apte & Co.
Chartered Accountants
GDA House, Plot No.85,
Bhusari Colony (Right)
Paud Road,
Pune - 411 038, India
T: +91 20 2528 0081
E: audit@gdca.com

To,
The Members of
IDBI Bank Limited

We have examined the Compliance of the conditions of Corporate Governance by IDBI Bank Limited (hereinafter referred to as Bank) for the year ended March 31, 2015 as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement of the said Bank with Stock Exchange of India.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to a review of the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance with the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given and representations made by the Directors and the Management, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **Khimji Kunverji & Co**
Chartered Accountants
FRN – 105146W

Gautam V Shah
Partner (F – 117348)

For **G. D. Apte & Co**
Chartered Accountants
FRN – 100515W

Saurabh S Peshwe
Partner (F – 121546)

Place: Mumbai
Date : 26 May 2015

Corporate Governance Report

Philosophy of corporate governance

Your Bank is committed to upholding the highest standards of Corporate Governance in its operations. Its policies and practices are not only in line with the statutory requirement, but also reflects its commitment to operate in the best interest of its stakeholders. The responsibility for maintaining high governance standards lies with your Bank's Board of Directors and various Board Committees, which are empowered to monitor the implementation of best Corporate Governance practices, including making of necessary disclosures within the framework of legal and regulatory provisions and banking conventions.

In this direction, your Bank is committed to ensure that the Bank's Board of Directors continues to be constituted according to the prescribed norms, meets regularly according to the prescribed frequency, provides effective leadership, exercises control over the management, monitors executive performance and makes appropriate disclosures. Besides, the other policy directives of your Bank are to establish strategic control framework and continuously review its efficacy; set up clearly documented and transparent management processes to develop, implement and review policies, take decisions, monitor, control and report. Your Bank provides free access of relevant information and resources to the Board, enabling it to carry out its role effectively.

Board of Directors

Your Bank's Board of Directors is broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, 2013, the Articles of Association of your Bank and the requirements of corporate governance, as envisaged in clause 49 of the Listing Agreement. The Board functions directly as well as through various Board Committees constituted to provide focused governance in the important functional areas of your Bank.

As on March 31, 2015, the Board comprised of eight Directors, including Chairman and Managing Director (CMD), two Deputy Managing Directors (DMDs), one Non-Executive Director and four Independent Directors. Shri M. S. Raghavan, Chairman and Managing Director as Executive Director, Shri B. K. Batra and Shri M. O. Rego, Deputy Managing Directors as Executive Directors, Ms. Snehlata Shrivastava, Central Government official nominee as Non-Executive Director, Shri P. S. Shenoy, Shri S. Ravi, Shri Ninad Karpe and Shri Pankaj Vats as Independent Directors constituted the Board as on March 31, 2015.

As per the Government of India's directives, it is proposed to separate the post of CMD into two posts of a Chairman and a Managing Director & CEO by amendment of Article 116(1) (a) at the ensuing AGM.

Relationship between Directors inter-se

No Director on your Bank's Board is related to any other Director.

Board Meetings

During the period (April 01, 2014 – March 31, 2015), twelve Board Meetings were held on April 30, 2014, June 7, 2014, July 4, 2014, August 6, 2014, September 5, 2014, September 26, 2014, October 31, 2014, December 13, 2014, December 29, 2014, February 6, 2015, March 4, 2015 and March 28, 2015. Out of these, two meetings of July 4, 2014 and March 28, 2015 were held in New Delhi and Hyderabad, respectively, and all other meetings were held in Mumbai.

Details in respect of each Director of your Bank regarding their attendance at Board Meetings, their attendance at the last Annual General Meeting (AGM), their directorships in other companies and their memberships of committees are given in Table 1.

Table 1: Directors' Attendance at the Board Meetings & AGM and their Directorships & Committee Memberships

Name of Director	Attendance at your Bank's Board Meetings (Total No. of Meetings held - 12)	Attendance at the last AGM held on June 30, 2014	Directorships in other companies (other public companies)	ACB/SRC Memberships/ (Chairmanships) in other Companies
1	2	3	4	5
Whole Time Directors				
Shri M. S. Raghavan, CMD (DIN-05236790)	12 (12)	Present	6 (5)	0
Shri B. K. Batra, DMD (DIN-00015732)	11 (12)	Present	3 (3)	2 (0)
Shri M. O. Rego, DMD (DIN-00292670)	12 (12)	Present	1 (1)	0
Non Executive Directors				
Ms. Snehlata Shrivastava (DIN- 06478173)	10 (12)	Not Present	1 (1)	1 (0)
Independent Directors				
Shri Subhash Tuli (till July 21, 2014) (DIN-02203423)	2 (3)	Present	0	0
Shri P. S. Shenoy (DIN-00108547)	12 (12)	Present	3 (3)	3 (1)
Shri S. Ravi (DIN- 00009790)	12 (12)	Present	10 (8)	7 (4)
Shri Ninad Karpe (DIN- 00030971)	8 (12)	Present	5 (4)	3 (1)
Shri Pankaj Vats (DIN-06712380)	12 (12)	Present	0	0

Figures in parentheses in column 4 indicate directorships in Public Companies and in column 5 indicate chairmanships of committees.

A. Board Committees

The Board has a total of sixteen committees, namely:

- Audit Committee of the Board
- Business Review Committee
- Executive Committee
- Stakeholders' Relationship Committee
- Frauds Monitoring Committee
- Risk Management Committee
- Corporate Social Responsibility Committee
- Non-Cooperative Borrowers' Review Committee
- Customer Service Committee
- Information Technology Committee
- Remuneration Committee
- Nomination Committee
- HR Steering Committee
- Recovery Review Committee
- Independent Directors' Committee
- Wilful Defaulters' Review Committee

1. Audit Committee of the Board (ACB)

Composition and brief terms of reference

As on March 31, 2015, Audit Committee of the Board (ACB) comprised of six members with one Executive Director/Whole-Time Director (DMD), Government Director and four Independent Directors. Shri S. Ravi, a Chartered Accountant and an Independent Director, was the Chairman of the Audit Committee and Shri B. K. Batra, DMD, Ms. Snehlata Shrivastava, Government Director, Shri P. S. Shenoy, Shri Ninad Karpe and Shri Pankaj Vats were the other members. Shri M.O. Rego, DMD, was the Permanent Special Invitee on the ACB. The role and powers of the ACB are in line with the provisions of the Companies Act, 2013, relevant RBI guidelines and revised Clause 49 of the Listing Agreement enumerated hereunder:

Powers of Audit Committee

1. Can investigate any activity within its terms of reference.
2. Can seek information from any employee.

3. Can obtain outside legal or other professional advice, wherever required.
4. Can secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

Role of Audit Committee

1. Oversees the Bank's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible;
2. Recommends the appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of the company;
3. Approves payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors;
4. Reviews the Annual Financial Statements and Auditors' Report thereon with the management, before submission to the Board for approval, with particular reference to:
    a. Matters required to be included in the Director's Responsibility Statement which needs to be a part of the Board's report in terms of clause (c) of sub-section 3 of Section 134 of the Companies Act, 2013;
    b. Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
    c. Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by the management;
    d. Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
    e. Compliance with listing and other legal requirements relating to financial statements;
    f. Disclosure of any related party transactions;
    g. Qualifications in the draft Audit Report.
5. Reviews the quarterly financial statements with the management before submission to the Board for approval;
6. Reviews the statement of uses / application of funds raised through an issue (public issue, rights issue, preferential issue, etc.), the statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document / prospectus / notice and the report submitted by the monitoring agency monitoring the utilisation of proceeds of a public or rights issue with the management and makes appropriate recommendations to the Board to take up steps in this matter;
7. Reviews and monitors the auditor's independence and performance and effectiveness of the audit process;
8. Approves transactions of the company with related parties;
9. Scrutinizes inter-corporate loans and investments;
10. Undertakes valuation of undertakings or assets of the company, wherever it is necessary;
11. Evaluates internal financial controls and risk management systems;
12. Reviews performance of statutory and internal auditors and adequacy of the internal control systems with the management;
13. Reviews the adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure coverage and frequency of internal audit;
14. Discusses with the internal auditors any significant findings and follow up thereon;
15. Reviews the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board;
16. Discusses the nature and scope of audit with statutory auditors before the audit commences and also holds post-audit discussion to ascertain any area of concern;
17. Looks into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors;
18. Reviews the functioning of the vigil mechanism;
19. Approves the appointment of CFO (i.e., the whole-time Finance Director or any other person heading the finance function or discharging that function) after assessing the qualifications, experience and background, etc. of the candidate;
20. Carries out any other function as is mentioned in the terms of reference of the Audit Committee.

Review of information by Audit Committee

1 Management Discussion and Analysis of the financial condition and results of operations.

2 Statement of significant related party transactions (as defined by the audit committee), submitted by the management.

3 Management letters / letters of internal control weaknesses issued by the statutory auditors.

4 Internal audit reports relating to internal control weaknesses.

5 The appointment, removal and terms of remuneration of the Chief Internal Auditor shall be subject to review by the Audit Committee.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2014 – March 31, 2015), the ACB met eleven times on April 30, 2014, June 7, 2014, July 19, 2014, August 6, 2014, September 5, 2014, September 26, 2014, October 31, 2014, December 29, 2014, January 9, 2015, February 6, 2015 and March 4, 2015.

2. Business Review Committee (BRC)

Composition and brief terms of reference

The Business Review Committee (BRC) is constituted to have focused discussion on review and reporting items and items for information that have been previously submitted to the Board, apart from ratifying/ approving select items of agenda. The Board observes and records the discussions held on these items while noting the minutes of BRC meetings. The Committee's functions also include discussion of the review items (including calendar reviews) which are submitted for information and does not involve any approval/ ratification/ strategy and items which are submitted for reporting other than secretarial reportings. As on March 31, 2015, the BRC comprised of six members with three Executive Directors and three Independent Directors. Shri M. S. Raghavan, CMD was the Chairman of the Committee with S/Shri B. K. Batra, DMD, M. O. Rego, DMD, P. S. Shenoy, S. Ravi and Pankaj Vats as members.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2014 – March 31, 2015), seven meetings of the BRC were held on April 15, 2014, May 15, 2014, July 14, 2014, October 16, 2014, November 25, 2014, January 20, 2015 and February 25, 2015.

3. Executive Committee (EC)

Composition and brief terms of reference

Apart from the Board and BRC, your Bank has an Executive Committee (EC) to take into account the matters including approvals of loans and advances, modifications, etc and other than policies and those specifically required to be considered by the Board. It also considers exercising such other powers as delegated to it by the Board. As on March 31, 2015, the Executive Committee comprised of six members with three Executive Directors and three Independent Directors. Shri M. S. Raghavan, CMD was the Chairman of the Committee and S/Shri B. K. Batra, DMD, M. O. Rego, DMD, P. S. Shenoy, S. Ravi and Ninad Karpe were the members.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2014 – March 31, 2015), twenty five meetings of the Executive Committee were held on April 15, 2014, April 30, 2014, May 15, 2014, June 7, 2014, June 16, 2014, June 30, 2014, July 14, 2014, August 6, 2014, September 5, 2014, September 26, 2014, October 16, 2014, October 31, 2014, November 25, 2014, December 10, 2014, December 20, 2014, December 24, 2014, December 29, 2014, January 9, 2015, January 20, 2015, January 30, 2015, February 10, 2015, February 25, 2015, March 10, 2015, March 19, 2015 and March 27, 2015.

4. Stakeholders' Relationship Committee (SRC)

Composition and brief terms of reference

As on March 31, 2015, the Stakeholders' Relationship Committee (SRC) of your Bank comprised of four members with two Executive Directors and two Independent Non-Executive Directors, viz., S/Shri Pankaj Vats, an Independent Non-Executive Director as the Chairman, B. K. Batra, DMD, M. O. Rego, DMD and S. Ravi as members. The Committee has been constituted to look into the redressal of shareholders' and investors' grievances pertaining to share transfers, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividend and so on.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2014 – March 31, 2015), four SRC meetings were held on June 7, 2014, September 5, 2014, November 25, 2014 and February 25, 2015.

5. Frauds Monitoring Committee(FMC)

Composition and brief terms of reference

A Frauds Monitoring Committee (FMC) had been set up in your Bank to detect, monitor and address frauds. As on March 31, 2015, the Committee comprised of five members with Shri M. S. Raghavan, CMD as the Committee's Chairman and Shri B. K. Batra, DMD, Shri M. O. Rego, DMD, Shri S. Ravi and Shri Ninad Karpe as its members.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2014 – March 31, 2015), nine meetings of the FMC were held on April 30, 2014, June 7, 2014, July 14, 2014, August 6, 2014, September 26, 2014, November 25, 2014, December 10, 2014, December 29, 2014 and January 30, 2015.

6. Risk Management Committee(RMC)

Composition and brief terms of reference

The Risk Management Committee (RMC) of the Board consisted of four members, as on March 31, 2015, viz., S/Shri P. S. Shenoy, Chairman, B. K. Batra, DMD, M. O. Rego, DMD, and Ninad Karpe as its members. The Committee assesses various risks associated with your Bank's business, their mitigation and also addresses the issues related to asset liability mismatch. The Committee also monitors and reviews the Risk Management Plan of your Bank.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2014 – March 31, 2015), the RMC held five meetings on May 15, 2014, June 16, 2014, September 5, 2014, December 20, 2014 and February 25, 2015.

7. Corporate Social Responsibility Committee (CSRC)

Composition and brief terms of reference

In terms of Section 135 of the Companies Act, 2013, a Corporate Social Responsibility (CSR) Committee of the Board has been constituted. As on March 31, 2015, the Committee comprised of Shri M. S. Raghavan, CMD as the Committee's Chairman and Shri B. K. Batra, DMD, Shri M. O. Rego, DMD, Shri Ninad Karpe and Shri Pankaj Vats as its members.

The primary responsibilities of the CSR Committee are:

a) To formulate and recommend, to the Board, a Corporate Social Responsibility Policy which shall indicate the activities to be undertaken by the Bank as specified in Schedule VII of the Companies Act, 2013;

b) To recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities referred to in clause (a); and

c) To monitor the Corporate Social Responsibility Policy of the Bank from time to time.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2014 – March 31, 2015), one meeting of the CSR Committee was held on October 16, 2014.

8. Customer Service Committee(CSC)

Composition and brief terms of reference

To look into the customer grievances and effectively service customers in the retail banking segment, a Customer Service Committee (CSC) was set up by your Bank. As on March 31, 2015, it comprised of five members with Shri M. S. Raghavan, CMD as the Chairman and Shri B. K. Batra, DMD, Shri M. O. Rego, DMD, Ms. Snehlata Shrivastava, Government Director and Shri P. S. Shenoy as its members.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2014 – March 31, 2015), four meetings of the Customer Service Committee were held on April 30, 2014, August 6, 2014, October 31, 2014 and February 6, 2015.

9. Information Technology Committee (ITC)

Composition and brief terms of reference

Your Bank established an Information Technology Committee (ITC) to put in place an effective technology platform in the Bank. The objectives were to render various services to the clients; to help in streamlining the approach; to assist in launching new products and to provide services. The Committee consisted of five members with Shri Ninad Karpe, belonging to I.T. Industry, as Chairman and Shri B. K. Batra, DMD, Shri M. O. Rego, DMD, Shri P. S. Shenoy and Shri Pankaj Vats as its members.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2014 – March 31, 2015), four meetings of the Information Technology Committee were held on June 16, 2014, September 26, 2014, December 10, 2014 and February 25, 2015.

10. Remuneration Committee (RC)

Composition and brief terms of reference

According to the directives of the Government of India and requirements of the Companies Act, 2013, a Remuneration Committee (RC) has been set up to consider and approve the payment of annual performance-linked incentives to the CMD and DMDs. The Remuneration Committee also fulfills the mandate/terms of reference provided under Section 178 of the Companies Act, 2013. As on March 31, 2015, it comprised of four members with Ms. Snehlata Shrivastava, Government Director, as the Chairperson and Shri P. S. Shenoy, Shri S. Ravi and Shri Ninad Karpe as the members.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2014 – March 31, 2015), one meeting of the Remuneration Committee was held on June 7, 2014

11. Nomination Committee (NC)

Composition and brief terms of reference

In compliance with the guidelines issued by RBI, a Nomination Committee (NC) was constituted to undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing directors elected and the persons to be elected as directors by shareholders other than the Central Government and Central Government banks and institutions, consisting of a minimum of three directors (all Independent/ Non-Executive Directors) from among the Board of

Directors. The Nomination Committee also fulfills the mandate/terms of reference provided under Section 178 of the Companies Act, 2013. As on March 31, 2015, the Nomination Committee consisted of four members, namely Shri P. S. Shenoy as the Chairman, Shri S. Ravi, Shri Ninad Karpe and Shri Pankaj Vats as the members.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2014 – March 31, 2015), one meeting of the Nomination Committee was held on June 7, 2014.

12. H R Steering Committee(HRSC)

Composition and brief terms of reference

As per the Government of India's directives, the HR Steering Committee (HRSC) has been constituted to deal with the matters related to human resources, namely:

- Policies pertaining to recruitment and training;
- Performance management, compensation and career development initiatives;
- Management development and succession planning;
- Alignment of the HR strategy to the business strategy and plan.

As on March 31, 2015, the Committee consisted of five members, namely Shri M. S. Raghavan, CMD as the Chairman, Shri B. K. Batra, DMD, Shri M. O. Rego, DMD, Ms. Snehlata Shrivastava, Government Director and Shri P. S. Shenoy as members.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2014 – March 31, 2015), three meetings of the HR Steering Committee were held on September 5, 2014, February 6, 2015 and March 28, 2015.

13. Recovery Review Committee(RRC)

Composition and brief terms of reference

According to the Government of India's directives/ Board's recommendation, Recovery Review Committee (RRC) has been constituted for reviewing NPAs, stressed accounts, written-off cases, OL cases, DRT cases, and so on. As on March 31, 2015, the Recovery Review Committee comprised of six members, namely Shri M. S. Raghavan, CMD as the Chairman, Shri B. K. Batra, DMD, Shri M. O. Rego, DMD, Ms. Snehlata Shrivastava, Government Director, Shri S. Ravi and Shri Pankaj Vats as the members.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2014 – March 31, 2015), four meetings of the Recovery Review Committee were held on June 7, 2014, September 26, 2014, December 29, 2014 and March 4, 2015.

14. Independent Directors' Committee (IDC)

Composition and brief terms of reference

The Independent Directors' Committee has been constituted in terms of Schedule IV of the Companies Act, 2013 and Clause 49 of the Listing Agreement, to:

a. Review the performance of non-independent directors and the Board as a whole;

b. Review the performance of the Chairperson of the company, taking into account the views of Executive Directors and Non-Executive Directors.

c. Assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the company management and the Board that is necessary for the Board to effectively and reasonably perform their duties.

As on March 31, 2015, the Independent Directors' Committee comprised of four members, namely Shri P. S. Shenoy as the Chairman, Shri S. Ravi, Shri Ninad Karpe and Shri Pankaj Vats as the members.

Number of Meetings

During the period under review (April 1, 2014 – March 31, 2015), two meetings of the Independent Directors' Committee were held on June 16, 2014 and March 19, 2015.

15. Non-Cooperative Borrowers' Review Committee (NBRC)

Composition and brief terms of reference

In terms of RBI Circular dated December 22, 2014, a Non-Cooperative Borrowers' Review Committee (NBRC) was constituted on February 6, 2015, consisting of CMD as Chairman and two Independent Directors. The Committee will review the Non-Cooperative Borrowers' Committee's orders/ decisions of classifying a borrower as non–co-operative, issuance of show-cause notice, etc. As on March 31, 2015, the Committee comprised of Shri M.S. Raghavan, CMD as chairman and Shri S. Ravi and Shri P. S. Shenoy as members.

16. Wilful Defaulters Review Committee (WDRC)

Composition and brief terms of reference

In terms of RBI Circular dated January 7, 2015, a Wilful Defaulters Review Committee (WDRC) was constituted on February 6, 2015, consisting of CMD as Chairman and two Independent Directors. The Committee will review the Wilful Defaulters Committee's orders/decisions of classifying a borrower as wilful defaulter, issuance of show-cause notice, etc. As on March 31, 2015, the Committee comprised of Shri M. S. Raghavan, CMD as Chairman and Shri S. Ravi and Shri P. S. Shenoy as members.

Details of attendance of Directors at Committee Meetings are given in Table 2.

Table 2 : Directors' Attendance at the Committee Meetings (April 1, 2014 to March 31, 2015)

Sr. No.	Names of Directors	ACB		BRC		EC		SRC		FMC		RMC		CSRC		CSC		ITC		RC		NC		HRSC		RRC		IDC		NBRC		WDRC	
		H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A
1.	Shri M. S. Raghavan, CMD (DIN-05236790)	-	-	7	7	25	25	-	-	9	9	-	-	1	0	4	4	-	-	-	-	-	-	3	3	4	4	-	-	0	0	0	0
2.	Shri B. K. Batra, DMD (DIN- 00015732)	11	10	7	6	25	23	4	4	9	9	5	5	1	0	4	3	4	4	-	-	-	-	3	3	4	4	-	-	-	-	-	-
3.	Shri M. O. Rego, DMD (DIN- 00292670)	-	-	7	7	25	25	4	4	9	9	5	5	1	1	4	4	4	4	-	-	-	-	3	3	4	4	-	-	-	-	-	-
4.	Ms. Snehlata Shrivastava, Government Director (DIN- 06478173)	11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-	1	1	-	-	3	3	4	3	-	-	-	-	-	-
5.	Shri Subhash Tuli (till July 21, 2014) (DIN-02203423)	3	2	-	-	-	-	1	0	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Shri P. S. Shenoy (DIN-00108547)	11	11	7	5	25	24	-	-	-	-	5	5	-	-	4	4	4	4	1	1	1	1	3	3	-	-	2	2	0	0	0	0
7.	Shri S. Ravi (DIN- 00009790)	11	11	7	6	25	24	4	4	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	4	4	2	2	0	0	0	0
8.	Shri Ninad Karpe (DIN- 00030971)	11	8	-	-	25	21	-	-	9	7	5	5	1	1	-	-	4	4	0	0	1	0	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
9.	Shri Pankaj Vats (DIN- 06712380)	8	8	7	4	-	-	3	3	-	-	-	-	1	1	-	-	4	4	-	-	1	1	-	-	4	4	2	2	-	-	-	-

H – Meetings Held during Director's tenure

A – Meetings Attended by the Director

Extract of the Annual Return

In terms of the provisions of Section 92(3) read with Section 134(3) (a) of the Companies Act, 2013 and Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, an extract of the Annual Return on the prescribed Form MGT-9 is given herein below:

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

i.	CIN	L65190MH2004GOI148838
ii.	Registration Date	27-Sep-04
iii.	Name of the Company	IDBI Bank Limited
iv.	Category/Sub-Category of the Company	Public Limited Company/Limited by Shares
v.	Address of the Registered office and contact details	Registered Office: IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400005 Ph. No.: (022) 66553355, 22189111 Fax No. (022) 22180411 Website: www.idbi.com
vi.	Whether listed Company	Yes
vii.	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent	Karvy Computershare Private Limited Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 Tel.No. (040) 67162222 Toll Free Number : 1-800-3454001 Fax No. (040) 23420814 email : einward.ris@karvy.com

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

Sr. No.	Name and Description of main products/services	NIC Code of the Product/Service	% of total turnover of the company
1.	Monetary intermediation of commercial banks, saving banks, postal savings bank and discount houses	64191	100%

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sr. No.	Name and Address of the company	CIN/GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares	Applicable Section
1	IDBI Capital Market Services Limited 3rd Floor, Mafatlal Centre, Nariman Point, Mumbai - 400 021.	U65990MH1993GOI075578	Subsidiary	100.00%	2(87)
2	IDBI Intech Limited IDBI Building, 1st Floor, Plot No. 39-41, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400 614.	U72200MH2000GOI124665	Subsidiary	100.00%	2(87)
3	IDBI MF Trustee Company Ltd. IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005.	U65991MH2010PLC199326	Subsidiary	100.00%	2(87)
4	IDBI Asset Management Ltd. IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005.	U65100MH2010PLC199319	Subsidiary	66.67%	2(87)
5	IDBI Trusteeship Services Limited Asian Building, Ground Floor, 17, R.Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400 001.	U65991MH2001GOI131154	Subsidiary	54.70%	2(87)
6	IDBI Federal Life Insurance Company Limited 1st Floor, Tradeview, Oasis Complex, Kamala City, P.B. Marg, Lower Parel (W). Mumbai - 400 013.	U66010MH2007PLC167164	Joint Venture	48.00%	2(6)
7	National Securities Depository Limited 'A' Wing, 4th Floor, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013.	U74120MH2012PLC230380	Associate	30.00%	2(6)
8	NSDL E-governance Infrastructure Limited Times Tower, 1st Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013.	U72900MH1995PLC095642	Associate	30.00%	2(6)
9	Biotech Consortium India Limited 5th Floor, Anuvrat Bhawan, 210, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi - 110 002.	U73100DL1990PLC041486	Associate	27.93%	2(6)

Sr. No.	Name and Address of the company	CIN/GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares	Applicable Section
10	North Eastern Development Finance Corporation Limited NEDFi House, Dispur, Guwahati - 781 006.	U65923AS1995GOI004529	Associate	25.00%	2(6)
11	Pondicherry Industrial Promotion Development And Investment Corporation Ltd. 60, Romain Rolland Street, Puducherry - 605 001.	U65923PY1974SGC000121	Associate	21.14%	2(6)

IV. SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share Capital- Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise Share Holding

		Category of Shareholders	No. of shares held at the beginning of the year				No. of shares at the end of the year				% change during the year
			Demat	Physical	Total	% of Total shares	Demat	Physical	Total	% of Total shares	
A.	**Promoters**										
	(1)	**Indian**									
	a)	Individuals/ Hindu Undivided Family	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	Central Government	1227018622	0	1227018622	76.50	1227018622	0	1227018622	76.50	0.00
	c)	State Government(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	Bodies Corporate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	Financial Institutions/ Banks	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f)	Any Other (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub-Total (A)(1)	1227018622	0	1227018622	76.50	1227018622	0	1227018622	76.50	0.00
	(2)	**Foreign**									
	a)	NRIs-Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	Other-Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	Banks/FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	Any Other (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub-Total (A)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Shareholding of Promoter (A)= (A)(1)+(A)(2)	1227018622	0	1227018622	76.50	1227018622	0	1227018622	76.50	0.00
B.	**Public Shareholding**										
	1.	Institutions									
	a)	Mutual Funds	665341	100	665441	0.04	1126916	100	1127016	0.07	0.03
	b)	Banks/FI	17660370	18826	17679196	1.10	17743818	18826	17762644	1.11	0.01
	c)	Central Government	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	State Government(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f)	Insurance Companies	160920678	0	160920678	10.03	154703233	0	154703233	9.65	-0.38
	g)	FIIs	46300657	2020	46302677	2.89	53567646	2020	53569666	3.34	0.45
	h)	Foreign Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i)	Any Other (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		State Finance Corporation	0	35680	35680	0	0	35680	35680	0.00	0.00
		Sub-Total (B)(1)	225547046	56626	225603672	14.06	227141613	56626	227198239	14.17	0.11

		Category of Shareholders	No. of shares held at the beginning of the year				No. of shares at the end of the year				% change during the year
			Demat	Physical	Total	% of Total shares	Demat	Physical	Total	% of Total shares	
	2.	**Non-Institutions**									
	a)	Bodies Corporate									
	i)	Indian	18503811	308279	18812090	1.17	18906798	303799	19210597	1.20	0.03
	ii)	Overseas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	**Individuals**									
	(i)	Individual shareholders holding nominal share capital up to ₹ 1 lakh.	88123617	15474456	103598073	6.46	86667858	14958633	101626491	6.34	-0.12
	(ii)	Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 1 lakh.	21008033	93480	21101513	1.32	21677686	109480	21787166	1.36	0.04
	(c)	**Any Others (specify)**									
		Clearing Members	1775993	0	1775993	0.11	548333	0	548333	0.03	-0.08
		Non Resident Indians	3647935	1728413	5376348	0.34	3694042	1687973	5382015	0.34	0.00
		Societies	0	28960	28960	0.00	0	28960	28960	0.00	0.00
		Trusts	586229	37760	623989	0.04	1119742	37440	1157182	0.07	0.03
		Sub-Total (B)(2)	133645618	17671348	151316966	9.43	132614459	17126285	149740744	9.34	-0.09
		Total Public Shareholding (B)= (B)(1)+(B)(2)	359192664	17727974	376920638	23.50	359756072	172182911	376938983	23.50	0.00
C.	**Shares held by Custodian for GDRs and ADRs**		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Grand Total (A+B+C)	1586211286	17727974	1603939260	100	1586774694	17182911	1603957605	100	

ii) Shareholding of Promoters

Sr. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			
		No. of shares	% of total shares of the Bank	% of shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of shares	% of total shares of the Bank	% of shares Pledged/ encumbered to total shares	%change in shareholding during the year
1	Government of India	1227018622	76.50	NIL	1227018622	76.50	NIL	NIL

iii) Change in Promoters' Shareholding

Sr. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
1.	**Government of India**	**No. of Shares**	**% of total shares of the Bank**	**No. of shares**	**% of total shares of the Bank**
	At the beginning of the year	1227018622	76.50	1227018622	76.50
	Date-wise increase/ decrease in promoters' shareholding during the year	NIL	NIL	NIL	NIL
	At the end of the year	1227018622	76.50	1227018622	76.50

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sr. No.		For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
1.	Life Insurance Corporation of India	At the beginning of the year	94731366	5.91	94731366	5.91
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	-	-	-	-
		At the end of the year (or on the date of separation)	94731366	5.91	94731366	5.91
2.	LIC of India Market Plus Growth Fund	At the beginning of the year	18261855	1.14	18261855	1.14
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	(706000) 13/06/2014	-	17555855	1.09
		At the end of the year (or on the date of separation)	17555855	1.09	17555855	1.09
3.	LIC of India Market Plus 1 Growth Fund	At the beginning of the year	10807213	0.67	10807213	0.67
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	(523527) 13/06/2014	-	10283686	0.64
			(177168) 20/06/2014	-	10106518	0.63
			(800000) 30/06/2014	-	9306518	0.58
			(1137547) 04/07/2014	-	8168971	0.51
			(266734) 11/7/2014	-	7902237	0.49
		At the end of the year (or on the date of separation)	7902237	0.49	7902237	0.49
4.	Small Industries Development Bank of India	At the beginning of the year	10500000	0.65	10500000	0.65
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	-	-	-	-
		At the end of the year (or on the date of separation)	10500000	0.65	10500000	0.65
5.	United India Insurance Company Ltd.	At the beginning of the year	8057143	0.50	8057143	0.50
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	-	-	-	-
		At the end of the year (or on the date of separation)	8057143	0.50	8057143	0.50
6.	LIC of India Money Plus Growth Fund	At the beginning of the year	6869656	0.43	6869656	0.43
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	-	-	-	-
		At the end of the year (or on the date of separation)	6869656	0.43	6869656	0.43

Sr. No.		For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
7.	Vanguard Emerging Market Stock Index Fund-A series of Vanguard International Index Fund	At the beginning of the year	5806899	0.36	5806899	0.36
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	-	-	-	-
		At the end of the year (or on the date of separation)	5806899	0.36	5806899	0.36
8.	Ashish Rameshkumar Goenka Lavina Ashishkumar Goenka	At the beginning of the year	4401753	0.27	4401753	0.27
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	412000 23/05/2014	-	4813753	0.30
		At the end of the year (or on the date of separation)	4813753	0.30	4813753	0.30
9.	Dimentional Emerging Markets Value Fund	At the beginning of the year	4157143	0.26	4157143	0.26
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	38997 04/04/2014	-	4196140	0.26
			29540 11/04/2014	-	4225680	0.26
		At the end of the year (or on the date of separation)	4225680	0.26	4225680	0.26
10.	GHI LTP Ltd.	At the beginning of the year	3843812	0.24	3843812	0.24
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	(920564) 06/06/2014	-	- 2923248	- 0.18
			(2923248) 13/06/2014	-	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sr. No.			Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
Directors						
1.	Shri M. S. Raghavan, CMD (DIN-05236790)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0
2.	Shri B. K. Batra, DMD (DIN- 00015732)	At the beginning of the year	1,001	0	1,001	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	1,001	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	1,001	0	1,001	0

Sr. No.			Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
3.	Shri M. O. Rego, DMD (DIN-00292670)	At the beginning of the year	460	0	460	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	460	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	460	0	460	0
4.	Ms. Snehlata Shrivastava (DIN-06478173)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0
5.	Shri Subhash Tuli, Independent Director (till 21.07.2014) (DIN-02203423)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0
6.	Shri P. S. Shenoy, Independent Director (DIN-00108547)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0
7.	Shri S. Ravi, Independent Director (DIN-00009790)	At the beginning of the year	200	0	200	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	200	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	200	0	200	0
8.	Shri Ninad Karpe, Independent Director (DIN-00030971)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0
9.	Shri Pankaj Vats, Independent Director (DIN-06712380)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0
Key Managerial Personnel						
1.	Shri N. S. Venkatesh, CFO (w.e.f. 04.03.15) Membership No.: A024088	At the beginning of the year	160	0	160	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	160	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	160	0	160	0
2.	Shri P. Sitaram, CFO (till 03.03.15) Membership No.: A052842	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0
3.	Shri Pawan Agrawal, Company Secretary Membership No.: F7744	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year (or on the date of separation)	0	0	0	0

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Bank including interest outstanding/accrued but not due for payment

(₹) in '000s

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i. Principal Amount	107574482	496709675	2357736325	2962020481
ii. Interest due but not paid	0	0	0	0
iii. Interest accrued but not due	32483894	42779119	9643219	84906231
Total (i+ii+iii)	**140058376**	**539488794**	**2367379544**	**3046926712**
Change in Indebtedness during the financial year				
• Addition	-	44782566	239675922	273857013
• Reduction	-10601475	-	-	
Net Change				
Indebtedness at the end of the financial year				
i. Principal Amount	105603868	545397892	2598359739	3249361499
ii. Interest due but not paid	0	0	0	0
iii. Interest accrued but not due	23853032	38873467	8695726	71422225
Total (i+ii+iii)	**129456900**	**584271359**	**2607055465**	**3320783724**

VI. Remuneration of Directors and Key Managerial Personnel

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/ WTD			Total Amount (₹)
		Shri M. S. Raghavan	**Shri B. K. Batra**	**Shri M. O. Rego**	
1.	Gross Salary				
	(a) Salary as per provisions contained in Section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	20,06,720.00	17,83,187.00	17,76,314.00	55,66,221.00
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income tax Act, 1961	1,83,870.00	1,67,991.50	1,22,940.00	4,74,801.50
	(c) Profits in lieu of salary under Section 17(3) of the Income tax Act, 1961	-	-	-	-
2.	Stock Option	-	-	-	-
3.	Sweat Equity	-	-	-	-
4.	Commission				
	- As % of profit	-	-	-	-
	- Others, specify	-	-	-	-
5	Others, please specify (OL Encashment)	22,080.00	9,802.00	4,758.00	36,640.00
	Total (A)	**22,12,670.00**	**19,60,980.50**	**19,04,012.00**	**60,77,662.50**
	Ceiling as per the Act[1]				

[1] Being a Government Company, every Whole-time Director is appointed by Government of India and the remuneration is fixed by Government of India. The remuneration paid in FY 2014-15 is well within the limits prescribed under Companies Act, 2013.

B. Remuneration to other directors:

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors					Total Amount (₹)
	Independent Directors	**Shri Subhash Tuli**	**Shri P.S. Shenoy**	**Shri S. Ravi**	**Shri Ninad Karpe**	**Shri Pankaj Vats**	
	• Fee for attending Board/Committee meetings	50,000	6,05,000	6,00,000	4,75,000	2,95,000	20,25,000
	• Commission	-	-	-	-	-	-
	• Others, please specify	-	-	-	-	-	-
	Total	**50,000**	**6,05,000**	**6,00,000**	**4,75,000**	**2,95,000**	**20,25,000**
	Total (B) (1)	**20,25,000**					

	Other Non-Executive Directors	**Ms. Snehlata Shrivastava**
	• Fee for attending Board/Committee meetings	-
	• Commission	-
	• Others, please specify	-
	Total (B) (2)	**-**
	Total (B)= (1+2)	**20,25,000**
	Total Managerial Remuneration (A) + (B)	60,77,662.50
	Overall Ceiling as per the Act[1]	

[1]Independent Director are paid only sitting fees. All Non-Executive/Independent Directors are entitled for reimbursement of expenses for attending Board/Committee Meetings. The remuneration for FY 2014-15 is well within the limits prescribed under Companies Act, 2013.

C. Remuneration of Key Managerial Personnel other than MD/ Manager/ WTD

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			Total Amount (₹)
		Shri N. S. Venkatesh, CFO (w.e.f. 04.03.15)	**Shri P. Sitaram, CFO (till 03.03.15)**	**Shri Pawan Agrawal, CS**	
1.	Gross Salary				
	(a) Salary as per provisions contained in Section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	1,58,600.34	19,81,848.32	17,87,716.31	39,28,164.97
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income tax Act, 1961	18,272.77	5,94,404.34	6,94,583.29	13,07,260.40
	(c) Profits in lieu of salary under Section 17(3) of the Income tax Act, 1961	-	-	-	-
2.	Stock Option	-	-	-	-
3.	Sweat Equity	-	-	-	-
4.	Commission				
	- As % of profit	-	-	-	-
	- Others, specify	-	-	-	-
5	Others, please specify				
	OL Encashment	-	97,717.00	78,105.00	1,75,822.00
	LFC	-	75,000.00	50,000.00	1,25,000.00
	Total	**1,76,873.11**	**27,48,969.66**	**26,10,404.60**	**55,36,247.37**

VII. Penalties/Punishment/Compounding of Offences:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment Compounding Fees imposed	Authority [RD/ NCLT /Court]	Appeal made, if any
A. Company – IDBI Bank Limited					
Penalty			Nil		
Punishment			Nil		
Compounding			Nil		
B. Directors					
Penalty			Nil		
Punishment			Nil		
Compounding			Nil		
C. Other Officers in Default					
Penalty			Nil		
Punishment			Nil		
Compounding			Nil		

Statement on Declaration given by Independent Directors

S/Shri P. S Shenoy, S. Ravi, Ninad Karpe and Pankaj Vats, Independent Directors of IDBI Bank Ltd. gave declaration in terms of Section 149(7) of the Companies Act, 2013 that they meet the criteria of Independence as provided under Section 149(6) of the Companies Act, 2013.

Company's Policy on Directors' appointment and remuneration

In terms of Section 178(3) and (4) of the Companies Act, 2013, a Directors' Appointment and Evaluation Policy including the criteria for determining the qualifications, positive attributes and Independence of a Director, Review and Evaluation of the performance of Directors etc. was formulated by the Board at its meeting held on July 4, 2014 upon the recommendation of Nomination Committee of the Board. Further, a Remuneration Policy for the Directors, Key Managerial Personnel and other employees of IDBI Bank was formulated by the Board on July 4, 2014 upon the recommendation of Remuneration Committee of the Board. Both the above policies are displayed on IDBI Bank's website (www.idbi.com) and their key features are given hereunder:

DETAILS OF DIRECTORS' APPOINTMENT AND EVALUATION POLICY

Constitution of the Board

Article 114(a) provides the number of minimum and maximum Directors on the Board while the Constitution of the Board is provided under Article 116(1)(a) to (e) read with Article 116A.

Mode of Appointment of Directors

(1) As per the Board constitution provided under Article 116, the appointment / nomination of Directors prescribed under Articles 116(1)(a) to 116(1)(d), shall be made by Central Government. Suitable notifications will be issued by Central Government to appoint (i) Chairman and Managing Director under Article 116(1)(a); (ii) Deputy Managing Directors under Article 116(1)(b); (iii) nomination of Central Government officials as Directors under Article 116(1)(c); and (iv) nomination of Professional Independent Directors under Article 116(1)(d). In terms of the provisions of the Companies Act, 2013, all appointments/nominations made by Central Government under Article 116(1)(a) to Article 116(1)(d) shall be submitted to and shall be noted and approved by the shareholders at the General Meeting.

(2)(a) In terms of Article 116(1) (e) read with Article 116A, non-rotational Independent Directors to be identified by the Board of Directors shall be appointed by the shareholders at the General Meeting. While identifying the persons to be appointed as Independent Directors, the Board will ensure that such persons possess the qualifications prescribed under Section 10A(2) of the Banking Regulation Act, 1949, Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Clause 49 of the Listing Agreement and are also not disqualified to be Directors under the relevant provisions of the Banking Regulation Act, 1949, Section 164 of the Companies Act, 2013 and Clause 49 of the Listing Agreement, etc.

(b) After Board's identification as above, unless the Independent Director is appointed initially as an Additional Director, the candidature of such person shall be submitted to the next General Meeting for approval of the appointment by following the procedure contained under Section 160 of the Companies Act, 2013. All shareholders will be eligible to elect the Independent Directors. The initial term of Independent Directors will be four consecutive years extendable to one more term of four consecutive years by passing a Special Resolution at the General Meeting. In any case, the total term shall not exceed eight years in terms of Section 10A (2A) of the Banking Regulation Act, 1949.

(c) After approval of Independent Directors' appointment, a formal appointment letter with contents prescribed under Schedule IV of the Companies Act, 2013 will be issued to the Independent Directors so appointed.

(d) In terms of Article 116(1)(e) read with Article 116A(ii), out of the prescribed 5 elected directors, one woman director will be appointed, unless a woman director is already on the Board under Article 116(1)(a) to 116(1)(d).

(e) In terms of Article 116A(iii), the Bank will ensure that at least one of the Directors on the Board has stayed in India for total period of not less than 182 days during the previous calendar year.

(f) The intermittent vacancy of an Independent Director shall be filled up by the Board at the earliest but not later than immediate next Board Meeting or three months from the date of such vacancy, whichever is later.

Performance Evaluation of Directors by the Board

(i) In terms of the provisions of Schedule IV (Para VIII) and Section 134(3) (p) of the Companies Act, 2013, performance evaluation of the Independent Directors and all other individual directors shall be done annually by the Board of Directors in the last month of the Financial Year.

(ii) On the basis of the report of performance evaluation, it will be determined whether to extend or continue the term of appointment of Independent Directors.

(iii) The performance evaluation of individual directors by the Board shall be done on the evaluation sheet as per the specified format.

Performance Review of Non-Independent Directors and the Chairman by Independent Directors.

(i) In terms of the provisions of Schedule IV (Para VII) of the Companies Act, 2013, Independent Directors shall hold an Annual Meeting in a year without the attendance of Non-Independent Directors and members of the Management and review the performance of Non-Independent Directors.

(ii) The Independent Directors shall also review the performance of chairman of the Bank, taking into account the views of Executive Directors and Non-Executive Directors.

(iii) The performance review of Non-Independent Directors by Independent Directors shall be done on the review sheet as per the specified format and that of Chairperson of the Bank will be done on the specified format.

Details of Remuneration Policy

I. Background

In terms of Section 178(3) of the Companies Act, 2013, the Remuneration Committee will formulate and recommend, to the Board, a policy relating to the Remuneration for Directors, Key Managerial Personnel and other employees of IDBI Bank.

In terms of Section 178 (4) of the Companies Act, 2013, while formulating the policy under Sub Section (3), the Remuneration Committee shall ensure that:

a) the level and composition of remuneration is reasonable and sufficient to attract, retain and motivate directors of the quality required to run the company successfully;

b) relationship of remuneration to performance is clear and meets appropriate performance benchmarks; and

c) remuneration to directors, key managerial personnel and senior management involves a balance between fixed and incentive pay reflecting short and long term performance objectives appropriate to the working of the company and its goals:

Provided that such policy shall be disclosed in the Board's Report.

II. Remuneration of Directors

In terms of Article 116(1)(a) and (b) of the Articles of Association of IDBI Bank, the Managing Director and Deputy Managing Directors (DMD) of IDBI Bank are appointed by Government of India. The pay scales and remuneration structure of Managing Director and DMDs are fixed by the Government of India and are communicated to the respective MD and DMDs as well as the Bank. These pay scales and remuneration structure are fixed by the Government of India, in line with the pay scales / remuneration structure fixed for MDs and WTDs of other Public Sector Banks, based on the policy followed by it in this regard. Apart from the above, no other remuneration would be payable to any other Director on the Board of IDBI Bank except the payment of sitting fees to Independent Directors of the Bank @ ₹ 10,000/- per meeting of the Board, Executive Committee and Audit Committee of the Board and @ ₹ 5000/- per meeting for other Board Committee Meetings. These rates of sitting fees are prescribed by Government of India for Public Sector Banks and would also be approved by Bank's Board of Directors. The rates of sitting fees would be revised with the revision notified by Government of India for Public Sector Banks from time to time. Apart from the sitting fees, the expenses on travel, transport and stay of outstation Directors attending the Board and Board Committee Meetings would also be borne by IDBI Bank.

III. Remuneration of Key Managerial Personnel

In terms of Section 2(51) of the Companies Act, 2013, Key Managerial Personnel, in relation to a company means:

(i) The CEO or Managing Director;

(ii) The Whole Time Director;

(iii) The Company Secretary;

(iv) The Chief Financial Officer (CFO); and

(v) Such other officer as may be prescribed

The Remuneration Policy for MD and WTDs as at (i) and (ii) above is covered under Para II of this Policy. As regards CFO and the Company Secretary, the positions are held by cadre officers of IDBI Bank and their pay scales and remuneration structure would be equivalent to the pay scales and remuneration structure being offered by IDBI Bank to the other parallel cadre officers and would be finalized by the Bank with the approval of the Board of Directors and Government of India to be obtained in this regard as per the practice / process being followed by other Public Sector Banks.

IV. Remuneration of Officers and Employees

The pay scales and remuneration structure of IDBI Bank's Officers and Employees would be finalized by IDBI Bank, based on negotiations with respective employee associations and after obtaining the Board of Directors' and the Government of India's approval in this regard, a practice / process, similar to the one being followed by other Public Sector Banks.

V. Attendance of Chairperson of Remuneration Committee at General Meetings

In compliance of the requirements of Section 178(7) of the Companies Act, 2013, the Chairperson or in his / her absence, any other member of the Remuneration Committee (who will be deemed to be authorized by the Chairperson) shall attend the Bank's General Meetings, including Annual General Meetings.

Board's comments on every qualification, reservation or adverse remark or disclaimer made by the Auditors or Secretarial Auditors in their report

There are no qualifications, reservation or adverse remarks or disclaimers either in the Statutory Auditors' Report or in the Secretarial Auditors' Report which require the Board's comments thereon in terms of Section 134(3)(f) of the Companies Act, 2013.

Particulars of Loans, Guarantees or Investments under Section 186 of the Companies Act, 2013

The provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013 relating to Loans, Guarantees or Investments are not applicable to IDBI Bank, being a Banking Company.

Particulars of contracts or arrangements with Related Parties on the prescribed form

In terms of Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the particulars of contracts or arrangements if any, with Related Parties are given in the prescribed form AOC -2 hereunder:

AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3)of Section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of Section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under third proviso thereto

i. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis

Sr. No.	Name of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts / arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions	Date of approval by the Board	Amount paid as advances, if any:	Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to Section 188
Nil								

ii. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis

Sr. No.	Name of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts / arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any:	Date(s) of approval by the Board, if any:	Amount paid as advances, if any:
Nil						

Sd/-
M. S. Raghavan
(DIN - 05236790)
Chairman and Managing Director
April 23, 2015

Statement indicating development and implementation of Risk Management Policy

The Bank follows a detailed and comprehensive Risk Management System which is constantly updated based on the Reserve Bank of India's regulatory guidelines issued in this regard from time to time. A dedicated Risk Management Committee of the Board regularly reviews the Risk related aspects of the Bank including the implementation of Basel III norms in the Bank. The Board of Directors of the Bank also periodically reviews the Risk assessment and minimisation procedures followed in the Bank as well as the capital requirement of the Bank under Basel III norms.

Details of CSR Policy and its implementation during the year

The details on the format prescribed under Annexure to the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 are as follows:

Annual Report on CSR

1. **A brief outline of the Bank's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programs.**

   The objective of the Bank's CSR policy is driven by the intent to make a material, visible and lasting difference to the lives of disadvantaged sections of society and a sustained positive contribution to the welfare of society at large. The Bank's CSR policy and initiatives arising therefrom are designed to focus on holistic development of target communities and thereby create long-term social and economic value for both our business and society.

   Thus, the Bank's CSR policy, *inter alia,* provides the platform for undertaking interventions in areas such as healthcare, education, gender equality and socio-economic empowerment, environmental sustainability and rural development projects.

   The web-link to the CSR policy and projects or programs is http://www.idbi.com/CSR-Policy.asp

2. **The Composition of the CSR Committee:**

The composition of the CSR Committee is presented in the table below:

Sr. No	Directors	Position
1.	Shri M. S. Raghavan	CMD
2.	Shri B. K. Batra	DMD
3.	Shri M. O. Rego	DMD
4.	Shri Ninad Karpe	Independent Director
5.	Shri Pankaj Vats	Independent Director

3. **Average net profit of the Bank for last three financial years:**

The average net profit of the Bank for the last three financial years is ₹ 1,314.55 crore.

4. **Prescribed CSR Expenditure (two per cent of the amount as in item 3 above):**

The CSR expenditure to be incurred for the financial year 2014-15 (i.e. 2% of average net profit which is net of tax but would not include profits arising from branches outside India, whether operated as a separate company or otherwise, and any dividend received from other companies in India, which are covered under and complying with the provisions of Section 135 of the Act for last three financial years) is ₹ 26.29 crore.

5. **Details of CSR spent during the financial year:**

(a) **Total amount to be spent for the financial year:** The total amount to be spent during the financial year under CSR is ₹ 26.29 crore.

(b) **Amount unspent, if any:** An amount of ₹ 2.85 crore was unspent under CSR.

(c) **Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:**

1	2	3	4		5	6		7	8
Sr. No.	**CSR project or activity identified**	**Sector in which the project is covered**	**Projects or Programmes**		**Amount outlay (budget) project or programs wise (in ₹)**	**Amount spent on the projects or programs Sub-Heads (in ₹)**		**Cumulative expenditure upto the reporting period (in ₹)**	**Amount spent Direct or through implementing agency**
			(1) Local area or other	**(2) Specify the State and district where projects or program was undertaken**		**(1) Direct expenditure on projects or programs**	**(2) Overheads**		
1	Expansion of Braille Press and Library at Lal Bihari Shah Braille Academia	Promoting Education and Livelihood Enhancement	Other	Kolkata, West Bengal	3,62,800	3,62,800	0	3,62,800	Blind Person's Association, Kolkata
2	Providing sponsorship of funds for construction of a residential care home for mentally challenged people and a vocational training centre.	Promoting Education and Livelihood Enhancement	Other	Kolkata, West Bengal	50,00,000	50,00,000	0	50,00,000	Arogya Sandhan, Kolkata

1	2	3	4		5	6		7	8
Sr. No.	**CSR project or activity identified**	**Sector in which the project is covered**	**Projects or Programmes**		**Amount outlay (budget) project or programs wise (in ₹)**	**Amount spent on the projects or programs Sub-Heads (in ₹)**		**Cumulative expenditure upto the reporting period (in ₹)**	**Amount spent Direct or through implementing agency**
			(1) Local area or other	**(2) Specify the State and district where projects or program was undertaken**		**(1) Direct expenditure on projects or programs**	**(2) Overheads**		
3	Part-funding of construction of fully free English Medium Residential School building in Patna, Bihar, for students from economically weaker sections of the society.	Promoting Education and Livelihood Enhancement	Other	Patna, Bihar	50,00,000	50,00,000	0	50,00,000	Shoshit Seva Sangh, Patna
4	Undertaking baseline survey for identification, adoption, rehabilitation and restoration work, for flash flood affected communities of Syaba (Uttarkashi) and Damar (Rudraprayag)	Rural Development Projects	Other	Uttarkashi and Rudraprayag, Uttarakhand	5,88,000	5,88,000	0	5,88,000	Bindu Society, Dehradun
5	Support mobile Crèche programs to provide education, nutrition and healthcare to children of construction workers	Promoting Education and Livelihood Enhancement	Local	Mumbai, Maharashtra	7,83,360	3,99,360	0	7,83,360	Mumbai, Mobile Creches, Mumbai
6	Donation to the Corpus Fund of the School Trust	Promoting Education and Livelihood Enhancement	Other	Udupi, Karnataka	5,00,000	5,00,000	0	5,00,000	Modern School Educational and Development Trust, Udupi
7	Construction of a girls' toilet/ bathroom facility at a missionary school at Jagannathpur village	Promoting Healthcare and Eradication of Poverty	Other	Chhattisgarh	4,30,295	3,70,295	0	4,30,295	Tata Institute of Social Sciences, Mumbai

1	2	3	4		5	6		7	8
Sr. No.	**CSR project or activity identified**	**Sector in which the project is covered**	**Projects or Programmes**		**Amount outlay (budget) project or programs wise (in ₹)**	**Amount spent on the projects or programs Sub-Heads (in ₹)**		**Cumulative expenditure upto the reporting period (in ₹)**	**Amount spent Direct or through implementing agency**
			(1) Local area or other	**(2) Specify the State and district where projects or program was undertaken**		**(1) Direct expenditure on projects or programs**	**(2) Overheads**		
8	Completion of a primary school building at Saraswatipada, Jagannathpur Village	Promoting Education and Livelihood Enhancement	Other	Chhattisgarh	12,55,675	9,41,756	0	12,55,675	Tata Institute of Social Sciences, Mumbai
9	Contribution to the ASSOCHAM Foundation for CSR for their Web Portal aimed at creating employment opportunities for disabled people of the society	Promoting Gender Equality and Socio-Economic Empowerment	Other	New Delhi	60,000	60,000	0	60,000	ASSOCHAM, New Delhi
10	Financial support to help 500 children with clubfoot by providing 1,000 Steinbeck Foot Abduction Braces.	Promoting Healthcare and Eradication of Poverty	Other	New Delhi	10,00,000	10,00,000	0	10,00,000	Cure International, New Delhi
11	Organising medical camps and distributing medical aids to physically handicapped persons	Promoting Healthcare and Eradication of Poverty	Other	Vadodara, Gujarat; Guwahati, Assam; Trichy, Tamil Nadu; Noida; Uttar Pradesh	1,00,00,000	72,77,526	200	72,77,726	Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur
		Promoting Gender Equality and Socio-Economic Empowerment	Local	Navi Mumbai, Maharashtra					
12	Financial assistance to widen the coverage of institutionalised janani services (hospital based delivery of infants and postpartum care) to 165 rural and tribal women,	Promoting Healthcare and Eradication of Poverty	Other	Mysore, Karnataka	10,35,000	10,35,000	0	10,35,000	Swami Vivekananda Youth Movement (SVYM), Karnataka
		Promoting Gender Equality and Socio-Economic Empowerment							

1	2	3	4		5	6		7	8
Sr. No.	**CSR project or activity identified**	**Sector in which the project is covered**	**Projects or Programmes**		**Amount outlay (budget) project or programs wise (in ₹)**	**Amount spent on the projects or programs Sub-Heads (in ₹)**		**Cumulative expenditure upto the reporting period (in ₹)**	**Amount spent Direct or through implementing agency**
			(1) Local area or other	**(2) Specify the State and district where projects or program was undertaken**		**(1) Direct expenditure on projects or programs**	**(2) Overheads**		
13	Adoption of flood affected Taru Village in Ladakh	Rural Development Projects	Other	Leh, Ladakh, Jammu and Kashmir	3,55,00,000	1,31,05,711	0	3,26,37,104	Tata Institute of Social Sciences, Mumbai
14	Financial Assistance to Paper Envelope Making Project	Promoting Gender Equality and Socio-Economic Empowerment	Local	Mumbai, Maharashtra	4,75,000	2,37,500	0	2,37,500	National Association for Disabled Enterprise (NADE), Mumbai.
15	Construction of 7 classrooms in 2 rural schools	Promoting Education and Livelihood Enhancement	Other	Erode and Tuticorin, Tamil Nadu	51,94,000	38,95,500	0	51,94,000	Isha Vidhya Rural Schools, Coimbatore
16	Vocational Training skills programme to 355 youth under Project SRESTA	Promoting Gender Equality and Socio-Economic Empowerment	Other	Sivagangai, Tamil Nadu	40,00,000	30,00,000	0	40,00,000	Tiruchirappalli Regional Engineering College – Science and Technology Entrepreneurs Park's (TREC-STEP), Trichy
17	EduConnect Programme to 2000 students from marginalized sections	Promoting Education and Livelihood Enhancement	Other	Shirdi, Maharashtra	4,98,000	3,73,500	0	4,98,000	Friends Union for Energizing Lives (FUEL), Pune
18	Donation of a cardiac ambulance	Promoting Healthcare and Eradication of Poverty	Local	Mumbai, Maharashtra	10,84,619	10,84,619	0	10,84,619	Jaslok Hospital, Mumbai
19	AIM's Free student homes for 30 students which includes food, accommodation, clothes, books etc. for 20 months	Promoting Education and Livelihood Enhancement	Other	Lucknow, Uttar Pradesh	10,50,000	6,30,000	0	7,35,000	AIM for Seva, Chennai

1	2	3	4		5	6		7	8
Sr. No.	**CSR project or activity identified**	**Sector in which the project is covered**	**Projects or Programmes**		**Amount outlay (budget) project or programs wise (in ₹)**	**Amount spent on the projects or programs Sub-Heads (in ₹)**		**Cumulative expenditure upto the reporting period (in ₹)**	**Amount spent Direct or through implementing agency**
			(1) Local area or other	**(2) Specify the State and district where projects or program was undertaken**		**(1) Direct expenditure on projects or programs**	**(2) Overheads**		
20	Financial assistance towards purchase of Tata Winger vehicle for providing transportation facility to physically challenged children and distribution of aids and appliances to 94 PwDs in East Godavari District of AP.	Promoting Healthcare and Eradication of Poverty Promoting Gender Equality and Socio-Economic Empowerment	Other	Kakinada, Andhra Pradesh	11,54,655	11,54,655	0	11,54,655	Uma Educational and Technical Society, Kakinada
21	Construction of 4 rooms on the ground floor of a Children's Home unit for girls under Project Jagruti	Promoting Gender Equality and Socio-Economic Empowerment	Other	Karjat, Maharashtra	30,00,000	10,00,000	0	10,00,000	Light of Life Trust, Karjat
22	Financial Assistance towards Project SANLAAP – a project to address the issue of Child Trafficking	Promoting Gender Equality and Socio-Economic Empowerment	Other	Kolkata, West Bengal	28,00,000	28,00,000	0	28,00,000	Child Rights and You, Kolkata
23	Sponsoring 'The Hindu in School' edition in 200 government aided schools in Mumbai	Promoting Education and Livelihood Enhancement	Local	Mumbai, Maharashtra	7,20,000	4,68,000	0	7,20,000	The Hindu, Mumbai
24	Assist the special school for children with disabilities by way of sponsoring the schooling costs and meals of 100 socially and economically marginalized children for a period of 6 months	Promoting Education and Livelihood Enhancement Promoting Gender Equality and Socio-Economic Empowerment	Other	Kolkata, West Bengal	10,00,000	5,00,000	0	10,00,000	Institute for the Handicapped and Backward People, Kolkata

1	2	3	4		5	6		7	8
Sr. No.	**CSR project or activity identified**	**Sector in which the project is covered**	**Projects or Programmes**		**Amount outlay (budget) project or programs wise (in ₹)**	**Amount spent on the projects or programs Sub-Heads (in ₹)**		**Cumulative expenditure upto the reporting period (in ₹)**	**Amount spent Direct or through implementing agency**
			(1) Local area or other	**(2) Specify the State and district where projects or program was undertaken**		**(1) Direct expenditure on projects or programs**	**(2) Overheads**		
25	Conducting 333 cataract surgeries of the poor	Promoting Healthcare and Eradication of Poverty	Other	Chennai, Tamil Nadu	12,50,000	6,25,000	0	9,37,500	Sankara Nethralaya, Chennai
26	Financial assistance for purchase of critical blood bank equipments	Promoting Healthcare and Eradication of Poverty	Other	Rajkot, Gujarat	19,60,000	19,60,000	0	19,60,000	Saurashtra Medical and Educational Charitable Trust, Rajkot
27	Supporting climate/ smart water management project	Ensuring Environmental Sustainability	Other	Kancheepuram, Tamil Nadu	14,25,000	7,12,500	0	7,12,500	Centre of Excellence for Change, Chennai
28	Creation of an endowment fund for covering the salaries of teaching and non-teaching staff at Gadadhar Paathshala	Promoting Education and Livelihood Enhancement	Other	Kolkata, West Bengal	30,00,000	30,00,000	0	30,00,000	Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata
29	Donation of one intensive care ventilator to Shri Shaneshwar Rural Hospital	Promoting Healthcare and Eradication of Poverty	Other	Ahmednagar, Maharashtra	7,87,500	7,87,500	0	7,87,500	Shri Shaneshwar Rural Hospital, Ahmednagar
30	Lighting a Billion Lives' program in 100 villages	Ensuring Environmental Sustainability	Other	Uttar Pradesh, Odisha, Bihar and Jharkhand	2,52,72,500	50,54,500	0	50,54,500	The Energy Resource Institute, New Delhi
31	Purchase of sports equipments and accessories for a football program for slum kids	Promoting Education and Livelihood Enhancement	Local	Mumbai, Maharashtra	1,20,000	60,000	0	1,20,000	Oscar Foundation, Mumbai

1	2	3	4		5	6		7	8
Sr. No.	CSR project or activity identified	Sector in which the project is covered	Projects or Programmes		Amount outlay (budget) project or programs wise (in ₹)	Amount spent on the projects or programs Sub-Heads (in ₹)		Cumulative expenditure upto the reporting period (in ₹)	Amount spent Direct or through implementing agency
			(1) Local area or other	(2) Specify the State and district where projects or program was undertaken		(1) Direct expenditure on projects or programs	(2) Overheads		
32	Inclusive Community Based Rehabilitation (ICBR) on the issue of availability and access to healthcare, inclusive education and sustainable livelihood services for people with disabilities in rural village of Karjat.	Promoting Gender Equality and Socio-Economic Empowerment	Local	Thane, Maharashtra	25,41,664	5,00,000	0	10,00,000	Tata Institute of Social Sciences, Mumbai
33	Financial Assistance for construction of 2 units in the old age home	Promoting Gender Equality and Socio-Economic Empowerment	Other	Bangalore, Karnataka	10,00,000	10,00,000	0	10,00,000	Vanaprastha Ashrama, Bangalore
34	Water, Sanitation and Hygiene facilities in 400 schools	Promoting Gender Equality and Socio-Economic Empowerment	Other	Latur, Maharashtra and Mirzapur, Uttar Pradesh	2,67,04,545	1,36,36,363	0	1,36,36,363	UNICEF, New Delhi
35	Development of Model Village in Morigaon district, Assam	Rural Development Projects	Other	Morigaon, Assam	35,55,200	15,57,050	0	15,57,050	Rashtriya Gramin Vikas Nidhi, Assam
36	Rainwater Harvesting project at Isabella Thoburn College, Lucknow	Ensuring Environmental Sustainability	Other	Lucknow, Uttar Pradesh	7,69,000	3,84,500	0	3,84,500	International Academy of Environmental Sanitation and Public Health, Uttar Pradesh
37	Contribution to the PMJDY Corpus	Promoting Education and Livelihood Enhancement	Other and Local	Pan-India	2,26,00,000	2,26,00,000	0	2,26,00,000	Directly
38	Expenditure incurred on Financial Literacy Camps	Promoting Education and Livelihood Enhancement	Other and Local	Pan-India	74,752	74,752	0	74,752	Directly

1	2	3	4		5	6		7	8
Sr. No.	**CSR project or activity identified**	**Sector in which the project is covered**	**Projects or Programmes**		**Amount outlay (budget) project or programs wise (in ₹)**	**Amount spent on the projects or programs Sub-Heads (in ₹)**		**Cumulative expenditure upto the reporting period (in ₹)**	**Amount spent Direct or through implementing agency**
			(1) Local area or other	**(2) Specify the State and district where projects or program was undertaken**		**(1) Direct expenditure on projects or programs**	**(2) Overheads**		
39	Creation of an Endowment Fund for awarding scholarships to the students hailing from backward communities.	Promoting Education and Livelihood Enhancement	Other and Local	Pan-India	5,00,00,000	5,00,00,000	0	5,00,00,000	Ramakrishna Mission, Belur Math
40	Financial Support to the Mid-Day meal under 'Annamrita Program'	Promoting Healthcare and Eradication of Poverty	Local	Mumbai, Maharashtra	9,00,000	6,75,000	0	9,00,000	ISKCON Food Relief Foundation, Maharashtra.
41	Financial Assistance towards construction of a rural youth training centre	Promoting Education and Livelihood Enhancement	Other	Khurda, Odisha	22,51,170	15,62,792	0	15,62,792	Sai Anandam Trust, Odisha
42	Construction of 5 Anganwadi Centres (AWCs) or Auxiliary Nurse Midwife (ANM) centres at disaster affected sites	Promoting Education and Livelihood Enhancement Promoting Gender Equality and Socio-Economic Empowerment	Other	Pithoragarh, Uttrakhand	28,75,000	11,50,000	0	11,50,000	Government of Uttarakhand
43	Installation of Solar Power System on 'Centre of Excellence' building on institute campus	Promoting Education and Livelihood Enhancement Ensuring Environmental Sustainability	Others	Chennai, Tamil Nadu	25,00,000	18,75,000	0	18,75,000	Madras School of Economics, Chennai
44	Setting up a designer candle showroom and supporting the operational costs	Promoting Gender Equality and Socio-Economic Empowerment	Others	Namchi, Sikkim	16,90,000	5,30,000	0	5,30,000	NEDFi, Sikkim
45	Construction of Common Facility Centre for Bagrumba Weaving Society	Promoting Gender Equality and Socio-Economic Empowerment	Others	Nalbari, Assam	20,00,000	14,50,000	0	20,00,000	NEDFi, Assam

1	2	3	4		5	6		7	8
Sr. No.	**CSR project or activity identified**	**Sector in which the project is covered**	**Projects or Programmes**		**Amount outlay (budget) project or programs wise (in ₹)**	**Amount spent on the projects or programs Sub-Heads (in ₹)**		**Cumulative expenditure upto the reporting period (in ₹)**	**Amount spent Direct or through implementing agency**
			(1) Local area or other	**(2) Specify the State and district where projects or program was undertaken**		**(1) Direct expenditure on projects or programs**	**(2) Overheads**		
46	Imparting livelihood and vocational skills training in and around Thane, Kalyan and Bhiwandi	Promoting Gender Equality and Socio-Economic Empowerment	Others	Thane, Maharashtra	15,00,000	7,50,000	0	7,50,000	Urivi Vikram Charitable Trust, Maharashtra
47	Financial assistance to provide 30 solar street lights in select villages	Ensuring Environmental Sustainability	Others	Barabanki, Uttar Pradesh	30,00,000	7,50,000	0	7,50,000	Directly
48	Installing solar energy system, rain water harvesting and medical facilities at the old age home	Promoting Gender Equality and Socio-Economic Empowerment Ensuring Environmental Sustainability	Others	Karjat, Maharashtra	30,00,000	30,00,000	0	30,00,000	Sri Kamakshi Trust, Mumbai
49	Establishing a library, computer lab and installing a water purifier with cooling system	Promoting Education and Livelihood Enhancement Promoting Gender Equality and Socio-Economic Empowerment	Others	Raipur, Chhattisgarh	10,00,000	10,00,000	0	10,00,000	Prayas Girls Residential High School, Raipur
50	Construction of gender segregated toilets under Swachh Bharat Swachh Vidyalaya Abhiyan and Contribution under Swachh Bharat Kosh	Promoting Healthcare and Eradication of Poverty	Others and Local	Pan-India	9,00,00,000	6,88,77,768	0	6,88,77,768	Directly
51	Miscellaneous	NA	NA	NA	NA	0	25,600	25,600	Directly
	Total				**33,42,67,735**	**23,43,56,947**	**25,800**	**25,95,99,559**	

6. **In case the Bank has failed to spend the two percent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the company shall provide the reasons for not spending the amount in its Board Report.**

In consonance with the broad guidelines outlined in the Companies Act, 2013, IDBI Bank has been undertaking most of its CSR activities in project/programme mode. Therefore, in view of the phased implementation of various programmes and the actual spend spilling over to subsequent years in some programmes, the Bank has been able to spend ₹ 23.44 crore which accounts for around 89.16% of the budgeted spend of ₹ 26.29 crore.

7. **A responsibility statement of the CSR Committee that the implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR objectives and Policy of the company.**

CSR Committee of IDBI Bank declares that CSR Policy, implementation and monitoring thereof is, in letter and spirit, in compliance with CSR objectives and Policy of the company.

Sd/-
M. S.Raghavan
(DIN - 05236790)
Chairman and Managing Director and
Chairman of CSR Committee
April 30, 2015

Statement indicating the manner of formal annual evaluation of Board, its Committees and Individual Directors

In terms of Section 134(3) (p) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(4) of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the details on the captioned matter are furnished herein below:

(i) Upon the recommendation of the Nomination Committee of the Board, the Board of Directors formulated the Directors' Appointment and Evaluation Policy of the Bank on July 4, 2014.

(ii) Evaluation sheets giving the parameters on which the performance of Directors needs to be evaluated were devised and approved by the Board and made part of the Directors' Appointment and Evaluation Policy. Separate evaluation sheets were devised for Board's evaluation of all Directors as well as Independent Directors' Committee's evaluation of Non-Independent Directors and the Chairman of the Board.

(iii) Further, evaluation sheets for the Board of Directors and Committees of the Board have also been devised for their annual evaluation, with Board's approval.

(iv) Independent Directors' Committee, at its meeting held on March 19, 2015 evaluated the performance of all Non-Independent Directors including the Chairman of the Board as well as the performance of the Board as a whole.

(v) The Board at its meeting held on March 28, 2015 evaluated the performance of all Directors on the Board, its own performance as well as the performance of committees of the Board. The Director concerned being evaluated by the Board did not participate in the meeting during the process of his/her own evaluation.

Change in the nature of business, if any

During the period of review, the Bank continued to carry on the business of Banking and there was no change in the nature of its business.

Details of Directors or KMPs who were appointed or who resigned during FY 2014-15

Name of Directors	Appointed/ Resigned/Cessation	Date
Shri Subhash Tuli	Ceased to be Director after completion of maximum term of six years as Elected Director	21.07.2014

Name of KMPs	Appointed/ Resigned/Cessation	Date
Shri P.Sitaram	Ceased to be the Chief Financial Officer	04.03.2015
Shri N.S.Venkatesh	Appointed as Chief Financial Officer	04.03.2015

Names of Companies which became or ceased to be Bank's subsidiaries, Joint Ventures or Associate Companies during the FY 2014-15

Names of Subsidiaries	Became / Ceased to be so	Date
	Nil	

Names of Associate Companies	Became / Ceased to be so	Date
	Nil	

Names of Joint Ventures	Became / Ceased to be so	Date
	Nil	

Details relating to Deposits covered under Chapter V of the Companies Act, 2013 and details of deposits which are not in compliance of the requirements of Chapter V of the Act

In terms of proviso to Section 73(1) of the Companies Act, 2013, nothing in this sub-section shall apply to a Banking Company and hence, the requirement of disclosure of captioned details is not applicable on IDBI Bank.

Details of significant and material orders passed by the Regulators or Courts or Tribunals impacting the going concern status and company's operations in future

There were no orders passed by the Regulators or Courts or Tribunals which impacted the going concern status and IDBI Bank's operations in future.

Familiarisation Programme for Independent Directors

Independent Directors were nominated / deputed to various training programmes during FY 2014-15. The detailed status in this regard is provided on your Bank's website (www.idbi.com) under the following link:

http://www.idbi.com/pdf/Familiarisation-Programme-for-Directors.pdf

Establishment of Vigil Mechanism

In terms of the requirement of Section 177(9) and (10) of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 and Clause 49 of the Listing Agreement, the Board of Directors, upon the recommendation of the ACB, approved the establishment of Vigil Mechanism for Directors and employees of IDBI Bank to report genuine concerns including about unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of Bank's Code of Conduct and Ethics Policy. The Vigil Mechanism provides for safeguards against victimisation of persons who use such mechanism. Further, in case of repeated frivolous complaints being filed by a Director or an employee, the ACB may take suitable action against the Director or employee including reprimand. The Policy on Vigil Mechanism giving details of establishment of Vigil Mechanism has been disclosed by the Bank on its website (www.idbi.com), under the link:

http://www.idbi.com/pdf/Policy-on-Vigil-Mechanism.pdf

Policy for Determining Material Subsidiaries

In terms of the requirement of Clause 49 of the Listing Agreement, the Board, at its meeting held on September 05, 2014, established a Policy for determining material subsidiaries. The policy is available on the Bank's website (www.idbi.com) under the following link:

http://www.idbi.com/pdf/materialsubsidiaries.pdf

Policy on dealing with Related Party Transactions

In terms of the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013 and Clause 49 of the Listing Agreement, the Board, at its meeting held on September 05, 2014 and September 26, 2014, formulated a Policy on dealing with Related Party Transactions in IDBI Bank.

The Policy on Related Party Transactions is available on the Bank's website (www.idbi.com) under the following link:

http://www.idbi.com/pdf/RPTpolicyforwebsite.pdf

Disclosure of Accounting Treatment

In terms of Clause 49 of the Listing Agreement, it is confirmed that, in preparation of financial statements, no treatment different from that prescribed in an Accounting Standard has been followed and hence, no explanation from the Management is required to be given in this regard.

Remuneration of Directors

Remuneration and perquisites of the Chairman and Managing Director and Deputy Managing Directors, who are appointed by Government of India, are also fixed by Government. The details of remuneration paid to CMD and DMDs are given in Table 2. There have been no pecuniary relationships/transactions of Non-Executive Directors vis à-vis your Bank during the period under review.

Table 3 : Elements of Remuneration of Chairman and Managing Director and Deputy Managing Directors

Salary and Allowances (As per Government Orders)	Shri M.S.Raghavan, CMD - Pay ₹ 80,000/- p.m. and DA at 107% ₹ 85,600/-	Total ₹ 1,65,600/-.
	Shri B.K. Batra, DMD - Pay ₹ 71,030/- p.m. and DA at 107% ₹ 76,002.10/-	Total ₹ 1,47,033/-.
	Shri M.O.Rego, DMD - Pay ₹ 68,960/- p.m. and DA at 107% ₹ 73,787.20/-	Total ₹ 1,42,748 /-.
Entertainment	Actual entertainment subject to ceiling of ₹ 6000 p.a. (membership of club adjustable within the above ceiling) in respect of both CMD and DMDs.	
Housing	Rent-free furnished accommodation in respect of both CMD and DMDs.	
Conveyance	Entitled to free use of the Bank's car for official purpose.	
Leave Travel Concession	For self and family once in a block of 2 years for visiting any place in India as per entitled class as applicable for official tour in respect of both CMD and DMDs.	
Pension	Entitled to draw pension, if any, admissible in the career post (below board level) as per the rules and regulations of the Bank where the career post is held.	
Gratuity	At the rate of half month's pay for every completed year of service or more than 6 months of service as Chairman and Managing Director/Deputy Managing Directors.	
Tenure	Shri M. S. Raghavan- Appointed as CMD vide Government of India's Notification F.No. 4/4/2012-BO.I dated July 5, 2013 from the date of taking over the charge for a period upto June 30, 2015 or until further orders, whichever is earlier. Shri Raghavan took charge on July 5, 2013.	
	Shri B. K. Batra – Appointed as DMD vide Government of India's Notification F.No. 9/14/2009-BO.I dated January 12, 2012 with effect from January 13, 2012 till the date of superannuation (31.07.2016) or until further orders, whichever is earlier.	
	Shri M. O. Rego- Appointed as DMD vide Government of India's Notification F.No.7/3/2011-BO.I dated August 30, 2013 for the period of five years with effect from the date of his assuming charge of the post or until further orders, whichever is earlier. Shri Rego took charge on August 30, 2013	

Other Independent Directors were paid only the sitting fees for each Board/ Committee Meeting attended by them @₹ 10,000/- per meeting of Board, EC and ACB and @ ₹ 5,000/- per meeting for other Board committee meetings. Apart from the remuneration to CMD and DMDs and sitting fees to Independent Directors, no other remuneration was paid to the Directors, except the expenditure upon their travel, stay and transport incurred by your Bank.

Aggregate amount of Sitting fees paid to Independent Directors for FY 2014-15 is as detailed below:

Name of the Independent Director	Sitting fees paid for 2014-15(₹)
Shri P. S. Shenoy	6,05,000
Shri Subhash Tuli (till 21.07.2014)	50,000
Shri S. Ravi	6,00,000
Shri Ninad Karpe	4,75,000
Shri Pankaj Vats	2,95,000

Disclosure under Rule 5 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014

The remuneration of Chairman & Managing Director and Deputy Managing Directors who are appointed by Govt. of India is fixed by GoI as per GoI Pay Scales with applicable increase in remuneration as per GoI norms. Other Directors on the Board do not get any remuneration except the sitting fees as mentioned in para above. The other employees of the Bank including Key Managerial Personnel (KMPs), i.e., Chief Financial Officer and Company Secretary get remuneration as applicable to the similar grade officials of the Bank and as per Public Sector Scales followed by the Bank with applicable increase in the remuneration as per Public Sector Norms. Periodical revision in the pay scales of employees including KMPs does have the relationship with many factors including Bank's performance. The Bank has not made any FPO and hence no comparison in market quotation of Bank's shares is possible. However, market price of Bank's shares for FY 2014-15, financial ratios, etc. are disclosed in the Annual Report. No variable pay concept is applicable in respect of remuneration of employees including KMPs and that of CMD/DMDs who are getting GoI pay scales. The number of employees on the rolls of the Bank as on March 31, 2015 were 16,555, out of which 443 employees were on contract basis and all other employees were permanent. It is also affirmed that the remuneration is as per the remuneration policy of the Bank and the ratio of the remuneration of each Director to the median employee's remuneration and other details are as per the disclosures made above and are in compliance of Section 197(12) of the Companies Act, 2013 read with Rule 5 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

General Body Meetings

The last Annual General Meeting (AGM) of your Bank was held on June 30, 2014. Details of IDBI Bank Ltd.'s AGMs are given in Table 4.

Table 4 : Details of Annual General Meetings of IDBI Bank Ltd.

Location and time of the last three AGMs	1) June 30, 2014 at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 at 3.30 p.m. (10th AGM of your Bank). 2) September 04, 2013 at Nehru Centre Auditorium, Worli, Mumbai 400 018 at 3.30 p.m. (9th AGM of your Bank). 3) September 06, 2012 at Nehru Centre Auditorium, Worli, Mumbai 400 018 at 3.30 p.m. (8th AGM of your Bank).
Whether Special Resolutions were passed in the last AGM	Yes, special resolutions for (i) taking shareholders' approval u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital and empowering the Board to take specific decision in this regard, (ii) taking shareholders' approval u/s 180(1)(c) of the Companies Act, 2013 for empowering the Board to borrow money and (iii) alteration in Articles of Association of the Bank, were passed at the last AGM of the Bank held on June 30, 2014.
Whether any special resolution was passed last year through postal ballot – details of voting pattern	Yes. Two Special Resolutions were passed u/s 42 of the Companies Act, 2013 through postal ballot on September 2, 2014 and December 5, 2014 for obtaining shareholders' approval for borrowing through private placement/public issue/ Reverse Enquiry/ issuances under MTN Programmes.
Person who conducted the postal ballot exercise	Shri S.N. Ananthasubramanian of M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries
Whether any special resolution is proposed to be conducted through postal ballot	In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with clause 35B of the Listing Agreement, e-voting facility/physical Ballot papers are being provided to the Members to exercise their votes at the ensuing 11th AGM of the Bank.

Passing of Resolution through Postal Ballot

Your Bank successfully completed the process of obtaining the approvals of its Members through postal ballot on the Special Resolution under Section 42 of the Companies Act, 2013, and other applicable provisions for borrowing through private placement/public issue/ reverse enquiry/ issuances under MTN programmes.

Procedure for postal ballot

During 2014-15, your Bank has conducted the Postal Ballot exercise two times for obtaining shareholders' approval. The brief details of the resolutions passed and the procedure for postal ballot is as under:

	Special Resolution Passed through Postal Ballot on September 2, 2014	Special Resolution Passed through Postal Ballot on December 5, 2014
Approval sought	Shareholders' approval through special resolution was obtained to empower Board of Directors of the Bank for mobilization in one or more tranches of (i)₹ 4,000 crore and (ii) Foreign Currency Resources up to USD 7.5 billion equivalent, comprising of Senior Bonds, Basel III compliant Tier II/ Additional Tier I Bonds, by way of private placement/public issue/ reverse enquiry/ issuance under MTN programme during the FY 2014-15 or during one year from the date of passing the resolution, whichever is later.	Shareholders' approval through special resolution was obtained, in partial modification of the Special Resolution passed on September 2, 2014, to empower Board of Directors of the Bank for (i) mobilization in one or more tranches up to the enhanced Rupee Borrowing Limit of ₹ 15,000 crore comprising of Senior Bonds/ Infrastructure Bonds, Basel III compliant Tier II/ Additional Tier I Bonds, by way of private placement/public issue and (ii) continuing mobilization of Foreign Currency Resources up to USD 7.5 billion equivalent outstanding as per the Special Resolution passed on September 2, 2014, during the FY 2014-15 or during one year from the date of passing the resolution, whichever is later.
Scrutinizer	Shri S. N. Ananthasubramanian of M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries were appointed as Scrutiniser for conducting the postal ballot voting process, by Board of Directors at its meeting held on July 4, 2014	Shri S. N. Ananthasubramanian of M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries were appointed as Scrutiniser for conducting the postal ballot voting process, by Board of Directors at its meeting held on September 26, 2014
Date of Notice	July 7, 2014	September 29, 2014
Last date for receipt of postal ballot forms	August 27, 2014	November 29, 2014
Brief details of Scrutinizer's Report	The Scrutinizer received 2545 ballots both through physical ballots and e-voting. Out of 1,39,12,45,062 votes polled, 1,39,08,94,847 votes comprising 99.98% of the total, voted in favour of the resolution and 3,50,215 votes comprising 0.02%, voted against the resolution.	The Scrutinizer received 3883 ballots both through physical ballots and e-voting. Out of 1,41,95,08,487 votes polled, 1,41,91,46,755 votes comprising 99.97% of the total, voted in favour of the resolution and 3,61,732 votes comprising 0.03%, voted against the resolution.
	According to the Scrutiniser's report dated September 1, 2014, the resolution was passed by the requisite majority. The result of the postal ballot was declared by the Chairman on Tuesday, September 2, 2014 and displayed on the websites of your Bank, RTA, viz., Karvy and NSDL. It was also disclosed to Stock Exchanges where the shares of your Bank are listed, i.e., BSE and NSE.	According to the Scrutiniser's report dated December 4, 2014, the resolution was passed by the requisite majority. The result of the postal ballot was declared by the Chairman on Friday, December 5, 2014 and displayed on the websites of your Bank, RTA, viz., Karvy and NSDL. It was also disclosed to Stock Exchanges where the shares of your Bank are listed, i.e., BSE and NSE.
E-voting Facility	Your Bank offered e-voting as an alternate option to enable the members to cast their votes electronically for both the postal ballots stated above.	

Disclosures

1 No company was assisted during April 1, 2014 – March 31, 2015, in which any of the Directors of the Bank was interested except as under:

i. Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) - Shri S. Ravi was an Independent Director in the company. However, ONGC, being a Government Company, is exempted under the RBI guidelines from connected lending provisions.

ii. IDBI Mutual Fund (Represented by IDBI Asset Management Ltd.) - Shri M. S. Raghavan, CMD, is on the Board of IDBI Mutual Fund. However, IDBI Mutual Fund, being a subsidiary of IDBI Bank Ltd., is exempted under the RBI guidelines from connected lending provisions.

iii. IDBI Intech Limited – Shri M. S. Raghavan, CMD and Shri B. K. Batra, DMD are on the Board of IDBI Intech Limited. However, IDBI Intech Limited, being a subsidiary of IDBI Bank Ltd., is exempted under the RBI guidelines from connected lending provisions.

iv. The Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL) - Shri M. O. Rego, DMD is on the Board of CCIL. However, CCIL has been sanctioned overdraft facility to facilitate smooth settlement which is exempted under the RBI guidelines from connected lending provisions.

2 Details of non-compliances, penalties, strictures imposed on your Bank by stock exchange or SEBI or any statutory authority, on any matter related to capital markets, during the last three years are:

FY 2012-13	Nil
FY 2013-14	(i) RBI levied a penalty of ₹ 10 million on the Bank for violation of RBI instructions on KYC and AML guidelines. (ii) SEBI has imposed fine of ₹ 2 lakh on the Bank for delay in receipt of disclosure notice by Stock Exchanges under SEBI’s Takeover and PIT Regulations for acquiring 50 lakh numbers of equity shares of Welspun India Ltd. on April 22, 2010 through QIP route.
FY 2014-15	RBI has levied a penalty of ₹ 15 lakh for deviation in compliance of the provisions of Banking Regulation Act, 1949 in respect of Deccan Chronicle Holdings Ltd. vide its order dated July 25, 2014.

Code of Conduct and Ethics

Your Bank’s Board of Directors has adopted a Code of Conduct and Ethics for its Directors, Officers and Employees. In compliance with the requirement of Clause 49 of the Listing Agreement, a declaration signed by the Chairman and Managing Director about the affirmation of compliance with the Code of Conduct by the Board members and Senior Management Personnel of your Bank is given below:

Declaration by CEO

Pursuant to the provisions of Clause 49 of the Listing Agreement, it is hereby declared for the information of all concerned that all the Board Members and Senior Management Personnel of IDBI Bank Ltd. have affirmed compliance with the Code of Conduct for Directors, Officers and Employees of IDBI Bank Ltd. for the FY 2014-15.

Sd/-
M. S.Raghavan
(DIN - 05236790)
Chairman and Managing Director
April 10, 2015

Prevention of Insider Trading

In accordance with the requirements of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015, which became effective from May 15, 2015, your Bank has formulated a comprehensive Code of Fair Disclosure and Conduct for Prevention of Insider Trading. In compliance with Regulation 8 (1) & (2) of the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015, the Bank’s formulation of Code of Fair Disclosure has been intimated to both the stock exchanges (NSE & BSE) where the Bank’s shares are listed and is also available on Bank’s website -www.idbi.com- under the following link:

http://www.idbi.com/pdf/investor/Prevention_of_Insider_Trading.pdf

CEO/CFO Certification

In terms of Clause 49 of the Listing Agreement, the certification by CEO and CFO on the financial statements and internal controls relating to financial reporting has been obtained and submitted to the Board.

Subsidiary Companies

As on March 31, 2015, your Bank had five subsidiaries, viz., IDBI Intech Ltd., IDBI Capital Market Services Ltd., IDBI Asset Management Ltd., IDBI MF Trustee Company Ltd. and IDBI Trusteeship Services Ltd. No Independent Director on the Board of your Bank is required to be inducted on the Board of its subsidiaries as none of the subsidiaries is a material non-listed subsidiary company as defined under Clause 49. Your Bank's Audit Committee reviews the financial statements, in particular, the investments made by the unlisted subsidiary companies. The minutes of the Board meetings of unlisted subsidiary companies are regularly placed at your Bank's Board meetings.

Compliance Officer

Shri Pawan Agrawal, Company Secretary, is the Compliance Officer. He supervises the operations to ensure that they comply with the requirements of SEBI regulations and the Listing Agreements with the stock exchanges, pertaining to secretarial compliances.

Secretarial Audit

In terms of the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013, M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries have been appointed as Secretarial Auditors of the Bank. The Secretarial Audit Report dated April 25, 2015 is annexed to the Corporate Governance Report.

Means of Communication

Apart from providing detailed Annual Report on your Bank's working, consisting of Board's Report as required under Section 134 of the Companies Act, 2013 and Annual Accounts, your Bank regularly brings out its quarterly results for information of its shareholders. These are published in one English language newspaper having nationwide circulation and in one regional language newspaper. The aforesaid information is also displayed on your Bank's website (www.idbi.com), along with the official press release and presentation made to institutional investors and analysts.

The documents referred to but not sent to the persons entitled to receive the notice of the Annual General Meeting will be made available for inspection of shareholders at your Bank's registered office during working hours for 21 days before the date of AGM.

General Shareholders' Information

General information relevant to shareholders and details of share price movement during April 1, 2014 – March 31, 2015 are provided in Table 5 and Table 6 respectively.

Table 5 : General Shareholders' Information

i.	Date, time and venue of AGM	August 12, 2015, Wednesday, 3.30 p.m., at the Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021
ii.	Financial Year	April 1, 2014 to March 31, 2015
iii.	E-voting period in terms of clause 35B of Listing Agreement and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014	E-voting period will commence on and from Saturday, August 8, 2015 at 12 a.m. IST and end at 5 p.m. IST on Tuesday, August 11, 2015. Physical voting period for members not having access to e-voting facility, on Ballot Paper, ends on Tuesday, August 11, 2015 at 5 p.m. IST
iv.	Book closure date	August 6 to 12, 2015 (both days inclusive)
v.	Date of dispatch of dividend warrants	Wednesday, September 2, 2015
vi.	Dividend payment date	Wednesday, September 9, 2015

vii.	Listing on Stock Exchanges	BSE Ltd. (BSE) and National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
viii.	Stock code / Symbol	BSE – 500116, NSE – IDBI
ix.	Registrar and Share Transfer Agents	Karvy Computershare Pvt. Ltd., Unit : IDBI Equity, Karvy Computershare Private Limited Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032
x.	Share Transfer system	Share Transfers are approved on weekly basis by an internal committee comprising of Executive Director / Chief General Manager.
xi.	Financial Calendar	April 1, 2014 to March 31, 2015 : 1) Results for the quarter ended June 30, 2014 were approved on August 6, 2014 2) Results for the quarter / half year ended September 30, 2014 were approved on October 31, 2014. 3) Results for the third quarter / nine months period ended December 31, 2014 were approved on February 6, 2015 4) Audited Results for the year ended March 31, 2015 were approved on May 26, 2015.
xii.	Last date for receipt of proxy forms	Wednesday, August 10, 2015 upto 3.30 p.m.
xiii.	Board Meeting for considering the quarterly results	Within 45 days from the closure of respective quarter and within 60 days of the end of the financial year for annual audited results.
xiv.	No. of shares and convertible instruments held by Non-Executive Directors	Shri S. Ravi, Independent Non- Executive Director held 200 shares of IDBI Bank Ltd. as on March 31, 2015

IDBI Bank's scrip is actively traded at NSE and BSE. The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) have been paid till date.

Table 6 : IDBI Bank Ltd.'s Share Price Movement on the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) and BSE Ltd.(BSE) : April 2014 – March 2015 (₹)

	NSE		BSE			NSE		BSE	
Month	High	Low	High	Low	Month	High	Low	High	Low
April 2014	69.30	64.10	69.30	64.10	Oct 2014	70.60	60.00	70.55	60.05
May 2014	97.85	66.25	97.65	66.25	Nov 2014	73.90	68.10	73.80	68.20
June 2014	112.70	97.30	112.75	97.10	Dec 2014	73.40	65.20	73.45	65.25
July 2014	108.00	88.20	107.90	88.35	Jan 2015	76.95	70.80	76.90	70.80
Aug 2014	91.40	75.95	91.25	76.10	Feb 2015	76.25	64.30	76.25	64.35
Sept 2014	80.05	59.50	80.05	60.10	Mar 2015	81.95	70.10	81.95	70.00

Shareholding Pattern as on March 31, 2015

The details of shareholding in the Bank by major categories of shareholders and distribution schedule as at end-March 2015, is presented in Table 7 and Table 8 below.

Table 7 : Shareholding Pattern as at March 31, 2015

Category of Shareholders	No. of Shares Held	% to Total
Government of India	1,22,70,18,622	76.50%
Employees	9,94,266	0.06%
Public	11,91,30,933	7.43%
Hindu Undivided Family	32,86,637	0.20%
Bodies corporate	1,92,10,597	1.20%
Institutions		
A) Banks	33,53,050	0.21%
B) Foreign Institutional Investors	5,35,69,666	3.34%
C) State Finance Corporations	35,680	0.00%
D) Financial Institutions	1,44,09,594	0.90%
E) Mutual Funds	11,27,016	0.07%
Societies	28,960	0.00%
Trusts	11,57,182	0.07%
Insurance Companies	15,47,03,233	9.65%
NRI's	53,82,015	0.34%
Directors, KMPs and Relatives		
(i) Shri B. K. Batra, DMD	1,001	0.00%
(ii) Shri M. O. Rego, DMD	460	0.00%
(iii) Shri S. Ravi, I.D.	200	0.00%
(iv) Shri N. S. Venkatesh, CFO	160	0.00%
NSDL (transit)	5,48,333	0.03%
Qualified Foreign Investors	0	0.00%
GRAND TOTAL	**1,60,39,57,605**	**100.00%**

Table 8 : Distribution Schedule as at March 31, 2015

Sr. No.	Category		No. of share-holders	% to total share-holders	Amount (₹)	% to total Amount
	From	To				
1	1	5000	3,71,271	90.78%	56,60,03,700.00	3.53%
2	5001	10000	22,305	5.45%	17,26,02,760.00	1.08%
3	10001	20000	9,019	2.21%	13,37,16,210.00	0.83%
4	20001	30000	2,389	0.58%	6,09,68,720.00	0.38%
5	30001	40000	1,104	0.27%	3,95,68,710.00	0.25%
6	40001	50000	790	0.19%	3,73,92,530.00	0.23%
7	50001	100000	1,143	0.28%	8,42,28,120.00	0.53%
8	100001 and above		962	0.24%	14,94,50,95,300.00	93.18%
Total			**4,08,983**	**100.00%**	**16,03,95,76,050.00**	**100.00%**

Share Transfer System and Redressal of Investor Grievances

To expedite the process of share transfers, an internal committee of Executive Director/ Chief General Manager has been set up to approve the Memorandum of Transfers (MoTs) on a weekly basis.

As on April 1, 2014, 216 investor grievances were pending for redressal. Between April 1, 2014 and March 31, 2015, 9,973 investor grievances were received from shareholders/ investors by your Bank's Registrar and Transfer Agents. All the 10,188 grievances were redressed during the year and 1 were pending for redressal as on March 31, 2015.

In respect of shares, NIL cases of transfers were pending on April 1, 2014. Between April 1, 2014 and March 31, 2015, 948 requests for transfer of shares were received by your Bank's Registrar and Transfer Agents. All the 948 requests for transfer of shares were processed during the year and NIL requests were pending as on March 31, 2015.

Equity Shares in the unclaimed Suspense Account

In terms of Clause 5A(I) of the Listing Agreement, your Bank reports the following details in respect of equity shares lying in the unclaimed suspense account:

Disclosure of details of Unclaimed Suspense Account (under clause 5A of the Listing Agreement)

Sr. No.	Particulars	No. of Shareholders	No. of Shares
(i)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account as on April 01, 2014	4,946	8,86,154
(ii)	Number of shareholders who approached your Bank for transfer of shares from the Unclaimed Suspense Account during April 01, 2014 to March 31, 2015	48	10,220
(iii)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Unclaimed Suspense Account during April 01, 2014 to March 31, 2015	48	10,220
(iv)	Aggregate number of shareholders and outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account as on March 31, 2015	4,898	8,75,934

Table 9: Details of de-materialisation and address for correspondence

Dematerialisation of shares and liquidity

Nature of Holding	No. of shareholders	Shares	Percentage
Physical	72,243	1,71,82,911	1.07%
NSDL (Dematerialized)	2,28,985	32,81,61,187	20.46%
CDSL (Dematerialized)	1,07,755	1,25,86,13,507	78.47%
Total	**4,08,983**	**1,60,39,57,605**	**100.00%**

Outstanding GDRs / ADRs/ Warrants or convertible instruments, conversion date and likely impact on equity	IDBI Bank Ltd. has not issued GDRs/ ADRs/ Warrants, etc.
Plant Locations	Not applicable. However, information about locations of your Bank's branches is available on your Bank's website (www.idbi.com)
Address for correspondence	**IDBI Bank Ltd.** CIN – L65190MH2004GOI148838 Equity Cell - Board Department, IDBI Bank Ltd., 20th floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005 Phone – (022) 66552779, 66553062, 66552620 Fax – (022) 2218 23 52 E-mail – idbiequity@idbi.co.in Website – www.idbi.com **Registrar and Transfer Agents** Karvy Computershare Private Limited Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 Tel.No.(040) 33211500 Toll Free Number : 1-800-3454001 Fax No.(040) 23420814 E-mail : einward.ris@karvy.com
Registered Office Addresses of Subsidiary Companies	**IDBI Capital Market Services Ltd.** 3rd Floor, Mafatlal Centre, Nariman Point, Mumbai – 400 021. **IDBI Intech Ltd.** IDBI Building, 1st Floor, Plot No.39-41, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai – 400 614. **IDBI MF Trustee Company Ltd.** IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005. **IDBI Asset Management Ltd.** IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005. **IDBI Trusteeship Services Ltd.** Asian Building, Ground Floor, 17, R. Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai – 400 001.

Status of Compliance of Mandatory / Non Mandatory Requirements of Clause 49

The Bank has complied with all the mandatory requirements given under revised Clause 49 of Listing Agreement and has been submitting quarterly compliance report on Corporate Governance on the prescribed format to the Stock Exchanges within the prescribed time-lines. As regards non-mandatory requirements given under Clause 49, the status is as follows:

Sr. No.	Non-Mandatory Requirements	Status
1.	A Non-Executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's Office at the Bank's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties	A separate position of Chairman other than MD and CEO is being created by amendment of Article 116(1)(a) at the ensuing AGM on August 12, 2015.
2.	A half yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in the past six months may be sent to each household of shareholders	Quarterly as well as half yearly financial results are published in the newspapers as well as disseminated to the Stock Exchanges immediately after Board approval for information of Shareholders and other Stakeholders.
3.	Bank may move towards a regime of unqualified financial statements	Bank's Auditors' Reports have continued to remain unqualified.
4.	The Bank may appoint separate persons to the post of Chairman and MD/CEO	The present position of Chairman and Managing Director (CMD) is proposed to be separated into two posts of a Chairman and a Managing Director and CEO (MD CEO), in compliance of Government of India's directives, by amending Article 116(1)(a) of the Articles of Association at the ensuing AGM to be held on August 12, 2015.
5.	The Internal auditor may report directly to the Audit Committee.	Internal Auditor, Shri Umesh Jain, CGM, reports to ACB.

Form No. MR - 3
Secretarial Audit Report

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st March 2015

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel)Rules, 2014]

To,
The Members,
IDBI Bank Limited
IDBI Tower,WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai -400005.

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **IDBI Bank Ltd** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st March 2015,** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2015 according to the provisions of:

i. The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;

ii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

iii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

iv. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

v. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

   a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

   b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;

   c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;

   d. The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 /Securities And Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations,2014 (Effective 28th October 2014);

   e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

   f. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;

Not Applicable as the Company is not registered as Registrar to Issue and Share Transfer Agent during the financial year under review.

g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;

Not applicable as the Company has not delisted its equity shares from any stock exchange during the financial year under review.

h. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998;

Not applicable as the Company has not bought back any of its securities during the financial year under review.

vi. The laws as are applicable specifically to the Company are as under:

1. Bankers' Books Evidence Act, 1891;
2. Banking Regulation Act, 1949 & Banking Companies Rules, 1949 (as amended from time to time);
3. The Banking Companies (Period of Preservation of Records) Rules, 1985;
4. FEMA Rules, Regulations and notifications issued from time to time;
5. Prevention of Money-Laundering Act (PMLA), 2002 and The Prevention of Money- Laundering (Maintenance of Records, etc) Rules, 2005;
6. Reserve Bank of India (RBI) Act, 1934;
7. Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002.
8. The Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act,1993
9. The Payment And Settlement Systems Act,2007.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India. **(not applicable as not notified during the period under review).**

(ii) The Listing Agreements entered into by the Company with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited ;

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following:

➢ Reserve Bank of India has imposed a penalty of Rs. 15 Lac for deviation in compliance of the provisions of Banking Regulations Act, 1949;

We further report that: -

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The Changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice of at least nine days is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent sufficiently in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

➢ As informed, the Company has responded to notices for demands, claims, penalities etc levied by various statutory / regulatory authorities and initiated actions for corrective measures, wherever found necessary.

We further report that during the audit period:

1. The Members have authorized the Board to borrow any sum or sums of money from time to time, provided that the total amount so borrowed shall not exceed Rs1,25,000 crore (Rupees One Lakh Twenty Five Thousand Crore only), vide Special Resolution at the Annual General Meeting held on 30th June 2014;

2. The Articles of Association of the Company have been amended vide Special Resolution passed at Annual General Meeting held on 30th June 2014.

For **S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO**

S N Ananthasubramanian
FCS No.4206
C P No. 1774

Date: 25th April, 2015
Place: Thane

To,
The Members,
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai - 400005

Our Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter.

Management's Responsibility

1. The Company's Management is responsible for preparation and maintenance of secretarial records and for devising proper systems to ensure compliance with the provisions of applicable laws and regulations.

2. It is the responsibility of the management of the Company to maintain secretarial records, devise proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and regulations and to ensure that the systems are adequate and operate effectively.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, standards and procedures followed by the Company with respect to secretarial compliances.

4. We believe that audit evidence and information obtained from the Company's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.

5. Whereever required, we have obtained the management's representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

Disclaimer

6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For **S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO**

S N Ananthasubramanian
FCS No.4206
C P No. 1774

Date: 25th April, 2015
Place: Thane

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
Independent Auditor's Report

प्रति,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण

एकल वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक') के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिनमें यथा 31 मार्च 2015 के लिए तुलन पत्र तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे और नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं (इसमें इसके पश्चात् 'एकल वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट') शामिल हैं.

   यह लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित तथा संचालित की गई कि विभिन्न प्रोसेसिंग केंद्रों/क्षेत्रीय कार्यालयों / शाखाओं में उपलब्ध रिकॉर्डों तथा बैंक के 73% अग्रिमों और 73% जमाराशियों को शामिल करते हुए केंद्रीय कार्यालय स्तर पर केंद्रीय बैंकिंग अनुप्रयोगों के माध्यम से उत्पन्न हुई रिपोर्टों को शामिल किया जा सके तथा इसके अंतर्गत बैंक के 65 केंद्रों /कार्यालयों/शाखाओं का निरीक्षण किया गया. उक्त एकल वित्तीय विवरणों में बैंक की दुबई शाखा की विवरणियां शामिल की गई हैं जिनकी लेखा परीक्षा दूसरे लेखापरीक्षक द्वारा की गई है.

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. बैंक का निदेशक मंडल, इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134(5) में उल्लिखित उन मामलों के लिए उत्तरदायी है जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29, कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के प्रावधानों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और उचित छवि प्रस्तुत करते हैं. इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना; तर्कपूर्ण और विवेकसम्मत निर्णय लेना और पूर्वानुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उसे कार्यान्वित करना एवं उसे बनाए रखना, जो सही एवं उचित छवि प्रस्तुत करने वाली तथा धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण होने वाली तथ्यात्मक अयथार्थ कथन से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार

To
The Members of IDBI Bank Limited

Report on the Standalone Financial Statements

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of the IDBI Bank Limited ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2015 and the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as 'the standalone financial statements').

   The audit was planned and conducted as to cover records available at various processing centres/ regional offices/ branches and reports generated through centralised banking applications at central office level and visit at 65 centres/ offices/ branches of the Bank, covering 73% of Advances and 73% of Deposits of the Bank. Incorporated in the said standalone financial statements are the returns of the Dubai branch of the Bank, audited by another auditor.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. The Bank's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ('the Act') with respect to the preparation and presentation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness

और प्रस्तुत करने से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित हैं, आदि भी शामिल हैं.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन एकल वित्तीय विवरणों के बारे में राय प्रकट करना है. हमने इसमें अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और विषयों जिसे अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत लेखा परीक्षा में शामिल किया जाना अपेक्षित है, शामिल किया है. हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार बैंक की शाखाओं और केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई / क्षेत्रीय प्रोसेसिंग सहित लेखा परीक्षा की है. इन मानको में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखा परीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में कोई भौतिक अयथार्थ कथन नहीं है.

4. लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करने वाले साक्ष्यों की जांच करने के लिए प्रक्रिया का पालन करना शामिल है. यह चुनी गई प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित है, जिसमें वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तथ्यात्मक अयथार्थ कथन की जोखिम का आकलन भी शामिल है. इन जोखिम आकलनों को करते समय लेखापरीक्षक बैंक द्वारा वित्तीय विवरणों की तैयारी व निष्पक्ष प्रस्तुति के संबंध में आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं ताकि इन परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखा परीक्षा प्रक्रिया रूपांकित की जा सके लेकिन इस पर अपनी राय व्यक्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं कि क्या बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या ऐसे नियंत्रण परिचालनगत रूप से प्रभावशाली हैं. लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना और साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है.

हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य एकल विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त है.

राय

5. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण और उन पर टिप्पणियां बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित जानकारी बैंकिंग कंपनियों के लिए अपेक्षित रूप में देते हैं तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा परीक्षा सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित की सच्ची व सही स्थिति दर्शाते हैं:

of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these standalone financial statements based on our audit. We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder. We conducted our audit of the Bank including its branches and central processing unit/ regional processing units in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Bank's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Bank has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence obtained by us is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on standalone financial statements.

Opinion

5. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given, the said financial statements together with notes thereon give full information required by the Banking Regulation Act, 1949 as well as the Companies Act, 2013 in the manner so required for banking companies and give true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

(क) तुलन पत्र के मामले में यथा 31 मार्च 2015 को बैंक के कामकाज की स्थिति;

(ख) लाभ-हानि लेखे के मामले में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ;

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह.

अन्य मामले

6. हमने बैंक की दुबई शाखा के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है जो यथा 31 मार्च 2015 को 257,284,839 हजार रु. की कुल आस्तियां, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 11,054,928 हज़ार रु. के कुल राजस्व और 25,045,251 हज़ार रु. के नकदी बहिर्वाह दर्शाते हैं. इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा उक्त शाखा के निगमन के देश में लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत् योग्यता प्राप्त अन्य लेखापरीक्षक द्वारा की गई है जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमने बैंक के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय बनाने के लिए इसका आधार लिया है. इस मामले में हमारी राय उचित नहीं होगी.

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

7. तुलन पत्र तथा लाभ-हानि लेखा एवं नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं.

8. हमारे ध्यान में आए बैंक के लेन-देन बैंक की अधिकार सीमा के भीतर रहे हैं.

9. बैंक के महत्वपूर्ण परिचालन पूर्णतः स्वचालित हैं तथा महत्वपूर्ण एप्लिकेशन कोर बैंकिंग प्रणाली से संबद्ध हैं. लेखा परीक्षा केंद्रीकृत रूप में की जाती है क्योंकि लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ सभी आवश्यक रिकॉर्ड एवं डेटा यहां केंद्रीकृत रूप में उपलब्ध है.

10. हमारी राय में इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखे और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में उल्लिखित लेखांकन मानकों का पालन उस सीमा तक करते हैं जहां तक कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत न हों.

11. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं किः

(क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किए जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

(a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2015;

(b) in case of the Profit and Loss Account, of the profit of the Bank for the year ended on that date;

(c) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows of the Bank for the year ended on that date.

Others Matter

6. We did not audit the financial statement of the Dubai branch of the Bank, whose financial statement as at March 31, 2015 reflects total assets of Rs. 257,284,839 thousand, total revenues of Rs. 11,054,928 thousand and cash out flows of Rs. 25,045,251 thousand for the year then ended. These financial statements have been audited by another auditor, duly qualified to act as an auditor in the country of incorporation of the said branch, whose report has been furnished to us and which was relied upon by us for our opinion on the financial statements of the Bank. Our opinion is not qualified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet, Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 133 of the Companies Act, 2013.

8. The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

9. The key operations of the Bank are completely automated and key applications are integrated with the core banking system, the audit is carried out centrally as all the necessary records and data required for the purpose of the audit are centrally available therein.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report comply with accounting standards referred to in Section 133 of the Companies Act, 2013 to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by Reserve Bank of India.

11. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

(a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

(ख) हमारी राय में बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी हैं जैसा कि इन बहियों की हमारी अब तक की जांच से पता चलता है; बैंक की वित्तीय लेखाप्रणाली केंद्रीकृत है और इसीलिए वित्तीय विवरणियां तैयार करने के प्रयोजन हेतु शाखाओं को लेखा विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है;

(ग) इस रिपोर्ट में विचार किए गए तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखे और नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं;

(घ) हमारी राय में उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुपालन में है;

(ङ) कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 21 अक्तूबर 2003 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 829(ई) के निबंधनों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं;

(च) कंपनी नियमावली, 2014 (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में हमारी राय और हमारी अधिकतम जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार हैंः

i. बैंक ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है - एकल वित्तीय विवरण के नोट 18(9)(ग) का संदर्भ लें;

ii. बैंक ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों, यदि हों, के लिए लागू कानून अथवा लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान किया है - एकल वित्तीय विवरण के नोट 18(9)(ख) का संदर्भ लें;

iii. बैंक द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में अंतरित की जाने वाली राशियों के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है .

कृते *खिमजी कुंवरजी एंड कं.*
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 105146W
गौतम वी. शाह
साझेदार (एफ-117348)

कृते **जी डी आप्टे एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 100515W
सौरभ एस.पेशवे
साझेदार (एफ-121546)

मुंबई
26 मई 2015

(b) in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those book; the financial accounting systems of the Bank are centralised and therefore, accounting returns for the purpose of preparing financial statements are not required to be submitted by the branches;

(c) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;

(d) in our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;

(e) provision of Section 164 (2) of the Companies Act, 2013 are not applicable in terms of Notification No.G.S.R.829(E) dated October 21,2003 issued by Department of Company Affairs, Government of India;

(f) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us;

i. The Bank has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements- Refer Note 18(9)(c) to the standalone financial statements;

ii. The Bank has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts – Refer Note 18(9)(b) to the standalone financial statements;

iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank.

For **Khimji Kunverji & Co**
Chartered Accountants
FRN: 105146W
Gautam V Shah
Partner (F-117348)

For **G D Apte & Co**
Chartered Accountants
FRN: 100515W
Saurabh S Peshwe
Partner (F-121546)

Mumbai
May 26, 2015

तुलन पत्र 31 मार्च 2015 को
Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	1603 95 76	1603 93 93
रिज़र्व और अधिशेष / Reserves and surplus	2	22712 96 08	22034 91 89
कर्मचारी स्टॉक विकल्प (मंजूरियां) बकाया Employees' stock options (grants) outstanding		18 51	44 67
जमाराशियां / Deposits	3	259835 97 39	235773 63 25
उधार राशियां / Borrowings	4	61832 97 78	60146 29 04
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	5	10044 51 13	9429 12 78
कुल / TOTAL		**356030 56 65**	**328988 35 56**
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	13035 76 70	12711 11 34
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय Balances with banks and money at call and short notice	7	1489 98 51	4106 79 60
निवेश / Investments	8	120963 21 28	103773 50 35
अग्रिम / Advances	9	208376 86 65	197686 00 36
अचल आस्तियां / Fixed assets	10	3060 49 62	2983 20 55
अन्य आस्तियां / Other assets	11	9104 23 89	7727 73 36
कुल / TOTAL		**356030 56 65**	**328988 35 56**
आकस्मिक देयताएं / Contingent liabilities	12	231608 74 12	188202 72 37
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		14464 49 59	8337 95 21
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 & 18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

कृते खिमजी कुंवरजी एंड कं.
For Khimji Kunverji & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्याः 105146W/ FRN - 105146W

कृते जी. डी. आप्टे एंड कं.
For G. D. Apte & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्याः 100515W/ FRN - 100515W

(एम. एस. राघवन)
(M.S. Raghavan)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

गौतम वी शाह
Gautam V Shah
साझेदार (एफ117348)
Partner (F–117348)

सौरभ एस पेशवे
Saurabh S Peshwe
साझेदार (एफ-121546)
Partner (F-121546)

(बी. के. बत्रा)
(B.K. Batra)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एम. ओ. रेगो)
(M.O. Rego)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एस. रवि)/ (S. Ravi)
निदेशक / Director

(पवन अग्रवाल) / (Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव / Company Secretary

(एन. एस. वेंकटेश)/ (N.S. Venkatesh)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 26 मई 2015 / Date: May 26, 2015

लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2015

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014
I	आय / INCOME			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	28153 99 20	26597 51 37
	अन्य आय / Other income	14	4007 63 21	2978 75 43
	कुल / TOTAL		**32161 62 41**	**29576 26 80**
II	व्यय / EXPENDITURE			
	व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	22406 09 95	20576 03 81
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	4027 41 78	3318 83 68
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and contingencies	18(B)(XII)	4854 71 84	4559 99 04
	कुल / TOTAL		**31288 23 57**	**28454 86 53**
III	लाभ / PROFIT			
	वर्ष के लिए निवल लाभ / Net Profit for the year		873 38 84	1121 40 27
	आगे ले जाया गया लाभ / Profit brought forward		896 76 86	903 86 08
	कुल / TOTAL		**1770 15 70**	**2025 26 35**
IV	विनियोग / APPROPRIATIONS			
	सांविधिक रिजर्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		218 34 70	281 00 00
	पूंजी रिजर्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		229 06 58	9 31 79
	सामान्य रिजर्व में अंतरण / Transfer to General Reserve		65 00 00	400 00 00
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिजर्व में अंतरण Transfer to Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		200 00 00	250 00 00
	प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		120 29 68	44 10 83
	अंतरिम लाभांश / Interim Dividend		-	116 29 01
	ईसॉप पर लाभांश / Dividend on ESOPs		59	1 15
	लाभांश वितरण कर / Dividend distribution tax		25 25 37	27 76 71
	तुलन पत्र में आगे ले जाई गई राशि Balance carried over to balance sheet		912 18 78	896 76 86
	कुल / TOTAL		**1770 15 70**	**2025 26 35**

लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2015

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014
प्रति शेयर उपार्जन (₹) (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) Earnings per share (₹) (Face Value ₹ 10 per share)	18(अ)(6) 18(A)(6)		
मूल / Basic		5.45	8.00
न्यूनीकृत / Diluted		5.45	8.00
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ - हानि लेखा के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account			

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

कृते खिमजी कुंवरजी एंड कं.
For Khimji Kunverji & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या: 105146W/ FRN - 105146W

कृते जी. डी. आप्टे एंड कं.
For G. D. Apte & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या: 100515W/ FRN - 100515W

(एम. एस. राघवन)
(M.S. Raghavan)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

गौतम वी शाह
Gautam V Shah
साझेदार (एफ117348)
Partner (F–117348)

सौरभ एस पेशवे
Saurabh S Peshwe
साझेदार (एफ-121546)
Partner (F-121546)

(बी. के. बत्रा)
(B.K. Batra)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एम. ओ. रेगो)
(M.O. Rego)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एस. रवि)/ (S. Ravi)
निदेशक / Director

(पवन अग्रवाल) / (Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव / Company Secretary

(एन. एस. वेंकटेश)/ (N.S. Venkatesh)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 26 मई 2015 / Date: May 26, 2015

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
अनुसूची 1 -पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
प्राधिकृत पूंजी / Authorised capital		
₹ 10 प्रत्येक के 300 00 00 000 (300 00 00 000) इक्विटी शेयर 300 00 00 000 (300 00 00 000) Equity shares of ₹ 10 each	3000 00 00	3000 00 00
	3000 00 00	**3000 00 00**
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी **Issued, Subscribed & Paid up Capital**		
₹ 10 प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 160 39 57 605 (160 39 39 260) इक्विटी शेयर 160 39 57 605 (160 39 39 260) Equity shares of ₹ 10 each fully paid up	1603 95 76	1603 93 93
(अनुसूची 18 टिप्पणी ग.2 (i) देखें) / (Refer Schedule 18 Note C.2 (i))		
कुल / TOTAL	**1603 95 76**	**1603 93 93**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
	अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I	सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	2801 00 00	2520 00 00
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	218 34 70	281 00 00
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		3019 34 70	**2801 00 00**
II	पूंजीगत रिज़र्व / Capital Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	518 55 15	509 23 36
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	229 06 58	9 31 79
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		747 61 73	**518 55 15**
III	पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve		
	प्रारंभिक शेष (अनुसूची 18 टिप्पणी क.1 देखें) Opening balance (Refer Schedule 18 Note A.1)	1712 83 66	1762 78 10
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	49 98 63	49 94 44
		1662 85 03	**1712 83 66**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
	अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
IV	**शेयर प्रीमियम / Share Premium**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	9678 75 56	8149 66 45
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	19 62	1529 09 11
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		9678 95 18	**9678 75 56**
V	**राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserve**		
	(क/a) सामान्य रिज़र्व General Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	5025 64 51	4905 60 48
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year		
	(i) स्टाफ कल्याण निधि से अंतरण Transferred from Staff Welfare Fund	29 01 11	
	(ii) लाभ - हानि लेखे से अंतरण Transferred from Profit and Loss Account	65 00 00	400 00 00
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	279 95 97
		5119 65 62	**5025 64 51**
	(ख/b) स्टाफ कल्याण निधि / Staff Welfare Fund		
	प्रारंभिक शेष Opening balance	29 01 11	29 01 11
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान सामान्य रिज़र्व में अंतरण (अनुसूची 18 टिप्पणी ग.2 (ii) देखें) Transfer to General Reserve during the year (Refer Schedule 18 Note C.2(ii))	29 01 11	-
		-	**29 01 11**
	(ग/c) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	6 35 04	6 35 04
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		6 35 04	**6 35 04**
	(घ/d) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिजर्व Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	1366 00 00	1116 00 00
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	200 00 00	250 00 00
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		1566 00 00	**1366 00 00**
VI	**लाभ-हानि लेखे में शेष राशि Balance in Profit and Loss Account**	912 18 78	896 76 86
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**22712 96 08**	**22034 91 89**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
अनुसूचियां 3 - जमाराशियां / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
क/A		
I. मांग जमाराशियां / Demand Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	6142 36 83	4083 91 46
(ii) अन्य से / From others	24273 84 42	20933 74 40
	30416 21 25	25017 65 86
II. बचत बैंक जमाराशियां / Savings Bank Deposits	34701 26 79	28334 05 38
III. सावधि जमाराशियां / Term Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	28183 96 91	24129 07 05
(ii) अन्य से / From others	166534 52 44	158292 84 96
	194718 49 35	182421 92 01
कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	259835 97 39	235773 63 25
ख/B		
(i) भारत में स्थित शाखाओं की जमा राशियां Deposits of branches in India	257899 38 83	234987 41 31
(ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India	1936 58 56	786 21 94
कुल / TOTAL	259835 97 39	235773 63 25

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
अनुसूची 4 - उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार राशियां / Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	-	-
(ii) अन्य बैंक / Other banks	1222 70 00	976 70 00
(iii) अन्य संस्थाएं और एजेंसियां / Other institutions and agencies	-	-
(iv) टीयर 1 (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत) Tier 1 (Innovative Perpetual Debt Instrument)	1708 80 00	1708 80 00
(v) अतिरिक्त टीयर 1 बांड / Additional Tier 1 BOND	2500 00 00	-
(vi) अपर टीयर 2 बांड / Upper Tier 2 bonds	4286 20 00	4286 20 00
(vii) अप्रतिभूत, प्रतिदेय बांड (टीयर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier II Capital)	9208 50 00	10279 80 00
(viii) अन्य* / Others *	19699 57 06	19167 10 72
II. भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India	23207 20 72	23727 68 32
कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	61832 97 78	60146 29 04

ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां - ₹ 7293 18 86 हजार (₹10475 32 29 हजार)
Secured borrowings included in I and II above- ₹ 7293 18 86 thousand (₹ 10475 32 29 thousand)

* ₹ 850 00 00 हजार (₹ 850 00 00 हजार) का बेमीयादी ऋण लिखत शामिल है.
* Included Perpetual Debt Instrument ₹ 850 00 00 thousand (₹ 850 00 00 thousand)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
	अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I.	देय बिल / Bills Payable	1445 68 16	1627 53 37
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	14 44 69	8 63 62
III.	उपचित ब्याज / Interest accrued	1910 53 72	1939 71 56
IV.	**अन्य (प्रावधान सहित) / Others (Including Provision)**		
	(क) मानक आस्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान (a) Prudential provisions against standard assets	1740 18 53	1237 23 52
	(ख) प्राप्त अग्रिम भुगतान (b) Advance payments received	834 75 77	677 81 64
	(ग) देय लाभांश तथा लाभांश कर (c) Dividend and dividend tax payable	142 48 27	48 14 52
	(घ) विविध लेनदार (d) Sundry Creditors	293 91 22	259 11 80
	(ङ) देय सेवा कर / टीडीएस / अन्य कर (e) Service Tax/ TDS/ Other taxes payable	11 11 59	41 59 75
	(च) विविध जमाराशियां (f) Sundry Deposits	28 72 69	19 23 75
	(छ) अन्य प्रावधान (g) Other provisions	2533 09 01	1898 10 48
	(ज) विविध (h) Miscellaneous	1089 57 48	1671 98 77
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**10044 51 13**	**9429 12 78**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च, 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च, 2014 As at 31-03-2014
	अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	1804 19 12	1385 47 32
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	11231 57 58	11325 64 02
	(ii) अन्य खातों में / in Other Accounts	-	-
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**13035 76 70**	**12711 11 34**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
	अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE			
I	**भारत में / In India**			
	(i)	बैंकों के पास शेष / Balance with banks		
		(क) चालू खातों में (a) in Current Accounts	365 37 41	352 40 74
		(ख) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	305 90 00	356 93 00
	(ii)	मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice		
		(क) बैंकों के पास (a) with banks	-	-
		(ख) अन्य संस्थाओं के पास (b) with other Institutions	-	-
			671 27 41	**709 33 74**
II	**भारत से बाहर / Outside India**			
	(i)	चालू खातों में / in Current Accounts	65 86 58	99 90 20
	(ii)	अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	668 75 00	3181 48 65
	(iii)	मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice	84 09 52	116 07 01
			818 71 10	**3397 45 86**
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)		**1489 98 51**	**4106 79 60**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
	अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I	**भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in**		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	83491 49 11	66974 40 02
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-
	(iii) शेयर / Shares	3049 46 29	3092 94 41
	(iv) डिबेंचर और बांड / Debentures and Bonds	9476 10 85	14111 64 99
	(v) सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures	702 03 82	643 69 82
	(vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट, एसआर, पीटीसी, सिडबी/ नाबार्ड/ एनएचबी और आरआईडीएफ जमाराशियां) Others (CPs, Units in MFs, SRs, PTCs, SIDBI, NABARD, NHB and RIDF Deposits)	24244 11 21	18950 81 11
		120963 21 28	**103773 50 35**
II	**भारत से बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in**		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	-	-
	(ii) सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures	-	-
	(iii) अन्य निवेश / Other investments	-	-
		-	**-**
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**120963 21 28**	**103773 50 35**
III	**भारत में निवेश / Investments in india**		
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	122419 87 05	105021 96 50
	घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision / depreciation	1456 65 77	1248 46 15
	निवल निवेश / Net investments	120963 21 28	103773 50 35
IV	**भारत से बाहर निवेश / Investments outside india**		
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	-	-
	घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision / depreciation	-	-
	निवल निवेश / Net investments	-	-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
	अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES			
क A				
	(i)	खरीदे और भुनाए / पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted/ rediscounted	6701 32 73	4883 77 75
	(ii)	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	54303 77 11	52098 53 31
	(iii)	मीयादी ऋण */ Term loans *	147371 76 81	140703 69 30
	कुल / TOTAL		**208376 86 65**	**197686 00 36**
ख B				
	(i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत ** / Secured by tangible assets **	198719 15 97	186371 97 67
	(ii)	बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित *** Covered by Bank / Government guarantees***	4046 35 52	2023 25 45
	(iii)	अप्रतिभूत / Unsecured	5611 35 16	9290 77 24
	कुल / TOTAL		**208376 86 65**	**197686 00 36**
ग C				
I	**भारत में अग्रिम / Advances in India**			
	(i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	51060 00 01	41191 44 82
	(ii)	सार्वजनिक क्षेत्र / Public sector	9665 00 63	5507 56 38
	(iii)	बैंक / Banks	190 38 02	109 31 85
	(iv)	अन्य / Others	124617 13 92	133073 53 67
	कुल / TOTAL		**185532 52 58**	**179881 86 72**
II	**भारत से बाहर अग्रिम / Advances Outside India**			
	(i)	बैंकों से प्राप्य / Due from banks	-	-
	(ii)	अन्य से प्राप्य : / Due from others:		
		(क) खरीदे तथा भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	175 15 30	133 86 97
		(ख) समूहित ऋण (b) Syndicated loans	4535 84 10	2233 30 50
		(ग) अन्य (c) Others	18133 34 67	15436 96 17
	कुल / TOTAL		**22844 34 07**	**17804 13 64**
	कुल (ग I और ग II) / GRAND TOTAL (C I and C II)		**208376 86 65**	**197686 00 36**

* (₹ 790 00 00 हजार) का अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाण पत्र को छोड़कर.

* Net of Inter-Bank Participatory Certificate (₹ 790 00 00 Thousand)

* (पिछले वर्ष आंकड़ों में ₹ 3100 00 00 हजार अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाण पत्र की खरीद शामिल है)

* (Previous year figure includes Inter-Bank Participatory Certificate purchase ₹ 3100 00 00 Thousand)

** बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं

** Includes advances against book debts

*** बैंकों द्वारा जारी साख-पत्रों पर अग्रिम शामिल हैं

*** Includes advances against Letter of Credit issued by banks.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
	अनुसूची 10 - अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I	**परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी क.1 देखें)** **Premises (Refer Schedule 18 Note A.1)**		
	प्रारम्भिक शेष / Opening Balance	2784 18 43	2756 66 96
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	1 24 29	27 51 47
	वर्ष के दौरान कटौतियां * / Deductions during the year *	4 83	-
	आज की तारीख तक मूल्यहास / Depreciation to date	477 85 71	416 54 79
		2307 52 18	**2367 63 64**
II	अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर व फिक्सचर सहित) **Other fixed assets (including Furniture & Fixtures)**		
	प्रारम्भिक शेष / Opening Balance	1437 54 47	1259 28 64
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	234 37 14	193 94 07
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	3 52 14	15 68 24
	आज की तारीख तक मूल्यहास / Depreciation to date	964 61 94	842 11 91
		703 77 53	**595 42 56**
III	**पट्टे पर दी गयी आस्तियां/ Assets given on Lease**		
	प्रारम्भिक शेष / Opening Balance	601 81 79	601 81 79
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	पट्टा समायोजन लेखा / Lease Adjustment account	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	आज की तारीख तक मूल्यहास / Depreciation to date	600 05 27	600 05 27
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing Assets	1 76 52	1 76 52
		-	**-**
IV	**चालू पूंजीगत कार्य / Capital Work-in-Progress**	49 19 91	20 14 35
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**3060 49 62**	**2983 20 55**

* परिसर की बिक्री पर ₹ 319 हजार (शून्य) का पुनर्मूल्यन रिज़र्व शामिल है.

* Includes Revaluation Reserve of ₹ 319 Thousand (Nil) on sale of Premises

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
	अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	-
II	उपचित ब्याज / Interest accrued	2859 62 83	2467 83 92
III	अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती (निवल) Tax paid in advance /tax deducted at source (net)	2341 46 99	1632 97 53
IV	लेखन सामग्री और स्टॉम्प / Stationery and stamps	18 72	12 69
V	दावों की तुष्टि में प्राप्त गैर-बैंकिंग आस्तियां Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	81 45 18	81 45 18
VI	**अन्य / Others**		
	(क) आस्थगित कर आस्तियां (निवल) (a) Deferred Tax Asset (net)	2629 98 87	1998 33 40
	(ख) आबंटन के लिए लंबित शेयर / बांड (b) Shares / Bonds Pending allotment	170 36 37	511 37 40
	(ग) विविध जमाराशियां व अग्रिम (c) Sundry deposit and advances	124 86 65	75 45 24
	(घ) प्राप्य दावे (d) Claims receivable	415 33 30	296 48 53
	(ङ) दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को अंतरित मामलों के संबंध में खर्चे / संवितरण (e) Expenses / Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)	6 86 62	2 87 76
	(च) विविध (f) Miscellaneous	474 08 36	660 81 71
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to IV)	**9104 23 89**	**7727 73 36**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
	अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims against the Bank not acknowledged as debts	127 33 15	114 12 40
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	80085 97 59	47103 54 52
III	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) -भारत में (a) -in India	52772 87 83	51270 15 71
	(ख) -भारत से बाहर (b) -outside India	4941 47 24	5132 25 41
IV	स्वीकृतियां, परांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	28818 50 85	27313 00 22
V	ब्याज दर और मुद्रा स्वैप व ऋण चूक स्वैप के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps	52075 45 74	50329 91 09
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other Derivative contracts	11597 57 04	5670 35 15
VII	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के निमित्त On account of disputed Income tax, Interest tax, penalty and interest demands	1172 85 37	1264 15 61
VIII	अन्य Others	16 69 31	5 22 26
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**231608 74 12**	**188202 72 37**

आकस्मिक देयताओं के विवरण के लिए अनुसूची 18 टिप्पणी क.9 देखें

Refer Schedule 18 Note A.9 for description of Contingent Liabilities

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014
	अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		
I	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा / Interest/discount on advances/bills	20829 76 82	20257 32 27
II	निवेशों से आय / Income on investments	7209 80 15	6074 72 08
III	रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	69 35 36	103 34 38
IV	अन्य / Others	45 06 87	162 12 64
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**28153 99 20**	**26597 51 37**

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014
	अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	1935 31 90	1818 34 25
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on sale of investments (net)	1635 92 78	521 70 78
III	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on revaluation of investments (net)	(50 18 46)	(99 29)
IV	भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	4 06	(1 90 41)
V	विनिमय लेन-देनों / डेरिवेटिव पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on exchange transactions / Derivatives (net)	275 64 46	348 59 36
VI	भारत में स्थित सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय Dividend income from subsidiary companies and / or joint ventures in India	19 41 00	27 63 00
VII	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली / Recovery from written off cases	54 14 85	130 17 36
VIII	विविध आय / Miscellaneous Income	137 32 62	135 20 38
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**4007 63 21**	**2978 75 43**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014
	अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		
I	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	17661 45 53	15465 17 12
II	रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज Interest on RBI / inter-bank borrowings	1212 02 58	1491 32 51
III	अन्य / Others	3532 61 84	3619 54 18
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**22406 09 95**	**20576 03 81**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014
	अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1926 35 81	1491 60 79
II	किराया, कर और बिजली Rent, taxes and lighting	368 69 74	305 08 25
III	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	51 48 19	45 46 62
IV	विज्ञापन और प्रचार/ Advertisement and publicity	41 56 84	40 23 56
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास */ Depreciation on the Bank's property *	136 94 62	113 16 71
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Director's fees, allowances and expenses	50 80	41 83
VII	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय / Auditor's fees and expenses	2 18 61	2 18 40
VIII	विधि प्रभार / Law charges	16 49 53	11 78 55
IX	डाक खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones etc.	101 14 92	91 78 20
X	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	230 42 51	207 09 40

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014
XI	बीमा / Insurance	217 60 88	192 32 17
XII	अन्य / Others		
	(क) बैंकिंग व्यय (a) Banking expenses	50 83 42	47 32 44
	(ख) कार्ड एवं एटीएम व्यय (b) Card & ATM expenses	261 17 00	217 77 75
	(ग) परामर्श व्यय (c) Consultancy expenses	4 33 07	3 88 88
	(घ) बट्टे खाते मामलों की वसूली से संबंधित व्यय (d) Expenses for recovery of write off cases	3 76 53	4 62 51
	(ङ) आउटसोर्सिंग व्यय (e) Outsourcing expenses	224 05 18	162 37 03
	(च) आईटी व्यय (f) IT expenses	62 32 49	50 31 98
	(छ) स्टाफ प्रशिक्षण और अन्य व्यय (g) Staff training & other expenses	39 90 33	33 12 40
	(ज) यात्रा और वाहन प्रभार (h) Travelling and conveyance charges	25 40 23	41 33 34
	(झ) ट्रेजरी व्यय (i) Treasury expenses	8 66 49	5 05 70
	(ञ) उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय (j) Fee and other expenses for borrowing	53 84 23	34 07 63
	(ट) अन्य व्यय (k) Other expenditure	199 70 36	217 79 54
	कुल (I से XII) / TOTAL (I to XII)	**4027 41 78**	**3318 83 68**

* ₹ 41 84 02 हजार (₹ 41 84 07 हजार) के पुनर्मूल्यन रिजर्व का निवल
* Net of Revaluation Reserve of ₹ 41 84 02 thousand (₹ 41 84 07 thousand)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची - 17 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1 तैयार करने का आधार / Basis of Preparation

वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के मामले में भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी), भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, भारतीय सनदी लेखकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस) और कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित अधिनियम के प्रावधानों (अधिसूचना अनुसार) और भारत के बैंकिंग उद्योग में समान्यतया प्रचलित पद्धतियों को अपनाया गया है. बैंक लेखांकन की उपचय विधि सिवाय कि जहां अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो व परंपरागत लागत पद्धति का अनुसरण करता है.

The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time, the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prescribed under Section 133 Companies Act, 2013 ('Act') read with Rule 7 of the Companies (Account) Rules, 2014, the provisions of the Act (to the extent notified) and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Bank follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention.

2 अनुमानों का उपयोग / Use of Estimates

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान एवं धारणाएं बनाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शाई गई आस्तियों, देयताओं, व्ययों, आय की राशियों और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान एवं धारणाएं तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं. तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में किसी भी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.

The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. The Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognised prospectively in current and future periods.

3 राजस्व निर्धारण / Revenue Recognition

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि बैंकों को आर्थिक लाभ हो तथा राजस्व का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके.

Revenue is recognised to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Bank and the revenue can be reliably measured

i. ब्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, जबकि अनर्जक आस्तियों के मामले में रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद गणना की जाती है.

i. Interest income is recognised on accrual basis except in the case of Non-Performing Assets where it is recognised upon realisation as per the prudential norms of the RBI.

ii. साख पत्र (एलसी) / बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन साख पत्र/ बैंक गारंटी की अवधि के दौरान उपचित होता है.

ii. Commissions on Letter of Credit (LC)/ Bank Guarantee (BG) are accrued over the period of LC/ BG.

iii. शुल्क आधारित आय को प्राप्ति की सुनिश्चितता के आधार पर उपचित किया जाता है और ग्राहक के साथ करार की शर्तों के अनुसार उन्हें दर्शाया जाता है.

iii. Fee based income are accrued on certainty of receipt and is based on milestones achieved as per terms of agreement with the client.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

iv. बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि के अनुसार माना जाता है.

iv. Income on discounted instruments is recognised over the tenure of the instrument on a constant yield basis.

v. लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश की गणना उपचय आधार पर की जाती है.

v. Dividend is accounted on an accrual basis when the right to receive the same is established.

vi. अग्रिमों के मामले में वसूली का विनियोजन ऋण करार / पुनर्संरचना पैकेज में विनिर्दिष्ट विनियोजन के क्रम के अनुसार किया जाता है.

vi. In case of advances, recovery is appropriated as per the order of appropriation specified in the loan agreement / restructuring package.

4 अग्रिम व प्रावधान / Advances and Provisions

i. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को गैर-निष्पादक अग्रिमों के लिए किये गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है.

Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI. Advances are stated net of provisions towards Non-Performing Advances.

ii. जहां बही ऋणों सहित मूर्त प्रतिभूति पर अग्रिमों का न्यूनतम 10% भाग विनिर्दिष्ट / सृजित किया जाता है, वहां अग्रिमों को 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एस्क्रो के रूप में प्रतिभूत, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि पर प्रभार को 'मूर्त आस्तियां' नहीं माना जाता है.

Advances are classified as `Secured by Tangible Assets' when security of at least 10% of the advance has been stipulated/ created against tangible security including book debts. Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc are not considered as 'Tangible Assets'.

iii. विगत वर्षों में बट्टे खाते डाले गए ऋणों में की गई वसूलियों तथा ऋणी की मौजूदा स्थिति में आवश्यक न समझे गए प्रावधानों की राशि को लाभ-हानि खाते में निर्धारित किया जाता है.

Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognised in the Profit and Loss Account.

iv. बैंक अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों और निवेश के लिए कोई अस्थायी प्रावधान नहीं करता.

The Bank does not make any floating provision for bad and doubtful advances and investments.

v. पुनर्संरचित / पुनःनिर्धारित ऋणों और अग्रिमों के प्रति प्रावधानों को बैंकों द्वारा ऋणों और अग्रिमों की पुनर्संरचना पर लागू रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.

Provision on loans and advances restructured/ rescheduled is made in accordance with the applicable RBI guidelines on restructuring of loans and advances by Banks.

vi. बैंक बोर्ड के अनुमोदन से समय-समय पर संशोधित, रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों द्वारा यथा अपेक्षित सुरक्षित प्रति-चक्रीय बनाता है और इसका उपयोग सीमाओं और रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत परिस्थितियों के भीतर करता है.

The Bank makes countercyclical buffer as required by RBI guidelines, amended from time to time, with the approval of the Board and utilise the same within the limits and in the circumstances permitted by RBI.

5 निवेश / Investments

वर्गीकरण / Classification

निवेश वर्गीकरण एवं मूल्यांकन के बारे में रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नवत वर्गीकृत किया जाता है :

In terms of extant guidelines of the RBI on investment classification and valuation, the entire investment portfolio is categorised as:

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

i. 'परिपक्वता तक धारित',
   Held To Maturity,

ii. 'बिक्री के लिए उपलब्ध' तथा
   Available For Sale and

iii. 'क्रय-विक्रय के लिए धारित'
   Held For Trading.

प्रत्येक श्रेणी के अतंर्गत निवेश को निम्न रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता हैः

Investments under each category are further classified as

i. सरकारी प्रतिभूतियां
   Government Securities

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
   Other Approved Securities

iii. शेयर
   Shares

iv. डिबेंचर तथा बांड
   Debentures and Bonds

v. सहायक संस्थाएं / संयुक्त उद्यम
   Subsidiaries/ Joint Ventures

vi. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें, पास थ्रू प्रमाणपत्र, सिडबी / नाबार्ड / एनएचबी / आरआईडीएफ जमाराशियां).
   Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units, Security Receipts, Pass Through Certificates, SIDBI/ NABARD/ NHB / RIDF Deposits).

वर्गीकरण का आधार / Basis of Classification

क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिवक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.

ख) खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर मूलतः फिर से बिक्री के लिए धारित रखे गए निवेशों को 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

b) Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as 'Held For Trading'.

ग) जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available For Sale'.

घ) किसी निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में इन श्रेणियों के बीच में इनकी अदला-बदली रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है.

d) An investment is classified as 'Held To Maturity', 'Available For Sale' or 'Held For Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.

ङ) सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

e) Investments in Subsidiaries and Joint Venture are classified as 'Held To Maturity'.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

मूल्यांकन / Valuation

i) किसी निवेश की अर्जन लागत को निर्धारित करने में:

i) In determining the acquisition cost of an investment:

क) सेकंडरी बाजार से खरीदे गए इक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अर्जन लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

a) Brokerage, commission, stamp duty, and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.

ख) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त ब्याज / प्राप्त ब्याज को अर्जन लागत / बिक्री में से घटाया जाता है और ब्याज व्यय / आय के रूप में माना जाता है.

b) Broken period interest paid/ received is excluded from the cost of acquisition/ sale and treated as interest expense/ income.

ग) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है.

c) Cost is determined on the weighted average cost method.

ii) 'परिवक्वता तक धारित' निवेशों को जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हो, अर्जन लागत के अनुसार हिसाब में लिया जाता है. ऐसे मामले में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है. इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक संस्थाओं/संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप की कमी के अलावा होने वाली अन्य कमी के संबंध में प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है.

Investments 'Held To Maturity' are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortised on straight line basis over the remaining period of maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries/ joint venture under this category is provided for each investment individually.

iii) 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध निवेशों' के स्क्रिपवार बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जबकि किसी निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को नहीं दर्शाया जाता है.

Investments 'Held For Trading' and 'Available For Sale' are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognised in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, are ignored.

क) ट्रेजरी बिलों तथा वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है.

a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost,

ख) क्रय-विक्रय/उद्धृत किए गए निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध क्रय-विक्रय/भाव-सूची से लिया जाता है. सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार मूल्यों अथवा भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) के साथ मिलकर भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा घोषित मूल्यों के आधार पर लिया जाता है.

b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges. Government Securities are valued at market prices or prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA).

ग) अनुद्धृत शेयरों का मूल्य अलग-अलग मूल्य या अद्यतन तुलन-पत्र उपलब्ध होने पर निवल आस्ति मूल्य पर, अन्यथा 1 रुपये प्रति कंपनी आधार पर निकाला जाता है और यूनिटों का मूल्य रिजर्व बैंक के संगत दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्खरीद मूल्य पर

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

निकाला जाता है. नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. ऐसे कीमत-लागत अंतर तथा वाईटीएम दरों को एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों पर लागू किया जाता है.

c) The unquoted shares are valued at break-up value or at Net Asset Value if the latest balance sheet is available, else, at ₹ 1/- per company and units are valued at repurchase price as per relevant RBI guidelines. The unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by FIMMDA.

घ) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए तथा ऐसे लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. तद्नुसार ऐसे मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी नकदी प्रवाह, संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हो, वहाँ बैंक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से समय-समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार के निवेशों के मूल्यांकन के लिए प्राप्त हुए निवल आस्ति मूल्य को हिसाब में लेता है.

d) Security receipts issued by Asset Reconstruction Companies are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by Asset Reconstruction Companies are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the Net Asset Value obtained from the Asset Reconstruction Company from time to time, for valuation of such investments at each reporting period end.

ङ) अधिमान्य शेयरों को बाजार दरों पर, यदि उद्धृत किए जाते हैं, अथवा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अनधिक परिपक्वता पर उपयुक्त प्रतिलाभ आधार पर मूल्यांकित किया जाता है.

e) Preference shares are valued at market rates, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI guidelines.

निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में जमा / नामे किया जाता है. तथापि परिपक्वता पर धारित निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ को पहले लाभ-हानि खाते में जमा किया जाता है, और उसके बाद वर्ष / अवधि की समाप्ति पर लागू करों को घटाकर तथा सांविधिक रिज़र्व, पूंजी रिज़र्व खाते में अंतरित किए जाने के लिए अपेक्षित राशि घटाकर समायोजित किया जाता है. बिक्री से हानि को लाभ-हानि खाते में हिसाब में लिया जाता है.

Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account. However, profits on sale of investments in Held to Maturity category is first credited to Profit and Loss Account and thereafter appropriated, net of applicable taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves, to the Capital Reserve Account at the year/ period end. Loss on sale is recognised in the Profit and Loss Account.

निवेशों की राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शायी जाती है.
Investments are shown net of provisions.

रेपो व रिवर्स रेपो लेन-देन / Repo and Reverse Repo transactions

रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों [चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) तथा सीमांत आपाती सुविधा (एमएसएफ) के तहत रिज़र्व बैंक से किए गए लेनदेनों को छोड़कर] में रेपो व रिवर्स रेपो के लेन-देन क्रमशः ऋण लेने व ऋण देने वाले लेन-देन के रूप में दर्शाए जाते हैं. रेपो लेन-देनों पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन-देन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में लिया जाता है.

In accordance with the RBI guidelines, Repo and Reverse Repo transactions in Government Securities and Corporate Debt Securities (excluding transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility (LAF) and Marginal Standing Facility (MSF) with RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on Repo transactions is accounted as interest expense and revenue on Reverse Repo transactions is accounted as interest income.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

रिज़र्व बैंक से एलएएफ एवं एमएसएफ के अंतर्गत किए गए रेपो लेन-देनों के संबंध में रिज़र्व बैंक से उधार ली गई राशि को निवेश खाते में जमा कर लेन-देन की परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है. इस पर लगने वाली लागत को ब्याज व्यय माना जाता है. एलएएफ के अंतर्गत रिवर्स रेपो लेन-देनों के संबंध में रिज़र्व बैंक को दी गई राशि निवेश खाते में नामे कर लेन-देन की परिपक्वता पर रिवर्स कर दी जाती है. इस पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय माना जाता है.

In respect of Repo transactions under LAF and MSF with RBI, amount borrowed from RBI is credited to investment account and reversed on maturity of the transaction. Costs thereon are accounted for as interest expense. In respect of Reverse Repo transactions under LAF, amount lent to RBI is debited to investment account and reversed on maturity of the transaction. Revenues thereon are accounted as interest income.

6 डेरिवेटिव लेन-देन / Derivative Transactions

'हेज' के रूप में नामित लेन-देनों में :

In Transactions designated as 'Hedge':

क) डेरिवेटिव लेन-देनों पर भुगतान योग्य/प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है.

a) Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.

ख) हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/हानि को स्वैप की शेष अनुबंधित अवधि या आस्ति/देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो; के आधार पर माना जाता है.

b) On premature termination of Hedge swaps, any profit/ losses are recognised over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.

ग) अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज स्वैपों को पुनः अभिनामित करने की गणना के लिए इसे एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है.

c) Re-designation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.

घ) हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि उसके अंतर्निहित मूल्य को भी बाजार भाव के अनुसार अंकित नहीं किया गया हो. बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित हेज संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

d) Hedge contracts are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognised in the Profit and Loss Account.

'ट्रेडिंग' के रूप में नामित लेन-देनों में / In Transactions designated as 'Trading':

'ट्रेडिंग' के लिए नामित बकाया डेरिवेटिव लेन-देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा स्वैप, विदेशी मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है. विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/ निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.

एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ) खण्डों में क्रय-विक्रय के लिए नामित डेरिवेटिव लेन-देनों में मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा विकल्प और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं जिनकी गणना उचित मूल्य पर जाती है और इनका नकदी निपटान टी + 1आधार पर किया जाता है. इन लेन-देनों पर हुए लाभ/हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित माहांत निपटान की तारीख को लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Derivative transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit and Loss Account on the month end settlement date stipulated by respective exchanges.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

7 अचल आस्तियां एवं मूल्यह्रास / Fixed Assets and depreciation

i. अचल आस्तियों को, पुनर्मूल्यांकित मामलों को छोड़कर, ऐतिहासिक लागत (संस्थापन लागत सहित) पर लिया जाता है. पुनर्मूल्यांकन पर कोई वृद्धि होने पर उसे पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व खाते में जमा किया जाता है. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामलों में पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप हुए अतिरिक्त मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Fixed assets are carried at historical cost (inclusive of installation cost) except wherever revalued. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the Revaluation Reserve Account. In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from Revaluation Reserve to the Profit and Loss Account.

ii. ₹ 5000 से कम लागत की अलग-अलग अचल आस्तियों को उनके अर्जन के वर्ष में पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है.

Fixed assets individually costing less than ₹ 5000 are fully depreciated in the year of addition.

iii. मूर्त आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान प्रबंधन द्वारा अनुमानित आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया जाता है. मूल्यह्रास और परिशोधन पद्धति, उपयोगी जीवन और शेष मूल्यों की आवधिक समीक्षा की जाती है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार किसी अचल आस्ति को अर्जित करते समय उस अचल आस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास की ऊंची दर लगायी जाती है.

Depreciation on tangible asset is allocated over useful life of the asset as estimated by the Management. Depreciation and amortisation methods, useful lives and residual values are reviewed periodically. If the Management's estimate of the useful life of a fixed asset at the time of acquisition of the asset or of the remaining useful life on a subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on Management's estimates of the useful life/ remaining useful life.

iv. प्रबंधन अन्य स्थिर आस्तियों के लिए उपयोगी जीवनकाल का अनुमान निम्नानुसार लगाता है :

The Management estimates the useful lives for the other fixed assets as follows:

आस्ति / Asset	अनुमानित उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) Estimated Useful Life (in Years)
परिसर / Premises	61.35
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture and fixtures	12
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी / Electrical installation and machinery	12
मोटर वाहन / Motor vehicles	5
कंप्यूटर (अभिन्न सॉफ्टवेयर सहित) Computers (including integral software)	3
स्वचालित टेलर मशीन / Automated Teller Machines	8
वी-सैट उपकरण / VSAT equipments	10
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं Consumer durables with employees	5

v. लीज वाली भूमि को लीज की अवधि में परिशोधित किया जाता है.

Leasehold land is amortised over the period of lease.

vi. ₹ 2.50 लाख से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (पृथक) को पूंजीकृत किया जाता है और इसे इसके उपयोगी जीवनकाल में मूल्यह्रासित किया जाता है जिसकी अवधि अधिकतम 5 वर्ष होती है.

Computer Software (non-integral) individually costing more than ₹ 2.50 lakh is capitalised and depreciated over its useful life, not exceeding 5 years.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

vii. इन आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उपयोगी जीवनकाल से भिन्न होता है. किए गए आंतरिक निर्धारण और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन विश्वास करता है कि ऊपर दिए गए अनुसार उपयोगी जीवनकाल अवधि को सही रूप में दर्शाता है, जिसे प्रबंधन इन आस्तियों के प्रयोग हेतु आशा करता है. वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के परिवर्धन / बिक्री पर मूल्यह्रास आस्तियों के वास्तव में धारित करने की अवधि के लिए लगाया जाता है.

The useful lives for these assets are different from the useful lives as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act, 2013. Based on internal assessment and technical evaluation carried out, the Management believes that the useful lives as given above best represent the period over which the Management expects to use these assets. Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets were actually held.

8 प्रतिभूतिकरण लेन-देन / Securitisation Transactions:

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतिकरण से इन आस्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं (एसपीवी) को बिक्री होती है, जो इसके बदले निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतिकृत आस्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः अमान्य कर दिया जाता है. बैंक खातों को बिक्री के समय ही होने वाली किसी भी हानि के लिए और बिक्री से होने वाले लाभ/प्रीमियम के लिए एसपीवी द्वारा, जिन्हें आस्तियों बेची गयी हैं, जारी की गयी या जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.

Securitisation of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognised when the control of the contractual rights in the securitised assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortised over the life of the securities issued or to be issued by the SPV to which the assets are sold.

9 प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री

Sale of financial assets to Securitisation Companies/ Reconstruction Companies:

प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्संरचना कंपनियों (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री की गणना प्राप्त प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/ पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) के शोधन मूल्य और वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर की जाती है. ऐसी बिक्री अथवा वसूली पर होने वाले लाभ को लाभ-हानि लेखे में दर्ज नहीं किया जाता बल्कि उन्हें एससी या आरसी को अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री अथवा अन्य एसआर/पीटीसी की वसूली से होने वाली हानि/कमी की प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधानों के तौर पर अलग से दर्शाया जाता है. ऐसी बिक्री अथवा वसूली से होने वाली हानियों को पूर्ववर्ती लाभों से सृजित प्रावधानों के शेष, यदि कोई हैं, में से समायोजित किया जाता है और हानि की शेष राशि लाभ-हानि लेखे में प्रभारित की जाती है.

Sale of financial assets to Securitisation Companies (SCs)/ Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass Through Certificates (PTCs) received and the Net Book Value of the financial asset. Gains arising on such sale or realisation are not recognised in the Profit and Loss Account but earmarked as provisions for meeting the losses/ shortfall arising on sale of other financial assets to SCs/ RCs or sale/ realisation of other SRs/ PTCs. Losses arising on such sale or realisation are first set off against balance of provisions, if any, created out of earlier gains and residual amount of losses are charged to Profit and Loss Account.

10 विदेशी मुद्रा लेन-देन / Foreign Currency Transactions:

i. विदेशी मुद्रा लेन-देनों को आरंभिक अभिनिर्धारण होने पर लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित अंतिम बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरुप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रुप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.

Foreign currency transactions on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognised in the Profit and Loss Account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognised as income or expense in the period in which they arise.

ii. ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं, जो ट्रेडिंग के लिए नहीं की गई हैं, के शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रुप में परिशोधित किया जाता है. अन्य वायदा विनिमय संविदाओं पर प्रीमियम या छूट को हिसाब में नहीं लिया जाता है.

Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading is amortised as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognised.

iii. ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो ट्रेडिंग के लिए नहीं हैं, का अंतिम भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है. अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यन फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है.

Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at closing Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are valued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profit/ losses are recognised in the Profit and Loss Account.

iv. वायदा विनिमय संविदाओं की परिपक्वता पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ/हानियों, साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तारीख पर हिसाब में लिया जाता है.

Profit/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortised premium or discount, if any, is recognised on the date of termination.

v. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की अंतिम दरों पर की जाती है.

Contingent liability in respect of outstanding Forward Exchange Contracts is calculated at the contracted rates of exchange and in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

vi. विदेशी शाखा के परिचालनों को एकीकृत विदेशी परिचालनों में वर्गीकृत किया जाता है. आस्तियों एवं देयताओं को फेडाई द्वारा निर्धारित औसत तिमाही अंतिम बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है. इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

Operations of foreign branch are classified as Integral Foreign Operations. Assets and Liabilities are translated at the closing rates prescribed by FEDAI. Income and Expenditure items are translated at quarterly average closing rates. The resultant gain or loss is recognised in the Profit and Loss Account.

11 कर्मचारी लाभ / Employee Benefits

क) निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं में भुगतान, जब अंशदान देय है, को वर्ष के लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

a) Payments to defined contribution schemes are charged to Profit and Loss Account of the year when contribution are due.

ख) निर्दिष्ट लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण परिलक्षित इकाई ऋण पद्धति का प्रयोग कर किया जाता है तथा बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि के लाभ-हानि लेखे में पूरा दिखाया जाता है जिसमें लाभ या हानि होती है.

b) For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains or losses are recognised in the Profit and Loss Account for the period in which they occur.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ग) कर्मचारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बदले अदा किये जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अबट्टाकृत राशि को उस अवधि के दौरान हिसाब में लिया जाता है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.

c) The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognised during the period when the employee renders the service.

12 खंड रिपोर्टिंग / Segment Reporting

समूह तीन खंडों अर्थात् होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग तथा ट्रेजरी सेवाओं में परिचालन करता है. इन खंडों का निर्धारण लेखा मानक 17 के अनुसार योजनाओं व सेवाओं की प्रकृति व जोखिम प्रोफाइल, लक्षित ग्राहक की प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा समूह की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर किया गया है.

The Bank operates in three segments - wholesale banking, retail banking and treasury services. These segments have been identified in line with Accounting Standard 17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organisation structure and the internal reporting system of the Bank.

खंड राजस्व, परिणाम, आस्तियों व देयताओं में प्रबंधन द्वारा प्रत्येक खंड हेतु आबंटित व अनुमानित किए अनुसार अभिनिर्धारित राशि शामिल है. जो आस्तियां व देयताएं ज्ञात खंडों को आबंटित नहीं हैं उन्हें गैर-आबंटित आस्तियों व देयताओं के रूप में पुनर्समूहित किया गया है.

Segment revenue, results, assets, and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the Management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities.

13 आय कर / Income Tax

i. कर व्यय में चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं.

Tax expense comprises of current and deferred tax.

चालू कर आयकर की वह निर्धारित राशि है, जो किसी अवधि के लिए करयोग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसूलीयोग्य) है.
Current tax is the amount of Income Tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period.

ii. वर्ष के लिए बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को उन कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है जो तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रुप से अधिनियमित किये गये हों. समय अंतरालों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक हिसाब में लिया जाता है जितनी उचित निश्चितता हो कि इनकी भविष्य में वसूली हो जाएगी.

Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognised to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

iii. अनवशोषित हानियों के मामले में आस्थगित कर आस्तियां तभी मानी जाती हैं जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर अस्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसूल की जा सकती है.

Deferred tax assets in case of unabsorbed losses are recognised only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.

iv. विभागीय अपीलों सहित जिन विवादित करों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, उन्हें आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है.

Disputed taxes not provided for including departmental appeals are included under Contingent Liabilities.

14 प्रति शेयर आय / Earnings Per Share

i. बैंक लेखा मानक 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर आय की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल आय की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

The Bank reports basic and diluted Earnings per share in accordance with Accounting Standard 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the Net Profit After Tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

ii. प्रति शेयर न्यूनीकृत आय उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाती है जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता हैं. प्रति शेयर न्यूनीकृत आय की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अन्त में बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है.

Diluted Earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings per share is computed by dividing the Net Profit After Tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year end.

15 आस्तियों का ह्रास / Impairment of Assets

जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन यदि इसका संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव-लागत वसूली योग्य नहीं रही तो अचल आस्तियों के ह्रास की समीक्षा की जाती है. धारित तथा उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता का आकलन अनुमानित चालू वसूली योग्य मूल्य की तुलना आस्ति की रखाव राशि से करके उनका मूल्य निर्धारित किया जाता है. यदि ऐसी आस्तियां ह्रासित मानी गयी हों तो ह्रास को उस आस्ति की दर्ज लागत से उसके चालू अनुमानित वसूलीयोग्य मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है.

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realisable value. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realisable value of the asset.

16 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i. लेखा मानक 29 के अनुरूप प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के मामले में प्रावधानों को तभी हिसाब में लिया जाता है जब बैंक यह अभिनिर्धारित करता है कि पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त देयता के निपटान के लिए कुछ राशियों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

In conformity with Accounting Standard 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, when it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

ii. प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता है और उनका निर्धारण तुलनपत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.

Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

iii. किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.

Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognised only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

iv. आकस्मिक आस्तियों को हिसाब में नहीं लिया जाता है.

Contingent Assets are not recognised.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची - 18 लेखा टिप्पणियां
SCHEDULE 18 - NOTES TO ACCOUNTS

अ. लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन संबधी आवश्यकताएं
A DISCLOSURE REQUIREMENTS AS PER ACCOUNTING STANDARDS

1. अचल आस्तियां (एएस-10)
FIXED ASSETS (AS-10)

i. परिसर में ₹ 1339 70 11 हजार (₹ 1339 70 11 हजार) की पट्टाधृत भूमि (पुनर्मूल्यांकित) शामिल है जिसका वर्ष 2006-07 में पुनर्मूल्यांकन किया गया था.

Premises include Leasehold Land (revalued) of ₹ 1339 70 11 thousand (₹ 1339 70 11 thousand) which was revalued in the year 2006-07.

ii. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और आवासीय/कार्यालय भवन का पुनर्मूल्यांकन किया है. पुनर्मूल्यांकन के कारण निवल मूल्य वृद्धि ₹ 2063 91 00 हजार हुई है जो 31 मार्च 2007 को ₹ 529 02 00 हजार के निवल बही मूल्य और ₹ 25 92 9300 हजार की पुनर्मूल्यांकित राशि का अंतर है, जिसे पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा कर दिया गया है. इस पर मूल्यह्रास समायोजन के बाद 31 मार्च 2015 को पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व में शेष ₹ 16 62 8504 हज़ार (₹ 17 12 8366 हज़ार) है.

The Bank has revalued its Freehold Land & Residential/ Office building based on valuations made by independent valuers during the year 2006-07. The net appreciation of ₹ 2063 91 00 thousand arising on revaluation, being the difference between the Net Book Value of ₹ 529 02 00 thousand and revalued amount of ₹ 2592 93 00 thousand as on March 31, 2007, was credited to Revaluation Reserve. The balance in revaluation reserve as at March 31, 2015 after adjusting depreciation on same is ₹ 1662 85 04 thousand (₹ 1712 83 66 thousand).

2. कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित)
EMPLOYEE BENEFITS (AS-15) (REVISED)

i. **निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं**
Defined Contribution Schemes

बैंक के कर्मचारी, पेंशन विकल्प चुनने वाले तथा 31 मार्च 2008 से पूर्व बैंक की सेवा ग्रहण करने वाले कर्मचारियों को छोड़कर, भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत शामिल हैं. बैंक मूल वेतन के निर्धारित प्रतिशत के रूप में पीपीएस में निश्चित अंशदान करता है. भविष्य निधि योजना का संचालन ''आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासकों की समिति'' द्वारा किया जाता है. आईडीबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल) एवं आईडीबीआई गिल्ट्स लिमिटेड (आईजीएल) के कर्मचारियों के संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को मई 2011 तक के भविष्य निधि अंशदान अदा कर दिए गए थे और इसके बाद से उपरोक्त निधि में अंशदान किया जाता है. वर्ष के दौरान पीएफएस में ₹ 4 99 43 हजार (₹ 5 03 22 हजार) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया गया.

The Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is administered by "The Committee of Administrators of IDBI Bank Employees' Provident Fund (Fund)". In respect of employees of IDBI Home Finance Limited (IHFL) and IDBI Gilts Limited (IGL), provident fund contributions were made to Regional Provident Fund Commissioner up to May 2011 and thereafter contributions have been made to the aforementioned Fund. During the year, ₹ 4 99 43 thousand (₹ 5 03 22 thousand) has been contributed to PFS and charged to Profit and Loss Account.

1 अप्रैल 2008 के बाद बैंक में कार्यग्रहण करने वाले बैंक के कर्मचारियों को निर्दिष्ट अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) में शामिल किया गया है, जिसमें बैंक मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप में निश्चित अंशदान देता है. वर्ष के दौरान डीपीएस में ₹ 44 23 39 हजार (₹ 35 05 85 हजार) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि लेखों में प्रभारित किया गया.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) to which the Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the year, ₹ 44 23 39 thousand (₹ 35 05 85 thousand) has been contributed to DCPS and charged to Profit and Loss Account.

ii. **निर्दिष्ट लाभ योजनाएं**
Defined Benefit Schemes

बैंक कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देयता के लिए 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट' में अंशदान करता है.
The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'.

क. बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के भी पात्र हैं, जिसका प्रशासन 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा किया जाता है.
a. Some of the employees of the Bank are also eligible for pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.

ख. इन निर्दिष्ट लाभ देयताओं के वर्तमान मूल्य तथा संबंधित चालू सेवा लागत की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को स्वतंत्र बीमांकक द्वारा परिलक्षित इकाई ऋण पद्धति से की जाती है.
b. The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each balance sheet date.

निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और बैंक के वित्तीय विवरण में दर्शायी गईं राशियों की स्थिति प्रस्तुत करती है जो लेखा मानक 15 (संशोधित) के अनुसार है:
The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognised in the Bank's financial statements as per Accounting Standard 15(R).

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

		पेंशन यथा 31 मार्च 2015 Pension As at March 31, 2015	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2015 Gratuity As at March 31, 2015	पेंशन यथा 31 मार्च 2014 Pension As at March 31, 2014	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2014 Gratuity As at March 31, 2014
क) a)	**लाभ दायित्वों में परिवर्तन: Change in benefit obligations:**				
	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ संबंधी दायित्व Projected benefit obligation, beginning of the year	1414.34	396.87	1329.56	401.80
	ब्याज लागत / Interest cost	131.11	36.95	109.69	33.15
	चालू सेवा लागत / Current Service cost	35.02	22.58	36.11	20.16
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान व्यय की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	-	-	-	-
	अंतरित देयता आगम / (निर्गम) Liability Transferred In/(Out)	-	-	-	-
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(71.85)	(39.27)	(60.36)	(27.76)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि / Actuarial (gain)/loss	230.62	97.32	(0.66)	(30.48)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

		पेंशन यथा 31 मार्च 2015 Pension As at March 31, 2015	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2015 Gratuity As at March 31, 2015	पेंशन यथा 31 मार्च 2014 Pension As at March 31, 2014	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2014 Gratuity As at March 31, 2014
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ / दायित्व Projected benefit/obligation, end of the year	**1739.24**	**514.45**	**1414.34**	**396.87**
ख) b)	**योजना आस्तियों में परिवर्तन: Change in plan assets:**				
	वर्ष के आरंभ (1 अप्रैल 2014) में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year (April 1, 2014)	1445.74	411.44	1155.76	402.40
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected return on plan assets	125.78	35.80	98.24	35.01
	नियोक्ता का अंशदान Employer's contributions	98.62	16.65	241.29	0.02
	अन्य कंपनी से अंतरण Transfer from other company	-	-	-	-
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(71.85)	(39.27)	(60.36)	(27.76)
	बीमांकिक लाभ / (हानि) / Actuarial gain / (loss)	24.47	(1.07)	10.81	1.77
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets at the end of the year	**1622.76**	**423.55**	**1445.74**	**411.44**
ग) c)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य का समाधान और योजना आस्तियों का उचित मूल्य Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets**				
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at the end of the year	1739.24	514.45	1414.34	396.87
	भविष्य में अभिनिर्धारित /उपबंधित की जानेवाली परिवर्ती (देयता) Transitional (Liability) to be recognised/ provided in future	-	-	-	-
	31 मार्च 2015 को लाभ दायित्व का निवल वर्तमान मूल्य Net Present Value of benefit obligation at March 31, 2015	1739.24	514.45	1414.34	396.87

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

		पेंशन यथा 31 मार्च 2015 Pension As at March 31, 2015	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2015 Gratuity As at March 31, 2015	पेंशन यथा 31 मार्च 2014 Pension As at March 31, 2014	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2014 Gratuity As at March 31, 2014
	31 मार्च 2015 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets at March 31, 2015	1622.76	423.55	1445.74	411.44
	अधिशेष / (घाटा) / Surplus/(Deficit)	**(116.48)**	**(90.90)**	**31.40**	**14.57**
घ) d)	**31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लागत Net cost for the year ended March 31, 2015**				
	सेवा लागत / Service cost	35.02	22.58	36.11	20.16
	ब्याज लागत / Interest cost	131.11	36.95	109.69	33.15
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ Expected return on plan assets	(125.78)	(35.80)	(98.24)	(35.01)
	निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि Net Actuarial (gain)/loss	206.15	98.39	(11.47)	(32.25)
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान निर्धारित की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognised during the year due to increase in limit	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान निर्धारित परिवर्ती देयता Transitional liability recognised during the year	-	-	-	-
	उपर्युक्तानुसार निवल लागत Net cost as per above	**246.50**	**122.12**	**36.09**	**(13.95)**
	अपुनरांकित बीमांकिक देयता पर अधिक निधि मूल्य Excess of fund value over actuarial liability not witten back	**-**	**-**	**31.40**	**14.55**
	वर्तमान वर्ष में समायोजित पिछले वर्ष की बीमांकिक देयता पर अधिक निधि मूल्य Excess of fund value over actuarial liability of previous year adjusted in current year	**(31.40)**	**(14.55)**	**-**	**-**
	वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की कुल लागत Actual cost to P & L for the year	**215.10**	**107.57**	**67.49**	**0.60**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

			पेंशन यथा 31 मार्च 2015 Pension As at March 31, 2015	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2015 Gratuity As at March 31, 2015	पेंशन यथा 31 मार्च 2014 Pension As at March 31, 2014	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2014 Gratuity As at March 31, 2014
ङ) e)	**31 मार्च 2015 तक आस्तियों की श्रेणी Category of Assets as at March 31, 2015**					
	भारत सरकार की आस्तियां Government of India Assets		801.02	-	726.48	-
	कॉरपोरेट बांड / Corporate Bonds		463.49	-	593.91	-
	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां Insurer Managed Funds			423.54		402.39
	अन्य / Others		358.25	0.01	125.35	9.05
	कुल / Total		**1622.76**	**423.55**	**1445.74**	**411.44**
च) f)	**लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं Assumptions used in accounting:**					
	बट्टा दर / Discount rate		7.95%	8.03%	9.27%	9.31%
	योजना आस्तियों पर प्रतिफल की दर Rate of Return on plan assets		8.70%	8.70%	8.70%	8.70%
	वेतन बढ़ोतरी दर / Salary escalation rate		5.75%	5.75%	5.75%	5.75%
	ह्रास दर Attrition Rate	5 या अधिक वर्षों की सेवा के लिए For Services 5 Years & Above	0.95% p.a	0.95% p.a	1.45% p.a	1.45% p.a
		5 से कम वर्ष की सेवा के लिए For Services Less than 5 Years	2.89% p.a	2.89% p.a	2.55% p.a	2.55% p.a
	मृत्यु दर / Mortality Rate		भारतीय आश्वस्त जीवन मृत्यु दर Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ult.		भारतीय आश्वस्त जीवन मृत्यु दर Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ult.	

iii. **अन्य दीर्घावधि लाभ / Other long term benefits**

बैंक के कर्मचारी अपनी अर्जित/ विशेषाधिकार छुट्टी का संचय करने के लिए पात्र हैं जिसमें अधिकारी अधिकतम 180 दिन और अन्य स्टाफ 300 दिन तक की छुट्टी का संचय कर सकते हैं. प्रति वर्ष अधिकतम 15 दिन की छुट्टियों का नकदीकरण किया जा सकता है.
Employees of the Bank are entitled to accumulate their earned/ privilege leave up to a maximum of 180 days for officers and 300 days for other staff. A maximum of 15 days leave is eligible for encashment in each year.

कर्मचारी अशक्तता सहायता के पात्र हैं, जिसे अशक्तता की घटना होने पर बैंक वहन करता है.
Employees of the Bank are eligible for Disability Assistance which is borne by the Bank as and when the disability events occur.

बैंक के कुछ कर्मचारी स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना के लिए पात्र हैं जिसे देयता के घटित होने पर बैंक वहन करता है.
Some employees of the Bank are eligible for Voluntary Health Scheme which is borne by the Bank as and when the liability events occur.

इन लाभों का बीमांकिक मूल्यांकन परिलक्षित इकाई ऋण पद्धति से किया गया और वर्ष के दौरान ₹ 98,71,87 हजार (₹ 8,76,81 हजार) की राशि लाभ-हानि लेखे में प्रभारित की गई है.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

Actuarial valuation of these benefits have been carried out using the Projected Unit Credit Method and ₹ 98 71 87 thousand (₹ 8 76 81 thousand) has been charged to Profit and Loss Account during the year.

3. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17) / SEGMENT REPORTING (AS-17)

बैंक मुख्य रूप से निम्न तीन कारोबारी खंडों में परिचालन करता हैः
The Bank primarily operates in three business segments as under:

ट्रेजरी / Treasury	ट्रेजरी परिचालन में निवेशों का क्रय-विक्रय पोर्टफोलियो, मुद्रा बाज़ार परिचालन, डेरिवेटिव सौदा, स्वाम्य खातों में और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन शामिल हैं. Treasury operations include trading portfolio of investments, money market operations, derivative trading, foreign exchange operations on the proprietary account and for customers.
खुदरा बैंकिंग Retail Banking	रिटेल बैंकिंग में मोटे तौर पर ऋण और जमा कार्यकलाप शामिल हैं जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार सहित मुख्य रूप से वैयक्तिक और लघु कारोबार पर केन्द्रित हैं. रिटेल बैंकिंग में भी भुगतान एवं वैकल्पिक चैनल जैसे एटीएम, पीओएस मशीनें, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रैवल/ करेंसी कार्ड, थर्ड पार्टी वितरण और लेन-देन बैंकिंग सेवाएं हैं. Retail Banking broadly includes credit and deposit activities that are primarily oriented towards individuals & small business including Priority Sector Lending. Retail Banking also encompasses payment and alternate channels like ATMs, POS machines, internet banking, mobile banking, credit cards, debit cards, travel/ currency cards, third party distribution and transaction banking services.
कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking	इसमें रिटेल के अतिरिक्त जमा एवं ऋण कार्यकलापों को शामिल करते हुए कॉरपोरेट संबंध शामिल हैं. इसमें कॉरपोरेट सलाहकारी / समूहन सेवाएं, परियोजना मूल्यांकन और ट्रेजरी के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए रणनीतिक निवेश सहित निवेश पोर्टफोलियो शामिल हैं. Includes corporate relationship covering deposit and credit activities other than retail. It also covers corporate advisory / syndication, project appraisal and investment portfolio including strategic investments other than those covered under Treasury.

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	समाप्त वर्ष / Year Ended	
		31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
		लेखा परीक्षित Audited	लेखा परीक्षित Audited
क. a.	**खंड राजस्व Segment Revenue**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	27306	25282
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	22777	19626
	ट्रेजरी / Treasury	672	399
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	-	-
	कुल / TOTAL	**50755**	**45307**
	घटाएंः अंतर खंड राजस्व / Less: Inter-segment revenue	18593	15731
	परिचालनों से निवल बिक्री / आय Net sales / income from operations	**32162**	**29576**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	समाप्त वर्ष / Year Ended	
		31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
		लेखा परीक्षित Audited	लेखा परीक्षित Audited
ख. b.	**खंड परिणाम- कर पूर्व लाभ / (हानि) Segment Results -Profit/(loss) before tax**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/ Wholesale banking	1549	1864
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	(661)	(335)
	ट्रेजरी / Treasury	399	212
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	-	-
	कुल / TOTAL	**1287**	**1741**
	अविनिधानीय व्यय / Unallocable expenditure	-	-
	अविनिधानीय आय / Unallocable income	-	-
	घटाएंः अविनिधानीय आय को घटाते हुए अन्य अविनिधानीय व्यय Less: Other unallocable expenditure net of unallocable income	-	-
	कर पूर्व कुल लाभ / Total Profit Before Tax	**1287**	**1741**
	आय कर / Income taxes	414	620
	निवल लाभ / Net Profit	**873**	**1121**
ग c.	**खंड आस्तियां Segment Assets**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/ Wholesale banking	222145	219269
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	121702	98696
	ट्रेजरी / Treasury	7213	7392
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	-	-
	अविनिधानीय आस्तियां / Unallocated assets	4971	3631
	कुल आस्तियां / TOTAL ASSETS	**356031**	**328988**
घ. d.	**खंड देयताएं Segment Liabilities**		
	कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग / Corporate/ Wholesale banking	156150	162427
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	176003	143658
	ट्रेजरी / Treasury	1223	977
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	-	-
	अविनिधानीय देयताएं / Unallocated liabilities	-	29
	कुल देयताएं / TOTAL LIABILITIES	**333376**	**307091**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

- खंड राजस्व में बैंक द्वारा अनुसरण की जाने वाली एफटीपी प्रणाली के अनुसार गणना किए गए अंतर-खंड राजस्व शामिल हैं.
  The segment revenue includes inter-segment revenue computed as per FTP system followed by the Bank.
- बैंक मुख्यतः भारत में परिचालन करता है अतः बैंक ने यह समझा है कि इसके परिचालन मुख्यतः देशी खंड में हैं और इस प्रकार रिपोर्ट योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.
  The Bank primarily operates in India, hence, the Bank has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments.

4. संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18) / Related Party Disclosures (AS-18)

अ. एएस-18 के अनुसार संबद्ध पक्षकार

A. List of related party as per AS-18

i. सहायक संस्थाएं / Subsidiaries

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. / IDBI Capital Market Services Ltd.

आईडीबीआई इंटेक लि. / IDBI Intech Ltd.

आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. / IDBI MF Trustee Company Ltd.

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. / IDBI Asset Management Company Ltd.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. / IDBI Trusteeship Services Limited.

ii. संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था / Jointly controlled entity

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इन्श्योरेन्स कंपनी लि. / IDBI Federal Life Insurance Co Ltd.

iii. बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्यपालक / Key management personnel of the Bank

श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / Shri M.S. Raghavan, Chairman & Managing Director

श्री बालकृष्ण बत्रा, उप प्रबंध निदेशक / Shri Balkrishan Batra, Deputy Managing Director

श्री मेल्विन रेगो, उप प्रबंध निदेशक/ Shri Melwyn Rego, Deputy Managing Director

आ. / B.

i. पक्षकार जिनके साथ वर्ष के दौरान लेन-देन किए गए
Parties with whom transaction were entered into during the year

लेखा मानक 18 के परिच्छेद 9 के अनुसार 'सरकारी नियंत्रण वाले उद्यमों' के संबंध में संबद्ध पक्षकार संबंधी किसी प्रकटन की आवश्यकता नहीं है. बैंक की सभी सहायक कंपनियां सरकारी नियंत्रण वाले उद्यम हैं अतः सहायक कंपनियों के साथ लेन-देन के लिए कोई प्रकटन नहीं किया गया है. इसके अलावा लेखा मानक 18 के परिच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंध कार्यपालकों के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेन-देनों का प्रकटन नहीं किया गया है.
No disclosure is required in respect of related parties, which are "State-controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard 18. All the subsidiaries of the Bank are State-controlled Enterprises, hence no disclosure is made for transaction with subsidiary Companies. Further, in terms of paragraph 5 of Accounting Standard 18, transactions in the nature of banker-customer relationship have not been disclosed in respect of relatives of Key Management Personnel.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ii. संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन / शेषराशियां / Transactions/ balances with related parties:

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

विवरण / Particulars	संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था Jointly controlled entity	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	कुल Total
प्राप्त जमाराशियां / Deposits received	7.53 (7.07)	0.35 (0.37)	7.88 (7.44)
अन्य बकाया देयताएं / जमा राशियां Other liabilities/ Deposits outstanding	32.56 (30.56)	1.05 (1.57)	33.61 (32.13)
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम जमाराशियां Maximum amount of deposits outstanding during the year	32.56 (34.85)	1.38 (1.72)	33.94 (36.57)
बकाया निवेश / Investments outstanding	384 (384)	- (-)	384 (384)
बकाया अग्रिम / Advances outstanding	- (-)	0.13 (0.18)	0.13 (0.18)
वर्ष के दौरान देय अधिकतम अग्रिम राशि Maximum amount of advance due during the year	- (-)	0.18 (0.23)	0.18 (0.23)
अग्रिमों पर प्रदत्त ब्याज / Interest paid on advances	- (-)	0.02 (0.02)	0.02 (0.02)
अग्रिमों पर उपचित ब्याज / Interest accrued on advances	- (-)	- (-)	- (-)
जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	3.46 (3.33)	0.08 (0.06)	3.54 (3.39)
पारिश्रमिक / Remuneration	- (-)	0.61 (0.60)	0.61 (0.60)
अन्य आय / Other income	38.13 (45.85)	0.12 (-)	38.25 (45.85)
वर्ष के दौरान लाभ / (हानि) का हिस्सा Share of profit/ (loss) during the year	74.19 (38.46)	- (-)	74.19 (38.46)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

5. पट्टा (एएस-19) / LEASES(AS-19)

परिचालनगत पट्टे में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर, स्टाफ आवास और ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) जिसे बैंक के विकल्प पर निरस्त किया जा सकता है या निरस्त नहीं होने वाले परिचालनगत पट्टे का समावेश है.
Operating leases primarily comprise office premises, staff residences and Automated Teller Machines (ATM)s, which are either cancellable at the option of the Bank or non-cancellable operating lease.

वर्ष के दौरान निरसन योग्य / निरस्त नहीं होने वाले परिचालनगत पट्टे पर प्रदत्त / देय पट्टा प्रभारों हेतु लाभ - हानि लेखे में ₹ 256 35 54 हजार (₹ 213 43 28 हजार) की राशि प्रभारित की गई हैं.
During the year ₹ 256 35 54 thousand (₹ 213 43 28 thousand) has been charged to the Profit and Loss Account towards lease charges paid/ payable on cancellable/ non-cancellable operating lease.

तुलन पत्र की तारीख को निरस्त नहीं होने वाले परिचालनगत पट्टों के संबंध में भविष्य में पट्टे की न्यूनतम चुकौती का सारांश निम्नलिखित है:
The future minimum lease payments in respect of non-cancellable operating leases as at Balance Sheet date are summarized as under:

(₹ '000 में / ₹ In '000s)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
एक वर्ष से कम नहीं / Not later than one year	360 05.76	158 47.67
एक वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम Later than one year but not later than five years	-	-

6. प्रति शेयर आय (ईपीएस) (एएस-20) / EARNINGS PER SHARE (EPS) (AS-20)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ (₹ '000 में) Net profit considered for EPS calculation (₹ in '000s)	873 38 80	1121 40 27
मूल ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Basic EPS	16039 51 602	1 401 11 99 43
जोड़ें : मंजूर किए गए ईसॉप का न्यूनीकृत प्रभाव Add: Dilutive impact of ESOP granted	1 307	-
न्यूनीकृत ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	16039 52 909	1 401 11 99 43
ईपीएस (मूल) (₹) / EPS (Basic) (₹)	5.45	8.00
ईपीएस (न्यूनीकृत) (₹) / EPS (Diluted) (₹)	5.45	8.00
प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (₹) / Face value per Equity share (₹)	10.00	10.00

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

7. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-22) / ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS-22)

समय में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आस्थगित आस्तियों एवं आस्थगित देयताओं का घटक नीचे दिया गया है:
The Component of Deferred Assets and Deferred Liability arising out of timing difference is as follows:

(₹ '000 में / ₹ In '000)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2015	यथा 31 मार्च 2015 As at March 31, 2015	यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014
आस्थगित कर देयता / Deferred Tax Liability			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on fixed assets	1 78 44	56 16 03	54 37 59
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	74 87 30	439 80 77	364 93 47
कुल (क) / TOTAL (A)	**76 65 74**	**495 96 80**	**419 31 06**
आस्थगित कर आस्ति / Deferred Tax Asset			
आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमत न किए गए एनपीए प्रावधान NPA provisions not allowed under Income tax Act, 1961	580 54 41	2295 88 29	1715 33 88
पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Restructured Advances	92 90 16	685 74 11	592 83 95
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी, 40 (ए)(आईए) आदि के अंतर्गत शामिल न किए गए Disallowance u/s. 43B, 40(a)(ia) etc. of the Income-tax Act, 1961	35 28 63	143 49 06	108 20 43
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35डी और 35डीडी के अंतर्गत कटौती द्वारा व्यय की पूर्ति Expenditure covered by deduction u/s 35D and 35DD of the Income Tax Act, 1961	-41 99	84 21	1 26 20
कुल (ख) / TOTAL (B)	**708 31 21**	**3125 95 67**	**2417 64 46**
आस्थगित कर देयता / (आस्ति)(निवल)(क)-(ख) Deferred tax liability / (asset) (net) (A) – (B)		**(2629 98 87)**	**(1998 33 40)**
अलग-अलग विवरण: / Breakup:			
लाभ-हानि खाते में प्रभारित आस्थगित कर Deferred tax charged to Profit & Loss Account	**(631 65 47)**		**-**
निवल आस्थगित कर / Net Deferred Tax	**(631 65 47)**		**-**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

8. संयुक्त उद्यम (एएस-27) / JOINT VENTURES (AS-27)

निवेशों में निम्नलिखित संयुक्त उद्यम में बैंक के हित से संबंधित ₹ 384 करोड़ (₹ 384 करोड़) शामिल हैं.
Investments include ₹ 384 crore (₹ 384 crore) representing the Bank's interest in the following Joint Venture.

कंपनी का नाम / Name of the Company	**निवास का देश Country of Residence**	**धारिता % Holding %**
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	भारत / India	48 %

लेखा मानक 27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में बैंक के हितों से संबंधित सभी आस्तियों, देयताओं, आय, व्ययों, आकस्मिक देयताओं और वचनबद्धताओं की कुल राशियों का प्रकटन निम्नानुसार प्रस्तुत है:
As required by Accounting Standard 27, the aggregate amount of each of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank`s interests in jointly controlled entity are disclosed as under:

(₹ '000 में / ₹ In '000)

विवरण / Particulars	**31 मार्च 2015 (अलेखापरीक्षित) March 31, 2015 (Unaudited)**	**31 मार्च 2014 (अलेखापरीक्षित) March 31, 2014 (Unaudited)**
देयताएं / Liabilities		
इक्विटी पूंजी एवं रिज़र्व / Equity Capital & Reserve	384 00 00	384 00 00
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities & Provisions	98 93 51	77 17 78
कुल / Total	**482 93 51**	**461 17 78**
आस्तियां / Assets		
नकदी और बैंक जमा राशियां / Cash and Bank Balances	59 37 27	44 46 36
निवेश / Investments	222 30 91	151 17 64
अचल आस्तियां / Fixed Assets	5 10 03	5 00 27
अन्य आस्तियां / Other Assets	105 59 83	95 74 12
विविध व्यय / संचित हानि / Miscellaneous Expenditure/ Accumulated Losses	90 55 47	164 79 39
कुल / Total	**482 93 51**	**461 17 78**
पूंजी वचनबद्धताएं / Capital Commitments	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएं / Other Contingent Liabilities	32 59 05	-
आय / Income		
निवेशों से आय/ब्याज आय / Income from Investments/ Interest Income	17 75 61	13 50 82
अन्य आय / Other income	57 78 73	25 75 72
कुल / Total	**75 54 34**	**39 26 54**
व्यय / Expenditure		
बीमा कारोबार से हानि / Losses from Insurance Business	-	-
परिचालनगत व्यय / Operating expenses	1 35 03	84 04
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions & Contingencies	61	(3 14)
कुल / Total	1 35 64	80 90
वर्ष के लिए लाभ/(हानि) / Profit/ (Loss) for the Year	74 18 70	38 45 64

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

9. आकस्मिक देयताओं का विवरण / Description of Contingent Liabilities

क. / a.

क्रम. सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण / Brief description
I	बैंक के विरूद्ध दावा जिसे कर्ज नहीं माना गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts	यह मद सामान्य कारोबार के अंतर्गत बैंक के प्रति विधिक मामलों में की गई कतिपय मांगों तथा परिचालन मामलों व धोखाधड़ी के मामलों में उत्पन्न ग्राहक के दावों को दर्शाती है. बैंक को ऐसी कोई आशा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर आर्थिक रूप से कोई विपरीत असर पड़ेगा. This item represents certain demands made in legal matters against the Bank in the normal course of business and customer claims arising in operational issues and fraud cases. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of Outstanding forward exchange contracts	बैंक अपने सामान्य कारोबार के अंतर्गत मुद्राओं के भावी तारीख को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर विनिमय करने के लिए विदेशी मुद्रा संविदाएं निष्पादित करता है. यह मद ऐसी ही संविदाओं, जो डेरिवेटिव लिखत हैं, की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाज़ार में प्रतिसंतुलन संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का वृहद मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाज़ार जोखिम कम होता है. The Bank enters into foreign exchange contracts in its normal course of business to exchange currencies at a pre-fixed price at a future date. This item represents the notional principal amount of such contracts, which are derivative instruments. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
III	भारत में व भारत से बाहर ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents in India and outside India	अपनी बैंकिंग गतिविधियों के भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की तरफ से गारंटियां जारी करता है. गारंटी सामान्यतः इस अप्रतिसंहरणीय आश्वासन को प्रदर्शित करती है कि ग्राहक द्वारा अपनी वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर बैंक भुगतान करेगा. As a part of its banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of customer failing to fulfill its financial or performance obligations.
IV	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	ग्राहक की ऋण साख को बढ़ाने को ध्यान में रखकर व्यापार वित्त बैंकिंग गतिविधियों के भाग के रूप में, यह मद बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की तरफ से अन्य पक्षकारों के पक्ष में जारी गारंटियों और दस्तावेजी ऋणों को प्रदर्शित करती है. इन लिखतों के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों के दायित्वों के लिए सीधे या ग्राहक द्वारा अपनी वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर भुगतान की जिम्मेदारी लेता है. This item represents the documentary credits issued by the Bank in favour of third parties on behalf of its customers, as part of its trade finance banking activities with a view to augment the customers' credit standing. Through these instruments, the Bank undertakes to make payments for its customers' obligations, either directly or in case the customer fails to fulfil their financial or performance obligations.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

V	ब्याज दर एवं मुद्रा अदला-बदली तथा ऋण चूक अदला-बदली के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps.	यह मद विविध डेरिवेटिव लिखतों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को यह उत्पाद अपने विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दर जोखिमों को अंतरित करने, संशोधित करने या कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. बैंक इन संविदाओं का दायित्व अपने ब्याज दर और विदेशी मुद्रा स्थितियों का प्रबंधन करने के लिए भी उठाता है. अपने ग्राहकों के साथ लेन-देन के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाज़ार में प्रतिसंतुलन लेन-देन करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया लेन-देन और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का वृहद मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाज़ार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various derivative instruments which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to transfer, modify or reduce their foreign exchange and interest rate risks. The Bank also undertakes these contracts to manage its own interest rate and foreign exchange positions. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower. बैंक भारतीय कारपोरेट बांड से जुड़े ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) की हामीदारी करता है. The Bank underwrites Credit Default Swap (CDS) transaction for managing credit risks associated with Indian Corporate Bonds.
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other derivative contracts.	यह मद विविध मुद्रा विकल्पों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाने के लिए प्रस्तुत करता है. अपने ग्राहकों के साथ लेन-देन के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाज़ार में प्रतिसंतुलन लेन-देन करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया लेन-देन उत्पन्न होते हैं, जबकि निवल बाज़ार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various currency options which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to reduce their foreign exchange risks. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, while the net market risk is lower.
VII	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड एवं ब्याज मांग के कारण देयता Liability on account of disputed Income tax, interest tax, penalty and Interest demands	बैंक विचाराधीन अपीलों संबंधी विविध कराधान मामलों में पक्षकार है. बैंक को आशा है कि मामलों के तथ्यों के और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के आधार पर अपील प्राधिकरणों द्वारा पिछले वर्ष समान मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर, इन अपीलों के भी निर्णय अनुकूल होंगे. The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. The Bank expects the outcome of the appeals to be favorable based on decisions on similar issues in the previous years by the appellate authorities, based on the facts of the case and the provisions of Income Tax Act, 1961.
VIII	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Other items for which the Bank is contingently liable	यह मद बैंक द्वारा अपने सामान्य कारोबार के क्रम में सांविधिक प्राधिकारियों तथा अन्य के पक्ष में अपनी ओर से जारी की गई गारंटियों को दर्शाती है. This item represents the guarantees issued by the Bank in favour of statutory authorities and others on its own behalf as part of normal business activity.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ख. **दीर्घावधि संविदा**

b. **Long term contracts**

बैंक के पास एक प्रक्रिया है जिसमें डेरिवेटिव संविदाओं सहित सभी दीर्घावधि संविदाओं का कल्पित अनुमानित हानियों के लिए मूल्यांकन किया जाता है. वर्ष के अंत में बैंक ने इसकी समीक्षा की तथा सुनिश्चित किया कि डेरिवेटिव संविदाओं सहित ऐसी दीर्घावधि संविदाओं पर कल्पित अनुमानित हानि के लिए लेखा बहियों में किसी विधि / लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.

The Bank has a process whereby periodically all long term contracts including derivative contracts are assessed for material foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and ensured that adequate provision as required under any law / accounting standards for material foreseeable losses on such long term contracts including derivative contracts has been made in the books of account.

ग. **लंबित मुकदमे**

c. **Pending litigations**

बैंक के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से उधारकर्ताओं, ग्राहकों द्वारा बैंक के प्रति किए गए दावे और आयकर प्राधिकरणों के पास लंबित कार्यवाहियां शामिल हैं. बैंक ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की और जहां प्रावधान अपेक्षित है वहाँ पर्याप्त प्रावधान किए गए तथा अपने वित्तीय विवरणों में जहां लागू है वहाँ आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया गया.

The Bank's pending litigations comprise of claims against the Bank primarily by the borrowers, customers and proceedings pending with Income Tax authorities. The Bank has reviewed all its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements.

* अनुसूची-12 - आकस्मिक देयताएं का भी संदर्भ लें / *Also refer Schedule-12 - Contingent Liabilities

आ रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रकटन
B DISCLOSURES REQUIRED AS PER RBI GUIDELINES

I. **पूंजी / Capital**

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	बासेल II के अनुसार As per Basel II		बासेल III के अनुसार As per Basel III	
		यथा 31 मार्च 2015 As at March 31, 2015	यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014	यथा 31 मार्च 2015 As at March 31, 2015	यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014
1	सामान्य इक्विटी टीयर I पूंजी अनुपात (%) Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	लागू नही / NA	लागू नही / NA	7.29%	7.78%
2	टीयर I पूंजी अनुपात (%) Tier 1 capital ratio (%)	8.46%	8.01%	8.18%	7.79%
3	टीयर 2 पूंजी अनुपात (%) Tier 2 capital ratio (%)	4.74%	5.12%	3.58%	3.89%
4	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) Total Capital Ratio (CRAR) (%)	13.20%	13.13%	11.76%	11.68%

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	बासेल II के अनुसार As per Basel II		बासेल III के अनुसार As per Basel III	
		यथा 31 मार्च 2015 As at March 31, 2015	यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014	यथा 31 मार्च 2015 As at March 31, 2015	यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014
5	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत Percentage of the shareholding of the Government of India in public sector banks	76.50%	76.50%	76.50%	76.50%
6	जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि (₹ करोड़ में) Amount of equity capital raised (₹ in crore)	-	1800	-	1800
7	जुटाई गई अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी की राशि; जिसमें Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which				
	पीएनसीपीएस: / PNCPS:	-	-	-	-
	पीडीआई: / PDI:	2500	-	2500	-
8	जुटाई गई टीयर 2 पूंजी की राशि; Amount of Tier 2 capital raised;	-	-	-	-
	जिसमें / of which				
	ऋण पूंजी लिखत: Debt capital instrument:	-	-	-	-
	अधिमानी शेयर पूंजी लिखत: [बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस) / मोचन-योग्य गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस) / मोचन-योग्य संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)] Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	-	-	-	-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

II. निवेश / Investments

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

क्रम सं. Sr. No.	मदें / Items	यथा 31 मार्च 2015 As at March 31, 2015	यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014
(1)	निवेश का मूल्य / Value of Investments		
	(i) निवेश का सकल मूल्य / Gross Value of Investments		
	(क) भारत में (a) In India	122419.87	105021.97
	(ख) भारत से बाहर (b) Outside India	-	-
	(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान / Provisions for Depreciation		
	(क) भारत में (a) In India	1456.66	1248.46
	(ख) भारत से बाहर (b) Outside India	-	-
	(iii) निवेश का निवल मूल्य / Net Value of Investments		
	(क) भारत में (a) In India	120963.21	103773.50
	(ख) भारत से बाहर (b) Outside India	-	-
(2)	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में घट - बढ Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	(i) प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1248.46	1225.82
	(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान / Add: Provisions made during the year	301.79	219.97
	(iii) घटायें : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गये/पुनरांकित किये गये आधिक्य प्रावधान Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	93.59	197.33
	(iv) अंतिम शेष / Closing balance	1456.66	1248.46

III. रेपो लेन-देन / Repo Transactions

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

विवरण / Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया Daily Average outstanding during the year	यथा 31 मार्च 2015 As at March 31, 2015
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities sold under Repo (Face Value)				
i. सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	5.00	8014.97	529.34	-
ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	-	-	-	-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

विवरण / Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया Daily Average outstanding during the year	यथा 31 मार्च 2015 As at March 31, 2015
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities purchased under Reverse Repo (Face Value)				
i. सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	5.00	2656.72	59.95	-
ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	61.00	61.00	14.71	-

IV. गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो / Non-SLR Investment Portfolio

1 गैर-एसएलआर निवेश की निर्गमकर्ता संरचना / Issuer composition of Non-SLR investments

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

क्रम सं. Sr. No.	निर्गमकर्ता / Issuer	राशि / Amount	निजी नियोजन की मात्रा Extent of private placement	'निवेश श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'below investment grade' securities	'बिना- रेटिंग' वाली प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unrated' securities	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unlisted' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSUs	1893.73	822.53	153.74	162.97	342.26
2	वित्तीय संस्थाएं / FIs	23574.85	240.26	12.50	12.50	23381.50
3	बैंक / Banks	615.93	74.60	-	-	1.82
4	निजी कॉरपोरेट Private Corporates	10950.38	7451.47	860.94	1252.63	8372.60
5	सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम Subsidiaries / JV	702.04	263.17	-	-	702.04
6	अन्य / Others	5763.84	-	-	4609.00	5740.45
	सकल कुल Gross Total	**43500.76**	**8852.03**	**1027.18**	**6037.10**	**38540.67**
7	मूल्यह्रास के लिए किया गया प्रावधान Provision held towards Depreciation	1443.04				
	कुल / Total	**42057.72**	**8852.03**	**1027.18**	**6037.10**	**38540.67**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

नोटः इक्विटियों में निवेश को बिना रेटिंग वाली प्रतिभूतियां नहीं माना गया है.
Note – Investment in Equities are not treated as unrated securities

 # इक्विटी/अधिमानी शेयर में अनर्जक निवेश (एनपीआई) तथा राज्य स्तरीय बांडों को निम्न निवेश ग्रेड माना गया है.
 # Non-Performing Investment (NPI) in equity/ preference shares and state level bonds have been considered as below investment grade.

2 अनर्जक गैर- एसएलआर निवेश / Non-performing Non-SLR investments

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

विवरण / Particulars	**राशि / Amount**
प्रारंभिक शेष / Opening balance	896.51
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	165.15
वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the year	51.04
अंतिम शेष / Closing balance	**1010.63**
एनपीआई के तहत धारित कुल प्रावधान / Total provisions held toward NPI	**732.74**

V. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण
Sales and transfers of securities to/ from Held to Maturity (HTM) category

क. 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण का मूल्य (लेखा वर्ष के प्रारंभ में निदेशक मंडल के अनुमोदन से बैंकों द्वारा एचटीएम श्रेणी को/से प्रतिभूतियों के एकबारीय अंतरण और पूर्व घोषित खुले बाजार की परिचालन नीलामियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को बिक्री को छोड़कर) वर्ष के प्रारंभ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक हो गया है.

a. During the year ended March 31, 2015, the value of sales and transfers of securities to/ from HTM category (excluding one time transfer of securities to/ from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year and sale to RBI under pre-announced Open Market Operation auctions) have exceeded 5% of the book value of the investments held in HTM category at the beginning of the year.

31 मार्च 2015 को एचटीएम पोर्टफोलियो का कुल बही मूल्य तथा बाजार मूल्य क्रमशः ₹ 90,643.66 करोड़ तथा ₹ 90,959.34 करोड़ रहा.

Total book value and market value of HTM portfolio as of March 31, 2015 is ₹ 90,643.66 crore and ₹ 90,959.34 crore respectively.

ख. भारतीय रिजर्व बैंक के 7 अक्तूबर 2014 के परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं. 42/21.04.141/2014-15 के निबंधनों के अनुसार बैंकों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित एसएलआर प्रतिभूतियों की उच्चतम सीमा को निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के मौजूदा 24.0% से घटाकर 10 जनवरी 2015 तक 23.5% और क्रमिक रूप से 22.0% तक लाने के लिए सूचित किया गया है. तदनुसार, बैंक ने रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी से ₹ 2672.13 करोड़ के बहीमूल्य को एचएफ़टी श्रेणी के अंतर्गत अंतरित किया है.

b. In terms of RBI circular DBOD.BP.BC.No.42/21.04.141/2014-15 dated October 7, 2014, banks have been advised to bring down the ceiling on SLR securities under the HTM category from 24.0% of NDTL to 23.5% by January 10, 2015 and to 22.0% in graduated manner. Accordingly, the Bank has transferred SLR securities with book value of ₹ 2672.13 crore from HTM category to HFT category as per the extant RBI guidelines.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

VI. एसजीएल बाऊंसिंग की घटना का प्रकटन / Disclosure on instance of SGL bouncing

समाप्त वर्ष Year ended	एसजीएल बाऊंसिंग की तारीख Date of bouncing SGL form	एसजीएल बाऊंसिंग की राशि (₹ करोड़ में) Amount of Bouncing of SGL (₹ in crore)	टिप्पणी / Remarks
2015 (वर्तमान वर्ष) 2015 (Current year)	-	-	शून्य / Nil
2014 (विगत वर्ष) 2014 (Previous year)	31.05.2013	5.06	रिज़र्व बैंक द्वारा कोई मौद्रिक दंड नहीं लगाया गया क्योंकि लेनदेन के दिन बैंक के पास पर्याप्त प्रतिभूतियां उपलब्ध थीं परंतु प्रतिभूतियों में कमी उन्हें समय पर एसजीएल खाते में अंतरण न करने के कारण हुई. No monetary penalty has been imposed by RBI since securities were adequately available with the Bank on the day of transaction but the shortfall in security occurred due to non-transferring of the security to SGL account on time.

VII. डेरिवेटिव / Derivatives

1. वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप / Forwards Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2015 As at March 31, 2015		यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014	
		हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps	हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps
(i)	स्वैप करारों का कल्पित मूलधन The notional principal of swap agreements	460.00	30900.8	9323.65	26903.76
(ii)	करारों के अंतर्गत प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर उपगत की जाने वाली हानियां Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	0.00	111.63	70.92	251.71
(iii)	स्वैप करने के बाद बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति Collateral required by the bank upon entering into swaps	0.00	0.00	-	-
(iv)	स्वैप से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का संकेंद्रण (नीचे (क) देखें) Concentration of credit risk arising from the swaps (refer (a) below)	0.00	0.00	-	-
(v)	स्वैप बुक का उचित मूल्य The fair value of the swap book	(4.44)	(5.43)	(87.45)	(54.80)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क. 31 मार्च 2015 को 5 शीर्ष कॉरपोरेट ग्राहकों के ऋण जोखिम का संकेन्द्रण (बैंक का वर्तमान एक्सपोजर) बैंक के कॉरपोरेट ग्राहकों से कुल वर्तमान एक्सपोजर का 64.23%(57.25%) है.

a. Concentration of credit risk (current exposure to the Bank) to top 5 corporate clients as at March 31, 2015 is at 64.23% (57.25 %) of the total current exposure from corporate clients to the Bank.

ख. यथा 31 मार्च 2015 को स्वैप की प्रकृति और शर्तें निम्नानुसार हैं;

b. The nature and terms of the swaps as on March 31, 2015 are set out below:

स्वरूप / Nature	संख्या Nos.	कल्पित मूलधन (₹ करोड़ में) National Principal (₹ in crore)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें / Terms
ट्रेडिंग / Trading	123	7,793.97	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	नियत देय राशियां बनाम चल प्राप्य राशियां Fixed Payable v/s Floating Receivable
ट्रेडिंग / Trading	158	11,179.38	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	चल देय राशियां बनाम नियत प्राप्य राशियां Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग / Trading	29	1,000.00	मिफोर MIFOR	नियत देय राशियां बनाम चल प्राप्य राशियां Fixed Payable v/s Floating Receivable
ट्रेडिंग / Trading	35	1,080.00	मिफोर MIFOR	चल देय राशियां बनाम नियत प्राप्य राशियां Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग / Trading	20	4,544.02	एसआईआरएस SIRS	नियत देय राशियां बनाम चल प्राप्य राशियां Fixed Pay v/s Float Receivable
ट्रेडिंग / Trading	16	4,438.65	एसआईआरएस SIRS	चल देय राशियां बनाम नियत प्राप्य राशियां Float Pay v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग / Trading	6	563.14	सीआईआरएस CIRS	नियत देय राशियां बनाम चल प्राप्य राशियां Fixed Pay v/s Float Receivable
ट्रेडिंग / Trading	4	301.63	सीआईआरएस CIRS	चल देय राशियां बनाम नियत प्राप्य राशियां Float Pay v/s Fixed Receivable
हेज / Hedge	4	210	एसआईआरएस SIRS	नियत प्राप्य राशियां बनाम चल देय राशियां Fixed Receivable v/s Float Payable
हेज / Hedge	5	250	सीआईआरएस CIRS	नियत प्राप्य राशियां बनाम चल देय राशियां Fixed Receivable v/s Float Payable
हेज / Hedge (डीआईएफसी) (DIFC)	9	9,062.50	एसआईआरएस SIRS	चल देय राशियां बनाम नियत प्राप्य राशियां Float Pay v/s Fixed Receivable

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

यथा 31 मार्च 2014 को स्वैप की प्रकृति और शर्तें निम्नानुसार हैं :
The nature and terms of the swaps on March 31, 2014 are set out below :

स्वरूप / Nature	संख्या Nos.	कल्पित मूलधन (₹ करोड़ में) National Principal (₹ in crore)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग / Trading	113	6,992.59	मिबोर-ओआईएस MIBOR-OIS	नियत प्राप्य राशियां बनाम चल देय राशियां Fixed Receivable v/s Floating Payable
ट्रेडिंग / Trading	102	6862.01	मिबोर-ओआईएस MIBOR-OIS	नियत देय राशियां बनाम चल प्राप्य राशियां Fixed Payable v/s Floating Receivable
ट्रेडिंग / Trading	51	1,731.00	मिफोर / MIFOR	नियत प्राप्य राशियां बनाम चल देय राशियां Fixed Receivable v/s Floating Payable
ट्रेडिंग / Trading	33	1,175.00	मिफोर / MIFOR	नियत देय राशियां बनाम चल प्राप्य राशियां Fixed Payable v/s Floating Receivable
ट्रेडिंग / Trading	16	4,414.61	एसआईआरएस / SIRS	नियत प्राप्य राशियां बनाम चल देय राशियां Fixed Receivable v/s Floating Payable
ट्रेडिंग / Trading	26	4,939.52	एसआईआरएस / SIRS	नियत देय राशियां बनाम चल प्राप्य राशियां Fixed Payable v/s Floating Receivable
ट्रेडिंग / Trading	5	428.23	सीआईआरएस / CIRS	नियत प्राप्य राशियां बनाम चल देय राशियां Fixed Receivable v/s Floating Payable
ट्रेडिंग / Trading	5	360.80	सीआईआरएस / CIRS	नियत देय राशियां बनाम चल प्राप्य राशियां Fixed Payable v/s Floating Receivable
हेज / Hedge	5	250.00	सीआईआरएस / CIRS	नियत प्राप्य राशियां बनाम चल देय राशियां Fixed Receivable v/s Floating Payable
हेज / Hedge	3	289.81	सीआईआरएस / CIRS	नियत देय राशियां बनाम चल प्राप्य राशियां Fixed Payable v/s Floating Receivable
हेज / Hedge	4	210.00	एसआईआरएस / SIRS	नियत प्राप्य राशियां बनाम चल देय राशियां Fixed Receivable v/s Floating Payable
हेज / Hedge	5	1983.19	एसआईआरएस / SIRS	नियत देय राशियां बनाम चल प्राप्य राशियां Fixed Payable v/s Floating Receivable
हेज / Hedge	8	6590.65	एसआईआरएस (डीआईएफसी) SIRS (DIFC)	नियत प्राप्य राशियां बनाम चल देय राशियां Fixed Receivable v/s Floating Payable

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

2. अ. एक्सचेंज में लेन-देन वाले ब्याज दर डेरिवेटिव
a. Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	राशि / Amount
(i)	लेखा वर्ष के दौरान एक्सचेंज में लेन-देन किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूलधन राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the accounting year (instrument wise)	
	क) करेंसी फ्युचर a) Currency Futures	9,182.98
	ख) ब्याज दर फ्युचर b) Interest Rate Futures	592.86
(ii)	31 मार्च 2015 को एक्सचेंज में लेन-देन किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूलधन राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31, 2015 (instrument wise)	
	क) करेंसी फ्युचर a) Currency Futures	432.43
	ख) ब्याज दर फ्युचर b) Interest Rate Futures	0.00
(iii)	एक्सचेंज में लेन-देन किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव तथा जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हैं, की कल्पित मूलधन राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	
	क) करेंसी फ्युचर a) Currency Futures	0.00
	ख) ब्याज दर फ्युचर b) Interest Rate Futures	0.00
(iv)	एक्सचेंज में लेन-देन किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव तथा जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हैं का मार्क-टू-मार्केट मूल्य (लिखत वार) Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	
	क) करेंसी फ्युचर a) Currency Futures	0.00
	ख) ब्याज दर फ्युचर b) Interest Rate Futures	0.00

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

3. **डेरिवेटिव में ऋण जोखिम का प्रकटन - गुणात्मक प्रकटन**
Disclosures on risk exposure in derivatives- Qualitative disclosures

(i)	बैंक हेजिंग तथा साथ ही ट्रेडिंग प्रयोजनों के लिए डेरिवेटिव का इस्तेमाल करता है. ऐसे डेरिवेटिव के इस्तेमाल से विभिन्न जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनगत जोखिम, विधिक जोखिम आदि बढ़ जाते हैं. The Bank uses derivatives for Hedging as well as for Trading purposes. The use of such derivatives gives rise to various risks like credit risk, market risk, operational risk, legal risk etc.
(ii)	बैंक के पास इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए सुव्यवस्थित ढांचा है जिसमें जोखिम नीति, जोखिम प्रबंधन संगठन, जोखिम आकलन और निगरानी प्रक्रिया, ऋण सीमा संरचना तथा प्रणालीगत बुनियादी संरचना शामिल हैं. बैंक में एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग है जिसके प्रमुख, मुख्य महा प्रबंधक हैं. जोखिम प्रबंध विभाग, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट नीतियों, प्रक्रियाओं, मानदंडों और सीमाओं तथा लागू विनायमक दिशा-निर्देशों के अनुसार जोखिम के आकलन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए कार्यात्मक रूप से जिम्मेदार है. आस्ति देयता प्रबंध समिति के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत जोखिम का प्रबंध किया जाता है इसकी रिपोर्टिंग बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति और बोर्ड को नियमित रूप से की जाती है. The Bank has a well defined structure to manage these risks, consisting of risk policy, risk management organisation structure, risk measurement and monitoring process, limit structure and system infrastructure. The Bank has an independent Risk Management Department, headed by a Chief General Manager. The Risk Management Department is functionally responsible for measurement, monitoring and reporting of risks in accordance with the policies, processes, parameters and limits defined by the Board as well as the applicable regulatory guidelines. Risk is managed under the overall supervision of Asset Liability Management Committee with regular reporting to Risk Management Committee of the Board as well as to the Board.
(iii)	ऋण जोखिम, बाजार जोखिम परिचालन तथा विधिक जोखिम पर नियंत्रण करने के लिए संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही अर्थों में डेरिवेटिव लेन-देनों में ऋण जोखिम का आकलन/मूल्यांकन किया जाता है. डेरिवेटिव लेन-देन करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहक/दूसरे पक्ष को ऋण समतुल्य जोखिम (एलईआर) के अर्थ में आकलित ऋण जोखिम, अनुमोदित सीमा के भीतर हो तथा ग्राहक/दूसरे पक्ष को लेन-देन की आवश्यक समझ हो. बाजार जोखिम का आकलन और प्रबंध स्थितियों, समय-सीमा अथवा अवधि, बाजार दरों के प्रति संवेदनशीलता, पीवी01, अंतराल, ग्रीक्स, हानि-रोध आदि उपायों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. पर्याप्त प्रणालीगत बुनियादी संरचना और नियंत्रण प्रणाली को व्यवस्थित रखकर परिचालनगत जोखिमों का समाधान किया जाता है. आवश्यक विधिक करारों के निष्पादन और दस्तावेजीकरण के जरिये विधिक जोखिमों का ध्यान रखा जाता है. Risk exposures in derivatives transactions are measured/ assessed, in both quantitative and qualitative terms, to capture credit risk, market risk and operational & legal risk. Prior to the execution of derivative transaction, it is ensured that credit risk exposure to the client/ counterparty, measured in terms of Loan Equivalent Risk (LER), is within the approved limit and the client/ counterparty has the necessary understanding of the transaction. Market risk exposure is measured and managed in terms of positions, duration or tenor, sensitivities to market rates, PV01, gaps, Greeks, stop loss etc. Operational risks are addressed by having adequate system infrastructure and control mechanism in place. Legal risks are taken care of by execution of necessary legal agreements and documentation.
(iv)	डेरिवेटिव के लिए लेखांकन नीति रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है. जिसके विवरण अनुसूची सं.17 ''बैंक की उल्लेखनीय लेखा नीतियां'' में दिये गए हैं. The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, the details of which are contained in Schedule No.17 "Significant Accounting Policies of the Bank".

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

4. **डेरिवेटिव में ऋण जोखिम का प्रकटन - मात्रात्मक प्रकटन**
Disclosures on risk exposure in derivatives- Quantitative disclosures

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	यथा वर्ष 31 मार्च 2015 As at March 31, 2015		यथा वर्ष 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014	
		मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव (कल्पित मूलधन राशि) Derivatives (Notional principal amount)				
	(क) हेजिंग के लिए (a) For hedging	1,887.70	9,522.50	2802.37	9323.65
	(ख) ट्रेडिंग के लिए (b) For trading	21,204.57	30,900.80	16998.31	26903.76
(ii)	मार्क्ड-टू-मार्केट स्थितियां (1) Marked to Market Positions (1)				
	(क) आस्तियां (+) (a) Assets (+)	1355.61	154.59	1686.25	322.63
	(ख) देयताएं (-) (b) Liability (-)	(1473.66)	(138.32)	(1523.28)	(486.93)
(iii)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100* पीवी01) Likely impact of one percent change in interest rate (100*PV01)				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर (a) On hedging derivatives	14.36	373.50	48.66	314.48
	(ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर (b) On trading derivatives	0.04	16.97	0.04	2.83
(iv)	वर्ष के दौरान पाये गये 100*पीवी01 के अधिकतम एवं न्यूनतम Maximum and minimum of 100* PV01 observed during the year				
	हेजिंग पर / On hedging				
	- अधिकतम / Maximum	25.24	422.44	113.89	403.03
	- न्यूनतम / Minimum	6.67	282.85	48.66	314.48
	ट्रेडिंग पर / On trading				
	- अधिकतम / Maximum	2.71	23.74	2.34	26.80
	- न्यूनतम / Minimum	0.000910	0.4861	0.011978	1.4774

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

VIII आस्ति गुणवत्ता / Asset Quality

1. अनर्जक आस्ति (ऋण तथा अग्रिम, उन पर उपचित ब्याज)
Non-Performing Asset (Loans & Advances, interest accrued thereon)

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

क्रम सं. Sr. No.	मदें / Items	यथा वर्ष 31 मार्च 2015 As at March 31, 2015	यथा वर्ष 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014
(i)	**निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%) / Net NPAs to Net Advances (%)**	2.88	2.48
(ii)	**एनपीए में उतार - चढ़ाव (सकल) / Movement of NPAs (Gross)**		
	(क) प्रारंभिक शेष (a) Opening balance	9960.16	6449.98
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (b) Additions during the year	6100.81	5706.01
	(ग) वर्ष के दौरान कमी (c) Reduction during the year	3376.00	2195.83
	(घ) अंतिम शेष (d) Closing balance	12684.97	9960.16
(iii)	निवल एनपीए में उतार - चढ़ाव **/ Movement of Net NPAs**		
	(क) प्रारंभिक शेष (a) Opening balance	4902.30	3100.36
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (b) Additions during the year	1792.97	2383.25
	(ग) वर्ष के दौरान कमी/पुनर्वर्गीकरण (c) Reductions/ Reclassification during the year	702.75	581.31
	(घ) अंतिम शेष (d) Closing balance	5992.52	4902.30
(iv)	**एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार - चढ़ाव Movement of provisions for NPAs** (मानक आस्तियों के लिए प्रावधानों को छोड़कर) (excluding provisions on standard assets)		
	(क) प्रारंभिक शेष (a) Opening balance	4973.50	3253.38
	(ख) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान (b) Provisions made during the year	4202.48	3307.21
	(ग) बट्टे खाते डाले गये/पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान (c) Write-off/ write back of excess provision	2542.01	1587.09
	(घ) अंतिम शेष (d) Closing balance	6633.97	4973.50
(v)	**रिज़र्व बैंक दिशा-निर्देशों के अनुसार गणना किया गया प्रावधानीकरण व्याप्ति अनुपात Provisioning Coverage Ratio computed in accordance with the RBI guidelines**	66.63%	64.53%

2. 31 मार्च 2015 को पुनर्संरचित खातों का विवरण / Disclosure of Restructured Accounts as on 31 March 2015

(₹ करोड में / ₹ in Crore)

क्र.सं. Sr. No.	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring →		सीडीआर व्यवस्था के अंतर्गत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्गठन व्यवस्था के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					कुल Total				
	आस्ति / वर्गीकरण Asset / Classification → Details ↓		मानक Standard	अवमानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल को पुनर्संरचित खाते (आरंभिक आंकड़े)* Restructured Accounts as on April 1 of the FY (opening figures)*	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers	60	10	8	-	78	-	-	-	-	-	217	19	186	-	422	277	29	194	-	500
		बकाया राशि Amount outstanding	6934.43	445.65	284.12	-	7664.20	-	-	-	-	-	5521.61	251.75	2014.75	-	7788.11	12456.04	697.40	2298.87	-	15452.31
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	455.30	8.08	3.23	-	466.61	-	-	-	-	-	176.52	0.40	72.65	-	249.57	631.82	8.48	75.88	-	716.18
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्संरचित खाते Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers	21	3	4	-	28	-	-	-	-	-	59	11	9	-	79	80	14	13	-	107
		बकाया राशि Amount outstanding	2318.59	210.91	663.09	-	3192.59	-	-	-	-	-	5100.86	167.54	288.92	-	5557.32	7419.45	378.45	952.01	-	8749.91
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	137.23	12.25	3.37	-	152.86	-	-	-	-	-	193.43	0.36	28.70	-	222.48	330.66	12.61	32.06	-	375.34
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन Upgradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers	3	(3.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	43	(1.00)	(42.00)	-	-	46	(4.00)	(42.00)	-	-
		बकाया राशि Amount outstanding	53.14	(53.14)	-	-	-	-	-	-	-	-	18.97	(0.47)	(18.50)	-	-	72.10	(53.61)	(18.50)	-	-
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	0.09	(0.09)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.01	(0.02)	(0.98)	-	-	1.10	(0.11)	(0.98)	-	-
4	पुनर्संरचित मानक अग्रिम जो उच्चतम प्रावधानीकरण को आकर्षित करने के लिए बंद कर दिए गए और / या वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अतिरिक्त जोखिम भार और इसके कारण अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्संरचित अग्रिम के रूप में दिखाया जाना आवश्यक नहीं है Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and/ or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers	5				5	-				-	71				71	76				76
		बकाया राशि Amount outstanding	35.12				35.12	-				-	252.05				252.05	287.17				287.17
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	0.03				0.03	-				-	0.84				0.84	0.87				0.87

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड में / ₹ in Crore)

क्र.सं. Sr. No.	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring →		सीडीआर व्यवस्था के अंतर्गत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्गठन व्यवस्था के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					कुल Total				
	आस्ति / वर्गीकरण Asset / Classification → Details ↓		मानक Standard	अवमानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub-Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का कोटि न्यूनीकरण[1] Downgradations of restructured accounts during the FY[1]	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers	(12.00)	4	8	-	-	-	-	-	-	-	(72.00)	41	31	-	-	(84.00)	45	39	-	-
		बकाया राशि Amount outstanding	(1,018.51)	274.37	744.14	-	-	-	-	-	-	-	(698.43)	490.61	207.82	-	-	(1,716.94)	764.98	951.96	-	-
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	(6.24)	-	6.24	-	-	-	-	-	-	-	(2.62)	1.02	1.60	-	-	(8.86)	1.02	7.84	-	-
6	वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए पुनर्संरचित खाते Write-offs of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers	0	0	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	3	-	3
		बकाया राशि Amount outstanding	0	0	1.97	0	1.97	-	-	-	-	-	-	-	5.00	-	5.00	-	-	6.97	-	6.97
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े*)[2] Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures*)[2]	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers	66	7	22	-	95	-	-	-	-	-	141	53	156	-	350	207	60	178	-	445
		बकाया राशि Amount outstanding	8099.19	485.28	1974.52	-	10558.99	-	-	-	-	-	8623.35	658.16	1095.40	-	10376.90	16722.54	1143.44	3069.92	-	20935.89
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	452.42	12.25	12.72	-	477.40	-	-	-	-	-	269.94	1.38	32.12	-	303.44	722.36	13.64	44.85	-	780.84

* मानक पुनर्संरचित अग्रिम जो उच्चतम प्रावधानीकरण या जोखिम भार को आकर्षित नहीं करते हैं, के आंकड़ों को छोड़कर (यदि लागू हो).
Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

[1] ऊपर वर्णित कोटि न्यूनीकरण गतिविधि मानक से अवमानक/संदिग्ध श्रेणी में है. वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सीडीआर के अंतर्गत ₹ 337.70 करोड़ बकाया राशि वाले 5 मामलों तथा सीडीआर से भिन्न ₹ 271.17 करोड़ बकाया राशि वाले 14 मामलों की अवमानक से संदिग्ध श्रेणी में कोटि न्यूनीकरण किया गया.
Downgradations movement mentioned above is from Standard to Sub Standard / Doubtful category. 5 cases with outstanding ₹ 337.70 crore under CDR and 14 cases with outstanding ₹ 271.17 crore other than CDR were downgraded from sub standard to doubtful category, during FY 2014-15.

[2] वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 2547.75 बकाया राशि वाले 83 मामले वापस लिए गए / पुनः अदा किए गए / पूर्णतः प्रावधानित किए गए / पुनर्संरचना असफल हो गई/एओडी किए गए.
83 Cases with outstanding ₹ 2547.75 crore were revoked/ repaid/ fully provided/ restructuring failed/ AOD during the FY 2014-15.

[3] उन पर प्रावधान उचित मूल्य में कमी के लिए किए गए सिर्फ प्रावधान दर्शाते हैं.
Provision thereon represents only provision made for diminution for fair value.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

3. **आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा**
Details of financial assets sold to Securitisation/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	31 मार्च 2015 वर्ष के लिए For the year March 31, 2015	31 मार्च 2014 वर्ष के लिए For the year March 31, 2014
(i)	खातों की संख्या / No. of Accounts	4	91
(ii)	एस सी / आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/ RC	50.79	550.37
(iii)	सकल प्रतिफल / Aggregate consideration	70.10	555.81
(iv)	पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किए गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	-	-
(v)	निवल बही मूल्य पर सकल लाभ /(हानि) Aggregate gain/ (loss) over net book value	19.31	5.44

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

विवरण / Particulars	बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा निम्नानुसार समर्थित Backed by NPAs sold by the bank as underlying		अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा निम्नानुसार समर्थित Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/ non-banking financial companies as underlying		कुल Total	
	विगत वर्ष Previous Year	वर्तमान वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	वर्तमान वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year	वर्तमान वर्ष Current Year
प्रतिभूति रसीदों में निवेशों का बही मूल्य Book value of investments in security receipts	691.63	1154.45	-	-	691.63	1154.45

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

4. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा / Details of non-performing financial assets purchased

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

क्रम सं. Sr. No.		मदें / Items	31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
(i)	(क) (a)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या No. of accounts purchased during the year	-	-
	(ख) (b)	कुल बकाया राशि Aggregate outstanding	-	-
(ii)	(क) (a)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या Of these, number of accounts restructured during the year	-	-
	(ख) (b)	कुल बकाया राशि Aggregate outstanding	-	-

5. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा / Details of non-performing financial assets sold

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

क्रम सं. Sr. No.	मदें / Items	31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
(i)	बेचे गए खातों की संख्या / No. of accounts sold	-	-
(ii)	कुल बकाया राशि / Aggregate outstanding	-	-
(iii)	प्राप्त कुल प्रतिफल / Aggregate consideration received	-	-

6. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision on Standard Asset

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

क्रम सं. Sr. No.	मदें / Items	31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
(i)	वर्ष के लिए मानक आस्तियों हेतु प्रावधान Provisions towards Standard Assets for the year	498.83	173.00
(ii)	संचयी शेष (तुलन पत्र की अनुसूची 5 में अन्य देयताएं एवं प्रावधान के अंतर्गत शामिल) Cumulative Balance (included under Other Liabilities & Provisions in Schedule 5 to the Balance sheet)	1740.19	1237.24

IX. कारोबार अनुपात / Business Ratios

क्रम सं. Sr. No.	मदें / Items	31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
1	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय$ Interest income as a percentage to working funds$	9.45%	9.64%
2	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय Non-interest income as a percentage to working funds	1.35%	1.08%
3	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ$ Operating profit as a percentage to working funds$	1.92%	2.06%
4	आस्तियों पर प्रतिफल@ Return on assets@	0.29%	0.41%
5	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा राशियां तथा अग्रिम)# [₹ क़रोड़ में] Business (Deposits plus advances) per employee# [₹ in crore]	26.21	24.65
6	प्रति कर्मचारी लाभ [₹ क़रोड़ में] / Profit per employee [₹ in crore]	0.05	0.07

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

$ कार्यशील निधियों की गणना कुल आस्तियों के औसत (संचित हानि, यदि कोई हो, को छोड़कर) के आधार पर की जाती है, जैसाकि वित्तीय वर्ष के 12 माह के दौरान बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के तहत फॉर्म X में भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किया गया है.
Working funds are reckoned as average of total assets (excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X under Section 27 of the Banking Regulation Act, 1949, during the 12 months of the financial year.

@ आस्तियों पर प्रतिफल औसत कार्यशील निधियों (अर्थात् कुल आस्तियां, इनमें संचित हानि, यदि कोई हो, को छोड़कर) के संदर्भ में है.
Return on Assets is with reference to average working funds (i.e. total of assets excluding accumulated losses, if any).

प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशियां एवं अग्रिम) की गणना के प्रयोजनार्थ अंतर बैंक जमाराशियां शामिल नहीं की गई हैं.
For the purpose of computation of business per employee (deposits plus advances) interbank deposits are excluded.

X. एक्सपोज़र / Exposure

1. संपदा क्षेत्र में एक्सपोज़र / Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

श्रेणी / Category			31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
1.	**प्रत्यक्ष ऋण सहायता / Direct exposure**			
	(क) (a)	**आवासीय बंधक -** **Residential Mortgages –**		
		आवासीय संपत्ति, जो उधारकर्ता के कब्जे में है/होगी या किराये पर दी गई है, पर बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत उधार Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	31774.97	31486.50
		उपर्युक्त में से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम / Of above priority sector advances	12054.31	14024.02
	(ख) (b)	**वाणिज्यिक संपदा -** **Commercial Real Estate –**		
		वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार Lendings secured by mortgages on commercial real estates	3549.75	3534.10
		उपर्युक्त में से गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं Of above non-fund based (NFB) limits	507.48	449.44
	(ग) (c)	**बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण सहायता -** **Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –**		
		क. आवासीय a. Residential	-	-
		ख. वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र b. Commercial Real Estate	-	-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

श्रेणी / Category		31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
2.	अप्रत्यक्ष ऋण सहायता / Indirect Exposure		
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण सहायता Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	4630.06	7631.36
	उपर्युक्त में से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को गैर-निधि आधारित ऋण सहायता Of the above Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	-	-
	कोई अन्य-अप्रत्यक्ष ऋण सहायता / Any other - Indirect Exposure	83.32	94.26
	कुल / Total	**40038.10**	**42746.22**

2. **पूंजी बाजार में एक्सपोजर / Exposure to Capital Market**

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ऐसे इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में सीधे निवेश, जिनकी मूल निधि को केवल कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं किया जाता है; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1871.99	1681.31
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईसॉप सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर या अप्रतिभूत आधार पर अग्रिम; Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds;	447.06	446.18
(iii)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जिनमें शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है. Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	428.68	553.80
(iv)	अन्य किसी प्रयोजन के लिए अग्रिम, जो शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हैं अर्थात् जिनमें शेयरों / परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों / इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के अलावा अन्य प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरा कवर नहीं करती है. Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	77.92	352.70

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां; Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	431.00	319.98
(vi)	शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर या अप्रतिभूत आधार पर संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी के प्रमोटरों के अंशदान को पूरा करने के लिए कॉरपोरेट को मंजूर ऋण; Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter`s contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	-	-
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह / निर्गम के लिए कंपनियों को पूरक ऋण; Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	-	-
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा की गई हामीदारी वचनबद्धताएं; Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures of units of equity oriented mutual fund;	-	-
(ix)	स्टॉक ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण; Financing to stockbrokers for margin trading;	-	-
(x)	उद्यम पूँजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत, दोनों) में किए गए सभी निवेश इक्विटी के समान समझे जाएंगे. अतः पूंजी बाजार निवेश सीमा (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, दोनों) के अनुपालन के लिए इनको हिसाब में लिया जाएगा. All Exposures to venture capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceiling (both direct and indirect)	207.27	248.34
	पूंजी बजार में कुल एक्सपोजर / Total Exposure to Capital Market	**3463.91**	**3602.31**

3. देश की जोखिम श्रेणी-वार ऋण सहायता / Risk Category wise Country Exposure

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

जोखिम श्रेणी / Risk Category	31 मार्च 2015 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2015	31 मार्च 2015 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2015	31 मार्च 2014 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2014	31 मार्च 2014 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2014
नगण्य / Insignificant	4251.56	-	3232.03	-
निम्न / Low	3810.24	-	1568.81	-
मध्यम / Moderate	20.01	-	24.48	-
उच्च / High	-	-	-	-
अति उच्च / Very High	-	-	-	-
नियंत्रित / Restricted	-	-	-	-
ऑफ-क्रेडिट / Off-credit	-	-	-	-
कुल / Total	**8081.81**	**-**	**4825.32**	**-**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XI. विवेकपूर्ण ऋण सहायता सीमाएं / Prudential Exposure Limits

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान एकल उधारकर्ताओं तथा समूह उधारकर्ताओं को दी गयी बैंक की ऋण सहायता रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण सहायता सीमाओं के भीतर थीं:

During the year ended March 31, 2015, the Bank's exposure to single borrowers and group borrowers were within the prudential exposure limits prescribed by RBI.

एकल / समूह उधारकर्ता का नाम Name of the single borrower/ group	पूंजी निधि के % के रूप में 31 मार्च 2015 को कुल प्रतिबद्ध ऋण सहायता Total Committed Exposure as at March 31, 2015, as % of Capital Fund	पूंजी निधि के % के रूप में 31 मार्च 2015 को कुल बकाया राशि Total Outstanding as at March 31, 2015, as % of Capital Fund
(i) एकल उधारकर्ता का नाम Name of the single borrower	-	-
(ii) समूह का नाम / Name of the group	-	-

XII. लाभ-हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाए गये 'प्रावधान एवं आकस्मिकताएं' का अलग-अलग विवरण
Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान / Provision for depreciation on Investment	248.31	180.48
एनपीए के लिए प्रावधान / Provision towards NPA	1622.86	1681.30
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision towards Standard Asset	498.83	173.00
पुनर्संरचित आस्तियों (एफआईटीएल सहित) के लिए प्रावधान Provision for Restructured Assets (including FITL)	364.19	485.99
कर के लिए प्रावधान / Provision made towards Taxes	1045.60	1169.45
आस्थगित कर आस्तियां (निवल) / Deferred Tax Assets (Net)	(631.65)	(549.72)
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण / Bad debts written off	1608.85	1392.68
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं / Other Provision and Contingencies	97.73	26.81
कुल / Total	**4854.72**	**4559.99**

XIII. अप्रतिभूत अग्रिम / Unsecured Advances

उन अग्रिमों की कुल राशियां जिनके लिए अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां ली गई हैं ₹ शून्य (₹ शून्य) के रूप में ली गई है तथा दिनांक 31 मार्च 2015 तक अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य ₹ शून्य (₹ शून्य) है.

Total amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. has been taken as ₹ Nil (₹ Nil) and the estimated value of intangible security as on March 31, 2015 is ₹ Nil (₹ Nil)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XIV. अस्थायी प्रावधान / Floating Provisions

क्रम सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
1	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष Opening balance in the floating provisions account	-	-
2	वर्ष के दौरान किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि The quantum of floating provisions made during the year	-	-
3	वर्ष के दौरान आहरण में कमी की राशि Amount of draw down during the year	-	-
4	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष Closing balance in the floating provisions account	-	-

नीति के रूप में बैंक अशोध्य और संदेहपूर्ण अग्रिमों और निवेशों के लिए कोई अस्थायी प्रावधान नहीं करता है.
As a policy, the Bank does not make any floating provision for bad and doubtful advances and investments.

XV. शिकायतों/ अधिनिर्णयों का प्रकटन / Disclosure of Complaints/Awards

1. ग्राहक शिकायतें (इसमें बांडों से संबंधित शिकायतें शामिल हैं)
Customer Complaints (Includes complaints related to Bonds)

क्रम सं. Sr.No.	विवरण / Particulars	31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
(i)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की सं. No. of Complaints pending at the beginning of the year	887	933
(ii)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं. No. of Complaints received during the year	62273	52118
(iii)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं. No. of Complaints redressed during the year	62732	52164
(iv)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं. No. of Complaints pending at the end of the year	428	887

2. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय / Awards passed by the Banking Ombudsman

क्रम सं. Sr.No.	विवरण / Particulars	31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
(i)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित किए गए अधिनिर्णयों की सं. No. of unimplemented awards at the beginning of the year	-	-
(ii)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णयों की सं. No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	-	3
(iii)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं. No. of Awards implemented during the year	-	3
(iv)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित किए गए अधिनिर्णयों की सं. No. of unimplemented Awards at the end of the year	-	-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

3. **एटीएम लेन-देनों के संबंध में ग्राहक शिकायतें**
Customer Complaints on Account of ATM Transactions

क्रम सं. Sr.No.	विवरण / Particulars	31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
(i)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की सं. No. of Complaints pending at the beginning of the year	278	400
(ii)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं. No. of Complaints received during the year	40623	65350
(iii)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं. No. of Complaints redressed during the year	40550	65472
(iv)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं. No. of Complaints pending at the end of the year	351	278

XVI. प्रतिभूतिकरण / Securitisation

क. दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने खुदरा ऋणों के किसी समूह को प्रतिभूतिकृत नहीं करवाया है.

a. During the year ended March 31, 2015, the Bank has not securitised any pools of retail loans.

बैंक की प्रतिभूतिकरण गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया हैं :
The details of securitisation activity of the Bank is given below :

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
प्रतिभूतिकृत की गई ऋण आस्तियों / प्रतिभूतिकृत किए गए खुदरा ऋणों के समूहों की कुल संख्या Total number of loan assets securitised/ pools of retail loans securitised	-	-
प्रतिभूतिकृत ऋण आस्तियों का कुल बही मूल्य Total book value of loan assets securitised	-	-
प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल Sale consideration received for the securitised assets	-	-
प्रतिभूतिकरण के कारण निवल लाभ / (हानि) Net gain / (loss) on account of securitisation	-	-
निम्नलिखित के रूप में प्रदत्त सेवाओं का विवरण : Details of services provided by way of :		
बकाया ऋण वृद्धि (द्वितीय हानि ऋण सुविधा) Outstanding credit enhancement (second loss credit facility)	236.54	184.29
बकाया चलनिधि सुविधा * Outstanding liquidity facility *	12.13	-
बकाया शोधन देयता Outstanding servicing liability	-	-

* प्रत्यक्ष समनुदेशन के मामलों के लिए ₹ शून्य (₹ शून्य) जिनमें से ₹ शून्य (₹ शून्य) गारंटी के रूप में शामिल हैं.
Includes ₹ Nil (₹ Nil) for direct assignment cases of which ₹ Nil (₹ Nil) is in the form of a guarantee.

ख. प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के लिए बैंक द्वारा किसी विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) को प्रायोजित नहीं किया गया है.

b. There are no SPVs sponsored by the Bank for securitisation transactions.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क्रम सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	सं./ राशि ₹ करोड़ में No. / Amount in ₹ crore
1.	प्रतिभूतिकरण लेन-देनों के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या No. of SPVs sponsored by the Bank for securitisation transactions	
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि Total amount of securitised assets as per books of the SPVs sponsored by the Bank	
3.	तुलन पत्र की तारीख तक एमआरआर का पालन करने हेतु बैंक द्वारा प्रतिधारित एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of exposures retained by the Bank to comply with MRR as on the date of balance sheet	
	क. तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर a. Off-balance sheet exposures	
	पहली हानि / First loss	
	अन्य / Others	
	ख. तुलन-पत्र एक्सपोजर b. On-balance sheet exposures	
	पहली हानि / First loss	
	अन्य / Others	
4.	एमआरआर के अतिरिक्त प्रतिभूतिकृत लेन-देनों के लिए एक्सपोजर की राशि Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	
	क. तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर a. Off-balance sheet exposures	शून्य / Nil
	i स्वयं के प्रतिभूतिकरण हेतु एक्सपोजर / Exposure to own securitisations	
	पहली हानि / First loss	
	अन्य / Others	
	ii अन्य द्वारा प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर / Exposure to third party securitisations	
	पहली हानि / First loss	
	अन्य / Others	
	क. तुलन पत्र एक्सपोजर b. On-balance sheet exposures	
	i स्वयं के प्रतिभूतिकरण हेतु एक्सपोजर / Exposure to own securitisations	
	पहली हानि / First loss	
	अन्य / Others	
	ii अन्य द्वारा प्रतिभूतिकरण में एक्सपोजर / Exposure to third party securitisations	
	पहली हानि / First loss	
	अन्य / Others	

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XVII. बैंक ने वर्ष के दौरान कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है ₹ शून्य (₹ शून्य)
The Bank has not issued any letter of comfort during the year ₹ Nil (₹ NIL).

XVIII. बैंकाश्योरेंस कारोबार के संबंध में प्राप्त शुल्क तथा पारिश्रमिक
Fees and Remuneration Received in respect of Bancassurance Business

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष For the year ended March 31, 2015	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष For the year ended March 31, 2014
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. / IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.	37.57	47.69
बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कं. लि. / Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	5.54	4.55
	43.11	52.24

XIX. दंड का प्रकटन / Disclosure on Penalty

वर्ष के दौरान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निम्नलिखित दंड लगाए गए.
During the year following penalties were imposed by regulatory authorities.

(राशि ₹ में / Amount in ₹)

क्रम सं. Sr. No.	प्राधिकरण का नाम Name of the Authority	संक्षिप्त विवरण / Brief particulars	राशि (2014-2015) Amount (2014-2015)	राशि (2013-2014) Amount (2013-2014)
1	रिज़र्व बैंक / RBI	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47ए (i) के तहत दंड. Penalty under Section 47A (i) of the Banking Regulation Act, 1949.	15,00,000	शून्य / Nil
2	रिज़र्व बैंक / RBI	ग्राहक सेवा पर दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन, सिक्कों के विनिमय और छोटे मूल्यवर्ग के नोट के संबंध में दिशानिर्देश और कटे-फटे नोटों के लिए दंड. Penalty for non compliance of guidelines on customer service, guidelines in respect of exchange of coins and small denomination notes and mutilated notes.	94,200.00	शून्य / Nil
3	रिज़र्व बैंक / RBI	केवाईसी/ एएमएल पर रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुपालन में पाई गई कुछ कमियों के लिए दंड. Penalty for certain deficiencies observed in compliance to the RBI instruction on KYC/ AML.	शून्य / Nil	1,00,00,000
4	सेबी / SEBI	अधिग्रहण और पीआईटी विनियमन के उल्लंघन के लिए दंड. Penalty for violation of Takeover and PIT Regulation.	शून्य / Nil	2,00,000

उक्त सभी दंडों का भुगतान कर दिया गया है. / All the above penalties have been paid.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XX. आस्ति देयता प्रबंध / Asset Liability Management.

आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप (यथा 31 मार्च 2015)
Maturity Pattern of certain items of assets & liabilities (as at March 31, 2015)

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

	दिन 1 Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 28 दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 माह तक 29 days to 3 months	3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months and upto 6 months	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक Over 6 months and upto 1 year	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year and upto 3 years	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years and upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमाराशि (1) Deposits (1)	1,254.75	8,483.43	6,789.42	7,912.77	26,687.70	37,151.65	52,691.22	83,292.75	13,986.51	21,585.77	259,835.97
अग्रिम (1) Advances (1)	1,951.66	1,724.89	2,269.24	1,877.85	11,176.48	11,230.63	11,845.82	84,772.56	25,388.75	56,138.99	208,376.87
निवेश Investments	11,967.43	9,528.99	5.04	201.15	902.41	5,467.52	5,554.01	13,304.34	18,914.43	55,117.89	120,963.21
उधार (1) Borrowings (1)	-	1,522.94	3,003.68	801.86	2,904.89	5,499.57	7,924.10	8,221.64	11,326.88	20,627.42	61,832.98
विदेशी मुद्रा आस्तियां (2) Foreign Currency Assets (2)	123.70	227.16	630.55	489.75	1,874.52	2,501.77	1,157.59	11,637.19	3,775.22	5,084.85	27,502.30
विदेशी मुद्रा देयताएं (3) Foreign Currency Liabilities (3)	11.97	263.94	221.93	597.11	2,319.62	3,636.72	5,172.00	4,318.96	5,554.15	4,993.83	27,090.23

1. विदेशी मुद्रा शेष राशियां शामिल हैं. / Includes foreign currency balances.
2. विदेशी मुद्रा अग्रिम शामिल हैं. / Includes foreign currency advances.
3. विदेशी मुद्रा जमाराशियां और उधारराशियां शामिल हैं. / Includes foreign currency deposits and borrowings.
4. मध्यवर्ती परिपक्वता वाली आस्तियों एवं देयताओं को व्यावहारिक अनुमानों के आधार पर समूहित किया जाता है.
   Assets & Liabilities with indeterminate maturity are bucketed based on behavioural estimates.

XXI. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर तथा अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का संकेंद्रण
Concentration of Deposits, Advances, Exposure and NPAs

1 जमाराशियों का संकेंद्रण / Concentration of Deposits

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां / Total Deposits of twenty largest depositors	41182.35	41017.43
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	15.85%	17.40%

2 अग्रिमों का संकेंद्रण / Concentration of Advances

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
बीस बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम / Total Advances to twenty largest borrowers	60516.54	66929.50
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	15.03%	16.29%

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

3 ऋण सहायता का संकेंद्रण / Concentration of Exposures

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
बीस बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल ऋण सहायता Total Exposure of twenty largest borrowers/ customers	61501.50	67671.24
उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोजर में से बीस बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/ customers	13.77%	15.07%

4 एनपीए का संकेंद्रण / Concentration of NPAs

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
शीर्ष चार एनपीए खातों को कुल ऋण सहायता / Total Exposure to top four NPA accounts	3365.33	2080.56

XXII क्षेत्रवार अग्रिम / Sector-wise advances

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

क्रम सं. Sr. No.		क्षेत्र* Sector*	चालू वर्ष Current Year			पिछला वर्ष Previous Year		
अ A		प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र नें कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र नें कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
1		कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture and allied activities	15260.45	1402.94	9.19%	9700.25	1090.29	11.24%
	क) a)	कृषि को कोई अन्य प्रत्यक्ष वित्त Any other direct finance to Agriculture	3525.11	24.41	0.69%	1356.09	9.08	0.67%

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

क्रम सं. Sr. No.		क्षेत्र* Sector*	चालू वर्ष Current Year			पिछला वर्ष Previous Year		
अ A		प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र नें कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र नें कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
	ख) b)	अनाजों का उत्पादन Growing of Cereals	1619.51	11.16	0.69%	-	-	-
	ग) c)	मत्स्य पालन Aquaculture, Fishing	-	-	-	1306.57	496.97	38.04%
	घ) d)	कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त Indirect Finance to Agriculture	1554.11	32.63	2.10%	1786.11	40.89	2.29%
2		प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में उधार के लिए पात्र औद्योगिक क्षेत्रों को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	10463.26	933.74	8.92%	7001.67	1020.62	14.58%
	क) a)	एसएचजी के साधारण/विविध/अविनिर्दिष्ट कार्यकलाप General/Diversified/ Unspecified Activities of SHGs	1944.87	0.15	0.01%	-	-	-
	ख) b)	अनाज मिल उत्पाद Grain Mill Products	1433.01	120.15	8.38%	1156.07	141.26	12.22%
3		सेवाएं Services	8817.86	542.24	6.15%	8767.78	598.02	6.82%

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

क्रम सं. Sr. No.		क्षेत्र* Sector*	चालू वर्ष Current Year			पिछला वर्ष Previous Year		
अ A		**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector**	**बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances**	**सकल एनपीए Gross NPAs**	**उस क्षेत्र नें कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector**	**बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances**	**सकल एनपीए Gross NPAs**	**उस क्षेत्र नें कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector**
	क) a)	सेवाएं अर्थात् घरेलू, धुलाई सेवा, सेलून Services Such as Domestic, Laundries, Saloons	1809.21	4.29	0.24%	2438.76	1.94	0.08%
4		वैयक्तिक ऋण Personal loans	18166.92	175.99	0.97%	17124.36	153.15	0.89%
	क) a)	आवास ऋण स्टाफ को छोड़कर Housing Loan other than to Staff	14106.09	149.65	1.06%	13596.24	134.79	0.99%
	ख) b)	आवास क्षेत्र में एनबीएफ़सी NBFCs in Housing Sector	2230.00	0	0%			
		उप-योग (अ) Sub-total (A)	52708.49	3054.90	5.80%	42594.07	2862.08	6.72%
आ B		**ग़ैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non Priority Sector**						
1		कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
2		औद्योगिक क्षेत्र में अग्रिम Advances to industries sector	71111.39	5419.87	7.62%	65714.59	3542.17	5.39%
	क) a)	बिजली उत्पादन Generation of Electricity	17233.90	767.52	4.45%	-	-	-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

क्रम सं. Sr. No.		क्षेत्र* Sector*	चालू वर्ष Current Year			पिछला वर्ष Previous Year		
आ B		**गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non Priority Sector**	**बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances**	**सकल एनपीए Gross NPAs**	**उस क्षेत्र नें कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector**	**बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances**	**सकल एनपीए Gross NPAs**	**उस क्षेत्र नें कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector**
	ख) b)	मूल लौह एवं इस्पात उत्पादन Manufacture of Basic Iron & Steel	-	-	-	9669.33	291.45	3.01%
3		सेवाएं / Services	36530.77	2983.13	8.17%	83906.25	3326.15	3.96%
	क) a)	सड़क एवं बंदरगाह - निर्माण शामिल हैं Roads & Ports-Includes Construction	13139.58	1470.28	11.19%	-	-	-
	ख) b)	बिजली उत्पादन Generation of Electricity	-	-	-	12464.99	290.29	2.33%
	ग) c)	सड़क एवं बंदरगाह - निर्माण शामिल है Roads & Ports-includes construction	-	-	-	12345.47	659.56	5.34%
4		वैयक्तिक ऋण Personal loans	55441.01	1227.07	2.21%	11160.77	229.76	2.06%
	क) a)	आवास ऋण-स्टाफ को छोड़कर Housing Loan other than to Staff	12137.33	81.24	0.67%	9842.89	81.80	0.83%
		उप-योग (आ) Sub-total (B)	163083.18	9630.07	5.91%	160781.62	7098.08	4.41%
		कुल (अ+आ) TOTAL (A+B)	**215791.67**	**12684.97**	**5.88%**	**203375.68**	**9960.16**	**4.90%**

*** उप-क्षेत्र जहां बकाया अग्रिम उस क्षेत्र के बकाया अग्रिमों का 10% से अधिक है.**
*** Sub sectors where the outstanding advances exceed 10% of the outstanding advances to that sector.**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXIII. एनपीए में उतार-चढ़ाव / Movement of NPAs

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
1 अप्रैल 2014 को सकल एनपीए (आरंभिक शेष) Gross NPAs as on 1st April, 2014 (Opening Balance)	9960.16	6449.98
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए) Additions (Fresh NPAs) during the year	6100.81	5706.00
उप-योग (अ) / Sub-total (A)	16060.97	12155.98
घटाएं / Less :-		
(i) उन्नयन / Upgradations	607.95	36.79
(ii) वसूलियां (उन्नत किये गये खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1159.19	766.35
(iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाली गयी राशि Technical/ Prudential Write-offs	1560.29	516.92
(iv) उपर्युक्त (iii) को छोड़कर बट्टे डाले गए खाते Write-offs other than those under (iii) above	48.56	875.76
उप-योग (आ) / Sub-total (B)	**3375.99**	**2195.82**
31 मार्च 2015 को सकल एनपीए (अंतिम शेष) (अ-आ) Gross NPAs as on 31st March, 2015 (Closing Balance) (A-B)	**12684.98**	**9960.16**

XXIV. तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाली गई राशि का स्टॉक तथा उन पर निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार की गई वसूलियां
Stock of technical write-offs and the recoveries made thereon as per the format below.

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
1 अप्रैल 2014 को तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाले खातों का आरंभिक शेष Opening Balance of Technical/ Prudential written-off accounts as at 1st April, 2014	3651.11	3794.69
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाले गए खाते Add: Technical/ Prudential write-offs during the year	1560.29	516.92
उप-योग (अ) / Sub-total (A)	5211.40	4311.61
घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाले गए खातों से की गई वसूलियां (आ) Less: Recoveries/ changes (net) in previously Technical/ Prudential written-off accounts during the year (B)	52.04	660.50
31 मार्च 2015 को अंतिम शेष (अ-आ) / Closing Balance as at 31st March, 2015 (A-B)	5159.36	3651.11

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXV. समुद्रपारीय आस्तियां, एनपीए और राजस्व/ Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
कुल आस्तियां / Total Assets	25728.48	24287.64
कुल एनपीए / Total NPAs	31.07	10.89
कुल राजस्व / Total Revenue	1105.49	1050.09

XXVI. प्रायोजित तुलन-पत्र बाह्य एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना है) Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

प्रायोजित एसपीवी का नाम / Name of the SPV sponsored	
देशी / Domestic	विदेशी Overseas
शून्य / NIL	शून्य / NIL

XXVII ऋण चूक स्वैप / Credit Default Swaps

बैंक एफ़आईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित दैनिक सीडीएस कर्व और उनकी सीडीएस पोजीशनों के मूल्यांकन हेतु दैनिक गणना पद्धति के अनुसार सीडीएस संविदाओं के बाज़ार मूल्य को बही में दर्ज करने के लिए मानक मॉडल का प्रयोग करता है. एफ़आईएमएमडीए इस प्रयोजन के लिए दैनिक आधार पर सीडीएस कर्व प्रकाशित करता है.

The Bank is using standard model for marking to market the CDS contracts as per FIMMDA published daily CDS curve and day count convention to value their CDS positions. FIMMDA is publishing the CDS curves for this purpose on daily basis.

XXVIII. अंतर-समूह एक्सपोजर / Intra-Group Exposures

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

(क) (a)	अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of intra-group exposures	2273.98
(ख) (b)	शीर्ष बीस अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of top twenty intra-group exposures	2273.98
(ग) (c)	ऋणदाता/ ग्राहक पर बैंक के कुल एक्सपोजर पर अंतर समूह एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of intra-group exposures to total exposure of the Bank on borrowers/ customers	0.51%
(घ) (d)	अंतर-समूह एक्सपोजर पर ऋण-सीमा उल्लंघन का वर्णन और इसपर कोई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो. Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	लागू नहीं / NA

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXIX. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि में अंतरण (डीईएएफ़)
Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous year
डीईएएफ़ में अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष Opening balance of amounts transferred to DEAF	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईएएफ़ में अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEAF during the year	10.23	-
घटाएं : दावों के प्रति डीईएएफ़ द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	0.15	-
डीईएएफ़ को अंतरित अंतिम शेष राशि Closing Balance of amounts transferred to DEAF	10.08	-

नोट / Notes:

1. पूर्ववर्ती यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक से अंतरित खातों के संबंध में बैंक उनके विलय से पहले ग्राहक प्रेरित लेन-देनों की पहचान करने की प्रक्रिया में है जिनमें डीईएएफ़ में अंतरित करने के लिए कुछ राशि शेष हैं.
   In respect of accounts migrated from erstwhile United Western Bank, the Bank is in the process of identifying customer induced transactions prior to merger and aging thereof, which may have some balances to be transferred to DEAF.
2. कुछ कार्यालयीन/ उचंत खातों का समाधान और परिपक्वन प्रगति पर है जिसके फलस्वरूप कुछ शेष राशि निकल सकती है जिसे डीईएएफ़ को अंतरित करना होगा.
   Reconciliation and ageing of some office/ suspense account is in progress, which may result in some balances that are required to be transferred to DEAF.

XXX. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर / Unhedged Foreign Currency Exposure

बैंक जैसा कि इसकी ऋण नीति में वर्णित है, अपने उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की निगरानी करता है तथा अपने ग्राहकों को विनिमय दर में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से होने वाली हानि को कम करने के उद्देश्य से उनके विदेशी मुद्रा को रक्षित करने के लिए सूचित करता है.
The Bank, as detailed in its Credit Policy, monitors the Unhedged Foreign Currency Exposure of its borrower and pursues its clients to hedge their forex exposure to minimize the losses due to adverse exchange rate fluctuation.

बैंक अपने ग्राहकों से अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में आंतरिक रूप से विकसित प्रणाली पर आधारित सूचना आवधिक आधार पर प्राप्त करता है तथा विनिमय दर में उतार-चढाव से होने वाली संभावित हानि की गणना के लिए कार्य-प्रणाली का अनुसरण करता है. इस एक्सपोजर के प्रति 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धिशील प्रावधानीकरण ₹ 102.38 करोड़ रहा और इसके जोखिम के प्रति धारित पूंजी 31 मार्च 2015 को ₹ 308 करोड़ रही.
The Bank obtains the information based on an internally developed system on Unhedged Foreign Currency Exposure from its clients on a periodic basis and follows the methodology for computation of likely loss on account of exchange rate movement. The incremental provisioning for the year ending March 31, 2015 towards this exposure amounts to ₹ 102.38 crore and capital held towards the risk is ₹ 308 crore as on March 31, 2015.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXXI चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) / Liquidity Coverage Ratio(LCR) :

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

			चालू वर्ष / Current year	
			कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
उच्च गुणवत्ता पूर्ण चलनिधि आस्तियां / High Quality Liquid Assets				
1	कुल उच्च गुणवत्ता पूर्ण चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) Total High Quality Liquid Assets (HQLA)			34420.31
	नकदी बहिर्वाह / Cash Outflow			
2	खुदरा जमाराशियां और छोटे कारोबारी ग्राहकों से जमा राशियां जिसमें से: Retail deposits and deposits from small business customers, of which:		77148.40	7596.06
	(i)	स्थिर जमाराशियां / Stable deposits	2375.55	118.78
	(ii)	कम स्थिर जमाराशियां / Less stable deposits	74772.85	7477.28
3	असुरक्षित थोक निधियन जिसमें से: / Unsecured wholesale funding, of which:		56794.49	34144.84
	(i)	परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Operational deposits (all counterparties)	16911.15	4227.18
	(ii)	गैर परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Non-operational deposits (all counterparties)	28319.44	18353.75
	(iii)	असुरक्षित ऋण / Unsecured debt	11563.91	11563.91
4	सुरक्षित थोक निधियन / Secured wholesale funding			176.17
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं जिसमें से / Additional requirements, of which		5438.62	5342.46
	(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं के चलते बहिर्वाह Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	5331.78	5331.78
	(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to loss of funding on debt products	--	--
	(iii)	ऋण एवं चलनिधि / Credit and liquidity	106.84	10.68
6	अन्य संविदागत निधियन दायित्व / Other contractual funding obligations		1540.70	1540.70
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व / Other contingent funding obligations		215496.74	10774.84
8	**कुल नकद बहिर्वाह / Total Cash Outflows**			59575.07
	नकदी अंतर्वाह / Cash Inflows			
9	प्रतिभूत उधार (अर्थात् रिवर्स रेपो) / Secured lending (e.g. reverse repos)		1862.00	1862.00
10	पूर्ण निष्पादित एक्सपोजर से अंतर्वाह / Inflows from fully performing exposures		8069.24	4034.62
11	अन्य नकद अंतर्वाह / Other cash inflows		8824.27	8824.27
12	**कुल नकद अंतर्वाह / Total Cash Inflows**		18755.51	14720.89

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value	कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value
13	**कुल एचक्यूएलए / TOTAL HQLA**		34420.31
14	**कुल निवल नकद बहिर्वाह / Total Net Cash Outflows**		44854.18
15	**चलनिधि कवरेज अनुपात (%) / Liquidity Coverage Ratio (%)**		76.74%

रिज़र्व बैंक की प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अनुसार, वर्ष 2014-15 का एलसीआर 2014-15 की चौथी तिमाही के लिए प्रकट किया गया है. उपरोक्त प्रकटित औसत मूल्य की गणना तिमाही के दौरान मासिक संपेक्षणों के साधारण औसत की गई है.
As per RBI disclosure requirement, the LCR for the year 2014-15 is disclosed for the Q4 of 2014-15. The average values disclosed above are calculated as simple average of monthly observations during the quarter.

चलनिधि कवरेज अनुपात के आस-पास गुणात्मक प्रकटन (एलसीआर):
Qualitative disclosure around Liquidity Coverage Ratio (LCR) :

2007 में पड़े वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वैश्विक पूंजी और चलनिधि विनियमन को मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ सुधार के प्रस्ताव रखे हैं. इसके लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने जनवरी 2013 में 'बासेल III : चलनिधि व्याप्ति अनुपात और चलनिधि जोखिम निगरानी साधन' और जनवरी 2014 में 'चलनिधि व्याप्ति अनुपात प्रकटीकरण मानक' पर दिशानिर्देश प्रकाशित किए थे. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 09 जून 2014 के अपने परिपत्र के जरिए चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) पर दिशा निर्देश जारी किए थे.
In the backdrop of the global financial crisis that started in 2007, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) proposed certain reforms to strengthen global capital and liquidity regulations with the objective of promoting a more resilient banking sector. In this direction BCBS published guidelines on 'Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools' in January 2013 and the 'Liquidity Coverage Ratio Disclosure Standards' in January 2014. Accordingly, Reserve Bank of India, vide its circular dated June 09, 2014, issued guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR).

चलनिधि व्याप्ति अनुपात संभावित चलनिधि विघटनों के प्रति बैंक की अल्पावधि आघात-सहनीयता को यह सुनिश्चित करके बढ़ावा देता है कि लगातार 30 दिनों तक बनी रहने वाली विकट दबावग्रत स्थितियों का सामना करने के लिए उनके पास पर्याप्त उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां हैं. चलनिधि व्याप्ति अनुपात मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पर्याप्त मात्रा में भार मुक्त उच्च गुणवत्ता चलनिधि अस्तियां बनाए रखे जिसे पर्यवेक्षकों द्वारा विनिर्दिष्ट अत्यधिक गंभीर चलनिधि दबाव वाली स्थिति में 30 कैलेंडर दिवस की समयावधि हेतु अपनी चलनिधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी में रूपांतरित किया जा सके.
The LCR promotes short-term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient high quality liquid assets (HQLAs) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisors.

चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) की परिभाषा: / Definition of LCR :

$$\frac{\text{उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्ति (एचक्यूएलए) स्टॉक / Stock of high quality liquid assets (HQLAs)}}{\text{अगले 30 कैलेंडर दिनों का कुल निवल नकदी बहिर्वाह / Total net cash outflows over the next 30 calendar days}} >= 100\%$$

चलनिधि व्याप्ति अनुपात अपेक्षाएं 01 जनवरी 2015 से बैंकों पर लागू हैं. तथापि, बैंकों को संक्रमण काल का समय प्रदान करने के विचार से कैलेंडर वर्ष 2015 के लिए यह अपेक्षा न्यूनतम 60% की है जो 01 जनवरी 2015 से लागू है और 4 वर्ष की अवधि में इसे 10% के समान चरणों में बढ़ाना है ताकि 01 जनवरी 2019 तक 100% के न्यूनतम अपेक्षित स्तर तक पहुंचा जा सके.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

The LCR requirement are binding on banks from January 1, 2015. However, with a view to provide a transition time for banks, the requirement is minimum 60% for the calendar year 2015 i.e. with effect from January 1, 2015, and rise in equal steps of 10% over a period of 4 years to reach the minimum required level of 100% on January 1, 2019.

उच्च गुणवत्ता पूर्ण चलनिधि आस्तियां / High Quality Liquid Assets

इस मानक के अंतर्गत बैंकों को निर्धारित दबावग्रस्त परिदृश्य के अंतर्गत 30 दिन की अवधि के लिए कुल निवल नकदी बहिर्वाह को शामिल करने के लिए आभारग्रस्त एचक्यूएलए का स्टॉक रखना चाहिए. एचक्यूएलए के लिए पत्र होने के उद्देश्य से दबाव काल के दौरान बाजार में नकदी सुलभ होनी चाहिए और अधिकांश मामलों में केंद्रीय बैंक के परिचलनों में उपयोग के लिए पात्र होना चाहिए. बैंक की एचक्यूएलए में मुख्यतः अनिवार्य अपेक्षाओं तक और उससे अधिक एसएलआर निवेश, सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत उधार (एनडीटीएल का 2%) के माध्यम से उपलब्ध चलनिधि, चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एनडीटीएल का 5%) के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा और सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों अथवा गैर-वित्तीय कॉरपोरेटों द्वारा जारी अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं.
Under the standard, banks must hold a stock of unencumbered HQLA to cover the total net cash out flows over a 30-day period under the prescribed stress scenario. In order to qualify as HQLA, assets should be liquid in markets during times of stress and, in most cases, be eligible for use in central bank operations. The HQLA of the Bank mainly comprise of SLR investments over and above mandatory requirement, liquidity available by way of borrowing under Marginal Standing Facility (2% of NDTL), Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (5% of NDTL) & other securities issued by PSEs or non-financial corporates.

कुल निवल नकदी बहिर्वाह: / Total net cash outflows :

कुल प्रत्याशित नकदी बहिर्वाह की गणना विभिन्न श्रेणियों की बकाया शेष राशियों या देयता के प्रकार तथा तुलन-पत्र बाह्य वचनबद्धताओं में उन दरों का गुणा करके की जाती है. जिन पर उनके बढ़ने या घटने की आशा है. प्रवाह में कुल प्रत्याशित नकदी की गणना संविदागत प्राप्य राशियों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया शेष में उन दरों के गुणा करके की जाती है, जिन पर उनके प्रवाहित होने की आशा है.
Total expected cash outflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories or types of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to run off or be drawn down. Total expected cash in flows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow in.

चलनिधि प्रबंधन: / Liquidity Management:

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुसंगठित चलनिधि जोखिम प्रबंधन संरचना है जो एएलएम नीति में वर्णित है. बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) कारोबारी रणनीति के अनुरूप चलनिधि और ब्याज दर जोखिमों की निगरानी एवं प्रबंधन करती है. चलनिधि मूल्यांकन एवं प्रबंधन सहित एएलएम कार्यकलाप का संचालन तुलन-पत्र प्रबंधन, ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस, बजट एवं आयोजना आदि के कार्यात्मक क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न आल्को सहायता समूहों के बीच समन्वय के माध्यम से किया जाता है. कारोबारी समूहों एवं वर्टिकलों द्वारा आल्को दिशा-निर्देशों तथा कार्रवाईयों का कार्यान्वयन किया जाता है.
The Bank has well organised liquidity risk management structure as enumerated in ALM Policy which is approved by the Board. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank monitors & manages liquidity and interest rate risk in line with the business strategy. ALM activity including liquidity analysis & management is conducted through coordination between various ALCO support groups residing in the functional areas of Balance Sheet Management, Treasury Front Office, Budget and Planning etc. ALCO directives and ALM actions are implemented by the business groups and verticals.

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, मौजूदा समय में बैंक केवल देशी मुद्रा में एलसीआर को बनाए रखता है. 2014-15 की चौथी तिमाही में बैंक का औसत एलसीआर 76.74% था.
As per the regulatory guidelines, at present, the Bank maintains LCR in domestic currency only. The average LCR of the Bank for the Q4 of 2014-15 was at 76.74%.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

इ/C अन्य प्रकटन / OTHER DISCLOSURES

1 कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना (ईसॉप) / EMPLOYEES' STOCK OPTION SCHEME (ESOP)

i. शेयरधारकों के अनुमोदन के अनुसरण में यथा संशोधित ईसॉप के अनुसार पात्र कर्मचारियों को 1,31,98,965 ऑप्शन (1 31 98 965 ऑप्शन) मंजूर किए गए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

In terms of the ESOP, as amended, pursuant to the approval of the shareholders, 1,31,98,965 options (1 31 98 965 options) granted to eligible employees as detailed herein below:

समाप्त वर्ष / Year Ended	मंजूर ऑप्शनों की संख्या / Number of Options Granted
31 मार्च / March 31, 2001	16 76 951
31 मार्च / March 31, 2002	25 54 352
31 मार्च / March 31, 2003	32 77 542
31 मार्च / March 31, 2004	21 47 669
31 मार्च / March 31, 2005	19 58 451
31 मार्च / March 31, 2006	8 85 000
31 मार्च / March 31, 2008	6 99 000
कुल / Total	**1 31 98 965**

ii. ऑप्शन के ब्योरे / Detail of Options:

मंजूरी तारीखें Grant dates	ऑप्शनों की संख्या Number of options	प्रयोग मूल्य (₹) Exercise Price (₹)	31 मार्च 2014 को बकाया ऑप्शन Options Outstanding as at March 31, 2014	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रयोग किए गए ऑप्शन Exercised During the Year ended March 31, 2015	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान समाप्त Lapsed During the year ended March 31, 2015	ऑप्शन 31 मार्च 2015 को बकाया ऑप्शन Options Outstanding as on March 31, 2015	31 मार्च 2015 तक ऑप्शन Options upto March 31, 2015	
							प्रयुक्त Exercised	व्यपगत Lapsed
शृंखला I 22 अगस्त, 2000 Tranche I : August 22, 2000	83,317	26.64	-	-	-	-	83,317	-
शृंखला II 1 अक्तूबर, 2000 Tranche II : October 1, 2000	14,26,035	28.49	-	-	-	-	9,63,171	4,62,864
शृंखला III 1 जनवरी, 2001 Tranche III : January 1, 2001	1,67,599	30.54	-	-	-	-	1,28,867	38,732
शृंखला IV 1 अप्रैल, 2001 Tranche IV : April 1, 2001	21,34,225	29.73	-	-	-	-	15,97,867	5,36,358
शृंखला V 1 अक्तूबर, 2001 Tranche V : October 1, 2001	4,20,127	26.2	-	-	-	-	2,97,219	1,22,908

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

मंजूरी तारीखें Grant dates	ऑप्शनों की संख्या Number of options	प्रयोग मूल्य (₹) Exercise Price (₹)	31 मार्च 2014 को बकाया ऑप्शन Options Outstanding as at March 31, 2014	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रयोग किए गए ऑप्शन Exercised During the Year ended March 31, 2015	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान समाप्त Lapsed During the year ended March 31, 2015	ऑप्शन 31 मार्च 2015 को बकाया ऑप्शन Options Outstanding as on March 31, 2015	31 मार्च 2015 तक ऑप्शन Options upto March 31, 2015	
							प्रयुक्त Exercised	व्यपगत Lapsed
शृंखला VI 1 अप्रैल 2002 Tranche VI : April 1, 2002	32,23,415	23.88	-	-	-	-	25,04,118	7,19,297
शृंखला VII 1 दिसंबर 2002 Tranche VII : December 1, 2002	54,127	28.5	-	-	-	-	47,881	6,246
शृंखला VIII 1 अप्रैल 2003 Tranche VIII : April 1, 2003	21,47,669	30.3	-	-	-	-	15,03,876	6,43,793
शृंखला IX 1 अप्रैल 2004 Tranche IX: April 1, 2004	16,41,549	50.95	-	-	-	-	9,83,721	6,57,828
शृंखला X 1 जुलाई 2004 Tranche X : July 1, 2004	3,16,902	58.06	-	-	-	-	2,81,691	35,211
शृंखला XI 1 अप्रैल 2006 Tranche XI : April 1, 2006	8,85,000	98.11	47,780	180	47,600	-	2,27,877	6,57,123
शृंखला XII 25 अगस्त 2007 Tranche XII : Aug 25, 2007	6,99,000	75.7	1,07,770	18,165	44,945	44,660	2,70,310	3,84,030

2 **अन्य / Others**

I. (क) वर्ष के दौरान भारत सरकार को प्रति शेयर शून्य (₹ 56.38) प्रीमियम पर कुल शून्य (₹1800 करोड़) की राशि के लिए शून्य (₹ 271166013) इक्विटी शेयर (₹ 10 प्रति शेयर अंकित मूल्य वाले) आबंटित किए गए.

(a) During the year, Nil (27 11 66 013) Equity Shares (Face Value ₹ 10 per share) were allotted to Government of India on preferential basis on at a premium of Nil (₹ 56.38) per share aggregating an amount of Nil (₹ 1800 Crore).

(ख) वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा ईसॉप का प्रयोग किए जाने पर 18345 (24900) इक्विटी शेयर का आबंटित किए गए.

(b) 18 345 (24 900) equity shares allotted during the year against ESOPs exercised by the employees.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ii. बैंक ने स्टाफ कल्याण कार्यकलाप पर खर्च के उद्देश्य से स्टाफ कल्याण निधि की स्थापना की है. इसके उपरांत स्टाफ कल्याण कार्यकलापों पर किए गए खर्च बैंक के लाभ-हानि लेखे में नामे किए गए. अतः प्रबंधन ने ₹ 29.01 करोड़ की स्टाफ कल्याण निधि कों साधारण रिज़र्व में अंतरित करने का निर्णय लिया है.
The Bank had created Staff Welfare Fund for the purpose of staff welfare activities expenses. Subsequently the staff welfare activities expenses are debited to Profit and Loss Account of the Bank. Hence, the Management has decided to transfer the Staff Welfare Fund of ₹ 29.01 crore to General Reserve.

iii. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय के लिए नोट :
Notes to Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure:

क. वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली सकल राशि ₹ 26.29 करोड़
a. Gross amount required to be spent by the Bank during the year ₹ 26.29 crore

ख. वर्ष के दौरान व्यय राशि:
b. Amount spent during the year:

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

विवरण / Particulars	
नकद में / In cash	23.25
नकद भुगतान किया जाना है / Yet to be paid in cash	0.19
कुल / Total	**23.44**

iv. यथा 31 मार्च 2015 को चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना, 2007, के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता की स्थिति निम्नानुसार है.
Status for Extending Financial Assistance to Sugar Undertakings, 2007 as at 31st March, 2015 is as under:

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

विवरण / Particulars	**31 मार्च 2015 March 31, 2015**	**31 मार्च 2014 March 31, 2014**
वर्ष के दौरान दावा की गई कुल राशि Total amount claimed during the year	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त कुल राशि Total amount received during the year	-	6.80
भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत अग्रिम Advances classified as Standard Asset in terms of RBI Guidelines	यथा 31 मार्च 2013 को सभी 17 लेखे बंद कर दिए गए थे. As on March 31, 2013, all 17 accounts were closed.	

v. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित कुछ प्रकटीकरण करना आवश्यक है. बैंक अपने आपूर्तिकर्ताओं से उक्त अधिनियम के अंतर्गत उनके कवरेज के बारे में संबंधित सूचना संकलित करने की प्रक्रिया में है. प्रबंधन की राय में, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय ब्याज यदि कोई है, का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होने की उम्मीद है.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

Pursuant to the provisions of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, certain disclosures are required to be made relating to Micro, Small & Medium enterprise. The Bank is in the process of compiling relevant information from its suppliers about their coverage under the said Act. In view of the Management, the impact of interest, if any, that may be payable in accordance with the provisions of this Act is not expected to be material.

vi. पूंजीगत खाते पर निष्पादन के लिए शेष रही संविदाओं के संबंध में अनुमानित राशि (अग्रिमों को घटाकर), जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया ₹ 528 05 51 हजार (₹ 338 35 35 हजार) है.
Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account (net of advances) and not provided for is ₹ 528 05 51 thousand (₹ 338 35 35 thousand).

पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े कोष्ठक में दिये गए हैं, और चालू वर्ष के लिए की गई प्रस्तुति से पुष्टि के लिए उन्हें पुनर्समूहित/पुनर्व्यस्थित किया गया है.
Figures of the previous year, are disclosed in brackets and are regrouped / rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year.

वित्तीय विवरणों की अनुसूची '1' से '18' पर हस्ताक्षर
Signature to Schedules '1' to '18' of Accounts

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(एम. एस. राघवन)
(M.S. Raghavan)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

(बी. के. बत्रा)
(B.K.Batra)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एम. ओ. रेगो)
(M.O.Rego)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एस. रवि)/ (S. Ravi)
निदेशक / Director

(पवन अग्रवाल) / (Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव / Company Secretary

(एन. एस. वेंकटेश)/ (N.S. Venkatesh)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

मुंबई, 26 मई 2015 / Mumbai, May 26, 2015

नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2015

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014
अ. A.	परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
(1)	**कर और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ Net profit before tax and extra-ordinary items**	1287 32 92	1741 13 66
(2)	**गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन: Adjustments for non cash items:**		
	- अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल) - (Profit) / loss on sale of fixed assets (net)	(4 06)	1 90 41
	- मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन रिज़र्व घटाकर) - Depreciation (net of revaluation reserve)	136 94 62	113 16 71
	- प्रावधान/ ऋणों को बट्टे खाते डालना / निवेश तथा अन्य प्रावधान - Provisions / write off of loans/ investments and other provisions	4445 06 28	3970 32 38
	- निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ/(हानि) - Profit / (loss) on revaluation of investments	50 18 46	99 29
		5919 48 22	**5827 52 45**
(3)	**परिचालन आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी के लिए समायोजन: Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:**		
	- निवेश / Investments	(17488 37 70)	(5171 50 87)
	- अग्रिम / Advances	(14286 76 29)	(4952 13 19)
	- अन्य आस्तियां / Other assets	(134 08 56)	(363 67 60)
	- करों की वापसी / (भुगतान) / Refund/ (payment) of taxes	(1754 09 01)	(1487 50 88)
(4)	**परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन: Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:**		
	- उधार राशियां / Borrowings	1686 68 75	(5662 58 06)
	- जमा राशियां / Deposits	24062 34 14	8657 15 80
	- अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	17 83 44	1146 73 85
	परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी Net cash used in / generated from operating activities	**(1976 97 01)**	**(2005 98 50)**
आ. B.	निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	- अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री घटाकर) - Purchase (net of sale) of fixed assets	(264 18 30)	(222 93 34)
	निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी Net cash used in / raised from investing activities	**(264 18 30)**	**(222 93 34)**

नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2015

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014
इ. C. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
- इक्विटी शेयरों का निर्गम - Issue of equity shares	21 46	1800 28 20
- प्रदत्त लाभांश तथा लाभांश कर - Dividend and dividend tax paid	(51 21 88)	(677 97 77)
वित्तपोषण कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी Net cash used in / raised from financing activities	**(51 00 42)**	**1122 30 43**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) NET INCREASE / (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS	(2292 15 73)	(1106 61 41)
प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS	16817 90 94	17924 52 35
अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS	**14525 75 21**	**16817 90 94**
नकदी प्रवाह विवरण के लिए टिप्पणी: Note to cash flow statement:		
नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में निम्नलिखित तुलन पत्र मदें शामिल हैं: Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items:		
नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष (अनुसूचि 6) Cash & balances with Reserve Bank of India (schedule 6)	13035 76 70	12711 11 34
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (अनुसूचि 7) Balances with banks & money at call and short notice (schedule 7)	1489 98 51	4106 79 60
कुल / TOTAL	**14525 75 21**	**16817 90 94**

जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, विगत वर्ष के आंकड़ों का पुनर्समूहन किया गया है.
Figures for the previous period have been regrouped, wherever considered necessary.

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

कृते खिमजी कुंवरजी एंड कं.
For Khimji Kunverji & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या: 105146W/ FRN - 105146W

कृते जी. डी. आप्टे एंड कं.
For G. D. Apte & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या: 100515W/ FRN - 100515W

(एम. एस. राघवन)
(M.S. Raghavan)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

गौतम वी शाह
Gautam V Shah
साझेदार (एफ117348)
Partner (F–117348)

सौरभ एस पेशवे
Saurabh S Peshwe
साझेदार (एफ-121546)
Partner (F-121546)

(बी. के. बत्रा)
(B.K.Batra)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एम. ओ. रेगो)
(M.O.Rego)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एस. रवि)/ (S. Ravi)
निदेशक / Director

(पवन अग्रवाल) / (Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव / Company Secretary

(एन. एस. वेंकटेश)/ (N.S. Venkatesh)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 26 मई 2015 / Date: May 26, 2015

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
Independent Auditor's Report

प्रति
आईडीबीआई बैंक लि. के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक') और इसकी पाँच सहायक संस्थाओं (बैंक और इसकी सहायक संस्थाएं सामूहिक रूप से 'समूह' के रूप में निर्दिष्ट) तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित एक संस्था के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिनमें 31 मार्च 2015 के समेकित तुलन पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ-हानि विवरण, समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसमें इसके पश्चात् 'समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में निर्दिष्ट) शामिल हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

बैंक का निदेशक मंडल बैंक्कारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु जिम्मेदार है, जो कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्था सहित समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन तथा समेकित नकदी प्रवाह की सही एवं उचित छवि प्रस्तुत करते हैं. समूह एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्था में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने; तर्कपूर्ण और विवेकसम्मत निर्णय लेने और अनुमान लगाने; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करने, उसे कार्यान्वित करने एवं उसे बनाए रखने, जो सही एवं उचित छवि प्रस्तुत करने वाली तथा धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण होने वाली तथ्यात्मक अयथार्थ कथन से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित हैं, आदि भी शामिल हैं जिन्हें उपर्युक्त रूप में बैंक के निदेशक मंडल द्वारा बैंक के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया गया है के लिए जिम्मेदार हैं.

लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में राय प्रकट करना है. लेखा परीक्षा करते समय हमने

To
The Members of IDBI Bank Limited

Report on the Consolidated Financial Statements

We have audited the accompanying consolidated financial statements of IDBI Bank Limited ('the Bank') and its five subsidiaries (the Bank and its subsidiaries together referred to as 'the Group'), and a jointly controlled entity, comprising of the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2015, the Consolidated Statement of Profit and Loss, the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as 'the consolidated financial statements').

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of these consolidated financial statements in terms of the requirements of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, 2013, ('the Act') and circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group including its jointly controlled entity in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. The respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its jointly controlled entities are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; the selection and application of appropriate accounting policies, making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.

इसमें अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और विषयों जिसे अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत लेखा परीक्षा में शामिल किया जाना अपेक्षित है, शामिल किया है.

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है. इन मानको में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखा परीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि समेकित वित्तीय विवरणों में कोई भौतिक अयथार्थ कथन नहीं है.

लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करने वाले साक्ष्यों की जांच करने के लिए प्रक्रिया का पालन करना शामिल है; यह चुनी गई प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तथ्यात्मक अयथार्थ कथन की जोखिम का आकलन भी शामिल है. इन जोखिम आकलनों को करते समय लेखापरीक्षक बैंक द्वारा वित्तीय विवरणों की तैयारी व निष्पक्ष प्रस्तुति के संबंध में आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं ताकि इन परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखा परीक्षा प्रक्रिया रूपांकित की जा सके लेकिन इस पर अपनी राय व्यक्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं कि क्या बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या ऐसे नियंत्रण परिचालनगत रूप से प्रभावशाली हैं. लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना और साथ ही समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना शामिल है.

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामलों के संदर्भ में उनकी रिपोर्टों के संबंध में प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त हैं.

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा यथा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और 31 मार्च 2015 को समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था के कार्यों की समेकित स्थिति की और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उनके समेकित लाभ तथा समेकित नकदी प्रवाह की भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं.

अन्य मामले

क) हमने बैंक की दुबई शाखा के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण यथा 31 मार्च 2015 को 257,284,839 हजार रु. की कुल आस्तियां, तत्समय समाप्त वर्ष के लिए 11,054,928 हजार रु. के कुल राजस्व और 25,045,251 हजार रु. के नकदी बहिर्वाह दर्शाते हैं. इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा उक्त शाखा के निगमन के देश में लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत् योग्यता-प्राप्त अन्य लेखापरीक्षक द्वारा की गई

While conducting the audit, we have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the Audit Report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143 (10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Bank's preparation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Bank has an adequate internal financial controls system over financial reporting in place and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Bank's Board of Directors, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence obtained by us and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the consolidated financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 as well as the Companies Act, 2013 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the consolidated state of affairs of the Group and a jointly controlled entity as at March 31, 2015 and their consolidated profit and their consolidated cash flows for the year ended on that date.

Other Matters

a) We did not audit the financial statement of the Dubai branch of the Bank, whose financial statement as at March 31, 2015 reflects total assets of Rs. 257,284,839 thousand, total revenues of Rs. 11,054,928 thousand and cash out flows of Rs. 25,045,251 thousand for the year then ended. These financial statements have been audited by another auditor, duly qualified to act as an auditor in the country of incorporation of the said

है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय उक्त शाखा के संबंध में शामिल की गई राशियों एवं प्रकटनों और उक्त अधिनियम की धारा 143(3) की शर्तों के अनुसार हमारी रिपोर्ट के संबंध में हैं, जहां तक उपर्युक्त शाखा का संबंध है, यह पूर्णतः अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है.

ख) हमने बैंक की पाँच सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण यथा 31 मार्च 2015 को 5,950,237 हजार रु. की कुल आस्तियां, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 2,347,065 हजार रु. के कुल राजस्व और 124,839 हजार रु. के निवल नकदी प्रवाह दर्शाते हैं, जिनपर समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है.

इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्टें हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय इन सहायक संस्थाओं के संबंध में शामिल की गई राशियों एवं प्रकटनों और उक्त अधिनियम की धारा 143(3), जहां तक उक्त सहायक संस्थाओं का संबंध है, यह केवल यह लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर पूर्णतः आधारित है.

ग) हमने बैंक की संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था अर्थात् आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2015 को 3,923,804 हजार रु. की कुल आस्तियों में समूह का हिस्सा, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 755,434 हजार रु. के कुल राजस्व के समूह का हिस्सा और 88,748 हजार रु. के निवल नकदी प्रवाह में समूह का हिस्सा दर्शाते हैं, जिन पर समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है.

ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों, जहां तक यह संयुक्त रूप से नियंत्रित इस संस्था के संबंध में शामिल राशियों तथा प्रकटनों का संबंध है, पर हमारी राय और अधिनियम की धारा 143(3), जहां तक यह संयुक्त रूप से नियंत्रित इस संस्था से संबंधित है, के निबंधनों के अनुसार हमारी रिपोर्ट अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर ही आधारित है.

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और निम्नलिखित अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट को किए गए कार्यों और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर हमारी विश्वसनीयता के बारे में उपर्युक्त मामले के संबंध में संशोधित नहीं किया गया है

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम यथा लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मंगवाए और प्राप्त किए जो उपर्युक्त उल्लिखित समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार आवश्यक थे.

branch, whose report has been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of said branch and our report in terms of Section 143(3) of the Act, insofar as it relates to the aforesaid branch is based solely on the reports of the other auditors.

b) We did not audit the financial statements of five subsidiaries, whose financial statements reflect total assets of Rs. 5,950,237 thousand as at March 31, 2015, total revenues of Rs. 2,347,065 thousand and net cash flows amounting to Rs. 124,839 thousand for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements.

These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and our report in terms of Section 143(3) of the Act, insofar as it relates to the aforesaid subsidiaries is based solely on the reports of the other auditors.

c) We did not audit the financial statements of jointly controlled entity namely IDBI Federal Life Insurance Company Limited, whose financial statements reflects Group's share of total assets of Rs. 3,923,804 thousand as at March 31, 2015, the Group's share of total revenues of Rs. 755,434 thousand and the Group's share of net cash flows amounting to Rs. 88,748 thousand for the year ended on the date, as considered in the consolidated financial statements.

These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this jointly controlled entity and our report in terms of Section 143(3) of the Act in so far as it relates to the aforesaid jointly controlled entity is based solely on such unaudited financial statements.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements certified by the Management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

As required by Section 143(3) of the Act, we report, to the extent applicable, that;

a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the aforesaid consolidated financial statements.

ख) हमारी राय में उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने से संबंधित कानून में अपेक्षित अनुसार उचित लेखा-बहियां रखी गई हैं जहां तक यह उन बहियों और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी जांच से पता चलता है.

ग) इस रिपोर्ट में विचार किए गए समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अनुरक्षित संबंधित लेखा-बहियों के अनुरूप हैं.

घ) हमारी राय में उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण; कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुपालन में हैं.

ङ) कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 21 अक्तूबर 2003 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 829(ई) के निबंधनों के अनुसार बैंक पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं हैं. समूह कंपनियों का कोई भी निदेशक दिनांक 31 मार्च 2015 को सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं है.

च) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और इसकी सहायक संस्थाओं तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था की रिपोर्ट के आधार पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का आधार लिया गया है;

i. समेकित वित्तीय विवरण समूह की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन करते हैं - समेकित वित्तीय विवरण के नोट 18(17)(ख) का संदर्भ लें;

ii. डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वाभाषी हानियों, यदि कोई हों, के लिए लागू क़ानूनों तथा लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित रूप में समेकित वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया गया है - समेकित वित्तीय विवरण के नोट 18(17)(क) का संदर्भ लें;

iii. बैंक और इसकी सहायक कंपनियों और भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में अंतरित की जाने वाली राशियों के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है.

कृते **खिमजी कुंवरजी एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 105146W
गौतम वी. शाह
साझेदार एफ 117348

कृते **जी डी आप्टे एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 100515W
सौरभ एस.पेशवे
साझेदार एफ 121546

मुंबई
26 मई 2015

b. In our opinion, proper books of accounts as required by law relating to preparation of the aforesaid consolidated financial statements have been kept so far as it appears from our examination of those books and the reports of the other auditors.

c. The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss and the Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements.

d. In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

e. Provision of Section 164 (2) of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Bank in terms of Notification No.G.S.R.829(E) dated October 21, 2003 issued by Department of Company Affairs, Government of India. On the basis of the report of the statutory auditors of its subsidiary companies, none of the directors of the Group companies, is disqualified as on March 31, 2015 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act.

f. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditor's) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the report of the auditors of its subsidiaries and jointly controlled entity:

i. The consolidated financial statements disclose the impact of pending litigation is on the consolidated financial position of the Group – Refer Note 18 (17) (b) to the consolidated financial statements;

ii. Provision has been made in the consolidated financial statements, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts- Refer Note 18(17)(a) to the consolidated financial statements;

iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank and its subsidiary companies and jointly controlled entity incorporated in India.

For **Khimji Kunverji & Co**
Chartered Accountants
FRN: 105146W
Gautam V Shah
Partner (F-117348)

For **G D Apte & Co**
Chartered Accountants
FRN: 100515W
Saurabh S Peshwe
Partner (F-121546)

Mumbai
May 26, 2015

समेकित तुलन पत्र 31 मार्च 2015 को
Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2015

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	1603 95 76	1603 93 93
रिज़र्व और अधिशेष / Reserves and Surplus	2	22770 75 23	22027 79 87
कर्मचारी स्टॉक विकल्प (मंजूरियां) बकाया Employees' Stock Options (Grants) Outstanding		18 51	44 67
अल्पसंख्यक हित / Minority Interest		51 19 65	43 63 88
जमाराशियां / Deposits	3	259522 95 29	235572 84 22
उधार राशियां / Borrowings	4	61832 97 78	60146 29 04
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	10148 87 42	9555 00 03
कुल / TOTAL		**355930 89 64**	**328949 95 64**
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	13039 76 11	12714 60 70
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	1485 85 25	4134 23 64
निवेश / Investments	8	120609 26 32	103419 09 53
अग्रिम / Advances	9	208376 86 65	197686 00 36
अचल आस्तियां / Fixed Assets	10	3079 95 08	2999 52 17
अन्य आस्तियां / Other Assets	11	9339 20 23	7996 49 24
कुल / TOTAL		**355930 89 64**	**328949 95 64**
आकस्मिक देयताएं / Contingent liabilities	12	231649 22 51	188203 69 98
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		14464 49 59	8337 95 21
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 and 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet			

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

कृते खिमजी कुंवरजी एंड कं.
For Khimji Kunverji & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीयन सं./ FRN : 105146W

कृते जी. डी. आप्टे एंड कं.
For G. D. Apte & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीयन सं./ FRN :100515W

(एम. एस. राघवन)
(M.S. Raghavan)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

गौतम वी शाह
Gautam V Shah
साझेदार / Partner (F-117348)

सौरभ एस पेशवे
Saurabh S Peshwe
साझेदार / Partner (F-121546)

(बी. के. बत्रा)
(B.K.Batra)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एम. ओ. रेगो)
(M.O.Rego)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एस. रवि)/ (S. Ravi)
निदेशक / Director

(पवन अग्रवाल) / (Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव / Company Secretary

(एन. एस. वेंकटेश)/ (N.S. Venkatesh)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 26 मई 2015 / Date: May 26, 2015

समेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2015

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014
I	आय / INCOME			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	28164 27 24	26608 13 86
	अन्य आय / Other income	14	4189 23 04	3112 10 80
	कुल / TOTAL		**32353 50 28**	**29720 24 66**
II	व्यय / EXPENDITURE			
	व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	22387 14 56	20558 15 03
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	4104 63 89	3387 80 48
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and Contingencies		4904 46 21	4608 09 49
	कुल / TOTAL		**31396 24 66**	**28554 05 00**
III	लाभ / PROFIT			
	वर्ष के लिए निवल लाभ / Net Profit for the year		957 25 62	1166 19 66
	घटाएं: सहयोगी संस्थाओं में हानि का अंश Less: Share of Loss in Associate		-	-
	घटाएं: अल्पसंख्यक हित / Less: Minority Interest		15 45 74	14 46 15
	समूह लाभ / Group Profit		**941 79 88**	**1151 73 51**
	आगे ले जाया गया लाभ / Profit brought forward		564 81 87	547 78 82
	कुल / TOTAL		**1506 61 75**	**1699 52 33**
IV	विनियोग / APPROPRIATIONS			
	सांविधिक रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		218 34 70	281 00 00
	पूंजीगत रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		229 06 58	9 31 79
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve		68 85 98	402 75 04
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व में अंतरण Transfer to Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		200 00 00	250 00 00
	प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		120 29 68	44 10 83
	अन्तरिम लाभांश / Interim Dividend		-	116 29 01
	ईसॉप पर लाभांश / Dividend on ESOPs		59	1 15
	लाभांश वितरण कर / Dividend distribution tax		28 40 21	31 22 64
	तुलन पत्र में ले जाई गई शेष राशि Balance carried over to Balance Sheet		641 64 01	564 81 87
	कुल / TOTAL		**1506 61 75**	**1699 52 33**

समेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2015

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014
प्रति शेयर उपार्जन (₹) (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) Earnings per share (₹) (Face Value ₹ 10 per share)	18 (10)		
मूल / Basic		5.87	8.22
न्यूनीकृत / Diluted		5.87	8.22
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 & 18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ-हानि लेखे के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते खिमजी कुंवरजी एंड कं.
For Khimji Kunverji & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीयन सं./ FRN : 105146W

गौतम वी शाह
Gautam V Shah
साझेदार / Partner (F-117348)

कृते जी. डी. आप्टे एंड कं.
For G. D. Apte & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीयन सं./ FRN :100515W

सौरभ एस पेशवे
Saurabh S Peshwe
साझेदार / Partner (F-121546)

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(एम. एस. राघवन)
(M.S. Raghavan)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

(बी. के. बत्रा)
(B.K.Batra)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एम. ओ. रेगो)
(M.O.Rego)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एस. रवि)/ (S. Ravi)
निदेशक / Director

(पवन अग्रवाल) / (Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव / Company Secretary

(एन. एस. वेंकटेश)/ (N.S. Venkatesh)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 26 मई 2015 / Date: May 26, 2015

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
अनुसूची 1 -पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
प्राधिकृत पूंजी / Authorised capital		
₹ 10 प्रत्येक के 300 00 00 000 (300 00 00 000) इक्विटी शेयर 300 00 00 000 (300 00 00 000) Equity Shares of ₹ 10 each	3000 00 00	3000 00 00
	3000 00 00	**3000 00 00**
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी Issued, Subscribed & Paid-up Capital		
₹ 10 प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 160 39 57 605 (160 39 39 260) इक्विटी शेयर 160 39 57 605 (160 39 39 260) Equity Shares of ₹ 10 each fully paid-up (अनुसूची 18 टिप्पणी 4 एवं 5 देखें) (Refer Schedule 18 Note 4 & 5)	1603 95 76	1603 93 93
कुल / TOTAL	**1603 95 76**	**1603 93 93**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
	अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I	सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	2801 00 02	2520 00 02
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	218 34 70	281 00 00
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		3019 34 72	**2801 00 02**
II	पूंजीगत रिज़र्व / Capital Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	596 14 49	586 82 70
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	229 06 58	9 31 79
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		825 21 07	**596 14 49**
III	पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve		
	प्रारंभिक शेष / (अनुसूची 18 टिप्पणी 1 देखें) Opening Balance (Refer Schedule 18 Note.1)	1712 83 66	1762 78 10
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	49 98 63	49 94 44
		1662 85 03	**1712 83 66**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
	अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
IV	शेयर प्रीमियम / Share Premium		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	9678 75 57	8149 66 46
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	19 62	1529 09 11
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		9678 95 19	**9678 75 57**
V	राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserves		
	(क) सामान्य रिज़र्व **(a) General Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	5272 88 11	5150 08 48
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	3 91 21	402 75 60
	(i) स्टाफ कल्याण निधि से अंतरित Transferred from Staff Welfare Fund	29 01 11	-
	(ii) लाभ - हानि लेखे से अंतरित Transferred from Profit and Loss account	65 00 00	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	36 69	279 95 97
		5370 43 74	**5272 88 11**
	(ख) स्टाफ कल्याण निधि **(b) Staff Welfare Fund**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	29 01 11	29 01 11
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण Transfer to General Reserve during the year	29 01 11	-
		-	**29 01 11**
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व **(c) Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	6 35 04	6 35 04
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		6 35 04	**6 35 04**
	(घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व **(d) Special Reserve created & maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1366 00 00	1116 00 00
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	200 00 00	250 00 00
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		1566 00 00	**1366 00 00**
VI	लाभ-हानि लेखे में शेष राशि Balance in Profit and Loss Account	641 60 44	564 81 87
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**22770 75 23**	**22027 79 87**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
अनुसूची 3 - जमाराशियां / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
अ/A		
I. मांग जमाराशियां / Demand Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	6142 36 83	4083 91 46
(ii) अन्य से / From others	24203 06 21	20876 26 23
	30345 43 04	**24960 17 69**
II. बचत बैंक जमाराशियां / Savings Bank Deposits	**34701 26 79**	**28334 05 38**
III. मीयादी जमाराशियां / Term Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	28183 96 91	24129 07 05
(ii) अन्य से / From others	166292 28 55	158149 54 10
	194476 25 46	182278 61 15
कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**259522 95 29**	**235572 84 22**
आ/B		
(i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches in India	257586 36 73	234786 62 28
(ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India	1936 58 56	786 21 94
कुल / TOTAL	**259522 95 29**	**235572 84 22**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
अनुसूची 4 - उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार राशियां / Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	-	-
(ii) अन्य बैंक / Other banks	1222 70 00	976 70 00
(iii) अन्य संस्थाएं और एजेंसियां / Other institutions and agencies	-	-
(iv) टीयर I (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत) Tier 1 (Innovative Perpetual Debt Instrument)	1708 80 00	1708 80 00
(v) अतिरिक्त टीयर I बांड / Additional Tier I Bond	2500 00 00	-
(vi) अपर टीयर 2 बांड / Upper Tier II Bonds	4286 20 00	4286 20 00
(vii) अप्रतिभूत, प्रतिदेय बांड (टीयर 2 पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier 2 Capital)	9208 50 00	10279 80 00
(viii) अन्य* / Others *	19699 57 06	19167 10 72
II. भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India	23207 20 72	23727 68 32
कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**61832 97 78**	**60146 29 04**

ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां - ₹ 7293 18 86 हजार (₹10475 32 29 हजार)
Secured borrowings included in I and II above- ₹ 7293 18 86 thousand (₹ 10475 32 29 thousand)

* ₹ 850 00 00 हजार (₹ 850 00 00 हजार) का बेमीयादी ऋण लिखत शामिल है.
* Included Perpetual Debt Instrument ₹ 850 00 00 thousand (₹ 850 00 00 thousand)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
	अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I.	देय बिल / Bills Payable	1445 68 16	1627 53 37
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	14 44 69	8 63 62
III.	उपचित ब्याज / Interest accrued	1899 30 89	1930 03 48
IV	**अन्य (प्रावधान सहित) / Others (Including Provisions)**		
	(क) मानक आस्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान (a) Prudential provisions against standard assets	1740 18 53	1237 23 52
	(ख) प्राप्त अग्रिम भुगतान (b) Advance payments received	837 75 25	681 79 41
	(ग) देय लाभांश और लाभांश कर (c) Dividend and Dividend Tax payable	148 38 06	53 04 44
	(घ) विविध लेनदार (d) Sundry Creditors	303 22 19	272 70 86
	(ङ) देय सेवा कर / टीडीएस / अन्य कर (e) Service Tax/TDS/Other taxes payable	12 85 54	43 31 19
	(च) विविध जमाराशियां (f) Sundry Deposits	30 83 52	20 87 60
	(छ) अन्य प्रावधान (g) Other Provisions	2537 83 85	1943 58 20
	(ज) विविध (h) Miscellaneous	1178 36 74	1736 24 34
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**10148 87 42**	**9555 00 03**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
	अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	1808 18 53	1388 96 68
II.	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	11231 57 58	11325 64 02
	(ii) अन्य खातों में / in Other Accounts	-	-
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**13039 76 11**	**12714 60 70**

IDBI BANK

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ ‘000 में / ₹ in ‘000)

		यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
	अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I	**भारत में / In India**		
	(i) बैंकों के पास शेष / Balance with banks		
	(क) चालू खातों में (a) in Current Accounts	376 86 94	394 52 08
	(ख) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	290 27 21	342 25 70
	(ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at call and short notice		
	(क) बैंकों के पास (a) with Banks	-	-
	(ख) अन्य संस्थाओं के पास (b) with other Institutions	-	-
		667 14 15	**736 77 78**
II	**भारत से बाहर / Outside India**		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	65 86 58	99 90 20
	(ii) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	668 75 00	3181 48 65
	(iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at Call and Short Notice	84 09 52	116 07 01
		818 71 10	**3397 45 86**
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**1485 85 25**	**4134 23 64**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
	अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I	**भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in**		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	83615 33 25	67035 18 30
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-
	(iii) शेयर / Shares	3070 17 97	3113 66 90
	(iv) डिबेंचर और बांड / Debentures and Bonds	9490 60 13	14151 35 23
	(v) सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/ or Joint Ventures	25 50 00	25 50 00
	(vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट, एसआर, पीटीसी, सिडबी, नाबार्ड, एनएचबी और आरआईडीएफ जमा) Others (CPs, Units in MFs, SRs, PTCs, SIDBI, NABARD, NHB and RIDF Deposits)	24407 64 97	19093 39 10
		120609 26 32	**103419 09 53**
II	**भारत से बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in**		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	-	-
	(ii) सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/ or Joint Ventures	-	-
	(iii) अन्य निवेश / Other Investments	-	-
		-	**-**
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**120609 26 32**	**103419 09 53**
III	**भारत में निवेश / Investments in India**		
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	122065 92 10	104667 55 68
	घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास Less: Aggregate Provision/ Depreciation	1456 65 78	1248 46 15
	निवल निवेश / Net Investments	**120609 26 32**	**103419 09 53**
IV	**भारत से बाहर निवेश / Investments outside India**		
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	-	-
	घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास Less: Aggregate Provision/ Depreciation	-	-
	निवल निवेश / Net investments	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
अ A		
(i) खरीदे और भुनाए / पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted/ rediscounted	6701 32 73	4883 77 75
(ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	54303 77 11	52098 53 31
(iii) मीयादी ऋण */ Term loans *	147371 76 81	140703 69 30
कुल / TOTAL	**208376 86 65**	**197686 00 36**
आ B		
(i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत ** / Secured by Tangible Assets **	198719 15 97	186371 97 67
(ii) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित *** Covered by Bank/ Government Guarantees***	4046 35 52	2023 25 45
(iii) अप्रतिभूत / Unsecured	5611 35 16	9290 77 24
कुल / TOTAL	**208376 86 65**	**197686 00 36**
इ C		
I भारत में अग्रिम / Advances in India		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	51060 00 01	41191 44 82
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public sector	9665 00 63	5507 56 38
(iii) बैंक / Banks	190 38 02	109 31 85
(iv) अन्य / Others	124617 13 92	133073 53 67
कुल / TOTAL	**185532 52 58**	**179881 86 72**
II भारत से बाहर अग्रिम / Advances Outside India		
(i) बैंकों से प्राप्य / Due from Banks	-	-
(ii) अन्य से प्राप्य : / Due from others:		
(क) खरीदे तथा भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	175 15 30	133 86 97
(ख) समूहित ऋण (b) Syndicated Loans	4535 84 10	2233 30 50
(ग) अन्य (c) Others	18133 34 67	15436 96 17
कुल / TOTAL	**22844 34 07**	**17804 13 64**
कुल योग (इ I और इ II) / GRAND TOTAL (C I and C II)	**208376 86 65**	**197686 00 36**

* (₹ 790 00 00 हजार) का अंतर बैंक सहभागिता प्रमाण पत्र को छोड़कर.

* (पिछले वर्ष के आंकड़ों में ₹ 3100 00 00 हजार के अंतर बैंक सहभागिता प्रमाण पत्र की खरीद शामिल है)

* Net of Inter-Bank Participatory Certificates (₹ 790 00 00 Thousand)

* (Previous year figure includes Inter-Bank Participatory Certificates purchase ₹ 3100 00 00 Thousand)

** बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं

** Includes Advances against book debts

*** अन्य बैंकों द्वारा जारी साख-पत्रों पर अग्रिम शामिल हैं

*** Includes Advances against Letter of Credit issued by other banks.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
	अनुसूची 10 - अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I	**परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी 1 देखें)** **Premises (Refer Schedule 18 Note 1)**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	2791 44 39	2764 22 95
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	1 24 29	27 51 47
	वर्ष के दौरान कटौतियां * / Deductions during the year *	4 83	30 03
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	479 66 94	419 94 85
		2312 96 91	**2371 49 54**
II	**अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर व फिक्सचर सहित)** **Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1503 10 49	1325 63 78
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	239 38 03	196 78 05
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	4 11 02	19 31 36
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	1025 64 31	896 85 38
		712 73 19	**606 25 09**
III	**पट्टे पर दी गयी आस्तियां / Assets given on Lease**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	601 81 79	601 81 79
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	पट्टा समायोजन लेखा / Lease Adjustment account	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	600 05 27	600 05 27
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing Assets	1 76 52	1 76 52
		-	**-**
IV	**चालू पूंजीगत कार्य / Capital Work-in-Progress**	54 24 98	21 77 54
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**3079 95 08**	**2999 52 17**

* परिसर की बिक्री पर ₹ 319 हजार (शून्य) का पुनर्मूल्यन रिज़र्व शामिल है.

* Includes Revaluation Reserve of ₹ 319 thousand (Nil) on sale of premises

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
	अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	-
II	उपचित ब्याज / Interest accrued	2893 45 65	2466 43 99
III	अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती (निवल) Tax paid in advance/ Tax Deducted at source (net)	2373 04 60	1712 58 36
IV	लेखन सामग्री और स्टॉम्प / Stationery and stamps	18 74	12 89
V	दावों की तुष्टि में प्राप्त गैर-बैंकिंग आस्तियां Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	81 45 18	81 45 18
VI	**अन्य / Others**		
	(क) आस्थगित कर आस्तियां (निवल) (a) Deferred Tax Asset (net)	2634 63 61	2000 36 52
	(ख) आबंटन के लिए लंबित शेयर / बांड (b) Shares/ Bonds pending allotment	170 36 37	511 37 40
	(ग) विविध जमाराशियां व अग्रिम (c) Sundry Deposit and Advances	134 53 61	84 72 65
	(घ) प्राप्य दावे (d) Claims Receivable	410 38 11	299 04 92
	(ङ) दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को अंतरित मामलों के संबंध में खर्चे/संवितरण (e) Expenses/ Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF)	6 86 62	2 87 76
	(च) विविध (f) Miscellaneous	634 27 74	837 49 57
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**9339 20 23**	**7996 49 24**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2015 As at 31-03-2015	यथा 31 मार्च 2014 As at 31-03-2014
	अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims against the Bank not acknowledged as debts	132 21 07	114 57 99
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	80085 97 59	47103 54 52
III	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) -भारत में (a) -in India	52772 75 16	51269 99 93
	(ख) -भारत से बाहर (b) -outside India	4941 47 24	5132 25 41
IV	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	28818 50 85	27313 00 22
V	ब्याज दर और मुद्रा स्वैप व ऋण चूक स्वैप के संबंध में देयता Liability in respect of Interest Rate and Currency Swaps and Credit Default Swaps	52075 45 74	50329 91 09
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other Derivative Contracts	11597 57 04	5670 35 15
VII	विवादित आय कर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के निमित्त On account of disputed Income Tax, Interest Tax, penalty and interest demands	1207 66 68	1264 54 19
VIII	अन्य Others	17 61 14	5 51 48
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**231649 22 51**	**188203 69 98**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014
	अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		
I	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/ discount on advances/bills	20829 75 01	20257 31 81
II	निवेशों से आय / Income on Investments	7210 15 95	6075 02 73
III	रिज़र्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	68 29 70	105 59 88
IV	अन्य / Others	56 06 58	170 19 44
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**28164 27 24**	**26608 13 86**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014
	अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	2115 74 46	1961 57 44
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of investments (net)	1639 96 68	527 07 37
III	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/(Loss) on revaluation of investments (net)	(44 06 41)	7 48 78
IV	भूमि, भवन, तथा अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	3 84	(2 01 56)
V	विनिमय लेन-देनों / डेरिवेटिव पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on exchange transactions/ Derivatives (net)	275 64 46	348 58 98
VI	भारत में स्थित सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय Dividend Income from Subsidiary Companies and/ or Joint Ventures in India	-	-
VII	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली Recovery from written-off cases	54 14 85	130 17 36
VIII	विविध आय / Miscellaneous Income	147 75 16	139 22 43
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**4189 23 04**	**3112 10 80**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014
	अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज **SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED**		
I	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on Deposits	17642 50 14	15447 28 33
II	रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज Interest on RBI / Inter-bank borrowings	1212 02 58	1491 32 51
III	अन्य / Others	3532 61 84	3619 54 19
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**22387 14 56**	**20558 15 03**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014
	अनुसूची 16 - परिचालन व्यय **SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES**		
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	2011 21 32	1600 59 95
II	किराया, कर और बिजली Rent, taxes and lighting	371 07 45	307 82 64
III	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	52 74 35	46 79 74
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	49 69 61	43 32 95
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास */ Depreciation on the Bank's property *	141 24 78	116 59 89
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Director's fees, allowances and expenses	70 06	55 90
VII	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय / Auditor's fees and expenses	2 39 58	2 38 11
VIII	विधि प्रभार / Law charges	16 61 21	12 14 45
IX	डाक खर्च, तार, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones etc.	103 55 58	94 41 02

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2014
X	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	232 35 50	209 10 95
XI	बीमा / Insurance	217 87 49	192 69 32
XII	अन्य / Others		
	(क) बैंकिंग व्यय (a) Banking expenses	50 81 08	47 78 73
	(ख) कार्ड और एटीएम व्यय (b) Card & ATM expenses	261 17 00	217 59 75
	(ग) परामर्श व्यय (c) Consultancy expenses	7 01 75	6 25 45
	(घ) बट्टे खाते मामलों की वसूली से संबंधित व्यय (d) Expenses for recovery of write-off cases	3 76 53	4 62 51
	(ङ) आउटसोर्सिंग व्यय (e) Outsourcing expenses	221 36 80	134 41 00
	(च) आईटी व्यय (f) IT expenses	28 78 04	20 83 57
	(छ) स्टाफ प्रशिक्षण और अन्य व्यय (g) Staff training & other expenses	39 96 98	33 38 15
	(ज) यात्रा और वाहन प्रभार (h) Travelling and conveyance charges	28 51 54	48 25 98
	(झ) ट्रेजरी व्यय (i) Treasury expenses	8 66 49	5 05 70
	(ञ) उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय (j) Fee and other expenses for borrowing	53 84 23	34 07 63
	(ट) अन्य व्यय (k) Other expenditure	201 26 52	209 07 09
	कुल (I से XII) / TOTAL (I to XII)	**4104 63 89**	**3387 80 48**

* ₹ 41 84 02 हजार (₹ 41 84 07 हजार) के पुनर्मूल्यन रिज़र्व का निवल
* Net of Revaluation Reserve of ₹ 41 84 02 thousand (₹ 41 84 07 thousand)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची - 17 महत्वपूर्ण समेकित लेखा नीतियां
SCHEDULE 17 - CONSOLIDATED SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. तैयार करने का आधार: / Basis of Preparation:

समूह के वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन नीतियां सभी दृष्टि से भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) तथा भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, बीमा अधिनियम, 1938, कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी तथा भारत में बैंकिंग उद्योग में सामान्यतः लागू प्रथाओं के अनुरूप तथा कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 (यथासंशोधित) द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों (एएस) को पूरा करती हैं. बैंक लेखांकन की उपचय पद्धति, जहां अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो, को छोड़कर तथा परंपरागत लागत पद्धति का अनुसरण करता है. कंपनी द्वारा लेखांकन नीतियों का सतत रूप से प्रयोग किया गया है और ये पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं.

The Group's financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDA) from time to time, the provisions of Insurance Act, 1938, the Companies Act, 2013 and the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and notified by the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 (as amended) to the extent applicable and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Bank follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention. The accounting policies have been consistently applied by the company and are consistent with those used in the previous year.

2. समेकन तैयार करना: / Preparation of Consolidation:

समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन मानक (एएस)-21 'समेकित वित्तीय विवरण', लेखांकन मानक लेखा मानक 23 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन' और लेखा मानक 27 'संयुक्त उद्यमों में हित के बारे में वित्तीय रिपोर्टिंग' में परिभाषित किये अनुसार आईडीबीआई बैंक लि. (मूल कंपनी-''बैंक'') और इसकी सभी सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के लेखे शामिल हैं. समेकन में प्रयुक्त सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किये गये हैं जिस तारीख तक अर्थात् 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं.

The consolidated financial statements include the accounts of IDBI Bank Limited (parent company – 'the Bank') and all its Subsidiaries/ Associate/ Joint Venture/ as defined in Accounting Standard (AS)-21 'Consolidated Financial Statements', Accounting Standard 23 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements' and Accounting Standard 27 `Financial Reporting of Interests in Joint Ventures'. The financial statements of the Subsidiaries/ Associate/ joint venture used in the consolidation are drawn upto the same reporting date as that of the Bank i.e. year ended March 31, 2015.

बैंक के वित्तीय विवरणों को निम्न के साथ मिलाया गया हैः (क) इसकी सहायक संस्थाओं की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर जोड़कर, (ख) इसके संयुक्त उद्यम की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के आनुपातिक बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर समेकित कर. समेकन पर अंतःसमूह लेन-देन हटा दिए गये हैं.

The financial statements of the Bank have been combined with: (a) its subsidiaries on a line by line basis by adding the Book Values of like items of assets, liabilities, income & expenses, (b) its Joint Venture on a line by line basis by consolidating the proportionate Book Values of like items of assets, liabilities, income & expenses. Intra Group transactions have been eliminated on consolidation.

सहायक संस्थाओं में मूल संस्था के निवेश की लागत तथा सहायक संस्थाओं की इक्विटी में मूल संस्था के हिस्से के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख/पूंजी रिज़र्व के रूप में दर्शाया गया है.

The difference between cost to the parent of its investment in the subsidiaries and the parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognised in the financial statements as goodwill/ capital reserve.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

समेकित सहायक संस्थाओं की निवल आस्तियों में अल्पसंख्यक हित के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:
Minority interest in the Net Assets of the consolidated subsidiaries consists of:

(क) सहायक संस्था में निवेश की तारीख को अल्पसंख्यकों से संबंधित इक्विटी राशि; तथा

(a) The amount of equity attributable to the minorities at the date on which investment in a subsidiary is made; and

(ख) मूल संस्था- सहायक संस्था के संबंधों के अस्तित्व में आने के बाद से इक्विटी में अल्पसंख्यकों के शेयरों का घट-बढ़.

(b) The minorities' share of movements in equity since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई संस्थाएं निम्नलिखित हैं:
The entities considered in the consolidated financial statements are:

क्र. सं. Sr. No.		कंपनी का नाम Name of the company	निगमन देश Country of Incorporation	निम्न तारीख को स्वामित्व हित का % % of ownership interest as at	
				31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
अ) A)		वित्तीय सहायक संस्थाएं: Financial Subsidiaries:			
	1)	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. IDBI Capital Market Services Ltd.	भारत / India	100	100
	2)	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. IDBI Asset Management Company Ltd.	भारत / India	100	100
आ) B)		गैर-वित्तीय सहायक संस्थाएं: Non Financial Subsidiary:			
	1)	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड IDBI Intech Ltd.	भारत / India	100	100
	2)	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	भारत / India	100	100
	3)	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	भारत / India	54.70	54.70
इ) C)		जीवन बीमा संयुक्त उद्यम: Life Insurance Joint Venture:			
	1)	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लि. IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	भारत / India	48	48

3. अनुमानों का उपयोग / Use of Estimates:

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान एवं धारणाएं बनाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई आस्तियों, देयताओं, व्ययों, आय की राशि और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करें. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान एवं धारणाएं तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं. तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में किसी भी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognised prospectively in current and future periods.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

4. **राजस्व निर्धारण / Revenue Recognition:**

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि समूह को आर्थिक लाभ मिले तथा राजस्व का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके.
Revenue is recognised to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured.

i. ब्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, जबकि अनर्जक आस्तियों के मामले में रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद गणना की जाती है.
Interest income is recognised on accrual basis except in the case of Non Performing Assets where it is recognised upon realisation as per the prudential norms of RBI.

ii. साख पत्र (एलसी)/बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन साख पत्र/बैंक गारंटी की अवधि के दौरान उपचित होता है.
Commissions on Letter of Credit (LC)/Bank Guarantee (BG) are accrued over the period of LC/ BG.

iii. शुल्क आधारित आय को प्राप्ति की सुनिश्चितता के आधार पर उपचित किया जाता है तथा यह ग्राहक के साथ करार की शर्तों के अनुसार कार्य की प्रगति पर आधारित होती है.
Fee-based Income are accrued on certainty of receipt and is based on milestones achieved as per terms of agreement with the client.

iv. बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है.
Income on discounted instruments is recognised over the tenor of the instrument on a constant yield basis.

v. लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश की गणना उपचय आधार पर की जाती है.
Dividend is accounted on an accrual basis when the right to receive the same is established.

vi. अग्रिमों के मामले में वसूली का विनियोजन ऋण करार / पुनर्संरचना पैकेज में विनिर्दिष्ट विनियोजन के क्रम के अनुसार किया जाता है.
In case of advances, recovery is appropriated as per the order of appropriation specified in the loan agreement / restructuring package.

vii. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में / In case of IDBI Capital Market Services Ltd -

क. कूपन दर वाली ऋण प्रतिभूतियों की एकमुश्त आधार पर खरीद अथवा बिक्री पर प्रदत्त अथवा प्राप्त कुल प्रतिफल को मुख्य प्रतिफल और उपचित ब्याज के रूप में अलग से निर्धारित किया जाता है. ऐसी प्रतिभूतियों की खरीद पर निवल ब्याज के रूप में प्रदत्त राशि तथा बिक्री पर प्राप्त राशि की निवल आधार पर गणना की जाती है और उसे ब्याज के जरिए व्यय अथवा आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

a. Total consideration paid or received on purchase or sale, on outright basis, of coupon-bearing debt securities is identified separately as principal consideration and accrued interest. Amount paid as accrued interest on purchase, and received on sale, of such securities is netted and reckoned as expense or income by way of interest.

ख. तुलन पत्र तारीख को धारित नियत कूपन दर वाली ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज खंडित अवधि के लिए कूपन दर पर उपचित होता है. अस्थिर दर प्रतिभूतियों पर ब्याज निर्गम की शर्तों के अनुसार निर्धारित दरों पर उपचित होता है.

b. Interest on fixed coupon debt securities, held as on the Balance Sheet date, is accrued for the broken period at the coupon rate. Interest on floating rate securities is accrued at rates determined as per the terms of the issue.

ग. निवेशों की बिक्री पर लाभ का निर्धारण निपटान की तारीख को होता है. यह अर्जन लागत पर बिक्री/मोचन आय का आधिक्य दर्शाता है. लागत का निर्धारण भारित औसत आधार पर किया जाता है. निवेशों की बिक्री पर लाभ की गणना निवेशों की बिक्री पर हुई हानि को समायोजित कर की जाती है.

c. Profit on Sale of Investments is recognised on the settlement date. It represents the excess of Sale / Redemption proceeds over the acquisition cost. Cost is determined on a weighted average basis. Profit on sale of Investments is netted with loss on sale of Investments.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

घ. कंपनी द्वारा हामीदारी दिए गए निर्गमों के संदर्भ में इक्विटी शेयरों के न्यागमन को निवेश माना जाता है. इन निर्गमों पर हामीदारी आय को लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है और इन्हें निवेशों के मूल्य के प्रति समायोजित नहीं किया जाता.

d. Development of equity shares in respect of issues underwritten by the company are treated as Investments. Underwriting income on these issues are credited to Profit and Loss Account and not netted against the value of Investments.

ङ. सेकंडरी मार्केट परिचालनों पर अर्जित दलाली और कमीशन को क्रय-विक्रय की तारीखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. ऑनलाइन पोर्टल परिचालनों पर दलाली को क्रय-विक्रय की तारीखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. निर्गम की मार्केटिंग और संसाधन संग्रहण के संबंध में दलाली और कमीशन, सूचना की उपलब्धता की सीमा तक उपचित है. डिपॉजिटरी, पोर्टफोलियो प्रबंधन, निवेश बैंकिंग और अन्य शुल्कों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है. राजस्व में सेवा कर, जहां भी वसूल किया गया है, शामिल नहीं है.

e. Brokerage and commission earned on secondary market operations is recognised on the basis of trade dates. Brokerage on online portal operations is recognised on the basis of trade dates. Brokerage and commission in respect of issue marketing and resource mobilization are accrued to the extent of availability of information. Depository, Portfolio Management, Investment Banking and Other Fees are accounted for on accrual basis. Revenue excludes Service Tax, wherever recovered.

viii. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में, निवेश प्रबंधन शुल्क का निर्धारण उपचित आधार पर आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर सेवा कर को घटाकर इस प्रकार किया जाता है कि यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 (विनियमन) तथा अन्य कोई संशोधन अथवा संबंधित योजनाओं के ऑफर डॉक्युमेंट में विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न होने पाए.
In case of IDBI Asset Management Ltd., Investment Management fees are recognised net of Service Tax on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India (‘SEBI’) (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the ‘Regulations’) and any other amendments or offer document of the respective schemes.

ix. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. के मामले में / In case of IDBI MF Trustee Company Ltd.,

क) ट्रस्टीशिप शुल्क का निर्धारण उपचित आधार पर आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर इस प्रकार किया जाता है कि यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 (विनियमन) तथा अन्य कोई संशोधन अथवा संबंधित योजनाओं के ऑफर डॉक्युमेंट में विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न होने पाए.

a) Trusteeship fees are recognised on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India (‘SEBI’) (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the ‘Regulations’) and any other amendments or offer document of the respective schemes.

ख. आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं के व्यय भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 द्वारा विनिर्दिष्ट की गई सीमा से अधिक होने पर अतिरिक्त व्यय की राशि कंपनी वहन करेगी तथा इसे लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाएगा.

b) Expenses of the scheme of IDBI Mutual Fund in excess of the limits prescribed by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Fund) Regulations Act 1996 are required to be borne by the Company as per the said regulations and as such are charged to the, Profit and Loss Account.

x. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में समय तथा तात्विक आधार पर मूल्य निर्धारित संविदाओं से प्राप्त राजस्व को उस समय हिसाब में लिया जाता है जब सेवाएं प्रदान की जाती हैं और संबंधित लागत उपगत किए जाते हैं. उत्पादों की बिक्री से राजस्व को कार्य की प्रगति के आधार पर तथा सहमत शर्तों के अनुसार माल के स्वामित्व के अंतरण पर हिसाब में लिया जाता है. वार्षिक तकनीकी सेवा राजस्व को प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के दौरान आनुपातिक रूप से हिसाब में लिया जाता है. राष्ट्रीय संविदा केंद्र से प्राप्त राजस्व को बिक्री की पुष्टि प्राप्त होने पर हिसाब में लिया जाता है. ब्याज से राजस्व का निर्धारण बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात आधार पर किया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

In case of IDBI Intech Ltd., revenue from contracts priced on time and material basis are recognised when services are rendered and related costs are incurred. Revenue from sale of products is recognised on achievement of milestone basis and transfer of property of goods as per agreed terms. Annual Technical Services Revenue is recognised proportionately over the period in which the services are rendered. Revenue from National Contact Centre is recognised upon receipt of confirmation of sales. Revenue from Interest is recognised as a time proportion basis taking into account the amount outstanding and rate applicable.

xi. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में, कंपनी अपना राजस्व स्वीकृति शुल्कों, सेवा प्रभारों, दस्तावेजीकरण प्रभारों, लॉकर किराए और बैंक फिक्स्ड डिपॉजिटों, सरकारी प्रतिभूतियों, पीएसयू बांडों में निवेशों से अर्जित आय से प्राप्त करती है जिसकी गणना उपचय आधार पर की जाती है.
In case of IDBI Trusteeship Services Ltd., the Company derives its revenue from Acceptance Fees, Service Charges, Documentation Charges, Locker Rentals and Income from Investments in Bank Fixed Deposit, Government Securities, PSU Bonds which are accounted for on accrual basis.

यदि बकाया देय राशियां अगले दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक वसूल नहीं की जाती हैं, तो समनुदेशनों को अनियमित समनुदेशनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. इस प्रकार के अनियमित समनुदेशनों की आय प्राप्ति के वर्ष में ही गणना में ली जाती है. इस प्रकार के किसी अनियमित समनुदेशनों पर पूर्व वर्ष की कोई बकाया राशि जो ऐसे निर्धारण के वर्ष में अशोध्य ऋण के रूप में बट्टे खाते डाल दी गई हो, यदि वह चालू वर्ष में आय के रूप में उपचित हो जाती हो, तो उसे रिवर्स कर दिया जाता है.

Assignments are to be classified as irregular assignments if any outstanding dues are not recovered till the end of next two financial years. Income in respect of such irregular assignments is accounted for in the year of receipt. Any previous year's amount outstanding against, such irregular assignments are written off as bad debt in year of such determination and current year income accrued, if any, is reversed.

जब अंतिम वसूली अनिश्चित हो, तो अन्य ऋणों को अशोध्य व बट्टे खाते डाला गया समझा जाता है.
Other Debts are considered as bad and written-off when ultimate realisation is uncertain.

जीवन बीमा संयुक्त उद्यम - आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
Life Insurance Joint Venture-IDBI Federal Life Insurance Company Ltd

(i) **प्रीमियम आय / Premium Income:**

गैर-संबद्ध कारोबार के लिए, प्रीमियम (सेवा कर घटाकर) को देय होने पर आय के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है. व्यपगत पॉलिसियों के प्रीमियम को इन पॉलिसियों के फिर से सक्रिय होने पर आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.
For non-linked business, premium (net of service tax) is recognised as income when due. Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated.

गैर-संबद्ध परिवर्ती बीमा कारोबार के लिए प्रीमियम को प्राप्ति तारीख पर आय माना जाता है.
For non-linked variable insurance business, premium is recognised as income on the date of receipt.

संराशीकृत प्रीमियम को संराशीकरण वर्ष में देय माना जाता है और उसे नवीकरण प्रीमियम माना जाता है.
Commuted premium is considered as due in the year of commutation and is considered as renewal premium.

टॉप अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम माना जाता है.
Top up premiums are considered as single premium.

संबद्ध कारोबार के लिए, संबद्ध यूनिटों के आबंटन पर प्रीमियम को आय माना जाता है.
For linked business, premium is recognised as income when the associated units are allotted.

(ii) **संबद्ध निधि से आय / Income from Linked fund:**

संबद्ध निधियों से आय जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, नीति प्रशासन प्रभार, बीमा की लागत आदि शामिल हैं, को बीमा पॉलिसी के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूला जाता है और उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है.
Income from linked funds which includes fund management charges, policy administration charges, cost of insurance, etc. are recovered from the linked fund in accordance with terms and conditions of policy and are accounted on accrual basis.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(iii) **निवेशों पर अर्जित आय / Income Earned on Investments:**

निवेशों पर ब्याज आय को उपचय आधार पर निर्धारित किया जाता है. बट्टे का उपचय और ऋण प्रतिभूतियों से संबद्ध प्रीमियम के परिशोधन का निर्धारण सीधी-रेखा आधार पर धारिता / परिपक्वता अवधि के बाद किया जाता है.
Interest income on investments is recognised on accrual basis. Accretion of discount and amortisation of premium relating to debt securities is recognised over the holding/maturity period on a straight-line basis.

लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है.
Dividend Income is recognised when the right to receive dividend is established.

संबद्ध कारोबार के अलावा ऋण प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ या हानि, निवल बिक्री प्रतिफल व परिशोधन लागत के बीच का अंतर होता है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है.
Profit or loss on sale of debt securities for other than linked business is the difference between the net sale consideration and the amortised cost, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

संबद्ध कारोबार के अलावा इक्विटी शेयरों व म्यूचुअल फंड यूनिटों की बिक्री पर लाभ या हानि निवल बिक्री प्रतिफल व उसकी रखाव राशि का अंतर होता है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है तथा इसमें पूर्व में "उचित मूल्य परिवर्तन खाते" के अंतर्गत निर्धारित उचित मूल्य के संचयी परिवर्तनों को शामिल किया जाता है.
Profit or Loss on sale of equity shares and mutual funds units for other than linked business is the difference between the net sale consideration and the carrying amount, which is computed on weighted average basis, as on the date of sale and includes the accumulated changes in the fair value previously recognised under “Fair Value Change Account”.

संबद्ध कारोबार के लिए धारित निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि निवल बिक्री प्रतिफल व उसकी रखाव राशि का अंतर होता है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है.
Profit or loss on sale of investment held for linked business is the difference between the net sale consideration and the carrying amount, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

(iv) **पुनर्बीमा प्रीमियम / Reinsurance premium:**

पुनर्बीमा की लागत पुनर्बीमाकर्ता के साथ हुए समझौते या सिद्धांततः व्यवस्था के अनुसार प्रीमियम आय का निर्धारण करते समय हिसाब में ली जाती है. किए गए पुनर्बीमा पर लाभ या कमीशन को पुनर्बीमा पर दिए गए प्रीमियम में से घटाया जाता है.
Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in-principle arrangement with the reinsurer. Profit or commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

(v) **अर्जन लागत / Acquisition Costs:**

अर्जन लागतें ऐसी लागतें होती हैं जो भिन्न-भिन्न होती हैं और प्राथमिक रूप से बीमा संविदा के अर्जन से जुड़ी होती हैं तथा ये उसी अवधि में व्यय की जाती हैं, जिस अवधि में उपगत होती हैं.
Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

(vi) **प्रदत्त लाभ / Benefits Paid:**

प्रदत्त लाभ में पॉलिसी लाभ तथा दावा निपटान लागत, यदि कोई हो, शामिल है.
Benefits paid comprise of policy benefits and claim settlement costs, if any.

मृत्यु, राइडर एवं अभ्यर्पण दावे सूचना मिलने के बाद हिसाब में लिए जाते हैं. उत्तरजीविता लाभ दावे व परिपक्वता दावे देय होने पर हिसाब में लिए जाते हैं.
Death, rider and surrender claims are accounted for on receipt of intimation. Survival benefit claims and maturity claims are accounted when due.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

संबद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत किए गए आहरण एवं अभ्यर्पण सहबद्ध यूनिटों के निरस्त होने पर संबंधित योजनाओं में हिसाब में लिए जाते हैं.

Withdrawals & surrenders under linked policies are accounted in the respective schemes when the associated units are cancelled.

दावों पर पुनर्बीमा वसूलियां संबंधित दावों की अवधि में ही हिसाब में ली जाती हैं.

Reinsurance recoveries on claims are accounted for in the same period as the related claims.

(vii) **बीमांकिक देयता मूल्यांकन / Actuarial liability valuation:**

जीवन बीमा के मामले में प्रवर्तनशील बीमा पॉलिसियों के संबंध में तथा ऐसी पॉलिसियों के संबंध में जहाँ प्रीमियम तो जारी नहीं है, लेकिन देयता विद्यमान है, उनके संबंध में बीमांकिक देयता का निर्धारण नियुक्त बीमांकक द्वारा स्वीकार्य बीमांकक प्रथाओं, बीमा अधिनियम, 1938, इरडा विनियमन व भारतीय बीमांकक संस्थान के बीमांकक प्रथा मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप सकल प्रीमियम पद्धति से किया जाता है. संबद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत देयताएं यूनिटों के मूल्य व मृत्यु एवं रुग्णता जोखिमों के संबंध में भावी गैर-यूनिट रिज़र्व का योग करने के बाद पॉलिसी प्रभार घटाकर निकाली जाती हैं.

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the Gross Premium method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act 1938, IRDA regulations and the Actuarial Practice Standards of the Institute of Actuaries of India. Liabilities under unit linked policies are the sum of the value of units and the prospective non unit reserve in respect of mortality and morbidity risks and future policy expenses, less policy charges.

5. अग्रिम और प्रावधान / Advances and Provisions:

i. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को गैर-निष्पादक अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है.

Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI. Advances are stated net of provisions towards Non-Performing Advances.

ii. जहाँ बही ऋणों सहित मूर्त प्रतिभूति पर अग्रिमों का न्यूनतम 10% भाग विनिर्दिष्ट/ सृजित किया जाता है, वहाँ अग्रिमों को 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि के रूप में प्रतिभूति को 'मूर्त आस्तियां' नहीं माना जाता है.

Advances are classified as `Secured by Tangible Assets' when security of at least 10% of the advance has been stipulated/ created against tangible security including book debts. Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc are not considered as `Tangible Assets'.

iii. विगत वर्षों में बट्टे खाते डाले गए ऋणों में की गई वसूलियों तथा उधारकर्ता की मौजूदा स्थिति में आवश्यक न समझे गए प्रावधानों की राशि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है.

Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognised in the Profit and Loss Account.

iv. बैंक अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों तथा निवेशों के लिए कोई अस्थायी प्रावधान नहीं करता है.

The Bank does not make any floating provision for bad and doubtful advances and investments.

v. पुनर्संरचित/ पुनर्निर्धारित ऋणों और अग्रिमों को बैंकों द्वारा ऋणों और अग्रिमों की पुनर्संरचना पर लागू रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.

Provision on loans and advances restructured/rescheduled is made in accordance with the applicable RBI guidelines on restructuring of loans and advances by Banks.

vi. बैंक बोर्ड के अनुमोदन से समय-समय पर संशोधित रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों द्वारा यथा अपेक्षित प्रति-चक्रीय बफर बनाता है और इसका उपयोग सीमाओं और रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत परिस्थितियों के भीतर करता है.

The Bank makes Countercyclical Buffer as required by RBI guidelines, amended from time to time, with the approval of the Board and utilises the same within the limits and in the circumstances permitted by RBI.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

6. **निवेश / Investments:**

वर्गीकरण / Classification:

निवेश वर्गीकरण एवं मूल्यांकन के बारे में रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता हैः
In terms of extant guidelines of the RBI on Investment classification and Valuation, the entire investment portfolio is categorised as:

i. परिपक्वता तक धारित / Held To Maturity,

ii. बिक्री के लिए उपलब्ध तथा / Available For Sale and

iii. क्रय-विक्रय के लिए धारित / Held For Trading.

प्रत्येक श्रेणी के अतंर्गत निवेश को निम्नलिखित रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता हैः
Investments under each category are further classified as:

i. सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other Approved Securities

iii. शेयर / Shares

iv. डिबेंचर तथा बांड / Debentures and Bonds

v. सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम / Subsidiaries/ Joint Ventures

vi. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें, पास थ्रू प्रमाणपत्र, सिडबी/नाबार्ड/ एनएचबी/ आरआईडीएफ जमा)
Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units, Security Receipts, Pass Through Certificate, SIDBI/ NABARD/ NHB/ RIDF Deposit).

वर्गीकरण का आधार / Basis of Classification:

क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.

ख) खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर मूलतः फिर से बिक्री के लिए धारित रखे गए निवेशों को 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' श्रेणि के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

b) Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as 'Held for Trading'.

ग) जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available for Sale'.

घ) किसी निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में इन श्रेणियों के बीच में इनकी अदला-बदली रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है.

d) An investment is classified as 'Held to Maturity', 'Available for Sale' or 'Held for Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.

ङ) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

e) Investments in Subsidiaries, Joint Venture are classified as 'Held to Maturity'.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

मूल्यांकन / Valuation:

i) किसी निवेश की अर्जन लागत को निर्धारित करने में:
In determining the acquisition cost of an investment:

क) सेकंडरी बाजार से खरीदे गए इक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अर्जन लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.

a) Brokerage, commission, stamp duty and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.

ख) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त ब्याज / प्राप्त ब्याज को अर्जन लागत/ बिक्री में से घटाया जाता है और उसे ब्याज व्यय/ आय के रूप में माना जाता है.

b) Broken period interest paid/ received is excluded from the acquisition cost/ sale and treated as interest expense/ income.

ग) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है.

c) Cost is determined on the Weighted Average Cost method.

ii) 'परिपक्वता तक धारित' निवेशों को जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हों, अर्जन लागत के अनुसार हिसाब में लिया जाता है. ऐसे मामलों में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष बची अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है. इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप की कमी के अलावा होने वाली अन्य कमी के संबंध में प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है.
Investments 'Held To Maturity' are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortised on straight line basis over the remaining period of maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments in Subsidiaries/ Joint Venture under this category is provided for each investment individually.

iii) 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' निवेशों के स्क्रिप-वार बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को नहीं दर्शाया जाता है.
Investments 'Held for Trading' and 'Available For Sale' are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognised in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, are ignored.

(क) ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन बट्टाकृत लिखत होने के कारण रखाव लागत पर किया जाता है.

a) Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit being discounted instruments are valued at carrying cost,

(ख) क्रय-विक्रय/ उद्धृत किए गए निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध क्रय-विक्रय/ भाव-सूची से लिया जाता है. सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार मूल्यों अथवा भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) के साथ मिलकर भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा घोषित मूल्यों के आधार पर लिया जाता है.

b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges. Government Securities are valued at market prices or prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA)

(ग) अनुद्धृत शेयरों का मूल्य अलग-अलग मूल्य या अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध होने पर निवल आस्ति मूल्य पर, अन्यथा ₹1 प्रति कंपनी के आधार पर निकाला जाता है और यूनिटों का मूल्य रिज़र्व बैंक के संगत दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्खरीद मूल्य पर निकाला जाता है. नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. ऐसे कीमत-लागत अंतर व वाईटीएम दरों को एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों के आधार पर लागू किया जाता है.

c) The unquoted shares are valued at break-up value or at Net Asset Value if the latest Balance Sheet is available, else at ₹ 1 per company and units are valued at repurchase price, as per relevant RBI guidelines. The unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by FIMMDA.

(घ) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए तथा ऐसे लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. तद्नुसार ऐसे मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों से नकदी प्रवाह, संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हो, वहाँ बैंक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से समय-समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार के निवेशों के मूल्यांकन के लिए निवल आस्ति मूल्य को हिसाब में लेता है.

d) Security receipts issued by the Asset Reconstruction Companies are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the Asset Reconstruction Companies are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the Net Asset Value obtained from the Asset Reconstruction Company from time to time, for valuation of such investments at each reporting period end.

(ङ) अधिमान्य शेयरों को बाजार दरों पर, यदि कोट किए जाते हैं, अथवा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अनधिक परिपक्वता पर उपयुक्त प्रतिलाभ आधार पर मूल्यांकित किया जाता है.

e) Preference shares are valued at market rates, if quoted or on appropriate Yield to Maturity basis not exceeding redemption value as per RBI guidelines.

निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में जमा/ नामे किया जाता है. तथापि परिपक्वता पर धारित निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ को पहले लाभ-हानि खाते में जमा किया जाता है, उसके बाद वर्ष/ अवधि की समाप्ति पर लागू करों को घटाकर पूंजी रिज़र्व खाते में समायोजित किया जाता है. बिक्री से हानि को लाभ-हानि खाते में हिसाब में लिया जाता है.

Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account. However, profits on sale of investments in Held to Maturity category is first credited to Profit and Loss Account and thereafter appropriated, net of applicable taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves, to the Capital Reserve Account at the year/ period end. Loss on sale is recognised in the Profit and Loss Account.

निवेशों की राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शाई जाती है. / Investments are shown net of provisions.

रेपो एवं रिवर्स रेपो लेन-देन / Repo and reverse repo transactions:

रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों (चलनिधि समायोजन सुविधा ('एलएएफ') व सीमांत आपाती सुविधा (एमएसएफ) के तहत रिज़र्व बैंक से किए गए लेन-देनों को छोड़कर) रेपो व रिवर्स रेपो के लेन-देन क्रमशः ऋण लेने व ऋण देने वाले लेन-देन के रूप में दर्शाए जाते हैं. रेपो लेन-देनों पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन-देनों पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में लिया जाता है.

In accordance with the RBI guidelines Repo and Reverse Repo transactions in Government securities and Corporate Debt Securities (excluding transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and Marginal Standing Facility ('MSF') with RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on Repo transactions is accounted as interest expense and revenue on Reverse Repo transactions is accounted as interest income.

रिज़र्व बैंक से एलएएफ एवं एमएसएफ के अंतर्गत किए गए रेपो लेन-देन के संबंध में रिज़र्व बैंक से उधार ली गई राशि को निवेश खाते में जमा कर लेन-देन की परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है. इस पर लगने वाली लागत को ब्याज व्यय माना जाता है. एलएएफ के अंतर्गत रिवर्स रेपो लेन-देनों के संबंध में रिज़र्व बैंक को दी गई राशि निवेश खाते में नामे कर लेन-देन की परिपक्वता पर रिवर्स कर दी जाती है. इस पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय माना जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

In respect of Repo transactions under LAF and MSF with RBI, amount borrowed from RBI is credited to investment account and reversed on maturity of the transaction. Costs thereon are accounted for as interest expense. In respect of Reverse Repo transactions under LAF, amount lent to RBI is debited to investment account and reversed on maturity of the transaction. Revenues thereon are accounted as Interest Income.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड और आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में:
In case of IDBI Trusteeship Services Limited and IDBI Assets Management Ltd.:

सभी निवेश जो तत्काल वसूली योग्य और अर्जन की तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं रखे जाने से अभिप्रेत हैं, को चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. चालू निवेशों को कम लागत या उचित मूल्य पर दर्शाया जाता है. दीर्घावधि निवेशों को लागत पर दर्शाया जाता है. यदि अस्थायी के इतर विचार किया जाता है तो दीर्घावधि निवेश के मूल्य में ह्रास का निर्धारण किया जाता है.
All investments which are readily realisable and intended to be held for not more than one year from the date of acquisition are classified as Current Investments. Current investments are stated at lower of cost or fair value. Long term investments are stated at cost. Decline in value of long term investment is recognised, if considered other than temporary.

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में, निवेशों को गैर-चालू और चालू निवेशों के रूप वर्गीकृत किया जाता है. लाभांश तथा ब्याज के जरिए आय अर्जित करने के लिए तथा पूंजीगत मूल्यवृद्धि के प्रयोजनार्थ अर्जित तथा धारित प्रतिभूतियों तथा अन्य वित्तीय आस्तियों को गैर-चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनकी अर्जन लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. उनके मूल्य में अस्थायी गिरावट को छोड़कर गिरावट, यदि कोई है, का निर्धारण किया जाता है. चालू निवेश कम लागत या बाज़ार मूल्य पर किया जाता है. मार्केट मेकर के रूप में बाजार निर्माण प्रक्रिया में अर्जित प्रतिभूतियों को धारिता अवधि पर ध्यान दिये बिना चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.
In case of IDBI Capital Market Services Ltd., investments are classified into non-current and current investments. Securities and other financial assets acquired and held for earning income by way of dividend and interest and for the purpose of capital appreciation are classified as non-current investments and are valued at their cost of acquisition. Decline in their value other than temporary, if any, is recognised. Current investments are carried at lower of cost or market value. Securities acquired in the market making process as market maker are classified as Current Investments irrespective of the period of holding.

अल्पावधि धारिता और ट्रेडिंग के उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूतियों को विक्रेय माल समझा जाता है और उसे चालू आस्तियों के रूप में माना जाता है.
Securities acquired with the intention of short-term holding and trading are considered as stock-in-trade and regarded as current assets.

विक्रेय माल श्रेणीवार के रूप में धारित प्रतिभूतियों को कम लागत या बाजार/ उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है. सिर्फ एकमुश्त लेन-देनों पर विचार करते हुए भारित औसत प्रणाली का अनुसरण कर लागत प्राप्त की जाती है. बाजार मूल्य को वास्तविक क्रय-विक्रय के लिए बाजार भावों के आधार पर निर्धारित किया जाता है और जहां ऐसे भाव उपलब्ध नहीं हैं वहाँ उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है, ऋण प्रतिभूतियों के मामले में, समान परिपक्वता और साख स्थिति की प्रतिभूतियों पर आय-प्राप्ति के संदर्भ में और इक्विटियों के मामले में उपलब्ध अंतिम तुलन पत्र के अनुसार विश्लेषित मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है. प्रत्येक प्रतिभूति को अलग-अलग मूल्यांकित किया जाता है. प्रत्येक प्रतिभूति के लिए मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाता है और यदि कोई मूल्यवृद्धि होती है तो उसे छोड़ दिया जाता है.
Securities held as stock-in-trade category wise are valued at lower of cost or market/ fair value. Cost is derived by following the Weighted Average method considering only outright transactions. Market value is determined based on market quotes for actual trades and where such quotes are not available, fair value is determined, in the case of debt securities, with reference to yields on securities of similar maturity and credit standing, and in the case of equities, with reference to the break-up value as per the last available Balance sheet. Each security is valued individually. The depreciation, if any, for each security is provided and the appreciation, if any, is ignored.

निवेश के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रदत्त प्रीमियम को लिखत की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है.
Premium paid on Government securities held as investment is amortised over the tenor of the instrument.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

जीवन बीमा संयुक्त उद्यम - आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
Life Insurance Joint Venture-IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.

निवेश बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000 और आईआरडीए द्वारा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों/ अधिसूचनाओं के अनुसार किए जाते हैं.
Investments are made in accordance with the Insurance Act, 1938, the IRDA (Investment) Regulations, 2000, and various other circulars/notifications issued by the IRDA in this context from time to time.

निवेशों को खरीद की तारीख को लागत पर दर्ज किया जाता है जिसमें दलाली तथा कर, यदि कोई हों, शामिल किए जाते हैं और उपचित ब्याज शामिल नहीं किए जाते हैं.
Investments are recorded at cost on the date of purchase, which includes brokerage and taxes, if any, and excludes accrued interest.

वर्गीकरण / Classification:

तुलन पत्र की तारीख से बारह महीने के भीतर परिपक्व होने वाले निवेश और तुलन पत्र की तारीख से बारह महीनों में निपटाने के विशेष अभिप्राय से किए गए निवेशों को अल्पकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.
Investments maturing within twelve months from the Balance Sheet date and investments made with the specific intention to dispose them off within twelve months from the Balance Sheet date are classified as short term investments.

अल्पकालिक निवेशों के अलावा अन्य निवेशों को दीर्घकालिक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.
Investments other than short-term investments are classified as long-term investments.

मूल्यांकन - शेयरधारकों के निवेश और गैर-संबद्ध पॉलिसीधारकों के निवेश
Valuation - shareholders' investments and non-linked policyholders' investments

सभी ऋण प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है और वे तदनुसार परंपरागत लागत पर दर्शायी जाती है जो सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिपक्वता/ धारिता अवधि के दौरान प्रीमियम के परिशोधन अथवा छूट पर वृद्धि के अधीन है.
All debt securities are considered as 'Held To Maturity' and accordingly stated at historical cost, subject to amortisation of premium or accretion of discount over the period of maturity/ holding on a straight line basis.

तुलन पत्र की तारीख को सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को उनके उचित मूल्य पर 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ('एनएसई')' - प्राथमिक एक्सचेंज पर अंतिम मूल्य पर अंकित किया जाता है. यदि इक्विटी शेयर प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है या सौदा नहीं किया गया है तो उसे उसके उचित मूल्य पर 'बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ('बीएसई')' - द्वितीयक एक्सचेंज पर अंतिम मूल्य पर अंकित माना जाता है. म्यूचुअल फंड यूनिटों को तुलन पत्र की तारीख को पिछले दिन के शुद्ध आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है. सूचीबद्धता की प्रतीक्षा में इक्विटी शेयरों को परंपरागत मूल्य पर अंकित किया जाता है जो इस तरह के निवेश मूल्य के प्रत्येक निवेश के लिए अलग से निर्धारित किया गया है और जो मूल्य में कमी, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान के अधीन है.
Listed equity shares as at the Balance Sheet date are stated at fair value being the quoted closing price on the Primary Exchange - 'National Stock Exchange ('NSE')'. In case the equity share is not listed/ traded on the Primary Exchange the quoted closing price on the Secondary Exchange - 'Bombay Stock Exchange ('BSE')', is considered as fair value. Mutual fund units as at the balance sheet date are valued at the previous day's net asset values. Equity shares awaiting listing are stated at historical cost subject to provision for diminution, if any, in the value of such investment determined separately for each individual investment.

सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण न लिए गए लाभ/ हानि को "उचित मूल्य परिवर्तन खाते" में लिया जाता है और तुलन पत्र में आगे ले जाया जाता है.
Unrealised gains/losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares and mutual fund units are taken to "Fair Value Change Account" and carried forward in the Balance Sheet.

किसी भी ह्रास हानि को राजस्व या लाभ-हानि खाते में उतना व्यय समझा जाता है, जितना कि प्रतिभूति या निवेश के पुनर्मूल्यांकित उचित मूल्य व राजस्व या लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में निर्धारित किसी भी पूर्व ह्रासित हानि द्वारा कम की गई इसकी अर्जन लागत के बीच का अंतर होता है. पूर्व में अभिनिर्धारित किसी भी ह्रासित हानि के प्रतिवर्तन को राजस्व या लाभ-हानि लेखों में दर्शाया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Any impairment loss is recognised as an expense in Revenue or Profit and Loss Account to the extent of the difference between the re-measured fair value of the security or investment and its acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognised as expense in Revenue or Profit and Loss Account. Any reversal of previously recognised impairment loss is recognised in Revenue or Profit and Loss Account.

मूल्यांकन - संबद्ध कारोबार / Valuation - linked business

सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) से प्राप्त मूल्यों के आधार पर किया जाता है. सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन रेटिंग एजेंसी द्वारा दैनिक आधार पर जारी किए जाने वाले प्रतिफल मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए उचित मूल्य आधार पर किया जाता है.
Government Securities are valued at prices obtained from Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA). Debt Securities other than Government Securities are valued at Fair Value using Yield Matrix for Bonds released by Rating Agency, on a daily basis.

मुद्रा बाजार लिखतों अर्थात् - जमा प्रमाणपत्र, संपार्श्विक उधार तथा उधार लेन-देन संबंधी दायित्व का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है, जो धारिता/ परिपक्वता अवधि पर सीधी रेखा आधार पर बट्टे की अभिवृद्धि या प्रीमियम के परिशोधन के अधीन होता है. अन्य मुद्रा बाजार लिखतों जैसे - वाणिज्यिक पत्रों, ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन एफआईएमएमडीए से प्राप्त मूल्यों पर आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है.
Money Market Instruments i.e. Certificate of Deposit, Collateral Borrowing and Lending Obligation are valued at cost, subject to accretion of discount or amortisation of premium over the holding/ maturity period on a straight line basis. Other Money Market instruments like Commercial Papers, Treasury Bills are valued at prices obtained from FIMMDA in line with IRDAI guidelines.

तुलन पत्र की तारीख को सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को उनके उचित मूल्य पर 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ('एनएसई')' - प्राथमिक एक्सचेंज पर अंतिम मूल्य पर अंकित किया जाता है. यदि इक्विटी शेयर प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है या सौदा नहीं किया गया है तो उसे उसके उचित मूल्य पर 'बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ('बीएसई')' - द्वितीयक एक्सचेंज पर अंतिम मूल्य पर अंकित माना जाता है. म्यूचुअल फंड यूनिटों का मूल्यांकन विगत दिन के निवल आस्ति मूल्य पर किया जाता है. सूचीबद्धता की प्रतीक्षा में इक्विटी शेयरों को परंपरागत मूल्य पर अंकित किया जाता है जो इस तरह के निवेश मूल्य के प्रत्येक निवेश के लिए अलग से निर्धारित किया गया है और जो मूल्य में कमी, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान के अधीन है.
Listed equity shares as at the Balance Sheet date are stated at fair value being the quoted closing price on the Primary Exchange - 'National Stock Exchange ('NSE')'. In case the equity share is not listed/ traded on the Primary Exchange the quoted closing price on the Secondary Exchange - 'Bombay Stock Exchange ('BSE')', is considered as fair value. Mutual fund units are valued at the previous day's net asset values. Equity shares awaiting listing are stated at historical cost subject to provision of diminution, if any, in the value of such investment determined separately for each individual investment.

निवेश पर न लिए गए लाभ/ हानि को संबंधित निधि के राजस्व खाते में निर्धारित किया जाता है.
Unrealised gains/losses on investments are recognised in the respective fund's Revenue Account.

निवेशों का अंतरण / Transfer of investments

निवेशों का शेयरधारकों की निधि से पॉलिसीधारकों की निधि में अंतरण रखाव राशि या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है. तथापि ऋण प्रतिभूति के मामले में सभी अंतरण निवल परिशोधनीकृत लागत पर किए जाते हैं. यूनिट संबद्ध निधियों के निवेशों में अंतरण बाजार मूल्य पर किया जाता है.
Transfer of investments from Shareholders' Fund to the Policyholders' Fund is at carrying amount or market price, whichever is lower. However in case of debt securities all transfers are carried out at the net amortised cost. Transfer of investments between unit linked funds is done at market price.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

7. डेरिवेटिव लेन-देन / Derivative Transactions:

'हेज' के रूप में नामित लेन-देनों में / In Transactions designated as 'Hedge':

क) डेरिवेटिव लेन-देन पर भुगतान योग्य/ प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है.

a) Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.

ख) हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/ हानि को स्वैप की शेष संविदात्मक अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर माना जाता है.

b) On premature termination of Hedge Swaps, any profit/ losses are recognised over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.

ग) अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज स्वैपों को पुनः अभिनामित करने की गणना के लिए इसे एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है.

c) Redesignation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.

घ) हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि उसके अंतर्निहित मूल्य को भी बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया जाता. बाजार के लिए अंकित हेज संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

d) Hedge contracts are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognised in the Profit And Loss account.

'ट्रेडिंग' के रूप में नामित लेन-देनों में / In Transactions designated as 'Trading':

क्रय-विक्रय के लिए नामित बकाया डेरिवेटिव लेन-देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप, परस्पर मुद्रा स्वैप, परस्पर मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/ हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है. विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/ निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes Interest Rate Swaps, Cross Currency Swaps, Cross Currency Options and Credit Default Swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the Profit And Loss Account. Premium on options is recorded as a Balance Sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.

एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ) खंड में क्रय-विक्रय के लिए नामित डेरिवेटिव लेन-देनों मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा ऑप्शन और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं, जिनकी गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है और उनका नकदी निपटान टी+1 आधार पर किया जाता है. इन लेन-देनों से हुए लाभ/हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित की गई माह के अंत की निपटान तारीख को लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

Derivative Transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit & Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.

फ्यूचर्स एवं ऑप्शन में लेन-देन / Transactions in Futures and Options

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में फ्यूचर्स कांट्रैक्ट/ ऑप्शन बिक्री के समय देय प्रारंभिक मार्जिन राशि एक्सचेंजों में सावधि जमा, नकदी जमा व प्रतिभूतियों के रूप में जमाराशियों से समायोजित की जाती है.

In case of IDBI Capital Market Services Ltd., Initial Margin payable at the time of entering into futures contract / sale of options is adjusted against the deposits with the exchanges in the form of fixed deposits, cash deposits and securities.

फ्यूचर्स कांट्रैक्ट में लेन-देनों को संविदा के कल्पित क्रय-विक्रय मूल्य पर खरीद एवं बिक्री के रूप में शामिल किया जाता है. तुलन पत्र की तारीख को फ्यूचर्स की खुली संविदा को उसके कल्पित मूल्य द्वारा समायोजित कर दिया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Transactions in Future contracts are accounted as Purchase and Sales at the notional trade value of the contract. The open interest in futures as at the Balance Sheet date is netted by its notional value.

निपटान मूल्य अथवा विगत दिवस के एक्सचेंज के बंद भाव व अगले दिन के एक्सचेंज के बंद भाव के अंतर के कारण एक्सचेंज को अदा की गई या प्राप्त की गई राशि को मार्क टू मार्केट मार्जिन के रूप में चिह्नित किया जाता है. मार्क टू मार्केट मार्जिन खाते की शेष राशि तुलन पत्र की तारीख तक फ्यूचर्स कांट्रैक्ट के खुली संविदा के मूल्य में घट-बढ़ के फलस्वरूप अदा की गई या प्राप्त की गई निवल राशि होती है. मार्क टू मार्केट मार्जिन खाते की निवल नामे शेष राशि राजस्व को प्रभारित की जाती है, जबकि निवल जमा शेष राशि को चालू देयताओं में दर्शाया जाता है.
The difference in the settlement price or exchange closing price of the previous day and exchange closing price of the subsequent day, paid to or received from the exchange is treated as Mark to Market Margin. The balance in the Mark to Market Margin Account represents the net amount paid or received on the basis of movement in the prices of open interest in futures contracts till the balance sheet date. Net debit balance in the Mark to Market Margin Account is charged off to revenue whereas net credit balance is shown under current liabilities.

ऑप्शनों के क्रय-विक्रय पर अदा की गई या प्राप्त की गई प्रीमियम तथा ऑप्शन के प्रयोग के चलते अदा या प्राप्त की गई अंतर राशि को खरीद या बिक्री के हिसाब में लिया जाता है. तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बेचे गए ऑप्शनों के खुली संविदा के मामले में ऑप्शन से प्राप्त प्रीमियम की राशि से तुलन पत्र की तारीख को लागू प्रीमियम की राशि अधिक होने पर उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है. तुलन पत्र में लागू प्रीमियम के मुकाबले प्राप्त प्रीमियम की राशि अधिक होने पर उसे निर्धारित नहीं किया जाता है. इसी प्रकार ऑप्शन खरीदी के मामले में ऑप्शन से प्राप्त प्रीमियम की राशि से तुलन पत्र की तारीख को लागू प्रीमियम की राशि अधिक होने पर उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है किंतु तुलन पत्र में लागू प्रीमियम के मुकाबले प्राप्त प्रीमियम की राशि अधिक होने पर उसे अनदेखा किया जाता है. बहुविध खुली स्थितियों के मामले में क्रय व विक्रय, दोनों ही स्थितियों में प्रावधान किया जाता है या शेष राशियों का समंजन करके अतिरिक्त प्रीमियम को अनदेखा किया जाता है.
Premium paid or received on purchase and sale of options and the difference paid or received on exercise of options is accounted as Purchases or Sales. In case of open interest in options sold as on the balance sheet date, provision is made for the amount by which premium prevailing on the Balance Sheet date exceeds the premium received for those options. The excess of premium received over the premium prevailing on the Balance Sheet date is not recognised. Similarly, in case of options bought, provision is made for the amount by which the premium paid for the option exceeds the premium prevailing on the Balance Sheet date and the excess of premium prevailing on the Balance Sheet date over the premium paid is ignored. In case of multiple open positions, provision is made or excess premiums are ignored after netting off the balances in buy as well as sell positions.

ब्याज दर स्वैप / Interest Rate Swaps

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. के मामले में प्राथमिक डीलरशिप परिचालनों के संबंध में बंद किए गए परिचालनों के ब्याज दर स्वैप की कल्पित प्राथमिक राशि में से संबंधित आस्तियों और देयताओं को घटाया जाता है. ब्याज दर स्वैप में लाभ या हानि को संविदा की शर्तों के अनुसार देय तारीख पर हिसाब में लिया जाता है.
In case of IDBI Capital Market Services Ltd., Assets and Liabilities in respect of notional principal amount of Interest Rate Swaps of the discontinued operations pertaining to Primary Dealership operations are netted. Gain or loss on Interest Rate Swaps is accounted for on due dates as per the terms of the contract.

8. अचल आस्तियां एवं मूल्यह्रास / Fixed Assets and depreciation:

बैंक के मामले में / In case of Bank

i. अचल आस्तियों को जहां कहीं पुनर्मूल्यांकित किया गया हो, के अलावा परंपरागत लागत (संस्थापन लागत सहित) पर लिया जाता है. पुनर्मूल्यांकन पर कोई वृद्धि होने पर उसे 'पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व' खाते में जमा किया जाता है. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामलों में पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप हुए अतिरिक्त मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.
Fixed assets are carried at historical cost (inclusive of installation cost) except wherever revalued. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the `Revaluation Reserve' Account. In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from Revaluation Reserve to the Profit and Loss account.

ii. ₹ 5000 से कम लागत की अलग-अलग अचल आस्तियों पर उनके अर्जन के वर्ष में पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है.
Fixed assets individually costing less than ₹ 5000 are fully depreciated in the year of addition.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iii. मूर्त आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान प्रबंधन द्वारा अनुमानित आस्तियों के उपयोगी जीवनकाल पर किया जाता है. मूल्यह्रास तथा परिशोधन पद्धति, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की आवधिक समीक्षा की जाती है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार किसी आस्ति को अर्जित करते समय उस आस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवन काल/ शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास की ऊंची दर लगाई जाती है.
Depreciation on tangible asset is allocated over useful life of the asset as estimated by the management. Depreciation and amortisation methods, useful lives and residual values are reviewed periodically. If the management's estimate of the useful life of a fixed asset at the time of acquisition of the asset or of the remaining useful life on a subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimates of the useful life/ remaining useful life.

iv. प्रबंधन अन्य अचल आस्तियों के लिए उपयोगी जीवनकाल का अनुमान निम्नानुसार लगाता हैः
The Management estimates the useful lives for the other fixed assets as follows:

आस्ति / Asset	**अनुमानित उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) Estimated Useful Life (in Years)**
परिसर / Premises	61.35
फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स / Furniture and fixtures	12
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी / Electrical installation and machinery	12
मोटर वाहन / Motor vehicles	5
कंप्यूटर (आंतरिक सॉफ्टवेयर सहित) / Computers (including integral software)	3
स्वचालित टेलर मशीन / Automated Teller Machines	8
वी-सैट उपकरण / VSAT equipment	10
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं / Consumer durables with employees	5

v. इन सभी आस्तियों का जीवन काल कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग सी के तहत प्रस्तावित उपयोगी जीवनकाल से भिन्न है. सम्पन्न आंतरिक निर्धारण और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन विश्वास करता है कि उपरोक्त उपयोगी जीवनकाल उस सर्वोत्तम अवधि को प्रस्तुत करता है जिस अवधि तक प्रबंधन इन आस्तियों के उपयोग की आशा करता है. वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के परिवर्धन / बिक्री पर मूल्यह्रास आस्तियों के वास्तव में धारित करने की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है.
The useful lives for these assets are different from the useful lives as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act 2013. Based on internal assessment and technical evaluation carried out, the Management believes that the useful lives as given above best represent the period over which Management expects to use these assets. Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets were actually held.

vi. लीज वाली भूमि को लीज की अवधि में परिशोधित किया जाता है.
Leasehold land is amortised over the period of lease.

₹ 2.5 लाख से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (नॉन-इंटिग्रल) को पूंजीकृत किया जाता है और इसे इसके उपयोगी जीवनकाल में मूल्यह्रासित किया जाता है जिसकी अवधि अधिकतम 5 वर्ष होती है.
Computer Software (non-integral) individually costing more than ₹ 2.50 Lakh is capitalised and depreciated over its useful life, not exceeding 5 years.

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसरण में आस्तियों के मूल्यह्रास की दरों का निर्धारण आस्तियों के उपयोगी जीवन काल पर विचार करने के बाद किया गया है. इसका प्रभाव कंपनीवार निम्नलिखित है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Pursuant to the Schedule II of the Companies Act, 2013 the rates of depreciation of assets have been arrived at after considering the useful life of the asset. The impact of which is mentioned company wise as under.

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में, अचल आस्तियों का निर्धारण संचित मूल्यह्रास और हानि को घटाकर अर्जन लागत पर किया जाता है. लागत मूल्य में आस्तियों के अर्जन एवं संस्थापन से संबंधित मालभाड़ा, शुल्क, कर और प्रासंगिक व्यय शामिल होते हैं. इसके उपरांत आस्तियों पर उपगत खर्च तभी किया जाएगा जब इन आस्तियों से भविष्य में लाभ/ कार्य निष्पादन क्षमता में वृद्धि की संभावना हो. मौजूदा अचल आस्तियों के मरम्मत एवं रखरखाव और कल-पुर्जों के बदलाव की लागत सहित कुल खर्च को जिस अवधि में वे उपगत होते हैं उस अवधि में राजस्व के रूप में प्रभारित किया जाता है.

In case of IDBI Asset Management Ltd., Fixed assets are carried at cost of acquisition less accumulated depreciation and impairment. Cost includes freight, duties, taxes, and incidental expenses related to the acquisition and installation of the assets. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefit/ functioning capability from/ of such assets. All expenses on existing fixed assets, including repairs and maintenance and cost of replacement of parts are charged as revenue in the period in which they are incurred.

मूल्यह्रास का प्रावधान सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) पर यथा निर्धारित रूप में किया जाता है. प्रबंधन के अनुमान के अनुसार यदि आस्तियों के अर्जन के समय अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल या इसके उपरांत की जाने वाली समीक्षा के आधार पर शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो मूल्यह्रास का निर्धारण उपयोगी जीवनकाल/ शेष जीवनकाल पर प्रबंधन के अनुमान के आधार पर उच्च दर पर किया जाता है. परिवर्तनों के अनुसरण में कुछ आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास दर संशोधित की गई है तथा कुछ आस्तियों के मूल्यह्रास दर में परिवर्तन होने से पड़ने वाले प्रभाव को चालू वित्तीय वर्ष में, साथ ही साथ आस्तियों के शेष बचे उपयोगी जीवन काल में संबंधित लाभ/ हानि पर समायोजित किया जाएगा. इस नीति के अनुसरण में, निम्नलिखित दरों के अनुसार मूल्यह्रास का निर्धारण किया गया है:

Depreciation is provided on Straight Line Method (SLM) as prescribed. If the Management's estimate of the useful life of a Fixed Asset, at the time of acquisition of the asset or of the remaining useful life on a subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimates of the useful life/ remaining useful life. Pursuant to the changes, the rate of depreciation has been revised in respect of certain assets and the impact on account of change in depreciation rate in some of the assets would be adjusted in the current financial year as well as in the remaining useful life of the asset against the respective profit/ loss of the year. Pursuant to this policy, depreciation has been provided using the following rates:

अचल आस्तियों की श्रेणी **Class of Fixed Assets**	**मूल्यह्रास की पुरानी दर (% में) - (एसएलएम आधार पर)** **Old Rate of Depreciation (In %) - (SLM Basis)**	**मूल्यह्रास की नई दर (% में) - एसएलएम आधार पर (01 अप्रैल 2014 से लागू)** **New Rate of Depreciation (In%)- SLM basis (applicable from April 01, 2014)**
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture & Fixtures	8.33	9.50
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	8.33	19.00
आईटी हार्डवेयर / IT Hardware	33.33	33.33
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं Consumer durables with Employees	20.00	20.00

कंपनी आस्ति के उपयोग होने की तारीख से और किसी आस्ति के बेचे जाने पर बेचे जाने की तारीख तक के लिए आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास का प्रावधान करती है.

The Company provides pro-rata depreciation from the date the asset is put to use and for any asset sold until the date of sale.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

वित्तीय तथा गैर-वित्तीय सहायक संस्था / Financial and non financial subsidiary

आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में, अचल आस्तियों को उनकी अर्जन लागत और उनके आशयित उपयोग के लिए कार्य करने लायक स्थिति में लाने की लागत पर संचित मूल्यह्रास घटाकर उल्लिखित किया गया है. बेचे गए सॉफ्टवेयरों, जिन पर स्वाम्य अधिकार कंपनी के पास है, को लागत पर पूंजीकृत किया गया है. अचल आस्तियों पर प्रावधान अवलिखित मूल्य पद्धति पर किया गया है. जिन कंप्यूटरों को 60% की दर से मूल्यह्रासित किया गया था उन्हें अब अनुसूची II के प्रावधानों के अनुसार मूल्यह्रासित किया जा रहा है. अचल आस्तियों के परिवर्धन / से घटाव पर मूल्यह्रास ऐसे परिवर्धन/घटाव, जो भी मामला हो, की तारीख से / तक आनुपातिक आधार पर किया जाता है. ₹ 5000 से कम लागत वाली अलग-अलग अचल आस्तियों को उनके अर्जन के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है. अमूर्त आस्तियों (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) को 5 वर्ष की अवधि के दौरान समान रूप से परिशोधित किया जाता है.

In case of IDBI Intech Ltd., Fixed Assets are stated at cost of acquisition, including any cost attributable for bringing the asset to its working condition for its intended use, less accumulated depreciation. The Softwares sold, on which propriety rights continue with the Company, are capitalised at cost. Depreciation on Fixed Assets is provided on the written down value method. Computers which were depreciated at the rate of 60 per cent are now being depreciated as per provisions of Schedule II. Depreciation on additions to/ deletions from Fixed Assets is provided on pro rata basis from / up to the date of such addition/ deletion as the case may be. Fixed Assets individually costing less than ₹ 5000/- are fully depreciated in the year of addition. Intangible Assets (Computer Software) are amortised equally over a period of five years.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ के मामले में, अचल आस्तियों को अर्जन की मूल लागत तथा उनके अर्जन के संबंध में उपगत संस्थापना प्रभार पर उल्लिखित किया गया है. लागत में खरीद मूल्य और आस्तियों को उनके आशयित उपयोग के लिए कार्य करने लायक स्थिति में लाने से संबंधित लागत शामिल है. मूल्यह्रास निर्धारित दर पर अवलिखित मूल्य आधार पर किया जाता है. आस्ति के परिवर्धन पर मूल्यह्रास ऐसे परिवर्धन की तारीख से और निपटान के लिए ऐसे निपटानों की तारीख तक लगाया जाता है. कम लागत वाली अलग-अलग आस्तियों (₹ 5000 से कम राशि में अर्जित) को उनके अर्जन के वर्ष में मूल्यह्रासित किया जाता है.

In case of IDBI Trusteeship Services Ltd., Fixed Assets are stated at original cost of acquisition plus installation charges incurred in connection with the acquisition. Cost comprises of purchase price and attributable cost of bringing the assets to its working condition for its intended use. The depreciation is charged on Written Down Value basis as prescribed. The depreciation on the addition of the asset is provided from the date of such addition and for disposals up to the date of such disposals. Individual low cost assets (acquired for less than ₹ 5,000/-) are depreciated in the year of acquisition.

अमूर्त आस्तियों को संचित परिशोधन घटाकर अर्जन की लागत पर दर्शाया जाता है. अमूर्त आस्तियों का परिशोधन आस्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर अवलिखित मूल्य पद्धति पर किया जाता है.

Intangible Assets are stated at cost of acquisition less accumulated amortisation. Amortisation of intangible assets is provided on Written Down Value method on the basis of estimated useful life of the asset.

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ के मामले में, कानून में परिवर्तन के अनुरूप, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार 01 अप्रैल 2014 से अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान करने संबंधी अपनी नीति में संशोधन किया है. कंपनी ने मूर्त आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान करने की अपनी पद्धति को पूर्वव्यापी प्रभाव से कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर अवलिखित मूल्य पद्धति से उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल के दौरान सीधी रेखा पद्धति में परिवर्तित किया है. प्रबंधन को विश्वास है कि इस परिवर्तन से अधिक उपयुक्त प्रस्तुतिकरण हो सकेगा और यह समय स्वरूप, जिनमें इन आस्तियों के प्रयोग से आर्थिक लाभ होगा, का प्रतिनिधित्व करते हुए मूल्यह्रास के प्रावधान के लिए सुव्यवस्थित आधार प्रदान करेगा.

In case of Idbi Capital Market Services Ltd., in line with change in statute, the Company has revised its policy for providing depreciation on Fixed Assets effective from April 1, 2014 to fall in line with Schedule II to Companies Act 2013. The Company has with retrospective effect changed its method of providing depreciation on tangible assets from the ‘Written Down Value’ method, at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 to ‘Straight Line’ method, over their estimated useful life as specified. Management believes that this change will result in more appropriate presentation and will give a systematic basis of depreciation charge, representative of the time pattern in which the economic benefits will be derived from the use of these assets.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अमूर्त आस्तियों (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) तथा वेब ट्रेडिंग पोर्टल का परिशोधन 3 वर्ष की अवधि के दौरान किया जाता है और स्टॉक एक्सचेंज सदस्यता कार्ड 4.75% प्रति वर्ष की दर से परिशोधित होता है.

Intangible Assets (computer software) & web trading portal are amortised over a period of 3 years and Stock Exchange membership card amortised at 4.75% p.a.

प्रबंधन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग राइट के आर्थिक मूल्य का अनुमान उसके उपयोग मूल्य के आधार पर लगाता है. कंपनी इसका परिशोधन 21 वर्षों में करती है, बशर्ते ऐसा कोई साक्ष्य न हो कि इसका उपयोगी जीवनकाल कम है.

The Management estimates the economic value of Bombay Stock Exchange Trading Rights based on the value in use. The Company amortises it over 21 years unless there is evidence that its useful life is shorter.

जीवन बीमा संयुक्त उद्यम - आईडीबीआई फ़ेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में
In case of Life Insurance Joint Venture-IDBI Federal Life Insurance Company Ltd

i. अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर उल्लिखित किया जाता है. लागत में खरीद मूल्य और उस आस्ति को उसके उपयोग के लिए कार्य करने लायक स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपगत अन्य लागत शामिल हैं. प्रबंधन द्वारा अनुमानित या निर्धारित रूप में आस्ति की प्रत्येक श्रेणी के न्यूनतम उपयोगी जीवनकाल के आधार पर अर्जन की तारीख से / बिक्री की तारीख तक आनुपातिक रूप में सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग करते हुए मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है, जो नीचे उल्लिखित है:

Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation. Cost includes the purchase price and any cost directly attributable to bringing the asset to its working condition for its intended use. The depreciation is provided using Straight Line Method ('SLM') prorated from the date of acquisition/up to the date of sale, based on lower of useful life for each class of asset as estimated by the management or as prescribed, which is stated below:

आस्ति **Asset**	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) **Useful Life (in Years)**
पट्टाधृत उन्नयन / Leasehold improvements	3
संचार नेटवर्क और सर्वर Communication networks and servers	6
कंप्यूटर तथा पेरिफेरल उपकरण Computers and peripheral equipments	3
कार्यालय उपकरण Office equipment	5
फर्नीचर एवं फिक्सचर / Furniture & fixtures	10
मोटर वाहन / Motor Vehicles	8

ii. सॉफ्टवेयर युक्त अमूर्त आस्तियों को परिशोधन घटाकर लागत पर उल्लिखित किया जाता है. इन्हें इनके उपयोग की तारीख से 3 वर्ष की अवधि में सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित किया जाता है. सॉफ्टवेयर में महत्वपूर्ण उन्नयनों को तब पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभावित होता है कि इस प्रकार की उन्नत आस्ति को उसके मूल रूप से निर्धारित मानकों से अधिक भावी आर्थिक लाभ उत्पन्न करने में समर्थ बनाएगी और इस प्रकार का व्यय विश्वसनीय ढंग से आंका और आस्ति पर जोड़ा जा सकता है. अनुवर्ती व्ययों का परिशोधन सॉफ्टवेयर के शेष उपयोगी जीवनकाल के दौरान किया जाता है. सॉफ्टवेयर के सपोर्ट तथा रख-रखाव के व्ययों को उस अवधि के राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है जिसमें वे उपगत होते हैं.

Intangible assets comprising software are stated at cost less amortisation. These are amortised using Straight Line Method over a period of 3 years from the date of being put to use. Significant improvements to software are capitalised when it is probable that such improvement will enable the asset to generate future economic benefits in excess of its originally assessed standards of performance and such expenditure can be measured and attributed to the asset reliably. Subsequent expenditures are amortised over the remaining useful life of the software. The expenses for support and maintenance of software are charged to Revenue Account in the period in which they are incurred.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

9. **प्रतिभूतिकरण लेन-देन / Securitisation Transactions:**

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतिकरण से इन आस्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं (एसपीवी) को बिक्री होती है, जो इसके बदले निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतिकृत आस्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः अमान्य कर दिया जाता है. बैंक खातों को बिक्री के समय ही होने वाली किसी भी हानि के लिए और बिक्री से होने वाले लाभ/प्रीमियम के लिए एसपीवी द्वारा, जिन्हें आस्तियां बेची गयी हैं, जारी की गयी या जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.

Securitisation of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial Assets are partially or wholly derecognised when the control of the contractual rights in the securitised assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortised over the life of the securities issued or to be issued by the SPV to which the assets are sold.

10. **प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री**
Sale of financial assets to Securitisation Companies/Reconstruction Companies:

प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्संरचना कंपनियों (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री की गणना प्राप्त प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) के शोधन मूल्य और वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर की जाती है. ऐसी बिक्री अथवा वसूली पर होने वाले लाभ को लाभ-हानि लेखे में दर्ज नहीं किया जाता बल्कि उसे एससी या आरसी को अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री अथवा अन्य एसआर/पीटीसी की वसूली से होने वाली हानि/कमी की प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधानों के तौर पर अलग से दर्शाया जाता है. ऐसी बिक्री अथवा वसूली से होने वाली हानियों को पूर्ववर्ती लाभों से सृजित प्रावधानों के शेष, यदि कोई हैं, में से समायोजित किया जाता है और हानि की शेष राशि लाभ-हानि लेखे में प्रभारित की जाती है.

Sale of financial assets to Securitisation Companies (SCs)/ Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset. Gains arising on such sale or realisation are not recognised in the Profit and Loss Account but earmarked as provisions for meeting the losses/ shortfall arising on sale of other financial assets to SCs/ RCs or sale/ realisation of other SRs/ PTCs. Losses arising on such sale or realisation are first set off against balance of provisions, if any, created out of earlier gains and residual amount of losses are charged to Profit and Loss Account.

11. **विदेशी मुद्रा लेन-देन / Foreign Currency Transactions:**

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को आरंभिक अभिनिर्धारण होने पर लेन-देन की तारीख के प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित अंतिम बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.

Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognised in the profit and loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognised as income or expense in the period in which they arise.

ii. ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं, जो ट्रेडिंग के लिए नहीं की गई हैं, के शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है. अन्य वायदा विनिमय संविदाओं पर प्रीमियम या छूट को हिसाब में नहीं लिया जाता है.

Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading is amortised as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognised.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iii. ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो ट्रेडिंग के लिए नहीं हैं, का अंतिम फेडाई दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है. अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यन फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है.
Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are revalued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profit/ losses are included in the Profit and Loss Account.

iv. वायदा विनिमय संविदाओं की परिपक्वता पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ/हानियों, साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तारीख पर हिसाब में लिया जाता है.
Profit/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortised premium or discount, if any, is recognised on the date of termination.

v. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की संविदात्मक दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की अंतिम दरों पर की जाती है.
Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts is calculated at the contracted rates of exchange and in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

vi. विदेशी शाखा के परिचालनों को 'एकीकृत विदेशी परिचालनों' में वर्गीकृत किया जाता है. आस्तियों व देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित औसत तिमाही अंतिम बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है. इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
Operations of foreign branch are classified as `Integral Foreign Operations'. Assets and Liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) Income and Expenditure items are translated at quarterly average closing rates. The resultant gain or loss is recognised in the Profit and Loss Account.

12. कर्मचारी लाभ / Employee Benefits:

बैंक के मामले में / In case of Bank:

i. निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं में भुगतान, जब अंशदान देय है, को वर्ष के लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.
Payments to defined contribution schemes are charged to Profit and Loss Account of the year when contribution are due.

ii. निर्दिष्ट लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण परिलक्षित इकाई ऋण पद्धति का प्रयोग कर किया जाता है तथा बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि के लाभ-हानि लेखे में पूरा दिखाया जाता है जिसमें लाभ या हानि होती है.
For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains or losses are recognised in the Profit and Loss Account for the period in which they occur.

iii. कर्मचारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बदले अदा किये जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अबट्टाकृत राशि को उस अवधि के दौरान हिसाब में लिया जाता है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.
The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognised during the period when the employee renders the service.

आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में भविष्य निधि और ईएसआईसी में अंशदान का हिसाब उपचय के आधार पर रखा जाता है. कंपनी ने उपदान और छुट्टी नकदीकरण के भावी भुगतान के लिए एक न्यास का निर्माण किया है जिसका निधीकरण भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया जाता है. वार्षिक उपदान अंशदान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा भुगतान के प्रयोजन के लिए निर्धारण अनुसार किया जाता है. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपदान संबंधी देयताओं का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. इस प्रकार की बीमांकिक रूप से निर्धारित देयता और निधि में किए गए अंशदान के बीच के अंतर को देयता/ आस्ति, जो भी मामला हो, के रूप में दर्शाया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

In case of IDBI Intech Ltd., Contribution to Provident Fund & ESIC is accounted on accrual Basis. The Company has created a trust for future payment of Gratuities & Leave Encashment, which is funded with Life Insurance Corporation of India (LIC). Annual Gratuity contributions are made as determined by LIC for purposes of payment. The liability for gratuity at the end of each financial year is determined based on actuarial valuation. The difference between such actuarially determined liability and contributions made to the fund is recognised as a liability/ asset, as the case may be.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में
In case of IDBI Trusteeship Services Ltd.

नियोजन की शर्तों के अनुसार देय वर्तमान एवं पूर्व सेवाओं के लिए कर्मचारी लाभ, अल्पावधि एवं दीर्घावधि दोनों, के लिए देयता भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक - 15 (संशोधित 2005) 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार दर्ज की जाती है.
Liability for employee benefits, both short and long term, for present and past services which are due as per the terms of employment are recorded in accordance with Accounting Standard - 15 (Revised 2005) "Employee Benefits" issued by the "Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)".

निर्धारित अंशदान योजनाएं / Defined Contribution Schemes

क) भविष्य निधि
a) Provident Fund

कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के अधीन पंजीकृत है. तदनुसार, कंपनी सरकारी प्राधिकरणों के लिए अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निधियों/ योजनाओं में कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे न्यूनतम अंशदान के बराबर अंशदान कर रही है. पात्र कर्मचारियों को सरकारी प्राधिकरणों से लाभ मिलता है. वर्ष के लिए देय अंशदान को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.
The Company is registered under the provisions of Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and schemes framed thereunder. Accordingly, the Company is contributing, in equal share of minimum contribution as those of employees, to the funds/ schemes established under the Act to the Government Authorities. The eligible employees receive benefits from the Government Authorities. The contribution due for the year is charged to Profit and Loss Account.

ख) उपदान
b) Gratuity

कंपनी रिपोर्टिंग की तारीख यथा 31 मार्च 2015 तक बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित ''द ट्रस्टीज आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. एम्प्लॉईज ग्रुप ग्रैच्युटी स्कीम'' नाम से उपदान प्रदान करती है. कंपनी को वार्षिक प्रीमियम अंशदान का भुगतान करना होता है. वर्ष के लिए इस प्रकार प्रदत्त/ भुगतान-योग्य प्रीमियम को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है.
The Company provides for gratuity, known as "The Trustees IDBI Trusteeship Services Ltd Employee's Group Gratuity Scheme" based on actuarial valuation as on reporting date March 31, 2015. The Company is required to pay annual premium contributions. The premium so paid / payable for the year is recognised in profit and loss account.

ग) छुट्टी नकदीकरण
c) Leave Encashment

वार्षिक छुट्टी नकदीकरण की गणना भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक - 15 (संशोधित 2005) ''कर्मचारी लाभ'' के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है.
Annual Leave encashment is accounted on Actuarial valuation as per Accounting Standard - 15 (Revised 2005) "Employee Benefits" issued by the ICAI.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में
In case of IDBI Asset Management Ltd.

क) उपदानः
a) Gratuity:

उपदान देयता एक निर्धारित लाभ दायित्व है और इसका निधीयन एक उपदान निधि के माध्यम से किया जाता है जिसका प्रशासन एवं प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है. कंपनी, बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित भावी उपदान लाभ हेतु देयता की गणना परिलक्षित इकाई ऋण पद्धति के प्रयोग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में करती है.
Gratuity liability is a defined benefit obligation and is funded through a Gratuity Fund administered and managed by the Life Insurance Corporation of India. The Company accounts for liability for future gratuity benefits based on the actuarial valuation using Projected Unit Credit Method carried out as at the end of each financial year.

ख) भविष्य निधिः
b) Provident fund:

कंपनी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अंशदान करती है. अंशदान की गणना उपचय आधार पर की जाती है और इसे लाभ हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.
The Company contributes to a recognised provident fund. The contributions are accounted for on an accrual basis and are recognised as an expense in the statement of Profit and Loss.

ग) अल्पावधि कर्मचारी लाभः
c) Short term employee benefits:

अल्पावधि कर्मचारी लाभ को सेवा प्रदान किए जाने वाले वर्ष के लाभ-हानि खाते के विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.
Short term employee benefits are recognised as an expense in the statement of Profit and Loss Account of the year in which the services are rendered.

घ) प्रतिपूरित अनुपस्थितिः
d) Compensated absences:

कंपनी कुछ नियमों के अधीन विशेष छुट्टी नकदीकरण की व्यवस्था प्रदान करती है. कर्मचारियों को भावी नकदीकरण और छुट्टी लेने के लिए एक निर्धारित सीमा तक छुट्टी संचय करने का अधिकार है. यह देयता प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किए जाने वाले स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र तारीख में अप्रयुक्त छुट्टी के दिनों की संख्या के आधार पर प्रदान की जाती है.
The company provides for Privilege Leave Encashment subject to certain rules. The employees are entitled to accumulate leave subject to certain limits for future encashment as well as availment. The liability is provided based on the number of days of unutilised leave at each Balance Sheet date on the basis of an independent actuarial valuation carried out as at the end of each financial year.

जीवन बीमा संयुक्त उद्यम - आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में
In case of Life Insurance Joint Venture-IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.

उपदान के प्रति देयता को निर्धारित लाभ योजना के रूप में माना जाता है और इसे तुलन पत्र तारीख को ''परिलक्षित इकाई ऋण पद्धति'' पर स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दर्शाया जाता है.
Liability towards Gratuity is considered as the defined benefit plan and is recognised on the basis of independent actuarial valuation on “Projected Unit Credit Method” at Balance Sheet date.

नकदीकरण योग्य अर्जित छुट्टी को दीर्घावधि लाभ के रूप में माना जाता है और इसे तुलन पत्र तारीख को ''परिलक्षित इकाई ऋण पद्धति'' पर स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है.
Earned Leave which is encashable is considered as long term benefit and is provided on the basis of independent actuarial valuation on “Project Unit Credit Method” at Balance Sheet date.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

सांविधिक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, समूह मीयादी बीमा और कर्मचारी श्रम कल्याण निधि में अंशदान के रूप में लाभ को निर्धारित अंशदान योजना के रूप में माना जाता है और इसे कर्मचारियों द्वारा सेवा प्रदान किए जाने की अवधि के लिए प्रदत्त अथवा भुगतान-योग्य राशि के आधार पर दर्शाया जाता है.
The benefit in the form of contribution to the Statutory Provident Fund, Employee State Insurance, Group Term Insurance and Employee Labour Welfare Fund are considered as the defined contribution plans and are recognised on the basis of the amount paid or payable for the period during which services are rendered by the employees.

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में
In case of IDBI Capital Market Services Ltd.

कंपनी द्वारा सेवानिवृत्ति लाभ के कारण भविष्य निधि और अधिवर्षिता निधि के रूप में किए गए अंशदान को राजस्व में प्रभारित किया जाता है. कंपनी की उपदान और छुट्टी नकदीकरण संबंधी देयता को भारतीय जीवन बीमा निगम की योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है और भारतीय जीवन बीमा निगम को वार्षिक अंशदान का भुगतान किया जाता है.
The Company's contribution on account of retirement benefits in the form of Provident Fund and Superannuation Fund is charged to revenue. The gratuity and leave encashment liability of the company are covered under the scheme with Life Insurance Corporation of India and the yearly contribution is paid to LIC.

भविष्य निधि एक निर्धारित अंशदान योजना है और संबंधित निधि में अंशदान के बकाया होने पर अंशदान को वर्ष के लाभ-हानि लेखें में प्रभारित किया जाता है.
Provident Fund is a defined contribution scheme and the contributions are charged to the Profit & Loss Account of the year when the contributions to the respective funds are due.

कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम के पास एक अनुमोदित समूह उपदान पॉलिसी में अंशदान करती है. उपदान संबंधी देयता निर्धारित लाभ दायित्व है और इसे परिलक्षित इकाई ऋण पद्धति के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में लेखा मानक 15 (संशोधित) के अनुसार किए जाने वाले बीमांकिक मूल्यांकान के आधार पर दर्शाया जाता है.
The Company contributes to an approved Group Gratuity Policy with the LIC of India. Gratuity liability are defined benefit obligations and are provided for on the basis of an actuarial valuation as per Accounting Standard 15 (Revised) made at the end of each financial year based on the projected unit credit method.

कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह छुट्टी नकदीकरण पॉलिसी में अंशदान करती है. अल्पावधि क्षतिपूरित अनुपस्थितियों का अनुमानों के आधार पर प्रावधान किया जाता है.
The Company contributes to the Group Leave Encashment Policy with the LIC of India. Short-term compensated absences are provided for based on estimates.

बीमांकिक लाभों/ हानियों को तुरंत लाभ और हानि खाते में डाल दिया जाता है और इन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है.
Actuarial gains/losses are immediately taken to the profit and loss account and are not deferred.

13. खंड रिपोर्टिंग / Segment Reporting

समूह चार खंडों यथा होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी सेवाएं व अन्य बैंकिंग परिचालनों में कार्य करता है. इन खंडों का निर्धारण लेखा मानक 17 के अनुसार उत्पादों व सेवाओं के स्वरूप व जोखिम प्रोफाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा समूह की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर किया गया है. समूह ने कारोबार खंड को प्रमुख खंड के रूप में प्रकट किया है. समूह प्राथमिक रूप से भारत में परिचालन करता है अतः समूह को मुख्यतः देशी खंड में ही परिचालन करनेवाला माना जाता है तथा कोई भौगोलिक खंड रिपोर्ट योग्य नहीं हैं.
The Group operates in four segments wholesale banking, retail banking, treasury services and other banking operations. These segments have been identified in line with Accounting Standard 17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Group. The Group has disclosed business segment as the primary segment. The Group primarily operates in India, hence the group has considered operating predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

खंड राजस्व, परिणाम, आस्तियों व देयताओं में प्रबंधन द्वारा प्रत्येक खंड हेतु आबंटित व अनुमानित किए अनुसार अभिनिर्धारित राशि शामिल है. जिन आस्तियों व देयताओं को अभिनिर्धारणीय खंडों में आबंटित नहीं किया जा सकता है उन्हें गैर-आबंटित आस्तियों व देयताओं के रूप में पुनर्समूहित किया गया है.
Segment Revenue, results, assets and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities.

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में
In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.

आईसीएआई द्वारा जारी ''खंडवार रिपोर्टिंग'' पर लेखा मानक 17 के साथ पठित आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियमन 2002 ('विनियमन') के अधीन निर्धारित प्राथमिक खंडों के आधार पर कंपनी ने खंडवार सूचना को शेयरधारक एवं पॉलिसीधारक - सहभागिता (जीवन), गैर सहभागिता (जीवन, पेंशन, स्वास्थ्य एवं समूह), परिवर्तनीय गैर-संबद्ध (पेंशन एवं समूह) और संबद्ध (जीवन एवं पेंशन) कारोबार के रूप में वर्गीकृत और प्रकटन किया है.
Based on the primary segments identified under IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations 2002 ('the Regulations') read with Accounting Standard 17 on "Segmental Reporting" issued by ICAI, the Company has classified and disclosed segmental information into Shareholder & Policyholder - Participating (Life), Non Participating (Life, Pension, Health & Group), Variable Non-Linked (Pension & Group) and Linked (Life & Pension) businesses.

चूंकि कंपनी का कारोबार परिचालन भारत में प्रभावी है और सभी पॉलिसियां भारत में ही लिखित हैं अतः रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.
There are no reportable geographical segments, since the business operations of the Company are given effect to in India and all the policies are written in India only.

आबंटन कार्यप्रणाली / Allocation methodology

राजस्व और व्यय, आस्तियां और देयताएं जो प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य और संबंधित खंडों के लिए निर्धारण योग्य हैं उन्हें उन संबंधित खंडों के लिए सीधे आबंटित किया गया है.
Revenues and expenses, assets and liabilities which are directly attributable and identifiable to the respective segments, are directly allocated for in that respective segment.

बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्ययों को निम्नलिखित पद्धति से विशिष्ट कारोबार खंडों को आबंटित किया गया है जो नियमित आधार पर लागू है.
Operating expenses relating to insurance business are allocated to specific business segments in the following manner, which is applied on a consistent basis.

क. खंड में प्रत्यक्ष अभिनिर्धारण योग्य व्ययों का आबंटन वास्तविक आधार पर किया जाता है.
a. Expenses that are directly identifiable to the segment are allocated on actual basis.

ख. अन्य व्यय (मूल्यह्रास और परिशोधन सहित), जो कारोबार खंड में प्रत्यक्ष अभिनिर्धारण योग्य नहीं हैं, का आबंटन निम्न में से किसी एक आधार पर किया जाता है.
b. Other expenses (including depreciation and amortisation), that are not directly identifiable to a business segment, are allocated on either of the following bases:
- जारी बीमा पॉलिसियों / प्रमाणपत्रों की संख्या / Number of policies/ certificate of insurance issued
- भारित वार्षिकीकृत प्रीमियम / Weighted Annualized Premium
- निधि आकार/ निधियों की संख्या / Fund Size/ Number of funds
- प्रीमियम आय / Premium Income
- प्रवर्तमान पॉलिसियों की संख्या / Number of policies in force
- दावों की संख्या / Number of claims

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आबंटन की पद्धति का निर्धारण व्यय की प्रकृति और विभिन्न कारोबारी खंडों से इसके तार्किक सह-संबंधों के आधार पर किया गया है
The method of allocation has been decided based on the nature of the expense and its logical co-relation with various business segments.

14. कराधान / Taxation

i. कर व्यय में चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं.
Tax expense comprises of current and deferred tax.

चालू कर आयकर की वह निर्धारित राशि है जो किसी अवधि के लिए करयोग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसूलीयोग्य) है.
Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period.

ii. वर्ष के बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को उन कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है जो तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये हों. समय अंतरालों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक हिसाब में लिया जाता है जितनी उचित निश्चितता हो कि इनकी भविष्य में वसूली हो जाएगी.
Deferred Tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the Balance Sheet date. Deferred Tax assets arising from timing differences are recognised to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

iii. अनवशोषित हानियों के मामले में आस्थगित कर आस्तियां तभी मानी जाती हैं जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसूल की जा सकती हैं.
Deferred Tax assets in case of unabsorbed losses are recognised only if there is virtual certainty that such Deferred Tax asset can be realized against future taxable profits.

iv. विभागीय अपीलों सहित जिन विवादित करों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, उन्हें आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है.
Disputed Taxes not provided for including departmental appeals are included under Contingent Liabilities.

आईडीबीआई इंटेक के मामले में, न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) निकाला जाता है और कर कानूनों के अनुसार इसका प्रावधान किया जाता है, जो भविष्य की आयकर देयताओं के समायोजन के रूप में भविष्य में आर्थिक लाभ प्रदान करता है. युक्तियुक्त प्रमाण होने पर कि कंपनी भविष्य में सामान्य आयकर का भुगतान करेगी, इसे आस्ति के रूप में माना जाता है. तदनुसार यह संभव होने पर कि इसके साथ सम्बद्ध भविष्यगत आर्थिक लाभ कंपनी को जाएगा और आस्ति का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता है तो मैट को तुलन पत्र में आस्ति के रूप में निर्धारण किया जाता है.
In case of IDBI Intech, Minimum Alternative Tax (MAT) is worked out and provided in accordance to the tax laws, which gives future economic benefit in the form of adjustment of future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the Company will pay normal income tax in future. Accordingly, MAT is recognised as an asset in the balance sheet when it is probable that the future economic benefit associated with it will flow to the Company and the asset can be measured reliably.

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में / In case of IDBI Capital Market Services Ltd.,

युक्तियुक्त साक्ष्य के आधार पर कि कंपनी सांविधिक समय सीमा के भीतर सामान्य आयकर का भुगतान करेगी और इसकी प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को समीक्षा की जाती है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेएए के प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के संबंध में कर जमा का निर्धारण किया जाता है.
Tax credit is recognised in respect of Minimum Alternate Tax (MAT) as per the provisions of Section 115JAA of the Income Tax Act, 1961 based on convincing evidence that the Company will pay normal income tax within the statutory time frame and is reviewed at each Balance Sheet date.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

जीवन बीमा संयुक्त उद्यम - आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में,
In case of Life Insurance Joint Venture-IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.

जीवन बीमा सेवाओं पर सेवा कर की देयता को निविष्टि सेवाओं पर किए गए कर भुगतान से उपलब्ध सेवा कर जमाओं में से समंजन किया जाता है. अप्रयुक्त जमा, यदि कोई है, को समंजन के लिए आगे ले जाया जाता है.

Service Tax liability on life insurance service is set-off against the service tax credits available from tax paid on input services. Unutilised credits, if any, are carried forward for set-off.

15. प्रारम्भिक खर्च / Preliminary Expenses

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में, प्रारंभिक खर्चों का परिशोधन दस वर्षों की अवधि में किया जाना है. इस प्रकार से प्रारंभिक खर्चों (जो बट्टे खाते नहीं डाले गए या समायोजित नहीं किए गए खर्च की सीमा तक) को आईआरडीए के प्रावधानों के अंतर्गत यथा उल्लिखित शेयर पूंजी की अनुसूची में समायोजित किया जाता है.

In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd., Preliminary expenses are amortised over a period of ten years. Such preliminary expenses (to the extent not written off or adjusted) are adjusted in the schedule of Share Capital as prescribed under the IRDA regulations.

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट सर्विसेज लि. के मामले में, विपणन एवं नए निधि प्रस्तावों के वितरण से उपचित खर्चों का परिशोधन निरंतर निधियों के मामले में 36 महीने की अवधि में और नियत कालिक निधियों की अवधि पर किया जाता है.

In case of IDBI Asset Management Ltd., Expenses incurred towards marketing and distribution of new fund offers are amortised over a period of 36 months in case of open ended funds and over the tenure of the close ended funds.

16. प्रति शेयर आय / Earnings Per Share

i. समूह लेखा मानक 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर आय की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल आय की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.

The Group reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with Accounting Standard 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

ii. प्रति शेयर न्यूनीकृत आय उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाती है जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता हैं. प्रति शेयर न्यूनीकृत आय की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है.

Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year end.

17. आस्तियों की अनर्जकता / Impairment of Assets

जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन ऐसे संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव लागत वसूलीयोग्य नहीं भी हो सकती है तो अचल आस्तियों की अनर्जकता की समीक्षा की जाती है. धारित तथा उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता का आकलन अनुमानित चालू वसूली योग्य मूल्य की तुलना आस्ति की रखाव राशि से करके किया जाता है. यदि ऐसी आस्तियां अनर्जक मानी गई हों तो निर्धारित होने वाली अनर्जकता को उस आस्ति की दर्ज लागत से उसके चालू अनुमानित वसूली योग्य मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है.

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realisable value. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the estimated current realisable value of the asset.

आईडीबीआई इंटेक और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. के मामले में, आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर अनर्जकता का कोई संकेत होने पर प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आस्ति की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है. आस्तियों की रखाव राशि इसके वसूलीयोग्य मूल्य से अधिक हो जाने पर आस्ति को अनर्जक माना जाता है. अनर्जक हानि, यदि कोई है, को आस्ति के अनर्जक निर्धारण होने वाले वर्ष में लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. जब ऐसा संकेत मिलता है कि अनर्जक हानियां अब समाप्त या न्यून हो गईं हैं तो पूर्व वर्षों में दर्शाई गई अनर्जक हानि का प्रतिवर्तन रिकॉर्ड किया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

In case of IDBI Intech and IDBI Trusteeship Services Ltd., the carrying amounts of assets are reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An asset is treated as impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value. An impairment loss, if any, is charged to Profit and Loss Account in the year in which an asset is identified as impaired. Reversal of impairment losses recognised in prior years is recorded when there is an indication that the impairment losses no longer exist or have decreased.

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में, व्यय की जाने वाली अनर्जक हानि का निर्धारण उपर्युक्त निर्धारण के अनुसार आस्ति के उच्चतर निवल बिक्री मूल्य या वर्तमान मूल्य पर रखाव राशि के आधिक्य की तरह किया जाता है.
In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd., the impairment loss to be expensed is determined as the excess of the carrying amount over the higher of the asset's net sales price or present value as determined above.

18. पूर्व अवधि समायोजन / Prior period adjustments:

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में, पूर्व वर्षों की मदों, वर्ष के दौरान समायोजन / उद्भूत / निपटाए गए / नोट किए गए दावे, यदि मूर्त प्रकृति के हों तो पूर्व अवधि के व्ययों / आय से अथवा यदि मूर्त प्रकृति के न हों तो संबन्धित लेखा शीर्षों से नामे / जमा किए जाते हैं.
In case of IDBI Trusteeship Services Ltd., earlier year items, adjustment / claims, arisen/ settled/ noted during the year, if material in nature, are debited/ credited to prior period expenses/ income or respective heads of account, if not material in nature.

19. नकदी प्रवाह विवरण / Cash Flow Statements:

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में, नकदी प्रवाह विवरण, नकदी प्रवाह विवरण पर लेखा मानक में (लेखा मानक 3) में वर्णित 'अप्रत्यक्ष पद्धति' के अनुसार तैयार किए जाते है. कंपनी के नियमित राजस्व निर्माण, वित्तपोषण और निवेश कार्यकलापों से होने वाले नकदी प्रवाह को अलग-अलग किया जाता है.
In case of IDBI Trusteeship Services Ltd., Cash Flow Statement is prepared in accordance with 'Indirect Method' as explained in the Accounting Standard on Cash Flow Statement (Accounting Standard 3). The Cash flows from regular revenue generating, financing and investing activity of the Company are segregated.

नकदी प्रवाह विवरण में दिखाई गई नकदी और नकदी समतुल्य में बैंकों के पास नकदी और मांग जमा को लिया जाता है.
Cash and Cash equivalents presented in the Cash Flow Statement consist of cash on hand and demand deposits with banks.

20. पट्टे / Leases:

आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में, पट्टे की व्यवस्थाएं, जहां किसी आस्ति के स्वामित्व के बारे में जोखिम और प्रासंगिक प्रतिफल वास्तव में पट्टाकर्ता में निहित हैं, का निर्धारण परिचालनगत पट्टे के रूप में किया जाता है. परिचालनगत पट्टों के अंतर्गत पट्टे किराए को सीधी पंक्ति आधार पर लाभ-हानि खाते में निर्धारित किया जाता है.
In case of IDBI Intech Ltd., lease arrangements where the risks and rewards incidental to ownership of an asset substantially vest with the lessor are recognised as operating leases. Lease rentals under operating leases are recognised in the statement of Profit and Loss on Straight-Line basis.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में, परिचालनगत पट्टे के अंतर्गत पट्टा किराया, पट्टा करार की शर्तों के अनुसार लाभ-हानि लेखे में व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है.
In case of IDBI Trusteeship Services Ltd., lease payment under an operating lease is recognised as expenses in the statement of Profit and Loss Account as per terms of lease agreement.

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में, वे पट्टे जहां पट्टाकर्ता प्रभावी रूप से पट्टे की अवधि में पर्याप्त रूप से स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ अपने पास रखता है, को परिचालनगत पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. परिचालनगत पट्टा किरायों को, पट्टा अवधि के दौरान, जैसा लागू हो, व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है.
In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd., leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership over the leased term are classified as operating leases. Operating lease rentals are recognised as an expense, as applicable, over the lease period.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

21. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i. लेखा मानक 29 के अनुरूप प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के मामले में, समूह द्वारा कोई प्रावधान तभी हिसाब में लिया जाता है जब समूह यह अभिनिर्धारित करता है कि पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व बनता हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों सहित संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके लिए दायित्व संबंधी विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

In conformity with Accounting Standard 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Group recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

ii. प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता है और उनका निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.

Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date.

iii. किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.

Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognised only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

iv. आकस्मिक आस्तियों को हिसाब में नहीं लिया जाता है. / Contingent Assets are not recognised.

v. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में कंपनी, दावों (बीमा दावों के अलावा), वाद, निर्धारण, अर्थदंडों, दंडों आदि के लिए प्रावधान सृजित करती है जब पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त देयता के निपटान के लिए कुछ राशियों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है. ऐसी आकस्मिक देयताओं के लिए प्रकटन किया जाता है जहाँ संभावित देयता या वर्तमान देयता के लिए राशियों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो सकती है, किन्तु संभवतः नहीं होगी. ऐसी देयताएं जहाँ संभावित देयता या वर्तमान देयता के संबंध में राशियों के बहिर्वाह होने की संभावना बहुत कम है, वहां कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है.

In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd., the Company creates a provision for claims (other than insurance claims), litigation, assessment, fines, penalties, etc. when there is present obligation as a result of a past event that probably requires an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

vi. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में, गणना में पर्याप्त मात्रा में अनुमान सहित प्रावधानों का निर्धारण किया जाता है जब पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त देयता के निपटान के लिए राशियों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी. आकस्मिक देयताओं का निर्धारण नहीं किया जाता है बल्कि उनका नोट में प्रकटन किया जाता है. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण किया जाता है और न ही प्रकटन किया जाता है.

In case of IDBI Trusteeship Services Ltd., provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognised when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation. Contingent liabilities are not recognised but are disclosed in the notes. Contingent Assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट सर्विसेज़ लि. के मामले में प्रत्येक तुलन पत्र में प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और चालू सर्वश्रेष्ठ अनुमान को दर्शाने के लिए इसका समायोजन किया जाता है. यदि देयता के निपटान के लिए राशियों के बहिर्वाह की आवश्यकता होने की कोई संभावना नहीं रह गई हो तो प्रावधान को रिवर्स कर दिया जाता है.

In case of IDBI Asset Management Ltd., provisions are reviewed at each Balance Sheet and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that the outflow of resources would be required to settle the obligation, the provision is reversed.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची - 18 समेकित लेखा टिप्पणियां
SCHEDULE 18 - NOTES TO CONSOLIDATED ACCOUNTS

1. अचल आस्तियां (एस-10) / FIXED ASSETS (AS-10)

i. परिसर में ₹1339 70 11 हजार (₹1339 70 11 हजार) की लीज पर ली गई भूमि (पुनर्मूल्यांकित) शामिल है जिसका वर्ष 2006-07 में पुनर्मूल्यांकन किया गया.
Premises include Leasehold Land (revalued) of ₹ 1339 70 11 thousand (₹ 1339 70 11 thousand) which was revalued in the year 2006-07.

ii. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और आवासीय / कार्यालय भवन का पुनर्मूल्यांकन किया है. पुनर्मूल्यांकन के कारण निवल मूल्य वृद्धि ₹ 2063 91 00 हजार हुई है जो 31 मार्च 2007 को ₹ 529 02 00 हजार के निवल बही मूल्य और ₹ 2592 93 00 हजार की पुनर्मूल्यांकित राशि का अंतर है, जिसे पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा कर दिया गया है. इस पर मूल्यह्रास समायोजित करने के बाद को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में शेष ₹ 1662 85 04 हज़ार (₹ 1712 83 66 हज़ार) है.
The Bank has revalued its Freehold Land & Residential / Office building based on valuations made by independent valuers during the year 2006-07. The net appreciation of ₹ 2063 91 00 thousand arising on revaluation, being the difference between the net book value of ₹ 529 02 00 thousand and revalued amount of ₹ 2592 93 00 thousand as on March 31, 2007, was credited to Revaluation Reserve. The balance in revaluation reserve after adjusting depreciation on same is ₹ 1662 85 04 thousand (₹ 1712 83 66 thousand).

2. मूल्यह्रास / DEPRECIATION

आस्ति / Asset	बैंक द्वारा अनुमानित आस्तियों का जीवनकाल (वर्षों में) Lives of assets estimated by Bank (in Years)
परिसर / Premises	61.35
फर्नीचर व फिक्सचर / Furniture and fixtures	12
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी Electrical installation and machinery	12
मोटर वाहन / Motor vehicles	5
कंप्यूटर (आंतरिक सॉफ्टवेयर सहित) Computers (including integral software)	3
स्वचालित टेलर मशीन / Automated Teller Machines	8
वीसैट उपकरण / VSAT equipment	10
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं Consumer durables with employees	5

अचल आस्तियों की उपर्युक्त उपयोगी वस्तुएं कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत निर्दिष्ट सूची से भिन्न हैं. प्रबंधन का विश्वास है कि किए गए आंतरिक मूल्यांकन तथा तकनीकी आकलन के आधार पर वर्तमान में मूल्यह्रास के प्रयोजन के लिए विचारार्थ अचल आस्तियों के उपयोगी जीवनकाल, अवशिष्ट मूल्य के अनुमान और अचल आस्तियों के उपयोगी जीवनकाल को समुचित रूप से दर्शाता है.
The above useful lives of Fixed Assets are different than those specified under schedule II of Companies Act 2013. The management believes that based on internal assessment and technical evaluation carried out, useful life of Fixed Assets currently considered for the purpose of depreciation fairly reflect its estimate of the useful lives and residual values of Fixed Assets.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. ने अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के प्रावधान के लिए 1 अप्रैल 2014 से अपनी नीति में संशोधन किया है. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के अनुसार सिफारिश किए गए उपयोगी जीवनकाल के अनुरूप अचल आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में परिवर्तन किया है. परिणामस्वरूप, उन आस्तियों के संबंध में सामान्य आरक्षित निधि के प्रारंभिक शेष पर ₹ 36.39 लाख (₹ 15.71 लाख के आस्थगित कर का निवल) का प्रभार लगाया है, जिनका उपयोगी जीवनकाल 1 अप्रैल 2014 को शून्य है. शेष मूर्त आस्तियों के संबंध में कंपनी ने पूर्वव्यापी प्रभाव से मूल्यह्रास का प्रावधान करने की अपनी पद्धति को कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर 'अवलिखित मूल्य पद्धति' के स्थान पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट किए अनुसार उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर 'सीधी रेखा पद्धति' में बदल दिया है. तदनुसार, कंपनी ने पहले के वर्षों में प्रभारित अतिरिक्त मूल्यह्रास के कारण लाभ-हानि विवरण में ₹ 243.86 लाख की राशि स्वीकृत की है जिसे लाभ-हानि विवरण में 'असाधारण मद' के रूप में दर्शाया गया है. इस कारण वर्ष के दौरान ₹ 68.12 लाख की सीमा तक उच्चतर मूल्यह्रास प्रभार दिखाई दे रहा है और इस सीमा तक लाभ कम हैं.
IDBI Capital Market Services Ltd., has revised its policy for providing depreciation on Fixed Assets effective from April 1, 2014. The company has changed the estimated useful life of Fixed Assets in line with the recommended useful life as per Part C of Schedule II to the Companies Act, 2013. Consequently, an amount of ₹ 36.69 lakh (net of deferred tax of ₹ 15.71 lakh) has been charged to the opening balance of General Reserves in respect of assets whose useful remaining life is Nil as at April 1, 2014. In respect of remaining tangible assets, the Company has with retrospective effect changed its method of providing depreciation from the 'Written Down Value' method, at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 to 'Straight Line' method, over their estimated useful life as specified in Schedule II to Companies Act 2013. Accordingly, company has recognised an amount of ₹ 243.86 lakh in Profit & Loss Statement being additional depreciation charged in the earlier years which has been shown as an 'Exceptional Item' in the statement of Profit and Loss. This has resulted in higher depreciation charge during the year to the extent of ₹ 68.12 lakh and the profit is lower to this extent.

3. कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित) / EMPLOYEE BENEFITS (AS-15) (Revised)

i. निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं / Defined Contribution Schemes

बैंक के उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्होने पेंशन का विकल्प दिया है, जो 31 मार्च 2008 से पहले बैंक में नियुक्त हुए हैं, उन्हें भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत कवर किया गया है. बैंक ने एक निर्दिष्ट अंशदान तय किया है जो कि मूल वेतन के स्थायी प्रतिशत के रूप में पीएफएस में जाता है. भविष्य निधि योजना को ''आईडीबीआई बैंक कर्मचारियों की भविष्य निधि (निधि) को प्रशासकों की समिति'' द्वारा संचालित किया जाता है. आईडीबीआई होम फायनेन्स लि. (आईएचएफएल) और आईडीबीआई गिल्टस् लि. (आईजीएल) के कर्मचारियों के संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को मई 2011 तक का भविष्य निधि अंशदान कर दिया गया है और उसके बाद उपरोक्त निधि में अंशदान किया गया है. वर्ष के दौरान पीएफएस में ₹ 4 99 43 हजार (₹ 5 03 22 हजार) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि खाते में डाला गया.
The Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is administered by "The Committee of Administrators of IDBI Bank Employees' Provident Fund (Fund)". In respect of employees of IDBI Home Finance Limited (IHFL) and IDBI Gilts Limited (IGL), provident fund contributions were made to Regional Provident Fund Commissioner up to May 2011 and thereafter contributions have been made to the aforementioned Fund. During the year, ₹ 4 99 43 thousand (₹ 5 03 22 thousand) has been contributed to PFS and charged to Profit and Loss Account.

ऐसे कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 2008 के बाद नियुक्त हुए हैं, उन्हे निर्दिष्ट अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) के तहत कवर किया गया है जिसमें बैंक वेतन और महंगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप मे अंशदान करता है. वर्ष के दौरान डीसीपीएस में ₹ 44 23 39 हजार (₹ 35 05 85 हजार) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि खाते में डाला गया.
The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the year, ₹ 44 23 39 thousand (₹ 35 05 85 thousand) has been contributed to DCPS and charged to Profit and Loss Account.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में कंपनी द्वारा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 50 48 हजार (₹ 62 93 हजार) भविष्य निधि अंशदान के लिए लाभ-हानि खाते में डाले गए.
In case of IDBI Capital Market Services Ltd., the company has recognised ₹ 50 48 thousand (₹ 62 93 thousand) for the year ended March 31, 2015 for the Provident Fund Contributions in the Profit and Loss Account.

आईडीबीआई असेट मेनेजमेंट लि. के मामले में कंपनी द्वारा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 66 33 हजार (₹ 61 34 हजार) भविष्य निधि अंशदान के लिए लाभ-हानि खाते में डाले गए.
In case of IDBI Asset Management Ltd., the company has recognised ₹ 66 33 thousand (₹ 61 34 thousand) for the year ended March 31, 2015 for the Provident Fund Contributions in the Profit and Loss Account.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप लि. के मामले में कंपनी द्वारा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 8 02 हजार (₹ 6 82 हजार) भविष्य निधि अंशदान के लिए लाभ-हानि खाते में डाले गए.
In case of IDBI Trusteeship Services Ltd., the company has recognised ₹ 8 02 thousand (₹ 6 82 thousand) for the year ended March 31, 2015 for the Provident Fund Contributions in the Profit and Loss Account.

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में कंपनी द्वारा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सांविधिक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, ग्रुप टर्म बीमा और कर्मचारी श्रम कल्याण निधि में अंशदान के लिए ₹ 2 28 97 हजार (₹ 2 27 41 हजार) लाभ-हानि खाते में डाले गए.
In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd., the company has recognised ₹ 2 28 97 thousand (₹ 2 27 41 thousand) for the year ended March 31. 2015 for the contribution towards statutory Provident Fund, Employee State Insurance, Group Term insurance & Employee Labour Welfare Fund in the Profit and Loss Account.

ii. **निर्दिष्ट लाभ योजनाएं / Defined Benefit Schemes**

(क) बैंक द्वारा 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट' में कर्मचारियों के ग्रेच्युटी दायित्व के लिए अंशदान किया जाता है.
a. The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'.

(ख) बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के लिए भी पात्र हैं जिसे 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा चलाया जाता है.
b. Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.

(ग) आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. के मामले में कंपनी की एक निर्दिष्ट लाभ ग्रेच्युटी योजना है. प्रत्येक कर्मचारी जिसने सेवा में पांच वर्ष या इससे अधिक पूरे कर लिए हैं, उसे जाते समय सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (अंतिम आहरित वेतन) की ग्रेच्युटी मिलती है जो कि अधिकतम ₹10 00 000 है.
c. In case of IDBI Capital Market Services Ltd., the Company has a defined benefit gratuity plan. Every employee who has completed five years or more of service gets a gratuity on departure at 15 days salary (last drawn salary) for each completed year of service subject to a maximum of ₹ 10 00 000.

(घ) आईडीबीआई असेट मेनेजमेंट लि. के मामले में ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अनुसार कंपनी ने ग्रेच्युटी का प्रावधान किया है जो सभी कर्मचारियों को कवर करने वाली एक निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति लाभ योजना है. इसमें संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी में उसके नियोजन के वर्षों के आधार पर उसे सेवानिवृत्ति या सेवा छोड़ने पर एकमुश्त राशि दी जाती है.
d. In case of IDBI Asset Management Ltd., in accordance with Payment of Gratuity Act, the Company provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering all employees. The plan provides a lump sum payment to vested employees at retirement or termination of employment based on the respective employee's salary and the years of employment with the Company.

(ङ) आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में कंपनी ने ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के आगामी भुगतान के लिए एक ट्रस्ट बनाया है, जिसका निधियन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया जाता है. भुगतान के प्रयोजन के लिए एलआईसी द्वारा

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

निर्धारित किए अनुसार वार्षिक ग्रेच्युटी अंशदान किए जाते हैं. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में ग्रेच्युटी के दायित्व का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. ऐसी निर्धारित बीमांकिक देयता और निधि में अंशदान के अंतर को मामले के अनुसार देयता/ आस्ति माना जाता है.

e. In case of IDBI Intech Ltd., the company has created a trust for future payment of Gratuities & Leave Encashment, which is funded with Life Insurance Corporation of India (LIC). Annual Gratuity contributions are made as determined by LIC for purposes of payment. The liability for gratuity at the end of each financial year is determined based on actuarial valuation. The difference between such actuarially determined liability and contributions made to the fund is recognised as a liability/asset, as the case may be.

(च) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में कंपनी ने ग्रेच्युटी दायित्वों के लिए एक अलग ट्रस्ट बनाया है. ग्रेच्युटी ट्रस्ट के अनुमोदन के लिए आयकर विभाग के पास किया गया आवेदन लंबित है. ट्रस्ट ने एलआईसी से ग्रुप ग्रेच्युटी पॉलिसी ली है और बीमांकिक आधार पर एलआईसी द्वारा निर्धारित किए गए वार्षिक अंशदानों का भुगतान कर उन्हें लाभ-हानि खाते में डाला जाता है. वर्ष के अंत में एलआईसी के पास हुआ संचय कंपनी की योजना आस्तियों और ग्रेच्युटी देयताओं के निधिकृत भाग को दर्शाते हैं. चूंकि एलआईसी द्वारा बीमांकिक गणनाओं में अपेक्षाकृत कम दरों पर वेतन में बढ़ोत्तरी (4%) और आहरण (1% से 3%) का अनुमान लगाया जाता है, कंपनी ने सरकार द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र बीमा मूल्यांकक से अधिक वास्तविक मान्यताओं पर पिछली और वर्तमान सेवा के भावी के दायित्वों के वर्तमान मूल्य के मूल्यांकन हेतु एक प्रमाणपत्र प्राप्त किया है. स्वतंत्र मूल्यांकक (ग्रेच्युटी दायित्व के गैर निधिकृत भाग के प्रतिनिधि) द्वारा एलआईसी योजना में निधि संचयन और वर्ष के अंत में देयताओं की राशि में अंतर का निर्धारण करना मान्यताप्राप्त है और इसे लाभ- हानि खाते में देयता के समायोजित प्रभार के रूप में दिखाया जाता है.

f. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd., the company has created a separate Trust for Gratuity obligations. The Application filed for approval of the Gratuity Trust with the Income Tax Department is pending. The Trust has taken Group Gratuity Policy from LIC and the annual contributions determined by LIC on actuarial basis are paid and charged to Profit & Loss Account. The accumulations with LIC at year end represent Plan Assets and Funded Part of Gratuity Obligations of the company. On account of LIC assuming lower rates of salary escalations (4%) and withdrawal (1% to 3%) in actuarial computations, the company has obtained, from Independent Government Approved Actuary Valuer, a certificate for valuation of present value of future obligation of past and current service on more realistic assumptions. The difference between fund accumulation in LIC Scheme and amount determined at year end obligations by Independent Valuer (representing Non-Funded Part of Gratuity Obligation) is recognised and presented as liability in accounts by appropriate charge to Profit & Loss Account.

(छ) आईडीबीआई फेडरल लाइफ इश्योरेंस कंपनी के मामले में ऐसे पात्र कर्मचारियों को जिन्होने 6 महीने या उससे अधिक की नियमित सेवा पूरी की हो, सेवा छोड़ते समय कर्मचारी ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर से ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है.

g. In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd., the Gratuity is payable on separation as per the Employees Gratuity Act @ 15 days pay for each completed years of service to eligible employees who have rendered continuous service of 6 months or more.

(ज) इन निर्दिष्ट लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागतों की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा परिलक्षित इकाई ऋण पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है.

h. The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each Balance Sheet date.

निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और 31 मार्च 2015 को समूह के वित्तीय विवरण में दर्शायी गईं राशियों की स्थिति प्रस्तुत करती है जो लेखा मानक 15 (संशोधित) के अनुसार है.

The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognised in the Group's financial statements as at March 31, 2015 which is as per Accounting Standard 15(R).

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2015 As at March 31, 2015		यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014	
क) a)	**लाभ दायित्वों में परिवर्तन Change in benefit obligations**				
	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ संबंधी दायित्व Projected benefit obligation, beginning of the year	**1414.34**	**403.59**	**1329.56**	**408.30**
	ब्याज लागत Interest cost	131.11	37.47	109.69	33.63
	वर्तमान सेवा लागत Current Service cost	35.02	23.93	36.11	21.50
	वर्ष के दौरन सीमा में वृद्धि के कारण उपगत पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	-	-	-	-
	अंतरित देयता आगम / (निर्गम) Liability Transferred In/ (Out)	-	-	-	-
	प्रदत्त लाभ Benefits paid	(71.85)	(40.46)	(60.36)	(28.98)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (gain)/ loss	230.62	98.00	(0.66)	(30.86)
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ / दायित्व Projected benefit/ obligation, end of the year	**1739.24**	**522.53**	**1414.34**	**403.59**
ख) b)	**योजना आस्तियों में परिवर्तन Change in plan assets:**				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year	1445.74	417.27	1155.76	407.61
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected return on plan assets	125.78	36.31	98.24	35.45
	नियोक्ता का अंशदान Employer's contributions	98.62	18.45	241.29	1.20
	अन्य कंपनी से अंतरण Transfer from other company	-	-	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2015 As at March 31, 2015		यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014	
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(71.85)	(40.46)	(60.36)	(28.98)
	बीमांकिक लाभ / (हानि) Actuarial gain / (loss)	24.47	(1.17)	10.81	1.97
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets at the end of the year	**1622.76**	**430.39**	**1445.74**	**417.25**
ग) c)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य का समाधान और योजना आस्तियों का उचित मूल्य Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets**				
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at end of the year	1739.24	522.53	1414.34	403.59
	भविष्य में अभिनिर्धारित /उपबंधित की जानेवाली अंतर्वर्ती (देयता) Transitional (Liability) to be recognised/ provided in future	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का निवल वर्तमान मूल्य Net Present Value of benefit obligation at end of the year	1739.24	522.53	1414.34	403.59
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets at end of the year	1622.76	430.39	1445.74	417.25
	अधिशेष / (घाटा) / Surplus/ (Deficit)	**(116.48)**	**(92.15)**	**31.40**	**13.66**
घ) d)	**वर्ष के लिए निवल लागत Net cost for the year**				
	सेवा लागत / Service cost	35.02	23.94	36.11	21.50
	ब्याज लागत / Interest cost	131.11	37.47	109.69	33.63
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected return on plan assets	(125.78)	(36.31)	(98.24)	(35.44)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2015 As at March 31, 2015		यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014	
	निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि Net Actuarial (gain)/ loss	206.15	99.17	(11.47)	(32.66)
	सीमा में वृद्धि के कारण अवधि के दौरान स्वीकार की गई पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognised during the year due to increase in limit	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान स्वीकार की गई अंतर्वर्ती देयता Transitional liability recognised during the year	-	-	-	-
	उपर्युक्तानुसार निवल लागत Net cost as per above	**246.50**	**124.27**	**36.09**	**(12.97)**
	बट्टे खाते में न डाले गए बीमांकिक देयता पर अतिरिक्त निधि मूल्य Excess of fund value over actuarial liability not written back	**-**	**-**	**31.40**	**14.55**
	वर्तमान वर्ष में समायोजित पिछले वर्ष की बीमांकिक देयता पर अतिरिक्त निधि मूल्य Excess of fund value over actuarial liability of previous year adjusted in current year	(31.40)	(14.55)	-	-
	वर्ष की निवल लागत Net cost of the year	**215.10**	**109.72**	**67.49**	**1.58**
ङ) e)	**आस्तियों की श्रेणी Category of Assets**				
	भारत सरकार की आस्तियाँ Government of India Assets	801.02	0.94	726.48	0.94
	कॉरपोरेट बांड / एफडी Corporate Bonds / FD	463.49	0.44	593.91	0.56
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां Insurer Managed Funds	0.00	428.48	-	406.39
	अन्य / Others	358.25	0.53	125.35	9.36
	कुल / Total	**1622.76**	**430.39**	**1445.74**	**417.25**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2015 As at March 31, 2015		यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014	
च) f)	**लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं : Assumptions used in accounting:**				
	बट्टा दर / Discount Rate	7.95%	7.77% से 9.07% तक From 7.77% to 9.07%	9.27%	8.00% से 9.31% तक From 8.00% to 9.31%
	योजना आस्तियों पर प्रतिफल की दर Rate of Return on plan assets	8.70%	7.98% से 8.70% तक From 7.98% to 8.70%	8.70%	8.00% से 8.70% तक From 8.00% to 8.70%
	वेतन बढ़ोतरी दर / Salary escalation rate	5.75%	5.00% से 11.90% तक From 5.00% to 11.90%	5.75%	5.00% से 18.00% तक From 5.00% to 18.00%
	ह्रास दर / Attrition Rate				
		5 वर्ष से कम सेवा के लिए 2.89% तथा 5 वर्ष और 5 वर्ष से अधिक सेवा के लिए 0.95% 2.89% for service less than 5 Years and 0.95% for service more than 5 Years	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 2.89% और 5 वर्ष से अधिक सेवा के लिए 0.95% 2.89% for service less than 5 Years and 0.95% for service more than 5 Years	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 2.55% और 5 वर्ष से अधिक सेवा के लिए 1.45% 2.55% for service less than 5 Years and 1.45% for service more than 5 Years	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 2.55% और 5 वर्ष से अधिक सेवा के लिए 1.45% 2.55% for service less than 5 Years and 1.45% for service more than 5 Years
	मृत्यु दर / Mortality Rate	भारतीय जीवन आश्वस्ति मृत्यु (2006-2008) अंतिम रूप से Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ult.		भारतीय जीवन आश्वस्ति मृत्यु (2006-2008) अंतिम रूप से Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ult.	

iii. **अन्य दीर्घावधि लाभ / Other long term benefits**

बैंक के कर्मचारीगण अधिकतम 180 दिन और अन्य स्टाफ अधिकतम 300 दिन तक अपनी अर्जित/ साधारण छुट्टियों को संचित करने के लिए पात्र हैं. प्रत्येक वर्ष में 15 दिन की छुट्टी का नकदीकरण कराया जा सकता है.

Employees of the Bank are entitled to accumulate their earned/ privilege (ordinary) leave up to a maximum of 180 days for officers and 300 days for other staff. A maximum of 15 days leave is eligible for encashment in each year.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

वित्तीय वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर छुट्टी नकदीकरण बाध्यता का वर्तमान मूल्य
Present value of Leave Encashment obligation at the End of the period-FY 2014-15

संस्था / Entity	राशि ₹ '000 में Amt in ₹ '000
आईडीबीआई बैंक लि. / IDBI Bank Ltd.	272 39 88
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	2 80 25
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	59 99
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. IDBI Capital Market Services Ltd.	14 99
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	6 57

बैंक के कर्मचारीगण अशक्तता की घटना होने पर अशक्तता सहायता के लिए पात्र हैं जो बैंक द्वारा वहन की जाएगी.
Employees of the Bank are eligible for Disability Assistance which is borne by the Bank as and when the disability events occur.

बैंक के कुछ कर्मचारीगण स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना के लिए पात्र हैं जिसे देयता की घटना होने पर बैंक द्वारा वहन किया जाता है.
Some employees of the Bank are eligible for Voluntary Health Scheme which is borne by the Bank as and when the liability events occur.

इन लाभों का बीमांकिक मूल्यांकन परिलक्षित इकाई ऋण पद्धति का प्रयोग करते हुए किया गया है तथा वर्ष के दौरान ₹ 98 71 87 हज़ार (₹ 8 76 81 हज़ार) को लाभ-हानि खाते में डाला गया है.
Actuarial valuation of these benefits have been carried out using the Projected Unit Credit Method and ₹ 98 71 87 thousand (₹ 8 76 81 thousand) has been charged to Profit and Loss Account during the year.

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में कंपनी के कर्मचारी अपनी अर्जित / साधारण छुट्टी को 30 दिन तक के लिए संचित कर सकते हैं जो नीति के अनुसार उनके द्वारा सेवा छोड़ते समय भुगतान योग्य / नकदीकरण योग्य हैं. वर्ष के दौरान ₹ 79 03 हजार (₹ 50 64 हजार) को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान के रूप में उक्त लाभ के लिए राजस्व या लाभ-हानि खाते में डाले गए हैं.
In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd., the Employees of the Company are entitled to accumulate their earned / privilege leave up to a maximum of 30 days which is payable / for encashment as per the policy on their separation. During the year, ₹ 79 03 thousands (₹ 50 64 thousands) has been charged to Revenue or Profit and Loss Account towards provision for the said benefits based on actuarial valuation.

4. ईसॉप का प्रयोग / ESOPs EXERCISED

वर्ष के दौरान बैंक ने, बैंक के कर्मचारियों को ईसॉप का प्रयोग करने पर 18 345 (24 900) इक्विटी शेयर आबंटित किए.
The Bank has allotted 18 345 (24 900) equity shares during the year against ESOPs exercised by the Bank employees.

5. भारत सरकार को आबंटित इक्विटी शेयर / EQUITY SHARES ALLOTTED TO GOI

वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार को ₹ शून्य (₹ 56.38) प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिमानी आधार पर शून्य (27 11 66 013) इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) आबंटित किए जिनकी कुल राशि शून्य (₹ 1800 करोड़) थी.
During the year, the Bank has allotted, Nil (27 11 66 013) Equity Shares (Face Value ₹ 10 per share to Government of India on preferential basis on at a premium of ₹ Nil (₹ 56.38) per share, aggregating an amount of ₹ Nil (₹ 1800 Crore).

6. खंड रिपोर्टिंग (लेखा मानक 17) / SEGMENT REPORTING (Accounting Standard 17)

समूह ने कारोबार खंड का प्राथमिक खंड के रूप में प्रकटन किया है. बैंक के परिचालन निम्नलिखित तीन कारोबार खंडों के अंतर्गत शामिल किए गए हैं तथा सहायक संस्थाएं और संयुक्त उद्यम कंपनियों के परिचालन जो समेकित हैं, अन्य बैंकिंग परिचालनों के अंतर्गत शामिल किए गए हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

The group has disclosed business segment as a primary segment. The operations of the Bank are covered under following three business segments as under and the operations of subsidiaries and Joint Venture companies that are consolidated are covered under Other banking operations.

ट्रेजरी Treasury	ट्रेजरी परिचालन में निवेशों के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, मुद्रा बाज़ार परिचालन, डेरिवेटिव सौदे, प्रोप्राइटरी खातों में और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन शामिल हैं. Treasury operations include trading portfolio of investments, money market operations, derivative trading and foreign exchange operations on the proprietary account and for customers.
खुदरा बैंकिंग Retail Banking	खुदरा बैंकिंग में व्यापक रूप से ऋण और जमा कार्यकलाप शामिल हैं जो मुख्य रूप से वैयक्तिक और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार सहित लघु कारोबार पर केन्द्रित हैं. खुदरा बैंकिंग में भुगतान एवं वैकल्पिक चैनल जैसे एटीएम, पीओएस मशीनें, इन्टरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रेवल/करेंसी कार्ड, थर्ड पार्टी वितरण और लेनदेन बैंकिंग सेवाएँ भी शामिल हैं. Retail Banking broadly includes credit and deposit activities that are primarily oriented towards individuals & small business including Priority sector lending. Retail Banking also encompasses payment and alternate channels like ATMs, POS machines, internet banking, mobile banking, credit cards, debit cards, travel/ currency cards, third party distribution and transaction banking services.
कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking	इसमें खुदरा के अतिरिक्त जमा एवं ऋण कार्यकलाप सहित कॉरपोरेट संबंध शामिल हैं. इसमें कॉरपोरेट सलाहकारी / सिंडिकेशन सेवाएँ, परियोजना मूल्यांकन और ट्रेजरी के अंतर्गत शामिल न किए गए रणनीतिक निवेश सहित निवेश पोर्टफोलियो शामिल हैं. Includes corporate relationship covering deposit & credit activities other than retail. It also covers corporate advisory / syndication, project appraisal and investment portfolio including strategic investments other than those covered under Treasury.

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2015	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2014
		(लेखापरीक्षित) (Audited)	(लेखापरीक्षित) (Audited)
क. a.	**खंड राजस्व Segment Revenue**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	27255	25225
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	22777	19626
	ट्रेजरी / Treasury	672	398
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	243	202
	कुल / Total	**50947**	**45451**
	घटाएं : अंतर खंड राजस्व / Less :- Inter-segment revenue	18593	15731
	परिचालनों से निवल बिक्री / आय / Net sales/ income from operations	**32354**	**29720**
ख. b.	**खंड परिणाम - कर पूर्व लाभ / (हानि) Segment Results - Profit/ (Loss) before tax**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale banking	1560	1888

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में / ₹ In crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2015	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2014
		(लेखापरीक्षित) (Audited)	(लेखापरीक्षित) (Audited)
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	(661)	(335)
	ट्रेजरी / Treasury	399	211
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	87	41
	कुल / Total	**1386**	**1805**
	घटाएंः अविनिधानीय आय को घटाते हुए अन्य अविनिधानीय व्यय Less: Other unallocable expenditure net of unallocable income		
	कर पूर्व कुल लाभ / Total profit before tax	**1386**	**1805**
	आय कर / Income taxes	444	653
	निवल लाभ / Net profit	**942**	**1152**
ग. c.	**खंड आस्तियां Segment assets**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	221479	218596
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	121701	98696
	ट्रेजरी / Treasury	7213	7392
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	536	553
	अविनिधानीय कॉरपोरेट आस्तियां / Unallocated corporate assets	5001	3713
	कुल आस्तियां / Total assets	**355930**	**328950**
घ. d.	**खंड देयताएं Segment liabilities**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate / Wholesale banking	155871	162254
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	176003	143658
	ट्रेजरी / Treasury	1223	977
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	122	142
	अविनिधानीय कॉरपोरेट देयताएं / Unallocated corporate liabilities		29
	कुल देयताएं / Total liabilities	**333219**	**307060**

- खंड राजस्व में बैंक द्वारा अनुसरित एफटीपी सिस्टम के अनुसार गणना किए गए अंतर-खंड राजस्व शामिल हैं.
  The segment revenue includes inter-segment revenue computed as per FTP system followed by the Bank.
- समूह प्राथमिक रूप से भारत में कारोबार करता है, अतः समूह ने यह माना है कि इसके परिचालन मुख्य रूप से देशी खंड में होते हैं और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.

  The group primarily operates in India, hence the group has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

7. संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18) / RELATED PARTIES DISCLOSURE (AS-18)

i) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का ब्योरा / Details of Key Management Personnel

संस्था / Entity	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक / Key Management Personnel
आईडीबीआई बैंक लि. / IDBI Bank Ltd.	श्री एम.एस. राघवन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri M.S. Raghavan, Chairman & Managing Director श्री बालकृष्ण बत्रा, उप प्रबंध निदेशक Shri Balkrishan Batra, Deputy Managing Director श्री मेल्विन रेगो, उप प्रबंध निदेशक Shri Melwyn Rego, Deputy Managing Director
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. IDBI Capital Market Services Ltd.	12 मई 2014 तक श्री अभय बोंगिरवार, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri Abhay Bongirwar, Managing Director & CEO up to May 12, 2014 12 मई 2014 से श्री डी.सी. जैन, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri D. C. Jain, Managing Director & CEO from May 12, 2014
आईडीबीआई इंटेक लि. / IDBI Intech Ltd.	श्री इंद्रपाल एस. कालरा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri Inderpal S. Kalra, Managing Director & CEO
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	श्री विघ्नेश शहाणे, सीईओ एवं पूर्णकालिक निदेशक Shri Vighnesh Shahane, CEO & Whole Time Director
आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	श्री सत्य नारायण बाहेती, प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ. Shri Satya Narayan Baheti, Managing Director & CEO
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. IDBI Asset Management Company Ltd.	श्री सत्य नारायण बाहेती, प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ. Shri Satya Narayan Baheti, Managing Director & CEO श्री अनिल धवन, सीएफओ Shri Anil Dhawan, CFO श्री मनेश जिंदानी, कंपनी सचिव Shri Manesh Jiandani, Company Secretary
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	श्री एच.जी. रोकडे, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri H. G. Rokade, Managing Director & CEO

ii) **वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों से लेनदेन किया गया**
Parties with whom transactions were entered into during the year

लेखा मानक 18 के पैरा 5 के अनुसार बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप में लेनदेनों में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के संबंधियों का प्रकटन नहीं किया गया है.
In Terms of Paragraph 5 of Accounting Standard 18, transactions in the nature of Banker-Customer Relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iii) संबंधित पक्षकारों के लेनदेन/ शेषराशियां / Transactions/balances with related parties:

(₹ करोड़ में / ₹ In Crore)

विवरण / Particulars	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	
	2014-15	2013-14
प्राप्त जमाराशियां / Deposit Received	0.35	0.37
अन्य बकाया देयताएं/ जमाराशियां / Other Liabilities/ Deposits Outstanding	1.05	1.57
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम जमाराशियां Maximum amount of deposits outstanding during the year	1.38	1.72
निवेश / Investment	-	-
दिए गए अग्रिम / Advances given	-	-
बकाया अग्रिम / Advances outstanding	0.13	0.18
वर्ष के दौरान देय अधिकतम अग्रिम राशि Maximum amount of advance due during the year	0.18	0.23
अग्रिमों पर प्रदत्त ब्याज / Interest paid on advances	0.02	0.02
अग्रिमों पर उपचित ब्याज / Interest accrued on advances	-	-
जमाराशियों पर ब्याज / Interest on Deposits	0.08	0.06
पारिश्रमिक/ प्रतिपूर्तियां / Remuneration/Reimbursements	2.62	2.39
अन्य आय / Other income	0.12	-
वर्ष के दौरान लाभ/ (हानि) का अंश / Share of Profit/ (Loss) during the year	-	-

8. बैंक पाँच कंपनियों की इक्विटी पूंजी का 20% से अधिक परंतु 50% से कम धारित करता है. प्रबंधन की राय में बैंक का इन कंपनियों में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं हैं. तदनुसार, इन कंपनियों को ''एसोसिएट कंपनियां'' नहीं माना गया है तथा इन कंपनियों के वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरण में शामिल नहीं किए गए हैं.
Bank holds more than 20%, but less than 50%, of equity capital of five companies. In the opinion of management, Bank does not have any significant influence in these companies. Accordingly, these companies have not been considered as 'Associate Companies' and the financial statements of these companies are not included in the consolidated financial statements.

9. **पट्टे (एएस-19) / LEASES (AS-19)**

परिचालनात्मक पट्टों में मूल रूप से कार्यालय परिसर, कार्यालय उपकरण (कंप्यूटरों और मॉड्यूलर फर्नीचर सहित) स्टाफ के आवास और एटीएम शामिल हैं जो समूह के विकल्प पर या तो निरसन योग्य हैं अथवा गैर-निरसन योग्य परिचालनात्मक पट्टा है.
Operating leases primarily comprise office premises, office equipments (including computers and modular furniture), staff residences and ATMs, which are either cancellable at the option of the Group or non-cancellable operating lease.

वर्ष के दौरान निरसन योग्य परिचालनात्मक पट्टे पर प्रदत्त/ देय पट्टा प्रभारों हेतु लाभ-हानि लेखे में ₹ 263 59 63 हजार (₹ 221 40 08 हजार) प्रभारित किए गए और गैर-निरसन योग्य परिचालनात्मक पट्टे हेतु ₹ 4 84 96 हजार (₹ 4 14 86 हजार) लाभ-हानि लेखे में प्रदत्त/ देय पट्टा प्रभारों के रूप में प्रभारित किए गए.
During the year ₹ 263 59 63 thousand (₹ 221 40 08 thousand) has been charged to the Profit and Loss Account towards lease charges paid/ payable on cancellable operating lease & ₹ 4 84 96 thousand (₹ 4 14 86 thousand) has been charged to the Profit and Loss Account towards lease charges paid/ payable on non-cancellable operating lease.

तुलन पत्र की तारीख को गैर-निरसन योग्य परिचालनात्मक पट्टों के संबंध में आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतानों का सारांश निम्नानुसार हैः
The future minimum lease payments in respect of non-cancelable operating leases as at the Balance Sheet date are summarised as under.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ In '000s)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
एक वर्ष के बाद नहीं / Not Later than One year	4 29 16	2 26 27
एक वर्ष के बाद लेकिन पाँच वर्ष से बाद नहीं Later than one year but not later than five years	1 36	40 16

10. प्रति शेयर आय (ईपीएस) (एएस-20) / EARNINGS PER SHARE (EPS) (AS-20)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2015 March 31, 2015	31 मार्च 2014 March 31, 2014
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ (₹ '000 में) Net profit considered for EPS calculation (₹ in '000s)	941 79 88	1151 73 51
मूल ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for basic EPS	1 60 39 51 602	1 40 11 19 943
जोड़ेंः मंजूर की गई कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईसॉप) का न्यूनीकृत प्रभाव Add : Dilutive impact of ESOP granted	1307	-
न्यूनीकृत ईपीएस गणना के लिए हिसाब में लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	1 60 39 52 909	1 40 11 19 943
प्रति शेयर आय (मूल) (₹) / EPS (Basic) (₹)	5.87	8.22
प्रति शेयर आय (न्यूनीकृत) (₹) / EPS(Diluted) (₹)	5.87	8.22
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹) / Face value per Equity share (₹)	10.00	10.00

11. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-22) / ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS-22)

समय-अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित आस्तियां और आस्थगित देयताओं के घटक निम्न प्रकार हैंः
The component of Deferred Assets & Deferred Liability arising out of timing difference is as follows:

(₹ '000 में / ₹ In '000s)

विवरण / Particulars	वर्ष 2014-15 के लिए For the year 2014-15	यथा 31 मार्च 2015 As at March 31, 2015	यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014
आस्थगित कर देयताएं / Deferred Tax Liability:			
स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on fixed assets (*आईसीएमएस द्वारा मूल्यह्रास पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव के लिए समायोजित) (*Adjusted for effect of change in Depreciation method by ICMS)	*1 86 08	56 48 90	54 78 64
विपणन एवं वितरण व्यय का परिशोधन Amortisation of marketing & distribution expenses	(73 95)	53 11	127 06
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	74 87 30	439 80 77	364 93 47
कुल (ए) / Total (A)	**75 99 43**	**496 82 78**	**420 99 17**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ In '000s)

विवरण / Particulars	वर्ष 2014-15 के लिए For the year 2014-15	यथा 31 मार्च 2015 As at March 31, 2015	यथा 31 मार्च 2014 As at March 31, 2014
आस्थगित कर आस्ति / Deferred Tax Asset:			
आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमत न किए गए एनपीए तथा प्रावधान NPA and Provisions not allowed under Income Tax Act, 1961	580 54 41	2295 88 29	1715 33 88
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान / Provision for Doubtful Advances	1 61 60	4 90 95	3 29 35
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी, 40 (ए) (i ए) आदि के अंतर्गत अस्वीकृति Disallowance u/s. 43B, 40(a)(ia) etc. of the Income Tax Act, 1961	35 28 26	143 50 79	108 22 53
आरंभिक व्ययों का परिशोधन Amortisation of Preliminary expenses	19 08	32 15	13 07
ग्रेच्युटी / Gratuity	(53)	7 35	7 88
छुट्टी का नकदीकरण / Leave Encashment	(29)	18 54	18 83
पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Restructured Advances	92 90 16	685 74 11	592 83 95
आगे ले जाई गई हानि / Carried forward Loss	-	-	-
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35डी और 35डीडी के अंतर्गत कटौती द्वारा कवर व्यय Expenditure covered by deduction u/s 35D and 35DD of the Income Tax Act, 1961	(41 99)	84 21	126 20
कुल (बी) / Total (B)	**710 10 71**	**3131 46 39**	**2421 35 69**
आस्थगित कर देयता / (आस्ति) (निवल)(ए)-(बी) Deferred Tax Liability/ (Asset) (net) (A) - (B)	**(634 11 27)**	**(2634 63 61)**	**(2000 36 52)**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

12. यथा 31 मार्च 2015 को कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यम (जेवी) की सारांशीकृत वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है:

Summarised financial information of the subsidiaries & JV as per requirement of the Companies Act, 2013 as at March 31, 2015 are as under:

(₹ '000 में / ₹ In '000s)

संस्था का नाम Name of the entity	निवल आस्तियां, अर्थात कुल आस्तियों में कुल देयताओं को घटाकर Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities		शेयर, लाभ या हानि में Share in profit or loss	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में As % of consolidated Net Assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में As % of consolidated Profit or Loss	राशि Amount
1	2	3	4	5
मूल संस्था : आईडीबीआई बैंक लि. **Parent : IDBI Bank Ltd.**	96.62%	24316 91 84	89.43%	873 38 82
सहायक संस्थाएं / Subsidiaries:				
भारतीय / Indian:				
1. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. IDBI Capital Market Services Ltd.	1.26%	316 10 74	1.18%	11 49 78
2. आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.	0.13%	33 42 79	0.41%	3 97 55
3. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. IDBI Asset Management Company Ltd.	0.37%	93 68 67	-2.12%	(20 72 87)
4. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	0.00%	90 31	0.02%	22 43
5. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.45%	113 01 59	3.49%	34 12 22
विदेशी / Foreign:	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
सभी सहायक संस्थाओं में अल्पसंख्यक हित **Minority Interests in all subsidiaries**	0.20%	51 19 64	1.58%	15 45 73
एसोसिएट्स (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश) **Associates (Investment as per the equity method)**				
भारतीय / Indian	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ In '000s)

संस्था का नाम Name of the entity	निवल आस्तियां, अर्थात कुल आस्तियों में कुल देयताओं को घटाकर Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities		शेयर, लाभ या हानि में Share in profit or loss	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में As % of consolidated Net Assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में As % of consolidated Profit or Loss	राशि Amount
1	2	3	4	5
विदेशी / Foreign	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
संयुक्त उद्यम / Joint Ventures				
(आनुपातिक समेकन के अनुसार/ इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश) (as per proportionate consolidation / investment as per the equity method)				
भारतीय / Indian				
1. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	1.17%	293 44 52	7.60%	74 18 69
विदेशी / Foreign	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
कुल / TOTAL	100%	25167 50 46	100%	976 66 62
हटाई गई / Elimination	-3.15%	(792 79 46)	-3.57%	(34 86 73)
निवल कुल / Net Total	96.85%	24374 71 00	96.43%	941 79 89

नोटः उपर्युक्त सहायक संस्थाओं की कोई सहायक संस्था नहीं है. / Note: None of the above subsidiaries have any subsidiary.

13. इन लेखों में शामिल किए गए आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के वित्तीय विवरण जो अलेखापरीक्षित और लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन हैं.

Financial Statements of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd. as incorporated in these accounts are unaudited an subject to Audit Committee / Board approval.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

14. दंड का प्रकटनः / DISCLOSURE ON PENALTY :

वर्ष के दौरान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निम्नलिखित दंड लगाए गए.
During the year following penalties were imposed by regulatory authorities.

संस्था का नाम / Name of the Entity	विनियामक निकाय Regulatory Body	दंड की राशि (₹) Penalty Amount (₹)
आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	भारतीय रिज़र्व बैंक RBI	15 00 000.00
आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	भारतीय रिज़र्व बैंक RBI	94 200.00
आईडीबीआई इंटेक लि. / IDBI Intech Ltd	-	-
आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. / IDBI MF Trustee Company Ltd	-	-
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. IDBI Federal Life Insurance Company Ltd	-	-
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. / IDBI Asset Management Ltd	-	-
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. / IDBI Capital Market Services Ltd	सेबी / SEBI	16 66 666.00
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. / IDBI Capital Market Services Ltd	एनएसई / NSE	28 828.00
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. / IDBI Trusteeship Services Ltd	-	शून्य / Nil

15. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के अंतर्गत 'उद्यमों' के संबंध में यथाप्राप्त जानकारी के अनुसार कोई भी सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम ऐसा नहीं है जिसकी समूह पर देयताएं शेष हों और जो 31 मार्च 2014 को 45 दिन से अधिक बकाया हो गई हों. अतः वर्ष के अंत में प्रदत्त/ देय ब्याज सहित अप्रदत्त राशियों के बारे में ऐसी कोई संबंधित जानकारी नहीं दी गई है जिसका उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रकटन किया जाना आवश्यक हो (पिछले वर्ष शून्य).
Based on the information to the extent received from 'enterprises' regarding their status under the 'Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006' there is no Micro, Small & Medium Enterprise to which the Group owes dues, which are outstanding for more than 45 days as at March 31, 2014 and hence no disclosure relating to amounts unpaid as at the year ended together with interest paid/ payable as required under the said act is given (previous year Nil)

16. संविदाओं की शेष अनुमानित राशि पूंजी खाते पर प्रभारित की जाएगी (अग्रिमों को घटाकर) और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, वह ₹528 90 22 हजार (₹343 21 94 हजार) है.
Estimated amount of contracts remaining to be executed on Capital Account (net of advances) and not provided for is ₹ 528 90 22 thousand (₹ 343 21 94 thousand).

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

17. आकस्मिक देयता: / CONTINGENT LIABILITY:

क. दीर्घावधि संविदाएँ
a. Long term contracts

बैंक में एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आवधिक रूप से अनुमानित मूर्त हानियों के लिए डेरिवेटिव संविदाओं सहित सभी दीर्घावधि संविदाओं का आकलन किया जाता है. वर्ष के अंत में बैंक ने समीक्षा की है और सुनिश्चित किया है कि लेखा-बहियों में डेरिवेटिव संविदाओं सहित ऐसी दीर्घावधि संविदाओं पर अनुमानित मूर्त हानियों के लिए किसी भी कानून / लेखा मानकों के अंतर्गत अपेक्षित पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.

The Bank has a process whereby periodically all long term contracts including derivative contracts are assessed for material foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and ensured that adequate provision as required under any law/ Accounting Standards for material foreseeable losses on such long term contracts including derivative contracts has been made in the books of account.

ख. लंबित मुकदमों के लिए
b. For Pending litigations

बैंक के लंबित मुकदमों में बैंक के विरुद्ध मुख्य रूप से उधारकर्ताओं, ग्राहकों द्वारा किए गए दावे और आयकर प्राधिकारियों के पास लंबित कार्यवाहियां शामिल हैं. बैंक ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की है और अपने वित्तीय विवरणों में जहां कहीं आवश्यक है, पर्याप्त प्रावधान किए हैं और जहां लागू है, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया है. बैंक को ऐसी कोई आशा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणामों से इसके वित्तीय परिणामों पर आर्थिक रूप से कोई विपरीत असर पड़ेगा. आकस्मिक देयताओं के विवरणों के लिए अनुसूची 12 का संदर्भ लें. मुकदमों के संबंध में, जहां प्रबंधन आकलन में वित्तीय बहिर्वाह की संभावना है, समूह द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में पर्याप्त प्रावधान किए हैं.

The Bank's pending litigations comprise of claims against the Bank primarily by the borrowers, customers and proceedings pending with Income Tax authorities. The Bank has reviewed all its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a materially adverse effect on its financial results. Refer Schedule 12 for details on contingent liabilities. In respect of litigations, where the management assessment of a financial outflow is probable, the Group has made adequate provision during the FY 2014-15.

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में वार्षिक वर्ष 2012-13 के मूल्यांकन के दौरान आयकर विभाग ने धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 27-02-2015 के अपने मूल्यांकन आदेश द्वारा कुछ व्ययों की अनुमति नहीं दी थी जिससे हानि कम हो गई थी और उन्होंने आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत दांडिक कार्यवाही प्रारम्भ की थी. कंपनी ने उक्त मूल्यांकन के विरुद्ध अपील फाइल की है. इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

In case of IDBI Asset Management Ltd., during assessment for the AY 2012-13 the Income Tax Department vide its assessment order under section 143(3) dated 27-02-2015 disallowed certain expenditures thereby reducing the loss and initiated penalty proceedings under section 271(1)(c) of the Income Tax Act. The Company has filed an appeal against the said assessment. No provision has been made in this regards.

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए एमवीएटी मूल्यांकन में वैट विभाग ने आईडीबीआई एमएफ गोल्ड ईटीएफ योजना में स्वर्ण की खरीद पर अदा किए गए खरीद वैट के लिए दावा किए गए समंजन को अनुमति नहीं दी थी और कंपनी से ₹ 25.69 लाख की मांग की थी. कंपनी ने इस मूल्यांकन के विरुद्ध भी अपील फाइल की है. इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

In the MVAT assessment for the FY 2011-12 the VAT department has disallowed the set-off claimed of purchase VAT paid on the purchase of Gold in the IDBI MF Gold ETF scheme and raised a demand of ₹ 25.69 lakh on the Company. The Company has also filed an appeal against this assessment. No provision has been made in this regards.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. के मामले में कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे - ₹ 49.62 लाख (पिछले वर्ष ₹ 45.59 लाख) जिसमें 18% की दर पर ₹ 21.30 लाख (पिछले वर्ष ₹ 16.55 लाख) का ब्याज शामिल है.
In case of IDBI Capital Market Services Ltd., claims against the company not acknowledged as debt - ₹ 49.62 lakh (Previous Year ₹. 45.59 lakh) including interest @ 18% amounting to ₹ 21.30 lakh Previous Year ₹ 16.55 lakh).

मूल्यांकन वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 611.79 लाख के आयकर के भुगतान की मांग करते हुए दिनांक 27.01.2015 का नोटिस प्राप्त हुआ. कंपनी ने उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष नोटिस को चुनौती दी है. कंपनी को इसके विधिक परामर्शदाता ने सूचित किया है कि कंपनी पर कर की मांग अतर्कसंगत है और मांग के समर्थित होने की संभावना कम है. तदनुसार, इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.
A demand notice dated 27.01.2015 was received raising a demand for payment of income tax of ₹ 611.79 lakh for the Assessment Year 2012-13. The notice has been contested by the company before the appropriate authorities. The Company has also been advised by its legal counsel that the tax demand against the company is untenable and likelihood of demand being upheld is low. Accordingly no provision in respect thereof has been made.

सेबी ने दिनांक 18 नवंबर 2014 के आदेश द्वारा आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. सहित मर्चेन्ट बैंकरों, जिन्होंने दिसंबर 2012 में आए एक आईपीओ में बुक रनिंग लीड मैनेजर (बीआरएलएम) की भूमिका निभाई थी, पर ₹ 100 लाख का जुर्माना लगाया है जिसकी अदायगी संयुक्त तथा पृथक रूप से की जाती है. सभी 6 मर्चेन्ट बैंकरों ने संयुक्त रूप से सिक्युरिटीज एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (सैट) के समक्ष उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है. अपील का निपटान होने तक ₹ 16.67 लाख (आनुपातिक राशि) की राशि का निर्धारण नहीं किया गया है.
SEBI vide order dated November 28, 2014 has imposed a penalty of ₹ 100 lakh jointly and severally to be paid by all the 6 Merchant Bankers including IDBI Capital Market Services Ltd who acted as Book Running Lead Managers (BRLMs) in one of the IPOs which came out in December 2012. All 6 Merchant Bankers have jointly appealed before Securities and Appellate Tribunal (SAT) against the above order. Pending disposal of the appeal, amount of ₹ 16.67 lakh (the proportionate amount) has not been recognised.

कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यों के अंतर्गत प्रतिबद्ध परियोजना के संबंध में ₹ 7.15 लाख की राशि का निर्धारण नहीं किया है क्योंकि परियोजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ही समाप्त हो पाएगा.
An amount of ₹ 7.15 lakh has not been recognised in respect of a project committed under Corporate Social Responsibility (CSR) activity by the company during the financial year 2014-15 as the execution of the project will be completed only during the financial year 2015-16.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप के मामले में / In case of IDBI Trusteeship Services Ltd.,

विवरण / Particulars		**2014-15**	**2013-14**
		(₹ में राशि) (Amount in ₹)	**(₹ में राशि) (Amount in ₹)**
कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे Claims against the company not acknowledged as debt :			
i)	एवाई 2007-08 के लिए आयकर मांग (विटको) [कंपनी ने सीआईटी के समक्ष अपील की है (अपील)] Income Tax demand for the AY 2007 - 08 (WITECO) (Company is in appeal before the CIT (Appeal))	6 53 322.00	6 53 322.00
ii)	लाइसेंसदाता द्वारा बेसमेंट परिसर के लिए मांगे गए म्युनिसिपल कर Municipal Taxes demand by Licensor for basement premises	29 22 426.00	29 22 426.00
iii)	प्रतिभूतिकरण लेन-देनों पर रोके गए करों के भुगतान में विलंब होने पर विभिन्न प्रतिभूतिकरण न्यासों, जिनमें इसके लिए प्रतिभूतिकरण न्यासी के रूप में आईटीएसएल कार्यरत है, पर ₹ 1.61 करोड़ (लगभग) तक की राशि का ब्याज प्रभारित किया जा सकता है There may arise interest on delayed payment of withholding taxes on Securitisation transactions amounting to ₹ 1.61 Crore (approximately) on various Securitisation trusts, where ITSL is acting as Securitisation Trustee for the same		

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

कंपनी द्वारा अपनाई जा रही प्रथा के अनुसार उस समय पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार उपचय आधार पर सेवा प्रभार की मांग की जाती है. इसके बाद मूल भुगतान प्राप्त हो जाने पर किसी अंतर, यदि कोई हो, को प्राप्ति वर्ष में समायोजित किया जाता है.
As per the practice being followed by the company, demand for service charges is raised on accrual basis as per the information available at that point of time. Subsequently, when the actual payments are received, difference if any are adjusted in the year of receipt.

सौंपे गए अनियमित कार्यों से वसूली गई ₹ 33 58 647 (पिछले वर्ष ₹ 44 30 396) की राशि को आय के रूप में दर्शाया गया है.
An amount of ₹ 33 58 647 (Previous Year ₹ 44 30 396) recovered from Irregular Assignments has been recognised as income.

आईडीबीआई बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम एवं साधारण बीमा निगम से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के वेतन, भत्तों एवं सभी संबद्ध भुगतानों का वहन कंपनी द्वारा किया जाता है और इन्हें कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए किए गए प्रावधान में शामिल किया जाता है. प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों पर उनकी नियुक्ति के वर्ष से उपदान संबंधी देयता के लिए यथा 31-03-2015 तक संचयी प्रावधान की राशि ₹ 4 87 335 (पिछले वर्ष ₹ 4 87 335) है.
Salaries, allowances and all related payments for the employees on deputation from IDBI Bank, LIC of India and GIC are borne by the Company and are included in payment to and provisions for Employees. The cumulative provision stands as on 31-03-2015, ₹ 4 87 335 (Previous Year ₹ 4 87 335) for gratuity liability on the employees on deputation from the year of their appointment.

निदेशक मंडल की राय के अनुसार चालू आस्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों में प्रदर्शित व्यापार प्राप्य राशियां और अन्य प्राप्य राशियां कारोबार के सामान्य क्रम में भुनाने पर भी लगभग वर्णित मूल्य के बराबर ही होते हैं.
In the opinion of the Board of Directors, the Trade Receivables and other Receivables appearing in Current Assets, Loans and Advances are approximately of the value stated, if realised in the ordinary course of business.

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में आकस्मिक देयताएं निम्नानुसार हैं :
In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd., Contingent Liabilities are as follows:

(₹ '000 में / ₹ In '000s)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2015 As At March 31, 2015
आंशिक प्रदत्त निवेश / Partly paid-up investments	-
बकाया हामीदारी प्रतिबद्धता (शेयरों और प्रतिभूतियों के संबंध में) Underwriting commitments outstanding (in respect of shares and securities)	-
पॉलिसियों के अंतर्गत दावों को छोड़ जिन्हें कंपनी द्वारा उधार नहीं माना गया Claims, other than those under policies, not acknowledged as debts by the company	26
कंपनी द्वारा अथवा कंपनी की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given by or on behalf of the company	-
सांविधिक मांग/विवादित देयताएं, जिनका प्रावधान नहीं किया गया Statutory demands/liabilities in dispute, not provided for	59 11 03
उस सीमा तक पुनर्बीमा बाध्यता जिसका लेखों में प्रावधान नहीं किया गया Reinsurance obligations to the extent not provided for in accounts	-
विवाद के अंतर्गत पॉलिसी संबंधी दावे / Policy related claims under litigation	8 78 40

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में / In case of IDBI Intech Ltd.,

(क) गारंटियां : कंपनी ने अपनी आईटी परियोजनाओं के लिए ग्राहकों को ₹ 12.67 लाख की बैंक गारंटी जारी की. यथा 31 मार्च 2014 को इन गारंटियों के अधीन आकस्मिक देयताएं ₹ 12.67 लाख रही. (पिछले वर्ष ₹ 15.78 लाख)

(a) Guarantees; the Company has issued Bank guarantee of ₹ 12.67 lakh to customers for its IT Projects, as at March 31, 2015, the contingent liabilities under these guarantees amounted to ₹ 12.67 lakh (Previous Year: ₹ 15.78 lakh).

(ख) कंपनी से दावे संबंधी प्राप्ति सूचना न देने पर; आय कर प्राधिकारी; चालू वर्ष शून्य, (पिछले वर्ष ₹ 32.04 लाख - एवाई 2006-07 ₹ 16.40 लाख व लेखा वर्ष 2007-08 ₹ 15.64 लाख)

(b) Claim not acknowledged by the Company; Income Tax Authorities; C.Y. Nil, (P.Y. ₹ 32.04 Lakh - A.Y. 2006-07 ₹ 16.40 Lakh and A.Y. 2007-08 ₹ 15.64 Lakh.)

18. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर / Unhedged Foreign Currency Exposure:

बैंक इसकी ऋण नीति में दिए गए विवरण के अनुसार, अपने उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की निगरानी करता है और अपने ग्राहकों को उनकी विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के प्रति सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि विदेशी मुद्रा दर में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से होने वाले घाटे को कम से कम किया जा सके.

The Bank, as detailed in its Credit Policy, monitors the Unhedged Foreign Currency Exposure of its borrower and pursues its clients to hedge their forex exposure to minimise the losses due to adverse exchange rate fluctuation.

बैंक आवधिक आधार पर अपने ग्राहकों से अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर आंतरिक रूप से विकसित प्रणाली के आधार पर जानकारी प्राप्त करता है और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप होने वाले संभावित घाटे की गणना के लिए कार्य-प्रणाली का पालन करता है. इस एक्सपोजर के लिए 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धिशील प्रावधानीकरण की राशि ₹ 102.38 करोड़ तथा 31.03.2015 को जोखिम के लिए धारित पूंजी ₹ 308 करोड़ है.

Bank obtains the information based on an internally developed system on Unhedged Foreign Currency Exposure from its clients on a periodic basis and follows the methodology for computation of likely loss on account of exchange rate movement. The incremental provisioning for the year ending 31-03-2015 towards this exposure amounts to ₹ 102.38 crore and capital held towards the risk is ₹ 308 crore as on 31-03-2015.

19. आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए मूल, सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के पृथक वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई ऐसी अतिरिक्त सांविधिक जानकारी जिसका समेकित वित्तीय विवरणों को सही और उचित रूप से दर्शाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और उन मदों से संबंधित जानकारी जो महत्वपूर्ण नहीं है, का प्रकटन समेकित वित्तीय विवरण में नहीं किया गया है.

Additional statutory information disclosed in separate financial statements of parent, Subsidiaries and Joint Ventures having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statement in the view of general clarification issued by ICAI.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

20. पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े कोष्ठकों में दिए हैं और उन्हें पुनर्समूहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि चालू वर्ष के आंकड़ों से उनकी तुलना की जा सके.
Figures of the previous year, are disclosed in brackets and are regrouped/ rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year.

1 से 18 लेखा अनुसूचियों के लिए हस्ताक्षर
Signature to Schedules '1' to '18' of Accounts

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(एम. एस. राघवन)
(M.S. Raghavan)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

(बी. के. बत्रा)
(B.K.Batra)
उप प्रबंध निदेशक
Dy Managing Director

(एम. ओ. रेगो)
(M.O.Rego)
उप प्रबंध निदेशक
Dy Managing Director

(एस. रवि)/ (S. Ravi)
निदेशक / Director

(पवन अग्रवाल) / (Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव / Company Secretary

(एन. एस. वेंकटेश)/ (N.S. Venkatesh)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 26 मई 2015 / Date: May 26, 2015

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2015

(₹ 000' में / in 000's)

	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2015	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2014
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
(1) **कर और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ** **Net Profit Before Tax and extra-ordinary items**	1401 16 41	1819 28 65
(2) **गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन:** **Adjustments for non cash items:**		
- अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ) / हानि (निवल) (Profit)/ Loss on sale of Fixed Assets (Net)	(3 84)	2 01 56
- साधारण रिज़र्व में अंतरण (उचित मूल्य समायोजन) Transfer to General Reserve (fair value adjustment)	5 23	56
- मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन रिज़र्व घटाकर) Depreciation (net of revaluation reserve)	140 81 58	116 59 89
- प्रावधान/ ऋणों को बट्टे खाते डालना / निवेश तथा अन्य प्रावधान Provisions/ write off of Loans/ Investments and other provisions	4464 83 94	3977 90 01
- निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ/(हानि) Profit/ (Loss) on revaluation of investments	44 06 41	(7 48 78)
	6050 89 73	**5908 31 89**
(3) **परिचालन आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी के लिए समायोजन:** **Adjustments for (increase)/ decrease in operating assets:**		
- निवेश / Investments	(17493 14 92)	(5185 97 78)
- अग्रिम / Advances	(14291 39 25)	(4944 95 97)
- अन्य आस्तियां / Other assets	(142 14 73)	(408 41 30)
- करों की वापसी / (भुगतान) /Refund / (payment) of taxes	(1738 48 29)	(1540 09 95)
(4) **परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन:** **Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities:**		
- उधार राशियां / Borrowings	1686 68 75	(5662 58 06)
- जमा राशियां / Deposits	23950 11 06	8682 86 28
- **अन्य देयताएं एवं प्रावधान** / Other liabilities and provisions	(13 10 39)	1152 78 73
परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी **Net cash used in/generated from operating activities**	**(1990 58 04)**	**(1998 06 16)**
ख. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
- अचल आस्तियों की खरीद (निवल बिक्री) Purchase (net of sale) of Fixed Assets	(271 62 50)	(222 53 56)
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी **Net cash used in / raised from investing activities**	**(271 62 50)**	**(222 53 56)**

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2015

(₹ 000' में / in 000's)

		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2015	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2014
ग. C.	वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	- इक्विटी शेयरों का निर्गम / Issue of Equity Shares	21 45	1800 28 21
	- प्रदत्त लाभांश तथा लाभांश कर / Dividend and Dividend Tax paid	(61 23 89)	(690 61 58)
	वित्तपोषण कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी Net cash used in / raised from Financing activities	**(61 02 44)**	**1109 66 63**
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS	(2323 22 98)	(1110 93 09)
	प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS	16848 84 34	17959 77 43
	अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS	**14525 61 36**	**16848 84 34**
	नकदी प्रवाह के लिए टिप्पणी: Note to Cash Flow Statement:		
नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में तुलन पत्र की निम्नलिखित मदें शामिल हैं: Cash and Cash equivalents included in the Cash Flow Statement comprise the following Balance Sheet items:			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष Cash & Balances with Reserve Bank of India		13039 76 11	12714 60 70
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks & money at call and short notice		1485 85 25	4134 23 64
कुल / TOTAL		**14525 61 36**	**16848 84 34**

जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है.
Figures for the previous period have been regrouped, wherever considered necessary.

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report attached of even date

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

कृते खिमजी कुंवरजी एंड कं.
For Khimji Kunverji & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या: 105146W/ FRN - 105146W

कृते जी. डी. आप्टे एंड कं.
For G. D. Apte & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या: 100515W/ FRN - 100515W

(एम. एस. राघवन)
(M.S. Raghavan)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

गौतम वी शाह
Gautam V Shah
साझेदार (एफ117348)
Partner (F–117348)

सौरभ एस पेशवे
Saurabh S Peshwe
साझेदार (एफ-121546)
Partner (F-121546)

(बी. के. बत्रा)
(B.K.Batra)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एम. ओ. रेगो)
(M.O.Rego)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एस. रवि)/ (S. Ravi)
निदेशक / Director

(पवन अग्रवाल) / (Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव / Company Secretary

(एन. एस. वेंकटेश)/ (N.S. Venkatesh)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 26 मई 2015 / Date: May 26, 2015

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

सहायक संस्थाओं/ सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं के साथ विवरण
STATEMENT CONTAINING SALIENT FEATURES OF THE FINANCIAL STATEMENT OF SUBSIDIARIES/ASSOCIATE COMPANIES/JOINT VENTURES

भाग "ए" : सहायक संस्थाएं
Part "A": Subsidiaries

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

विवरण/ Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. / IDBI Capital Market Services Ltd.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि./ IDBI Trusteeship Services Ltd.	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. / IDBI Asset Management Ltd.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. / IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई इंटेक लि. / IDBI Intech Ltd.
यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न है तो संबंधित सहायक संस्था के लिए रिपोर्टिंग अवधि Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period	लागू नहीं / Not Applicable				
विदेशी सहायक संस्थाओं के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा तथा विनिमय दर. Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant Financial year in the case of foreign subsidiaries.	लागू नहीं / Not Applicable				
शेयर पूंजी / Share capital	128 10 00	6 03 28	200 00 00	20 00	13 12 82
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष Reserves & Surplus	188 00 14	106 98 33	(106 31 33)	70 31	20 29 98
कुल आस्तियां / Total Assets	337 85 86	122 62 77	99 08 83	94 70	34 80 28
कुल देयताएं (पूंजी तथा आरक्षित निधियों को छोड़कर) Total Liabilities (excluding Capital and Reserves)	21 75 72	9 61 17	5 40 16	4 39	1 37 48
निवेश / Investments	90 20 55	1	89 45 28	87 35	-
टर्नओवर / Turnover	85 86 08	61 39 00	29 91 85	69 14	54 22 61

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

विवरण/ Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. / IDBI Capital Market Services Ltd.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि./ IDBI Trusteeship Services Ltd.	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. / IDBI Asset Management Ltd.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. / IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई इंटेक लि. / IDBI Intech Ltd.
कराधान से पहले लाभ / Profit before taxation	22 40 62	52 18 93	(21 77 04)	31 23	5 91 40
कराधान के लिए प्रावधान / Provision for taxation	10 90 84	18 06 71	(1 04 18)	8 80	1 93 93
कराधान के बाद लाभ / Profit after taxation	11 49 78	34 12 22	(20 72 87)	22 43	3 97 47
प्रस्तावित लाभांश (कॉरपोरेट लाभांश कर सहित) Proposed Dividend (including Corporate Dividend Tax)	9 25 07	7 96 31	Nil	Nil	Nil
शेयरधारिता का % / % of Shareholding	100%	54.70%	66.67%*	100.00%	100.00%

* शेष 33.33% धारिता आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. द्वारा धारित है
* Balance holding of 33.33% is held by IDBI Capital Market Services Ltd.

टिप्पणियाँ / Notes:

1. टर्नओवर प्रत्येक संस्था द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की गई कुल आय है.
   Turnover is the total income reported by each of the entities in their financial statements.
2. उन सहायक संस्थाओं के नाम जिनका परिचालन अभी शुरू होना है: कोई नहीं
   Names of subsidiaries which are yet to commence operations: None
3. उन सहायक संस्थाओं के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया है या जिन्हें बेचा गया है: कोई नहीं
   Names of subsidiaries which have been liquidated or sold during the year: None

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

भाग ''बी'': सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम
Part "B": Associates and Joint Ventures

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

	सहयोगी / संयुक्त उद्यमों का नाम **Name of Associates/Joint Ventures**	**आईडीबीआई फेडरल लि.** **IDBI Federal Ltd.**
1.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र तारीख Latest Audited Balance Sheet Date	31 मार्च 2014 March 31, 2014
2.	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/ संयुक्त उद्यमों के शेयर Shares of Associate/ Joint Ventures held by the Company on the year end	
	इक्विटी शेयरों की संख्या / Number of equity shares	38400 00 00
	संबद्ध / संयुक्त उद्यमों में निवेश राशि Amount of Investment in Associates/ Joint Venture	384 00 00
	धारिता का विस्तार % / Extent of Holding %	48.00%
3.	पर्याप्त प्रभाव होने के कारणों का विवरण Description of how there is significant influence	लेखांकन मानक-27 के अनुसार आईडीबीआई फेडरल लि. में 48% की धारिता को संयुक्त उद्यम माना जाता है. Holding in IDBI Federal Ltd. being 48%, considered as a Joint Venture as per AS-27
4.	सहयोगी/ संयुक्त उद्यमों के समेकित नहीं होने का कारण Reason why the Associate/ Joint Venture is not consolidated	लागू नहीं / N.A.
5.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता जन्य निवल मालियत Net Worth attributable to Shareholding as per latest Audited Balance Sheet	219 20 63
6.	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/ हानि Profit/ Loss for the year ended March 31, 2015	
	i. समेकन में शामिल / Considered in Consolidation	74 18 69
	ii. समेकन से इतर / Not considered in Consolidation	0

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

टिप्पणियाँ / Notes:

1. उपर्युक्त विवरण को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक 23 - समेकित वित्तीय विवरण में सहायक संस्थाओं में निवेश संबंधी लेखांकन के सिद्धांतों के आधार पर तैयार किया गया है और इसीलिए लेखांकन मानक-23 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार इसमें वो कंपनियां शामिल नहीं हैं जिन पर समूह का पर्याप्त प्रभाव नहीं है, हालांकि इन कंपनियों में समूह की धारिता कुल शेयर पूंजी के 20.00% से अधिक है.
   The above statement has been prepared based on the priniciples of Accounting Standard 23 - Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements, issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and therefore does not include the companies where the Group does not have any significant influence as defined under AS-23, although the the group holds more than 20.00% of total share capital in those companies.

2. इन लेखों में उल्लिखित संयुक्त उद्यम (आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंश कंपनी लि.) के वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और लेखा परीक्षा समिति / बोर्ड के अनुमोदन के अधीन हैं.
   Financial Statements of the Joint Venture (IDBI Federal Life Insurance Company Ltd) as incorporated in these accounts are unaudited and subject to Audit Committee/ Board approval.

3. उन सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरूनहीं हुआ है : कोई नहीं.
   Names of Associates or Joint Ventures which are yet to commence operations: None

4. उन सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया है अथवा जिन्हें बेच दिया गया है : कोई नहीं.
   Names of Associates or Joint Ventures which have been liquidated or sold during the year: None

(एम. एस. राघवन)
(M.S. Raghavan)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

(एम. ओ. रेगो)
(M.O.Rego)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(बी. के. बत्रा)
(B.K.Batra)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director

(एस. रवि)/ (S. Ravi)
निदेशक / Director

(पवन अग्रवाल) / (Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव / Company Secretary

(एन. एस. वेंकटेश)/ (N.S. Venkatesh)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai

दिनांक : 26 मई 2015 / Date: May 26, 2015

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

1. प्रयोज्यता का क्षेत्र और पूंजी पर्याप्तता
Scope of Application and Capital Adequacy

तालिका डीएफ-1 : प्रयोज्यता का क्षेत्र
Table DF-1: Scope of Application

लेखांकन और विनियामक समेकन / Accounting and regulatory consolidation

वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से बैंक आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों को एक साथ जोड़ते हुए पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर लेखांकन मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार अपनी सहायक संस्थाओं का समेकन करता है.

For the purpose of financial reporting, the Bank consolidates its subsidiaries in accordance with Accounting Standard 21-Consolidated Financial Statements, on a line-by-line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenditure.

समूह के शीर्ष बैंक का नाम जिस पर रूपरेखा लागू होती है: आईडीबीआई बैंक लि.
Name of the head of the banking group to which the framework applies: IDBI Bank Ltd.

(i) गुणात्मक प्रकटन / Qualitative Disclosures:

क. समेकन के लिए शामिल समूह संस्थाओं की सूची
a. List of group entities considered for consolidation

संस्था का नाम/ निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	क्या संस्था को समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर स्पष्ट करें Explain the reasons for difference in the method of consolidation	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र में समेकित किया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करें Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि./ भारत IDBI Capital Market Services Ltd/India	हाँ / Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	हाँ / Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. / भारत IDBI Asset Management Ltd/India	हाँ / Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	हाँ / Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

संस्था का नाम/ निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	क्या संस्था को समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर स्पष्ट करें Explain the reasons for difference in the method of consolidation	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र में समेकित किया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करें Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि./ भारत IDBI MF Trustee Company Ltd/ India	हाँ / Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	नहीं / No	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. एक गैर-वित्तीय संस्था है. इसे समूह की समेकित विनियामक पूंजी में से घटाया गया है. IDBI MF Trustee Company Ltd is a non Financial Entity. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

संस्था का नाम/ निगमन देश **Name of the entity / Country of incorporation**	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) **Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)**	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें **Explain the method of consolidation**	क्या संस्था को समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) **Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes/no)**	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें **Explain the method of consolidation**	समेकन की पद्धति में अंतर स्पष्ट करें **Explain the reasons for difference in the method of consolidation**	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र में समेकित किया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करें **Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation**
आईडीबीआई इंटेक लि. / भारत IDBI Intech Ltd/ India	हाँ / Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	नहीं / No	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	आईडीबीआई इंटेक लि. एक गैर-वित्तीय संस्था है. इसे समूह की समेकित विनियामक पूंजी में से घटाया गया है. IDBI Intech Ltd is a non Financial Entity. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

संस्था का नाम/ निगमन देश **Name of the entity / Country of incorporation**	**क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं)** **Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)**	**समेकन की पद्धति स्पष्ट करें** **Explain the method of consolidation**	**क्या संस्था को समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं)** **Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes/no)**	**समेकन की पद्धति स्पष्ट करें** **Explain the method of consolidation**	**समेकन की पद्धति में अंतर स्पष्ट करें** **Explain the reasons for difference in the method of consolidation**	**यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र में समेकित किया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करें** **Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation**
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. / भारत IDBI Trusteeship Services Ltd/ India	हाँ / Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	नहीं / No	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप एक गैर-वित्तीय संस्था है. इसे समूह की समेकित विनियामक पूंजी में से घटाया गया है. IDBI Trusteeship is a non Financial Entity. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.

* एनए/ NA - लागू नहीं / * NA – Not Applicable

ख. समेकन के लेखांकन व विनियामक, दोनों ही क्षेत्रों के लिए समेकन में शामिल न की गई समूह संस्थाओं की सूची:

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

समूह की ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसे समेकन के लेखांकन व विनियामक, दोनों ही क्षेत्रों के लिए समेकन में शामिल न किया गया हो.

There are no group entities that are not considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(ii) संख्यात्मक प्रकटन / Quantitative Disclosures:

ग. विनियामक समेकन में शामिल की गई समूह संस्थाओं की सूची
c. List of group entities considered for regulatory consolidation

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

संस्था का नाम/ निगमन देश (जैसा कि ऊपर (i) क. में दर्शाया गया है.) Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i) a. above)	संस्था के मुख्य कार्यकलाप Principle activity of the entity	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार) Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल तुलन पत्र आस्तियां (जो विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि./ भारत IDBI Capital Market Services Ltd/ India	कारोबार में स्टॉक ब्रोकिंग, वित्तीय उत्पादों का वितरण, मर्चेंट बैंकिंग, कॉरपोरेट सलाहकारी सेवाएं आदि शामिल हैं. Business includes stock broking, distribution of financial products, merchant banking, corporate advisory services, etc.	1,281	3,379
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि./ भारत IDBI Asset Management Ltd/India	आस्तियों का प्रबंधन Manages Assets	2,000	991

(घ) सभी सहायक संस्थाओं में पूंजीगत कमियों की समेकित राशि, जिसे समेकन के विनियामक क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात्, जिसे घटाया गया हो:
d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

किसी सहायक संस्था में ऐसी कोई पूंजीगत कमी नहीं है जिसे समेकन के विनियामक क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है.
There is no capital deficiency in any subsidiary, which is not included in the regulatory scope of consolidation.

(ङ) बीमा संस्थाओं में बैंक के हित की कुल राशि (अर्थात् चालू बही मूल्य) जोकि जोखिम-धारित है:
e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

बीमा कंपनी का नाम/ निगमन देश Name of the insurance entities/ country of incorporation	संस्था के मूल कार्यकलाप Principle activity of the entity	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार) Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का % / वोटिंग अधिकार का अनुपात % of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	जोखिम भारित पद्धति प्रयोग करने बनाम पूर्ण कटौती पद्धति प्रयोग करने की विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव Quantitative impact on Regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि./ भारत IDBI Federal Life Insurance Company Ltd. / India	जीवन बीमा कारोबार Life Insurance business	7,997.28	48%	कटौती दृष्टिकोण के तहत पूंजी आवश्यकता ₹ 2976 मिलियन बढ़ जाएगी The capital requirement would increase by ₹ 2,976 million under Deduction Approach

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

च. बैंकिंग समूह में निधियों के अंतरण या विनियामक पूंजी पर किसी प्रकार का प्रतिबंध या रुकावट:

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:

बैंकिंग समूह में निधियों के अंतरण या विनियामक पूंजी पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या रुकावट नहीं है.
There are no restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group.

तालिका डीएफ -2 : पूंजी पर्याप्तता / Table DF-2: Capital Adequacy

बैंक संभावित हानि के जोखिमों के प्रति कुशन के रूप में तथा अपने अंशधारकों, जमाकर्ताओं और लेनदारों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए पूंजी रखता है. बैंक की भावी पूंजी आवश्यकता को इसकी कारोबार रणनीति के अनुसार इसकी वार्षिक कारोबार योजना के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है. बैंक की भावी पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने में ब्याज दर, विनिमय दर, चलनिधि स्थिति जैसे कई कारकों पर विचार करने के बाद बाजार के रुख की समीक्षा की जाती है. इसके अलावा तुलन पत्र संरचना, पोर्टफोलियो संमिश्र, वृद्धि दर तथा संबंधित भुनाई जैसे विस्तृत मानदंडों पर भी विचार किया जाता है. साथ ही सटीक अनुमान दर्शाने के लिए ऋण संरचना और रेटिंग मैट्रिक्स को भी शामिल किया जाता है.
The Bank maintains and manages capital as a cushion against the risk of probable losses and to protect its stakeholders, depositors and creditors. The future capital requirement of the Bank is projected as a part of its annual business plan, in accordance with its business strategy. To calculate the future capital requirements of the Bank a view on the market behavior is taken after considering various factors such as interest rate, exchange rate and liquidity positions. In addition, broad parameters like balance sheet composition, portfolio mix, growth rate and relevant discounting are also considered. Further, the loan composition and rating matrix is factored in to reflect precision in projections.

दिनांक 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अपने पूंजी अनुपातों की गणना रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कर रहा है.
In line with the Basel III guidelines which are effective since April 01, 2013, the Bank has been calculating its capital ratios as per the extant RBI guidelines.

बासेल III मानदंडों का प्रमुख ध्यान टीयर I पूंजी की गुणवत्ता और मात्रा पर तथा इस बात पर है कि बैंक की वर्तमान में उपलब्ध पूंजी की मात्रा इन विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करती है. वर्तमान में बैंक विभिन्न् दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम आवश्यकताओं से बेहतर कार्य- निष्पादन कर रहा है. 31 मार्च 2015 को बैंक की एकल सीआरएआर की स्थिति निम्नानुसार हैः
The main focus of Basel III norms is on the quality and quantity of Tier I capital and these regulatory requirements are currently met with the quantum of capital available with the Bank. At present the Bank is operating well above the minimum requirements as stipulated by the guidelines. The Standalone CRAR position of the Bank as on March 31, 2015 is as below:

सीआरएआर / **CRAR %**	**बासेल III / Basel III**
सीईटी / CET 1 (%)	7.29%
टीयर / Tier 1 (%)	8.18%
कुल / Total (%)	**11.76%**

वर्तमान और भावी जोखिमों की पहचान, मात्रा -निर्धारण और अनुमान लगाने के लिए बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति लागू की है. इस नीति के अंतर्गत ऐसे जोखिमों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया, बैंक की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के आकलन तथा उनके नियंत्रण और न्यूनीकरण के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करना और इस प्रकार पूंजी का पर्याप्त स्तर बनाए रखना शामिल है. आईसीएएपी अभ्यास यह सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रूप से किया जाता है कि बैंक के पास अपनी कारोबारी आवश्यकताओं के अनुरूप विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी है. बैंक की समेकित दबाव परीक्षण नीति भी है जिसमें विनियामक दबाव स्थितियाँ शामिल हैं जो बैंक की जोखिम रूपरेखा तथा पूंजी की स्थिति पर ऐसे गंभीर किंतु सत्याभासी दबाव परिदृश्य के प्रभाव पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं. दबाव परीक्षण अभ्यास नियमित रूप से किए जाते हैं. यह बोर्ड द्वारा अनुमोदित दबाब परीक्षण ढांचे पर आधारित हैं जिसमें दबाव परीक्षण पर रिज़र्व बैंक के दिनांक 02 दिसंबर 2013 के दिशानिर्देशों को शामिल किया गया है. दबाव परिदृश्य के प्रभावों का बैंक की लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता पर विश्लेषण किया जाता है. इस अभ्यास के परिणाम उपयुक्त बोर्ड स्तरीय समिति (यों) को सूचित किए जाते हैं.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

For identification, quantification and estimation of current and future risks, the Bank has a Board approved Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) policy. The policy covers the process for addressing such risks, measuring their impact on the financial position of the Bank and formulating appropriate strategies for their containment & mitigation; thereby maintaining an adequate level of capital. The ICAAP exercise is conducted periodically to determine that the Bank has adequate capital to meet regulatory requirements in line with its business requirements. The Bank also has a comprehensive stress test policy covering regulatory stress conditions to give an insight into the impact of severe but plausible stress scenarios on the Bank's risk profile and capital position. The stress test exercises are carried out regularly based on the board approved stress testing framework incorporating RBI guidelines on Stress testing dated December 02, 2013. The impact of stress scenarios on the profitability and capital adequacy of the Bank are analyzed. The results of the exercise is reported to the suitable board level committee(s).

दिनांक 31 मार्च 2015 को समेकित सीआरएआर स्थिति निम्नानुसार है:
The Consolidated CRAR position, as on March 31, 2015 is as follows:

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

पूंजी आवश्यकता / Capital requirement	
ऋण जोखिम पूंजी / Credit Risk Capital:	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो / Portfolios subject to standardized approach	2,22,463.05
प्रतिभूतिकरण / Securitization	167.17
बाजार जोखिम पूंजी / Market Risk Capital:	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण /Standardized duration approach	22,706.10
ब्याज दर जोखिम / Interest Rate Risk	12,180.77
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित) / Foreign exchange Risk (including Gold)	450.00
इक्विटी जोखिम / Equity Risk	10,075.33
परिचालन जोखिम पूंजी / Operational Risk Capital:	
मूल संकेतक दृष्टिकोण / Basic indicator approach	12,129.51
कुल अपेक्षित न्यूनतम पूंजी / Total Minimum Capital required	2,57,465.83
(प्रतिशत / Percentage)	
सामान्य इक्विटी टीयर 1, टीयर 1 एवं कुल पूंजी का अनुपात: **Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total capital ratio:**	
सीईटी 1 / CET 1 (%)	7.36%
टीयर 1 / Tier 1 (%)	8.26%
कुल / Total (%)	**11.86%**

2. जोखिम एक्सपोजर एवं मूल्यांकन / Risk exposure and assessment

तालिका डीएफ-3: ऋण जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटन
Table DF-3: Credit Risk: General Disclosures for All Banks

ऋण जोखिम एक प्रकार का हानि जोखिम है जो प्रतिपक्षी द्वारा वित्तीय संविदा की शर्तों के अनुसार दायित्वों को पूरा न करने अथवा उसकी चूक के कारण उत्पन्न हो सकता है. ऐसी किसी भी घटना का बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. बैंक को अपने उधार, निवेश तथा संविदागत व्यवस्थाओं के ज़रिए ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है. बैंक के समक्ष आने वाले ऋण जोखिमों के प्रभाव का सामना करने के लिए एक सुदृढ़ जोखिम अभिशासन ढांचा बनाया गया है. यह ढांचा जोखिमों के स्वामित्व और प्रबंधन के बारे में भूमिकाओं की स्पष्ट परिभाषा और साथ ही जिम्मेदारियों का निर्धारण प्रस्तुत करता है. रिपोर्टिंग प्रबंध तथा सूचना प्रणाली (एमआईएस) व्यवस्था के बारे में पदानुक्रम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए ज़िम्मेदारी निर्धारण को और मजबूत बनाया गया है.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

Credit risk is the risk of loss that may occur due to default of the counterparty or from its failure to meet its obligations as per terms of the financial contract. Any such event will have an adverse effect on the financial performance of the Bank. The Bank faces credit risk through its lending, investment and contractual arrangements. To counter the effect of credit risks faced by the Bank, a robust risk governance framework has been put in place. The framework provides a clear definition of roles as well as allocation of responsibilities with regard to ownership and management of risks. Allocation of responsibilities is further substantiated by defining clear hierarchy with respect to reporting relationships and Management Information System (MIS) mechanism.

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीतियां / Bank's Credit risk management policies

बैंक ने कार्यविधियों और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से निरूपित करने के उद्देश्य से विभिन्न जोखिम प्रबंध नीतियां, प्रक्रियाएं तथा मानक तैयार तथा कार्यान्वित किए हैं जो सभी संबंधित कारोबारी समूहों पर आबद्धकर हैं. बैंक की ऋण नीति ऋण एक्सपोजरों के परिमापन, निगरानी और नियंत्रण द्वारा एक उच्च गुणवत्ता पूर्ण ऋण पोर्टफोलियो बनाने तथा उसे बनाए रखने के उद्देश्य के साथ संचालित है. यह नीति कंपनियों, कारोबार समूहों, उद्योगों, भौगोलिक क्षेत्रों तथा सेक्टरों में पोर्टफोलियो के विशाखन जैसे सूक्ष्म कारकों पर भी ध्यान देती है. मौजूदा कारोबार परिदृश्य तथा विनियामक शर्तों के आलोक में यह नीति कॉरपोरेट ग्राहकों को उधार देने के प्रति बैंक का दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है.
The Bank has defined and implemented various risk management policies, procedures and standards with an objective to clearly articulate processes and procedural requirements that are binding on all concerned Business groups. The Credit Policy of the Bank is guided by the objective to build, sustain and maintain a high quality credit portfolio by measurement, monitoring and control of the credit exposures. The policy also addresses more granular factors such as diversification of the portfolio across companies, business groups, industries, geographies and sectors. The policy reflects the Bank's approach towards lending to corporate clients in light of prevailing business environment and regulatory stipulations.

बैंक की ऋण नीति के अंतर्गत बैंक के खुदरा आस्ति पोर्टफोलियो को बढ़ाने तथा उन्हें बनाये रखने के लिए मानक, प्रक्रियाएं तथा पद्धतियां निर्दिष्ट की गयी हैं. यह नीति विभिन्न खुदरा उत्पादों के लिए वैयक्तिक उत्पाद प्रोग्राम दिशानिर्देशों के प्रतिपादन को भी संचालित करती है. इस नीति की उस परिवेश (विनियामक एवं बाजार) की गति की प्रत्याशा में या के प्रत्युत्तर में वार्षिक समीक्षा की जाती है जिसमें बैंक परिचालन करता है या रणनीतिक दिशा, जोखिम सहनशीलता आदि में परिवर्तन करता है. यह नीति बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है.
The Bank's Credit Policy also details the standards, processes and systems for growing and maintaining its Retail Assets portfolio. The policy also guides the formulation of Individual Product Program Guidelines for various retail products. The Credit policy is reviewed annually in anticipation of or in response to the dynamics of the environment (regulatory & market) in which the Bank operates or to change in strategic direction, risk tolerance, etc. The policy is approved by the Board of Directors of the Bank.

ऋण जोखिम के संकेंद्रण से बचने के लिए, बैंक ने एकल उधारकर्ता, समूहों से संबंधित एक्सपोजर मानदंडों, संवेदनशील क्षेत्र के एक्सपोजरों, उद्योग एक्सपोजर और अप्रतिभूत एक्सपोजर के बारे में आंतरिक दिशानिर्देश लागू किए हैं. नये कारोबार प्राप्त करने के लिए और नये ग्राहकों की प्रारंभिक जांच के लिए भी मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं. बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, वाणिज्यिक रियल एस्टेट, पूंजी बाजार तथा बुनियादी क्षेत्र सहित किसी भी उद्योग को ऋण देने के संबंध में रिज़र्व बैंक, सेबी तथा अन्य विनियामक निकायों द्वारा जारी किए गए निदेशों का पालन करता है. इसके अलावा, विवेकपूर्ण विचारों के आधार पर कुछ विशिष्ट खंडों के लिए आंतरिक सीमाएं भी निर्धारित की गयी हैं.
To avoid concentration of credit risk, the Bank has put in place internal guidelines on exposure norms in respect of single borrower, groups, exposure to sensitive sector, industry exposure, unsecured exposures, etc. Norms have also been detailed for soliciting new business as well as for preliminary scrutiny of new clients. The Bank abides by the directives issued by RBI, SEBI and other regulatory bodies in respect of lending to any industry including NBFCs, Commercial Real Estate, Capital Markets and Infrastructure. In addition, internal limits have been prescribed for certain specific segments based on prudential considerations.

बैंक के पास देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में एक्सपोजर से संबंधित प्रतिपक्षी जोखिम पर विशिष्ट नीति और विभिन्न देशों में एक्सपोजर से संबंधित देश जोखिम प्रबंधन पर नीति है.
The Bank has a specific policy on Counter Party Credit Risk pertaining to exposure on domestic & international banks and a policy on Country Risk Management pertaining to exposure on various countries.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

ऋण जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया / Credit risk assessment process:

ऋण प्रस्तावों की मंजूरी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रत्यायोजन संरचना के अनुसार की जाती है. बैंक द्वारा प्रयुक्त ऋण जोखिम रेटिंग, ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करने का एक मुख्य साधन है.
The sanction of credit proposals is in accordance with the delegation structure approved by the Board of Directors. Credit risk rating, used by the Bank is one of the key tools for assessing its credit proposals.

बैंक ने बासेल अपेक्षाओं के अनुरूप आंतरिक रेटिंग मॉडल जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल (रैम) को कार्यान्वित किया है. यह रेटिंग के लिए एक द्विआयामी मॉड्यूल अर्थात् बाध्यताधारी तथा सुविधा है. उधारकर्ता की श्रेणी और विशेषता के अनुसार विभिन्न रेटिंग मॉडलों के लिए वित्तीय, कारोबार, प्रबंधन तथा उद्योग जैसे विभिन्न जोखिम मानदंडों का इस्तेमाल किया जाता है. प्रस्ताव की गुणवत्ता व मात्रात्मक जानकारी का ऋण जोखिम विश्लेषक द्वारा मूल्यांकन किया जाता है ताकि उधारकर्ता की ऋण रेटिंग का पता लगाया जा सके.
The Bank has implemented internal rating model Risk Assessment Module (RAM), a two - dimensional module for rating viz.; obligor and facility, in line with Basel requirements. Different risk parameters such as financial, business, management and industry are used for different rating models in accordance with the category and characteristics of the borrower. Qualitative and quantitative information of the proposal is evaluated by the credit risk analyst to ascertain the credit rating of the borrower.

एक निश्चित प्रारंभिक राशि से अधिक के प्रस्तावों की रेटिंग बैंक के ऋण जोखिम समूह द्वारा केन्द्रीकृत रूप में की जाती है. आंतरिक ऋण रेटिंग को प्रमाणित करने के लिए उपयुक्त समिति आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है. समितियों में बैंक के वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं. खुदरा उत्पादों के ऋण का अनुमोदन पृथक खुदरा उत्पाद दिशानिर्देश से संचालित होता है तथा प्रत्येक प्रस्ताव का मूल्यांकन स्कोरिंग मॉडल के जरिए किया जाता है.
Proposals over a certain threshold amount are rated centrally by rating analysts of the Bank. Suitable committee based approach is followed to validate the internal credit ratings. The committees comprise of senior officials of the Bank. Approval of credit for retail products are guided by the individual retail product paper guidelines and each proposal is appraised through a scoring model.

उपर्युक्त के अलावा, एक ऋण लेखा परीक्षा प्रक्रिया भी लागू की गई है जिसका उद्देश्य ऋणों की समीक्षा करना है और यह ऋण मूल्यांकन, निगरानी तथा न्यूनीकरण प्रक्रिया की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभावी साधन है.
In addition to the above, a Credit audit process is in place, which aims at reviewing the loans and acts as an effective tool to evaluate the efficacy of credit assessment, monitoring and mitigation process.

अनर्जक आस्तियों की परिभाषाएं / Definitions of non-performing assets:

रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अपने अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में करता है.
The Bank classifies its advances into performing and non-performing advances in accordance with the extant RBI guidelines.

अनर्जक आस्ति (एनपीए) ऐसे ऋण या अग्रिम को कहा जाता है, जहां;
The non performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

- मीयादी ऋण के मामले में ब्याज और/ अथवा मूलधन की किस्तें 90 से अधिक दिन से अतिदेय हों.
  Interest and/ or installment of principal remains overdue for more than 90 days for a term loan,
- खाता ओवरड्राफ्ट/ नकदी ऋण (ओडी /सीसी) के संबंध में 'अनियमित' रहता है. यदि खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा/ आहरण अधिकार से लगातार अधिक रहती हो, तो उसे भी 'अनियमित' माना जाता है. जिन मामलों में मुख्य परिचालन खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा / आहरण अधिकार से कम है, किंतु उनमें तुलन पत्र की तारीख तक लगातार 90 दिन तक कोई राशि जमा नहीं होती है या जमा की गई राशियां इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो ऐसे खातों को भी 'अनियमित' माना जाता है.
  The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC). 'Out of order' means if the account outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

- क्रय किए गए या भुनाए गए बिल 90 से अधिक दिन से 'अतिदेय' हों.
  The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- कृषि ऋण के संबंध में अल्पावधि फसलों के मामले में ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किस्तों की अदायगी दो फसल मौसम से अतिदेय हो और दीर्घावधि फसलों में एक फसल मौसम से अतिदेय हो.
  In respect of an agricultural loan, the interest and / or installment of principal remains overdue for two crop seasons for short duration crops and for one crop season for long duration crops.

इसके अलावा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार एनपीए को अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. अवमानक आस्ति उसे कहा जाता है, जो 12 माह या इससे कम अवधि से एनपीए हो. किसी आस्ति को संदिग्ध तब माना जाता है जब यह अवमानक आस्ति की श्रेणी में 12 माह या इससे अधिक अवधि से हो. हानि आस्ति उसे कहा जाता है जो बैंक द्वारा अथवा आंतरिक / बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा अथवा रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के दौरान हानि आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित की गई हो किन्तु जिसे पूर्णतः बट्टे खाते नहीं डाला गया हो.
NPAs are further classified into sub-standard, doubtful and loss assets based on the criteria stipulated by RBI. A substandard asset is one, which has remained as NPA for a period less than or equal to 12 months. An asset is classified as doubtful if it has remained in the sub-standard category for more than 12 months. A loss asset is one where loss has been identified by the Bank or by the internal / external auditors or the RBI inspection but the amount has not been written off fully.

प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में, जहां ब्याज/ मूलधन बकाया है, बैंक ऐसी प्रतिभूतियों पर आय को गणना में शामिल नहीं करता है तथा निवेश के मूल्य में कमी के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार उचित प्रावधान करता है.
In respect of investments in securities, where interest / principal is in arrears, the Bank does not reckon income on such securities and makes provisions as per provisioning norms prescribed by RBI for depreciation in the value of investments.

क. कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर, निधि आधारित और गैर-निधि आधारित पृथक
a. Total gross credit risk exposures, Fund based and Non-fund based separately.

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

विवरण / Particulars	**निधि आधारित Fund Based**	**गैर-निधि आधारित Non Fund Based**	**कुल Total**
कुल सकल ऋण एक्सपोजर* Total Gross Credit Exposures*	28,05,697.98	14,02,976.02	42,08,674.00
देशी / Domestic	25,77,254.57	13,80,285.79	39,57,540.36
विदेशी / Overseas	2,28,443.41	22,690.23	2,51,133.64

* अग्रिम, साखपत्र, बैंक गारंटियां, एलईआर, स्वीकृतियां और अनाहरित मंजूरियां शामिल हैं
* includes advances, LCs, BGs, LERs, acceptances & undrawn sanctions

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

ख. सकल ऋण एक्सपोजर वाले शीर्ष 20 प्रकार के उद्योगों का वितरण-निधि आधारित व गैर-निधि आधारित

b. Top 20 industry type distribution of Gross credit exposures- fund based and non-fund based

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

उद्योग Industry	निधि आधारित एक्सपोजर FB Credit Exposure	गैर-निधि आधारित एक्सपोजर NFB Credit Exposure	कुल ऋण एक्सपोजर Total Credit Exposure
बिजली / Power	2,87,215.50	1,25,377.00	4,12,592.50
सड़क व पुल/ पोर्ट / Roads And Bridges / Ports	1,69,701.69	1,11,908.80	2,81,610.50
आवास ऋण / Housing Loans	2,81,095.85	0.00	2,81,095.85
इंफ्रास्ट्रक्चर अन्य / Infrastructure Others	1,27,025.61	1,26,740.11	2,53,765.72
तेल एवं गैस / पेट्रोलियम उत्पाद Oil And Gas/Petroleum Products	1,36,283.23	1,04,294.80	2,40,578.03
लौह एवं इस्पात / Iron And Steel	1,26,113.87	1,10,873.04	2,36,986.91
दूरसंचार / Telecom	81,187.15	80,421.63	1,61,608.78
एनबीएफसी / NBFC	1,38,803.06	6,154.66	1,44,957.72
टेक्सटाइल / Textiles	96,676.08	17,676.87	1,14,352.95
सामान्य मशीनरी एवं उपकरण General Machinery And Equipments	31,017.40	67,901.68	98,919.08
निर्माण / Construction	27,368.76	70,136.07	97,504.83
व्यापार / Trading	57,270.31	33,634.41	90,904.71
बैंकिंग / Banking	26,620.70	59,945.07	86,565.76
रसायन और रसायन उत्पाद Chemical And Chemical Products	41,766.70	26,943.28	68,709.98
सीमेंट/ Cement	56,674.89	10,410.65	67,085.54
विद्युत मशीनरी एवं उपकरण Electrical Machinery And Equipments	19,054.43	42,572.87	61,627.30
उर्वरक / Fertilizers	20,129.22	40,004.56	60,133.78
रत्न एवं आभूषण / Gems And Jewellery	35,283.69	21,915.38	57,199.08
चीनी व चीनी उत्पाद / Sugar And Sugar Products	42,374.00	11,918.41	54,292.42
धातु एवं धातु उत्पाद (बुनियादी लौह एवं इस्पात से निर्मित वस्तुओं को छोड़कर) Metals And Metal Products(Other Than Mfg. Of Basic Iron And Steel)	24,533.39	25,144.71	49,678.10
अन्य / Others	9,79,499.80	3,09,002.02	12,88,501.81
कुल / Total	**28,05,695.33**	**14,02,976.02**	**42,08,671.35**

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

ग. सकल ऋण एक्सपोजरों में 5% से अधिक हिस्सा रखने वाले उद्योग

c. Industries having more than 5% of the Gross credit exposures

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

उद्योग का नाम Industry Name	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित Non Fund Based	कुल Total	%
बिजली / Power	2,87,215.50	1,25,377.00	4,12,592.50	9.80%
सड़क व पुल / पोर्ट Roads & Bridges / Ports	1,69,701.69	1,11,908.80	2,81,610.50	6.69%
आवास ऋण / Housing Loans	2,81,095.85	0.00	2,81,095.85	6.68%
इंफ्रास्ट्रक्चर अन्य Infrastructure Others	1,27,025.61	1,26,740.11	2,53,765.72	6.03%
तेल एवं गैस / पेट्रोलियम उत्पाद Oil & Gas/Petroleum Products	1,36,283.23	1,04,294.80	2,40,578.03	5.72%
लौह एवं इस्पात /Iron & Steel	1,26,113.87	1,10,873.04	2,36,986.91	5.63%

घ. आस्तियों की बची हुई संविदात्मक परिपक्वता का विश्लेषण

d. Residual contractual maturity breakdown of assets

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

परिपक्वता अवधि Maturity Buckets	आस्तियां / Assets				
	रिज़र्व बैंक व अन्य बैंकों के पास नकदी एवं जमा शेष Cash & Balances with RBI and Other Banks	निवेश Investments	अग्रिम Advances	अचल आस्तियां एवं अन्य आस्तियां Fixed Assets & Other Assets	कुल आस्तियां Total Assets
दिन / Day 1	89,608.50	1,19,674.30	19,516.60	3,462.20	2,32,261.60
2 से 7 दिन / 2 to 7 days	3,189.40	95,289.90	17,248.90	615.4	1,16,343.60
8 से 14 दिन / 8 to 14 days	406.1	50.4	22,692.40	2,638.90	25,787.80
15 से 28 दिन 15 to 28 days	1,733.00	2,011.50	18,778.50	1,026.50	23,549.50
29 दिन से 3 माह तक 29 days & upto 3 months	6,085.90	9,024.10	1,11,764.80	39,222.30	1,66,097.10
3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	7,131.70	54,675.20	1,12,306.30	2,251.80	1,76,365.00

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

परिपक्वता अवधि Maturity Buckets	आस्तियां / Assets				
	रिज़र्व बैंक व अन्य बैंकों के पास नकदी एवं जमा शेष Cash & Balances with RBI and Other Banks	निवेश Investments	अग्रिम Advances	अचल आस्तियां एवं अन्य आस्तियां Fixed Assets & Other Assets	कुल आस्तियां Total Assets
6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	10,906.50	55,540.10	1,18,458.20	8,256.00	1,93,160.80
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	10,785.10	1,33,043.40	8,47,725.60	226.2	9,91,780.30
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	3,720.80	1,89,144.30	2,53,887.50	56,048.20	5,02,800.80
5 वर्ष से अधिक / Over 5 yrs	11,690.52	5,51,178.93	5,61,389.86	7,899.85	11,32,159.16
कुल / Total	**1,45,257.52**	**12,09,632.13**	**20,83,768.66**	**1,21,647.35**	**35,60,305.66**

ङ. 31 मार्च 2015 को अनर्जक आस्तियां
e. Non Performing Assets as on March 31, 2015

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

एनपीए की स्थिति / Position of NPA	
कुल अग्रिम / Gross Advances	21,57,916.80
निवल अग्रिम / Net Advances	20,83,768.70
यथा कुल एनपीए / Gross NPA as on	1,26,849.72
क. अवमानक a. Substandard	30,200.22
ख. संदिग्ध 1 b. Doubtful 1	27,480.05
ग. संदिग्ध 2 c. Doubtful 2	55,611.17
घ. संदिग्ध 3 d. Doubtful 3	10,505.01
ङ. हानि e. Loss	3,053.27
एनपीए प्रावधान / NPA Provision*	66,339.66
निवल एनपीए / Net NPA	59,925.23

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

एनपीए की स्थिति / Position of NPA	
एनपीए अनुपात / NPA Ratios	
सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए (%) / Gross NPAs to Gross Advances (%)	5.88%
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%) / Net NPAs to Net Advances (%)	2.88%
एनपीए में घट-बढ़ (सकल) / Movement of NPAs (Gross)	
आरंभिक शेष / Opening Balance	99,601.59
परिवर्धन / Additions	61,008.14
बट्टे खाते डाले गए / Write Offs	16,088.54
कटौतियां / Reductions	17,671.47
अंतिम शेष / Closing Balances	1,26,849.72
एनपीए के लिए प्रावधानों* में घट-बढ़ / Movement of Provisions* for NPAs	
आरंभिक शेष / Opening Balance	49,734.95
जोड़ें : अवधि के दौरान किए गए प्रावधान / Add : Provision made during the period	42,024.79
घटाएं: प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर में अंतरित / Less : Transfer to Countercyclical Prov Buffer	0.000
घटाएं: बट्टे खाते डाली गई राशि / Less : Write offs	16,088.54
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन / Less : Write Back of excess provision	9,331.54
अंतिम शेष / Closing Balances	66,339.66
(ञ/j) अनर्जक निवेशों की राशि / **Amount of Non-performing Investments**	10,106.27
(ट/k) अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि Amount of provisions held for Non-performing Investments	7,327.40
(ठ/l) निवेशों (बांड व डिबेंचर सहित) के मूल्य में कमी के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ Movement of provisions for depreciation on investments (including bonds and debentures)	
आरंभिक शेष / Opening Balance	12,484.61
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान / Provisions made during the period	3,017.87
बट्टे खाते में डाली गई राशि / अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन Write offs / Write Back of excess provisions	935.90
अंतिम शेष / Closing Balance	14,566.58

*प्रावधान राशि में ₹ 58.48 करोड़ की एनपीए आस्तियों पर एनपीवी हानि शामिल नहीं है.
*Provision amount does not include NPV loss on NPA asset of ₹ 58.48 Crore

तालिका डीएफ-4: ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो का प्रकटन
Table DF-4: Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised approach

बैंक पूंजी गणना के लिए अपने एक्सपोजरों पर जोखिम भार की गणना करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट बाह्य रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग का प्रयोग करता है. बासेल दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे देशी ऋण रेटिंग एजेंसियों अर्थात् क्रिसिल, केयर, इक्रा, इंडिया रेटिंग्स (पूर्ववर्ती फिच इंडिया), ब्रिकवर्क व स्मेरा और अंतर्राष्ट्रीय ऋण रेटिंग एजेंसियों फिच, मूडीज़ तथा स्टैंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा प्रदान की गई बाह्य रेटिंग का उपयोग करता है.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

The Bank uses the solicited ratings assigned by the external credit rating agencies specified by RBI for calculating risk weights on its exposures for capital calculations. In line with the Basel guidelines, banks are required to use the external ratings assigned by domestic credit rating agencies viz. Crisil, CARE, ICRA, India Ratings (formerly Fitch India), Brickwork and SMERA and international credit rating agencies Fitch, Moody's and Standard & Poor's.

प्रदत्त रेटिंग का प्रयोग दिशानिर्देशों द्वारा अनुमत तरीके से तुलन पत्र में तथा तुलन पत्र से इतर अल्पावधि व दीर्घावधि सभी पात्र एक्सपोजरों के लिए किया जाता है. केवल उन्हीं रेटिंगों पर विचार किया जाता है, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं तथा रेटिंग एजेंसियों के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू हों.
The ratings assigned, are used for all eligible exposures; on balance sheet & off balance sheet; short term & long term in the manner permitted by the guidelines. Only those ratings which are publicly available and in force as per the monthly bulletin of the rating agencies are considered.

जोखिम भारिता के प्रयोजन हेतु पात्र होने के लिए बैंक की ऋण जोखिम एक्सपोजर की संपूर्ण राशि को बाह्य ऋण आकलन हेतु हिसाब में लिया जाता है. बैंक एक वर्ष या इससे कम की संविदात्मक परिपक्वता वाले एक्सपोजरों के लिए अल्पावधि रेटिंग तथा एक वर्ष से अधिक वाले एक्सपोजरों के लिए दीर्घावधि रेटिंग का प्रयोग करता है.
To be eligible for risk weighting purposes, the entire amount of credit risk exposure to the Bank is taken into account for external credit assessment. The Bank uses short term ratings for exposures with contractual maturity of less than or equal to one year and long term ratings for those exposures which have a contractual maturity of over one year.

किसी कॉरपोरेट एक्सपोजर के लिए रेटिंग प्रदान करने और उपयुक्त जोखिम भार लागू करने की प्रक्रिया रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है. जहाँ किसी कॉरपोरेट के लिए एक से अधिक रेटिंग उपलब्ध हैं, वहाँ दो रेटिंग उपलब्ध होने पर निम्नतर रेटिंग तथा तीन या अधिक रेटिंग होने पर द्वितीय निम्नतम रेटिंग लागू की जाती है. 3 प्रमुख जोखिम समूहों में ऋण जोखिम न्यूनीकरण एवं कटौती के पश्चात् बैंकिंग बही में आस्तियों की निवल बकाया राशि और गैर-निधि आधारित सुविधाओं का विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में दिया गया हैः
The process used to assign the ratings to a corporate exposure and apply the appropriate risk weight is as per the regulatory guidelines prescribed by RBI. In cases where multiple external ratings are available for a given corporate, the lower rating, where there are two ratings and the second lowest rating, where there are three or more ratings is applied. The table given below gives the breakup of net outstanding amounts of assets in Banking Book and Non Fund Based Facilities after Credit Risk Mitigation in 3 major risk buckets as well as those that are deducted:

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

जोखिम-भार / Risk Weight	**निवल एक्सपोजर Net Exposure**
100% से कम / Less than 100%	22,38,454.09
100% पर /At 100%	11,55,212.20
100% से अधिक / More than 100%	4,87,248.31
पूंजी से कटौती / Deduction from Capital	311.00
कुल / Total	**38,81,225.60**

तालिका डीएफ-5 : ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन
Table DF-5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches

संपार्श्विक प्रतिभूति उधारकर्ता द्वारा ऋण सुविधा को सुरक्षित करने के लिए उधारदाता को प्रदान की गई एक आस्ति या अधिकार है. ऋण जोखिमों को कम करने के लिए बैंक अपने निवेशों के प्रति संपार्श्विक प्रतिभूति लेता है. बैंक के पास संपार्श्विक प्रबंध और ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) तकनीकों पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है जिसमें स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों के बारे में मानदंड, ऐसे संपार्श्विकों के वर्गीकरण और मूल्यांकन के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं दी गई हैं.
A collateral is an asset or a right provided by the borrower to the lender to secure a credit facility. To mitigate credit risk, the Bank obtains collaterals against its exposures. The Bank has a Board approved policy on Collateral Management

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

and Credit Risk Mitigation (CRM) Techniques, which includes norms on acceptable collaterals, procedures & processes to enable classification and valuation of such collaterals.

तुलन पत्रीय नेटिंग उन ऋणों और जमाराशियों तक सीमित है जहां बैंक के पास अन्य निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त विशिष्ट धारणाधिकार सहित वैध रूप से प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्था है. यह नेटिंग उसी प्रतिपक्षकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर ऋणों के लिए है जो निर्धारणीय नेटिंग व्यवस्था के अधीन है.
On-Balance sheet netting is confined to loans and deposits, where the Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien in addition to other stipulated conditions. The netting is only undertaken for loans against collaterals of the same counterparty and subject to identifiable netting arrangement.

बैंक द्वारा ऋण एक्सपोजरों की बचाव व्यवस्था (हेज़िंग) करने के लिए वित्तीय तथा गैर-वित्तीय दोनों संपार्श्विक प्रतिभूतियों का इस्तेमाल किया जाता है. उधारकर्ता के प्रकार, जोखिम रूपरेखा तथा सुविधा को ध्यान में रखते हुए किसी उत्पाद के लिए उपयुक्त संपार्श्विक प्रतिभूति का निर्धारण किया जाता है. बैंक द्वारा स्वीकार की जानेवाली प्रमुख पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों में नकदी, बैंक की स्वयं की जमाराशियां, स्वर्ण, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, घोषित अभ्यर्पण मूल्य के साथ जीवन बीमा पॉलिसियां और विभिन्न प्रतिभूतियां शामिल हैं. गैर-वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों में भूमि व भवन, संयंत्र एवं मशीनरी, स्टॉक, आदि शामिल हैं. तथापि, खुदरा पोर्टफोलियो के अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूतियों को उत्पाद के प्रकार के अनुसार परिभाषित किया जाता है, जैसे आवास ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति आवासीय बंधक होगी और ऑटो ऋण के लिए यह वाहन होगी. अधिकांश पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियां जहाँ बैंक ने सीआरएम तकनीक के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ प्राप्त किया है, बैंक की स्वयं की सावधि जमाराशियों के रूप में हैं जो ऋण या बाजार जोखिम के अधीन नहीं है.
Both financial as well as non-financial collaterals are used to hedge its credit exposures. Appropriate collateral for a product is determined after taking into account the type of borrower, the risk profile and the facility. The main types of eligible financial collaterals accepted by the Bank are Cash, Bank's own deposits, Gold, National Savings Certificates, Kisan Vikas Patra, Insurance policies with a declared surrender value and various Debt securities. The non-financial collaterals include Land & Building, Plant & Machinery, Stock, etc. However, under the retail portfolio the collaterals are defined as per the type of product e.g. collateral for housing loan would be residential mortgage and an automobile is a collateral for auto loan. Most of the eligible financial collaterals, where the Bank has availed capital benefits under CRM techniques, are in the form of Bank's own FDs which are not subject to credit or market risk.

बैंक अपने एक्सपोजरों को सुरक्षित करने के लिए गारंटियों पर भी विचार करता है. तथापि, यह सिर्फ उन्हीं गारंटियों पर विचार करता है जो प्रत्यक्ष, सुस्पष्ट तथा बिना शर्त होती हैं. संप्रभु सरकारों, सरकारी संस्थाओं, बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) तथा उच्च रेटिंग प्राप्त कॉरपोरेट संस्थाओं को बासेल दिशानिर्देशों में निर्धारित रूप में पूंजीगत अभिलाभ प्राप्त करने के लिए बैंक द्वारा पात्र गारंटीकर्ता माना जाता है.
The Bank also considers guarantees for securing its exposures; however only those guarantees which are direct, explicit and unconditional are considered. Sovereigns, Public Sector Entities, Banks, Primary Dealers, Credit Guarantee fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE), Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) and highly rated corporate entities are considered as eligible guarantors by the Bank for availing capital benefits as stipulated in the Basel guidelines.

बैंक अपने सामने आनेवाले ऋण जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं तथा तकनीकों का प्रयोग करता है. ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) एक ऐसा साधन है जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य की सीमा तक इसकी पूंजी आवश्यकता की गणना करते समय, प्रतिपक्षी को बैंक के ऋण एक्सपोजर को कम करने के लिए तैयार किया गया है. प्रतिपक्षी के ऋण एक्सपोजर को उपयुक्त मार्जिन लगाने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मूल्य द्वारा समायोजित किया जाता है. मूल्य में अस्थिरता का पता लगाने के लिए मार्जिन लागू किया जाता है जिसमें एक्सपोजरों और संपार्श्विक प्रतिभूति दोनों के लिए मुद्रा असंतुलन के कारण होने वाली अस्थिरता भी शामिल है. पात्र गारंटियों के अंतर्गत पूंजी बचत का लाभ उठाने के लिए एक्सपोजर की राशि प्रतिभूत और अप्रतिभूत हिस्सों में बाँट दी जाती है. एक्सपोजर का प्रतिभूत हिस्सा गारंटीकर्ता के जोखिम भार को दर्शाता है, जबकि अप्रतिभूत हिस्सा बाध्यताधारी के जोखिम भार को दर्शाता है, बशर्ते कि बासेल दिशानिर्देशों में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा किया जाए.
The Bank utilizes various processes and techniques to reduce the impact of the credit risk to which it is exposed. CRM is one such tool designed to reduce the Bank's credit exposure to the counterparty while calculating its capital requirement to the extent of the value of eligible financial collateral. The credit exposure to a counter party is adjusted by the value of

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

eligible financial collaterals after applying appropriate haircuts. The haircuts are applied to account for volatility in value, including those arising from currency mismatch for both the exposure and the collateral. For availing capital savings under eligible guarantees, the amount of exposure is divided into covered and uncovered portions. The covered portion of the exposure attracts the risk weight of guarantor, while the uncovered portion continues to attract the risk weight of the obligor subject to meeting requirements stipulated in the Basel guidelines.

सीआरएम तकनीक में शामिल बैंक का एक्सपोजर निम्नानुसार है:
The Bank's exposures where CRM techniques were applied are as follows:

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

विवरण / Particulars	**निधि आधारित Fund Based**	**गैर-निधि आधारित* Non-Fund Based ***
पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति में शामिल कुल एक्सपोजर Total Exposures covered by eligible financial collateral	89,594.90	1,37,859.47
पात्र संपार्श्विक प्रतिभूति का लाभ लेने के बाद एक्सपोजर Exposure after taking benefit of eligible collateral	22,200.68	1,01,239.94

* गैर-बाजार संबद्ध / * Non-Market Related

जहां रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सीआरएम तकनीक के रूप में कॉरपोरेट गारंटियों का प्रयोग किया गया वहां यथा दिनांक 31 मार्च 2015 को एक्सपोजर की राशि ₹ 22,921.53 मिलियन थी.
The exposure covered by corporate guarantees where CRM techniques as per RBI guidelines were applied amounted to ₹22,921.53 Million as on March 31, 2015.

डीएफ-6 : प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर-मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन
DF-6: Securitization exposure-Disclosure for Standardized Approach

गुणात्मक प्रकटन/ Qualitative Disclosures		
क. a.	**बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटन निम्नलिखित हैं :** **The general qualitative disclosures with respect to securitization activities of the Bank are as follows:**	
	• प्रतिभूतिकरण कार्यकलाप के संबंध में बैंक का उद्देश्य उस सीमा सहित जिस तक ये कार्यकलाप अंतर्निहित प्रतिभूतिकृत ऋणों के ऋण जोखिम को बैंक से अलग अन्य संस्थाओं को अंतरित करते हैं. The Bank's objectives in relation to securitization activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitized exposures away from the bank to other entities.	बैंक ने 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी मानक ऋणों को प्रतिभूतिकृत नहीं किया है. अतः प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी को पूरा करने के उद्देश्य से बैंक ने पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) अर्थात् विभिन्न एनबीएफसी / एमएफआई द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निवेश किया है. Bank has not securitized any standard loans during year ended on March 31, 2015. Hence, transfer of credit risk is not applicable. However, in order to supplement the achievement of target in Priority Sector Lending (PSL), the Bank invested in Pass Through Certificates (PTC) i.e. Assets securitized by various NBFC/MFI.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

•	प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निहित अन्य जोखिमों का स्वरूप The nature of other risks inherent in securitized assets.	लागू नहीं क्योंकि बैंक ने किसी मानक ऋण को प्रतिभूतिकृत नहीं किया है Not applicable as the Bank has not securitized any standard loans. पीटीसी में निवेश के मामले में अंतिम उधारकर्ताओं से वसूली गई राशि से चुकौती की जाती है साथ ही, ऋण वृद्धि भी रेटिंग पर आधारित रेटिंग एजेंसी द्वारा तय किए अनुसार उपलब्ध है. यदि समूहों में हानियों का स्तर ऋण वृद्धि से अधिक हो जाता है तो हानियों को बैंक द्वारा वहन किया जाता है. In case of investment in PTCs, the repayment is done out of the collections from the ultimate borrowers. Further Credit Enhancement is also available as determined by Rating Agency based on the rating. If the losses in the pool exceed level of credit enhancement, the losses are to be borne by Bank.
•	प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक द्वारा अदा की जाने वाली विभिन्न भूमिकाएं और इनमें से प्रत्येक में बैंक की सहभागिता के विस्तार का संकेत; The various roles played by the Bank in the securitization process and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them;	बैंक ने निवेशक तथा ऋण वृद्धि प्रदाता और प्रतिभूतिकरण में चलनिधि सुविधा प्रदाता के रूप में भूमिकाएं अदा की हैं. दिनांक 31 मार्च 2015 तक उपर्युक्त श्रेणी में एक्सपोजर निम्नलिखित हैं: Bank has played the role of Investor, Provider of Credit Enhancement and Liquidity Facility in Securitization. The exposures in above category as on March 31, 2015 is as under:

क्रम Sr. No	अदा की गई भूमिका Role played	लेन-देनों की संख्या No. of transactions	अंतर्निहित राशि Amount involved
1	निवेशक (बकाया) Investor (o/s)	79	59,352.78
2	ऋण वृद्धि प्रदाता (द्वितीय हानि सुविधा / चलनिधि सुविधा) Provider of Credit enhancement (Second Loss Facility/ Liquidity Facility)	19	2,486.70

•	प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों के ऋण तथा बाजार जोखिम में परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए लागू प्रक्रियाओं का विवरण. a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitization exposures.	ऋण नीति के अनुसार बैंक वसूली निष्पादन, चुकौती तथा समय-पूर्व भुगतान, ऋण वृद्धि का उपयोग, मार्क-टु-मार्केट, प्रतिभूतिकरण के निवेशित पोर्टफोलियो में पूल की समुचित सावधानी और समीक्षा रेटिंग की आवधिक निगरानी करता है. Bank periodically monitors the collection performance, repayments, and prepayments, utilization of Credit Enhancement, Mark to Market, due diligence and rating review of the pools in invested portfolio of Securitization as per Credit Policy.
•	प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों के अंतर्गत प्रतिधारित जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रयोग को नियंत्रित करने संबंधी बैंक की नीति का विवरण: a description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitization exposures;	दिनांक 7 मई 2012 एवं 21 अगस्त 2012 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र में वर्णित अनुसार प्रतिभूतिकृत कागजात / पीटीसी में निवेशों पर रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों का बैंक अनुपालन करता है. बैंक रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित रूप में पर्याप्त ऋण वृद्धि के साथ प्रतिभूतिकृत आस्तियों को अर्जित करता है. The Bank follows extant RBI guidelines on Investment in securitized papers/ PTCs as outlined in RBI circular dated May 07, 2012 and August 21, 2012. The Bank acquires securitized assets with adequate Credit Enhancement as stipulated by the rating agencies.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

ख b	प्रतिभूतिकरण कार्यकलाप के लिए बैंक की लेखा नीतियों का सारांश, निम्नलिखित सहित: **Summary of the bank's accounting policies for securitization activities, including:**	
	• लेन-देनों को बिक्री माना जाता है या वित्तपोषण; whether the transactions are treated as sales or financings;	बैंक ने किसी मानक ऋण को प्रतिभूतिकृत नहीं किया है. तथापि इसने एनबीएफसी /एमएफआई से लेनदारियों के अर्जन के माध्यम से निवेश किया है जिसे बैंक की बहियों में निवेश माना जाता है. Bank has not securitized any standard loans. However it has invested through acquisition of receivables from NBFC/MFI which is treated as investments in the books of bank.
	• प्रतिधारित या क्रय की गई स्थितियों का मूल्यांकन करने में प्रयुक्त पद्धतियां तथा मुख्य धारणाएं (निविष्टियों सहित) methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased	प्रतिभूतिकृत कागजात / पीटीसी में बैंक के निवेश को बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और उक्त का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक / एफ़आईएमएमडीए दिशानिर्देश के अनुसार किया जाता है. The Bank's Investment in securitized papers/ PTCs are categorized under Available For Sale category and valuation of the same has been carried out as per RBI/ FIMMDA guideline.
	• गत अवधि से विधियों तथा मुख्य धारणाओं में परिवर्तन और परिवर्तनों का प्रभाव; changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes;	एफ़आईएमएमडीए के 28 मार्च 2014 के परिपत्र सं. एफ़आईएमसीआईआर / 2013-14 /50 के अनुसार मूल्यांकन की पद्धति कहती है, ''एनबीएफसी से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण पोर्टफोलियो के अर्जन के पश्चात् न्यासियों द्वारा जारी पीटीसी में किया गया निवेश करमुक्त प्रतिफल देता है. इसलिए इसे करमुक्त बांडों के रूप में मूल्यांकित किया जाना चाहिए. निवेशकों को प्राप्त करमुक्त प्रतिफल (वार्षिकीकृत) को निवेशक पर लागू कर की दर से समेकित किया जाए और लिखत का मूल्यांकन दिनांक 1.07.2013 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र के पैरा 3.7.1 अनुसार किया जाए. इस स्प्रेड के संबंध में सदस्य अपनी इच्छानुसार / जारी पीटीसी के अनुसार कॉरपोरेट बांड / एनबीएफसी के लागू स्प्रेड का उपयोग कर सकते हैं.'' As per FIMMDA circular no. FIMCIR/2013-14/50 March 28, 2014 the method of valuation says "The investments made in PTCs issued by trusts after acquiring priority sector loan portfolio from NBFCs are giving tax free returns and hence it should be valued as tax free bonds. Tax free yield (annualized) in the hands of the investor is to be grossed up at the rate of tax applicable to the investor and then the instrument is to be valued as per para 3.7.1 of RBI master circular dated 01.07.2013. As regards the spread, the members may use the applicable spread of corporate bond/NBFC as per their own logic/PTC issued"
	• व्यवस्थाओं के लिए तुलन पत्र में देयताओं को दर्शाने के लिए नीतियां जो बैंक से प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता की अपेक्षा कर सकती हैं. policies for recognizing liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitized assets.	रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार देयताएं तुलन पत्र में दर्शायी जाती हैं. Liabilities are recognized on the balance sheet in terms of RBI guidelines.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

ग) c)	बैंकिंग बही में, प्रतिभूतिकरण के लिए प्रयुक्त बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थाओं (ईसीएआई) के नाम और प्रतिभूतिकरण ऋण निवेश का प्रकार जिसके लिए हर एजेंसी का इस्तेमाल किया जाता है. In the banking book, the names of External Credit Assessment Institutions (ECAIs) used for securitization and the types of securitization exposure for which each agency is used.	पीटीसी के अधिग्रहण के माध्यम से बैंक द्वारा अर्जित ऋणों को क्रिसिल, केयर, इक्रा तथा इंडिया रेटिंग्स द्वारा बाह्य रूप से रेटिंग दी जाती है. The loans acquired by Bank through acquisition of PTCs are externally rated by CRISIL, CARE, ICRA, India Ratings.

बैंकिंग बही में बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में मात्रात्मक प्रकटन निम्नलिखित हैं :
Quantitative disclosures with respect to securitization activities of the Bank in the Banking book are as follows:

घ) d)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों की कुल राशि The total amount of exposures securitized by the bank	द्वितीय हानि सुविधा के प्रति जारी ₹ 2,365.40 मिलियन की बैंक गारंटी और पीटीसी लेन-देनों के लिए चलनिधि सुविधा के रूप में ₹ 121.30 मिलियन की निधि आधारित सुविधा को बैंक के प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर के रूप में माना जाता है. Bank Guarantee of ₹ 2,365.40 Million issued towards Second loss facility and Fund Based Facility of ₹ 121.30 Million as Liquidity Facility for PTC transactions is considered as securitized exposure of Bank.
ङ) e)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों के लिए एक्सपोजर प्रकार के अनुसार खंडित वर्तमान अवधि के दौरान बैंक द्वारा निर्धारित हानियाँ For exposures securitized, losses recognized by the bank during the current period broken by the exposure type.	शून्य Nil
च) f)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की राशि Amount of assets intended to be securitized within a year	शून्य Nil
छ) g)	इनमें से प्रतिभूतिकरण से एक वर्ष पूर्व उत्पन्न हुई आस्तियों की राशि. Of the above, the amount of assets originated within a year before securitization.	लागू नहीं Not Applicable
ज) h)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों की कुल राशि (एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार) और एक्सपोजर प्रकार के अनुसार बिक्री पर नहीं माने गए अभिलाभ या हानि. The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type.	शून्य Nil

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

झ) i)	निम्न की कुल राशि : Aggregate amount of:	
	• एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार तुलन पत्र में प्रतिधारित या खरीदे गए विभक्त प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर और on-balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and	शून्य Nil
	• एक्सपोजरों के प्रकार के अनुसार तुलन पत्र में शामिल नहीं किए गए विभक्त प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर. off-balance sheet securitization exposures broken down by exposure type.	द्वितीय हानि सुविधा के प्रति जारी ₹ 2,365.40 मिलियन की बैंक गारंटी और पीटीसी लेन-देनों के लिए चलनिधि सुविधा के रूप में ₹ 121.30 मिलियन की निधि आधारित सुविधा को बैंक के प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर के रूप में माना जाता है. Bank Guarantee of ₹ 2,365.40 Million issued towards Second loss facility and Fund Based Facility of ₹ 121.30 Million as Liquidity Facility for PTC transactions is considered as securitized exposure of Bank.
ञ) j)	• प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों की कुल राशि और संबद्ध पूंजी प्रभार, एक्सपोजरों में विभक्त और हरेक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए विभिन्न जोखिम भार दायरों में फिर से विभक्त Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.	शून्य Nil
	• एक्सपोजर जिन्हें टीयर I पूंजी से पूरी तरह से घटाया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण वृद्धिकारी बकाया लिखत (आई /ओ) और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण एक्सपोजर. Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital.	शून्य Nil

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

व्यापारिक बही में बैंक की प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में मात्रात्मक प्रकटन निम्नानुसार हैं
Quantitative disclosures with respect to securitization activities of the Bank in the Trading book are as follows:

ट) k)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋणों की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिमों को अपने पास रखा है और जो ऋण के प्रकार के अनुसार बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन हैं. Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach, by exposure type.	बैंक द्वारा कोई मानक ऋण प्रतिभूतिकृत नहीं किया गया है. No standard loans have been securitized by Bank.
ठ) l)	निम्न की कुल राशि : Aggregate amount of:	
	• एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार तुलन पत्र में प्रतिधारित या खरीदे गए विभक्त प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर; तथा on-balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type; and	बैंक ने पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) के माध्यम से निवेश किया है अर्थात् 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान विभिन्न एनबीएफसी / एमएफआई द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियां - ₹12,741.30 मिलियन The Bank has invested in Pass Through Certificates (PTC) i.e. Assets securitized by various NBFC/MFI during year ended March 31, 2015- ₹ 12,741.30 Million. 31 मार्च 2015 को बकाया पीटीसी पोर्टफोलियो ₹ 59,352.78 मिलियन रहा. The outstanding PTC portfolio as on March 31, 2015 was ₹ 59,352.78 Million.
	• एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार तुलन पत्र में शामिल न किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर. off-balance sheet securitization exposures broken down by exposure type.	शून्य Nil
ड) m)	निम्न के लिए अलग-अलग प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों की कुल राशि : Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for:	
	• विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर ; तथा securitization exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for specific risk; and	शून्य Nil

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

<table>
<tr><td></td><td>• विभिन्न जोखिम भार दायरों में विभक्त विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर.
Securitization exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands.</td><td colspan="4">31 मार्च 2015 को बकाया पीटीसी पोर्टफोलियो ₹ 59,352.78 मिलियन रहा.
The outstanding PTC portfolio as on March 31, 2015 was ₹ 59,352.78 Million.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">ढ)
n)</td><td rowspan="6">निम्न की कुल राशि :
Aggregate amount of:
• प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों के लिए पूंजी अपेक्षाएं, अलग-अलग जोखिम भार दायरे में विभक्त प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अधीन.
the capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands.</td><td colspan="4">(₹ मिलियन / ₹ Million)</td></tr>
<tr><td>सुविधा
Facility</td><td>100% सीसीआर पर राशि
Amt. At 100% CCR</td><td>रेटिंग
Rating</td><td>जोखिम भार
Risk Weight</td></tr>
<tr><td rowspan="4">बकाया निवेश
Investment Outstanding</td><td>12,919.95</td><td>एएए / AAA</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>36,434.12</td><td>एए / AA</td><td>30%</td></tr>
<tr><td>4,415.08</td><td>ए / A</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>5,583.63</td><td>बीबीबी / BBB</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td>• एक्सपोजर जिन्हें टीयर I पूंजी से पूरी तरह से घटाया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण वृद्धिकारी बकाया लिखत और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण.
securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital.</td><td colspan="4">शून्य
Nil</td></tr>
</table>

तालिका डीएफ-7: व्यापार बही में बाजार जोखिम :
Table DF-7: Market Risk in Trading Book

बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे ब्याज दरों, इक्विटी दरों, विनिमय दरों और पण्य दरों में उतार-चढ़ाव तथा अस्थिरता के कारण निवेश के मूल्य में होने वाली हानि का जोखिम बाजार जोखिम है. बैंक को स्वयं के साथ-साथ ग्राहकों की ओर से की जाने वाली ट्रेडिंग कार्यकलापों के कारण बाजार जोखिमों का सामना करना पड़ता है. बैंक अपनी समग्र जोखिम प्रबंध व्यवस्था के अभिन्न भाग के रूप में इन कार्यकलापों से होने वाली वित्तीय ऋण सहायता की निगरानी व प्रबंधन करता है. यह प्रणाली वित्तीय बाजारों की अप्रत्याशित प्रकृति पर नजर रखने के साथ-साथ शेयरधारकों की पूंजी पर पड़ने वाले किसी प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने का प्रयास करती है.

Market Risk is the risk of loss in the value of an investment due to adverse movements in the level of the market variables such as interest rates, equity prices, exchange rates and commodity prices, as well as volatilities therein. The Bank is exposed to market risk through its trading activities, which are carried out on its own account as well as those undertaken on behalf of its customers. The Bank monitors and manages the financial exposures arising out of these activities as an integral part of its overall risk management system. The system takes cognizance of the unpredictable nature of the financial markets and strives to minimize any adverse impact on the shareholders' wealth.

बैंक ने आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) नीति, बाजार जोखिम नीति, निवेश नीति और डेरिवेटिव नीति जैसी नीतियां तैयार की हैं जो कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं. इन नीतियों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव के परिचालन उचित व मान्य कारोबार प्रथा के अनुरूप तथा विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाएं. इन नीतियों में वित्तीय लिखतों के लेन-देन के संबंध में सीमाएं तय की गई हैं. बदलती कारोबार आवश्यकताओं, आर्थिक परिवेश और प्रक्रिया एवं उत्पाद नवोन्मेषणों के अलावा क़ानूनों में होने वाले परिवर्तनों को शामिल करने के लिए इन नीतियों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

The Bank has formulated an Asset Liabilities Management (ALM) Policy, a Market Risk and Derivative Policy and an Investment Policy all of which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound & acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines. These policies contain the limit structure that governs transactions in financial instruments. These policies are reviewed periodically to incorporate changed business requirements, economic environment and changes in regulations in addition to process and product innovations.

बैंक की आस्ति देयता प्रबंध समिति (आल्को) में वरिष्ठ कार्यपालक होते हैं और इसकी नियमित रूप से बैठकें होती हैं ताकि तुलन पत्र जोखिमों का समन्वित तरीके से प्रबंधन किया जा सके. आल्को चलनिधि, ब्याज दर व विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम जैसे बाजार जोखिमों के प्रबंध पर विशेष ध्यान देती है. ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण बैंक की निवल ब्याज आय (एनआईआई) से ब्याज दरों में घट-बढ़ से पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करता है.
The Asset Liability Management Committee (ALCO) comprising top executives of the Bank meet regularly to manage balance sheet risks in a coordinated manner. ALCO focuses on the management of risks viz. liquidity, interest rate and foreign exchange risks. Interest rate sensitivity analysis is measured through impact of interest rate movements on Net Interest Income (NII) of the Bank.

बैंक बाजार जोखिम एवं डेरिवेटिव नीति के माध्यम से ऐसे ट्रेडिंग जोखिमों की पहचान करता है, जिनका प्रबंधन किया जाना हो. इस नीति के अंतर्गत लेखा बही में जोखिम प्रबंध के उपयुक्त स्तर के लिए आवश्यक संगठनात्मक स्वरूप, विभिन्न साधनों, पद्धतियों, प्रक्रियाओं आदि को भी निर्धारित किया गया है. बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले प्रमुख जोखिम प्रबंधनों में ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का मार्क टु मार्केट (एमटीएम) प्रबंध, आधार बिंदु का कीमत मूल्य (पीवी01), संशोधित अवधि, हानि रोक, ग्रीक लिमिट्स, संभाव्य भावी एक्सपोजर, दबाव परीक्षण आदि शामिल हैं.
The Market Risk and Derivative Policy identifies the trading risks to be managed by the Bank. It also lays down the organizational structure, tools, systems, processes, etc., necessary for appropriate levels of risk management in the trading book. The important risk management tools employed by the Bank are Marked to Market (MTM) of trading portfolio, PV01, modified duration, Stop loss, Greek limits, Potential Future Exposure, stress testing etc.

निवेश नीति बाजार उतार-चढ़ाव और रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी विभिन्न परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है. निवेश नीति में लिखतों में निवेश, ऐसे निवेशों का उद्देश्य तथा बैंक से लेन-देन के लिए पात्र ग्राहकों के बारे में मानदंड निर्धारित किए गए हैं.
The Investment policy has been framed keeping in view market dynamics and various circulars issued by RBI in this regard. The policy lays down the parameters for investments in instruments, the purpose for such investments and the eligible customers with whom Bank can transact.

बैंक अपने बाजार जोखिम का निम्न व्यापक उद्देश्यों से प्रबंध करता है:
The Bank manages its market risk with the broad objectives of:

1. निवेशों, विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में निहित ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम व इक्विटी जोखिम का प्रबंधन.
   Management of interest rate risk, currency risk and equity risk arising from investments, foreign exchange and derivatives portfolio;
2. विभिन्न पोर्टफोलियो में लेन-देनों के संबंध में उचित वर्गीकरण, मूल्यांकन व लेखांकन.
   Proper classification, valuation and accounting of the transactions in various portfolios;
3. डेरिवेटिव, निवेश और विदेशी मुद्रा विनिमय उत्पादों से संबंधित लेन-देनों की पर्याप्त तथा उचित रिपोर्टिंग.
   Adequate and proper reporting of the transactions related to derivative, investment and foreign exchange products;
4. बाजार से संबंधित लेन-देनों के परिचालन व निष्पादन पर प्रभावी नियंत्रण.
   Effective control over the operation and execution of market related transactions; and
5. विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन.
   Compliance with regulatory requirements.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

बैंक में अलग से एक बाजार जोखिम समूह (एमआरजी) / मध्यम कार्यालय है, जोकि ट्रेजरी परिचालनों में बाजार जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी व रिपोर्टिंग के लिए एवं अपवाद, यदि कोई हों, की स्थितियों में उनकी जानकारी देने के लिए उत्तरदायी है. यह समूह बाजार जोखिम को मापने के लिए नीतियों व पद्धतियों में परिवर्तन की भी सिफारिश करता है. इस समूह की प्रमुख रणनीतियां व प्रक्रियाएं निम्नानुसार हैंः
The Bank has an independent Market Risk Group (MRG)/Middle Office which is responsible for identification, assessment, monitoring and reporting of market risk in Treasury operations and to highlight exceptions, if any. The group also recommends changes in policies and methodologies for measuring market risk. The main strategies and processes of the group are:-

1. प्रत्यायोजनः ट्रेजरी परिचालनों के लिए अधिकारों का उपयुक्त प्रत्यायोजन किया गया है. निवेश संबंधी निर्णय बोर्ड की निवेश समिति के पास निहित हैं. एमआरजी संबंधित नीतियों में निर्धारित विभिन्न ऋण सीमाओं की निगरानी करता है.
   Delegation: Appropriate delegation of powers has been put in place for treasury operations. Investment decisions are vested with Investment Committee of the Board. MRG monitors various limits, which have been laid down in the policies.
2. नियंत्रणः सिस्टम में पर्याप्त डाटा एकीकरण आधारित नियंत्रण मौजूद हैं. इन नियंत्रणों का प्रयोग लेखा परीक्षा के लिए भी किया जाता है.
   Controls: The systems have adequate data integrity controls. The controls are used for audit purpose as well.
3. अपवाद संचालन प्रक्रियाः नीतियों के अंतर्गत तय की गई ऋण सीमाएं सिस्टम में शामिल कर ली गई हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे अपवाद को न्यूनतम रखने हेतु लागू किया जा रहा है. ऋण सीमाओं के उल्लंघन / अपवाद, यदि कोई हो, का विश्लेषण किया जाता है और प्रत्यायोजित प्राधिकारी द्वारा अभिपुष्ट किया जाता है.
   Exception handling processes: The limits set in the policies have been inserted in the system for ensuring that the same is being enforced to minimize exceptions. The limit breaches/exceptions, if any, are analyzed and ratified from the delegated authorities.

एमआरजी वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड की समिति के सदस्यों को फॉरेक्स, निवेश व डेरिवेटिव उत्पाद संबंधी जोखिमों के बारे में आवधिक रूप से रिपोर्ट देता है. बैंक रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुसार विनियामकों को रिपोर्टें भी प्रस्तुत करता है. बैंक की जोखिम क्षमता के आधार पर जोखिम मैट्रिक्स पर सीमाएं रखी जाती हैं जिनकी आवधिक आधार पर निगरानी की जाती है.
The MRG periodically reports on forex, investment and derivative product related risk measures to the senior management and committees of the Board. The Bank also reports to regulators as per the reporting requirements. Based on the risk appetite of the Bank, limits are placed on the risk metrics which are monitored on a periodic basis.

31 मार्च 2015 को बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार का समूहन
Aggregation of capital charge for market risks as on March 31, 2015

(राशि मिलियन ₹ / Amt. in ₹ Million)

	जोखिम श्रेणी Risk Category	पूंजी प्रभार Capital charge
क a.	**जोखिम विशेष के कारण पूंजी प्रभार Capital Charge on account of specific risk**	**11,274.93**
i)	ब्याज दर संबंधी / On interest rate related	3,415.24
ii)	इक्विटी पर / On equities	7,859.69
iii)	डेरिवेटिव पर / On derivatives	0.00
ख b.	**सामान्य बाजार जोखिम के कारण पूंजी प्रभार Capital charge on account of general market risk**	**11,431.17**
i)	ब्याज दर संबंधी लिखतों पर / On interest rate related instruments	8,762.80
ii)	इक्विटी पर / On equities	2,215.64

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

	जोखिम श्रेणी Risk Category	पूंजी प्रभार Capital charge
iii)	विदेशी मुद्रा पर / On Foreign exchange	450.00
iv)	बहुमूल्य धातुओं पर / On precious metals	0.00
v)	डेरिवेटिव पर (फॉरेक्स विकल्प)/ On derivatives (FX Options)	2.73
	व्यापारिक बही पर कुल पूंजी प्रभार (क + ख) Total Capital Charge on Trading Book (a+b)	**22,706.10**
	व्यापारिक बही पर कुल जोखिम भारित आस्तियां Total Risk Weighted Assets on Trading Book	**2,52,289.96**

तालिका डीएफ-8: परिचालनगत जोखिम
Table DF-8: Operational Risk

परिचालनगत जोखिम का अर्थ हानि का जोखिम है जो आंतरिक कार्यकलापों, व्यक्तियों और पद्धतियों में खामियों या असफलताओं के कारण या बैंक की कारोबारी गतिविधियों पर बाहरी घटनाओं के प्रभाव के कारण होता है. इसमें विधिक जोखिम तो शामिल हैं, किन्तु रणनीतिक और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं हैं.

Operational Risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people & systems or from external events inherent in Bank's business activities. This includes legal risk, but excludes strategic and reputational risks.

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन संरचना / Operational Risk Management Framework

बैंक के पास सुपरिभाषित परिचालनगत जोखिम और कारोबार निरंतरता प्रबंधन (ओआर और बीसीएम) नीति है. इस नीति का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग परिचालनों में निहित परिचालन जोखिमों की पहचान और निर्धारण करना तथा इन जोखिमों की निगरानी और इन्हें कम करने के लिए क्षमताओं, साधनों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का विकास करना है.

The Bank has a well-defined Operational Risk & Business Continuity Management (OR & BCM) Policy. The main objectives of the policy are identification & assessment of operational risks attached to banking operations and developing capabilities, tools, systems and processes to monitor and mitigate these risks.

बैंक के पास एक सुदृढ़ परिचालन जोखिम प्रबंध संरचना है और इसने परिचालनगत जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड की आरएमसी और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) से युक्त एक समर्थकारी संगठनात्मक संरचना की स्थापना की है. परिचालनगत जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों पर समीक्षा रिपोर्टें ओआरएमसी एवं बोर्ड की आरएमसी को आवधिक आधार पर प्रस्तुत की जाती हैं.

The Bank has a robust Operational Risk Management Framework and has also established an enabling organizational structure comprising of Board of Directors, RMC of the Board and Operational Risk Management Committee (ORMC) for effective management of Operational Risk. Review reports on Operational Risk management activities are periodically presented to ORMC and RMC of the Board.

उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) में अंतरण के लिए बैंक की पहल / Bank's initiative in migrating to AMA

वर्तमान में, बैंक परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) का अनुसरण कर रहा है. तथापि, उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) में आशयित अंतरण के एक हिस्से के रूप में बैंक अपनी परिचालनगत जोखिम प्रबंधन प्रणाली व प्रक्रिया में और सुधार करने के लिए समयबद्ध तरीके से सम्मिलित प्रयास कर रहा है. इस संबंध में बैंक के विभिन्न कार्यों से जुड़े परिचालनगत जोखिम के प्रबंधन हेतु एक व्यापक परिचालनगत जोखिम मूल्यांकक (कोर) का कार्यान्वयन किया गया है. इस उद्देश्य हेतु मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई) तथा जोखिम व नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) का उपयोग किया जाता है. परिचालनगत जोखिम मापने हेतु बैंक लॉस

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

डाटा केप्चर (एलडीसी) मॉड्यूल के जरिये परिचालनगत हानि आंकड़ों का नियमित रूप से संग्रहण कर रहा है तथा रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इन हानियों को विभिन्न कारोबारी शृंखलाओं एवं इसके प्रकारों के तहत वर्गीकृत कर रहा है.

At present, the Bank follows the Basic Indicator Approach (BIA) for computation of capital charge for Operational Risk. However, as a part of intended migration to Advanced Measurement Approach (AMA), the Bank is putting concerted efforts to further improve its Operational Risk management system & procedure in a time bound manner. In this regard, Comprehensive Operational Risk Evaluator (CORE) has been implemented for management of Operational Risk attached to various functions of the Bank. For this purpose the Key Risk Indicator (KRI) and Risk & Control Self Assessment (RCSA) are used. For measurement of Operational Risk, the Bank is regularly collecting operational loss data across the Bank through Loss Data Capture (LDC) module and categorizes these losses under various business lines and loss types in line with the RBI guidelines.

कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) के कार्यान्वयन हेतु बैंक के पहल कार्य
Bank's initiatives for implementation of Business Continuity Management (BCM)

मानव जीवन एवं बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा व्यवधान / आपदा के दौरान निर्बाध बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने अपने विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों के लिए एक सुपरिभाषित बीसीएम व्यवस्था लागू की है, जो विनियामक आवश्यकताओं को भी पूरा करती है.

In order to safeguard the human life & Bank's assets and to ensure uninterrupted banking services during disruption/ disaster, the Bank has put in place a well defined BCM for its various critical functions, which also fulfils regulatory requirements.

बीसीएम में कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) शामिल इन बीसीएम दस्तावेजों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कारोबार व्यवधान / आपदा की स्थिति में तौर-तरीके और परिणामी सुधार रणनीतियाँ, योजनाएँ शामिल हैं. व्यवधान की विभिन्न स्थितियों में इन योजनाओं की आघात सहनीयता का प्रायोगिक अभ्यास, आपदा प्रबंधन अभ्यास और बीसीपी के जरिए निरंतर परीक्षण किया जाता है. एक सशक्त और प्रभावी बीसीएम के जरिए बैंक को अपनी सेवा में निरंतरता और ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करने में सुविधा होगी. प्रणाली की असफलता के जोखिम को कम करने के लिए बैंक ने चेन्नई में एक आपदा प्रबंधन (डीआर) साइट तथा बीकेसी के समीप भी डीआर साइट की स्थापना की है. बैंक आपदा प्रबंधन साइट के परीक्षण के लिए आवधिक रूप से डीआर अभ्यास आयोजित करता है. बैंक में विभिन्न मूल तथा सहायता कार्यों के लिए बैंक के भीतर अपनाई गई लागू बीसीएम प्रक्रियाएं बीएस25999 मानक का पालन करती हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आइ-डीएबी के विकास के माध्यम से बीसीएम कार्यकलापों के स्वचालन का कार्य प्रगति पर है.

BCM comprises of Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Management Plan (DMP). These BCM documents, inter alia, incorporate the modalities, in an event of business disruption/disaster and consequent recovery strategies & plans. The resilience of these plans under different disruption scenarios are tested on an ongoing basis through mock evacuation drills, DR drills and BCP testing exercises. A robust and effective BCM would enable the Bank to provide continuity in service and facilitate customer satisfaction. To mitigate the risk of system failure, the Bank has set up a Disaster Recovery (DR) site at Chennai and near DR site at BKC. The Bank periodically carries out DR drill exercises to test the capabilities of DR site. The BCM processes followed within the Bank for various core & support functions complies with the BS25999 standards. Automation of BCM activities is in progress through the development of application software i-DAB.

तालिका डीएफ-9: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)
Table DF-9: Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

बैंकिग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) से आशय ब्याज दर में होने वाले प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक के अर्जन तथा आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य में पड़ने वाले संभाव्य प्रभाव से है. ब्याज दर में सामान्य परिवर्तन के अलावा विभिन्न उत्पादों / लिखतों में ब्याज दरों में घट-बढ़ (अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ, मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर, अग्रिमों पर उधार दर आदि,) भी ब्याज दर जोखिम के प्रमुख स्रोत हैं. ब्याज दरों में परिवर्तन से निवल ब्याज आय (ब्याज आय में से ब्याज व्यय घटाकर) में घट-बढ़ के माध्यम से बैंक के अर्जन पर तथा इसके साथ ही आस्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य में निवल अंतर के माध्यम से इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर भी असर पड़ता है. अर्जन और इक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन की मात्रा मुख्यतः परिपक्वता के स्वरूप तथा परिमाण और बैंक की आस्तियों व देयताओं के पुनर्मूल्यन असंतुलन पर निर्भर करती है.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

IRRBB refers to the potential impact on the Bank's earnings and economic value of assets and liabilities due to adverse movement in interest rates. Besides the general change in interest rate, variation in the magnitude of interest rate change among the different products/ instruments (e.g., yield on Government securities, interest rate on term deposits, lending rate on advances etc.,) it is also a significant source of interest rate risk. Changes in interest rates affect the Bank's earning through variation in its Net Interest Income (Interest Income minus Interest Expenses) as well as economic value of equity through net variation in economic value of assets and liabilities. The extent of change in earning and economic value of equity primarily depends on the nature and magnitude of maturity and re-pricing mismatches between the Bank's assets and liabilities.

ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के महत्व को समझते हुए बैंक ने एक उचित आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली तैयार की है, जिसमें रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित ब्याज दर जोखिम प्रबंधन नीति, प्रक्रियाएं तथा ऋण सीमा संरचना शामिल हैं. ब्याज दर जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम के स्रोतों की पहचान करना और उपयुक्त पद्धतियों के अनुसार उनका परिमाण मापना है. इसमें समग्र ढांचे के भीतर परिपक्वता संरचना, मूल्यन, उत्पाद व ग्राहक समूह मिश्र के संबंध में उचित निधीयन, उधार और तुलन पत्र से परे रणनीतियां भी शामिल हैं. आईआरआरबीबी के लिए बैंक का सहनशीलता स्तर निवल ब्याज आय और इक्विटी में आर्थिक मूल्य पर भावी प्रभाव के संबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है. ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) जोखिम के मापन, निगरानी व जोखिम नियंत्रण पहल कार्य के लिए उत्तरदायी है. तुलन पत्र प्रबंधन समूह (बीएसएमजी) एएलएम असंतुलन के बारे में नियमित रूप से आकलन और निगरानी करता है और इसके प्रभावी प्रबंधन के लिए आल्को को रणनीति की सिफारिश करता है. दैनिक आधार पर एएलएम रिपोर्ट जनरेशन के लिए पर्याप्त सूचना प्रणाली स्थापित की गई है.

Recognizing the importance of interest rate risk management, the Bank has put in place an appropriate ALM system which incorporates the Board approved interest rate risk management policy, procedures and limit structure in line with the RBI guidelines. The objectives of interest rate risk management are to identify the sources of risks and to measure their magnitude in terms of appropriate methods. It also includes appropriate funding, lending and off-balance sheet strategies with respect to maturity structure, pricing, product and customer group mix within the overall framework. The Bank's tolerance level for IRRBB is specified in terms of potential impact of net interest income and economic value of equity. The Asset Liability Committee (ALCO) of the Bank is responsible to ensure regular measurement, monitoring and control initiatives for the Bank's interest rate risk management. Balance Sheet Management Group (BSMG) regularly measures and monitors ALM mismatches and recommends strategies to ALCO for effective management. Adequate information system has also been put in place for system based ALM report generation on a daily basis.

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिमों के मापन व निगरानी का कार्य ब्याज दर संवेदनशीलता (मूल्य का पुनर्निर्धारण) अंतर, अवधि अंतर पद्धतियों द्वारा तथा अर्जन (निवल ब्याज आय पर प्रभाव) एवं आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य (इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव) जैसे दोनों ही परिदृश्य आधारित विश्लेषणों के जरिए किया जाता है. ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर रिपोर्ट की तैयारी करते समय विभिन्न मूल्य-समूह की ब्याज दर जोखिम की दृष्टि से संवेदनशील आस्तियों व देयताओं को उनकी परिपक्वता की शेष रही अवधि या मूल्य पुनर्निर्धारण की अगली तारीख, जो भी पहले हो, के आधार पर रखा जाता है. इस रिपोर्ट के लिए अपनाई जानेवाली धारणाओं में मूल बचत बैंक जमाराशियों को ''3 माह से अधिक तथा 6 माह तक'' के समूह में डालना, मूल चालू खाता जमाराशियों को ''1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष तक'' के समूह में डालना तथा बीपीएलआर या आधार दर से संबद्ध अग्रिमों को ''3 माह से अधिक तथा 6 माह तक'' के समूह में डालना है, क्योंकि इन आस्तियों व देयताओं के मूल्य के पुनर्निर्धारण की कोई पूर्व-विनिर्दिष्ट तारीख नहीं होती. अवधि अंतर विश्लेषण ब्याज दर की दृष्टि से संवेदनशील आस्तियों व देयताओं की अवधि व भावी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना के आधार पर किया जाता है. परिदृश्य विश्लेषण निवल ब्याज आय तथा विभिन्न ब्याज दर परिदृश्य के अंतर्गत पूंजी के आर्थिक मूल्य पर होनेवाले प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है.

Measurement and monitoring of IRRBB are carried out through the methods of Interest Rate Sensitivity (re pricing) gap, Duration gap and Scenario based analysis covering both earning (impact on net interest income) and economic value perspective (impact on economic value of equity). Preparation of interest rate sensitivity gap report involves bucketing of all interest rate sensitive assets and liabilities into different time buckets based on their respective remaining term to maturity or next re pricing date, whichever is earlier. Assumptions made for this report are for bucketing of core saving bank deposits into "over 3 months to 6 months", core current account deposits into "over 1 year to 3 years" and advances linked to BPLR or Base Rate into "over 3 months – 6 months" as these liabilities and assets do not have prior-specified re-pricing date. Duration gap analysis is undertaken based on computation of duration and present value of

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

future cash flows of the interest rate sensitive assets and liabilities. Scenario analysis is carried out to measure impact on net interest income and economic value of capital under different interest rate scenario.

आल्को ब्याज दर जोखिम एक्सपोजरों की नियमित रूप से निगरानी करती है तथा जमाराशियों व अग्रिमों की संरचना व वृद्धि, जमाराशियों व अग्रिमों के मूल्य-निर्धारण तथा मुद्रा बाजार परिचालन व निवेश बहियों आदि के प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाने का सुझाव / निर्देश देती है, ताकि निर्धारित आंतरिक सीमाओं के भीतर ही आईआरआरबीबी का प्रबंधन किया जा सके. ब्याज दर जोखिम की स्थिति से नियमित रूप से बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति तथा रिज़र्व बैंक को अवगत कराया जाता है.
ALCO regularly monitors the interest rate risk exposures and suggests appropriate steps/ provides directions on composition and growth of deposits and advances, pricing of deposits and advances and management of money market operations and investment books etc., to control IRRBB within the prescribed internal limits. Interest rate risk position is periodically reported to RMC of the Board and RBI.

ब्याज दर में 100 आधार बिंदुओं के समानांतर परिवर्तन का प्रभाव
Impact of parallel shift in Interest Rate by 100 basis points

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

ब्याज दर परिवर्तन की तुलना में निवल ब्याज आय की संवेदनशीलता (जोखिम पर अर्जन) (समयावधि : 1 वर्ष) Sensitivity of Net Interest Income to Interest rate change (Earning at Risk) (Time Horizon: 1 year)	ब्याज दर परिवर्तन की तुलना में इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) की संवेदनशीलता Sensitivity of Economic Value of Equity (EVE) to Interest rate change (Economic Value at Risk)
एनआईआई पर प्रभाव / Impact on NII	ईवीई पर प्रभाव / Impact on EVE
177	**19,645**

तालिका डीएफ-10: प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजरों के लिए सामान्य प्रकटन
Table DF-10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

बैंक में किसी आस्ति के संबंध में प्रतिपक्षकार के साथ जोखिम आकलन को सुनिश्चित करने हेतु एक संरचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जिसमें निधि आधारित और गैर- निधि आधारित दोनों सुविधाओं को शामिल किया जाता है. ऋण नीति, प्रतिपक्षकार बैंक नीति, बाज़ार जोखिम व डेरिवेटिव नीति, निवेश नीति, संपार्श्विक प्रबंधन नीति एवं देश जोखिम नीति के रूप में समुचित नीतिगत संरचना बनाई गई है, जोकि प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम (सीसीआर) के प्रबंधन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करती है. विनियामक दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक की ऋण नीति के तहत बैंक की पूंजी निधि में एकल उधारकर्ता और किसी समूह के ऋण के संबंध में प्रतिपक्षकार ऋण सहायता सीमाओं की विस्तृत रूपरेखा निर्धारित की गई है. साथ ही, बैंक की निवल मालियत, कुल वचनबद्ध सहायता राशियों (टीसीई), कुल बकाया सहायता राशियों, अग्रिमों आदि के संबंध में भी विभिन्न आंतरिक प्रावधानों को विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया गया है. पूंजी बाज़ार खंड पर लागू विनियामक मानदंडों के साथ-साथ खंडगत सीमाओं के रूप में विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की गई हैं. वर्तमान में बैंक द्वारा सीसीआर पर पूंजी की गणना मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर तथा बासेल III के अंतर्गत विनियमों के अनुसार की जा रही है.
The Bank follows a structured process to ascertain the credit risk of an asset relationship with a counter-party covering both fund based and non-fund based facilities. Suitable policy frameworks are put in place in the form of Credit policy, Counterparty-Bank Policy, Market Risk & Derivative Policy, Investment Policy, Collateral Management Policy and Country Risk Policy which outline the guiding principles to manage Counterparty Credit Risk (CCR). In line with regulatory guidelines, the Credit policy of the Bank stipulates broad contours of counterparty credit exposure limits in respect of single borrower and borrowings by a group in relation to the Bank's capital fund. In addition, various internal thresholds are stipulated prudentially in relation to Net Worth, Total Committed Exposures (TCE), Total Outstanding exposure, Advances etc. Prudential limits in the form of sectoral limits are also stipulated in addition to applicable regulatory norms on the capital market segment. Currently, the Bank is computing capital on CCR following the standardized approach and adhering to regulations under Basel III.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

बैंक के व्यापक रेटिंग मॉड्यूल में कई रेटिंग मॉडल शामिल हैं, जो प्रतिपक्षकार की आंतरिक ऋण रेटिंग में सहायता प्रदान करते हैं. लागू शर्तों एवं निबंधनों के साथ ग्राहक की उपयुक्तता और अनुकूलता के संबंध में उत्पाद विशिष्ट दिशानिर्देश भी निर्धारित किए गए हैं. बैंक में चुनिन्दा प्रतिपक्षकार बैंकों के साथ एक ऋण सहायता एनेक्स (सीएसए) व्यवस्था भी है. सीएसए उन शर्तों को परिभाषित करता है जिनके अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूतियों को डेरिवेटिव स्थितियों से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिमों को कम करने के लिए डेरिवेटिव प्रतिपक्षों में अंतरित किया जाता है.

The Bank's rating module, encompassing various rating models, supports internal credit rating of counter-party. Product specific guidelines are also defined in terms of customer suitability and appropriateness along with applicable terms and conditions. The Bank also has a Credit Support Annex (CSA) arrangement with select counter-party banks. CSA defines the terms under which collateral is transferred between derivative counterparties to mitigate the credit risk arising from derivative positions.

संपार्श्विक प्रबंधन की प्रक्रिया में गतिविधियों के समग्र कार्य-पहलुओं को इसके स्वीकार करने से लेकर ज़रूरत के समय इसकी विधिक प्रयोज्यता की प्रक्रिया तक को कवर किया जाता है. ऋण रिज़र्व तैयार करने के लिए बैंक कई प्रकार की वैकल्पिक तकनीकों को संपोषित करता है, जिनमें एस्क्रो तंत्र व इस पर प्रभार लगाना, ऋण चुकौती रिज़र्व खाते (डीएसआरए) को सक्रिय करना, बैंक के पास जमाराशियों पर ग्रहणाधिकार लगाना, उच्च मार्जिन की शर्तें लगाना, वैयक्तिक एवं तृतीय पक्ष की गारंटी प्राप्त करना आदि शामिल हैं. बैंक ऋण फिल्टर मानकों और उत्पाद संबंधी दिशा-निर्देशों द्वारा गलत जोखिम सहायता के मामलों को पकड़ता है.

The process of Collateral Management covers the entire gamut of activities right from its acceptability to its legal enforceability at the time of need. In establishing credit reserve, the Bank caters to various alternative techniques including escrow mechanism and charges thereon, activating Debt Service Reserve Account (DSRA), lien mark on deposits with the Bank, stipulating conditions towards higher margin, obtaining personal and third party guarantee etc. Credit filtering standards and product guidelines of the Bank capture the associated wrong way risk exposure.

ऋण डेरिवेटिव हेज का कल्पित मूल्य और विभिन्न प्रकार के एक्सपोजरों के जरिए वर्तमान ऋण एक्सपोजरों का विवरण:

The notional value of credit derivative hedges and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure:

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

डेरिवेटिव **Derivatives**	कल्पित **Notional**	वर्तमान एक्सपोजर **Current Exposure**
ब्याज दर स्वैप / Interest Rate Swaps	4,04,232.96	6,959.97
मुद्रा स्वैप / Currency Swaps	1,14,946.92	19,331.17
मुद्रा विकल्प / Currency Options	1,15,975.70	10,088.99
वायदा / Forwards	8,00,859.76	26,408.20

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

तालिका डीएफ-11: पूंजी का संघटन
Table DF-11: Composition of Capital

भाग II: 31 मार्च 2017 से पहले प्रयुक्त होने वाला टेम्पलेट (अर्थात् बासेल III विनियामक समायोजनों के संक्रमण काल के दौरान)
Part II: Template to be used before March 31, 2017 (i.e. during the transition period of Basel III regulatory adjustments)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

विनियामक समायोजनों की संक्रमण अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**			बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि **Amounts subject to Pre-Basel III Treatment**	संदर्भ सं. **Reference No.**
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी: लिखत एवं आरक्षित निधियां Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves				
1	सामान्य शेयर पूंजी के लिए अर्ह प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	1,12,829.09		ए=ए1+बी2 A=A1+B2
2	प्रतिधारित उपार्जन / Retained earnings	8,094.75		बी6 / B6
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित निधियाँ) Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	1,06,433.71		बी3+बी4+बी5 B3+B4+B5
4	*सीईटी 1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से समापन किए जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित पूंजी (केवल गैर संयुक्त पूंजी कंपनियों के लिए लागू)* *Directly issued capital subject to phase out from CET1 capital (only applicable to non-joint stock companies)*	-		
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि) Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-		
6	**विनिमायक समायोजन पूर्व सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी CET1 capital before regulatory deductions**	2,27,357.55		बी1 / B1
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी: विनिमायक समायोजन Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments				
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन / Prudential valuation adjustments	-		
8	साख (संबद्ध कर देयता को घटाकर) Goodwill (net of associated deferred tax liability)	-		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

विनियामक समायोजनों की संक्रमण अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**			**बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि** **Amounts subject to Pre-Basel III Treatment**	**संदर्भ सं.** **Reference No.**
9	बंधक चुकौती अधिकारों के अलावा अमूर्त आस्तियां (संबद्ध कर देयता को घटाकर) Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	113.44	75.63	एफ / F
10	आस्थगित कर आस्तियां / Deferred tax assets	15,805.31	10,536.87	जी / G
11	नकदी-प्रवाह हेज़ रिज़र्व / Cash flow hedge reserve	-		
12	प्रत्याशित हानियों की तुलना में प्रावधानों में कमी Shortfall of provisions to expected losses	-		
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण अभिलाभ / Securitisation gain on sale	-		
14	उचित रूप से मूल्यांकित देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में हुए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप अभिलाभ एवं हानियाँ Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	-		
15	सुनिश्चित लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियां Defined benefit pension fund net assets	-		
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि प्रदत्त पूंजी पहले रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र में समंजित न की गई हो) Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	-		
17	सीईटी 1 पूंजी लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता Reciprocal cross-holdings in CET1 capital instruments	793.75		
18	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय स्थितियों को घटाकर, जहां बैंक के पास निर्गमित शेयर पूंजी का 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	-		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

विनियामक समायोजनों की संक्रमण अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)			बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Reference No.
19	वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी ऐसी सीईटी 1 पूंजी लिखतों में उल्लेखनीय पूंजी निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों (10 % की प्रारंभिक राशि से अधिक) Significant capital investments in CET1 capital instruments issued by financial sector entities that are outside the scope of regulatory consolidation (amount above 10% threshold)	-		
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	-		
21	अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक, संबंधित कर देयता को घटाकर) Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	-		
22	15% की प्रारंभिक सीमा से ऊपर की राशि Amount exceeding the 15% threshold	-		
23	इसमें से: वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश of which: significant investments in the common stock of financial sector entities	-		
24	इसमें से: बंधक सर्विसिंग अधिकार / of which: mortgage servicing rights	-		
25	इसमें से: अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां of which: deferred tax assets arising from temporary differences	-		
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ) National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	186.59		
26क/a	इसमें से: असमेकित सहायक बीमा संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में निवेश of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	-		
26ख/b	इसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय सहायक संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में निवेश of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	186.59		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

विनियामक समायोजनों की संक्रमण अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**			**बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts subject to Pre-Basel III Treatment**	**संदर्भ सं. Reference No.**
26ग/c	इसमें से: उन बहुलांश स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं हुआ है of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-		
26घ/d	इसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय of which: Unamortised pension funds expenditures	-		
	बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशियों के संबंध में सामान्य इक्विटी टीयर 1 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-		
	इसमें से : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें] उदाहरणार्थ: एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर वसूल न की गई हानियों से प्राप्त राशि (भारतीय संदर्भ में संगत नहीं] of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT] For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)	-		
	इसमें से: [समायोजन का प्रकार दर्ज करें] of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	-		
	इसमें से: [समायोजन का प्रकार दर्ज करें] of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	-		
27	कटौतियों को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टीयर 1 और टीयर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टीयर 1 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	-		
28	**सीईटी 1 पूंजी में की गई कुल विनियामक कटौती Total regulatory deductions to CET1 capital**	16,899.09		
29	**सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी1) Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	2,10,458.46		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

विनियामक समायोजनों की संक्रमण अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**			बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि **Amounts subject to Pre-Basel III Treatment**	संदर्भ सं. **Reference No.**
	एटी 1 पूंजी : लिखत / AT1 capital: instruments			
30	अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों पूंजी के लिए अर्ह प्रत्यक्ष रूप से जारी और संबंधित स्टॉक अधिशेष (31+32) Directly Issued Qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	25,000.00		
31	इसमें से: लागू लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थाई गैर-संचयी अधिमान शेयर) of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-		
32	इसमें से: लागू लेखांकन मानदंडों (स्थाई ऋण लिखत) के अंतर्गत देयताओं के रूप में वर्गीकृत of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	25,000.00		
33	*एटी1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन पूंजी लिखत* *Capital instruments subject to phase out arrangements from AT1 capital*	11,961.60		
34	सहायक कंपनियों द्वारा निर्गमित तथा अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह एटी1 में अनुमत राशि) अतिरिक्त टीयर 1 लिखत (और पंक्ति 5 में शामिल न किए गए सीईटी1 लिखत) Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	-		
35	इसमें से: चरणबद्ध रूप से समापन के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखत of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-		
36	**विनियामक समायोजनों के पूर्व अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी** **Additional Tier 1 capital before regulatory deductions**	36,961.60		सी / C

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

विनियामक समायोजनों की संक्रमण अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)			बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Reference No.
	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	स्वयं के अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में निवेश Investments in own Additional Tier 1 instruments	-		
38	अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	471.95		
39	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय का निवल, जहां बैंक के पास संस्था के निर्गमित सामान्य शेयर पूंजी की 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	-		
40	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में उल्लेखनीय निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों (पात्र अधिविक्रय का निवल) Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41क+41ख) National specific regulatory adjustments (41a+41b)	-		
41क/a	असमेकित सहायक बीमा संस्थाओं की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में निवेश Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-		
41ख/b	उन बहुलांश स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में कमी जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं हुआ है Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

विनियामक समायोजनों की संक्रमण अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**			बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि **Amounts subject to Pre-Basel III Treatment**	संदर्भ सं. **Reference No.**
	बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशियों के संबंध में अतिरिक्त टीयर 1 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	10,674.70		
	इसमें से: आस्थगित कर आस्तियां of which: Deferred Tax Assets	10,536.87		
	इसमें से: गैर वित्तीय सहायक कंपनियों में निवेश [मौजूदा समायोजन जिसे टीयर 1 से 50% पर कटौती की जाती है] of which:Investment in Non - Financial subsidiary [existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%]	62.2		
	इसमें से : साख एवं अन्य अमूर्त आस्तियां of which:Goodwill & Other Intangible Assets	75.63		
42	कटौतियों को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टीयर 2 के कारण अतिरिक्त टीयर 1 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन Regulatory deductions applied to AT1 capital due to insufficient Tier 2 capital to cover deductions	-		
43	**अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में किए गए कुल विनियामक समायोजन** **Total regulatory deductions to AT1 capital**	11,146.64		
44	**अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी (एटी1) / Additional Tier 1 capital (AT1)**	25,814.96		
44क/a	**पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना में ली गई अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी** **Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy**	25,814.96		
45	**टीयर 1 पूंजी (टीयर 1= सीईटी1+एटी1) (29+44क)** **Tier 1 capital (Tier 1 = CET1 + AT1) (29+44a)**	2,36,273.41		
	टीयर 2 पूंजी: लिखत एवं प्रावधान **Tier 2 capital: instruments and provisions**			
46	प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित अर्ह टीयर 2 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	0		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

विनियामक समायोजनों की संक्रमण अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**			बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि **Amounts subject to Pre-Basel III Treatment**	संदर्भ सं. **Reference No.**
47	*टीयर 2 में से चरणबद्ध रूप से समापन के अधीन प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित पूंजी लिखत* *Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2*	77,821.10		D
48	सहायक कंपनियों द्वारा निर्गमित तथा अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह टीयर 2 में अनुमत राशि) टीयर 2 लिखत (और पंक्ति 5 अथवा 34 में शामिल न किए गए सीईटी 1 एवं एटी 1 लिखत) Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	-		
49	*इसमें से: चरणबद्ध रूप से समापन के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखत* *of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out*	-		
50	प्रावधान / Provisions	25,908.48		E1+E2
51	**विनियामक समायोजनों के पूर्व टीयर 2 पूंजी** **Tier 2 capital before regulatory deductions**	1,03,729.58		
	टीयर 2 पूंजी: विनियामक कटौतियां **Tier 2 capital: regulatory deductions**			
52	स्वयं के टीयर 2 पूंजी लिखतों में निवेश Investments in own Tier 2 capital instruments	-		
53	टीयर 2 पूंजी लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता Reciprocal cross-holdings in Tier 2 capital instruments	794.03		
54	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय का निवल, जहां बैंक के पास संस्था के निर्गमित सामान्य शेयर पूंजी की 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	-		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

विनियामक समायोजनों की संक्रमण अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**			बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि **Amounts subject to Pre-Basel III Treatment**	संदर्भ सं. **Reference No.**
55	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में उल्लेखनीय निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों (पात्र अधिविक्रय का निवल) Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56 क+56 ख) National specific regulatory adjustments (56a+56b)	62.2		
56क/a	इसमें से: असमेकित सहायक कंपनियों की टीयर 2 पूंजी में निवेश of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	62.2		
56ख/b	उन बहुलांश स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाओं की टीयर 2 पूंजी में कमी जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं हुआ है of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-		
	बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशियों के संबंध में टीयर 2 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-		
	इसमें से :[समायोजन का प्रकार दर्ज करें] जैसे कि मौजूदा समायोजन जिसे टीयर 2 से 50% पर कटौती की जाती है] of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]	-		
	इसमें से :[समायोजन का प्रकार दर्ज करें] of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	-		
57	**टीयर 2 पूंजी के लिए प्रयुक्त विनियामक कटौतियां** **Total regulatory deductions to Tier 2 capital**	856.22		
58	**टीयर 2 पूंजी (टी2) / Tier 2 capital (T2)**	1,02,873.36		
58क/a	**पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना में ली गई टीयर 2 पूंजी** **Tier 2 capital reckoned for capital adequacy**	1,02,873.36		
58ख/b	**टीयर 2 पूंजी के लिए गणना में ली गई अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी** **Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital**			

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

विनियामक समायोजनों की संक्रमण अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)			बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Reference No.
58ग/c	पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टीयर 2 पूंजी (58क + 58 ख) Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)	1,02,873.36		
59	कुल पूंजी (कुल पूंजी = टीयर1+ टीयर2) Total capital (Total capital = Tier 1 + Tier 2)	3,39,146.77		
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां Total risk weighted assets	28,60,731.27		
60क/a	इसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां of which: total credit risk weighted assets	2,473,669.02		
60ख/b	इसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां of which: total market risk weighted assets	2,52,289.96		
60ग/c	इसमें से: कुल परिचालनगत जोखिम भारित आस्तियां of which: total operational risk weighted assets	1,34,772.29		
	पूंजीगत अनुपात (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) Capital ratios (as a percentage of risk weighted assets)			
61	सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.36%		
62	टीयर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.26%		
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	11.86%		
64	संस्था आधारित बफर आवश्यकता (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता के साथ पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं) Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	5.50%		
65	*इनमें से: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता* *of which: capital conservation buffer requirement*	0.00%		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

	विनियामक समायोजनों की संक्रमण अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि **Amounts subject to Pre-Basel III Treatment**	संदर्भ सं. **Reference No.**
66	*इनमें से: बैंक आधारित प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता* *of which: bank specific countercyclical buffer requirement*	-		
67	*इसमें से: जी-एसआईबी या डी-एसआईबी बफर आवश्यकता* *of which: G-SIB or D-SIB buffer requirement*	-		
68	बफर संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	1.86%		
	राष्ट्रीय न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) **National minima (if different from Basel 3 minimum)**			
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%		
70	राष्ट्रीय टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%		
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%		
	कटौती के लिए प्रारम्भिक सीमा से कम की राशियां (जोखिम भारिता से पहले) **Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)**			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-उल्लेखनीय निवेश Non-significant investments in the capital of other financial entities	2,272.58		
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश Significant investments in the common stock of financial entities	10,251.69		
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबन्धित कर देयता को घटाकर) Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	लागू नहीं / N.A.		
75	अस्थाई अंतरों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियां (संबन्धित कर देयता को घटाकर) Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	लागू नहीं / N.A.		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

	विनियामक समायोजनों की संक्रमण अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि **Amounts subject to Pre-Basel III Treatment**	संदर्भ सं. **Reference No.**
	टीयर 2 पूंजी में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू होनेवाली उच्चतम सीमाएं **Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2 capital**			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में शामिल किए जाने हेतु पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व) Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	25,908.48		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन टीयर 2 में प्रावधानों के समावेश पर उच्चतम सीमा Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	लागू नहीं / N.A.		
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में शामिल किए जाने हेतु पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व) Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	लागू नहीं / N.A.		
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन टीयर 2 में प्रावधानों के समावेश पर उच्चतम सीमा Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	लागू नहीं / N.A.		
	चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन पूंजीगत लिखत (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू) **Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)**			
80	*चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 पूंजी लिखतों पर वर्तमान सीमा* *Current cap on CET1 capital instruments subject to phase out arrangements*	लागू नहीं / N.A.		
81	*उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वताओं के बाद सीमा से अधिक)* *Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*	लागू नहीं / N.A.		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

विनियामक समायोजनों की संक्रमण अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**			बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि **Amounts subject to Pre-Basel III Treatment**	संदर्भ सं. **Reference No.**
82	*चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा* *Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements*	लागू नहीं / N.A.		
83	*सीमा के कारण एटी 1 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से अधिक)* *Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*	लागू नहीं / N.A.		
84	*चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा* *Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements*	लागू नहीं / N.A.		
85	*उच्चतम सीमा के कारण टी 2 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से अधिक)* *Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*	लागू नहीं / N.A.		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

टेम्पलेट की पंक्ति संख्या Row No. of the template	विवरण / Particular	(राशि ₹ मिलियन) (₹ In million)
10	संचित हानियों से सम्बद्ध आस्थगित कर आस्तियां Deferred tax assets associated with accumulated losses	
	आस्थगित कर देयताओं को घटाकर आस्थगित कर आस्तियां (संचित हानियों से सम्बद्ध आस्तियों को छोड़कर) Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	26,342.19
	पंक्ति 10 में दर्शाए अनुसार कुल / Total as indicated in row 10	26,342.19
19	यदि सहायक बीमा कंपनियों में किए गए निवेशों को पूंजी से पूर्ण रूप से घटाया न गया हो और उसे 10% की प्रारंभिक सीमा के अंतर्गत कटौती हेतु पात्र माना गया हो तो उसके परिणामस्वरूप बैंक की पूंजी में हुई वृद्धि If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	
	इसमें से : सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी में हुई वृद्धि of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	
	इनमें से: अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में हुई वृद्धि of which: Increase in Additional Tier 1 capital	
	इनमें से: अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में हुई वृद्धि of which: Increase in Tier 2 capital	
26ख/b	यदि असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों की इक्विटी पूंजी में किए गए निवेशों की कटौती न की जाती हो तब जोखिम भारित निम्नानुसार होगा: If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	
	(i) सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी में वृद्धि Increase in Common Equity Tier 1 capital	
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि Increase in risk weighted assets	
44ए/a	पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना में न ली गई आधिक्य अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी (पंक्ति 44 में दर्शाए गए अनुसार अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी और 44 क में दर्शाए अनुसार स्वीकार्य अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में अंतर) Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	
	इसमें से: आधिक्य अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी जिसे पंक्ति 58 ख के अंतर्गत टीयर 2 पूंजी माना गया है of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	
50	टीयर 2 पूंजी में शामिल किए गए पात्र प्रावधान / Eligible Provisions included in Tier 2 capital	18,425.65
	टीयर 2 पूंजी में शामिल किए गए पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	7,482.83
	पंक्ति 50 का योग / Total of row 50	25,908.48

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

58ए/a	पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना में न ली गई आधिक्य अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी (पंक्ति 58 में दर्शाए गए अनुसार टीयर 2 पूंजी और पंक्ति 58 क में दर्शाए अनुसार टीयर 2 पूंजी के बीच का अंतर) Excess Tier 2 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Tier 2 capital as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)	

तालिका डीएफ-12: पूंजीगत संरचना - समाधान अपेक्षाएं
Table DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements

चरण 1./Step 1

(₹ मिलियन में / ₹ In Millions)

		वित्तीय विवरण के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार As on reporting date
अ/A	**पूंजी एवं देयताएं / Capital & Liabilities**		
i	प्रदत पूंजी / Paid-up Capital	16,039.58	16,039.58
	रिज़र्व और अधिशेष / Reserves & Surplus	2,27,707.52	2,27,928.41
	अल्पसंख्यक हित / Minority Interest	511.96	0
	कुल पूंजी / Total Capital	**2,44,259.06**	**2,43,967.99**
ii	**जमाराशियां / Deposits**	**25,95,229.53**	**25,96,973.87**
	इसमें से : बैंकों से जमाराशियां / of which: Deposits from banks	3,43,263.37	3,43,263.37
	इसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां / of which: Customer deposits	22,51,966.16	22,53,710.50
	इसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें) of which: Other deposits (pl.specify)	0	0
iii	**उधाराशियाँ / Borrowings**	**6,18,329.78**	**6,18,329.78**
	इसमें से : रिज़र्व बैंक से / of which: From RBI	0	0
	इसमें से : बैंकों से / of which: From banks	12,227.00	12,227.00
	इसमें से : अन्य संस्थानों व एजेंसियों से / of which: From other institutions & agencies	0	0
	इसमें से : अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) भारत से बाहर उधाराशियाँ, सामान्य पुनर्वित्त, फ्लेक्सी बांड तथा ओम्नी बांड of which: Others (pl. specify) Borrowings Outside India, General Refinance, Flexi Bonds and Omni Bonds	4,29,067.78	4,29,067.78
	इसमें से : पूंजीगत लिखतें \ of which: Capital instruments	1,77,035.00	1,77,035.00
iv	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities & provisions**	**1,01,490.59**	**1,00,569.67**
	कुल / Total	**35,59,308.96**	**35,59,841.31**

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ In Millions)

		वित्तीय विवरण के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार As on reporting date
आ/B	**आस्तियां / Assets**		
i	**भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष जमाराशि Cash and balances with Reserve Bank of India**	**1,30,397.61**	**1,30,357.90**
	बैंकों के पास जमा शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with banks and money at call and short notice	**14,858.52**	**14,909.89**
ii	**निवेश: / Investments:**	**12,06,092.64**	**12,08,011.79**
	इसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां / of which: Government securities	8,36,153.33	8,34,964.89
	इसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / of which: Other approved securities	0	0
	इसमें से : शेयर / of which: Shares	30,701.80	30,585.43
	इसमें से : डिबेंचर एवं बांड / of which: Debentures & Bonds	94,906.01	94,761.27
	इसमें से : सहायक संस्थाएं / संयुक्त उद्यम / सहयोगी of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	255.00	4,405.98
	इसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड, इत्यादि) of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds, etc.)	2,44,076.50	2,43,294.22
iii	**ऋण एवं अग्रिम / Loans and advances**	**20,83,768.66**	**20,83,768.66**
	इसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम / of which: Loans and advances to banks	11,143.10	11,143.10
	इसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम / of which: Loans and advances to customers	20,72,625.56	20,72,625.56
iv	**अचल आस्तियां / Fixed assets**	**30,799.51**	**30,724.13**
v	**अन्य आस्तियां / Other assets**	**93,392.02**	**92,068.94**
	इसमें से : साख एवं अमूर्त आस्तियां / of which: Goodwill and intangible assets	0	0
	इसमें से : पात्र आस्थगित कर आस्तियां / of which: Eligible Deferred tax assets	26,342.19	26,342.19
vi	**समेकन पर साख / Goodwill on consolidation**	**0**	**0**
vii	**लाभ-हानि लेखे में नामे शेष / Debit balance in Profit & Loss account**	**0**	**0**
	कुल आस्तियां / Total Assets	**35,59,308.96**	**35,59,841.31**

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

चरण 2 / Step 2.

(₹ मिलियन में / ₹ In Millions)

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
		रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	संदर्भ सं. Reference No.
अ/A	पूंजी एवं देयताएं / Capital & Liabilities			
i	प्रदत पूंजी / Paid-up Capital	16,039.58	16,039.58	
	इसमें से : सीईटी1 के लिए पात्र राशि *of which: Amount eligible for CET1*	16,039.58	16,039.58	ए1 / A1
	इसमें से : एटी1 के लिए पात्र राशि *of which: Amount eligible for AT1*	0	0	
	रिज़र्व और अधिशेष / Reserves & Surplus	2,27,707.52	2,27,928.41	
	शेयर प्रीमियम / Share Premium	96,789.52	96,789.52	बी2 / B2
	सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve	30,193.47	30,193.47	बी3 / B3
	पूंजी रिज़र्व / Capital Reserve	8,252.11	8,195.17	बी4 / B4
	अन्य प्रकटित निर्बंध रिज़र्व / Other Disclosed Free Reserve	69,427.88	68,045.07	बी5 / B5
	लाभ-हानि लेखे में शेष राशि / Balance in P&L account	6,416.04	8,094.75	बी6 / B6
	पुनर्मूल्यन रिज़र्व (विनियामक उद्देश्य हेतु इसमें 55% नहीं जोड़ा गया) Revaluation Reserve (For regulatory purpose it is discounted at 55%)	16,628.50	7,482.83	ई2 / E2
	अल्पसंख्यक हित / Minority Interest	511.96	0	
	कुल पूंजी / Total Capital	**2,44,259.06**	**2,43,967.99**	
ii	**जमाराशियां / Deposits**	**25,95,229.53**	**25,96,973.87**	
	इसमें से : बैंकों से जमाराशियां / of which: Deposits from banks	3,43,263.37	3,43,263.37	
	इसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां / of which: Customer deposits	22,51,966.16	22,53,710.50	
	इसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें) of which: Other deposits (pl. specify)	0	0	
iii	**उधाराशियाँ / Borrowings**	**6,18,329.78**	**6,18,329.78**	
	इसमें से : रिज़र्व बैंक से */ of which: From RBI*	0	0	
	इसमें से : बैंकों से */ of which: From banks*	12,227.00	12,227.00	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ In Millions)

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र **Balance sheet as in financial statements**	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र **Balance sheet under regulatory scope of consolidation**	
		रिपोर्ट करने की तारीख को **As on reporting date**	रिपोर्ट करने की तारीख को **As on reporting date**	संदर्भ सं. **Reference No.**
	इसमें से : अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से *of which: From other institutions & agencies*	0	0	
	इसमें से : अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) भारत से बाहर उधाराशियाँ, सामान्य पुनर्वित्त, फ्लेक्सी बांड तथा ओम्नी बांड *of which: Others (pl. specify) Borrowings Outside India, General Refinance, Flexi Bonds and Omni Bonds*	4,29,067.78	4,29,067.78	
	इसमें से : पूंजीगत लिखतें / of which: Capital instruments	1,77,035.00	1,77,035.00	
	- of which			
	क) इसमें से पात्र अतिरिक्त टीयर 1 *a) Eligible Additional Tier 1*	36,961.60	36,961.60	सी / C
	ख) इसमें से पात्र टीयर 2 *b) Eligible Tier 2*	77,821.10	77,821.10	डी / D
iv	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान** **Other liabilities & provisions**	**1,01,490.59**	**1,00,569.67**	
	इसमें से : मानक आस्तियों पर विवेकपूर्ण प्रावधान, अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान तथा अतिरिक्त प्रावधान जो टीयर 2 पूंजी के अंतर्गत शामिल एनपीए की बिक्री से उत्पन्न हुए . *of which: Prudential provisions against standard assets, provision for unhedged foreign currency exposure and excess provisions which arise on account of sale of NPAs included under Tier 2 Capital*	18,425.65	18,425.65	ई1 / E1
	कुल / Total	**35,59,308.96**	**35,59,841.31**	
आ/B	**आस्ति / Asset**			
i	**भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष आस्ति** **Cash and balances with Reserve Bank of India**	**1,30,397.61**	**1,30,357.90**	
	बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि **Balance with banks and money at call and short notice**	**14,858.52**	**14,909.89**	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ In Millions)

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
		रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	संदर्भ सं. Reference No.
ii	**निवेश / Investments**	**12,06,092.64**	**12,08,011.79**	
	इसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां *of which: Government securities*	8,36,153.33	8,34,964.89	
	इसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां *of which: Other approved securities*	0	0	
	इसमें से : शेयर / of which: Shares	30,701.80	30,585.43	
	इसमें से : डिबेंचर एवं बांड / of which: Debentures & Bonds	94,906.01	94,761.27	
	इसमें से : सहायक संस्थाएं /संयुक्त उद्यम /सहयोगी *of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates*	255.00	4,405.98	
	इसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड इत्यादि) *of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)*	2,44,076.50	2,43,294.22	
iii	**ऋण एवं अग्रिम / Loans and advances**	**20,83,768.66**	**20,83,768.66**	
	इसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम of which: Loans and advances to banks	11,143.10	11,143.10	
	इसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम of which: Loans and advances to customers	20,72,625.56	20,72,625.56	
iv	**अचल आस्तियां / Fixed assets**	30,799.51	30,724.13	
	जिनमें से अमूर्त आस्तियां / out of which intangibles	204.10	189.06	एफ / F
v	**अन्य आस्तियां / Other Assets**	**93,392.02**	**92,068.94**	
	इसमें से : साख एवं अमूर्त आस्तियां of which: Goodwill and intangible assets	0	0	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ In Millions)

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
		रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	संदर्भ सं. Reference No.
	इसमें से / Out of which:			
	साख / Goodwill	0	0	
	अन्य अमूर्त आस्तियां (एमएसआर को छोड़कर) Other intangibles (excluding MSRs)	0	0	
	इसमें से आस्थगित कर आस्तियां Out of which Eligible Deferred tax assets	26,342.19	26,342.19	जी / G
vi	**समेकन पर साख** **Goodwill on consolidation**	**0**	**0**	
vii	**लाभ-हानि लेखे में नामे शेष** **Debit balance in Profit & Loss account**	**0**	**0**	
	कुल आस्तियां / Total Assets	**35,59,308.96**	**35,59,841.31**	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

चरण 3: / Step 3:

(₹ मिलियन में / ₹ In Millions)

बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टैम्पलेट का उद्धरण (जोड़े गए कॉलम सहित) - सारणी डीएफ-11
(भाग I / भाग II जो भी लागू हो)
Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – Table DF-11
(Part I / Part II whichever, applicable)

सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखतें एवं रिज़र्व
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियाम क पूंजी के घटक Component of Regulatory capital reported by bank	चरण 2 से समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र की संदर्भ संख्या / अक्षरों पर आधारित स्रोत Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	सीधे जारी किए गए अर्हताप्राप्त सामान्य शेयर (तथा गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के समतुल्य) पूंजी के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	16,039.58	ए1 / A1
2	प्रतिधारित आय / Retained earnings	8,094.75	बी6 / B6
3	संचित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य रिज़र्व) Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	2,03,223.23	बी2+बी3+बी4+बी5 B2+B3+B4+B5
4	सीईटी1 से चरणबद्ध रूप से समापन के अधीन सीधे जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू) Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non- joint stock companies)	-	
5	सहायक संस्थाओं द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि) Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-	
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	2,27,357.55	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन Prudential valuation adjustments	-	
8	साख (संबद्ध कर देयता को घटा कर) Goodwill (net of related tax liability)	-	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

तालिका डीएफ-13: विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट
Table DF-13: Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

डीएफ-13 विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेम्पलेट वेबसाइट पर
''विनियामक प्रकटन खंड >> वित्तीय वर्ष 2014-15 (बासेल III)> मार्च 2015'' के अंतर्गत उपलब्ध है
DF- 13 Disclosure template for main features of regulatory capital instruments are available on the website under "Regulatory Disclosure Section >> FY 2014-15 (Basel III) >> March 2015"

तालिका डीएफ-14: बैंक द्वारा जारी विनियामक पूंजी लिखतों के निबंधन एवं शर्तें
Table DF-14: Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments issued by the Bank

डीएफ-14 बैंक द्वारा जारी विनियामक पूंजी लिखतों की टर्म शीट वेबसाइट पर
''विनियामक प्रकटन खंड >> वित्तीय वर्ष 2014-15 (बासेल III)> मार्च 2015'' के अंतर्गत उपलब्ध है
DF- 14 The Term Sheets for regulatory capital instruments issued by the Bank are available on the website under "Regulatory Disclosure Section >> FY 2014-15 (Basel III) >> March 2015"

टिप्पणियां / NOTES

1964 से अब तक के यादगार पल

Moments treasured since 1964

आईडीबीआई बैंक उद्योगों को सक्षम बनाते हुए, रोजगार सृजन करते हुए और उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हुए सरकार के **'मेक इन इंडिया'** संकल्प में सहभागी हो रहा है. साथ ही बैंक अपने ग्राहकों के साथ प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो वैश्विक रूप से अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है.

IDBI Bank is partnering the Government's **'Make in India'** vision by enabling industries, creating employment, and promoting entrepreneurship. Together, with its customers, the Bank is focused on creating a progressive nation that is poised to become a leading economy globally.

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय:
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400005
टोल फ्री नं.: 1800-22-1070 / 1800-200-1947.
गैर-टोल फ्री नं.: 022-66937000.

IDBI Bank Limited
Regd. Office:
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai - 400005
Toll Free Nos.: 1800-22-1070 / 1800-200-1947.
Non-Toll Free No.: 022-66937000.

www.idbi.com @idbi_bank /IDBIBank +IDBIBank /idbibank CIN: L65190MH2004GOI148838

वार्षिक रिपोर्ट 2014-15
Annual Report 2014-15
www.sapprints.com
concept, content and design at aicl [info@aicl.in]